ा माला, खंड 13, अंक 21

बुधवार, 24 अगस्त, 2005
2 भाद्र, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Committee & Debates Unit
Acc. 59
Dated 4.Jan.2007

(खंड 13 में अंक 21 से 24 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 13, पांचवां सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 21, बुधवार, 24 अगस्त, 2005/2 भाद्र, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 401 से 403 और 405 से 407	1–37
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 404 और 408 से 420	38–61
अतारांकित प्रश्न संख्या 4137 से 4366	62–386
सभा पटल पर रखे गये पत्र	387–404
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	404
सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति	404–405
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
तेरहवां प्रतिवेदन	405
लोक लेखा समिति	
विवरण	405–406
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
पांचवां और छठा प्रतिवेदन	406–407
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	407
रेल संबंधी स्थायी समिति	
तेरहवां प्रतिवेदन	407
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ छियासठवां प्रतिवेदन	408
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के इक्यासीवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री टी.आर. बालू	408–409
(दो) परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के बयासीवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री टी.आर. बालू	409–410

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित * चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(तीन)	कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के दूसरे और पांचवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
	श्री शीश राम ओला	410–411
(चार)	ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के पहले और तीसरे प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
	श्री पी.एम. सईद	412–451
(पांच)	लोकल कॉल डायलिंग सुविधा के बारे में दिनांक 20 अप्रैल, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3968 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	
	डा. शकील अहमद	451–452
(छह)	मेडिकल डायग्नोस्टिक किटों की गुणवत्ता के बारे में दिनांक 10 अगस्त, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2679 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	
	डा. अंबुमणि रामदास	452–453
समिति के लिए निर्वाचन		
	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	453–454
सदस्यों द्वारा निवेदन		
	उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की आलोचना के मामले में सरकार से आत्म-संयम बरतने की सलाह के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गयी कथित टिप्पणी के बारे में	454–481
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		
(एक)	उड़ीसा सरकार के कोरियाई स्टील मेजर पोस्को के साथ हुए समझौते, जिसमें उन्हें देश की खनिज संपदा का निर्यात करने की अनुमति दी गई है, से उत्पन्न स्थिति	481–498
	श्री बसुदेव आचार्य	481, 483–488
	श्री शीश राम ओला	482–483, 497–498
	श्री रूपचंद पाल	489–490
	श्री अर्जुन सेठी	490–492
	श्री जुएल ओराम	493–496
(दो)	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम के प्रस्तावित बंद के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की छंटनी से उत्पन्न स्थिति	498–514
	श्री अधीर चौधरी	498, 501–506
	श्री टी. आर. बालू	499–501, 509–514
	श्री शैलेन्द्र कुमार	506–507
	श्री लक्ष्मण सेठ	507–509
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक)	ओंगोले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आंध्र प्रदेश की कानीगिरी जल आपूर्ति योजना को स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	517–518
(दो)	भारतीय सेना में अहिरवाल रेजीमेंट की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	डा. करण सिंह यादव	518
(तीन)	पूर्वी उत्तर प्रदेश में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	योगी आदित्यनाथ	519

विषय		कॉलम
(चार)	जयपुर, राजस्थान में मेट्रो रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री गिरधारी लाल भार्गव	519–520
(पांच)	उड़ीसा में तालचेर और ब्रजराजनगर की कोयला खनन पट्टी में बढ़ रहे तापमान की स्थिति पर राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी संस्थान द्वारा अध्ययन कराये जाने की आवश्यकता	
	श्री धर्मेन्द्र प्रधान	520
(छह)	पश्चिम बंगाल में जगदीशपुर से इल्दिया तक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री लक्ष्मण सेठ	520–521
(सात)	दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन के अंतर्गत कोंटई रोड स्टेशन पर हावड़ा-भुवनेश्वर धौली एक्सप्रैस को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री रूपचंद मुर्मू	521
(आठ)	उत्तर प्रदेश के चायल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की पेय जल की समस्या के समाधान के लिए वहां स्वजल धारा परियोजना को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री शैलेन्द्र कुमार	521
(नौ)	देश में खाद्यान्न की कमी न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न से शराब के उत्पादन पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता	
	डा. धीरेन्द्र अग्रवाल	522
(दस)	महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में लाटरी व्यवसाय को विनियमित करने के लिए बनाए गए नियमों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्द्रकान्त खैरे	522–523
(ग्यारह)	उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में क्रायोफाइडमाइट नामक नारियल के रोग के प्रसार को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री भर्तृहरि महताब	523
(बारह)	क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या के समाधान के लिए तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में होगेनक्कल इंडिग्रेटेड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए धन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	डा. आर. सेनथिल	523–524
(तेरह)	असम में सरायघाट में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर चार लेन वाला सड़क-सह-रेल पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	डा. अरुण कुमार शर्मा	524–525
(चौदह)	हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र और कुल्लू और शिमला जिलों के कतिपय क्षेत्रों की अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती प्रतिभा सिंह	525
(पन्द्रह)	कतिपय विदेशी कंपनियों द्वारा चावल का पेटेंट कराए जाने से देश के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	525–526
(सोलह)	दिल्ली में वाहन में आगे की सीट पर बैठने वालों के लिए अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट बांधने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती कृष्णा तीरथ	526–527

विषय	कॉलम
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक, 2005	527–601
विचार करने के लिए प्रस्ताव	527
श्री आलोक कुमार मेहता	527–529
श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन	529–532
श्रीमती अर्चना नायक	532–534
श्रीमती किरण माहेश्वरी	534–538
श्रीमती कृष्णा तीरथ	539–543
श्री मिश्रसेन यादव	543–545
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	545–547
श्रीमती निवेदिता माने	548–550
श्रीमती जयाप्रदा	550–554
श्री एल. राजगोपाल	554–559
श्रीमती सी.एस. सुजाता	559–561
श्रीमती नीता पटैरिया	561–566
श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश	566–573
श्री अनंत गुढ़े	574–577
डा. आर. सेनथिल	577–580
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	580–582
श्रीमती जयवहन बी. ठक्कर	582–585
श्रीमती पी. सतीदेवी	586–588
श्रीमती कान्ति सिंह	590–596, 599
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	596–599
खंड 2 से 37 और 1	599
पारित करने के लिए प्रस्ताव	601
अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा	559
उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2005	602–629
विचार करने के लिए प्रस्ताव	602
श्री के. वेंकटपति	602–603
श्री खारवेल स्वाईं	605
श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव	605–609
श्री सुरेश कुरूप	609–610
श्री शैलेन्द्र कुमार	610–611
श्री राजाराम पाल	611–612
श्री अजय चक्रवर्ती	612–614
श्री ब्रह्मानन्द पंडा	615–617
डा. सिबैस्टियन पाल	617–618
श्री हरिभाऊ राठौड़	618–619
श्री पी. करूणाकरन	619–621
श्री हंसराज भारद्वाज	621–628
खंड 2 से 11 और 1	628
परित करने के लिए प्रस्ताव	629
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	649
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	650–656
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	657–658
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	658–660

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 24 अगस्त, 2005/2 भाद्र, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बालासोवरी वल्लभनेनी, प्रश्न संख्या 401।

बढ़ते हृदय रोगों के बारे में अनुसंधान

***401. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस) ने देश में बढ़ते हृदय रोगों और 'स्टेम सेलों' की सहायता से उनके उपचार के बारे में कोई अनुसंधान कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हृदय रोगों के उपचार में 'स्टेम सेलों' का उपयोग सफल सिद्ध हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा 'स्टेम सेलों' के बारे में अनुसंधान में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विभिन्न स्टेम कोशिकाओं संबंधी अनुसंधान एवं चिकित्सीय प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से कार्यरत है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने हृदय रोगों में स्टेम कोशिकाओं के प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित नैतिक रूप से स्वीकृत अनुसंधान किए हैं:

(1) स्टेम कोशिकाओं का प्रयोग 35 रोगियों में बाईपास शल्य क्रिया करते समय कोरोनरी धमनी रोगों के रोगियों में किया गया।

(2) स्टेम कोशिकाओं को कोरोनरी एंजियोग्राफी करते समय विस्तारित हृदयपेशी विकृति (कार्डियोमायोपैथी) के 17 रोगियों में त्वचा के जरिए भीतर डाला गया।

शल्य रोगियों में परिणाम सफल रहे हैं, कोई अनुषंगी प्रभाव नहीं पड़ा है तथा रोगियों के नैदानिक लाभ सहित हृदय की पम्पिंग प्रक्रिया में सुधार हुए हैं। दूसरी श्रेणियों के परिणाम बिना किसी भी अनुषंगी प्रभाव अथवा जटिलताओं के रहे हैं तथा रोगियों की नैदानिक स्थिति तथा निगरानी के लिए उनका अनुपरीक्षण किया जा रहा है। यद्यपि परिणाम आशाप्रद रहे हैं, तथापि रोगियों का अभी भी नियमित अनुपरीक्षण किया जा रहा है।

आधुनिक चिकित्सा तथा जैव-चिकित्सा अनुसंधान में स्टेम कोशिका संबंधी अनुसंधान की संभावना को महसूस करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जोरदार सिफारिश की है कि स्टेम कोशिका अनुसंधान तथा इसके नैदानिक अनुप्रयोगों को देश में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारत स्टेम कोशिका अनुसंधान में लगे प्रमुख देशों में से एक देश के रूप में उभर कर सामने आया है। इस समय लगभग 15 संस्थाएं तथा 3 प्रमुख स्वास्थ्य केन्द्र स्टेम कोशिका अनुसंधान तथा संबंधित कार्यकलापों में कार्यरत हैं। आई.सी.एम.आर. भी देश में अनेक कोर्ड रक्त स्टेम कोशिका बैंकों की स्थापना कर रही है।

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: महोदय, न सिर्फ हृदय रोगों अपितु अन्य गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, रीढ़ की हड्डी में चोट, रक्त की कम आपूर्ति, गंजेपन, अंधेपन के उचार के लिए स्टेम सेल के प्रयोग पर अनुसंधान चल रहा है। स्टेम सेल अनुसंधान को मूल रूप से पुनरूत्पादक औषधि भी कहा जाता है और इसमें ऊतक विशेष को ठीक करके अथवा अंगों का विकास करके मानवीय बीमारी का स्वरूप ही बदलने की संभावना है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या मंत्रालय ने हृदय रोग में वृद्धि के कारणों और न सिर्फ स्वास्थ्य अपितु जीवन पर इसके विनाशकारी प्रभाव के बारे में आम लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास किया है?

उत्तर में यह कहा गया है कि यद्यपि परिणाम उत्साहवर्द्धक हैं, मरीज अभी भी नियमित निगरानी में हैं। क्या माननीय मंत्री हमें

बताएंगे कि कब तक मरीज निगरानी में रहेंगे? क्या इस संबंध में कोई समय सीमा है?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय माननीय सदस्य ने दो मुद्दे उठाए है। एक देश में सामान्य हृदय रोग के बारे में हैं और क्या सरकार ने इस संबंध में जागरूकता के सृजन के लिए कोई कदम उठाए हैं। दूसरा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से संबंधित है जहां वयस्क 'स्टेम सेल' का प्रयोग करके अनेक मरीजों को ठीक किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: वे जानना चाहते हैं कि मरीजों को कब तक आराम करना चाहिए।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, यह मरीज की सतत निगरानी है। उसे प्रगति के अनुरूप छह माह पश्चात से एक वर्ष में समीक्षा के लिए आना चाहिए।

दूसरे प्रश्न के संबंध में जो हृदय रोग से संबंधित और आम जनता की स्थिति के बारे में है आज भारत में असंक्रमणीय रोग पैटर्न में असामान्य वृद्धि हुई है। जैसे मधुमेह और कार्डियो वस्कुलर रोग वास्तव में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) ने हमें चेतावनी दी है कि असंक्रमणीय रोग भविष्य में सक्रमणीय रोगों से अधिक फैलेंगे। इसलिए सरकार भविष्य में इस मुद्दे से निपटने के लिए तत्पर है।

आज, भारत वास्तव में विश्व की मधुमेह राजधानी और कार्डियो वस्कुलर रोग राजधानी बन गया है। हमने अनेक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस वर्ष हम 'कार्डियोवस्कुलर रोगों डायबिटिस' और स्ट्रोक के संबंध में एक नया राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ-साथ हम स्कूलों में जागरूकता सृजन सहित अनेक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: प्रांसगिकता और संक्षिप्तता दोनों गुण हैं। अब, आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: महोदय, बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता के इन दिनों में, हृदय रोगों में वृद्धि को नहीं समझा जा सकता है डाक्टरों का विचार है कि भोजन की आदतों में काफी परिवर्तन हुआ है। लोग योग और व्यायाम कर रहे हैं तथा निरामिष भोजन स्वीकार कर रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस सभा को सूचित करेंगे कि क्या हृदय रोगों में वृद्धि को रेखांकित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई नया और ठोस तरीका अपनाया जा रहा है? इनका ब्यौरा क्या है?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं भारत सरकार मधुमेह, कार्डियो वस्कुलर रोगों और स्ट्रोक के लिए नया राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। एक कृतिक बल पहले ही गठित किया जा चुका है। योजना आयोग इस कार्यक्रम के लिए सिद्धान्त रूप से स्वीकृति दे चुका है। कृतिक बल इस बात पर चर्चा कर रहा है कि यह कार्यक्रम किस तरह से चलाया जाए, किस तरह से शीघ्र रोग का पता लगाया जाए, जागरूकता कैसे पैदा की जाए और उपचार योजना क्या हो। जागरूकता कार्यक्रम न सिर्फ बुजुर्गों में अपितु स्कूल जाने वाले बच्चों में भी मुख्य कार्यक्रम हो।

माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि योग को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। वस्तुत: हम इस पर मानव संसाधन मंत्रालय के साथ चर्चा कर रहे हैं ताकि योग को स्कूल स्तर पर अनिवार्य विषय बनाया जाए।

अध्यक्ष महोदय: अब प्रोफेसर महादेवराव शिवनकर आप कृपया अपना एक अनुपूरक प्रश्न पूछिए। आप भाग (क), (ख), (ग) और (घ) से शुरू होने वाले प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर: स्टेम कोशिकाओं का प्रयोग और उसमें बाईपास शल्यक्रिया करते हुए अभी तक कितनी प्रगति हुई है, मैं जानना चाहता हूं कि हमें कितने परसेंट सफलता प्राप्त हुई है? भविष्य में इसमें अधिकतम सफलता पाने हेतु कुछ और उपाय ढूंढ़ने के संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या सोचा है?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं सदस्यों को बताऊं कि स्टेम सेल क्या है और स्टेम सेल के कितने प्रकार हैं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं यह दवाई नहीं है। यह मेडिकल कॉलेज नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर: यह सवाल अलग था, इन्होंने हंसी में उड़ा दिया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: माननीय सदस्यों को स्टेम सेल की अवधारणा और हम देश में क्या कर रहे हैं समझाने के लिए मैं

बुनियादी बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। तीन प्रकार के स्टेम सेल होते है।

(1) कॉर्ड ब्लड सेल (2) वयस्क स्टेम सेल, और (3) एम्ब्रायोलिक स्टेम सेल। पूरे विध में, नैतिक दृष्टि से एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल का विरोध हो रहा है। यूके, चीन, कोरिया, सिंगापुर के कुछ हिस्सों और अन्य देशों ने अनुसंधान किया है और भारत में हम भी पीछे रहना नहीं चाहते हैं। इसलिए, भारत एम्ब्रायोनिक स्टेम सेलों के लिए चिकित्सीय क्लोनिंग का प्रचार का रहा है। इसलिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने हृदय रोग के मरीजों पर दो अनुसंधान किया है। लगभग 37 मरीजों का उपचार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: आपने लिखित उत्तर में उसका उल्लेख किया है।

डा. अंबुमणि रामदास: पूरे विश्व में पिछले 10 वर्षों से वयस्क स्टेम सेल के प्रयोग की प्रक्रिया चल रही है और अब हाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने इसे शुरू किया है। कुछ संस्थान न सिर्फ कार्डियक अनुसंधान अपितु लिम्फैटिक सेल चक्षु कोशिकाओं, पैन्क्रियाटिक सेल अस्थि-मज्जा और अन्य उपयोग के लिए भी यह अनुसंधान कर रहे हैं।

इसलिए हम और अधिक अनुसंधान कर रहे हैं और वास्तव में, अ.भा.आ. संस्थान और जैव तकनीकी विभाग न सिर्फ कार्डियोलौजी के लिए अपितु शरीर के अन्य अंगों के लिए भी अ.भा.आ. संस्थान में एक नया स्टेम सेल रिसर्च एकक संयुक्त उपक्रम में स्थापित करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: अब, डा. रामचन्द्र डोम अब आप अपना विनिर्दिष्ट और संक्षिप्त प्रश्न पूछें।

डा. रामचन्द्र डोम: जी, महोदय। मैं बहुत संक्षेप में प्रश्न पूछूंगा।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

[अनुवाद]

मुझे खेद है, कृपया बैठ जाइए। उन्होंने आपके छोटे प्रश्न का बहुत लंबा जवाब दे दिया है।

डा. रामचन्द्र डोम: महोदय, मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि सरकार ने हमारे देश में स्टेम कोशिका अनुसंधान परियोजना की शुरूआत की है, और यह अनुसंधान कार्य सफलतापूर्वक चल रहा है। यही मेरा विनिर्दिष्ट प्रश्न है। हृदय रोग से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि आज भी कोरोनरी हृदय रोग के मामलों में वृद्धि हो रही है। आज भी सबसे अधिक होने वाला हृदय रोग रूमैटिक हृदय रोग है और इससे सामान्यत: प्रभावित होने वाले लोग समाज के गरीब तबके के लोग हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

डा. रामचन्द्र डोम: आप भी इस बात से सहमत होंगे कि कई बार वाल्व प्रतिस्थापन शल्यक्रिया आवश्यक हो जाती है। यह बहुत महंगी, और खर्चीली है।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

डा. रामचन्द्र डोम: मेरा प्रश्न यह है। इस रोग को विशेषकर रूमैटिक हृदय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर) ने हमारे देश में सबसे अधिक होने वाले हृदय रोग की अकेली समस्या पर कोई अध्ययन कराया है। इस परियोजना पर उनकी सिफारिश क्या है? यह मेरे प्रश्न का भाग (क) है। मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है।

अध्यक्ष महोदय: कोई भाग (ख) नहीं है।

डा. रामचन्द्र डोम: मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार रूमैटिक हृदय रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करने जा रही है या नहीं।

डा. अंबुमणि रामदास: उनके अनुपूरक प्रश्न के भाग (क) के संबंध में, मैं ब्यौरे इकट्ठे करूंगा और सदस्य को सूचित कर दूंगा। भाग (ख) के संबंध में, मैंने पहले ही कहा है कि हृदय धमनी रोग (कार्डियोवैसकुलर डीजीज), मधुमेह और आघात (स्ट्रोक्स) हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है, और हम इस कार्यक्रम की शुरूआत इसी वर्ष करेंगे जहां रूमैटिक हृदय रोग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा।

श्री अर्जुन सेठी: इस देश में हृदय रोगियों के साथ मधुमेह रोगियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ये विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं शहरों में अवस्थित हैं या अखिल भारतीय चिकित्सा आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे संस्थानों में चेन्नई, वेल्लोर, इत्यादि जैसे स्थानों में अवस्थित हैं। परन्तु ग्रामों में, विशेषकर, उड़ीसा राज्य में ये सुविधाएं बहुत सीमित हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी

से जानना चाहूंगा कि गरीब तबके के इन रोगियों के लिए इन्होंने राज्यों में किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं जिनके पास चिकित्सा की ऐसी सुविधा नहीं है। मैं इसे विशेषकर उड़ीसा राज्य के संदर्भ में पूछ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप ग्रामीण लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं?

डा. अंबुमणि रामदास: सबसे पहले यह राज्य का विषय है, और राज्य सरकारों को इन रोगियों के इलाज के लिए और अधिक सुविधाएं और राज्य स्तर पर अस्पतालों में सुविधाओं का उन्नयन करना पड़ेगा। जिस राष्ट्रीय कार्यक्रम पर हम विचार कर रहे हैं उसमें हम एक ऐसा पैटर्न बनाने का प्रयास कर रहे हैं जहां हम इनका मूल्यांकन कर सकें। इस कार्यक्रम में जागरूकता पैदा करने और इसका जल्दी पता लगाने पर बल दिया जाएगा। इस समय यह व्यवहार्य नहीं है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत देश में इन सभी रोगियों का इलाज किया जा सके। परन्तु इसके लिए हम कुछ सीमा तक राज्यों को सहयोग करने में सक्षम होंगे।

डा. करन सिंह यादव: धन्यवाद, महोदय। अभी स्टेम कोशिका का उपयोग हृदय रोगों और अन्य सूचकों में किया जाता है। मेरा सीधा प्रश्न यह है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को वित्त पोषित करने का प्रयास कर रही है जो भ्रूण संबंधी स्टेम कोशिकाओं और नाभि रज्जू (अम्बलीकल कॉर्ड) रक्त बैंकों के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाला एक अग्रणी संस्थान है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार राज्यों में अवस्थित बड़े अस्पतालों के लिए राज्य सरकारों को यह सुविधा देने की योजना बना रही है।

अध्यक्ष महोदय: इसका सीधा उत्तर दिया जाना चाहिए।

डा. अंबुमणि रामदास: जैसा कि मैंने पहले ही अपने उत्तर में उल्लेख किया है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ एक संयुक्त उपक्रम परियोजना पर कार्य कर रही है, और कार्ड कोशिकाओं सहित स्टेम कोशिकाओं संबंधी अनुसंधान की एक बड़ी परियोजना के रूप में आगे कदम बढ़ा रही है। आज भी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में और आर्गन रिट्राइवल बैंकिंग आर्गनाइजेशन (ओ आर बी ओ), के संयुक्त उपक्रम के रूप में नाभि रज्जू (अंबलीकल कार्ड) कोशिका बैंक है।

जहां तक राज्यों का संबंध है, भविष्य में, सरकार उन राज्यों को मदद करने का प्रयास करेगी जो स्टेम कोशिकाओं पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि यह अनुसंधान देश में सभी जगहों पर हो।

गैर-सरकारी संगठनों को एड्स नियंत्रण कार्यक्रम हेतु धनराशि

*402. डा. आर. सेनथिल:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन कार्यक्रम के तीसरे चरण से सम्बन्धित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों हेतु विदेशी एजेंसियों से धनराशि प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये गैर-सरकारी संगठन इस प्रयोजनार्थ उनके द्वारा पहचान की गई परियोजाओं पर इस धनराशि का उपयोग कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैर-सरकारी संगठन आवंटित धनराशि का उचित उपयोग नहीं कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि के उपयोग के समन्वय और निगरानी हेतु सरकार की क्या कार्य-योजना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (छ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-3 जून, 2006 में शुरू करना नियत किया गया है और परियोजना अवधि पांच वर्ष होने की संभावना है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-3 के लिए तैयारी कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है और एक नियोजन दल गठित कर दिया गया है। नियोजन प्रक्रिया में सभी स्टेकहोल्डर अर्थात नीति निर्माता, विशेषज्ञ, गैर-सरकारी संगठन और समुदाय आधारित संगठन, द्विपक्षी और बहुपक्षी अभिकरण शामिल होंगे। नियोजन दल के अधीन कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण विषय वाले क्षेत्रों पर गहराई से विचार-विमर्श करने के लिए 14 कार्य समूह गठित किए गए हैं। कार्य समूह राष्ट्रीय एड्स

नियंत्रण कार्यक्रम चरण-3 के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाएं तैयार करेंगे।

की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए विशेष सचिव और महानिदेशक, नाको की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम संचालन समिति गठित की गई है।

(ख) से (घ) विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी), संयुक्त राज्य एड (यूएसएड) आदि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-2 के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) को निधियां प्रदान करता है। नाको लक्षित कार्यकलापों, जिनमें मुख्य रूप से काट्रिक्टिंग एचआईवी संक्रमण के अधिक जोखिम वाले समूह पर ध्यान दिया गया है, को शुरू करने और एचआईवी/एड्स से ग्रस्त लोगों को परिचर्या और सहायता सेवाएं उपलब्ध करने के लिए राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों के जरिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान करता है। तथापि, बिल एंड मेलिण्डा गेट्स फाउंडेशन, भारत-कनाडा सहयोग एचआईवी/एड्स परियोजना (आईसीएचएपी) जैसे कुछ बाह्य अभिकरण हैं जो कुछ गैर-सरकारी संगठनों को सीधे ही निधियां प्रदान करते हैं और जिनके अपने मूल्यांकन तंत्र हैं। चूंकि नाको इन बाह्य अभिकरणों द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को निधियां प्रदान करने की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, इसलिए ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और यथासमय सदन के पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ङ) से (छ) जी, हां। खराब कार्य-निष्पादन, निधियों का गलत ढंग से रख-रखाव करने, प्रबंध समितियों में परिवर्तन करने आदि जैसे कारणों से राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों ने 1999 से विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहे लगभग 38 गैर-सरकारी संगठनों से सहायता वापस ले ली है। वर्तमान में, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-2 के अधीन नाको द्वारा वित्तपोषित किए जा रहे 922 गैर-सरकारी संगठन उच्च जोखिम वाले समूहों में 965 लक्षित कार्यकलाप परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं और 58 गैर-सरकारी संगठन 60 सामुदायिक परिचर्चा केन्द्र चला रहे हैं। नाको द्वारा सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों के वित्तपोषण को संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों तक विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है जिस के लिए उन्हें विस्तृत प्रचालनात्मक और लागत संबंधी दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं। राज्यों के साथ वार्षिक कार्य योजना विचार-विमर्शों के आधार पर, गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों को निधियां जारी की जाती हैं। नाको द्वारा मूल्यांकन के लिए विविध मापदण्डों के बारे में आपनी संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों के जरिए गैर-सरकारी संगठनों से नियमित रूप से आधारिक सूचना (फीड बैक) सुनिश्चित करने हेतु एक कंप्यूटरीकृत प्रबंध सूचना पद्धति और एक कार्यक्रम वित्त प्रबंधन पद्धति विकसित की गई है। गहन मानीटरिंग और मूल्यांकन पद्धतियों के साथ राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियां खराब कार्य निष्पादन, निधियों के अनुपयुक्त उपयोग और लक्ष्यों की अल्प उपलब्धि आदि की जांच करने में समर्थ हैं। कमियां पाए जाने पर राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियां परियोजना वापस ले लेती हैं और वित्तपोषण बंद कर देती हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री ई.जी. सुगावनम—उपस्थित नहीं।

डा. आर. सेनथिल।

डा. आर. सेनथिल: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अत्यंत ही व्यापक और सम्पूर्ण उत्तर दिया। मुझे गैर-सरकारी संगठनों के कृत्यों के संबंध में एक सीध अनुपूरक प्रश्न पूछना है। इस समय, गैर-सरकारी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एक परियोजना तैयार करते हैं और इसे 'नाको' के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और निधियां पाते हैं। इस परियोजना के साथ यह समस्या है। उदाहरण के लिए मुम्बई में एक गैर-सरकारी संगठन है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर्मचारियों के लिए काम करती है और निधियां लेती है। वास्तव में अध्ययनों से पता चलता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्य करने वाले कम से कम मैट्रिकुलेट तो हैं ही। उन्हें शिक्षा की जरूरत नहीं है। अंसगठित क्षेत्र के लोगों को शिक्षा की आवश्यकता है। इसलिए, इस समय, गैर-सरकारी संगठन स्वयं ही परियोजनाओं का चयन कर रह हैं। क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि 'नाको' सभी परियोजनाओं की योजना बनाए और इनका विकास करे तथा सिर्फ वही परियोजनाएं गैर-सरकारी संगठनों को सौंपे जिन्हें वह महत्वपूर्ण समझता है। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा परियोजना प्रस्तुत करने की बजाए 'नाको' को परियोजना के बारे में स्वयं निर्णय करना चाहिए और इसे गैर-सरकारी संगठनों को देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: यह अत्यंत ही अच्छा सुझाव है।

डा. अंबुमणि रामदास: सबसे पहले, मैं यह कहना चाहता हूं कि गैर-सरकारी संगठन देश में एच आई वी एड्स पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए अत्यंत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, हालांकि, कुछ गैर-सरकारी संगठन बीमारी की गंभीरता की आड़ में अनुचित लाभ उठा रहे हैं। किंतु, आज नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (नाको) राज्य सरकारों को निधियां देती हैं। स्टेट के एड्स कंट्रोल सोसाइटीज (एस ए सी एस) हैं। हम अपनी निधियां इन राज्य एस ए सी एस को देते हैं तथा एस ए सी एस गैर सरकारी संगठनों को नियुक्त करते हैं। गैर-सरकारी संगठन बुलाए जाते हैं और उनकी पात्रता के लिए मानदंड हैं। फिर राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार, इन गैर-सरकारी संगठनों को राज्य एस

ए सी एस निधियां देती हैं एस ए सी एस इन गैर-सरकारी संगठनों का निगरानी करती हैं और वे इन एस ए सी एस के प्रति उत्तरदायी होती हैं। इतना ही नहीं हमें गैर-सरकारी संगठनों के इस मुद्दे पर कुछ शिकायतें भी मिलती रही है, और भारत सरकार गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण को लेकर और अधिक स्व सक्रिय भूमिका निभाने जा रही हैं जिसमें उनकी निगरानी और जवाबदेही भी सम्मिलित है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आपको दूसरा अनुपूरक प्रश्न भी पूछना है?

डा. आर. सेन्नाबिल: नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: इसलिए कोई और अनुपूरक प्रश्न नहीं, बहुत अच्छा।

श्री वीरेन्द्र कुमार

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं आपका दोबारा धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि पूरा एक माह निकल जाने पर आज मुझे सप्लीमेंट प्रश्न पूछने की अनुमति आपके द्वारा प्रदान की गई है। मैं आपका आभारी हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप यह पूरी सत्य निष्ठा से कह रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार: यस सर।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अथवा क्या आप टीका-टिपणी करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आप इस तरह की टिप्पणी करके इस सभा की गरिमा बढ़ा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संगठन हमारे देश में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। वास्तव में हमारे देश में एक भय का वातावरण बनाकर तथा बढ़ा-चढ़ाकर झूठे आंकड़ों का मायाजाल खड़ा करके ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थायें, हमारे देश में एड्स नियंत्रण के लिए जो धनराशि दी जा रही है, उनकी आड़ में, अपने देश की लैबोरेटरी किट्स और दवाइयों के लिये बाजार तैयार कर रही हैं।

इस तरह वास्तव में एड्स नियंत्रण में सहयोगी की भूमिका के स्थान पर ये संस्थान इसे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वास्तविक रूप में मरीजों का पंजीयन करके, घर-घर जाकर उनकी पहचान करके, उनमें दवाइयां वितरण करने के संबंध में क्या कोई प्रक्रिया अपनाई गई है?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: जहां कहीं भी ये मुद्दे उठे हैं और जहां कहीं भी एच आई वी के राष्ट्रीय आंकड़ों का प्रतिवाद किया गया है, हमने जोरदार ढंग से आंकड़ों का बचाव किया है तथा बहुराष्ट्रीय एजेंसियों जिसमें से कुछ हमें निधियां दे रही हैं, के तथाकथित दावों का प्रतिवाद किया है। हमने उनमें से कुछ से स्पष्टीकरण मांगा है और उन्होंने यह स्पष्टीकरण दिया है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। हम स्थिति पर सूक्ष्म दृष्टि रख रहे हैं।

आज नाको के एड्स कार्यक्रम को ग्लोबल फंड, यू एस-एड, यू एन एड, डी एफ आई डी और बिल गेट्स तथा मेलिन्डा फाउन्डेशन जैसी अनेक बहुराष्ट्रीय अथवा वैश्विक एजेंसियां वित्त पोषण सहायता कर रही हैं। वे देश में नाको के साथ मिलकर और हमारे साथ अभिन्न यूनिट के रूप में बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। इनमें से किसी भी यूनिट में कोई समस्या नहीं है। यदि कोई मुद्दा है जो मंत्रालय के सामने लाया गया है, हम उस पर ध्यान देंगे।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

एच आई वी/एड्स का मुद्दा जब भी आता है मैं अनुसंधान और पक्षपोषण के महत्व को कम नहीं मान रही हूं। गैर-सरकारी संगठनों को मिलने वाली निधियों का अधिकांश अनुसंधान और पक्षपोषण पर व्यय होता है। किन्तु दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र जो यहां उजागर हो रहा है वह एड्स मरीजों के साथ जुड़ा हुआ सामाजिक कलंक है क्योंकि अस्पतालों में भी उनके साथ अस्पृश्य जैसा व्यवहार होता है और उन्हें दर-किनार कर दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि यदि नाको कोई तंत्र बनाए जिसमें एड्स मरीजों के लिए कोई पुनर्वास केन्द्र और गृह बनाया जाए जिसमें वह रह सकें।

डा. अंबुमणि रामदास: सरकार एच आई वी/एड्स मरीजों के साथ भेदभाव के बारे में अधिनियम लाने जा रही है। कार्यस्थल, स्कूलों और उपचार स्थलों पर इन मरीजों के साथ भेदभाव के

विरुद्ध विधेयक राज्यों के पास उनकी टिपणी के लिए भेजा गया है और अभी हमें उनके विचार प्राप्त नहीं हुए हैं। उनके विचार प्राप्त होते ही हम अधिनियमन कर सकते हैं।

माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में हमारे पास 60 सामुदायिक केन्द्र हैं, जिनमें से अधिकांश गैर-सरकारी संगठन द्वारा चलाए जाते हैं जहां एड्स के मरीजों की देखभाल की जाती है। ये मरीज सामान्यतया एड्स से गंभीर रूप से पीड़ित हैं। नाको देश में सभी 60 सामुदायिक केन्द्रों का वित्तपोषण कर रही हैं।

श्रीमती पी. सतीदेवी: एड्स नियंत्रण के नाम पर कार्यरत कुछ गैर-सरकारी संगठन मुख्य रूप से सरकार से निधियां प्राप्त करने के पश्चात कंडोमों और गर्भ निरोधकों की आपूर्ति कर रहे हैं। यह एक तरह से वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय गैर-सरकारी संगठनों को एड्स जैसे रोगों के प्रसार पर नियंत्रण करने के लिए बेहतर परियोजनाएं बनाने का निदेश दे रहा है और क्या गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की निगरानी के लिए कोई तंत्र है।

डा. अंबुमणि रामदास: कंडोमों की आपूर्ति करना नाको का एक महत्वपूर्ण कृत्य है। आज सरकार कंडोम प्रोत्साहन का अभियान अधिक सक्रिय रूप से चलाने जा रही है जिसके द्वारा दोहरा बचाव अभियान है: एक जनसंख्या वृद्धि के विरुद्ध और दूसरा यौन संबंधों से फैलने वाले रोग एच आई वी/एड्स और हेपाटाइटिस-बी जैसे छूत वाले रोगों के विरुद्ध अभियान। इन सभी छूत वाले रोगों से कंडोम के प्रयोग से बचा जा सकता है। सरकार अधिक सक्रिय रूप से कंडोम संवर्धन अभियान शुरू करने जा रही है और हम इसके लिए अधिक गैर-सरकारी संगठनों का उपयोग करेंगे।

गैर-सरकारी संगठनों को चुस्त-दुरूस्त करने के लिए सरकार देश में गैर-सरकारी संगठनों के कृत्यों को चुस्त-दुरूस्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है और केन्द्र सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है।

[हिन्दी]

मेडिकल कालेजों में सीटों का कोटा बढ़ाना

*403. + **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा कुछ मेडिकल कालेजों के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियां किए जाने के बावजूद उनमें सीटों का कोटा बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे कालेजों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) परिषद् द्वारा उक्त कालेजों के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियां किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद को इसे केन्द्र सरकार द्वारा नए मेडिकल कालेजों की स्थापना करने, प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए भेजी गई स्कीमों पर अपनी सिफारिशें करना अपेक्षित होता है। केन्द्र सरकार स्कीम पर तथा परिषद की सिफारिशों पर विचार करने के बाद और जहां आवश्यक हो, ऐसे अन्य विवरण, जो इसके द्वारा संबंधित व्यक्ति अथवा कालेज से लेने आवश्यक समझे जा सकते हैं, प्राप्त करने के बाद तथा धारा 10क की उपधारा (7) में संदर्भित घटकों के संबंध में, या तो स्कीम को शर्तों के साथ अनुमोदित करती है अथवा अस्वीकार करती है।

वर्ष 2005-06 के दौरान, केन्द्र सरकार को भारतीय चिकित्सा परिषद से अनेक प्रतिकूल सिफारिशें प्राप्त हुई हैं जिनसे सरकार ने सहमति व्यक्त की है और या तो नए मेडिकल कालेज स्थापित करने अथवा सीटों में वृद्धि करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। तथापि, केन्द्र सरकार ने इसे भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 10क(4) के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले से स्थापित तमिलनाडु के तीन सरकारी मेडिकल कालेजों और छत्तीसगढ़ तथा उत्तरांचल के एक-एक मेडिकल कालेज में शैक्षिक सत्र 2005-06 के लिए एक छात्रों के नए बैच को प्रवेश देने हेतु अनुमति का नवीनीकरण किया।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 403, श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी— उपस्थित नहीं। डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय। बैलट हमेशा ही स्वास्थ्य मंत्रालय के पक्ष में रहा है?

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में पूछा गया था कि किन-किन राज्यों में आपने उन कालेजों को परमीशन दी है, जिनकी परमीशन पिछले तीन वर्षों से लम्बित चल रही थी लेकिन उत्तर में आपने केवल उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के कालेजों का उल्लेख किया है। उनमें फ्रैश बैचेज को लेने की आपने कार्रवाई की है।

क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसे कालेज हैं जिन्होंने परमीशन के लिए एप्लाई किया है और उनके प्रकरण आपके यहां पैंडिंग है? क्या उनके बारे में कोई विचार हुआ था अथवा नहीं?

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् ने कौन सी नैगेटिव रिकमंडेशंस की हैं, जिनके आधार पर आप परमीशन देने में विलंब कर रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य मध्य प्रदेश के बारे में पूछ रहे हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: जैसा कि लिखित उत्तर में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, इस वर्ष लगभग पांच चिकित्सा महाविद्यालयों में, और वे सभी सरकारी महाविद्यालय हैं, नकारात्मक सिफारिश की गई है। वास्तव में, सरकार का दायित्व था। सरकारी महाविद्यालयों में, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव ने हमें वचन पत्र और शपथ-पत्र दिया है कि वे कमियों को दूर करेंगे फिर हम आगे बढ़े और इन सरकारी महाविद्यालयों को अनुमति दे दी।

मध्य प्रदेश के अन्य मुद्दों का जहां तक संबंध है मैं माननीय सदस्य को सूचित करूंगा।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पैसिफिक प्रश्न है कि क्या ऐसे निजी मैडिकल कालेज, डैंटल कालेज जिनको विधिवत मैडिकल काउंसिल व डैंटल काउंसिल और आपके द्वारा परमीशन दी गई, उनमें अगले वर्ष के कोर्स परमिट करने के लिए जो प्रकरण लंबित हैं, उसके कारण चिकित्सा क्षेत्र में आने वाले विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है क्योंकि आपने प्रथम वर्ष की परमीशन तो दे दी, परंतु द्वितीय वर्ष की परमीशन लंबे समय से नहीं दी। इससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। क्या इस स्थिति पर विचार करके आप कोई निर्णय शीघ्र लेंगे?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: इस समय एक प्रक्रिया है जिसके अनुसार यदि कोई मेडिकल या डैंटल कालेज आवेदन करना चाहता है, तो उसे राज्य सरकारों से अनुमति लेनी होती है, विश्वविद्यालयों, से सहबद्धता प्राप्त करनी होती है; उसके बाद केन्द्र सरकार को आवेदन करना होता है। केन्द्र सरकार इन सिफारिशों को चिकित्सा परिषद या संबंधित परिषदों के पास भेजती है। उसके बाद ये परिषद आकर उन कालेजों का निरीक्षण करते हैं और सरकार से सिफारिश करती है कि वह अनुमति दे या नहीं। ऐसे कई महाविद्यालय हैं जो विभिन्न खामियों के कारण, जिन्हें तथाकथित कालेजों द्वारा दूर नहीं किया गया है, अनुमति के लिए इंतजार कर रहे हैं। यदि वे इन खामियों को दूर कर लें तो केन्द्र सरकार को अनुमति देने में कोई परेशानी नहीं होगी।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: उन्होंने अपनी खामियां दूर कर ली हैं और अनुमति के लिए नए सिरे से आवेदन किया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह इसकी जांच करेंग और आपको अलग से सूचित करेंगे

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: यदि चिकित्सा परिषद अपनी सिफारिश दे देता है तो हम उन्हें अनुमति दे देंगे। *...(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: ऐसे कई मेडिकल कालेज हैं जिन्हें कालेज शुरू करने की अनुमति दे दी गई। लेकिन अब दूसरे वर्ष के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं? इसके लिए सरकार क्या कर रही है?*...(व्यवधान)*

डा. एम. जगन्नाथ: अभी कुछ ही समय पहले जब भारतीय चिकित्सा परिषद निजी चिकित्सा महाविद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए गयी तो उसने पाया कि वहां अच्छी अवसंरचनागत सुविधाएं नहीं हैं और पूरी व्यवस्था लुंज-पुंज है। उन्हें रोगी दूसरे अस्पतालों से मिल रहे थे और उनके डाक्टर और विद्यार्थी भी किराए के थे। किसी भी संस्था का स्तर उसकी अवसंरचना पर निर्भर करता है। अच्छी अवसंरचना पर निर्भर करता है। अच्छी अवसंरचना के बिना कोई भी संस्थान अच्छे डाक्टर नहीं दे सकेगा और ऐसे डाक्टर मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे।

माननीय मंत्री के उत्तर, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद की प्रतिकूल टिप्पणी के बाद पांच कालेजों को अनुमति नहीं दी गई। ठीक इसी प्रकार भारतीय चिकित्सा परिषद के विरुद्ध भी कई आरोप हैं जिसने उनके मूल्यांकन की ओर ध्यान नहीं दिया है।

अत: मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ऐसी परिपाटी चलाने वाले कालेजों और चिकित्सा शिक्षा के मानकों का ध्यान न रखने वाली भारतीय चिकित्सा परिषद के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय: दूसरे भाग के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: आज दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति है कि भारतीय चिकित्सा परिषद तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच कोई सामंजस्य ही नहीं है। भारतीय चिकित्सा परिषद का गठन देश में चिकित्सा शिक्षा के स्तर उन्नत बनाने के लिए अनन्य रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की मदद करने के लिए किया गया था। आज हमारे समक्ष ऐसी स्थिति या गतिरोध उत्पन्न हो गया है जिसके कारण भारतीय चिकित्सा परिषद स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समन्वय बनाकर कार्य नहीं कर रहा है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सरकार इस स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रही है। वस्तुत: हमें बहुत सी शिकायतें मिल रही हैं। *...(व्यवधान)*

दरअसल विगत कुछ वर्षों के दौरान कम्युनिष्ट पार्टी के हमारे कुछ मित्रों ने भी सीधे लिखा है। उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री को लिखा है।

अध्यक्ष महोदय: आप कुछ माननीय संसद सदस्य कह रहे हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: कम्यूनिष्ट पार्टी के संसद सदस्यों को छोड़कर कई संसद सदस्यों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। उन्होंने मुझे लिखा है और वे भारतीय चिकित्सा परिषद के कार्यकरण जो कि दुर्भाग्यवश जरा भी संतोषजनक नहीं है, में सुधार करने के लिए कहते रहे हैं। अत: सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में संशोधन करने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: संशोधन के बाद इन सभी मामलों की जांच की जाएगी।

डा. अंबुमणि रामदास: वस्तुत: कल हमने राज्य सभा में भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक पुर:स्थापित किया है जिसके द्वारा हम भारतीय चिकित्सा परिषद की खामियों को दूर करने और उनके कार्यकरण में सुधार करने की कोशिश करेंगे।

डा. चिंता मोहन: महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि चिकित्सा परिषद एक निष्क्रिय संगठन बन गया है। मैं उनसे सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने निष्क्रिय संगठन नहीं कहा है उन्होंने कहा है "मिलकर कार्य नहीं कर रहे है"

डा. चिंता मोहन: यह कार्य नहीं कर रही है और मंत्रालय तथा भारतीय चिकित्सा परिषद के बीच कोई समन्वयन नहीं है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। मैं अब माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इस अधिनियम में संशोधन करने में वह कितना समय लेंगे ताकि संसद के अगले सत्र में नया अधिनियम पुर:स्थापित किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय: आपका कहना है: "यथासंभव शीघ्र"

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, कल हमने राज्य सभा में संशोधन विधेयक पुर:स्थापित किया है और यह समिति के पास जाएगा और उसके पश्चात हम संसद के शीतकालीन सत्र में इसे पारित कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, क्या निजी और सरकारी दोनों कालेजों में और अधिक सीटें संस्वीकृत किए जाने के मामले में भारतीय चिकित्सा परिषद और सरकार के बीच मतभेद है? क्या मामले को निर्णय के लिए उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया है? क्या चालू शैक्षणिक वर्ष के दौरान नए कालेजों को स्वीकृति किए जाने में कोई बाधा है? क्या माननीय मंत्री इन प्रश्नों का उत्तर देंगे?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, नए पाठ्यक्रमों या नए कालेजों को स्वीकृत किए जाने में भारतीय चिकित्सा परिषद या सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने अनुमति, देने या नवीकरण के लिए या स्नातकोत्तर आदि के लिए हमारे लिए समय सीमा या तारीख नियत की है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इन मुद्दों को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए उच्चतम न्यायालय मंत्रालय को निदेश दे रहा है। हम उसका अनुसरण कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपको इसका अनुसरण करना चाहिए।

डा. अंबुमणि रामदास: सीटों में वृद्धि करने जैसे मुद्दों पर न्यायालय समय-सीमा निर्धारित करता है। समय-सीमा समाप्ति के बाद हम इसका अनुसरण नहीं कर पाए या अनुमति नहीं दे पाए हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपको न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में चिकित्सा शिक्षा के स्तर में सुधार करने और भारत

सरकार को इस कार्य में मदद देने के लिए बनाई गई थी। अब भारत सरकार और मेडिकल काउंसिल के बीच में सार्वजनिक रूप से विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि मेडिकल काउंसिल जहां कहीं भी चिकित्सा शिक्षा से संबंधित किसी महाविद्यालय की जांच करके शासन को लिखती है कि यहां चिकित्सा शिक्षा का स्तर निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं है, उसके बावजूद मंत्रालय अपने आप ही उन विद्यालयों को सीटें बढ़ाने की अनुमति दे देता है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर भारत के ऐसे कौन से चिकित्सा महाविद्यालय हैं, जहां सीटें बढ़ाने और सीटें न बढ़ाने के बारे में एमसीआई ने लिखा और उसकी राय के विपरीत भारत सरकार ने उन कालेजों को सीट बढ़ाने की अनुमति दी? उत्तर प्रदेश में अधिक मेडिकल सीट्स और अधिक मेडिकल कालेजिज की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र के विद्यालयों की मान्यता छीनने के पीछे आधार क्या है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने सहबद्धता को समाप्त क्यों किया?

डा. अंबुमणि रामदास: यदि माननीय सदस्य उस कालेज का नाम बताएं तो मैं उसकी जांच करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: यह कुछ गैर-सरकारी मेडिकल कालेज हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: उस कालेज का नाम क्या है?

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: महोदय, मैं मेरठ मेडिकल कालेज के बारे में बात कर रहा हूं।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, हम भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिशों के अनुसार काम करते हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के नियम 10(क)(4) में इसके बारे में बताया गया है और इस अधिनियम का प्रसांगिक भाग मैं पढ़कर सुनाता हूं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आप उसका सार बताइए।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, इस नियम के अनुसार चिकित्सा परिषद एक परामर्शदाता निकाय है और अंतिम अनुमति तथ्यों को पूरा करने और तत्पश्चात प्रबंधन या संबंधित कालेज के विचार जानने के बाद भारत सरकार द्वारा दी जाती है।

चिकित्सा परिषद ने मेरठ कालेज के बारे में हमारे पास नकारात्मक सिफारिशें भेजी हैं। वस्तुत: मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उच्चतम न्यायालय ने एक निश्चित तिथि नियत की है और दुर्भाग्यवश संबंधित कालेज द्वारा खामियों को दूर कर लिए जाने के बावजूद हम उस तिथि के बाद अनुमति देने में सक्षम नहीं हैं।

श्रीमती मेनका गांधी: स्वास्थ्य संबंधी स्थायी समिति का सदस्य होने के नाते मैं केवल यही पूछना चाहती हूं कि क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि ऐसी स्थिति केवल चिकित्सा परिषद की ही नहीं बल्कि समिति को सौंपे गये आयुर्वेदिक परिषद (संशोधन) विधेयक और होम्योपैथिक परिषद (संशोधन) विधेयक की भी है। जैसा कि रिकार्ड किया गया है कि सभी लोग इस बात पर एकमत हैं कि मंत्रालय परिषदों की सभी शक्तियां छीन करके इन्हें समाप्त करने के लिए काम कर रहा है। परिषद हर बार यह सिफारिश करती है कि संस्था विशेष की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए लेकिन मंत्रालय ने आगे बढ़कर इसकी सिफारिश की, विशेष रूप से हरियाणा और राजस्थान के दो मामलों में जबकि यह पाया गया था कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है और दीवाली के दौरान तीन दिन में ही उनकी सिफारिश कर दी गई। अब चिकित्सा परिषद अधिनियम भी उसी प्रयास का एक हिस्सा है कि सभी परिषदों, जिसमें पेशेवर लोग कार्यरत हैं, की किसी कार्य पर विशेषाधिकार का उपयोग करने की सभी शक्तियां वास्तव में समाप्त हो जाए।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं माननीय सदस्य के इस विचार से दृढ़तापूर्वक असहमत हूं कि सरकार इन परिषदों की सारी शक्तियां छीनकर इन्हें समाप्त करने की कोशिश कर रही है। किसी जिम्मेदार सदस्य द्वारा ऐसा वक्तव्य नहीं दिया जाना चाहिए।

इन परिषदों का गठन मंत्रालय के सहायतार्थ मंत्रालय द्वारा किया गया था। आज हमारे समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें ये परिषद केवल अपने बलबूते पर ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी है।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं भी एक वृत्तिक हूं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: उनका गठन संसद द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वे स्वायत्त संस्थाए हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास: मैं भी एक डाक्टर हूं और ये चिकित्सा निकाय हैं, पेशेवर निकाय हैं। मैं भी चाहता हूं कि इन्हें पेशेवर

निकायों की तरह चलाया जाए, सक्षम निकायों की तरह चलाया जाए। आज, हमारे पास कई शिकायतें आई हैं, और माननीय सदस्य भी शिकायतें कर रहे हैं। इन सभी परिषदों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है। हमें इस पर विचार करना होगा और इसमें सुधार लाना होगा। इनमें सुधार करने का दायित्व संसद का है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: यह बेहद आपत्तिजनक है।...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास: हम इस मुद्दे पर चुप बैठे नहीं रह सकते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने इस आरोप का खंडन किया है। कृपा बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। डा. डोम, आप भी एक डाक्टर हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 404, श्री एस.के. खारवेनथन- उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

'आऊटसोर्सिंग' बाजार

***405. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'आऊटसोर्सिंग', भारत के लिए एक बड़ा बाजार है;

(ख) यदि हां, तो इस समय भारत के 'आऊटसोर्सिंग' बाजार का अनुमानित मूल्य कितना है;

(ग) भारत में 'आऊटसोर्सिंग' के क्षेत्र में कौन-कौन सी कंपनियां कार्यरत हैं;

(घ) क्या भारतीय कंपनियां 'आऊटसोर्सिंग' में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के समान बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (च) एक विवरण पत्र लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर उद्योग में वर्ष 2004-05 के दौरान आउटसोर्सिंग बजार का मूल्य 17.2 बिलियन अमरीकी डालर है।

(ग) भारत में सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर तथा सेवाओं की आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियों ने वैश्विक बाजार में अपनी पहचान साबित कर दी है। भारतीय उद्योग की गुणवत्ता तथा लागत के लाभ इसकी विभिन्न श्रेष्ठताओं में से कुछ हैं जिन्होंने भारत को आउटसोर्सिंग के लिए एक तरजीही स्थान बना दिया है। राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी संघ (नैसकॉम) द्वारा तैयार किए गए डेटाबेस के अनुसार, भारत में 3170 कंपनियां आउटसोर्सिंग व्यवसाय में कार्य कर रही हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, हां।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर तथा सेवाओं के निर्यात के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय अनुबंध में दिए गए हैं।

अनुबंध

सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाए

1. व्यवसाय से उपभोक्ता (B_2C) ई-वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के प्रस्तावों का स्वाचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमोदन।

2. सीमा शुल्क की उच्चतम दर 15% है। कम्प्यूटरों तथा पेरिफरलों पर सीमा शुल्क शून्य % है। कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क शून्य % है। माइक्रोप्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लॉपी डिस्क ड्राइवों तथा सीटी रॉम ड्राइवों पर उत्पाद शुल्क से छूट जारी है।

3. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) में 5% के सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं

की अनुमति है। इस योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता बचत किए गए शुल्क से जुड़ी है और आयात की गई पूंजीगत वस्तुओं पर बचत किए गए शुल्क का 8 गुना है, जिसे 8 वर्षों में पूरा करना है।

4. निर्यात उन्मुखी इकाईयों (ईओयू)/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी)/विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) योजनाओं के अंतर्गत कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर मूल्यह्रास 5 वर्ष की अवधि में 100% उपलब्ध है।

5. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

6. निर्यातोन्मुखी इकाइयों/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाइयों को निर्यात लाभ पर आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत वर्ष 2010 तक आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त है। निर्यात लाभ पर 100% आयकर से छूट एसईजेड इकाइयों को 5 वर्षों तक उपलब्ध है, अगले 5 वर्षों तक 50% और उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए प्लाऊ बैक लाभ का 50%।

7. किसी उद्यम पूंजी निधि के लाभांश अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के रूप में आय अथवा किसी उद्यम पूंजी उपक्रम में इक्विटी शेयर के रूप में किए गए पूंजी निवेश से उद्यम पूंजी कंपनी की आय, जिसके कार्य क्षेत्र में विस्तार करके सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को शामिल किया गया है, को अब कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। उद्यम पूंजी वित्त पर बल देने के लिए, सेबी को देशीय एवं विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधि के पंजीकरण एवं विनियमन के लिए एकल बिन्दु मुख्य एजेंसी बनाया गया है।

8. साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और सूचना सुरक्षा से संबंधित अन्य विधायी पहलुओं के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 उपलब्ध है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से ई-वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहन दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार चौधरी: अध्यक्ष महोदय, सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री का यह बयान कि भारत वर्ष 2008 तक 50 अरब डालर का सॉफ्टवेयर निर्यात करेगा, बड़ा ही सुखद है। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हाल ही के दिनों में देश और दुनिया की प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी, इनफोसिस के अध्यक्ष, श्री नारायणमूर्ति द्वारा भारत को आगाह किया गया है तथा एसोचैम और भारत सरकार के ताजा अध्ययनों से यह पता चला है कि सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अगर ढांचागत और भौतिक सुविधाओं में सुधार नहीं किया गया, तो कुछ दूसरे आयरलैंड, मैक्सीको, इजरायल, फिलीपीन्स और चीन जैसे आई.टी. क्षेत्र में उभरते देश, भारत को मिली इस बढ़त को छीन सकते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से पूछना है कि उन्होंने इस क्षेत्र में कौन-कौन से स्टैप्स उठाए हैं और क्या क्रियात्मक रूप से कार्रवाई की है जिससे कि जो बढ़ते और उभरते हुए आई.टी. के क्षेत्र में काम करने वाले देश हैं, वे अगर हमारी अर्थव्यवस्था को कभी चोट पहुंचाते हैं, उनसे बचाव हो सके?

डा. शकील अहमद: अध्यक्ष महोदय, आई.टी. के क्षेत्र में पिछले वर्षों में जो इस देश में क्रांति आई है, जो तरक्की की है, वैसी क्रांति और तरक्की की मिसाल दुनिया में कम ही मिलती है। आज इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी के क्षेत्र में भारत का जो परसेण्टेज है, आज हम 44 परसेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया में जितना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होता है, उसमें हमारा हिस्सा 44 परसेंट है और आपको जानकार प्रसन्नता होगी कि अगर इसी प्रकार गति हमारी बढ़ती रही तो 2008 में हम दुनिया भर में जितना टोटल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होगा, उसका 51 प्रतिशत हिस्सा भारत का रहेगा। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम कटिबद्ध हैं कि जो हमारी उपलब्धियां हैं, वे बरकरार ही न रहें, बल्कि और भी बड़ी उपलब्धियां हम हासिल करें। इसीलिए हम लोगों ने कम्प्यूटर पर जो कस्टम ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसे कम करने के लिए, ताकि लो कास्ट पर हमारा कम्प्यूटर का पेनीट्रेशन हो, देहातों में जाने के लिए एफोर्डेबिलिटी लोगों की बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा उसे खरीद सकें, कम से कम दाम पर वह एवेलेबल हो। आप लोगों ने भी अभी समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा कि 10 हजार रुपये से कम लागत का कम्प्यूटर बनाने की बात हुई है और हम प्रयास में हैं कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को एवेलेबल हो। भारत सरकार चिन्तित है कि हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य से हम पीछे नहीं हटें और इसमें लगातार तरक्की करते रहें।

श्री निखिल कुमार चौधरी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं। मैंने पूछा था कि आई.टी. के क्षेत्र में आप कौन से इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं और इसके लिए कौन से फिजीकल असैट्स लगा रहे हैं। टैक्स में आपने छूट दी है, उससे लोग कम्प्यूटर खरीद सकते हैं लेकिन आई.टी. के संबंध में एज ए होल मैंने जो प्रश्न किया था, उसका जो जवाब आना चाहिए था, वह नहीं आया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा में हो क्या रहा है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार चौधरी: मेरा सेकिण्ड सप्लीमेंटरी है कि 212 देशों की आई.टी. क्षेत्र के संबंध में एक सूची बनाकर उसकी स्टडी की गई थी और उसमें यह पाया गया कि 1995 में जहां भारत खड़ा था, 10 स्केल के आधार पर जब आंका गया कि भारत कहां खड़ा है, तो हमें 2.5 अंक मिले और 2004 में भी जो सर्वे हुआ है, उसके अनुसार भी भारत वहीं 2.5 अंक लेकर खड़ा है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस दिशा में और कौन से क्रान्तिकारी कदम आप उठाएंगे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ने नहीं पाए। आई.टी. आज हमारी अर्थव्यवस्था में प्रमुख रूप से अंशदान करती है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली चीज है, इसी आशय से मैं आपसे पूछ रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम सभी को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास करने के लिए हमारे युवा प्रौद्योगिकीविदों तकनीशियनों, अभियंताओं इत्यादि को बधाई देनी चाहिए।

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद: अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल आपके विचारों से सहमत हूं और मैं इस सदन के माध्यम से देश के जो आई.टी. क्षेत्र में काम करने वाले हमारे टैक्नीशियंस हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। उनके कामों के कारण आज पूरी दुनिया में आई.टी. के क्षेत्र में भारत को सुपर पावर माना जाता है। मैं इस सदन के माध्यम से देश के लोगों के सामने उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। आई.टी. के क्षेत्र में जो कम्प्यूटर एजुकेशन की बात है या फिर हमारे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की बात है, तथा जो हमारा मुख्य क्वेश्चन माननीय सदस्य का था कि क्या आई.टी. क्षेत्र में हम आउटसोर्सिंग के मामले में उतने सक्षम नहीं हैं, आउटसोर्सिंग के मामले में 3174 कंपनियां, जो इस देश की हैं और विदेशी भी हैं, वे 3174 कंपनियां आउटसोर्सिंग का काम कर रही हैं। आउटसोर्सिंग में जो हमारी प्रगति है, इस साल जो हमारी बढ़त है, वह 34 प्रतिशत है। हम उम्मीद करते हैं कि यह बढ़त और भी बढ़ती चली जायेगी। निश्चित रूप से दुनिया में नये-नये देश आगे तरक्की करना चाहते हैं। उनमें स्टिफ कम्पीटीशन है, मगर उस कम्पीटीशन के बाद भी हम अपने आई.टी. क्षेत्र के लोगों को जो टैक्स डिडक्शन दी है, जो लोकल मैन्युफैक्चर्स हैं, उनको और भी सुविधाएं प्रदान करके हम अपने देश का नेतृत्व पूरी दुनिया के लेवल पर बरकरार रखना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल: महोदय, भारत काफी लाभप्रद स्थिति में है और इसके आगे बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में जब बिजनेस प्रोसेसिंग नालेज प्रोसेसिंग की ओर बढ़ रहा है, हालांकि, यह विश्व के कई विकसित देशों की तुलना में बहुत ही नगण्य है, तथापि हमारी आउटसोर्सिंग कंपनियों को प्रभावित करने वाली कतिपय घटनाओं के आलोक में अभी चिंता का मुख्य कारण डेटा सुरक्षा और डेटा संरक्षण है। क्या सरकार डेटा संरक्षण के संबंध में उपबंध करने और वर्तमान उपबंधों को सुदृढ़ करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने के बारे में सोच रही है?

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद: सिक्योरिटी डेटा के संबंध में हाल के दिनों में दो घटनाएं हुई हैं, इस संबंध में सरकार की सोच है कि यह कांट्रैक्ट उस कंपनी और उस कंपनी का यहां जो सेंटर है, उसके बीच में है। यदि कोई ब्रीच हुआ है तो यह उन दो कंपनियों का मामला है। सरकार के पास इस संबंध में जब तक कोई शिकायत नहीं आती है तब तक सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती। मैं आपके माध्यम से सदन और माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अभी तक दोनों मामलों में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, इसलिए सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। यह दो संगठनों के बीच का समझौता है। लेकिन जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का संबंध है, सरकार इस संबंध में आईटी एक्ट, 2000 में एमेंडमेंट करने पर सीरियसली विचार कर रही है। जिस तरह की नई-नई घटनाएं हो रही हैं, उन सबको चैक करके सरकार एमेंडमेंट करने पर सीरियसली विचार कर रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे विचार से यह सभा हमारे यहां के लड़कों और लड़कियों, पुरुषों और स्त्रियों द्वारा किए गए प्रयासों और उनके द्वारा की गई बेहतरीन प्रगति की सराहना करती है। हम सभी को इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। मेरे विचार से इस कार्य में मुझे पूरी सभा का सहयोग मिलेगा।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 406

श्री गणेश सिंह—उपस्थित नहीं।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव।

[हिन्दी]

विदेशों में भारतीयों से कथित दुर्व्यवहार

*406. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री गणेश सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में भारतीयों के साथ बारबार हो रहे दुर्व्यवहार के मामले सरकार की जानकारी में लाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी नियोक्ताओं द्वारा कथित दुर्व्यवहार की बहुत सी शिकायतें भारतीय मिशनों को प्राप्त होती रहती हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान मिशनवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसी अवैध भर्ती एजेंसियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का है जो विदेशों में छोटी-मोटी नौकरियों के लिए मजदूरों को लुभाती हैं;

(च) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(छ) विदेशों में कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ज) ऐसी बेईमान एजेंसियों के विरुद्ध क्या कड़े उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वी राज चव्हाण): (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जी, हां। भारतीय मिशनों सहित विभिन्न हिस्सों, विशेषकर खाड़ी देशों से छिट-पुट शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें भारतीय श्रमिकों के साथ कथित दुर्व्यवहार की बात कही गयी है। ये शिकायतें वेतन नहीं दिए जाने/कम दिए जाने, प्रत्याशित रोजगारों की अनुपलब्धता, कार्य की प्रतिकूल परिस्थितियां या शोषण से संबंधित हैं।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) से (ज) गैर-कानूनी भर्ती एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतें मिलने पर, संबंधित उत्प्रवासी संरक्षकों को उत्प्रवासी अधिनियम 1983 की धारा 10 का उल्लंघन करने पर ऐसी अपंजीकृत भर्ती एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतें/प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निदेश दिया जाता है। पिछले दो कैलेण्डर वर्षों यथा 2003-04 के दौरान, ऐसी गैर-कानूनी भर्ती एजेंसियों के विरुद्ध पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष 64 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

बेईमान भर्ती एजेंसियों द्वारा श्रमिकों का शोषण रोकने के लिए, समस्त राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को कहा गया है कि वे गैर-कानूनी उत्प्रवासन में संलग्न अपंजीकृत एजेंसियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने की पुलिस स्टेशनों को हिदायत दें।

विदेश में कार्यरत श्रमिकों के संबंध में, संबंधित भारतीय मिशन स्थिति की गहन निगरानी करते हैं तथा श्रमिकों की शिकायतों को कानूनी कार्रवाई करने तथा यथोचित न्याय दिलाने के दृष्टिकोण से संबद्ध स्थानीय प्राधिकारियों/विदेशी प्रायोजकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। संबंधित विदेशी नियोक्ताओं को भी मिशन में बुलाया जाता है जिससे कर्मचारियों की उपस्थिति में शिकायतों के विवरण पर चर्चा की जा सके तथा उनकी शिकायतों को दूर किया जा सके।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही सामान्य रूप से विदेशों में काम कर रहे भारतीय कामगारों और अन्य पेशेवर व्यक्तियों के साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में उत्तर दिया है। इनके उत्तर में ऐसे मामलों से निपटने के लिए कोई समन्वित और स्थायी नीतिगत ढांचे का जिक्र नहीं है। कामगारों, व्यापारियों और पर्यटकों ने मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और खाड़ी देशों जैसे देशों में उनके साथ हुए व्यवहार के बारे में शिकायत की है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसे मामलों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट नीतिगत ढांचा तैयार करने के बारे में सोच रही है, जैसा कि कई अन्य देशों में लागू है।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, हमारे पास ऐसी शिकायतें आई हैं जहां, अवैध भर्ती करने वाले अधिकर्त्ताओं अर्थात जो प्राधिकारियों के पास पंजीकृत नहीं हैं, द्वारा भेजे गए कामगारों के

साथ दुर्व्यवहार किया गया है। हमारे पास कुछ कामगारों के बारे में ऐसी शिकायतें भी हैं जो प्राधिकृत भर्ती अभिकर्त्ताओं के माध्यम से भेजे गए हैं। इसके अतिरिक्त, विदेशी नियोक्ताओं के बारे में भी शिकायतें आई हैं। अत: हमारे पास तीन प्रकार की शिकायतें हैं और इन तीनों प्रकार की शिकायतों का विश्लेषण किया गया है और उन पर कार्यवाही की गई है।

अवैध भर्ती अभिकर्त्ताओं द्वारा भेजे गए कामगारों के बारे में, जिस स्थान से कामगार भेजा गया था उस क्षेत्र के राजकीय पुलिस विभाग के पास उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 10 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है। जब शिकायत पंजीकृत भर्ती अभिकर्त्ता के विरुद्ध होती है तो हमारे पास उनकी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) निरस्त करने और उसकी जमाराशि का जब्त करने का अधिकार है। जब हमारे पास विदेशी नियोक्ता के विरुद्ध शिकायत आती है तो हम विदेशों में अवस्थित अपने राजदूतावासों से बात करते हैं। बहुत ही बुरी स्थिति में हम उन विदेशी कंपनियों को काली सूची में डाल देते हैं ताकि उन्हें कोई अनुमति नहीं मिल पाए। हम अभी भी इस पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे प्रवासी कामगारों को पूरी सुरक्षा दी जा सके।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: मेरा दूसरा प्रश्न है, कि क्या भारत सरकार ने विदेशों में कामगारों, व्यापारियों और पर्यटकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के मामले में प्रतिपूर्ति के भुगतान के उपबंध को लागू किया है।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, हमारे पास अभी दुर्व्यवहार के लिए प्रतिपूर्ति देने की कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु अब हमारे पास प्रवासी बीमा योजना है। इस योजना के अंतर्गत, मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए तक, चिकित्सा खर्चों के लिए 50,000 रुपए तक और मातृत्व लाभ भी प्रदान किया जाता है। यह योजना बहुत ही कारगार ढंग से कार्य कर रही है। हम इसे और सुदृढ़ करना चाहते हैं। पहले, हम कामगारों से जमाराशियां लेते थे ताकि एक ओर से टिकट की व्यवस्था की जा सके, जिसे अब बंद कर दिया गया है। अब हमारे यहां प्रवासी भारतीय बीमा योजना है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष जी, इजराइली सेनाओं द्वारा गाजा पट्टी के नेवे डेकालिम में, जहां भारतीय प्रवासियों का सबसे बड़ा समुदाय है, वेनई मिनासे समुदाय, जो पूर्वोत्तर के मणिपुर और मिजोरम के लोगों से बना है, उन्हें विस्थापित किया जा रहा है। यह कहा गया है कि दस दिन के अंदर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाएगा या वे स्वयं टेंट लगाकर या झोंपड़ी बनाकर रहें। वे आज अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई नियम बनाकर इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि वहां जो भारतीय प्रवासी हैं, उन्हें विस्थापित कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके?

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, यह प्रश्न विदेश जाने वाले प्रवासी कामगारों के साथ व्यवहार के बारे में है मुझे इसके लिए अलग से सूचना दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: यह सही में विदेशों में बसे भारतीयों के बारे में है। मंत्री जी, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप इसे गंभीरता से लें।

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, सरकार द्वारा बारंबार दिए गए आश्वासनों के बावजूद, यह सच है कि अवैध भर्ती अभिकरणों की देश में सभी जगह बाढ़ सी आ गई है। वे लोगों को धोखा दे रहे हैं। वे इन गरीब लोगों से पैसा लेते हैं और जब वे विदेश भेज दिए जाते हैं तो उन्हें नौकरियां नहीं मिलती जिनके बारे में उन्हें पहले आश्वासन दिया जाता है। कई माध्यमों से प्राप्त लगातार शिकायतों के बावजूद, सरकार इन अवैध भर्ती अभिकरणों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार इन अभिकरणों के विरुद्ध क्या विशिष्ट कार्यवाही करेगी।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: एक सबसे मुख्य साधन जिसके माध्यम से ये अवैध भर्ती अभिकरण लोगों को लुभाते हैं वह हैं विज्ञापन। हमनें भारतीय प्रेस परिषद के साथ सलाह-मशविरा करके कड़ी कार्यवाही की है। हमनें उनसे अनुरोध किया है कि अवैध भर्ती अभिकरणों से कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यह लागू किया जा रहा है। जब भी ऐसे विज्ञापनों के बारे में पता चलता है, कार्यवाही की जाती है। उत्प्रवास अधिनियम की धारा 10 में अपंजीकृत भर्त्ती अभिकर्त्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने का उपबंध है। परन्तु हम यह स्वीकार करते हैं कि हमें इस बुराई को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने की आवश्यकता है।

भारतीय तार अधिनियम में संशोधन

*407. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय तार अधिनियम में एक खंड जोड़ने के लिए इसमें संशोधन करने का निर्णय लिया है जो ग्रामीण भारत, राजमार्गों तथा रेल नेटवर्क को जोड़ने के लिए सेल्युलर सेवा

प्रदाताओं को "यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड" से हिस्सा दिलाने में सहायक होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विषय पर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगशन फंड एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बातचीत हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस बातचीत के क्या परिणाम निकले;

(ङ) इससे मोबाइल फर्मों को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने में कितनी सहायता मिलने की संभावना है;

(च) मोबाइल फर्मों को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने में सहायता करने हेतु सरकार किन अन्य उपायों पर विचार कर रही है; और

(छ) वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य-वार कौन-कौन से ग्रामीण क्षेत्रों को मोबाइल कनेक्टिविटी के अंतर्गत लाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (छ) सरकार ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के तेजी से विस्तार के लिए सेल्युलर सेवाओं को सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से सहायता देने के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 में एक संशोधन करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के प्रशासक ने भी इस प्रकार के उपाय की सिफारिश की है।

इस समय विभिन्न अभिगम सेवा लाइसेंसधारक अपने-अपने सेवा क्षेत्रों में प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के जरिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं ताकि वायरलाइन या वायरलैस प्रणाली पर ग्रामीण स्थिर (फिक्सड) टेलीफोन प्रदान किए जा सकें।

एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंस में, लाइसेंस की प्रभावी तिथि से तीन वर्ष के भीतर 50% जिला मुख्यालय या उसके बदले किसी नगर को कवर करने संबंधी दायित्वों के निर्धारण की शर्त रखी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं का विस्तार विभिन्न लाइसेंसधारकों की व्यावसायिक योजना के अनुसार होता है।

अध्यक्ष महोदय: श्री इकबाल अहमद सरडगी उपस्थित नहीं।

श्री रायापति सांबासिवा राव: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि उन्होंने सेल्युलर सेवाओं की सहायता के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 में संशोधन किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भी उन पार्टियों के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर रही है जो ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर गरीब लोगों के लिए यू एस ओ निधि से धनराशि प्रदान कर सेल्युलर सेवाएं प्रदान करने में शामिल होने की इच्छुक हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपका मतलब यह है कि निजी पार्टियों को धनराशि प्रदान की जानी चाहिए।

श्री रायापति सांबासिवा राव: जी हां, महोदय।

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद: अध्यक्ष महोदय, यह 1885 का एक्ट है। हम इसे इसलिए अमैंड कर रहे हैं, क्योंकि 2003 में जब यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड साइन किया गया था, उसमें लिखा था—बुनियादी सेवाओं के लिए सुविधाए उपलब्ध कराने के लिए। इसमें जो सैलुलर सेवाएं हैं, सदन जानता है कि पूरी दुनिया में और इस देश में भी मोबाइल टेलीफोन की तरफ, सैलुलर फोन की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा है और जो ऑपरेटर लैंडलाइन फोन लगाते हैं, उन्हें यह सुविधा मिलती है लेकिन मोबाइल सर्विसेज के लिए यह सुविधा नहीं मिल रही है। देहातों में मोबाइल की बहुत ज्यादा डिमांड है तथा काफी ज्यादा इस देश में वेटिंग लिस्ट है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया है कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1985 को अमेंड करके जो सैल्युलर सर्विसिस हैं, उन्हें भी हम लोग यूएसओ फंड से सुविधा देंगे, जिससे रूरल टेलीफोनिंग में, यानी देहातों में भी इससे फायदा होगा।

[अनुवाद]

श्री रायापति सांबासिवा राव: महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सभी गांवों में वर्ष 2007 तक यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।

डा. शकील अहमद: जी हां। हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि वर्ष 2007 तक देश में 150 मिलियन और टेलीफोन कनेक्शन हो जाएंगे। इस देश के छह लाख गांवों में से हमने 5,50,000 गांवों से भी अधिक गांवों को पहले ही यह सुविधा उपलब्ध करा ली है। मोटे तौर पर 50,000 गांव बाकी हैं और हमारी दिसम्बर, 2006 तक इन गांवों में यह सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री तथागत सत्पथी: मैं विशिष्ट रूप से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसी प्रकार से गैर-सरकारी फर्मों को बाध्य करने पर विचार कर रही है। यू एस ओ निधि से धनराशि खर्च करना और उस धनराशि को गैर-सरकारी फर्मों को देना बहुत अतार्किक लगता है। राजमार्ग, रेलवे मार्ग अथवा शहरी क्षेत्रों जैसे अधिक आय वाले क्षेत्रों में जब एक गैर-सरकारी फर्म इन क्षेत्रों को कवर करती है और आय अर्जित करती है तो क्या सरकार उस निश्चित प्रतिशत अर्थात् शहरी क्षेत्रों को 75 प्रतिशत के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों को 25 प्रतिशत अथवा 50:50 के अनुपात में जो भी विवेकसम्मत लगे, को कवर करने के लिए उस गैर-सरकारी फर्म को बाध्य करने पर विचार कर रही है।

क्या सरकार इस प्रकार की किसी बात पर विचार कर रही है? क्या माननीय मंत्री इसका विशिष्ट उत्तर देंगे?

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद: अध्यक्ष महोदय, हम किसी को किसी स्पेसिफिक काम के लिए कम्पैल नहीं कर सकते हैं, 'ट्राई' इसे रेगुलेट करता है, लेकिन जहां तक प्राइवेट ऑपरेटर्स की बात है, जो हमारा उनके साथ यूएसओ फंड के अंडर कमिटमेंट हुआ था, लगभग इस साल सितम्बर तक 27,000 फोन बीएसएनएल, टाटा और रिलायंस को लगाने थे, टाटा और रिलायेंस से भी हमारा समझौता हुआ था और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि टार्गेट से पहले, अभी तक हम लोगों ने 34,000 फोन रूरल एरियाज में लगाये हैं। टाटा ने थोड़े कम लगये हैं।...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी: जब आप पैसा दे सकते हैं तो आप उन्हें कम्पैल क्यों नहीं कर सकते?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सत्पथी, आप ठीक कर रहे हैं।

मंत्री जी, उन्हें कुछ दायित्व देने के लिए आप समझौता कर सकते हैं

श्री सत्पथी, आप ठीक कह रहे हैं, और मैं आप से सहमत हूं।

डा. शकील अहमद: महोदय, करार में ऐसे प्रावधान हैं।

[हिन्दी]

जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस उनसे फिक्स हुई हैं, अगर वे उस तरह काम नहीं करेंगे तो उनसे 5 प्रतिशत फीस या मैक्सिमस दस प्रतिशत तक हम उनकी फीस काटेंगे, यह हमारा एग्रीमेंट है। इसके लिए हम बाउंड हैं कि इसे हम करेंगे लेकिन जो हमारे एग्रीमेंट में नहीं है, उसे हम नहीं कर सकते हैं। हमने यूएसओ फंड के जरिये 27,000 फोन के बदले 34,000 फोन देहातों में लगाये हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: माननीय मंत्री जी ने बताया कि दिसम्बर, 2006 तक सब गांवों को टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध करा देंगे। आपने यह भी कहा कि साढ़े पांच लाख गांवों में हमने टेलीफोन लगा दिये हैं, सिर्फ 50,000 बचे हैं—हालांकि, मुझे शंका है कि यह 50,000 की फिगर सही है या नहीं, लेकिन मान भी लिया जाए कि 50,00 बचे हैं, तो देश के अंदर बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, खासकर पर्वतीय स्थान, जहां यह काम कठिन है, क्योंकि कठिन परिस्थितियों की वजह से आप लैंडलाइन वहां नहीं ले जा सकते तथा सैल्युलर फोन भी नहीं लगा सकते क्योंकि हिल रेंजेज की इंटर-विजिबिलिटी नहीं है, अन्ततोगत्वा, केवल सैटेलाइट फोन ही रह जाता है, जो बहुत कीमती है। इसमें क्या आप ऐसे ग्रामों को छूट भी देंगे, जैसा कहा गया है कि मुश्किल से एक सैटेलाइट कहीं पर लगा है और वह भी बहुत सफल नहीं है। क्या आप बताएंगे कि आप इस प्रकार के स्थानों पर, खासकर पहाड़ों पर, जहां सैल्युलर फोन इसलिए भी नहीं लगा सकते क्योंकि आपको ओएफसी पहुंचानी पड़ती है तथा विजिबिलिटी की भी समस्या है और ओएफसी पहाड़ों पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या आप बताएंगे कि आप इन क्षेत्रों में यह सुविधा कैसे देंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जी हां, आप पहाड़ी क्षेत्रों के लिए क्या करेंगे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: एक बार हाथ उठाना ही पर्याप्त है, आपको हाथ उठाए नहीं रखना है?

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद: अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से यह हमारा लक्ष्य है कि जो बचे हुए गांव हैं, उनमें हम टेलीफोन की सुविधा, जहां तक हो सके, जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। मैंने पहले ही निवेदन किया है कि दिसम्बर, 2006 तक इसे पूरा करने का हमारा प्लान है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आपको बोलने की अनुमति नहीं है चूंकि आप अपनी स्थान पर नहीं बैठे हैं।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद: अध्यक्ष महोदय, लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि 6 लाख गांवों में से साढ़े पांच लाख गांवों में हमनें टेलीफोन कनेक्शन दे दिए हैं? इसलिए यह कहना कि लक्ष्य पूरा नहीं होगा, ठीक नहीं है। सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है। जैसा खण्डूरी जी ने भी कहा है, हम कई तरह से फोन लगाते हैं। अभी जिन गांवों में टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए जो सके हैं, उसके पीछे कई कारण हैं—कुछ ऐसे डिफिकल्ट टेरेन हैं, हिली एरियाज हैं, जहां पापुलेशन बहुत कम है, इनकी वजह से भी परेशानी आती है। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने फैसला लिया है कि जहां आवश्यकता होगी, जहां वेटिंग लिस्ट 150 होगी, वहां नए एक्सजेंच देंगे। इसके अलावा सेटेलाइट फोन की बात आई है, हमने बचे हुए गांव में 14,183 सेटेलाइट फोन देने की प्लानिंग की है। उसके जरिए भी हम, जो बचे हुए गांव हैं, उन्हें फोन उपलब्ध कराएंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं, आपने भू-भाग की कठिनाईयों का उल्लेख किया है। ठीक है, आप इस पर विचार कर सकते हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: महोदय, यह उचित उत्तर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: उनकी इच्छा आपकी सहायता करने की है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: उनका इरादा नेक है किन्तु *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: महोदय, सरकार ने यह बहुत अच्छा काम किया है कि देश के छ: लाख गांवों में से साढ़े पांच लाख गांवों में टेलीफोन दे दिए, मगर जिन साढ़े पांच लाख गांवों में टेलीफोन सेवा पहुंचा दी गयी है, उनमें काफी जगहों पर टेलीफोन बंद रहते हैं। उनको अच्छी तरह से चलाने के लिए आप क्या करने वाले हैं?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि बहुत से लोग, जो एसटीडी कॉल्स नहीं करते हैं, उनके पास भी एसटीडी बिल्स आ जाते हैं, और टेलीफोन एक्सचेंज वाले उन्हें बहुत तकलीफ देते हैं, इसके लिए आप उनकी क्या मदद करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उनका प्रश्न झूठे एसटीडी बिलों के बारे में है।

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद: अध्यक्ष महोदय, कहीं-कहीं इस तरह की शिकायतें मिली हैं, मगर जो शिकायतें मिलती हैं, मैं अपने तजुर्बे से कह सहता हूं कि उनमें से 90 प्रतिशत से ज्यादा शिकायतें सही नहीं होती हैं। अगर माननीय सदस्य के पास कोई स्पेसिफिक नम्बर है, कोई स्पेसिफिक बिल है, जिसमें ऐसा हुआ है तो हम निश्चित रूप से उसकी जांच कराकर, जहां तक संभव हो सकेगा, उसे दूर करने का प्रयास करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, कृपया आप अपना संक्षिप्त और विशिष्ट प्रश्न पूछें।

श्री किन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि वे यह कार्य दिसम्बर 2006 तक करेंगे। आप अपने पूर्व मंत्री के वक्तव्य को पढ़िए। मैं गत दस वर्षों से इस पर ध्यान दे रहा हूं। पहले जब श्री राम विलास पासवान संचार मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि दिसम्बर 2002 तक वह पूरे देश में टेलीफोन उपलब्ध करा देंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं नहीं। आपका प्रश्न क्या है?

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, मेरा प्रश्न यह है। जब तक आप अलग बजट और प्रतीक्षा सूची में पचास आवेदनों के लिए दूरभाष केन्द्र की व्यवस्था नहीं करते तो दिसम्बर, 2006 तक पूरे देश में टेलीफोन उपलब्ध कराना कठिन है। अब सरकार के निदेशों के अनुसार यदि प्रतीक्षा सूची में 150 आवेदन हैं जो दूरभाष केन्द्र की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको 150 आवेदन कैसे मिलेंगे? आपको दिशानिर्देशों में ढील देनी होगी। तभी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आप इसे दिसम्बर 2006 तक पूरा कर सकते हैं। किन्तु सभा के पटल पर वक्तव्य देने मात्र से संभव नहीं होगा। आपको इसके लिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। यह पर्याप्त है। वह आपको बहुत सावधान होने और केवल वक्तव्य देने का सुझाव दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

डा. शकील अहमद: महोदय, वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के मंत्री के वक्तव्य का उल्लेख कर रहे हैं मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: मैं किसी सरकार पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। किन्तु सभा में दिया गया वक्तव्य*...(व्यवधान)*

डा. शकील अहमद: महोदय, हमने नए दूरभाष केन्द्र खोलने के लिए मानदंडों में ढील दी है। अब हमने केबिल की लम्बाई का पांच किलोमीटर तक विस्तार किया है, जो पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासन के दौरान दूरभाष केन्द्र से 2.5 कि.मी. होता था। हमने नए केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया है। भारत सरकार दिसम्बर, 2006 की इस समय सीमा को पूरा करने के हर संभवर प्रयास करेगी।

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: स्पीकर साहब, जम्मू-कश्मीर के बॉर्डर एरियाज में लैंड लाइन बिछाने की इजाजत नहीं है और मोबाइल फोन्स वहां नहीं दिए जा रहे हैं, फिर कैसे काम चलेगा, जबकि मंत्री जी ने कहा है कि 2006 तक यह काम कम्प्लीट कर देंगे। हमारे यहां 12000 स्क्वेयर किलोमीटर तक एरिया वाले जिले हैं, लेकिन वहां एक स्क्वेयर किलोमीटर में भी टेलीफोन लाइन बिछाने का काम शुरू नहीं हुआ है। मंत्री जी बताएं कि हमारे ऊपर यह मेहरबानी कब तक करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: मैंने जवाब दे दिया है कि 2006 तक काम पूरा हो जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं, आप अपनी समय सीमा को बनाए रखेंगे; मैं मानता हूं आपने इसका उल्लेख किया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

"लैंडलाइन टेलीफोन" को बढ़ावा देना

***404. श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थिर और मोबाइल, दोनों के टेलीफोन प्रयोक्ताओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या कुछ वर्षों में मोबाइल फोन प्रयोक्ताओं की संख्या बढ़ी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार और अधिक प्रयोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए "लैंडलाइन फोन" के किराये और कॉल प्रभारों में और कमी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 30.6.2005 की स्थिति के अनुसार, स्थिर (फिक्स्ड) तथा मोबाइल दोनों के टेलीफोन उपभोक्ताओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां। पिछले कुछ वर्षों के दौरान मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

(संख्या मिलियन में)

वर्ष	2002	2003	2004	2005 (30 जून, 2005 की स्थिति के अनुसार)
मोबाइल	6.43	13.00	33.70	56.73

(ग) लैंडलाइन टेलीफोनों का किराया और कॉल प्रभार सरकार द्वारा निश्चित नहीं किए जाते हैं। तथापि "ट्राई" ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक मानक टैरिफ पैकेज निर्धारित किया है जिसमें लैंडलाइन टेलीफोनों के लिए किराया तथा कॉल प्रभार शामिल हैं।

(घ) उपर्युक्त भाग "ग" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) टैरिफ दरें विनियमित करने वाला प्राधिकरण है। तथापि, सेवा प्रदाताओं

को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे बाजार में मांग तथा आपूर्ति, अपनी वाणिज्यिक योजनाओं इत्यादि के अनुसार लैंडलाइन फोनों के लिए अपनी टैरिफ दरें स्वयं निर्धारित करें। ग्रामीण लैंडलाइनों के लिए 5 नवम्बर, 2003 को "ट्राई" द्वारा एक मानक पैकेज अधिसूचित किया गया था। सेवा-प्रदाता जिस किसी भी पैकेज की पेशकश करना चाहते हों, उसके साथ उन्हें इस पैकेज की पेशकश करना अनिवार्य है। लैंडलाइन फोनों के किराए तथा कॉल प्रभार संशोधित करने के संबंध में ट्राई" का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

30.6.2005 की स्थिति के अनुसार स्थिर तथा मोबाइल टेलीफोनों की संख्या

क्र.सं.	सर्किल/राज्य का नाम	स्थिर फोन (लैंडलाइन+डब्ल्यूएल एल स्थिर)	मोबाइल टेलीफोन (डब्ल्यूएलएल मोबाइल+सेल्यूलर)	टेलीफोनों की कुल संख्या
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार	39812	14095	53907
2.	आंध्र प्रदेश	3725004	4191757	7916761
3.	असम	541356	330926	872282
4.	बिहार	1099554	1218635	2318189
5.	छत्तीसगढ़	352910	75245	428155
6.	गुजरात	3160565	4079449	7240014
7.	हरियाणा	1223206	1298129	2521335
8.	हिमाचल प्रदेश	498753	405230	903983
9.	जम्मू-कश्मीर	319317	329837	649154
10.	झारखंड	500179	174795	674974
11.	कर्नाटक	3139550	3913680	7053230
12.	केरल	3809926	2704065	6513991
13.	मध्य प्रदेश	1515005	1889819	3404824
14.	महाराष्ट्र (-) मुम्बई	4567215	4679601	9246816
15.	पूर्वोत्तर	384272	162557	546829
16.	उड़ीसा	864060	778478	1642538
17.	पंजाब	2384279	3741209	6125488
18.	राजस्थान	2147065	1875123	4022188
19.	तमिलनाडु (-) चेन्नई	3184301	3584073	6768374
20.	उत्तरांचल	393432	134070	527502

1	2	3	4	5
21.	उत्तर प्रदेश	3217305	4815805	8033110
22.	पश्चिम बंगाल (-) कोलकाता	1324967	1003134	2328101
23.	कोलकाता	1542227	2042810	3585037
24.	चेन्नई	1163883	2155508	3319391
25.	दिल्ली	2399584	5802697	8202281
26.	मुम्बई	3061885	5325878	8387763
	योग	46559612	56726605	103286217

[हिन्दी]

गरीबों का वर्गीकरण

***408. श्री हरिसिंह चावड़ा:**
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबों का दो वर्गों अर्थात् गरीब तथा अत्यधिक गरीब में वर्गीकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आधार तथा परिभाषा क्या है;

(ग) उक्त दोनों वर्गों में राज्य-वार कितने लोग हैं; और

(घ) उक्त वर्गीकरण के परिणामस्वरूप क्रियान्वयन, सुविधाओं के विस्तार या अन्यथा रूप से लागू चयनित कार्यक्रमों के स्वरूप में क्या अंतर है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) योजना आयोग, जो गरीबी का सरकारी अनुमान लगाने के लिए एक नोडल निकाय है, के द्वारा गरीबों को 'गरीब' और 'अत्यधिक गरीब' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। देश की कुल जनसंख्या के संबंध में गरीबी के प्रसार के अनुमान केवल गरीब (बीपीएल) और गैर-गरीब (एपीएल) के बीच भेद को ही दर्शाते हैं। अत: 'गरीब' और 'अत्यधिक गरीब' के बीच विभेद करने का कोई आधार नहीं है। योजना आयोग द्वारा वर्ष 1999-2000 में लगाए गए राज्य-वार गरीबी के नवीनतम अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई), को छोड़कर देश में विभिन्न गरीबी रोधी कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों/परिवारों पर समान रूप से लागू हैं। अन्त्योदय अन्न योजना दिसम्बर, 2000 में शुरू की गई थी और इसमें निर्धन परिवारों में से ऐसे 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों की पहचान की गई थी जिन्हें 2 रु. किलो गेहूं और 3 रु. किलो चावल की अत्यधिक इमदादी दर पर 25 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना था। जारी की जाने वाली मात्रा को अब पहली अप्रैल, 2002 से 25 कि. ग्राम/प्रति परिवार/प्रतिमाह से बढ़ाकर 35 कि. ग्राम/प्रति परिवार/प्रतिमाह कर दिया गया है। इस स्कीम में 2.5 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया है।

विवरण

1999-2000 में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की संख्या

(लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	58.13	60.88	119.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.80	0.18	3.98

1	2	3	4	5
3.	असम	92.17	2.38	94.55
4.	बिहार	376.51	49.13	425.64
5.	गोवा	0.11	0.59	0.70
6.	गुजरात	39.870	28.09	67.89
7.	हरियाणा	11.94	5.39	17.34
8.	हिमाचल प्रदेश	4.84	0.29	5.12
9.	जम्मू-कश्मीर	2.97	0.49	3.46
10.	कर्नाटक	59.91	44.49	104.40
11.	केरल	20.97	20.07	41.04
12.	मध्य प्रदेश	217.32	81.22	298.54
13.	महाराष्ट्र	125.12	102.87	227.99
14.	मणिपुर	6.53	0.66	7.19
15.	मेघालय	7.89	0.34	8.23
16.	मिजोरम	1.40	0.45	1.85
17.	नागालैण्ड	5.21	0.28	5.49
18.	उड़ीसा	143.69	25.40	169.09
19.	पंजाब	10.20	4.29	14.49
20.	राजस्थान	55.06	26.78	81.83
21.	सिक्किम	2.00	0.04	2.05
22.	तमिलनाडु	80.51	49.97	130.48
23.	त्रिपुरा	12.53	0.49	13.02
24.	उत्तर प्रदेश	412.01	117.88	529.89
25.	पश्चिम बंगाल	180.11	33.38	213.49
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.58	0.24	0.82
27.	चंडीगढ़	0.06	0.45	0.51
28.	दादरा और नगर हवेली	0.30	0.03	0.33

1	2	3	4	5
29.	दमन और दीव	0.01	0.05	0.06
30.	दिल्ली	0.07	11.42	11.49
31.	लक्षद्वीप	0.03	0.08	0.11
32.	पांडिचेरी	0.64	1.77	2.41
	अखिल भारत	1932.43	670.07	2602.50

टिप्पणी :
1. असम के गरीबी अनुपात को सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड और त्रिपुरा के लिए प्रयोग किया गया है।
2. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और गोवा के व्यय वितरण को गोवा के गरीबी अनुपात का अनुमान करने में प्रयोग किया गया है।
3. हिमाचल प्रदेश की गरीबी रेखा और जम्मू और कश्मीर के व्यय वितरण को जम्मू और कश्मीर के गरीबी अनुपात का अनुमान करने में प्रयोग किया गया है।
4. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए प्रयोग किया गया है।
5. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का चंडीगढ़ के दोनों ग्रामीण और शहरी गरीबी के लिए प्रयोग किया गया है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और दादरा और नागर हेवली के व्यय वितरण का दादरा और नागर हवेली के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने में प्रयोग किया गया है।
7. गोवा का गरीबी अनुपात दमन और दीव के लिए प्रयोग किया गया है।
8. केरल के गरीबी अनुपात का लक्षद्वीप के लिए प्रयोग किया गया है।

रक्षित कोयला खानें

***409. डा. चिंता मोहन:**
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रक्षित कोयला खानों की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय कुल कितनी रक्षित कोयला खानें कार्य कर रही हैं;

(ग) इस क्षेत्र को कितनी कोयला खानें देने का प्रस्ताव है;

(घ) देश में रक्षित कोयला खानों की संख्या में वृद्धि करने का उद्देश्य क्या है; और

(ङ) उक्त निर्णय को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां। गृहीत खनन हेतु निर्दिष्ट ब्लॉकों की सूची में वृद्धि किया जाना एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) वर्तमान में 14 गृहीत कोयला खानें प्रचालनशील हैं।

(ग) अद्यतन तिथि तक, 148 कोयला ब्लाकों को गृहीत खनन हेतु निर्दिष्ट किया जा चुका है। 86 को पहले ही आबंटित किया जा चुका है/आबंटित किए जाने का निर्णय हो चुका है। शेष 62 को आबंटित किए जाने के लिए हाथ में लिया जाना है

(घ) गृहीत कोयला खानों की संख्या बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना है ताकि कोयले की प्रक्षिप्त मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को पाटा जा सके।

(ङ) गृहीत उपयोग के लिए कोयला ब्लॉकों का आबंटन एक सतत प्रक्रिया है।

कोयला कंपनियों द्वारा छंटनी

***410. श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) और इसकी अनुषंगी कंपनियां छंटनी की नीति अपना रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई;

(ग) सी.आई.एल. के अधीन सभी कंपनियों ने आज की तिथि तक कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है;

(घ) क्या श्रमिक संघ इस नीति का विरोध कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को इस नीति के फलस्वरूप छंटनी किए गए व्यक्तियों को रोजगार देने में कोई समस्या है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिनांक 1.8.2005 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) के अंतर्गत सभी कंपनियों में नियोजित श्रमशक्ति की संख्या इस प्रकार है:

ई.सी. एल.	बी.सी. सी.एल.	सी.सी. एल.	डब्ल्यू.सी. एल.	एस.ई. सी.एल. + डीसीसी	एम.सी. एल.	एन. सी. एल.	सी.एम. पी.डी. आई.	अन्य (एन.ई. सी. + सी.आई.	जोड़
103869	90471	65972	68218	87579	21245	17087	3272	4608	462321

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(च) और (छ) कोयला कंपनियों द्वारा भू-वंचितों को रोजगार सी.आई.एल. की मौजूदा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (आर.एण्ड आर.) नीति के अनुसार दिया जाता है।

[अनुवाद]

भारत-जापान समझौता

***411. श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और जापान व्यापक एवं बहुमुखी संबंध स्थापित करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और जापान ने भारी संहार के हथियारों के प्रसार के विरुद्ध कार्य करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में हुई वार्ता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) जी हां।

(ख) भारत और जापान वैश्विक भागीदारी की आपसी सहमत रूपरेखा के अंतर्गत क्षेत्रीय और सार्वभौमिक मसलों पर अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक और गहन बनाने के लिए मिलकर कार्य करते रहे हैं। अप्रैल, 2005 के अंत में जापान के प्रधानमंत्री जुनिचिरों कोईजुमी की यात्रा के दौरान दोनों देश आर्थिक संबंधों पर बल देते हुए द्विपक्षीय संबंधों का समग्र और व्यापक विकास करने की दिशा में कार्य करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने एशिया में शांति, स्थायित्व और समृद्धि सुनिश्चित करने तथा संयुक्त राष्ट्र सुधार, पर्यावरण, ऊर्जा, आंतकवाद, नि:शस्त्रीकरण, अप्रसार तथा सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा और सहयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। भारत और जापान अपनी वैश्विक भागीदारी की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के लिए एक अष्टकोणीय पहल पर भी सहमत हुए। भारत और जापान संयुक्त राष्ट्र में शीघ्रातिशीघ्र सुधार लाने के लिए जी-4 की रूपरेखा के अंतर्गत भी कार्य कर रहे हैं।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) जापानी प्रधान मंत्री कोइजुमी की भारत यात्रा के दौरान 29 अप्रैल, 2005 को भारत और जापान के प्रधान मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य में दोनों देश अप्रसार के विरुद्ध साथ-साथ मिलकर कार्य करने पर सहमत हुए। एक नाभिकीय शस्त्र-मुक्त विश्व का निर्माण करने के साझे लक्ष्य के प्रति अपनी-अपनी स्थिति और अपना-अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए दोनों सरकारों ने इस बात की पुष्टि की कि वे पारस्परिक हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे और रचनात्मक तरीके से आपसी

सहयोग के सहमत क्षेत्रों का पता लगायेंगे जिससे कि समग्र द्विपक्षीय संबंधों का विकास हो सके।

राज्यों में भूमि के अर्जन संबंधी कार्य की धीमी प्रगति

*412. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास करने हेतु भू-अर्जन संबंधी कार्य धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने भूमि का समय से अर्जन करने हेतु संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उन राज्यों से क्या प्रतिक्रिया मिली है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) भूमि अधिग्रहण की प्रगति राज्य-वार अलग-अलग है। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के प्रथम चरण का संबंध है, अधिग्रहण की जाने वाली शेष भूमि अधिकांशत: तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में है। एनएचडीपी में भूमि अधिग्रहण की प्रगति (1) राज्य सरकारों द्वारा सक्षम प्राधिकारियों के नामांकन में विलंब; (2) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पर्याप्त समय दिए जाने में असमर्थता; (3) सक्षम प्राधिकारियों के बार-बार स्थानांतरण; (4) राजस्व रिकार्ड को अद्यतन न किए जाने जैसे विभिन्न कारकों की वजह से प्रभावित हुई है।

(ग) और (घ) जी हां। यह मामला समय-समय पर मुख्य सचिवों और मुख्य मंत्रियों के स्तर पर राज्य सरकारों के साथ उठाया जाता रहा है जिससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने में कुछ हद तक सहायता मिली है।

ठेके समाप्त करना

*413. **श्री सर्वानन्द सोनोवाल:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण/उन्नयन/विकास करने संबंधी कुछ ठेकों को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं कि ये कंपनियां गुणवत्तापरक कार्य करें और धोखाधड़ी के कार्यों में लिप्त न हों; और

(घ) इन उपायों से इन कंपनियों द्वारा आरंभ की गई विभिन्न परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में कितनी सहायता मिली है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत 8 ठेके समाप्त कर दिए गए हैं। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) कार्य की गुणता सुनिश्चित करने और इन कंपनियों द्वारा अपनाई गई कपटपूर्ण पद्धति को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए एहतियाती उपाय संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। इन उपायों से कार्य की गुणता सुनिश्चित करने और इस परियोजना के कार्य में तेजी लाने में काफी हद तक सहायता मिली है।

विवरण I

समाप्त किए गए ठेके

क्र. सं.	ठेके के ब्यौरे	ठेकेदार का नाम/समाप्त किए जाने की तारीख	समाप्त किए जाने के कारण	ठेकेदार/जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	रा.रा.-5 पर गंजम से इच्छापुरम लंबाई 50.8 कि.मी.	बूमि-हीवे-डीडीबीएल/ 14.1.2004	ठेकेदार का खराब कार्य	ठेका समाप्त कर दिया गया है और निष्पादन प्रतिभूमि जब्त कर ली गई है और शेष कार्य ठेकेदार के जोखिम और लागत पर निष्पादित किया जाना है।

1	2	3	4	5
2.	रा.रा.-2 पर शिकोहाबाद से इटावा, लंबाई 59.02 कि.मी.	चाइना कोल कंस्ट, ग्रुप कॉर्प./ 9.6.2004	ठेकेदार का खराब कार्य निष्पादन	ठेका समाप्त कर दिया गया है। निष्पादन बैंक गारंटी मांगी गई है, मामला न्यायालय में है।
3.	रा.रा.-5 पर श्रीकाकुलम से चम्पावती, लंबाई 48 कि.मी.	यू वन-महरिया/ 21.12.2004	ठेकेदार का खराब कार्य निष्पादन	ठेका समाप्त कर दिया गया है। निष्पादन प्रतिभूमि जब्त कर ली गई है।
4.	रा.रा.-2 पर इटावा बाइपास लंबाई 13.6 कि.मी.	भागीरथ इंजी. इंडिया एंड अश्विनी कंस्ट्रक्शन कं. (स.उ)/ 5.4.2005	ठेकेदार का खराब कार्य निष्पादन	ठेका समाप्त कर दिया गया है। निष्पादन बैंक गारंटी भुना ली गई है।
5.	रा.रा.-1 पर पंची गुजरान से कमसपुर (सोनीपत) को 6-लेन का बनाना, लंबाई 21.7 कि.मी.	महरिया-राज/ 11.12.2004	जाली बैंक गारंटी प्रस्तुत	ठेका समाप्त कर दिया गया है, एफ आई आर दर्ज कराई गई है।
6.	रा.रा.-1 पर हरियाणा/ दिल्ली सीमा से मुकरबा चौक तक 8-लेन बनाना, लंबाई 12.9 कि.मी.	यू वन-महरिया/ 11.12.2004		
7.	नागपुर-हैदराबाद खण्ड (आंध्र प्रदेश राज्य में रा.रा.-7 का 464 कि.मी. से 474 कि.मी. और 9.4 कि.मी. से 22.3 कि.मी.)	यू वन-महरिया/ 13.12.2004	जाली बैंक गारंटी प्रस्तुत करना	ठेका समाप्त कर दिया गया, एफ आई आर दर्ज कराई गई। दिल्ली उच्च न्यायालय में ठेकेदार के विरुद्ध याचिका दायर की गई है।
8.	लखनऊ-कानपुर खंड को 59.5 से 75.5 कि.मी. तक 4-लेन का बनाना	मे. राणा प्रोजैक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड/ 11.10.2002	जाली बैंक गारंटी प्रस्तुत करना	ठेका समाप्त कर दिया गया है। भा.रा.रा.प्रा. द्वारा दिल्ली पुलिस में एफ आई आर दर्ज कराई गई है।

विवरण II

कार्य की गुणता सुनिश्चित करने और कपटपूर्ण पद्धति को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए एहतियाती उपाय:

(1) चूक करने वाले सिविल ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। आठ ठेके समाप्त कर दिए गए हैं।

(2) कंपनियों द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी की प्रामाणिकता की जांच के लिए जारी करने वाले बैंक से स्वतंत्र रूप से पुष्टि करवाई जाती है।

(3) सिविल ठेका सौंपे जाने के बाद डी.पी.आर. परामर्शदाताओं के कुछ प्रमुख कार्मिकों को तीन से चार माह की अवधि तक रखने की व्यवस्था के लिए डी.पी.आर. ठेकों में भी प्रावधान किया गया है ताकि डी.पी.आर. परामर्शदाताओं, पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं और ठेकेदार के बीच तकनीकी समन्वय हो सके और कमी, यदि कोई हो, को सुधारा जा सके।

(4) पर्यवेक्षण परामर्शदाता निर्माण की गुणता की जांच करते हैं और उसे सुनिश्चित करते हैं। प्रत्येक ठेके में निर्माण

की गुणता की जांच के लिए पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशाला का प्रावधान है। चुनिंदा परियोजनाओं में निर्माण की गुणता सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई.आई.एल.) और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा ठेकों की गुणता संपरीक्षा (ऑडिट) की जा रही है। वे परियोजना स्थल का दौरा करते हैं, गुणता की जांच करते हैं और गुणता संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। पाई गई कमियों को सुधारने के लिए तत्संबंधी निष्पकर्ष ठेकेदार/परामर्शदाता को भेज दिया जाता है। गुणता संपरीक्षा दल, ठेकेदार द्वारा किए गए सुधारों की जांच के लिए उस स्थल का दौरा करते हैं।

[हिन्दी]

भारतीय भाषाओं का कुंजी पटल आरंभ किया जाना

*414. **श्री हरिभाऊ राठौड़:**
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कम्प्यूटर में मुख्य भारतीय भाषाओं के कुंजी पटल को आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या प्रयास किए हैं; और

(घ) उक्त कुंजी पटल को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने वर्ष 1991 में भारतीय लिपियों के लिए 'इंस्क्रिप्ट' नामक वर्ण कुंजी पटलों का प्रवर्तन पहले ही कर दिया है जिसमें हिन्दी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, बंगला, असमिया तथा उड़िया जैसी मुख्य भारतीय भाषाएं शामिल हैं।

(ग) 'इंस्क्रिप्ट' कुंजी पटल के ढांचों का प्रस्ताव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया था, जिन्हें भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रलेख आईएस 13194:1991 में मानक के रूप में प्रकाशित किया गया है।

(घ) 'इंस्क्रिप्ट' कुंजी पटल के ढांचों का प्रयोग पहले ही किया जा रहा है।

[अनुवाद]

नई औषधों को स्वीकृति प्रदान करने संबंधी समिति

*415. **श्री आलोक कुमार मेहता:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई औषधों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति के विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है और समिति ने अपने गठन के बाद से कितनी नई औषधों को स्वीकृति प्रदान की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में 17.1.01 को अन्वेषणात्मक नई औषधों (आई.एन.डी.) के लिए विशेषज्ञों की एक स्थाई समिति का गठन किया गया था। यह समिति देश में ही स्वदेशी रूप से खोजी गई अन्वेषणात्मक नई औषधों की जांच करती है और औषध को निर्मित और इसका विपणन करने से पूर्व विभिन्न अवस्थाओं के नैदानिक परीक्षण करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए औषध महानियंत्रक (भारत) को सिफारिशें देती है।

इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

(1) आवेदक द्वारा अन्वेषणात्मक नई औषध (आई.एन.डी.) अथवा नए रासायनिक अस्तित्व (एन.सी.ई.) के लिए भेजे गए आंकड़ों का गहराई से मूल्यांकन शुरू करना। ये ऐसे अणु/उत्पाद होते हैं जिनका पहले कभी भी मनुष्य पर परीक्षण नहीं किया गया है। इन आंकड़ों में औषध पदार्थ का रसायन, सुरक्षा से संबंधित पशु विषविज्ञानीय अध्ययन रिपोर्ट इत्यादि, औषधों का चयापचय (मेटाबोलिज्म) और प्रस्तावित चरण-1 अध्ययन नयाचार (प्रोटोकाल) शामिल होंगे।

(2) औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची-वाई के अंतर्गत और उसके अपेक्षित किसी संशोधन के लिए विनियामक उपबन्धों से संबंधित मामलों में औषध महानियंत्रक (भारत) को सलाह देना।

इस समय लगभग 21 अन्वेषणात्मक नई औषधों (आई.एन.डी.) के विभिन्न अवस्थाओं के नैदानिक परीक्षण चल रहे हैं तथापि, इनमें से कोई भी नई औषध अणु चरण-3 अवस्था के नैदानिक

परीक्षण में सफल नहीं हुई है। आवेदक द्वारा चरण-3 नैदानिक परीक्षण के आंकड़े प्रस्तुत करने के पश्चात् ही विपणन प्रयोजन के लिए नई औषधों के अनुमोदन पर विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

राज्य कोयला बोर्डों को कोयला खानों का आवंटन

*416. **श्री धावरचन्द गेहलोत:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के ताप विद्युत स्टेशनों में कोयले की कमी के मद्देनजर कोयला खानों को राज्यों के कोयला बोर्डों को देने की योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर उक्त योजना को क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकारी कंपनियों द्वारा कोयले के खनन की अनुमति प्रदान करता है। यह विद्युत उत्पादन हेतु कोयले के गृहीत खनन की भी अनुमति देता है। तदनुसार, विद्युत उत्पादन में रत कंपनियों सहित राज्य सरकार के उपक्रमों और कंपनियों को कोयला ब्लाक उपलब्ध कराए जाते हैं।

विद्युत के उत्पादन में लगी निम्नलिखित राज्य सरकार की इकाइयों को कोयला ब्लाकों का आबंटन पहले ही किया जा चुका है:

क्र.सं.	नाम	राज्य
1.	पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम	पश्चिम बंगाल
2.	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	पश्चिम बंगाल
3.	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	पंजाब
4.	कर्नाटक विद्युत निगम लिमिटेड	कर्नाटक
5.	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	झारखंड
6.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	छत्तीसगढ़

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, दामोदर वैली कारपोरेशन तथा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि. को भी विद्युत उत्पादन हेतु कोयला ब्लाक दिए गए हैं।

[अनुवाद]

डाकघरों में बैंकिंग कार्य

*417. **श्री एस. अजय कुमार:**
श्री परसुराम माझी:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग का विचार अपना ए.टी.एम. नेटवर्क शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2005-06 के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेवाएं प्रदान की जाएंगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार डाक घरों को बैंकिंग से जुड़े कार्य सौंप कर उन्हें डाक-बैंकों में बदलने का है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) डाकघर बचत बैंके के ग्राहकों के लिए एटीएम सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव विचाराधीन है और इसका ब्यौरा तैयार किया जाना है।

(च) बैंकिंग कार्य करने वाले डाक बैंक के सृजन का प्रस्ताव भी विचाराधीन है और इस प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(छ) उपर्युक्त (च) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में निश्चित समय सीमा सूचित करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

एम.एम.एस. सुविधा

*418. **श्री अविनाश राय खन्ना:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोबाइल फोनों में एम.एम.एस. सुविधा प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ देशों द्वारा इस सुविधा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एम.एम.एस. सुविधा का दुरूपयोग किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एम.एम.एस. सुविधा पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। कुछ मोबाइल फोन हैंडसेटों में मल्टी मीडिया मैसेजिंग सेवा (एमएमएस) सुविधा उपलब्ध है। मल्टी मीडिया मैसेजिंग सेवा (एमएमएस) जनरल पैकेट रेडियो सेवा (जीपीआरएस) आधारित मोबाइल नेटवर्क पर कार्य करती है। अनेक मोबाइल सेवा प्रदाता एमएमएस सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इस सुविधा द्वारा मोबाइल उपभोक्ता मोबाइल से मोबाइल पर या ई-मेल आईडी पर एमएमएस भेज सकते हैं। कुछ प्रचालक एमएमएस के जरिए तस्वीर भेजकर एक ऑनलाइन वेब एलबम में तस्वीरें सुरक्षित रखने की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं।

(ग) और (घ) दूरसंचार विभाग के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) समाचार-पत्रों में छपी कुछ खबरों से पता चलता है कि उपभोक्ताओं द्वारा एमएमएस सुविधा के दुरूपयोग की कुछ घटनाएं हुई हैं।

(च) और (छ) जी, नहीं। प्रौद्योगिकी विकास समाज के हितार्थ एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका उपयोग या दुरूपयोग करना काफी हद तक प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा कानूनी मान्यता दी गई है। डेटा के दुरूपयोग से होने वाली क्षति की प्रकृति के आधार पर अपराध से निबटने के लिए भारतीय दंड संहिता/दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विद्यमान कानूनी उपबंधों सहित अन्य कानूनी उपबंध भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंस में भी यह उपबंध किया गया है कि "लाइसेंसाधारी अपने नेटवर्क से कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा आदि कानूनों का किसी भी रूप में उल्लंघन करने वाली आपत्तिजनक, अश्लील, अप्राधिकृत या अन्य सामग्रियों, संदेशों या सूचनाओं के प्रवाह को रोकने के लिए देश के स्थापित कानूनों के अनुरूप आवश्यक उपाय करेगा। प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लाइसेंसाधारी को ऐसे उल्लंघन के संबंध में किसी विशिष्ट घटना की सूचना दिए जाने पर लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नेटवर्क पर ऐसी सामग्रियों का प्रवाह तत्काल रोक दिए जाए।"

[अनुवाद]

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चेतावनी जारी किया जाना

***419. श्री हन्नान मोल्लाह:**
श्री निखिल कुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में 'बर्ड फ्लू' के फैलने और कुछ अन्य रोगों के फैलने के संबंध में चेतावनी जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बर्ड फ्लू और अन्य रोगों को फैलने से रोकने के लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम/किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत पांच वर्षों के दौरान ऐसी महामारियों की रोकथाम पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) भारत में न तो एक भी मानव में और न ही किसी पक्षी में बर्ड फ्लू (एवियन इनफ्लुएंजा) होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। एशियाई देशों-रिपब्लिक आफ कोरिया, वियतनाम, जापान, थाईलैंड, कम्बोडिया, चीन, लाओस, इण्डोनेशिया, मलेशिया में पाल्ट्री में बर्ड फ्लू होने की सूचना मिली है और मानव में फ्लू होने की सूचना वियतनाम, थाईलैंड, कम्बोडिया और इण्डोनेशिया से मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण एशियाई देशों में मानव एवं पक्षियों में बर्ड फ्लू होने की सूचना मिलने के बाद एशिया में इन्फ्लुएंजा ए (एच 5 एन 1) वायरस के फैलने और पूरे विश्व में इसके फैलने की संभावना के बारे में चिन्ता व्यक्त की है।

भारत सरकार ने भारत में एवियन इनफ्लुएंजा के प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। ये उपाय निम्नलिखित हैं:

* भारत सरकार ने पक्षियों विशेषकर पाल्ट्री में होने वाली मौतों और इनके सम्पर्क में रहने वाले व्यक्तियों में गंभीर श्वसनीय रोग होने की घटना पर कड़ी नजर रखने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को सचेत किया है।

* पाल्ट्री, पाल्ट्री-उत्पादों एवं प्रवासी पक्षियों के जरिए सीमा पार से इस संक्रमण के भारत में प्रवेश को रोकने संबंधी विषय से गृह मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जहाजरानी एवं रेलवे मंत्रालय को अवगत कराया गया है।

* पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों के मुख्य सचिवों एवं पशुपालन एवं पशुचिकित्सा सेवाओं के निदेशकों को पत्र लिखा है जिसमें पाल्ट्री में रोग की रोकथाम एवं इसको फैलने से रोकने संबंधी दिशानिर्देश तथा इस रोग की सूचना देने हेतु प्रपत्र संलग्न किया गया है। बर्ड फ्लू के प्रकोप से प्रभावित सभी देशों से पाल्ट्री एवं पाल्ट्री संबंधी उत्पादों के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्यों को चौकस रहने के लिए कहा गया है तथा इस रोग के प्रवेश तथा इसे फैलने से रोकने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कोई घटना होने पर राज्य पशु रोग आपातकालीन समितियों (एसएडीईसी) को क्रियाशील किया गया है तथा निगरानी रखी गई है।

* स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक संयुक्त मानीटरिंग दल स्थिति की मानीटरिंग कर रहा है और सरकार को समुचित कार्रवाई की सलाह दे रहा है। इस दल में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं पशुपालन विभाग के सदस्य भी शामिल हैं।

* मानव आबादी में इस रोग के संदेहास्पदरोगी/प्रकोप के होने की जांच-पड़ताल करने के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत प्रयोगशालाओं को तैयार रखा गया है।

* सरकार के सक्रिय उपायों के कारण पड़ोसी देशों से भारत में एवियन इनफ्लुएंजा का प्रसार नहीं हुआ है।

* चूंकि एवियन एनफ्लुएंजा में मानव में संक्रमण फैदा करने और पूरे विश्व को इससे प्रभावित करने की क्षमता है इसलिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने राष्ट्रीय विश्व महामारी तैयारी योजना (नेशनल पेन्डेमिक प्रीपेडनेस प्लान) तैयार की है। इस योजना को और अधिक ठोस रूप देने ओर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए सभी संबंधितों के साथ राष्ट्र स्तरीय परामर्शी बैठक पहली अगस्त, 2005 को आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा की गई ।

* दसवीं योजना के तहत पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग में "पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (एलएच एंड डीसी)" नामक मैक्रो प्रबंधन केन्द्र प्रायोजित स्कीम बनाई है जिसके तहत "पशु रोग नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.सी.एडी.)" नामक एक घटक है। इसके तहत विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों को 33.27 करोड़ रुपए (2003-04), 54.50 करोड़ रुपए (2004-05) और 36.20 करोड़ रुपए (2005-06 अब तक) की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

पत्तनों की कार्यकुशलता/क्षमता बढ़ाना

*420. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी व्यापार में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए पत्तनों की क्षमता का विस्तार करने और पत्तन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोई योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) विस्तार कार्यक्रम को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार पत्तनों के विकास में निजी भागीदारी के लिए भी प्रयास कर रही है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) पत्तनों की कार्यकुशलता/क्षमता में समग्र वृद्धि के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (छ) समुद्री व्यापार की मांगों को ध्यान में रखते हुए, महापत्तनों की क्षमता बढ़ाना, उन्हें विकसित करने की लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वर्ष, 2002 से वर्ष, 2007 तक की दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान, महापत्तनों में प्रौद्योगिकीय उन्नयन करके, सस्ती सेवाएं सुलभ करवाकर और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाकर, उत्पादकता बढ़ाने की ओर ध्यान संकेन्द्रित किया गया है। 31.3.2002 को नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की समाप्ति पर, महापत्तनों की कुल क्षमता, 343.95 मिलियन टन प्रति वर्ष थी। 31.3.2007 को, 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक महापत्तनों में 470.60 मिलियन टन प्रति वर्ष की कुल क्षमता हासिल किए जाने की योजना है। इस प्रकार, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान, महापत्तनों में 126.95 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता-वृद्धि परिकल्पित है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में, महापत्तनों के विस्तार और आधुनिकीकरण सहित उन्हें विकसित किए जाने के प्रयोजन से 4531.29 करोड़ रु. की धनराशि आबंटित की गई है। इसमें 3325 करोड़ रु. उन परियोजनाओं के लिए भी शामिल हैं, जिनसे महापत्तनों की क्षमता में वृद्धि होगी। तथापि, इसमें महापत्तनों में गैर-सरकारी क्षेत्र का निवेश शामिल नहीं है।

महापत्तनों के विकास से संबंधित योजनाओं में, बड़े आकार के जलयानों का घाट पर लगना सुकर बनाए जाने की दृष्टि से जलमार्गों का गहरा किया जाना, नए घाटों का निर्माण, मौजूदा घाटों का उन्नयन/विस्तार, जहाजी माल संभालने के उपस्करों का, नए उपस्कर खरीदने और मौजूदा उपस्करों के उन्नयन/बदलने के जरिए आधुनिकीकरण, भंडारण-क्षमता में सुधार, पत्तन-क्षेत्र के भीतर ही जहाजी माल के निर्बाध संचलन के लिए आंतरिक प्रवाह-प्रणालियों का उन्नयन, पश्चभूमि से रेल तथा सड़क द्वारा बेहतर संपर्क, आदि कार्य शामिल हैं।

महापत्तनों के विस्तार और उन्हें विकसित किए जाने के उद्देश्य से आवश्यक संसाधनों को जुटाने और भारत की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण/वैश्वीकरण की सामान्य नीति के अनुरूप पत्तन-सुविधाओं में प्रतिस्पर्धा लाने के साथ-साथ, सेवा की कार्य-कशुलता, उत्पादकता और गुणवत्ता को सुधारने की दृष्टि से गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी की अपेक्षा की गई है। अभी तक, गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा 6445.20 करोड़ रु. का अनुमानित निवेश किए जाने से युक्त 19 परियोजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं, जिनमें से 13 परियोजनाएं कार्यान्वित की जानी आरंभ कर दी गई हैं।

[अनुवाद]

आवधिक चिकित्सा जांच की नई नीति

4137. श्री रनेन बर्मन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में कोई नई नीति शुरू करने पर विचार कर रही है जिसके अंतर्गत कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को फैलने से रोकने में सहायता हेतु लोगों को आवधिक स्वास्थ्य जांच करानी पड़ेगी;

(ख) यदि हां, तो देश में उक्त नीति को कब तक बनाए जाने और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) कैंसर की आवधिक जांच करने के लिए कोई नीति नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

कैंसर भारत में मौत के दस प्रमुख करणों में से एक कारण बन गया है। अनुमान है कि किसी भी समय कैंसर के लगभग 2-2.5 मिलियन रोगी होते हैं। वर्ष में कैंसर के 7 लाख से अधिक नए रोगी हो जाते हैं और 3 लाख मौतें हो जाती हैं। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अधीन जनसंख्या आधारित रजिस्ट्रियों के आंकड़ों से पता चलता है कि कैंसर के प्रमुख स्थान पुरुषों में मुख गुहिका (ओरल कैविटी), फेफड़े, ओसोफेगस और उदर तथा महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा, वक्ष और मुख गुहिका हैं। पुरुषों में मुख और फेफड़ों के कैंसर और महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा और वक्ष के कैंसर भारत में सभी कैंसरों में 50 प्रतिशत से अधिक होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमान लगाया है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में 91 प्रतिशत मुख के कैंसर सीधे तम्बाकू के प्रयोग के कारण होते हैं और यह भारत में मुख गुहिका और फेफड़े के कैंसर का प्रमुख कारण है।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975-76 में शुरू किया गया था। इसके लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. तम्बाकू उपभोग के खतरों के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा कैंसरों की प्राथमिक रोकथाम और ग्रीवा के कैंसर

की रोकथाम के लिए जनन संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान की आवश्यकता।

2. द्वितीयक रोकथाम अर्थात् कैंसरों का शीघ्र पता लगाना और निदान करना। उदाहरण के लिए गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर, वक्ष के कैंसर और ओरो फेरिंगजील कैंसर का जांच विधियों और रोगियों की शिक्षा द्वारा आत्म परीक्षण विधियों द्वारा निदान।

3. मौजूदा कैंसर उपचार सुविधाओं, जो अपर्याप्त थीं, का सुदृढ़ीकरण।

4. टर्मिनल अवस्था वाले कैंसर की प्रशमन परिचर्या।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन स्कीमें (2004 तक):

स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता: यह स्कीम सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलापों और कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा और कैंसर का शुरू में पता लगाने संबंधी कार्यकलापों को शुरू करने के लिए संस्तुत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को 5.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है संबंधित गैर-सरकारी संगठन द्वारा अब क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र (अथवा मेडिकल कालेज यदि क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र नहीं है) के साथ लिंकेज अत्यावश्यक हैं।

जिला कैंसर नियंत्रण स्कीम: यह विदित है कि एक बड़ी संख्या में कैंसर के रोगियों की रोकथाम उपयुक्त स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करके और रोगी का शीघ्र पता लगा कर की जा सकती है। तद्नुसार निवारण, स्वास्थ्य शिक्षा, शीघ्र पता लगाने और पीड़ा राहत उपायों के संबंध में जिला परियोजनाओं की स्कीम 1990-91 में शुरू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार को इस स्कीम के अधीन चुनी गई प्रत्येक जिला परियोजना के लिए 15.00 लाख रुपये की एक-बारगी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें हर वर्ष परियोजना अवधि के शेष चार वर्षों के लिए 10.00 लाख रुपए का प्रावधान होता है। परियोजना को कैंसर के रोगियों के उपचार के लिए उत्कृष्ट सुविधाओं वाले क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र अथवा संस्था के साथ जोड़ा जाता है। रोगियों को संबंधित क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र अथवा नोडल संस्था में उपचार प्रदान किया जाता है।

कोबाल्ट यूनिट स्थापना के लिए वित्तीय सहायता: कैंसर उपचार सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए टेलीथिरेपी और ब्रेकीथिरेपी उपकरणों आदि के प्रापण के लिए धर्मार्थ संगठनों को 1.00 करोड़ रुपए और सरकारी संस्थानों को 1.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में, यह एक बार दिया जाने वाला अनुदान है।

सरकारी मेडिकल कालेज अस्पतालों में आंकोलाजी विंग का विकास

यह योजना देश में कैंसर उपचार की उपलब्धता के भौगोलिक अंतरालों को भरने के लिए शुरू की गई थी। योजना के तहत उपकरणों की खरीद के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है जिसमें अन्य उपकरण संहित कोबाल्ट यूनिट भी शामिल है। सिविल कार्यों और कार्मिकों का प्रबंध संबंधित राज्य सरकारों/संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की राशि 2.00 करोड़ रु. प्रति संस्थान है। यह स्कीम केवल एक बार अनुदान प्रदान करती है।

क्षेत्रीय अनुसंधान और उपचार केन्द्रों के लिए सहायता: भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 20 क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान और उपचार केन्द्र हैं जिनको वार्षिक अनुदान मिलता है। क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की सूची संलग्न है।

कार्यक्रम का मूल्यांकन वर्ष 2002 में किया गया था और तद्नुसार सष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम संशोधित किया गया था।

स्कीमों को संशोधित करने के कारण: राज्य सरकारों द्वारा जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम सोसाटियों को जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के लिए निधियां उपलब्ध नहीं करवाई जाती थी।

* राज्य सरकारों द्वारा डी सी सी पी के लिए निधियां डी सी सी पी सोसायटियों को उपलब्ध नहीं कराई गई थीं।
* क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र और ओंकोलोजी विंग स्कीम निधियां आवश्यकता से कम थीं।
* प्राइवेट गारंटी संस्थाएं जरूरतमंद और गरीबों को फायदा नहीं पहुंचा रही थीं।
* वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के अनिश्चित वित्त पोषण कर आपत्ति की।
* घनी आबादी वाले राज्यों में और अधिक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों विशेषकर द्वितीयक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता देने की आवश्यकता।

संशोधित राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (1.1.2005 से): विभिन्न उप-स्कीमों में निम्नलिखित परिवर्तन हैं:

1. कोबाल्ट यूनिट स्कीम

इसे मूल्यांक रिपोर्ट के निष्कर्षों को देखते हुए बंद कर दिया गया, क्योंकि अनुदानग्राही गैर-सरकारी संगठन गरीब लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रहे थे। सुविकसित सरकारी संस्थाओं को अब के बाद ओंकलोजी विंग स्कीम में कवर किया जाएगा।

2. ऑंकोलोजी विंग स्कीम

मूल्यांकन रिपोर्ट और 10वीं योजना कार्यनीतियों के कार्यकारी दल की सिफारिशों को देखते हुए, इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता जो वर्तमान में 2.00 करोड़ रुपए है, को बढ़ाकर 3.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कई जिला अस्पताल ऐसे हैं जो सुविधाओं के मामले में मेडिकल कालेजों के तुलनीय हैं और इनको बढ़ी हुई वित्तीय सहायता की आवश्यकता है जिनको इस स्कीम द्वारा कवर किया गया है।

3. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र

मूल्यांकन रिपोर्ट में की गयी सिफारिश और मार्च, 2003 में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक में की गयी सिफारिशों के आलोक में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की असीमित वित्तीय सहायता अन्त में एक धारा/खण्ड जोड़कर रोक दी गयी है। वर्तमान क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की अधिकतम 3.0 करोड़ रुपए की सहायता और नए क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को 5.0 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता संस्थान की अवसंरचना को विकसित करने तथा कैंसर उपचार के लिए उपकरणों से संबंधित कार्य योजना के आधार पर दी जाएगी ताकि इन केन्द्रों के विशेष स्तर को बनाए रखा जा सके।

4. जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

कैंसर की रोकथाम और इसका प्रारम्भिक अवस्था में पता लगाने आदि पर अधिक बल देते हुए इस योजना को संशोधित किया गया है। पहले की योजना में राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दी जाती थी, किन्तु अब यह वित्तीय सहायता नोडल एजेंसी (क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र/मेडिकल कालेजों में सुविकसित ऑंकोलाजी विंग) को दिए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले को 5 वर्ष तक लगभग 90 लाख रुपए (जिसमें 2 समवर्ती जिलों के लिए वित्तीय सहायता शामिल है) की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

5. गैर-सरकारी संगठन योजना

कैंसर जागरूकता, रोकथाम आदि से जुड़ी इस योजना को विकेन्द्रीकृत कर केन्द्रीय स्तर पर संचालित किए जाने की बजाय नोडल एजेंसी के रूप में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र/सरकारी मेडिकल कालेजों को सौंपे जाने का प्रस्ताव है, ताकि शिकायतों का निवारण किया जा सके।

6. नए घटक

सूचना-शिक्षा-सम्प्रेषण और अनुसंधान नामक नए घटकों को पहली बार केन्द्रीय स्तर पर संचालित किए जाने का प्रस्ताव है।

नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम 1981-2001

- 97.8 (बंगलौर) से 121.9 (दिल्ली) कैंसर के मामले प्रति 1,00,000 आबादी-शहरी पुरुष (आयु समायोजित घटना दर)
- 92.2 (भोपाल) से 135.3 (दिल्ली) कैंसर के मामले प्रति 1,00,000 आबादी-शहरी महिलाएं (आयु समायोजित घटना दर)
- 46.2 (बारशी) कैंसर के मामले प्रति 1,00,000 आबादी-ग्रामीण पुरुष (आयु समायोजिक घटना दर)
- 57.7 (बारशी) कैंसर के मामले प्रति 1,00,000 आबादी-ग्रामीण महिलाएं (आयु समायोजित घटना दर)
- शहरी क्षेत्र में 15 पुरुषों में से एक पुरुष को और 12 महिलाओं में से एक महिला को उसके जीवन काल में कैंसर होने की संभावना होती है।
- महिलाओं में ग्रीवा कैंसर और स्तर कैंसर होना सबसे आम बात है। मुंबई और दिल्ली में ग्रीवा कैंसर की तुलना में स्तन कैंसर अधिक होते हैं।
- पुरुषों में तम्बाकू-जनित सभी कैंसर में कैंसर लंग सबसे आम बात है।
- पूरे विश्व में बंगलौर की महिलाओं में ग्रासनली कैंसर का आयु समायोजित घटना दर सर्वाधिक (प्रति 1,00,000 महिलाओं पर 8.3) है।
- सभी महाद्वीपों में भोपालवासी पुरुषों में जिव्हा कैंसर के सर्वाधिक (प्रति 1,00,000 पुरुष पर 8.8) मामले होते हैं।
- दक्षिणी रजिस्ट्री में पुरुषों में पेट का कैंसर मुख्य कैंसर है।
- विश्व भर में दिल्लीवासी महिलाओं में गाल ब्लेडर की घटना सर्वाधिक (प्रति 1,00,000 महिलाओं पर 8.9) होती है।
- पहली बार जांच के लिए आए रोगियों में से 75-80 प्रतिशत रोगी कैंसर रोग के प्रारम्भिक चरण में पाए गए हैं।
- भारत में नए कैंसर रोगियों की संख्या लगभग 7-9 लाख के बीच है।

सी.बी.आई. द्वारा जांच

4138. श्री रघुनाथ झा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें सी.बी.आई. ने प्रारंभिक जांच (पी.ई.) दर्ज की है और दर्ज करने की तिथि क्या है;

(ख) उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें प्रारंभिक जांच (पी.ई.) को नियमित जांच में बदल दिया गया है; और

(ग) अन्य प्रारंभिक जांचों में अन्वेषण को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2002, 2003, 2004 और 2005 (31.7.2005 तक) 633 प्रारंभिक जांच दर्ज की हैं।

(ख) 132 मामलों में प्रारंभिक जांच नियमित मामलों के रूप में बदल दी गई है।

(ग) अन्य प्रारंभिक जांचों को अंतिम रूप दिए जाने में कोई विलंब नहीं है। फिर भी, कुछ मामलों में संबंधित प्राधिकारी से संगत दस्तावेज प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है।

मेडिकल कालेजों में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए सीटें

4139. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित मेडिकल कालेजों में अ.जा. और अ.ज.जा. के लोगों के लिए सीटों का आवश्यक प्रतिशत आरक्षित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार और कालेज-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित सभी विश्वविद्यालयों को प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए चिकित्सा कालेजों द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों सहित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं।

[हिन्दी]

गंगा नदी पर पुलों का निर्माण

4140. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरांचल के पौड़ी गढ़वाल जिले में श्रीनगर और चौरस को जोड़ने हेतु अलकनंदा और स्वर्गाश्रम के संगम के निकट घट्टुगढ़ में गंगा नदी पर दो पुलों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन स्वीकृत पुलों के निर्माण हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) दोनों पुलों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) दोनों पुलों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और डिजाइन तैयार करने के लिए परामर्श कार्य सौंप दिया गया है।

[अनुवाद]

डाक छंटाई कर्मचारियों की कमी

4141. श्री सुबोध मोहिते: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर शहर में रेल डाक सेवा पर 'नेशनल बिल मेल सर्विस' शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डाक छंटाई कर्मचारियों की कमी से पत्रों और अन्य डाक सामग्रियों के वितरण में अवरोध पैदा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आर.एम.एस. कार्यालय, नागपुर में और अधिक डाक छंटाई कर्मचारियों को नियुक्त करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) नागपुर रेल डाक सेवा को राष्ट्रीय बिल मेल वस्तुओं के लिए एक प्राप्ति केन्द्र के रूप में चुना गया है। बिल मेल और राष्ट्रीय बिल मेल वस्तुओं की पोस्टिंग नागपुर जीपीओ और नागपुर जीरो माइल स्पीड पोस्ट कॉनसन्ट्रेशन सेंटर में की जा रही है।

(ग) जी नहीं। छंटाई कर्मचारियों की कमी से पत्रों और अन्य डाक मदों के वितरण में कोई अवरोध पैदा नहीं हो रहा है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी हां। सरकार भर्ती नियमों को ध्यान में रखते हुए जरूरतों के मुताबिक छंटाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव रखती है।

(च) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के लिए सहायता

4142. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भवन निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के संबंध में उत्तरांचल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) उत्तरांचल सरकार ने क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, हलद्वानी का उन्नयन 307.26 लाख रु. की लागत से राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के रूप में करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अधिकार प्राप्त कार्य दल (ईएजी) योजना के अधीन नए निर्माण कार्य करने की शर्त हटाने संबंधी अनुरोध पर वित्त मंत्रालय द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गई। अत: इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सका।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय डाक घर की स्थापना

4143. श्री संतोष गंगवार: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में अंतर्राष्ट्रीय डाक घर की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां। मुरादाबाद क्षेत्र के निर्यातकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डाक विभाग ने मुरादाबाद में निर्यात विस्तार काउंटर खोलने के आदेश जारी किए थे। राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने भी इस सिलसिले में अधिसूचना जारी की थी। निर्यात विस्तार काउंटर बाहर जाने वाली विदेशी डाक की बुकिंग हेतु इनकी कस्टम जांच की सुविधा सहित निर्यातकों की सहूलियत के उद्देश्य से खोले जाते हैं।

(ख) निर्यात विस्तार काउंटर (ईईसी) मुरादाबाद प्रधान डाकघर में राजस्व विभाग की ओर से कस्टम कर्मचारियों की तैनाती के बाद कार्य करना शुरू करेगा। डाक विभाग ने इस सिलसिले में राजस्व विभाग को पहले ही पत्र लिख दिया है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सी.बी.आई. द्वारा रंगे हाथ पकड़े गए कर्मचारी

4144. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:
श्री रशीद मसूद:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सी.बी.आई. द्वारा केन्द्र सरकार के कितने कर्मचारी घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए;

(ख) ऐसे कितने कर्मचारियों को पुन: बहाल कर दिया गया;

(ग) अब तक कितने कर्मचारी निलंबित हैं;

(घ) कर्मचारियों का निलंबन समाप्त होने के बाद उनको पुन: बहाल करने के प्रासंगिक नियम क्या हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सी.बी.आई. द्वारा अपनी राय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने वाले कितने कर्मचारी पकड़े गए; और

(च) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2002, 2003 तथा 2004 में संघ सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध रिश्वत मांगने/लेने के लिए 684 मामले दर्ज किए हैं।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का निलंबन अथवा बहाली संबंधित मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के प्रशासनिक अधिकार में होती है। निलंबन अथवा बहाली संबंधी आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते।

(घ) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का निलंबन, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 10 के अंतर्गत प्रतिसंहरणीय होता है।

(ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2002, 2003 तथा 2004 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत आय से अधिक परिसम्पत्तियां रखने के आरोप के आधार पर 284 मामले दर्ज किए।

(च) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दायर किए गए मामलों की जांच के निष्कर्ष के आधार पर उपयुक्त कानूनी/विभागीय कार्रवाई की जाती है।

पेंशनधारियों की आवधिक चिकित्सा जांच

4145. श्री बापू हरी चौरे: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पेंशनधारियों की आवधिक चिकित्सा जांच हेतु उपयुक्त प्रबंध करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में पेंशनधारियों के मूल कार्यालयों को कुछ मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संसाधनों तथा कार्मिक शक्ति की कमी के कारण, पेंशनरों की आवधिक चिकित्सा जांच की व्यवस्था करना कठिन है।

[अनुवाद]

क्लीनिकों/नर्सिंग होमों में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता

4146. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी क्लीनिकों, नर्सिंग होमों और अन्य चिकित्सा संस्थानों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में समय-सीमा पर शिकायतें की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार वहां काम कर रहे लोगों के लिए न्यूनतम स्तर निर्धारित करने और मूल सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में अपनी संबंधित विधानसभाओं द्वारा पारित कराने हेतु राज्य सरकारों को प्रारूप प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों सरकारों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया है और इस संबंध में केन्द्र सरकार को अवगत कराया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों को अपने क्षेत्राधिकार के निजी क्लिनिकों, नर्सिंग होमों तथा अन्य चिकित्सीय संस्थाओं के कार्यकरण का विनियमन/मानिटरिंग करना होता है एवं समय-समय पर की गई शिकायतों पर ध्यान देना होता है तथा वहां कार्यरत कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मानदण्ड निर्धारित करना होता है और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं।

केन्द्र सरकार ऐसे नैदानिक प्रतिष्ठानों के मूल्यांकन, प्रत्यायन, निरीक्षण, प्रमाणन, विनियमन के लिए मानकों सहित गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं एवं अभिलेखों का अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों, नर्सिंग होमों तथा अन्य नैदानिक प्रतिष्ठानों हेतु मानक एवं विनिर्देशन तैयार कर रही है।

वर्ष 2001 में, सभी राज्यों को निर्देश दिया गया जिसमें इस संबंध में एक केन्द्रीय विधान के अधिनियम के लिए संविधान के

अनुच्छेद 252 के अंतर्गत उनके विधानमण्डलों की सहमति मांगी गई थी। हिमाचल प्रदेश, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने अपनी सहमति दे दी है।

[हिन्दी]

भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थानांतरण नीति

4147. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपने प्रशिक्षकों के लिए कोई स्थानांतरण नीति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नीति का पूर्णतया अनुपालन किया गया;

(घ) क्या पिछले कुछ दिनों के दौरान करीब 300 प्रशिक्षकों का स्थानांतरण किया गया;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को ऐसे स्थानांतरण से खेल-कूद गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की जानकारी है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या कार्य योजना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1991 में एक स्थानांतरण नीति बनाई गई है। नीति की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है:

1. भारतीय खेल प्राधिकरण में इसके सभी स्कंधों/निदेशालय के प्रशिक्षकों को सामान्य संवर्ग है।

2. प्रशिक्षक की प्रथम तैनाती उसके गृह राज्य को छोड़कर मंडल के अंदर सामान्यत: 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।

3. महिला प्रशिक्षकों को उनके पतियों के तैनाती स्थलों पर तैनात करने के प्रयास किए जाने चाहिए, ऐसा न होने की स्थिति में उनकी तैनाती उनके गृह राज्य अथवा उसी मंडल में की जानी चाहिए।

4. सामान्यत: स्थानांतरण के आदेश अकादमी सत्र की समाप्ति पर अर्थात् मई/जून में जारी किए जाएंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) माह जून-जुलाई, 2005 के दौरान, तीन चरणों में 736 प्रशिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं (विवरण संलग्न है)।

(च) और (छ) संविधान के अंतर्गत "खेल" राज्य का विषय है और खेलों के विकास तथा संवर्धन के लिए योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, भारत सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों को सुविधाएं और सहायता उपलब्ध कराती है। भारतीय खेल प्राधिकरण को प्रतिभाओं की खोज, पुष्ट और विकसित करने तथा उत्कृष्टता की उपलब्धि से संबंधित निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है:

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.)
2. सेना बाल खेल कंपनी (ए.बी.एस.सी.)
3. भारतीय खेल प्राधिकरण केन्द्र (ए.बी.एस.सी.)
4. उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.एक्स.)
5. ग्रामीण खेल कार्यक्रम (आर.एस.पी.)
6. स्कूलों में खेलकूल का संवर्धन।

2006 और 2010 में क्रमश: होने वाले एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों और गतिविधियों के विस्तार के परिणामस्वरूप भारतीय खेल प्राधिकरण की अपनी योजनाओं में प्रशिक्षकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 1:10 के अनुपात (10 प्रशिक्षुओं पर एक प्रशिक्षक) के लिए प्रयास किया गया है। इसी समय, भारतीय खेल प्राधिकरण ने राज्य प्रशिक्षण केन्द्रों की आवश्यकता पर ध्यान दिया है। प्रशिक्षक जिला प्रशिक्षण केन्द्रों से वापिस ले लिए गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया से खेलों के संवर्धन के लिए दीर्घकालिक अवधि में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है।

विवरण

प्रशिक्षकों की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य	स्थानांतरण के पूर्व कुल प्रशिक्षक	वापस लिए गए प्रशिक्षक	तैनात किए गए प्रशिक्षक	जून-जुलाई, 2005 में जारी किए स्थानांतरण आदेशों के पश्चात वर्तमान संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अण्डमान व निकोबार	4	1	3	6
2.	आंध्र प्रदेश	73	51	47	69
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	0	0	2
4.	असम	24	14	16	26
5.	बिहार	26	14	22	34
6.	चण्डीगढ़	42	33	15	24
7.	छत्तीसगढ़	10	4	9	15
8.	दमन व दीव	2	1	1	2
9.	दिल्ली	112	39	37	111
10.	गोवा	12	9	10	13
11.	गुजरात	34	18	16	32
12.	नेताजी सुभाष पश्चिमी केन्द्र, गांधीनगर	4	1	6	9
13.	हरियाणा	67	36	47	78
14.	उत्तरी केन्द्र, सोनीपत	2	0	32	34
15.	फरीदाबाद गुड़गांव, रोहतक के लिए	23	23	23	23
16.	हिमाचल प्रदेश	53	33	17	37
17.	जम्मू-कश्मीर	23	16	23	30
18.	झारखंड	10	3	11	18
19.	कर्नाटक	84	52	43	75
20.	नेताजी सुभाष दक्षिणी केन्द्र, बंगलौर	17	0	9	26
21.	केरल	55	28	28	55
22.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, त्रिवेन्द्रम	6	0	5	11

1	2	3	4	5	6
23.	मध्य प्रदेश	42	16	21	47
24.	केन्द्रीय केन्द्र, भोपाल	7	0	18	23
25.	महाराष्ट्र	53	27	28	54
26.	मणिपुर	39	10	10	39
27.	मेघालय	5	1	1	5
28.	मिजोरम	4	1	1	4
29.	नागालैण्ड	4	1	1	4
30.	उड़ीसा	38	20	19	37
31.	पांडिचेरी	6	3	6	9
32.	पंजाब	125	91	44	79
33.	राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला	59	10	21	70
34.	राजस्थान	82	52	33	63
35.	सिक्किम	7	3	0	4
36.	तमिलनाडु	62	35	24	51
37.	त्रिपुरा	21	14	15	22
38.	उत्तर प्रदेश	61	17	15	59
39.	उप केन्द्र, लखनऊ	13	2	1	12
40.	उत्तरांचल	36	20	18	34
41.	पश्चिम बंगाल	64	31	17	50
	नेताजी सुभाष पूर्वी केन्द्र, कोलकाता	37	5	3	40
	कुल	1465	736	736	1465

[अनुवाद]

स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत चार लेन बनाए जाने संबंधी सड़क कार्य

4148. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में देवगिरी क्रॉस से हुबली तक 340 कि.मी. और 404 कि.मी. के बीच के भाग का ठेका एफकान (एएफसीओएन) नाम की निजी कंपनी ने लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसने स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत चार लेन बनाए जाने संबंधी सड़क कार्य करने हेतु अन्य ठेकेदारों को उप-ठेका दिया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्य में अनावश्यक विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) मै. एफकॉन एपीआईएल (संयुक्त उद्यम) द्वारा शुरू किए गए ठेका पैकेज के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

पैकेज का नाम	रा रा सं.	लंबाई (कि.मी.)	ठेका मूल्य (करोड़ रु.)	लक्ष्य (मूल)	पूरा होने की तारीख (संशोधित)
हावेरी-हुबली (340 से 404 कि.मी.)	4	64	183.65	31.12.2003	31.12.2005

(ग) जी हां। मै. एफकॉन एपीआईएल (संयुक्त उद्यम) ने ठेके के प्रावधानों के अनुसार, केवल विशेष स्वरूप के कार्य के कुछ भाग के लिए विशिष्ट ठेकेदारों को उप-ठेका दिया है।

(घ) विलंब के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं:

(1) भूमि अधिग्रहण के कारण विलंब;

(2) वृक्षों की कटाई और सुविधाओं के स्थानांतरण निर्धारण के कारण विलंब;

(3) अपेक्षित विनिर्देश का एग्रीगेट प्राप्त करने में कठिनाई; और

(4) नगदी प्रवाह की समस्या के कारण ठेकेदारों द्वारा धीमी गति से कार्य किया जाना।

(ङ) कार्य में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं;

(1) भूमि अधिग्रहण और सुविधाओं के स्थानांतरण में आई समस्याओं का समाधान कर लिया गया है तथा भूमि अधिग्रहण और सुविधाओं के स्थानांतरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है;

(2) कार्य में तेजी लाने के लिए ठेकेदार ने विगत की तुलना में और अधिक वरिष्ठ इंजीनियर, संयंत्र एवं उपस्कर लगाए हैं; और

(3) एन एच ए आई और मंत्रालय द्वारा परियोजना की सूक्ष्मता से समीक्षा की जा रही है।

आई.आर.सी.एस. द्वारा भूकंप राहत कार्य का परिचालन

4149. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन रेड क्रास सोसाइटी (आई.आर.सी.एस.) ने फरवरी, 2001 में गुजरात के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में अपने कार्य के लिए 180 से भी अधिक विदेशी प्रतिनिधिमंडलों को तैनात किया था और उनमें से अधिकांश लोगों ने वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान भी काम किया;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय लेने के लिए कौन सा प्राधिकारी जिम्मेदारी है;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार से परामर्श किया गया था;

(घ) यदि हां, तो मार्च, 2004 तक उनकी यात्रा, वेतन, आवास और अन्य सभी सुविधाओं पर कितनी लागत आई तथा इस लागत को वहन करने वाली एजेंसी का नाम क्या है;

(ङ) क्या आई.आर.सी.एस. द्वारा भूकंप राहत कार्य का पूर्ण नियंत्रण और परिचालन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रास, जेनेवा को सौंपा गया था; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) भारतीय रेड क्रास सोसायटी के राष्ट्रीय मुख्यालय ने सूचित किया है कि गुजरात में विध्वंसकारी भूकम्प के बाद तकनीकी और चिकित्सा विशेषज्ञों सहित विभिन्न देशों की चिकित्सा, जल, स्वच्छता, संभारतंत्र और आपाती प्रतिक्रिया यूनिटें गुजरात में प्रभावित जनसंख्या के बचाव, राहत और चिकित्सा सेवाओं के लिए आई। बाद में, राहत और पुर्नवास के लिए भारतीय रेड क्रास सोसायटी को तकनीकी, मानवीय और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रास एंड रेड क्रिसेन्ट सोसायटीज (आईएफआरसी एंड आरसीएस) ने इंडिया आपरेशन सेंटर स्थापित किया है। इंडिया आपरेशन सेंटर को भारत सरकार से परियोजना कार्यालय के रूप में मान्यता मिली है और इसका

कार्यालय नई दिल्ली में चल रहा है। वर्तमान में इंटरनेशनल फेडरेशन कार्यालय में तीन विदेशी प्रतिनिधि भारतीय रेड क्रास सोसायटी के साथ कार्य कर रहे हैं। सोसायटी द्वारा किए गए सभी राहत और प्रनुर्वास उपायों को सोसायटी की आपदा प्रशमन समिति, वित्त समिति और प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय रेड क्रास सोसायटी के राष्ट्रीय मुख्यालय ने सूचित किया है कि परियोजना कार्यालय के पास भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदिन है। यात्रा, वेतन, आवास पर व्यय और सभी अन्य सुख-सुविधाओं को संबंधित राष्ट्रीय रेड क्रास सोसायटीज द्वारा वहन किया जाता है अथवा यदि विदेशी प्रतिनिधि आईएफआरसी एंड आरसीएस द्वारा तैनात किया जाता है, तो फेडरेशन लागत को वहन करता है।

(ङ) और (च) भारतीय रेड क्रास सोसायटी के राष्ट्रीय मुख्यालय ने सूचित किया है कि रेड क्रास एंड रेड क्रीसेन्ट मूवमेंट रेगुलेशन्स के अनुसार, आईएफआरसी एंड आरसीएस राष्ट्रीय रेड क्रास सोसायटियों की सहायता करता है और कार्यों (आपरेशन्स) का नेतृत्व हमेशा राष्ट्रीय रेड क्रास सोसायटी के पास रहता है। गुजरात भूकम्प के बाद भी, भूकम्प राहत कार्यों का नियंत्रण भारतीय रेड क्रास सोसायटी के पास था।

आपदा प्रबंधन सहायता प्रणाली

4150. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभाग ने अंतरिक्ष (स्पेस) आधारित आपदा प्रबंधन सहायता प्रणाली तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रणाली का देश के कुछ भागों में हाल के आपदा प्रबंधन के दौरान उपयोग किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता हासिल की गई?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी, हां। अंतरिक्ष विभाग तथा गृह मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप में क्रियान्वित अंतक्षित आधारित आपदा प्रबंधन सहायता प्रणाली में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:

* जोखिम वाले क्षेत्र का वर्गीकरण तथा क्षति के आकलन को सुसाध्य बनाने हेतु आपदा-संभावित क्षेत्रों के लिए अंकीय आंकड़ा आधार का सृजन; उपग्रह और वायुवीय आंकड़ों का उपयोग करते हुए प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं का मानीटरन और संबंधित तकनीकों और यंत्रों का विकास।

* समय से सूचना के विकीर्णन और आपातकालीन सहायता हेतु संचार आधार का सुदृढ़ीकरण।

* राज्य नियंत्रण कक्षों और अन्य संबंधित संगठनों के साथ गृह मंत्रालय स्थित राष्ट्रीय नियंत्रण कक्ष को जोड़ते हुए एक सुरक्षित उपग्रह आधारित संचार नेटवर्क की स्थापना।

* गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन प्रचालनों को सुसाध्य बनाने हेतु अंतरिक्ष विभाग के हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एन.आर.एस.ए.) में एक निर्णय सहायता केन्द्र की स्थापना।

(ग) और (घ) जी, हां। (1) खरीफ के मौसम में सप्ताह में दो बार चौदह राज्यों में कृषि संबंधी सूखे के मनीटरन संबंधी परिणाम संबंधित राज्य राहत आयुक्तों और कृषि तथा सहकारिता विभाग को प्रदान किए जाते हैं; और (2) निकट वास्तविक काल के आधार पर व्युत्पन्न बाढ़ की सभी घटनाओं के लिए बाढ़ आप्लावन और क्षति के आकलन संबंधी परिणाम गृह मंत्रालय के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा प्रबंध (एन.डी.एम.) विंग, संबंधित राज्य राहत आयुक्तों तथा केन्द्रीय जल आयोग को प्रदान किये जाते हैं।

इस सूचना का उपर्युक्त एजेंसियों द्वारा राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के पास पत्थर के खनन पर प्रतिबंध

4151. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में सतारा के निकट खींड वाड़ी में पत्थर खनन के विस्फोट के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 पर यातायात को रोक दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की योजना इस राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पत्थर खनन गतिविधियों को रोकने की है;

(ग) यदि हां, तो किलोमीटर में राज्य-वार दूरी कितनी है जहां पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के पास खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है; और

(घ) इसका कड़ाई से पालन करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विचाराधीन खंड एनएचएआई को सौंपा गया है। एनएचएआई द्वारा इस प्रकार यातायात रोके जाने की कोई सूचना नहीं दी गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पूर्व-पश्चिम गलियारे के लिए नई सड़कों का निर्माण

4152. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76 के मूल मार्ग से अलग पूर्व-पश्चिम गलियारे के लिए विभिन्न स्थानों पर नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान के कोटा, बूंदी और बारन जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76 को छोड़कर कितनी नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है;

(घ) उक्त परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहीत करने और अधिग्रहीत भूमि के बदले में भू-स्वामियों को मुआवजे का भुगतान करने हेतु कौन सी प्रक्रिया का अनुपालन किया जा रहा है;

(ङ) क्या आवश्यकता से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) अतिरिक्त अधिग्रहीत भूमि पर शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार ने पुनर्वास और पुन:स्थापना कार्यों के लिए किसी गैर-सरकारी संगठन को नियुक्त किया है/ठेका दिया है;

(झ) यदि हां, तो पुनर्वास कार्य के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों के अनुभवों सहित ऐसे संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ञ) पुनर्वास कार्यों के लिए उक्त गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कितने कर्मचारियों को लगाया गया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर के भाग के तौर पर रा रा-76 को चार लेन का बनाने का प्रस्ताव मुख्यत: मौजूदा संरेखण पर है। सिवाय उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां ज्योमितीय सुधार, घनी आबादी वाले क्षेत्रों से बचने के लिए पुन: संरेखण और बाइपास की आवश्यकता है। नए प्रस्तावित संरेखण के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	चैनेज		मार्ग परिवर्तन का स्थान
	से	तक	
1.	0	5.615	पिंडवाड़ा बाइपास
2.	55.919	59.547	जसवंतगढ़ बाइपास
3.	85	104.715	उदयपुर बाइपास
4.	213.214	229	चित्तौड़गढ़ बाइपास
5.	381	406	कोटा बाइपास
6.	461.255	474.2	बारन बाइपास
7.	609	632.029	शिवपुरी बाइपास

इसके अतिरिक्त, राजस्थान सरकार द्वारा रा.रा. 76 के 349 से 357 कि.मी. तक वैकल्पिक संरेखण का प्रस्ताव किया गया है जिसके लिए साध्यता अध्ययन और सर्वेक्षण व जांच कार्य किया जा रहा है।

(घ) कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण किया जाता है और मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

(ङ) जी नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) से (ञ) जी हां। एन एच ए आई द्वारा रा.रा. 76 पर पुनर्स्थापना और पुनर्वास कार्यों के कार्यान्वयन के लिए तीन गैर-सरकारी संगठनों अर्थात् मै. साउथ एशियन फाउंडेशन फॉर ह्यूमन इनीसिएटिव्स (एसएएफएचआई) कोलकाता (पश्चिम बंगाल), आर्गेनाइजेशन फार एप्लाइड सोसियो-इकोनामिक सिस्टम (ओएएसईएस), नई दिल्ली और मै. एडवांटेज इंडिया दिल्ली, को नियुक्त किया गया है।

यह नियुक्ति राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में विज्ञापित करके खुली राष्ट्रीय प्रतियोगी निविदा प्रणाली के आधार पर की गई है।

चुने गए सभी गैर-सरकारी संगठनों को विशेष रूप से राजमार्ग परियोजनाओं और सामान्यत: अन्य परियोजनाओं में पुनर्स्थापना और

पुनर्वास कार्यों के कार्यान्वयन का पर्याप्त अनुभव प्राप्त है। गैर-सरकारी संगठन की प्रत्येक टीम में पांच प्रमुख पेशेवर शामिल होते हैं।

[अनुवाद]

बेरोजगार युवकों को पे फोन/पी.सी.ओ. का आवंटन

4153. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पूरे देश के बेरोजगार युवकों को प्राथमिकता के आधार पर पे फोन/पी.सी.ओ. आवंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों के कथित उल्लंघन के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितने व्यक्ति दोषी पाए गए और उनको किस तरह का दंड दिया गया?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं। पीसीओ के आबंटन में बेरोजगार युवकों को प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, बेरोजगार युवकों सहित, 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के सभी आवेदकों को बिना किसी प्रतिबंध के उदारतापूर्वक पीसीओ आबंटित किए जाते हैं, बशर्ते तकनीकी व्यवहार्यता हो।

(ख) से (घ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

कंपनी के नाम से नुस्खे बताना

4154. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश चिकित्सक कंपनियों के नाम से नुस्खे बता रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकारी क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का चिकित्सकों द्वारा बताए गए उपचार के लिए लेखा परीक्षा प्रणाली शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अधीन जारी भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नीति-शास्त्र) विनियम, 2002 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार प्रत्येक फिजीशियन को, जहां तक संभव हो, जेनरिक, नामों वाली औषधें लिखनी चाहिए और उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि औषधों का यौक्तिक नुस्खा निर्धारिण (प्रेस्क्रिप्शन) और उपयोग हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर चौकीघाट पुल

4155. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रह्मपुत्र बोर्ड जिसको असम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52 पर चौकीघाट पुल की व्यवहार्यता और प्रारूप अध्ययन कार्य सौंपा गया था, ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अध्ययन के लिए कितनी राशि स्वीकृति की गई और ब्रह्मपुत्र बोर्ड को कितना भुगतान किया गया;

(घ) अध्ययन के अनुसार पुल की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ङ) उक्त परियोजना का निर्माण कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रा.रा.-52 चौकीघाट पुल के साध्यता और मॉडल अध्ययन हेतु स्वीकृत और ब्रह्मपुत्र बोर्ड को अदा की गई धनराशि 63.86 लाख रु. है।

(घ) और (ङ) ब्रह्मपुत्र बोर्ड से साध्यता रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और सरकार द्वारा इसे अनुमोदित कर दिए जाने के बाद ही पुल की लागत और इसका कार्य शुरू होने की संभावित तारीख के बारे जानकारी मिल सकती है।

[हिन्दी]

एनएचडीपी चरण 3 'क' और 3 'ख'

4156. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों को सुदृढ़ करने तथा एनएचडीपी चरण 3क और 3ख आधारित बनाओ, चलाओ, हस्तांतरित करो (बी ओ टी) के अंतर्गत 890 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को चार लेने से छह लेन वाला बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार परियोजना हेतु 40 प्रतिशत अनुदान देती है और शेष राशि उद्यमियों द्वारा जुटायी जाती है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना पर कार्य शुरू नहीं हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार इस कार्य हेतु पूर्ण अनुदान देकर बिहार में इन परियोजनाओं को केन्द्रीय एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित कराने का है; और

(छ) यदि हां, तो इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) बिहार में, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी) चरण-3 के अंतर्गत चार लेन बनाए जाने के लिए 'विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के कुल 890 कि.मी. लंबे नौ खंडों की पहचान की गई है जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं। इनमें से किसी भी खंड को एन एच डी पी चरण-3 क के अंतर्गत बी ओ टी आधार पर कार्यान्वयन के लिए अनुमोदिन नहीं दिया गया है:

क्र.सं.	रूट	रा.रा. संख्या	लंबाई (कि.मी.)
1.	पूर्णिया-खगरिया-बेगुसराय-बाढ़-बख्तियारपुर	31	255
2.	बख्तियारपुर-पटना	30	53
3.	पटना-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर (मुजफ्फरपुर बाइपास को छोड़कर)	19.77	46.3
	मुजफ्फरपुर बाइपास	77	13.7
4.	मोतीहारी-रक्सोल	28ए	67
5.	फारबिसगंज-जोगवानी	57ए	13
6.	गोपालगंज-छपरा-हाजीपुर	85, 19	153
7.	बक्सर-पटना	84, 30	130
8.	मुजफ्फरपुर-सोनबरसा	77	89
9.	मोकामा-मुंगेर	80	70
	जोड़		890

(ग) जी हां।

(घ) इन परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उद्यमियों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद परियोजना का कार्यान्वयन शुरू किया जाएगा।

(ङ) दो कार्यों अर्थात् रा.रा.-30 के पटना-बख्तियारपुर खंड और रा.रा.-77 के हाजीपुर-मुजफ्फरपुर खंड के लिए "निर्माण प्रचालन और हस्तांतरण" आधार पर निविदाएं आमंत्रित की गई थी लेकिन उद्यमियों से कोई जवाब नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, रा.रा.-57 और रा.रा. 28ए की मात्र कुल 80 कि.मी. लंबाई के लिए ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी की गई है। शेष खंडों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य चल रहा है।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

सौंक नदी पर पुल का निर्माण

4157. श्री अशोक अर्गल: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुरैना-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-3 के बीच सौंक नदी पर पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ख) क्या उक्त निर्माण कार्य के कारण इस राजमार्ग पर दुर्घटनाएं बढ़ी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त निर्माण के लिए विपथन के कारण उक्त राजमार्ग पर कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ङ) क्या संबद्ध निर्माण कंपनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाएगी; और

(च) यदि हां, तो यह कार्रवाई कब तक किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) रा.रा.-3 पर सौंक नदी पर पुल का निर्माण कार्य सितम्बर, 2005 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर खंडवार दुर्घटनाओं के आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(घ) से (च) दो लेन के विद्यमान पुल पर यातायात चल रहा है। 4-लेन के नए सौंक पुल के निर्माण के लिए कोई डाईवर्जन नहीं बनाया गया है।

[अनुवाद]

कर्नाटक से प्राप्त परियोजनाओं को स्वीकृति

4158. श्री जी. एम. सिद्धीश्वर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लम्बित परियोजनाओं को स्वीकृति देने हेतु कर्नाटक सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो अब तक स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा अभी स्वीकृति दी जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न बड़ी विकास परियोजनाओं को निष्पादित करने हेतु आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र से सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाओं हेतु संवितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं हेतु आबंटित धनराशि का राज्यों में पूर्ण उपयोग किया गया है;

(ज) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

राजहरा कोलफील्ड का सामुदायिक विकास कार्यक्रम

4159. श्री मनोज कुमार: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दस वर्षों के दौरान राजहरा कोलफील्ड में सामुदायिक विकास कार्यक्रम में किए गए कार्यों तथा हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लगभग सारी धनराशि केवल एक विद्यालय अर्थात "चन्द्रशेखर दूबे चरैआ मिडिल स्कूल" पर खर्च की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम की भावना के विरुद्ध है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) पिछले दस वर्षों के दौरान शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य की प्रकृति और समेकित व्यय, वर्ष-वार नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	शुरू किया गया कार्य	व्यय की गई राशि (लाख में)
1995-96	लोहरा मिडिल स्कूल में दो कमरों का निर्माण तथा राजहरा कोलियरी मोड़ में बस स्टाप शेड का निर्माण	1.71 रु.
1996-97	लोहरा मिडिल स्कूल में दो कमरों का निर्माण	1.86 रु.
1997-98	सी.एस. दूबे कालेज, चेन्या में नाली का निर्माण	0.83 रु.
1998-99	निमियाही से कोठी तक मौजूदा सड़क में डब्ल्यू.बी.एम. तथा मिडिल स्कूल, पैंडवा में दो कमरों की मरम्मत	1.58 रु.
1999-2000	राजहरा में 4 हैंड पम्प लगाना और चालू करना	0.32 रु.
2000-01 2001-02	सी.एस.दूबे कालेज में बाउन्ड्री की दीवार का निर्माण	1.76 रु.
2002-03	सूरत हाईस्कूल, लोहरा ग्राम में बरामदे सहित एक कमरे का निर्माण	1.54 रु.
2003-04	मुख्य सड़क से लाब्जी नदी तक एप्रोच सड़क की मरम्मत	0.21 रु.
2004-05	सी.एस. दूबे इन्टर कालेज, चेन्या में बाउन्ड्री की दीवार का निर्माण तथा लोहरा मिडिल स्कूल में बाउन्ड्री का निर्माण	2.32 रु.

(ख) और (ग) चन्द्रशेखर दूबे चरैया मिडिल स्कूल पर कोई राशि व्यय नहीं की गयी है।

(घ) ऊपर उल्लिखित सामुदायिक विकास कार्य, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में प्रायोजित खेल योजना

4160. श्री बीर सिंह महतो:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में खेलकूद स्पर्धाओं हेतु कोई प्रायोजित योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है और दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) फिलहाल, केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई खेल अवस्थापना योजना प्रचालन में नहीं है। तथापि, 31.3.2005 तक यह यह मंत्रालय केन्द्र द्वारा प्रायोजित खेल अवस्थापना योजनाएं प्रचालित कर रहा था जिसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित, राज्यों और अन्य एजेंसियों को खेल सुविधाओं के सृजन के लिए अनुमोदित पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है बशर्ते की राज्यों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त हों। केन्द्र द्वारा प्रायोजित खेल अवस्थापना योजनाओं को 1.4.2005 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया है और तदनुसार खेल अवस्थापना योजनाओं के लिए 2005-06 के बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। फरवरी, 2005 में सभी राज्यों को सूचित कर दिया गया था। उपर्युक्त के अतिरिक्त, एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रशासन और एक प्रायोजककर्ता द्वारा संयुक्त उद्यम के रूप में 25:24:51 के अनुपात में संयुक्त फंडिंग से राज्य खेल अकादमियां स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित यह योजना सभी राज्यों के लिए मान्य है।

(ग) उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार आबंटन नहीं किया गया है। तथापि, पिछले दो वर्षों अर्थात 2003-04 से 2004-05 के दौरान खेल अवस्थापना योजनाओं के अंतर्गत प्रदान

की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना ''राज्य खेल अकादमी'' के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय 93.24 करोड़ रुपये है। 2003-04 और 2004-05 में प्रत्येक के लिए बजट प्रावधान 7.00 करोड़ रुपये था। इस योजना के लिए 2005-06 के बजट अनुमान में आबंटित राशि 5.00 करोड़ रुपये है। 2003-04 और 2004-05 के दौरान व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने की वजह से धनराशि जारी नहीं की जा सकी। दसवीं पंचवर्षीय योजना के शेष समय में धनराशि का जारी होना, राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर होगा।

विवरण

2003-04 से 2004-05 (31.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार) खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2003-2004		2004-2005 (31.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार)	
		जारी की गई धनराशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई धनराशि	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	484.52	14	123.75	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	191.00	5	27.00	1
3.	असम	17.00	2	188.09	8
4.	बिहार	0	0	0	0
5.	दिल्ली	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	65.00	2
8.	हरियाणा	40.17	2	118.13	16
9.	हिमाचल प्रदेश	100.21	8	118.63	10
10.	जम्मू-कश्मीर	26.82	18	22.50	1
11.	कर्नाटक	58.70	8	101.30	9
12.	केरल	13.01	4	1.50	1
13.	मध्य प्रदेश	152.27	13	115.40	6
14.	महाराष्ट्र	238.43	13	169.04	9
15.	मणिपुर	0	0	22.50	3
16.	मेघालय	100.11	5	234.55	5
17.	मिजोरम	136.32	21	30.00	1

1	2	3	4	5	6
18.	नागालैण्ड	962.46	21	115.98	12
19.	उड़ीसा	0.05	1	0.75	1
20.	पंजाब	45.00	1	0	0
21.	राजस्थान	25.00	2	8.72	1
22.	सिक्किम	0	0	0	0
23.	तमिलनाडु	170.36	22	81.15	13
24.	त्रिपुरा	0	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	46.94	3	69.23	6
26.	पश्चिम बंगाल	20.07	15	49.70	4
27.	छत्तीसगढ़	78.50	4	0	0
28.	झारखंड	0	0	30.00	1
29.	उत्तरांचल	0	0	94.80	5
30.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
31.	चंडीगढ़	0	0	0	0
32.	दादर व नगर हवेली	0	0	0	0
33.	दमन व दीव	0	0	0	0
34.	पांडिचेरी	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
	कुल	2906.98	182	1787.99	122

वर्ष 2003-04 से 2004-05 (31.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार) तक खेल उपस्करों की खरीद और खेल मैदान के विकास के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदान की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2003-2004		2004-2005	
		जारी की गई धनराशि	स्कूलों की संख्या	जारी की गई धनराशि	स्कूलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.37	1	2.78	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.35	4	7.74	7

1	2	3	4	5	6
3.	असम	30.88	41	22.18	38
4.	बिहार	3.29	3	7.53	8
5.	छत्तसीगढ़	1.13	2	3.32	4
6.	दिल्ली	0.00	0	0.00	0
7.	गोवा	0.00	0	1.08	1
8.	गुजरात	2.98	4	1.42	2
9.	हरियाणा	43.36	59	24.17	41
10.	हिमाचल प्रदेश	5.72	15	10.21	14
11.	जम्मू-कश्मीर	3.17	3	9.64	14
12.	झारखंड	0.00	0	0.00	0
13.	कर्नाटक	16.75	26	12.10	18
14.	केरल	0.00	0	15.48	17
15.	मध्य प्रदेश	22.95	29	13.67	20
16.	महाराष्ट्र	51.63	58	54.19	71
17.	मणिपुर	3.26	5	1.48	2
18.	मेघालय	1.08	1	9.37	10
19.	मिजोरम	0.00	0	0.00	0
20.	नागालैण्ड	0.00	0	3.80	5
21.	उड़ीसा	44.21	55	61.99	80
22.	पंजाब	2.56	3	0.63	2
23.	राजस्थान	25.19	29	18.76	30
24.	सिक्किम	0.00	0	0.00	0
25.	तमिलनाडु	7.65	21	3.70	6
26.	त्रिपुरा	0.37	1	0.40	1
27.	उत्तर प्रदेश	39.60	47	51.11	75
28.	उत्तरांचल	11.04	12	18.44	26
29.	पश्चिम बंगाल	77.98	106	127.15	167

1	2	3	4	5	6
30.	केन्द्र शासित क्षेत्र अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0	0.00	0
31.	चंडीगढ़	0.00	0	0.00	0
32.	दादर व नगर हवेली	0.00	0	0.00	0
33.	लक्षद्वीप	0.00	0	0.00	0
34.	दमन व दीव	0.00	0	0.00	0
35.	पांडिचेरी	0.00	0	0.00	0
	कुल	399.63	525	482.45	662

वर्ष 2003-2004 से 2004-05 (31.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार) तक विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों के संवर्धन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2003-2004		2004-2005	
		जारी की गई धनराशि	विश्वविद्यालयों/ कालेजों की संख्या	जारी की गई धनराशि	विश्वविद्यालयों/ कालेजों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	87.82	27	97.22	36
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0
3.	असम	26.81	10	126.31	48
4.	बिहार	20.60	4	0.00	0
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0	20.70	9
6.	गोवा	0.00	0	2.70	1
7.	गुजरात	18.27	10	28.20	1
8.	हरियाणा	10.31	9	26.86	4
9.	हिमाचल प्रदेश	5.85	3	7.37	4
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0	0.00	0
11.	झारखंड	0.00	0	2.70	1
12.	कर्नाटक	39.36	35	149.87	63
13.	केरल	39.80	18	45.07	24

1	2	2	3	4	5
14.	मध्य प्रदेश	10.80	4	26.10	7
15.	महाराष्ट्र	197.53	98	244.15	115
16.	मणिपुर	25.03	3	17.80	5
17.	मिजोरम	10.72	4	0.00	0
18.	मेघालय	0.00	0	10.80	4
19.	नागालैण्ड	22.50	11	19.20	10
20.	उड़ीसा	83.60	40	57.98	32
21.	पंजाब	52.68	13	29.45	11
22.	राजस्थान	4.20	2	7.20	3
23.	तमिलनाडु	164.81	27	169.70	29
24.	त्रिपुरा	0.00	0	0.00	0
25.	उत्तर प्रदेश	101.56	41	158.65	62
26.	उत्तरांचल	24.60	10	16.80	8
27.	पश्चिम बंगाल	79.86	42	141.28	63
28.	दिल्ली	53.50	2	62.64	1
29.	केन्द्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़	0.00	0	1.00	1
	कुल	1080.25	413	1472.00	555

वर्ष 2003-2004 से 2004-05 (31.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार) तक सिंथेटिक परतें बिछाने के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	2003-2004		2004-05	
		जारी की गई धनराशि	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई धनराशि	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	00.00	0	20.00	1
2.	हरियाणा	30.00	1	0.00	0
3.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0

1	2	3	4	5	6
4.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0	0.00	0
5.	कर्नाटक	0.00	0	0.00	0
6.	मध्य प्रदेश	0.00	0	0.00	0
7.	महाराष्ट्र	50.00	1	15.00	1
8.	मणिपुर	0.00	0	0.00	0
9.	उड़ीसा	0.00	0	50.00	1
10.	पंजाब	0.00	0	0.00	0
11.	तमिलनाडु	0.00	0	65.00	1
12.	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0.00	0
13.	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0.00	0
14.	दिल्ली	20.00	1	0.00	0
15.	चंडीगढ़	0.00	0	0.00	0
16.	झारखंड	100.00	1	0.00	0
	कुल	200.00	4	150.00	4

खेलकूल कार्यकलापों के प्रोत्साहन हेतु धनराशि

4161. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगामी तीन वर्षों के दौरान खेल-कूद कार्यकलापों के प्रोत्साहन हेतु स्टेडियम, खेल-कूद काम्पलेक्स क्रीड़ा स्थल इत्यादि के निर्माण पर राज्य-वार खर्च की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान इसके लिए स्वीकृत और खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) "खेल" राज्य का विषय है। यह राज्य सरकार का दायित्व है कि राज्यों में वह स्टेडियमों, खेल परिसरों, खेल मैदानों आदि का निर्माण करें। भारत सरकार ने 31.3.2005 तक खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत अनुमोदित पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को पूरा किया बशर्ते राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त हुए हों। योजना 1.4.2005 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गयी है और तद्नुसार खेल अवस्थापना संबंधी योजनाओं के लिए 2005-06 हेतु बजट में कोई आबंटन नहीं किया गया है। अत: खेल अवस्थापना संबंधी परियोजनाओं हेतु नए प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से वित्त पोषित किए जाने हैं। फरवरी, 2005 में सभी राज्यों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया था। तथापि, 2004-05 के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गयी केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अलावा, योजना आयोग ने हाल ही में सूचित किया है कि चल रही अनुमोदित खेल अवस्थापना संबंधी परियोजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी। धनराशि के उपलब्ध होने पर, राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों से अपेक्षित दस्तावेजों जैसे उपयोगिता प्रमाणपत्र, प्रगति रिपोर्ट, समापन प्रमाणपत्र आदि के प्राप्त होने पर अपूर्ण परियोजनाओं के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता जारी करने पर विचार किया जाएगा।

विवरण

2004-05 के दौरान (31.3.2005 तक) खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2004-05 (31.3.2005 तक)	
		जारी की गई धनराशि	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	123.75	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	27.00	1
3.	असम	188.09	8
4.	बिहार	0	0
5.	दिल्ली	0	0
6.	गोवा	0	0
7.	गुजरात	65.00	2
8.	हरियाणा	118.13	16
9.	हिमाचल प्रदेश	118.63	10
10.	जम्मू-कश्मीर	22.50	1
11.	कर्नाटक	101.3	9
12.	केरल	1.50	1
13.	मध्य प्रदेश	115.40	6
14.	महाराष्ट्र	169.04	9
15.	मणिपुर	22.50	3
16.	मेघालय	234.55	5
17.	मिजोरम	30.00	1
18.	नागालैण्ड	115.98	12
19.	उड़ीसा	0.75	1
20.	पंजाब	0	0
21.	राजस्थान	8.72	1
22.	सिक्किम	0	0
23.	तमिलनाडु	81.15	13
24.	त्रिपुरा	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	69.23	6
26.	पश्चिम बंगाल	49.70	4
27.	छत्तीसगढ़	0	0
28.	झारखंड	30.00	1
29.	उत्तरांचल	94.80	5
30.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0
31.	चंडीगढ़	0	0
32.	दादर व नगर हवेली	0	0
33.	दमन व दीव	0	0
34.	पांडिचेरी	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0
	कुल	1787.99	122

[अनुवाद]

मुम्बई शहरी अवसंरचना परियोजना

4162. श्री सुरेश कलमाडी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 2600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली मुम्बई शहरी अवसंरचना परियोजना (एम.यू.आई.पी.) प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने, भूमि अधिग्रहण लागत को छोड़कर, मुम्बई में सड़कों के उन्नयन, फ्लाईओवरों और यातायात (ट्रैफिक) नेटवर्क के निर्माण के लिए 2648 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक मुम्बई शहरी अवसंरचना परियोजना (एम.यू.आई.पी.) प्रस्तुत की है।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने प्रस्तावित राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (एनयूआरएम) के तहत महाराष्ट्र की वार्षिक योजना 2005-06 में 1000 करोड़ रुपये का अनंतिम आबंटन किया है। मुम्बई शहरी अवसंरचना परियोजना (एम.यू.आई.पी.) को अतिरिक्त सहायता देने पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि राज्य सरकार प्रस्तावित मिशन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को पूरा करती हो।

[हिन्दी]

नए डाकघर खोलने हेतु लक्ष्य

4163. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कितने नए डाकघर और शाखा डाकघर खोले जाने का लक्ष्य निर्धारित था;

(ख) क्या जिला-वार लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) 2003-04 में महाराष्ट्र में 2 विभागीय उप डाकघर और 25 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य प्रदान किया गया। लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया।

2004-05 में नए डाकघर खोलने के लिए कोई योजना लक्ष्य नहीं दिए गए थे। हालांकि, मौजूदा डाकघरों की पुनर्स्थापना के माध्यम से 2 औचित्यसम्मत विभागीय उप डाकघर खोले गए थे। पिछले दो वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले 2 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में खोले गए डाकघरों का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिला	2003-2004	
		विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
1.	औरंगाबाद		1
2.	बीड		0
3.	धुले	1	1
4.	नंदरबार		0
5.	नासिक		1
6.	नांदेड़		1
7.	जलगांव		1
8.	उस्मानाबाद		1
9.	रत्नागिरि		1
10.	कोल्हापुर		1
11.	सांगली		0
12.	ठाणे	1	2
13.	रायगढ़		1
14.	मुंबई		0
15.	सतारा		2
16.	सोलापुर		1
17.	अहमदनगर		3
18.	पुणे		2
19.	अकोला		1
20.	अमरावती		1
21.	बुलढाणा		1
22.	गोंदिया		1
23.	गादचिरोली		1
24.	नागपुर		0
25.	यवतमाल		1
	कुल	2	25

क्र.सं.	जिला	2004-2005		टिप्पणी
		विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	
1.	पुणे	2	–	पुनर्स्थापना से खोला गया

कीटनाशकों के इस्तेमाल का दुष्प्रभाव

4164. श्री महावीर भगोरा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फसल पैदावार बढ़ाने के लिए कीटनाशकों के बड़ी मात्रा में उपयोग से कैंसर जैसे घातक रोग फैल रहे हैं जैसाकि 4 जुलाई, 2005 के हिन्दी दैनिक 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा डीडीटी एवं एचसीएच को मानवों के लिए संभावित रूप से कैंसर जनक माना जाता है। 1980 से 1997 की अवधि के दौरान लखनऊ, दिल्ली तथा अहमदाबाद से एकत्र किए गए मानव रक्त नमूनों पर किए गए भारतीय अध्ययनों से डीडीटी तथा एचसीएच के स्तर सामान्य जनसंख्या में क्रमश: 0.02 से लेकर 0.71 तथा 0.022 से लेकर 0.049 पीपीएम के बीच प्रदर्शित हुए। डीडीटी, एचसीएच, एल्ड्रिन, क्लोरडेन, हेप्टाक्लोर तथा फास्फोमिडोन पर कृषि प्रयोजनों के लिए रोक लगी हुई है। विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा किए गए एक अध्ययन (अंक दिनांक जून 15, 2005) द्वारा पंजाब के कृषकों के रक्त नमूनों में विभिन्न कीटनाशकों के स्तर प्रकाशित किए गए। रिपोर्ट में एचसीएच की उपस्थिति (0.057 एमजी/एल), हेप्टाक्लोर (0.0006 एमजी/एल); एल्ड्रिन (0.0062 एमजी/एल); क्लोरडेन (0.0009 एमजी/एल); डीडीटी (0.065 एमजी/एल); इण्डोसल्फान (0.0046 एमजी/एल); मोनोक्रोटोफास (0.066 एमजी/एल); क्लोरपाइरिफास (0.66 एमजी/एल); तथा मैलाथियान (0.0030 एमजी/एल); का उल्लेख हैं। रिपोर्ट में बतलाया गया है कि भारत की पूर्ववर्ती रिपोर्ट की अपेक्षा डीडीटी तथा एचसीएच के लिए देखी गई प्रवणता अपेक्षाकृत निम्न है।

बोलनगीर जिला हेतु योजनाएं

4165. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोलनगीर उड़ीसा के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस जिले के विकास हेतु योजनाओं के नाम क्या हैं तथा कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(घ) उक्त आवंटित धनराशि से उक्त जिले में कितना विकास कार्य किया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, अविभाजित कालाहांडी-बोलनगीर-कोरापुर (केबीके) जिलों के लिए विशेष योजना इस समय 100% अनुदान आधार पर वित्त पोषित की जा ही है। विशेष योजना में शामिल स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 250 करोड़ रु. की विशेष केन्द्रीय सहायता प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जा रही है।

(ग) और (घ) विशेष योजना के अंतर्गत बोलनगीर जिले में कार्यान्वित की जा रही स्कीमों के नाम और विगत तीन वर्षों की वित्तीय वास्तविक उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान बोलनगीर जिले में केबीके संबंधी विशेष योजना के अंतर्गत वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियां

क्र.सं.	स्कीम	यूनिट	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
1.	**कृषि**				
	कृषि फसलों का विविधीकरण				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में	12.70	8.53	11.22
	(ख) व्यय	रु. लाख में	12.70	1.99	8.47

1	2	3	4	5	6
	फसल प्रदर्शन				
	(क) लक्ष्य	सं.	750		
	(ख) उपलब्धि	सं.	750		
	एसएचजी का प्रशिक्षण				
	(क) लक्ष्य	सं.	20		
	(ख) उपलब्धि	सं.	20		
	अतिरिक्त बिक्री केन्द्रों को खोलना				
	(क) लक्ष्य	सं.		4	10
	(ख) उपलब्धि	सं.		4	10
	बीज विनिमय कार्यक्रम				
	(क) लक्ष्य	क्विंटल		5.00	60.00
	(ख) उपलब्धि	क्विंटल		0.00	5.28
	विद्युत जोतकों की आपूर्ति				
	(क) लक्ष्य	सं.		7	10
	(ख) उपलब्धि	सं.		7	10
	कृषि सेवा केन्द्र की स्थापना				
	(क) लक्ष्य	सं.			2
	(ख) उपलब्धि	सं.			2
2.	**बागवानी**				
	बागवानी फसलों का विपणन				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में	18.02	43.80	34.46
	(ख) व्यय रु. लाख में	रु. लाख में	18.02	43.80	33.19
	(ग) कवर किया गया क्षेत्र				
	काजू	हेक्टेयर	0		
	कस्टर्डएपल	हेक्टेयर			0.00
	आम	हेक्टेयर	0	19.19	16.76
	(घ) बेमौसम (ऑफसीजन) सब्जियों की खेती	हेक्टेयर		310 0	211.90 0
	(ङ) ड्रमस्टिक प्रदर्शन	सं.			150
	(च) सब्जियों के मिनीकिट का वितरण	सं.		10000	17500

1	2	3	4	5	6
	(छ) प्याज के बीजों का वितरण	क्विंटल	50.00	50.00	20.00
	(ज) रोज, क्रासेंडरा, जसमिन, मेर्रागोल्ड संबंधी प्रदर्शन	सं.			47
	(झ) ड्रिप सिंचाई	हेक्टेयर		3	4
	(ञ) स्प्रिंकलर सिंचाई	हेक्टेयर		5	0
	(ट) स्वरोजगार-माली प्रशिक्षण	सं.		16	30
	(ठ) पूर्व और पश्च बागान प्रशिक्षण (समूह)	सं.			4
3.	**जलविभाजक विकास**				
	जलविभाजक विकास (काम के बदले अनाज)				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में	79.61	0.00	0.00
	(ख) व्यय	रु. लाख में	0.00	79.61	0.00
	जल विभाजक (314 सं.)				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में	76.08	101.09	90.00
	(ख) व्यय	रु. लाख में.	46.84	151.17	90.00
	(ग) क्षेत्र का विकास-लक्ष्य	हेक्टेयर		1260	2667
	(घ) क्षेत्र का विकास-प्राप्त किया	हेक्टेयर	1700	973	2656
	(ङ) जल विभाजक	सं.	28	28	28
	जल विभाजक (डीपीएपी)				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में	52.5	36.00	58.50
	(ख) व्यय	रु. लाख में	32.92	91.58	58.50
4.	**सहकारिता**				
	भण्डारण गृहों का निर्माण				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में	97.95	62.10	0.00
	(ख) व्यय	रु. लाख में	123.65	62.10	0.00
	(ग) लक्ष्य-भण्डारण क्षमता	मि.ट.	10000	5000	
	(घ) प्राप्त-भण्डारण क्षमता	मि. ट.	12000	5000	
	कृषि व्यापार के अंतर्गत अवसंरचना विकास				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में	54.00	19.00	

1	2	3	4	5	6
	(ख) व्यय	रु. लाख में	54.00	19.00	0.00
	(ग) लक्ष्य-बाजार क्षेत्रों का निर्माण	सं.	3	9	0
	(घ) प्राप्त बाजार क्षेत्रों का निर्माण	सं.	3	9	0.00
	कुल सहयोग				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में	151.95	81.10	
	(ख) व्यय	रु. लाख में	177.65	81.10	
5.	**पशु संसाधनों का विकास**				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में	35.08	25.97	30.59
	(ख) व्यय	रु. लाख में	35.08	25.97	30.59
	(ग) आयोजित पशु स्वास्थ्य शिविर	सं.			13
	(घ) आयोजित उष्मा अधिष्ठान शिविर	सं.		19	19
	(ङ) कोड निकालने के शिविर आयोजित करना	सं.		10	17
	(च) पशु चिकित्सा भवन का निर्माण	सं.	4	2	
	(छ) एलएसी भवन का निर्माण	सं.	1	1	
6.	**मत्स्यपालन/जलचर पालन**				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में	10.81	42.26	10.98
	(ख) व्यय	रु. लाख में	4.1	48.97	10.98
	(ग) शुरू किए गए जलाशय	सं.	2	6	2
	(घ) मलिन जल प्रसार क्षेत्र	हेक्टेयर	138	340	120
7.	**वानिकी**				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में	297.94	413.99	452.30
	(ख) व्यय	रु. लाख में	297.94	394.29	408.92
	(ग) किया जाने वाला पौध रोपण	हेक्टे.	2865	2730	2840
	(घ) किया जा चुका पौध रोपण	हेक्टे.	2865	2730	2840
8.	**आपातकालीन भोज व्यवस्था**				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में	149.09	254.83	347.40
	(ख) व्यय	रु. लाख में	197.16	254.83	305.35

1	2	3	4	5	6
	(ग) भौतिक लक्ष्य	सं.	33860	33860	33860
	(घ) लाभ भोगियों की कवरेज	सं.	33860	33860	33860
9.	**कुपोषण और शिशु मृत्यु में गिरावट**				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में		18.92	37.83
	(ख) व्यय	रु. लाख में		18.92	37.83
	(ग) लक्ष्य-लाभभोगी	सं.		1261	1261
	(घ) प्राप्त-लाभभोगी	सं.		1261	1261
10.	**विशेष पोषण कार्यक्रम**				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में	80.87	218.09	316.39
	(ख) व्यय	रु. लाख में	80.87	218.09	316.39
	(ग) लक्ष्य-लाभभोगी	सं.	141400	141400	146799
	(घ) प्राप्त-लाभभोगी	सं.	141400	141400	146700
11.	**आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण**				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में		45.00	52.50
	(ख) व्यय	रु. लाख में		0.00	52.50
	(ग) लक्ष्य-भवन	सं.		45	45
	(घ) प्राप्त-भवन	सं.		0	50
12.	**महिला स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्य ऋण सहायता**				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में	7.65	26.05	24.80
	(ख) व्यय	रु. लाख में	7.65	26.05	24.80
	(ग) लक्ष्य-समूह	सं.	153	521	149
	(घ) प्राप्त-समूह	सं.	153	521	149
13.	**मोबाइल स्वास्थ्य यूनिट**				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में	74.11	41.39	60.91
	(ख) व्यय	रु. लाख में	75.83	49.99	59.94
	(ग) उपचारित मरीज	सं.	180270	119400	151442
14.	**ग्रामीण निर्धनों के लिए शहरी जलापूर्ति**				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में		568.76	341.24

1	2	3	4	5	6
	(ख) व्यय	रु. लाख में		568.76	245.46
	(ग) लक्ष्य-पाइपलाइन बिछाना-कम	मीटर		18880	18880
	(घ) प्राप्त-पाइपलाइन बिछाना-कम	मीटर		700	17426
15.	**ग्रामीण जलापूर्ति**				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में	323.77	381.62	76.16
	(ख) व्यय	रु. लाख में	188.98	372.84	76.16
	(ग) लक्ष्य-खेल स्रोतों को लगाना	सं.	571	558	214
	(घ) प्राप्त-खेल स्रोतों को लगाना	सं.	571	558	214
16.	**सिंचाई-बीकेबीवाई**				
	लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में	242.98	14.40	364.95
	(ख) व्यय	रु. लाख में	197.04	5.10	364.95
	(ग) एलआईपीज-लक्ष्य	(सं. कम)	34	3	76
	(घ) एलआईपीज-प्राप्त	(सं. कम)	28	3	49
	लघु सिंचाई परियोजनाएं				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में			4.28
	(ख) व्यय	रु. लाख में			4.28
	(ग) एमआईपीज-लक्ष्य	सं.			2
	(घ) एमआईपीज-प्राप्त	सं.			2
	कुल-बीकेबीवाई				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में	242.98	14.40	369.23
	(ख) व्यय	रु. लाख में	197.04	5.10	369.23
17.	**हथकरघा विकास**				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में			22.41
	(ख) व्यय	रु. लाख में			22.41
	(ग) विपणन प्रोत्साहन	सं.			7
	(घ) चालू पूंजी (लाभभोगी)	सं.			247

1	2	3	4	5	6
18.	**हस्तशिल्पों का विकास**				
	(1) हस्तशिल्पों कामगारों का पुनर्वास				
	(क) उपलब्ध कामगारों का पुनर्वास	रु. लाख में		8.52	5.45
	(ख) व्यय	रु. लाख में		1.00	5.45
	(ग) लक्ष्य-लाभभोगी	सं.		20	50
	(घ) प्राप्त-लाभभोगी	सं.		8	109
	(2) शिल्प ग्राम एवं उद्यमशील कार्यक्रम				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में			25.04
	(ख) व्यय	रु. लाख में			25.04
	(ग) लक्ष्य (शिल्प ग्राम एवं उद्यम)	सं.			228
	(घ) प्राप्त (शिल्प ग्राम एवं उद्यम)	सं.			228
	कुल-हस्तशिल्पों का विकास				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में		8.52	30.49
	(ख) किया गय व्यय	रु. लाख में		1.00	30.49
19.	**ग्रामस्त विकास कार्यक्रम**				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में		37.93	20.00
	(ख) व्यय	रु. लाख में		38.72	20.00
	(ग) जीपी कवरेज-लक्ष्य	सं.		55	25
	(घ) जीपी कवरेज-प्राप्त	सं.		55	25
20.	**अ.जा. एवं अनु. ज. जाति का कल्याण**				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में	2.21	42.65	32.50
	(ख) व्यय	रु. लाख में	0.50	71.98	32.50
	(ग) छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति	सं.	16	1312	1000
21.	**पारंपरिक जलनिकायों का विकास**				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में		87.50	52.50
	(ख) व्यय	रु. लाख में		0.80	52.50
	(ग) टैंक/तालाब का कवरेज-लक्ष्य	सं.		20	14
	(घ) टैंक/तालाब का कवरेज-प्राप्त	सं.		0	14

1	2	3	4	5	6
22.	ग्रामीण संपर्कता ग्रामीण विकास विभाग				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में	123.57	79.95	62.55
	(ख) व्यय	रु. लाख में	94.20	151.52	62.55
	(ग) चालू किए गये सड़क/सीडी परियोजनाएं	सं.	2	1	1
	(घ) पूर्ण किए गए सड़क/सीडी परियोजनाएं	सं.	1	0	0
	निर्माण कार्य विभाग				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में	90.00	223.60	245.37
	(ख) व्यय	रु. लाख में	46.40	98.23	222.24
	(ग) चालू की गई सड़क परियोजनाएं	सं.		12	8
	(घ) पूर्ण की गई सड़क परियोजनाएं	सं.		9	8
	(ङ) चालू की गई पुल परियोजनाएं	सं.			3
	(च) पूर्ण की गई पुल परियोजनाएं	सं.			2
	कुल ग्रामीण-संपर्कता				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में	213.57	303.55	307.92
	(ख) व्यय	रु. लाख में	140.60	249.75	284.79
23.	आवासीय परिसरों का निर्माण				
	(क) उपलब्ध निधियां	रु. लाख में		250.11	0.00
	(ख) व्यय	रु. लाख में		30.00	0.00
	(ग) क्वार्टर्स-लक्ष्य	सं.		64	
	(घ) निर्माणाधीन क्वार्टर्स	सं.		35	
	कुल उपलब्ध निधियां	रु. लाख में	1828.94	3052.06	2780.33
	कुल व्यय	रु. लाख में	1513.88	2825.31	2571.00

[अनुवाद]

इंजेक्टेबल गर्भ निरोधकों का नैदानिक परीक्षण

4166. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 'डेपो प्रोवेरा' नामक इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक का नैदानिक परीक्षण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या 'डेपो प्रोवेरा' के दुष्प्रभावों के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) जी, हां। मुम्बई के प्रसूतिरोग विशेषज्ञ डा. आर.पी. सोनावाला की देखरेख में वर्ष 1994-97 के बीच डीएमपीए की बिक्री के बाद की निगरानी के लिए डीएमपीए (डेपो प्रोवेरा) 150 मिग्रा. इंजेक्शन का भावी अध्ययन भारत में 10 केन्द्रों पर किया गया था। इन अध्ययनों के परिणामों से यह पता चला कि गर्भनिरोधक के रूप में यह पद्धति सुरक्षित और प्रभावी है। तथापि, रोगी को हार्मोन के प्रभाव की जानकारी उपचार से पहले देना आवश्यक है। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि डेपो प्रोवेरा के प्रयोग से आम दुष्प्रभाव जैसे मासिक धर्म की अनियमितता, वजन में वृद्धि, मतली, उल्टी का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में यह चिन्ता जताई गई है कि उक्त गर्भनिरोधक के प्रयोग से हारमोन संबंधी गड़बड़ी, हड्डी के कमजोर पड़ने और एसटीआई से ग्रसित होने का जोखिम है। डेपो प्रोवेरा के अधिक समय तक प्रयोग से हड्डी में खनिज तत्वों की कमी हो सकती है। जुलाई, 2005 में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन के वक्तव्य में यह उल्लेख है कि हड्डी में खनिज तत्वों की कम की भरपाई की जा सकती है, इसलिए जीवनकाल में हड्डी की टूट की संभावना भी कम है।

(ङ) वर्तमान में गर्भनिरोधक इंजेक्शन डेपो प्रोवेरा को राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल करने का भारत सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह इंजेक्शन विपणन योग्य उत्पाद है तथा पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा लिखे जाने पर ही उपलब्ध है।

लोहियाबाद विद्युत संयंत्र के नैमित्तिक मजदूर

4167. श्री चन्द्रशेखर दूबे: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने दिनांक 1.10.1980 को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के लोहियाबाद विद्युत संयंत्र का अधिग्रहण कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त संयंत्र का अधिग्रहण करते समय विद्युत संयंत्र की कर्मचारी सूची में 420 स्थायी और 216 नैमित्तिक मजदूर सहित कुल 636 कर्मचारी थे;

(ग) क्या सभी नैमित्तिक मजदूरों को स्थायी कर्मचारियों के समतुल्य वेतन परिलब्धियां और अन्य अनुषंगी लाभ जैसे सभी लाभ दिए गए थे;

(घ) यदि हां, तो 216 नैमित्तिक मजदूरों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या स्थायी रोजगार की लाभ प्राप्ति हेतु सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार खुले क्षेत्र में 240 दिन तथा भूमिगत खदानों में 190 दिन की सेवा पूरी करने से पहले कोई व्यवधान था; और

(च) यदि नहीं, तो नैमित्तिक मजदूर के रूप में उनकी नियुक्ति/संविदा की आरंभिक तिथि का पूर्ण ब्यौरा क्या है और भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप उनकी सेवा को नियमित नहीं करने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी.एस.ई.बी.) का लोयाबाद विद्युत गृह, विद्युत उत्पादन में सुधार किए जाने के लिए दिनांक 1.10.1980 को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के प्रबंधन के अंतर्गत आ गया था परन्तु उक्त विद्युत संयंत्र का स्वामित्व 31.3.1992 तक बी.एस.ई.बी. के पास निहित था। 1.4.1992 को पुन: लोयाबाद विद्युत गृह को बी.एस.ई.बी. द्वारा वापस ले लिया गया था।

(ख) जी, नहीं। 1.10.1980 को लोयाबाद विद्युत गृह की कर्मचारी सूची में कुल 629 स्थायी और 323 नैमित्तिक कर्मचारी थे।

(ग) जबकि कुछ नैमित्तिक कर्मचारियों को राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते के श्रेणी-1 वेतन का लाभ दिया गया था, अन्य बी.एस.ई.बी. में अपने मूल वेतन के अनुसार समेकित वेतन आहरित कर रहे थे।

(घ) से (च) बी.एस.ई.बी. द्वारा लोयाबाद विद्युत गृह के प्रबंधन को हाथ में लेने के बाद, 214 नैमित्तिक कर्मचारी बीसीसीएल में रह गए। वे केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण के निर्णय के कारण बीसीसीएल की कर्मचारी सूची में बने रहे और तदुपरान्त जब माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय को रद्द कर दिया तो उन्हें हटा दिया गया। किन्तु वर्तमान में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा इस मामले में निर्णय दिए जाने तक कार्य पर बने रहने की अनुमति दी जा रही है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फेरी सेवा

4168. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सुनामी से हुई तबाही के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पिछड़े क्षेत्र में फेरी सेवा की समय सारणी संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) फेरी सेवा की समय-सरणी को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, नहीं। अंडमान और निकोबार-द्वीप-समूह में, सुनामी के कारण, फेरी सेवाएं अस्थायी रूप से ही प्रभावित हुई थीं। उपर्युक्त फेरी सेवाएं, अब पुन: लगभग सामान्य स्तर पर ले आई गई हैं। ये सेवाएं प्रभावित हुई थी, क्योंकि सुनामी ने पूरे अंडमान-निकोबार-द्वीप-समूह की पत्तन-अवसंरचना को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इससे, उत्तरी द्वीपों में आंशिक रूप से हानि हुई थी और दक्षिण द्वीप समूह में गंभीर रूप से हानि हुई थी।

(ग) नए जलयान खरीद कर तथा फेरी सेवाओं के संचालन की समय-सारणी फिर से तय करके, फेरी सेवाएं बेहतर बनाने के कदम उठाए गए। सुनामी के तुरंत बाद, 6 पंटून और 2 एल सी ए प्रकार के वायुयान खरीदे गए, जिन्हें यात्रियों को जलयान पर चढ़ाने/उतारने तथा समुद्र के मध्य जहाजी माल के यानांतरण में सहायता के कार्य में लगाया गया।

पोत-परिवहन-सेवा बहाल करने के लिए, फेरी-सेवा की समय-सारणी, निम्नानुसार फिर से तय की गई है:

(1) पोर्टब्लेयर और हट-बे के बीच दैनिक फेरी-सेवाएं कायम रखी जा रही हैं;

(2) निन्कॉवरी के रास्ते पोर्टब्लेयर से कैंपबैल-बे तक निश्चित पाक्षिक-सेवा द्वारा कारनिकोबार को पोर्टब्लेयर से जोड़ा गया है;

(3) बेहतर संपर्क की दृष्टि से 13 छोटी नावों और तीन 100/75 पैक्स स्पीड नावों को दक्षिणी द्वीप समूह में रखा गया है;

(4) टेरेसा और कटचल को निन्कॉवरी से अपेक्षाकृत छोटे स्पीड जलयानों द्वारा जोड़ा गया है और भूमि तथा इन द्वीपों पर आने वाली स्पीड नावों के बीच संपर्क उपलब्ध करवाने की दृष्टि से छोटी नावों के साथ पंटून किराए पर लिए गए हैं;

(5) निन्कॉवरी द्वीप समूह में बसे पड़ोसी द्वीपों को फेरी-सेवा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटे विभागीय मोटर लाउंच और किराए के जलयान निन्कॉवरी में रखे गए हैं; और

(6) कैंपबैल-बे और गांधी नगर के बीच पाक्षिक फेरी-सेवा भी शुरू की गई है और एक वाहन फेरी को कार्य पर लगाकर कैंपबैल-बे पर जेटी और भूमि के बीच जहाजी माल और यात्री-सेवाएं चलाई जा रही हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डेन्टल कालेजों के विरुद्ध शिकायतें

6169. श्री राम स्वरूप कोली: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा 2001 से आज तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में चलाए जा रहे डेन्टल कालेजों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा वर्ष 2001 से आज तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में डेन्टल कालेजों का कुल कितनी बार निरीक्षण किया गया है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान में उपर्युक्त सभी डेन्टल कालेज भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् के दिशानिर्देशों के अनुसार चलाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है या करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) इस अवधि के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान के दन्त चिकित्सा कालेजों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) से (घ) दन्त चिकित्सा कालेजों को भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद के विनियमों में निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए तथा कालेजों की स्थापना हेतु स्वीकृति देते समय, मान्यता, स्वीकृति के नवीकरण के समय परिषद द्वारा निरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये कालेज निर्धारित मानकों को बनाए रखे हैं। जो कालेज मानकों को पूरा नहीं करते हैं उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाती है या उन्हें स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है। भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद के अनुसार उनके द्वारा मध्य प्रदेश और राजस्थान के दन्त चिकित्सा कालेजों के वर्ष 2001 से अब तक क्रमश: 32 और 35 निरीक्षण किए गए हैं।

[अनुवाद]

चिकित्सा प्रवेश परीक्षा में गैर-अधिसूचित श्रेणियों हेतु आरक्षण

4170. श्री शंखलाल माझी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवाग्राम मेडिकल कालेज, वर्धा जिसका संचालन एक केन्द्रीय पंजीकृत सोसाइटी द्वारा किया जाता है, की चिकित्सा प्रवेश परीक्षा में 'आदिधर्म' जैसी कुछ सीटें गैर-अधिसूचित श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी सीटें वार्षिक चिकित्सा प्रवेश परीक्षा द्वारा भरी जाती हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त संस्था को चिकित्सा प्रवेश परीक्षा में आदिधर्म जैसी गैर-अधिसूचित श्रेणियों को प्रतिनिधित्व मिलना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी, सेवाग्राम, जिला वर्धा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है। यह सोसाइटी महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, सेवाग्राम का संचालन करती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार इस सोसाइटी के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार दिया जाता है। सोसाइटी का कहना है कि 'आदिधर्म' जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है तथा सोसाइटी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आरक्षण सुविधा उपलब्ध करा रही है और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जाति श्रेणी की मेरिट के अनुसार भरा जाता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलकूद विकास

4171. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए खेल विभाग द्वारा प्रायोजित/शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में पूर्वोत्तर क्षेत्र के कितने खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कुल परिव्यय, आबंटन और हुई प्रगति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कुछ उन चुनिंदा खेलों के प्रोत्साहन हेतु क्या पहल की गयी है जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के खिलाड़ियों को विशिष्टता प्राप्त है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) "खेल" राज्य का विषय है और राज्य स्तर पर उसके संवर्धन का दायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार का है। तथापि, भारत सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जूनियर, सब-जूनियर और सीनियर स्तर पर खेल प्रदर्शनों में सुधार लाने के लिए खेलों के संवर्धन में राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलों के संवर्धन और विकास के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.)

डोनी पोलो विद्या भवन, ईटानगर
डोन बास्को एच.एस., गुवाहाटी
सैनिक स्कूल, इम्फाल, मणिपुर
एंथनी हाई स्कूल, शिलांग

इंडीजेनस गेम्स एण्ड मार्शल आर्टस

रामस्वरूप अग्रवाल मेमोरियल इंग्लिश स्कूल, असम
बाल विद्यामंदिर, ग्राम व पोस्ट आफिस धोबल, मणिपुर

नवोदय विद्यालय

नवोदय विद्यालय, कदमणी, जिला सोनीपुर, इसम
नवोदय विद्यालय, खुमबोंग, लेंगजींग, जिला इम्फाल
नवोदय विद्यालय, जुकेत्सा, जिला फेक, नागालैण्ड
नवोदय विद्यालय, जिला लोहित, अरुणाचल प्रदेश
ज.न.वि., रानीजा, जिला कामरूप
ज.न.वि., लोकाक, जिला विष्णुपुर

सेना बाल खेल कंपनी (ए.बी.एस.सी.)

58 जी.टी.सी., शिलांग, मेघालय

विशेष क्षेत्र खेलकूद

एजवाल, इम्फाल, अगरतला, नामची, नाहरलागुन और उटलोव

भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.)

दोमापुर इम्फाल, शिलांग, गोलाघाट और गुवाहाटी

उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.एक्स.)

उपरोक्त के अलावा, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं:

1. अखिल भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेंट
2. राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव
3. पूर्वोत्तर खेल उत्सव (केवल पूर्वोत्तर राज्य के लिए)
4. स्कूलों में खेलों का संवर्धन
5. खेल छात्रवृत्ति योजना।

पूर्वोत्तर खेल उत्सव योजना के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में पूर्वोत्तर क्षेत्र स्तरीय उत्सव आयोजित किए जाते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों 2002-03 से 2004-05 के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विविध खेल स्पर्धाओं में भारतीय खेल प्राधिकरण के विभिन्न केन्द्रों के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदकों की संख्या निम्नलिखित है:

राष्ट्रीय			अंतर्राष्ट्रीय		
स्वर्ण	रजत	कांस्य	स्वर्ण	रजत	कांस्य
661	432	470	37	12	26

(ग) वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कुल बजट आबंटन क्रमशः 29.51 करोड़ रुपये, 31.00 करोड़ रुपये और 36.11 करोड़ रुपये था।

(घ) भारतीय खेल प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलों के संवर्धन के लिए इम्फाल में क्षेत्रीय केन्द्र और गुवाहाटी में उप केन्द्र की स्थापना करके नई पहल की है। मंगोलियाई मूल की जनसंख्या के वंशानुगत लाभ को ध्यान में रखते हुए, इम्फाल और एजवाल में जूडो, मुक्केबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन, कराटे और ताईक्वांडों जैसे खेलों के लिए संपर्क खेल केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन राज्यों से तीरंदाजी में भी प्रतिभा की खोज की जाती है तथा प्रतिभाशाली युवाओं को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

लिखित परीक्षा में प्रतिभा प्रदर्शन

4172. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय, के निर्देशों का अनुपालन करते हुए, डी.ओ.पी.टी. ने नियम और विनियम बनाए हैं कि साक्षात्कार में प्रदर्शन की बजाय लिखित परीक्षा में प्रतिभा प्रदर्शन के स्थान पर व्यक्ति की भर्ती/चयन किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, रिक्रुटमेंट एण्ड असेसमेंट सेंटर-डी.आर.डी.ओ., भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अभ्यार्थियों की लिखित परीक्षा में प्रतिभा प्रदर्शन की उपेक्षा करने के क्या विशेष कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय का ऐसा कोई भी निदेश सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोई भी भर्ती/चयन, उसके लिए निर्धारित परीक्षा/चयन की प्रक्रिया के अनुसार की जानी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सुक्रालोज का नैदानिक परीक्षण

4173. **श्री रघुराज सिंह शाक्य:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका में बच्चों द्वारा सुक्रालोज का उपयोग किया जा रहा है किन्तु भारत में बच्चों को इसका उपभोग करने की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रतिबंध का नैदानिक परीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में किए गए नैदानिक परीक्षणों के क्या निष्कर्ष निकले?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) पीएफए नियमावली 1955, में कृत्रिम मधुरक

(स्वीटनर) के प्रयोग और बिक्री पर प्रतिबंध का प्रावधान है। इन नियमों के अंतर्गत ऐसे कृत्रिम मधुरकों (स्वीटनर) को नियमों के अधीन लेबल संबंधी अपेक्षाओं और निश्चित मात्रा में खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है जिसमें सुक्रालोज होता है। कृत्रिम मधुकर (स्वीटनर) वाले खाद्य पदार्थों (सुक्रालोज सहित) के प्रत्येक पैकेट पर अन्य बातों के साथ-साथ यह लेबल लगा होना चाहिए "बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं"।

लेबल संबंधी घोषणा "बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं" की सिफारिश कृत्रिम मधुरक (स्वीटनर) और टेबल टॉप मधुरक (स्वीटनर) वाले उत्पादों के लिए देश में बच्चों की पोषणिक स्थिति को ध्यान में रखने के पश्चात की गई थी। इस संबंध में कोई भी नैदानिक परीक्षण नहीं किया गया है।

क्रूज सेवाएं

4174. प्रो. एम. रामदास: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में क्रूज सेवाएं प्रचालित करने के लिए मैसर्स स्टार क्रूजेज को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सेवाओं की लागत और लाभ का विश्लेषण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने चेन्नई और पांडिचेरी पत्तनों तक इन सेवाओं को बढ़ाने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा मैसर्स स्टार क्रूजेज ऑव मलेशिया को मुंबई से लक्षद्वीप (कादमत द्वीप) तक तथा मुंबई से गोवा तक समुद्री यात्रा सेवाएं चलाने के लिये अनापत्ति दे दी गई है।

(ग) और (घ) सरकार ने कोई औपचारिक लागत-लाभ से संबंधित विश्लेषण नहीं किया है तथापि, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जहां तक भारतीय पत्तनों पर आने वाले अंतर राष्ट्रीय क्रूज लाइनरों का संबंध है, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति इसका लाभ, लागत से कहीं ज्यादा होगा। उपर्युक्त लाभों में, पत्तनों को होने वाली जलयान से संबंधित आय, समुद्री यात्रा-पर्यटकों द्वारा स्थानीय वस्तुओं की खरीद, हवाई कंपनियों, पर्यटक टैक्सियों, होटलों, जलपान-गृहों, बैंकों आदि द्वारा सुलभ करवाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की अंतर्देशीय सेवाओं का उपयोग शामिल है। जहां तक वित्तीय लागत का संबंध है, इसमें क्रूज टर्मिनलों के रख-रखाव तथा स्वागत कक्ष/आप्रवास सुविधाओं इत्यादि से संबंधित लागत के अलावा कोई अन्य लागत शामिल नहीं है।

(ङ) और (च) इस बारे में सरकार की किसी भी समुद्री यात्रा-कंपनी से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् में अनियमितताएं

4175. श्री अधीर चौधरी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को वर्ष 2001 से 2004 के दौरान भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष की भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और कार-गुजारियों के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों, दंत चिकित्सा एसोसिएशनों और अन्य से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या माननीय केरल उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के माध्यम से भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् और इसके अध्यक्ष के विरुद्ध उचित उपचारात्मक और दण्डात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) प्रश्नाधीन अवधि के दौरान भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के पूर्व अध्यक्ष के कार्यकरण के विरुद्ध विभिन्न वर्गों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं। केरल उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 25 मई, 2004 के फैसले में निदेश दिया था कि न्यामूर्ति अनिलदेव सिंह आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने और याचिकादाताओं और प्रतिवादियों को सुनने के बाद समुचित उपचारात्मक और दण्डात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में तदनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

उत्तरांचल में डाकघरों को बंद करना

4176. श्री बची सिंह रावत "बचदा": क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग ने उत्तरांचल में कतिपय डाकघरों को बंद करने और डाकियों के पदों में कमी करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तरांचल में बांघाट, पौड़ी गढ़वाल स्थित डाकघरों में डाकियों के अनेक पदों की समाप्त करने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) उत्तरांचल सहित देश में कहीं भी कतिपय डाकघरों को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि, दूरी संबंधी मानदण्डों को पूरा न करने वाले डाकघरों को जरूरतमंद, औचित्यसम्मत पाए गए क्षेत्रों में पुनर्स्थापित/विलयित करने का निर्णय लिया गया है। यह दसवीं योजना में नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाने के निर्देश के अनुरूप है। उत्तरांचल में पोस्टमेन के पदों की संख्या को कम करने का कोई विशेष निर्णय नहीं लिया गया। हालांकि, स्थापना संख्या में 2% की कटौती की सरकार की नीति के अनुसार कार्यभार के अनुसार औचित्य को ध्यान में रखते हुए पदों में कटौती की जा रही है।

(ग) और (घ) बांघाट, पौड़ी गढ़वाल में एक विभागीय पोस्टमैन और एक ग्रामीण डाक सेवक डाक वितरक के स्वीकृत पदों में से विभागीय पोस्टमैन के पद को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है क्योंकि यह पद कार्यभार के आधार पर औचित्यसम्मत नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में कोयला खानों का आधुनिकीकरण

4177. श्री शिशुपाल एन. पाटले:
प्रो. महादेव राव शिवनकर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में अनेक कोयला खानों को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र की कोयला खानों से कितने टन कोयला निकाला गया;

(घ) क्या उत्पादन घटा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) महाराष्ट्र के कोयला खानों के आधुनिकीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) कोयला भंडारों के समाप्त हो जाने के कारण वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू.सी.एल.) का विचार चंदा रैयतवाड़ी यू.जी. तथा चारगांव ओ.सी. खानों को बंद करने का है।

(ग) वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान महाराष्ट्र में कोयला खानों से डब्ल्यू.सी.एल. द्वारा उत्खनित की गई कोयले की मात्रा क्रमश: 32.91 मिलियन टन तथा 34.53 मिलियन टन थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) डब्ल्यू.सी.एल. ने मौजूदा भूमिगत खानों में, जहां भी स्थितियां अनुमति देती हैं, इंटरमीडिएट प्रौद्योगिकी जैसे साइड डिस्चार्ज लोडर्स (एस.डी.एल.) और लोड हॉल डम्पर्स (एल.एच.डी.) को उपयोग में लाए जाने को अंगीकृत किया है। इस प्रौद्योगिकी को योजनागत की जा रही गई भूमिगत खानों में भी उपयोग में लाए जाने का प्रस्ताव है। टांडसी यू.जी. खान में इसकी सफलता को देखते हुए, डब्ल्यू.सी.एल. कुछ और भूमिगत खानों में बृहत उत्पादन प्रौद्योगिकी को लागू किए जाने की संभावना की भी जांच कर रही है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सड़क निधि से पश्चिम बंगाल को स्वीकृत धनराशि

4178. श्री सनत कुमार मंडल: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सड़क निधि (सी आर एफ) से पश्चिम बंगाल को अभी तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान धनराशि से स्वीकृत किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है,

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार के पास कितने परियोजना प्रस्ताव लंबित हैं; और

(घ) इनकी शीघ्र स्वीकृति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) पश्चिम बंगाल राज्य

के लिए नवीकृत केन्द्रीय सड़क निधि (सी आर एफ) के अंतर्गत अब तक 188.89 करोड़ रु. के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत कार्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार से चार प्राक्कलन प्राप्त हुए हैं।

(घ) उपर्युक्त लंबित चारों प्राक्कलनों पर 2005-06 के दौरान धनराशि की उपलब्धता और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति के लिए विचार किया जाएगा।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत कार्यों के ब्यौरे

क्र.सं.	जिले का नाम	कार्य का नाम	कार्य सं. और स्वीकृति की तारीख	लंबाई कि.मी.	स्वीकृत राशि लाख रु.
वर्ष 2002-03 के दौरान					
			-कुछ नहीं-		
वर्ष 2003-04 के दौरान					
1.	नार्थ 24-परगना	नार्थ 24-परगना जिले में नमखाना-अमरावती सड़क (0 से 24.24 कि.मी.) का चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण	सीआरएफ/08/डब्ल्यूबी/03 28.7.2003	24.24	967.00
2.	मिदनापुर	कोन्ताई-बेलदा सड़क (एसएच-5) को केएमपी 20 (तेजपुर) से केएमपी 38 (कासमोली) तक चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण	सीआरएफ/09/डब्ल्यूबी/03 28.7.2003	18.00	1501.00
3.	साउथ 24-परगना	कोलकाता पत्तन न्यास क्षेत्र के समीप जल निकासी व्यवस्था के सुधार के साथ विभिन्न सड़कों का सुधार और सुदृढ़ीकरण	सीआरएफ/10/डब्ल्यूबी/03 26.12.2003	19.00	1113.00
			उप जोड़	61.24	3581.00
वर्ष 2004-05 के दौरान					
4.	हुगली	विकेन्द्रीयकृत रा.रा.-2 के 611 से 644 कि.मी. तक के शेष खंड का सुदृढ़ीकरण	सीआरएफ/11/डब्ल्यूबी/03 23.9.2004	25.20	1110.00
5.	साउथ 24-परगना परगना	बज-बज ट्रंक रोड का सुधार और सुदृढ़ीकरण	सीआरएफ/12/डब्ल्यूबी/04 23.9.2004	13.00	1543.00
6.	नार्थ 24-परगना	सोदेपुर-मध्यमग्राम (0/00 से 9/6 कि.मी.) सड़क का चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण	सीआरएफ/13/डब्ल्यूबी/04 4.11.2004	8.86	1030.73
			उप जोड़	47.06	3683.73

स्मारक डाक टिकट को वापस लेना

4179. श्री सुग्रीव सिंह: क्या संचार और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग ने गुरु ग्रंथ साहिब के 400 वर्ष पूरा होने के अवसर पर जारी की गई स्मारक डाक टिकट को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने डाक टिकट जारी करने पर विचार करने से पूर्व एस जी पी सी ने इस मुद्दे पर चर्चा भी की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब के 400 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सम्मानार्थ एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव है, जिसे अभी जारी किया जाना है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) एसजीपीसी डाक टिकट के प्रस्तावकों में से एक है और उन्हें प्रस्तावित डाक टिकट के जारी करने के संबंध में जानकारी है।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) में कथित अनियमितताएं

4180. श्री दरोगा प्रसाद सरोज: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने राष्ट्रीय सूचना केन्द्र में कथित अनियमितताओं के बारे में अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वी-सेट की खरीद में अनियमितताओं का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो इसमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ङ) इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

रेत/खनिज खनन में निजी भागीदारी

4181. श्री ए. वी. वेल्लारमिन:
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:
डा. के. एस. मनोज:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास केरल सरकार का अलपुजा के समुद्र तट के आसपास खनिज रेत खनन का कोई प्रसताव स्वीकृति हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को तमिलनाडु में विशेषकर कन्याकुमारी जिले में समुद्र तट के आसपास खनिज भंडार की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो इन खनिजों के खनन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त रेत/खनिज खनन के काम में निजी पार्टियों को शामिल करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) उक्त खनन कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां। अलपुजा जिले के अराट्टुपुजा गांव में विभिन्न

सर्वेक्षण संख्या के स्थलों पर पुलिन बालुका के खनन हेतु पट्टा देने के संबंध में केरल सरकार से 9.3.2005 को प्राप्त छः प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास पूर्वानुमोदन हेतु लम्बित पड़े हैं।

(ख) ये प्रस्ताव खान मंत्रालय के विचाराधीन हैं और इनका निपटान खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 ओर उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा। तथापि, इन प्रस्तावों के निपटान के लिए कोई निश्चित समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

(ग) जी, हां।

(घ) परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा 6.10.1998 को एक पुलिन बालुका खनिज नीति जिसके अंतर्गत इल्मेनाइट, रूटाइल और जर्कन जैसे विहित पदार्थों के खनन के लिए भी निजी पार्टियों हेतु समूचे पुलिन बालुका खनिज क्षेत्र को नियंत्रित रूप से खोलने का प्रावधान किया गया है, की घोषणा करने तक निजी उद्यमी समुद्र तटों के पास में गार्नेट का खनन कर रहे थे। इस नीति की घोषणा करने तक केवल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ही इल्मेनाइट, रूटाइल और जर्कन का खनन करने की अनुमति थी।

(ङ) जी, हां।

(च) निजी उद्यमी जैसेकि मैसर्स वी. वी. मिनरल्स, मैसर्स बीच् मिनरल्स (सैंड्स) कंपनी और मैसर्स बीच् मिनरल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पुलिन बालुका के खनन-कार्य में जुटे हुए हैं।

(छ) तमिलनाडु में तटीय क्षेत्र के समीप खनन-कार्य पहले से ही किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

कम्प्यूटर शिक्षा

4182. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आजकल कम्प्यूटर रोजगार का एक बड़ा साधन बन गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गरीब और कमजोर वर्गों के शिक्षित और बेरोजगार युवकों को गुणवत्तापरक कम्प्यूटर शिक्षा देने हेतु कोई कार्यक्रम चला रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्यवार क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक एक योजना बनाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी संघ (नैसकॉम) के अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2007-08 के अंत तक सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा (आईटीईएस) के विशेषज्ञों की मांग 20 लाख से अधिक होने का अनुमान है।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान किया जाता है:

(1) डीओईएसीसी सोसायटी अनौपचारिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी में बढ़िया क्वालिटी की जनशक्ति तैयार करने की एक योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत चार स्तर के पाठ्यक्रम अर्थात् 'ओ', 'ए', 'बी' तथा 'सी' स्तर के पाठ्यक्रम पूरे देश में स्थित इसके केन्द्रों तथा प्राधिकृत संस्थानों के माध्यम से चलाए जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला तथा शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए जनवरी, 2003 की परीक्षाओं से अध्येतावृत्ति की योजना है।

(2) डीओईएसीसी सोसायटी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सहयोग से आईटीईएस-व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ) पाठ्यक्रम चला रही है। यह पाठ्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित डीओईएसीसी केन्द्रों में चलाया जाता है। इसी प्रकार का एक पाठ्यक्रम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जम्मू तथा कश्मीर में भी चलाया जा रहा है। ये पाठ्यक्रम अनुमानित लागत से कम दरों पर चलाए जाते हैं।

(3) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) पूर्वोत्तर राज्यों में सामुदायिक सूचना केन्द्रों के माध्यम से कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम में अनुमानित लागत से कम दरों पर विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इस पाठ्यक्रम के लिए अब तक 2003 सामुदायिक सूचना केन्द्रों को सक्रिय बनाया गया है।

(4) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई)/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों (आईटीसी) के माध्यम से चलाए जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत दस्तकार प्रशिक्षण

योजना (सीटीएस) के पाठ्यक्रम कम्प्यूटर से संबंधित विषयों पर चलाए जाते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रशिक्षार्थियों से कोई फीस नहीं ली जाती है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली अप्रेंटिसशिप योजना में भी कम्प्यूटर से संबंधित तीन ट्रेड शामिल हैं।

[अनुवाद]

स्कूल/कालेजों में इंटरनेट कनेक्शन

4183. श्री जी. वी. हर्षकुमार: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रत्येक जिले में कई स्कूलों और कालेजों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो स्कूलों और कालेजों में इसे कब तक उपलब्ध कराया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) प्रत्येक जिले के स्कूलों तथा कालेजों को उच्च गति इंटरनेट सम्पर्क प्रदान करने के लिए इस समय सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन, अर्नेट इंडिया नामक संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था देश के शैक्षिक संस्थानों, स्कूलों तथा कालेजों को आपस में जोड़ने तथा आपस में सम्पर्क प्रदान करने के लिए एक अद्यतन तकनीकी जानकारी का देशव्यापी शिक्षण अनुसंधान नेटवर्क चलाती है। यह सम्पर्क स्कूल तथा कालेज सहित ऐसे संस्थानों को उपलब्ध कराया जाता है जो इसके लिए अनुरोध करते हैं तथा बैण्डविड्थ प्रभार का भुगतान करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी आईसीटी स्कूल नामक एक नई योजना वर्ष 2004-05 के दौरान शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को विद्यार्थियों के कम्प्यूटर शिक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। मानदण्डों के अनुसार, सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रति स्कूल 30,000 रुपए की राशि इंटरनेट सम्पर्क के लिए प्रदान की जाती है तथा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अनुरक्षण आदि जैसे अन्य समर्थन भी दिए जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेटवर्क स्रोत केन्द्र (यूजीसी-एनआरसी) योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दसवीं योजना के दौरान 2943 कालेजों को कम्प्यूटर तथा इंटरनेट सम्पर्क के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

सरकारी कर्मचारी/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी की आय

4184. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में जारी किए गए वर्ल्ड बैंक पालिसी रिचर्स वर्किंग पेपर-अप्रैल, 2005 से यह पता चला है कि भारत में एक सरकारी कर्मचारी/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी की औसत आय निजी क्षेत्र के कर्मचारी की आय से 102 प्रतिशत और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी की आय से 259 प्रतिशत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस प्रकार की वेतन असमानता सर्वाधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (घ) "भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच वेतन में अन्तर" पर विश्व बैंक के दस्तावेज (पेपर) से पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बढ़त (प्रीमियम) निजी औपचारिक क्षेत्र से 62 प्रतिशत और 102 प्रतिशत के बीच और अनौपचारिक अनियत क्षेत्र से 164 प्रतिशत से 259 प्रतिशत के बीच है। उक्त दस्तावेज में यह भी बताया गया है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के और निजी औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच वेतन में अन्तर सर्वाधिक है। आय में अन्तर किसी कर्मचारी के अनुभव, शिक्षा एवं कौशल के स्तर तथा विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों की मांग और पूर्ति की स्थितियों पर निर्भर करता है।

एक्सेस डेफिसिट चार्ज (ए डी सी) का भुगतान

4185. श्री कीर्तिवर्धन सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी टेलीकाम ऑपरेटर बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. को एक्सेस डेफिसिट चार्ज का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये चार्ज उन प्रयोक्ताओं पर लगाए जाते हैं जो उसके अंतिम प्रयोक्ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसा करना जनता पर उसी सेवा हेतु दोहरा कर लगाने के समान है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 6 जनवरी, 2005 के मौजूदा इंटर कनैक्शन उपयोग प्रभार (आईयूसी) व्यवस्था के अनुसार, फिक्सड वायरलैस टर्मिनलों सहित फिक्स्ड लाइन से की जाने वाली कॉलों के लिए भारत संचार निगम लि. को अभिगम घाटा प्रभार (एडीसी) का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। निजी दूरसंचार प्रचालकों से बीएसएनएल को वित्त पोषित करने वाला अभिगम घाटा प्रभार, मोबाइल नेटवर्क से की जाने वाली सभी कॉलों से आता है। सभी इनकमिंग अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी (आईएलडी) कॉलों से भी अनुमत्य एडीसी, का भुगतान अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा प्रदाताओं के द्वारा बीएसएनएल को करना होता है। तथापि, अन्तरा सर्किल मोबाइल से मोबाइल को की जाने वाली कॉलों पर कोई एडीसी लागू नहीं है।

इसके अलावा, किसी भी निजी दूरसंचार प्रचालक द्वारा महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) को एडीसी का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है।

(ख) अंत्य प्रयोगकर्त्ता (एण्ड यूजर) पर हमेशा अनिवार्यत: एडीसी का भार नहीं लादा जाता है क्योंकि दूरसंचार टैरिफ के संबंध में हस्तक्षेप (फिक्स्ड सेवाओं के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर) नहीं किया जाता तथा सेवा प्रदाता प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के अनुकूल अपने टेरिफ निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। एडीसी व्यवस्था 1.5.2003 से लागू की गई है और एडीएसी की प्रति मिनट दर लगातार घटती रहती है। यह भी सत्य है कि अंत्य प्रयोगकर्ताओं को, आईयूसी/एडीसी व्यवस्था के कार्यान्वयन से पहले भुगतान की जाने वाली दरों की तुलना में, अब बहुत कम टैरिफ का भुगतान करना पड़ता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

इच्छा मृत्यु को वैध करार देना

4186. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में इच्छा मृत्यु को वैध करार देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस प्रयोजनार्थ कोई कानून कब बनाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उच्च प्राथमिकता वाले राजमार्ग

4187. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार कई राज्यों में उच्च प्राथमिकता वाले राजमार्गों का वित्त पोषण कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा वित्त पोषित उच्च प्राथमिकता वाले राजमार्गों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) यह मंत्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिम्मेदार है। अन्य सभी सड़कों के विकास के लिए संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार होती हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य यातायात की मात्रा, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में किया जाता है। राजमार्गों का उच्च प्राथमिकता वाले राजमार्गों के रूप में कोई वर्गीकरण नहीं है।

[हिन्दी]

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र लगाना

4188. **श्री श्रीचन्द्र कृपलानी:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन.एल.सी.) और राजस्थान सरकार ने एक लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र लगाने हेतु वर्ष 2002 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या एन.एल.सी. अभी भी उक्त विद्युत संयंत्र को लगाने की इच्छुक है;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) संयंत्र कब तक और किस स्थान पर लगाए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) 2 × 125 मे.वा. लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना को स्थापित करने के लिए नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन.एल.सी.) के प्रस्ताव को भारत सरकार ने दिसम्बर, 2004 में स्वीकृति दी थी और कार्यान्वयन कार्यक्रमानुसार प्रगति पर है। परियोजना में कोई विलंब नहीं हुआ है।

(घ) प्रथम और द्वितीय यूनिटों को क्रमशः दिसम्बर, 2008 तथा जून, 2009 में चालू किया जाएगा। विद्युत संयंत्र को राजस्थान के बीकानेर जिले में बरसिंगसर गांव में स्थापित किया जा रहा है।

सी.जी.एच.एस. औषधालयों के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

4189. श्री अजीत जोगी:
श्री चंद्रशेखर साहू:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्री सुधांशु सील:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लगभग 210 सांसद/व्यक्तिक स्टाफ सी.जी.एच.एस. के एलोपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालय, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं;

(ख) क्या वहां के डाक्टर और पराचिकित्सक स्टाफ आदतन देर से आते हैं और इसके फलस्वरूप इंडेंट दवाइयों के वितरण में विलम्ब होता है;

(ग) क्या औषधालयों के कर्मियों द्वारा सी.जी.एस.एस. के लाभार्थियों के साथ प्रायः अभद्र व्यवहार करने की घटनाओं का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान और आज तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दिल्ली के विभिन्न अन्य सी.जी.एच.एस. औषधालयों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान औषधालयवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) औषधालयों के कर्मचारियों को और अधिक अनुशासित और रोगी हितैषी बनाने हेतु क्या उपाय करने पर विचार किया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, हां। नार्थ एवेन्यू के सी जी एच एस एलोपैथिक औषधालय के साथ 210 सांसद संबद्ध हैं।

(ख) कुल मिलाकर उपर्युक्त औषधालय के अधिकतर डाक्टर तथा स्टाफ अपने कर्तव्यों का समय से निर्वाह करते हैं।

(ग) और (घ) विगत दो वर्षों के दौरान सी सी एच एस औषधालय, नार्थ एवेन्यू के डाक्टर तथा पराचिकित्सा स्टाफ के विरुद्ध प्राप्त अशिष्ट व्यवहार की शिकायतों की संख्या इस प्रकार है:

1.	डाक्टर	4 शिकायतें
2.	फार्मासिस्ट	2 शिकायतें
3.	ए एन एम	1 शिकायत
4.	एल डी सी	1 शिकायत

(ङ) और (च) सी जी एच एस दिल्ली के अधीन अन्य औषधालयों के डाक्टरों/स्टाफ के विरुद्ध विगत दो वर्षों में प्राप्त बारह (12) शिकायतों का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	औषधालय का नाम	शिकायत की संख्या
1.	किदवई नगर	1
2.	चांदनी चौक	1
3.	सरोजिनी नगर मार्किट	1
4.	रोहिणी	1
5.	नार्थ एवेन्यू	1
6.	सादिक नगर	1
7.	सुंदर विहार	2
8.	चाणक्यपुरी	1
9.	चित्रगुप्त रोड	1
10.	मालवीय नगर	1
11.	जे.एन.यू.	1

उपर्युक्त के अलावा, अशिष्ट व्यवहार की एक शिकायत मैसर्स केन्द्रीय भण्डार, भगवान दास रोड के विरुद्ध मिली है जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अधीन कुछ औषधालयों को स्थानीय खरीद वाली इंडेंट औषधों की आपूर्ति करता है।

(छ) डाक्टरों तथा स्टाफ की समयनिष्ठा तथा व्यवहार इत्यादि की मानीटरिंग सहित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के कार्यकरण के संबंध में मानीटरिंग करने, पर्यवेक्षण करने तथा मार्गदर्शन देने के लिए आंचलिक अपर निदेशकों, अपर निदेशक (मुख्यालय) तथा निदेशक (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना) द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के जरिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए एक अन्तरनिर्मित तंत्र मौजूद है। लाभार्थियों की शिकायतों की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, आंचलिक स्तर तथा मुख्यालय स्तर पर नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है। अधिकारियों की समयनिष्ठा तथा व्यवहार में सुधार लाने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश भी दिए जाते हैं।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के कार्यकरण की मानीटरिंग करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के वरिष्ठ अधिकारियों वाले आठ विशेष निरीक्षण दलों को गठित किया गया है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोशिएशन के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं।

सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को अधिक प्रयोक्ता-अनुकूल बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु श्री पी.के. कौल, पूर्व मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति भी गठित की है।

[अनुवाद]

मुरगांव पत्तन-न्यास में रिक्तियों को भरना

4190. श्री अलीमाऊ चर्चीलः क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुरगांव पत्तन न्यास का विचार सीधी भर्ती के आधार पर 132 रिक्त पदों को भरने का है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये पद काफी लम्बे समय से रिक्त पड़े हुए हैं;

(घ) यदि हां तो उन्हें न भरने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त भर्ती कब तक किए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) सिविलियन पदों की सीधी भर्ती को इष्टतम बनाए जाने के बारे में सरकार की इस नीति के अनुसार कि कोई संगठन अपने संस्वीकृत पदों की संख्या की 1 प्रतिशत तक रिक्तियां भरने की शर्त पर, किसी वर्ष के दौरान होने वाली एक तिहाई रिक्तियां भर सकता है, मुरगांव-पत्तन-न्यास ने श्रेणी-II, III और IV में 132 पदों का भरा जाना प्रस्तावित किया है। इन 132 पदों में से, सरकार ने मुरगांव पत्तन-न्यास को विभिन्न श्रेणियों में 50 पदों को सीधी भर्ती से भरने की अनुमति दे दी है। शेष 82 पदों के संबंध में, उपर्युक्त पत्तन को स्थिति की समीक्षा करने तथा इन पदों को भरने की दृष्टि से अपने मौजूदा कार्मिकों की फिर से तैनाती किए जाने की संभावना तलाशने की सलाह दी गई है।

(ग) ये रिक्तियां, वर्ष 2001-2002, वर्ष 2002-2003, वर्ष 2003-2004 और वर्ष 2004-2005 के दौरान हुई हैं।

(घ) इस मंत्रालय द्वारा अपनाई गई सीधी भर्ती को इष्टतम बनाने की नीति के अनुसार, सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के प्रस्ताव, इस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए जाने हैं। श्रेणी-I के 3 पदों के संबंध में मुरगांव-पत्तन-न्यास का प्रस्ताव, अगस्त, 2004 में प्राप्त हुआ था और उपर्युक्त प्रस्ताव को जनवरी, 2005 में अनुमोदित कर दिया गया। श्रेणी-I से इतर 132 पदों के संबंध में मुरगांव पत्तन-न्यास का प्रस्ताव, मार्च, 2005 के दौरान प्राप्त हुआ था और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्ततः 50 पदों के संबंध में उपर्युक्त प्रस्ताव, अगस्त, 2005 में अनुमोदित कर दिया गया।

(ङ) उपर्युक्त पत्तन द्वारा उपर्युक्त 50 पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की कार्रवाई पहले ही आरंभ कर दी गई है।

बैकलॉग आरक्षण

4191. श्री पी.सी. थामसः क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पत्तनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति और प्रोन्नति हेतु विशेष भर्ती अभियान के बारे में बैकलॉग आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर आदेश जारी करने की अंतिम तारीख 16.5.2005 थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी पत्तनों में इसका अनुपालन किया गया है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कोचीन-पत्तन ने आरक्षण की बकाया रिक्तियों को अभी तक नहीं भरा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) सरकार के दिनांक 5.8.2004 के अनुदेशों के अनुसार विभिन्न संगठनों को, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों की बकाया चली आ रहीं रिक्तियों भरने की दृष्टि से विशेष भर्ती-अभियान के अंतर्गत, 16.5.2005 तक, चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्ति की पेशकश जारी करनी है। तद्नुसार, सभी महापत्तन-न्यासों को, बकाया चले आ रहे ऐसे रिक्त पदों का पता लगाने और उन्हें भरने की प्रक्रिया आरंभ करने के अनुदेश जारी कर दिए गए। महापत्तन-न्यासों ने सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों से संबंधित ऐसी आरक्षित बकाया चली आ रही रिक्तियों का पता लगा लिया है और उन्हें भरने के कदम उठाने आरंभ कर दिए हैं। सभी महापत्तन-न्यासों द्वारा पत्तनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित बकाया चली आ रही रिक्तियां भरने के प्रयास किए गए/किए जाते हैं।

(ङ) और (च) कोचीन-पत्तन-न्यास में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों से संबंधित अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 15 पदों की रिक्तियां ओर अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित 14 पदों की रिक्तियां बकाया चली आ रही हैं। इन रिक्तियों में से अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 4 पदों की रिक्तियां और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित 5 पदों की रिक्तियां भरी जा चुकी। जहां तक अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित शेष 11 पदों की रिक्तियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित 9 पदों की रिक्तियों को भरे जाने का संबंध है, उपर्युक्त पत्तन द्वारा इन्हें भरने हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए हैं। पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की रिक्तियों के संबंध में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 14 पदों की रिक्तियां बकाया चली आ रही हैं। ये रिक्त पद, संभरक ग्रेडों में योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाने के कारण नहीं भरे जा सके। इसके अतिरिक्त, भर्ती-नियमों में ऐसी रिक्तियां, भर्ती की किसी अन्य रीति से भरे जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। पदोन्नति से भरने जाने वाले पदों में, अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित पदों से संबंधित कोई भी रिक्ति बकाया नहीं चली आ रही है।

(छ) इस मसले पर बैठकें करके और पत्तन-न्यासों से नियमित रूप से रिपोर्टें हासिल करके लगातार नजर रखी जा रही है।

[हिन्दी]

बी.सी.सी.एल. में फर्जी नियुक्तियां

4192. श्री सुशिल कुमार महतो:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.सी.सी.एल. में फर्जी नियुक्तियां की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) कोल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त सूचना के अनुसार, अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियों तथा भू-वंचितों, जिनकी भूमि का अधिगृहीत कर लिया गया है, दोनों मामलों में राज्य प्राधिकारियों द्वारा किए गए आश्रितों को पहचान सहित निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करने पश्चात नियुक्तियां की जाती हैं। अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन भी किया जाता है। तथापि, उपर्युक्त के बावजूद यदि जिला प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्रतिकूल सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो मामले की जांच-पड़ताल की जाती है। अगर शिकायत सही पायी जाती है तो अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है जिसके अंतर्गत उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सतर्कता विभाग ने प्रतिरूपण के तीन मामलों का पता लगाया है जिन्हें कंपनी की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इन मामलें के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कोलियरी	बर्खास्तगी की तारीख
1.	श्रीमती जयमाला देवी	पी.आर. वैगन लोडर	मूडीडीह	8.1.2000
2.	श्री एतवारी महतो	फिटर	अलकुसा	8.2.2002
3.	श्री किस्तो पाड़ा करमकर	पिट लोडर	धनसर	15.5.2004

[अनुवाद]

भ्रष्ट अधिकारियों को दंड

4193. श्री हितेन बर्मन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.वी.सी. द्वारा अभी भी 5,000 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) सरकारी अधिकारियों पर शास्ति उनके नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा ही लगाई जा सकती है।

(ग) भ्रष्टाचार को दूर करने तथा प्रशासनिक काम-काज में सुधार लाने के अनुक्रम में पहले ही अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण कदम—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियमित करना और व्हिसल ब्लोअॅर्स रेजॉल्यूशन, 2004 को अधिसूचित करना; सतर्कता के संबंध में वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से मंत्रालय/विभाग का सकारात्मक सक्रिय जुड़ाव; केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निविदा और संविदा से संबद्ध प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के संबंध में व्यापक अनुदेशों का जारी किया जाना; केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम को अधिनियमित किया जाना और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अपने भ्रष्टाचार निरोधी काम-काज का निर्वाह प्रभावशाली-कारगर ढंग से करने के कम से उसे सशक्त बनाया जाना; सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का बढ़ा हुआ प्रयोग, नागरिक चार्टरों का चलन शुरू करना तथा प्रक्रियाओं और पद्धतियों का सरलीकरण करना इत्यादि है।

खनन परियोजना हेतु भूमि अर्जन

4194. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड:
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) कंपनी ने अपनी अमादंड ओपन कास्ट माइन परियोजना हेतु मनमाने ढंग से आदिवासी बहुल कोटमा गांव सहित मध्य प्रदेश के तीन गांवों की भूमि अधिग्रहीत कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु कि कोल इंडिया लिमिटेड और राज्य सरकार द्वारा आदिवासी लोगों के अधिकारों का शोषण न किया जा सके, क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सी.आई.एल. ने भूमि अधिग्रहीत करने के एवज में किसानों को मुआवजा देने हेतु उनके साथ करार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, नहीं। कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार, कोटमा गांव में अमादण्ड ओ.सी.पी. के लिए भूमि का अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (भूमि अधिग्रहण अधिनियम) और कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 (सी.बी.ए. अधिनियम) में निर्धारित प्रक्रियाओं का उचित रूप में अनुपालन करके, किया गया है।

सात गांवों के अंतर्गत शामिल 3407.403 हेक्टेयर के क्षेत्र के खनन अधिकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 22.2.1997 के एस.ओ. 495 के तहत राजपत्र की अधिसूचना के माध्यम से सी.बी.ए. अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिप्राप्त किया गया था।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार की सिफारिश के आधार पर, सी.बी.ए. अधिनियम के अंतर्गत पहले से अधिप्राप्त खनन अधिकार पर की सतही भूमि को समाहर्ता/भूमि अधीग्रहण अधिकारी, अनूपपुर, मध्य प्रदेश ने दिनांक 28.5.2005 को राज्य सरकार के राजकीय राजपत्र में प्रकाशित एल.ए. अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना के माध्यम से अधिप्राप्त किया था। एस.ई.सी.एल. के लिए तैयार किया जाने वाला अधिग्रहीत भूमि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	गांव	अधिप्राप्त क्षेत्र (सतही अधिकार)
1.	निमहा	362.219 हैक्टेयर
2.	अमादण्ड	229.850 हैक्टेयर
3.	कुहका	107.870 हैक्टेयर
	जोड़	699.939 हैक्टेयर

समाहर्ता, जो अधिग्रहीत भूमि हेतु मुआवजे के आकलन तथा भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकारी हैं, ने प्रथम चरण में तात्कालिकता के अनुसार कुल 699.939 हैक्टेयर भूमि में से 205.322 हैक्टेयर भूमि हेतु आंशिक निर्णय दिया और शेष क्षेत्र का आकलन प्रगति पर है। एस.ई.सी.एल. ने 205.322 हैक्टेयर भूमि के एवज में भुगतान हेतु दिनांक 20.12.2004 को 2.77 करोड़ रु. समाहर्ता, अनूपपुर को जमा करवाए। परन्तु भू-स्वामी मुआवजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं और मानदंडों से हटकर रोजगार की मांग कर रहे हैं। तथापि, 22 भू-स्वामियों ने 18.8.2005 को मुआवजा प्राप्त कर लिया है।

(ग) मुआवजे का भुगतान जिले के समाहर्ता/भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा किया जाता है और जनजातीय भू-स्वामियों सहित भू-स्वामियों की आजीविका की सुरक्षा के लिए उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे का निर्णय करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र और स्थापित प्रणाली है।

(घ) एस.ई.सी.एल. द्वारा किसानों के साथ कोई करार नहीं किया गया है।

(ङ) (घ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

बड़े पत्तन-न्यासों का पुनर्गठन

4195. श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कुछ और बड़े पत्तन-न्यासों का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक किन-किन बड़े पत्तन-न्यासों का पुनर्गठन किया गया है;

(ग) क्या मंगालौर पत्तन-न्यास का पुनर्गठन किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) महापत्तन-न्यास-अधिनियम, 1963 के अनुसार नियंत्रित 11 महापत्तन-न्यास हैं अर्थात् कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, चेन्नई, कोचीन, नवमंगलूर, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मुरगांव और कांडला-पत्तन-न्यास। इन 11 महापत्तनों के. महापत्तन-न्यास-अधिनियम, 1963 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार गठित न्यासी-बोर्ड हैं। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम, कांडला, मुरगांव और पारादीप पत्तनों के न्यासी-बोर्ड, 1.4.2004 से 31.3.2006 तक की अवधि के लिए पुनर्गठित कर दिए गए हैं। 1.4.2005 से 31.3.2007 तक की अवधि के लिए पुनर्गठित किए जाने वाले जवाहरलाल नेहरू, तूतीकोरिन और नवमंगलूर पत्तनों के न्यासी-बोर्ड, पहले ही पुनर्गठित कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

पत्रों का उत्तर देना

4196. श्री ब्रजेश पाठक: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारें संसद सदस्यों द्वारा लिखे गए पत्रों का उत्तर देने हेतु केन्द्रीय सचिवालय प्रक्रिया नियम पुस्तिका के पैरा-122 के निदेशों के उपबंधों के अंतर्गत नहीं आती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त निदेशों के अंतर्गत राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका के 12वें संस्करण में पैरा 63, 66 एवं 127 में संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के उत्तर देने की पद्धतियां निर्धारित की गई हैं। इस नियम-पुस्तिका में निहित दिशा-निर्देश केवल भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों पर ही लागू होते हैं। तथापि, संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के उत्तर देने संबंधी प्रावधान राज्य सरकारों को समय-समय पर परिचालित किए गए हैं ताकि वे उचित दिशा-निर्देशों/निदेशों को बना कर उन्हें जारी करें।

(ग) नहीं, महोदय।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अस्पतालों में सिम्पटमैटिक/आपूर्धियमिस्टिक दवाइयों की अनुपलब्धता

4197. डा. के.एस. मनोज: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सरकारी अस्पतालों में क्षयरोग को छोड़कर सिम्पटमैटिक और आपूर्चियनिस्टिक संक्रमण की दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन सभी सरकारी अस्पतालों में उक्त दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) जहां तक दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, लाक्षणिक तथा समयानुवर्ती संक्रमण के लिए समुचित मात्रा में औषधें उपलब्ध हैं तथा ऐसे रोगियों का उपचार उनकी आवश्यकतानुसार अंतरंग तथा बहिरंग में किया जाता है।

लाक्षणिक तथा समयानुवर्ती संक्रमण वाली औषधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-2 के अंतर्गत, नाको इन औषधों की खरीद हेतु देश के प्रत्येक सरकारी मेडिकल कालेज तथा जिला अस्पताल के लिए राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों के माध्यम से 1.0 लाख रुपये की राशि प्रदान करता है।

सी.जी.एच.एस. औषधालयों द्वारा बिलों का निपटारा न किया जाना

4198. **श्री एम. अप्पादुराई:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दवाइयों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों ने पिछले वर्षों से अपने करोड़ों रुपये के बिलों का सी.जी.एच.एस. औषधालयों द्वारा निपटारा न किये जाने के कारण इन औषधालयों को दवाओं की आपूर्ति बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बिलों का निपटारा न करने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्रवाही की गयी है;

(घ) क्या सरकार के पास सभी सी.जी.एच.एस. अस्पतालों में दवाइयों की दुकानें खोलने का कोई प्रस्ताव है ताकि निजी दवाई आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता से बचा जा सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्टों के बिलों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर धन की उपलब्धता के अनुसार क्लीयर किया जाता है। कभी-कभार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आस-पास धन की कमी के कारण सी जी एच एस द्वारा प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्टों के बिलों का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त धन की मांग की जाती है।

(ग) सी जी एच एस औषधालयों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं। तथापि, विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई कोई भी औषध और औषधालयों में अनुपलब्ध औषध वैयक्तिक प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट से लाभार्थी को उपलब्ध कराई जाती है। जिन सी जी एच एस औषधालयों के साथ प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट संबद्ध नहीं है उनके सी जी एच एस लाभार्थी (पेंशनर लाभार्थी सहित) खुले बाजार से दवाइयां खरीद सकते हैं जिसकी प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाती है।

सरकार द्वारा 504 स्वामित्व वाली औषधों के संबंध में एम एस ओ/सी जी एच एस के लिए पहले ही एक तदर्थ फार्मूलरी अनुमोदित की गई है। फार्मूलरी के अनुसार सी जी एच एस के लिए दवाइयों के प्रापण हेतु कार्यवाही शुरू की गई है। परिणामस्वरूप, सी जी एच एस औषधालयों में औषधों की उपलब्धता में और अधिक सुधार होने की आशा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

अंतरिक्ष कार्यक्रमों में रूस के साथ समझौता

4199. **श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अगले वर्ष 'ग्लोबल नेविगेशनल प्रणाली' के लिए रूसी उपग्रह के प्रक्षेपण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में रूसी सरकार के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मानव सहित उड़ानों सहित भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और नये उपग्रहों के संयुक्त निर्माण में रूस द्वारा भाग लिये जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में रूस के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) आगामी वर्षों में ग्लोबल नौवहन प्रणाली के लिए रूसी उपग्रहों के प्रमोचन हेतु रूसी अंतरिक्ष एजेंसी से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) से (च) भारत सरकर और रूसी संघ की सरकार ने दिसम्बर 3, 2004 को दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे मनवयुक्त उड़ानों तथा नए उपग्रहों के संयुक्त निर्माण सहित बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगों के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने की संभावनाओं का रास्ता खुला है।

अंतरिक्ष यानों का वाणिज्यिक प्रक्षेपण

4200. श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष यानों के वाणिज्यिक प्रक्षेपण के लिए योजना तैयार की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी देश के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) इसरो का वाणिज्यिक अंग, एन्ट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (ए.सी.एल.) वाणिज्यिक आधार पर भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) तथा भू-तुल्यकारी उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) का उपयोग करते हुए प्रमोचन सेवाओं का विपणन करता है। अब तक पी.एस.एल.वी. द्वारा जर्मनी के दो उपग्रहों (1999 और 2001 में) तथा कोरियाई गणराज्य के (1999 में) और बेल्जियम के (2001 में) एक-एक उपग्रह का वाणिज्यिक रूप में प्रमोचन किया गया है।

(ग) इस समय पी.एस.एल.वी. के उपयोग द्वारा विदेशी उपग्रहों के प्रमोचन हेतु तीन करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(घ) * 2005-06 के दौरान एक सूक्ष्म उपग्रह के प्रमोचन हेतु ए.सी.एल. और लापान, इण्डोनेशिया के बीच करार।

* 2006-07 के दौरान इटली के लिए 350 कि.ग्रा. भार के एजाइल उपग्रह के प्रमोचन हेतु ए.सी.एल. और कॉस्मॉस इंटरनेशनल, जर्मनी के बीच करार।

* 2006-07 के दौरान एक सूक्ष्म उपग्रह के प्रमोचन हेतु ए.सी.एल. और नान्यांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सिंगापुर के बीच करार।

राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान का वार्षिक बजट

4201. श्री एम. शिवन्ना: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर का राष्ट्रीय बजट कितना है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार उक्त बजट में समान रूप से अंशदान करती है;

(ग) यदि नहीं, तो राजस्थान से बी.ए.एम.एस. उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए संस्थान के एम.डी.(आयुर्वेद)पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का क्या औचित्य है;

(घ) राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए और एम.डी. (आयुर्वेद) के विद्यार्थियों के लिए 'अध्येतावृत्ति' शीर्ष के अंतर्गत अलग-अलग कितना वार्षिक व्यय किया गया; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में पायी गयी विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) संस्थान का वार्षिक बजट 2005-06 है

योजनेतर-610.00 लाख रु.

योजना- 500.00 लाख रु.।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) राजस्थान सरकार वार्षिक रूप से 13.68 लाख रु. का योजनेतर अनुदान प्रदान करती है। यह धनराशि संस्थान द्वारा वार्षिक रूप से खर्च किए गए व्यय का द्योतक है, जब राष्ट्रीय

आयुर्वेद संस्थान (एन आई ए) जयपुर की स्थापनार्थ भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया था।

संस्थान की स्थापना के समय, राजस्थान सरकार ने भवनों, उपस्करों और औजारों के साथ लगभग 12 एकड़ रकबा वाला भूखंड परिसर नि:शुल्क प्रदान किया था। इस तरह का आरक्षण प्रावधान आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईपीजीटीआरए) जामनगर में भी उपलब्ध है। यह संस्थान केन्द्र द्वारा वित्त पोषित है।

एम.डी. छात्रों को कोई अध्येतावृत्ति (स्कालरशिप) उपलब्ध नहीं है। उन्हें वजीफा (स्टाइपेण्ड) दिया जाता है जो कि वर्तमान में प्रथम वर्ष के दौरान 7600 रु. द्वितीय वर्ष के दौरान 7800 रु. और अंतिम वर्ष के दौरान 8000 रु. प्रतिमाह है।

2004-05 के दौरान तीन बैचों में कुल 105 विद्यार्थी (राजस्थान से 43 और राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से 62) थे। राजस्थान और राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु वजीफा संबंधी व्यय क्रमश: 66.05 लाख रु. और 148.70 लाख रु. था।

बुनियादी खेलकूल अवसंरचना का नेटवर्क

4202. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देशभर में बुनियादी खेलकूद अवसंरचना क़ा नेटवर्क सृजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई योजना तैयार की गयी है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के युवा खेलकूद में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या कारण है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा खेलकूल में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु और युवाओं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के बीच खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) ''खेल'' संविधान के अंतर्गत ''राज्य'' का विषय है। देशभर में मूलभूत खेल अवस्थापना सृजित करना मुख्यत: राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। 31.3.2005 तक, यह मंत्रालय इस दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए खेल अवस्थापना योजनाओं हेतु अनुमोदित पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्रदान करता था बशर्ते की राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त हों। खेल अवस्थापना योजनाएं 1.4.2005 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई हैं और तदनुसार सभी राज्य सरकारों को फरवरी, 2005 में सूचित कर दिया गया था। खेल अवस्थापना के लिए 2005-06 के बजट में राशि का आबंटन नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार ने खेलों को विस्तृत आधार और उत्कृष्टता के संवर्धन पर जोर देने वाली एक राष्ट्रीय खेल नीति अपनाई है। नीति में खिलाड़ियों को वैज्ञानिक सहायता प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है। मंत्रालय ग्रामीण खेल कार्यक्रम प्रचालित करता है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में तथा ब्लाक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंट आयोजित करता है। 2005-2006 के दौरान जिला स्तर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के 58 जिलों में स्थानीय ग्रामीण टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन को 1.15 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से ''खेल छात्रवृत्ति'' की योजना भी कार्यान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान युवा लड़के और लड़कियों को सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खेलों के संवर्धन में सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर स्तर पर खेल में प्रदर्शन सुधारने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देता है। फिलहाल, भारतीय खेल प्राधिकरण देश में खेलों के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जैसे राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना, सेना बाल खेल कंपनी, विशेष क्षेत्र खेल, भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, उत्कृष्टता केन्द्र।

[हिन्दी]

सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत जी.पी. कार्ड जारी किया जाना

4203. श्री पंकज चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नयी दिल्ली के कतिपय क्षेत्रों में सी.जी.एच.एस. योजना के अंतर्गत आम जनता के लिए प्रायोगिक आधार पर जी.पी. कार्ड जारी करना आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन लोगों को ब्यौरा क्या है जिन्हें जी.पी. कार्ड जारी किये जायेंगे और उन लोगों का ब्यौरा क्या है जो इसके हकदार नहीं होंगे और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) दिल्ली के केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के 14 औषधालयों में 1975 में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में आम जनता के लिए आम जनता (जी पी) कार्ड योजना शुरू की गई थी। तथापि, संसाधनों और कार्मिक शक्ति की कमी के कारण, नए आवेदकों को अक्टूबर, 2003 से आम जनता कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं। केवल उन्हीं आम जनता कार्डों जो अक्टूबर, 2003 से पहले जारी किए गए थे, का ही नवीकरण किया जा रहा है, यदि मौजूदा आम जनता कार्ड धारियों द्वारा ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

धोवनशालाओं द्वारा अस्वीकृत कोयला

4204. श्री टेक लाल महतो: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की धोवनशालाओं द्वारा अस्वीकृत लाखों टन कोयला धोरी, करगली, स्वांगवाशरी, कठारा में अप्रयुक्त पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त अस्वीकृत कोयले से इस क्षेत्र में न केवल गंभीर जल और वायु प्रदूषण फैल रहा है वरन इससे सरकार और कंपनियो को करोड़ों रुपए का घाटा भी हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार खुली निविदाओं द्वारा उक्त अस्वीकृत कोयले को बेचने का है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। सेंट्रल कोलफील्ड्स (सी.सी.एल.) की करगली, स्वांग तथा कथारा वाशरी में रिजेक्ट्स अप्रयुक्त पड़े हुए हैं क्योंकि यहां कोई लिंक्ड उपभोक्ता/नियमित क्रेता नहीं है।

(ग) और (घ) इन रिजेक्ट्स से वायु तथा जल प्रदूषण के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) सी.सी.एल. ने परीक्षण ई-नीलामी के माध्यम से अपनी विभिन्न वाशरियों में पड़े रिजेक्ट्स के निपटान के लिए पहले ही कार्रवाई कर ली है।

[अनुवाद]

कांडला पोर्ट ट्रस्ट की पत्तन सीमाओं से वाडिनार क्षेत्र को अलग करना

4205. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात सरकार के वाडिनार क्षेत्र को कांडला पोर्ट ट्रस्ट की पत्तन सीमाओं से हटाने और इसे वापस राज्य सरकार को प्रदान करने के लंबे समय से चले आ रहे अनुरोध पर कोई अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसके परिणामस्वरूप गुजरात को हुए वाणिज्यिक घाटे की क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) से (ग) गुजरात-सरकार द्वारा सलाया के लघु पत्तन की सीमा से वाडिनार को निकाल दिए जाने के बारे में अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात इसे कांडला-पत्तन की सीमा में शामिल कर लिया गया, जबकि भारत सरकार ने इसे कांडला-पत्तन की सीमा में शामिल किए जाने के बारे में अधिसूचना जारी कर दी। दोनों ही सरकारों अर्थात् भारत-सरकार तथा गुजरात-सरकार द्वारा जारी की गई उपर्युक्त अधिसूचनाओं से, कांडला-पत्तन-न्यास को वाडिनार का क्षेत्राधिकार दे दिया गया है। कांडला-पत्तन ने वाडिनार को तरल जहाजी माल संभालने के लिये विकसित किया है। वाडिनार-पत्तन को गुजरात की राज्य सरकार को सुपुर्द किए जाने का उपर्युक्त सरकार (गुजरात राज्य सरकार) का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है तथा इस बारे में गुजरात सरकार को मुआवजा दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

खेलकूद का स्तर बढ़ाया जाना

4206. डा. के. धनराजू: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के प्रतिभाशाली युवाओं को विद्यालय अथवा महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद में सक्रिय रूप से भाग लेने के उचित अवसर प्रदान नहीं किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा अपेक्षित धनराशियों का आबंटन नहीं किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद के स्तर को बढ़ाने के लिए विशेष धनराशि आबंटित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) "खेल" राज्य का विषय है तथा राज्य स्तर पर उसका संवर्धन संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के जरिए स्कूल स्तर पर खेलों में भाग लेने के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को अवसर प्रदान करने में राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं:

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.)
2. ग्रामीण खेल कार्यक्रम
3. खेल छात्रवृत्ति योजना
4. स्कूलों में खेलकूद का संवर्धन।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों में उपर्युक्त योजनाओं के लिए निम्नलिखित आबंटन किए गए हैं:

(लाख रुपयों में)

योजना का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.)	140.00	230.00	225.70
ग्रामीण खेल कार्यक्रम	100.00	125.00	135.00
खेल छात्रवृत्ति योजना	344.00	283.00	550.00
स्कूलों में खेलकूद का संवर्धन	103.00	125.00	125.00

(ङ) से (छ) केन्द्र सरकार पहले ही भारतीय खेल प्राधिकरण के जरिए एन.एस.टी.सी. ग्रामीण खेल कार्यक्रम, खेल छात्रवृत्ति योजना, स्कूलों में खलकूद का संवर्धन की उपर्युक्त चार योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

[हिन्दी]

विदेशों के साथ आदान-प्रदान कार्यक्रम

4207. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों के साथ किये गये खिलाड़ियों, युवा शिष्टमंडलों और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में व्यय की गयी वार्षिक धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश को प्राप्त होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ख) किए गए वार्षिक व्यय का विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष	व्यय (रु. में)
2002-03	8,31,679
2003-04	15,41,572
2004-05	3,95,107

(ग) प्राप्त किए गए लाभों को भौतिक शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। तथापि, विभिन्न देशों में जाने से युवा और खेल से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए अन्य देशों में कार्यान्वित की जा रही नीतियों/कार्यक्रमों और विभिन्न विधियों/प्रौद्योगिकियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग-अलग व्यक्तियों को सहायता मिलती है। इन यात्राओं से विभिन्नों देशों की विविध संस्कृतियों, परंपराओं इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के अवसर भी प्राप्त होते हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान, खिलाड़ियों, युवा शिष्ट-मंडलों और विदेशी विशेषज्ञों से संबंधित आदान-प्रदान कार्यक्रमों के विवरण

2002-03

1. युवा महोत्सव में भाग लेने हेतु सिसली के लिए 5-सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल।

2. अंतर्राष्ट्रीय कार्यशिविर में भाग लेने हेतु मिस्र के लिए 6-सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल।

3. युवा रोजगार शिखर सम्मेलन में भाग लेने और युवा कार्यक्रम और खेल के क्षेत्र में नयाचार (प्रोटोकॉल) पर हस्ताक्षर करने हेतु मिस्र के लिए 4-सदस्यीय भारतीय अधिकारियों का शिष्टमंडल।

4. जापान पश्चिम-दक्षिण एशिया युवा मित्रता कार्यक्रम के अंतर्गत जापान के लिए 35-सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल।

2003-04

1. युवा कार्यक्रम और खेल के क्षेत्र में नयाचार (प्रोटोकाल) पर हस्ताक्षर करने हेतु बेलारूस और जर्मनी के लिए 3-सदस्यीय भारतीय अधिकारियों का शिष्टमंडल।

2. अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य-शिविर में भाग लेने हेतु मिस्र के लिए 5-सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल।

3. द्वितीय विश्व युवा सम्मेलन में भाग लेने हेतु मोरक्को के लिए 2-सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल।

4. शिप फार वर्ल्ड प्रोग्राम में भाग लेने हेतु जापान के लिए 11-सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल।

5. जापान साऊथ वेस्ट एशिया यूथ फ्रैंडशिप प्रोग्राम के अंतर्गत जापान के लिए 24-सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल।

6. युवा कार्यक्रम और खेल के क्षेत्र में नयाचार (प्रोटोकॉल) पर हस्ताक्षर करने हेतु मारीशस के लिए 3-सदस्यीय भारतीय अधिकारियों का शिष्टमंडल।

7. यूथ एंटरप्राइज डेवलपमेंट फोरम में भाग लेने हेतु आस्ट्रेलिया के लिए 2-सदस्यीय भारतीय युवा शिष्टमंडल।

8. राष्ट्रमंडल क्षेत्रीय युवा फोरम में भाग लेने हेतु नाइजीरिया के लिए 2-सदस्यीय भारतीय युवा शिष्टमंडल।

2004-05

1. अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्यशिविर में भाग लेने हेतु मिस्र के लिए 5-सदस्यीय भारतीय युवा शिष्टमंडल।

2. जापान साऊथ एशिया यूथ फ्रैंडशिप प्रोग्राम के अंतर्गत जापान के लिए 38-सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल।

3. हैदराबाद में आयोजित किए गए राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए बुल्गारिया और मालदीव के शिष्टमंडल।

4. भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) और खेल एवं मनोरंजन विभाग, पश्चिमी आस्ट्रेलिया सरकार के मध्य भारत में दिनांक 15.4.2004 को खेल सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए।

[अनुवाद]

प्रशिक्षकों की तैनाती

4208. श्री सुव्रत बोस: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने जिला प्रशिक्षण केन्द्रों पर अपने प्रशिक्षक तैनात किए हैं जबकि भारतीय खेल प्राधिकरण के अनेक प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्टॉफ निरीक्षण इकाई ने भारतीय खेल प्राधिकरण के जिला प्रशिक्षण केन्द्रों पर तैनात प्रशिक्षकों को वापिस बुलाकर उन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केन्द्रों में पुन: तैनात करने की सिफारिश की थी;

(घ) क्या वित्त मंत्रालय ने भी भारतीय खेल प्राधिकरण के जिला प्रशिक्षण केन्द्रों पर तैनात प्रशिक्षकों को भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केन्द्रों में पुन: तैनात करने का निर्देश दिया है;

(ङ) यदि हां, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में परिणाम नहीं देने वाले एक ही स्थान पर 10 वर्षों से भी अधिक समय से तैनात प्रशिक्षकों की संख्या कितनी है;

(च) सरकार द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केन्द्रों के 10,000 प्रशिक्षुओं और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा भारतीय खेलों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तैनात 1400 प्रशिक्षकों पर अनुवीक्षण की किस प्रणाली को अपनाया जाता है; और

(छ) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2010 और ओलम्पिक खेल 2008 और 2012 हेतु मजबूत टीम के निर्माण के लिए खेल प्रतिभाओं का पूल तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जून और जुलाई, 2005 में भारतीय खेल प्राधिकरण ने जिला कोचिंग केन्द्रों से प्रशिक्षक वापिस लेकर भारतीय खेल प्राधिकरण योजनाओं/केन्द्रों में प्रशिक्षकों की कमी को पूरा करने का प्रयास किया है। स्थानांतरण के बावजूद भारतीय खेल प्राधिकरण में अभी भी प्रशिक्षकों की कमी है।

(ग) और (घ) वित्त मंत्रालय की स्टाफ निरीक्षण इकाई ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि जिला कोचिंग केन्द्रों से प्रशिक्षक वापिस लेकर उनकी नियुक्ति भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्रों में की जाए।

(ङ) और (च) भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र में एक अनुश्रवण सैल होता है जो कि अपने क्षेत्राधिकार में भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण प्रदर्शन और भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं को मानीटर करता है। जिला कोचिंग केन्द्रों से प्रशिक्षकों के स्थानांतरण और भारतीय खेल प्राधिकरण को योजनाओं/केन्द्रों में उनकी नियुक्ति से अन्य बातों के साथ-साथ जिम्मेदारी सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

(छ) राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों सहित प्रमुख अंर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों की तैयारी/प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा दी गई जानकारी को ध्यान में रखा जाता है। प्रदर्शन के आधार पर चयनित विशिष्ट खिलाड़ियों को वैज्ञानिक ढंग से तैयार किए गए सतत प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से चार वर्षीय "रोल आन प्लान" के तहत कार्यान्वित करने के लिए दीर्घावधिक विकास कार्यक्रम तैयार करके प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता के लिए एथलीटों और टीमों के चयन और प्रशिक्षण के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। समय-समय पर प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल संवर्धनकारी योजनाओं में सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर स्तर पर शामिल किया जाता है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी

4209. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की दशा पर अपनी असंतुष्टि जतायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में मातृ मृत्यु दर/बच्चों में कुपोषण संबंधी समस्याएं बहुत गंभीर हैं;

(ग) क्या संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों जैसे हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, टी.बी. इत्यादि से ग्रस्त रोगियों की संख्या बहुत अधिक है;

(घ) क्या भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का 80 प्रतिशत भाग गैर-सरकारी क्षेत्र के पास है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए क्या कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट-2005 में भारत को उन 51 देशों में रखा गया है जिन्होंने नवजात मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर अनुपात में कमी होने की धीमी गति दर्शायी है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2002 में वर्ष 2010 तक नवजात मृत्यु दर को प्रति 1000 जन्मों पर 30 से कम करने और मातृ मृत्यु दर अनुपात को प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 100 से कम करने के लक्ष्य रखे गए हैं। कुपोषण भी एक चुनौती है जो गरीबी, कुपोषण जागरूकता की कमी, असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता आदि जैसे कारकों के कारण हो रहा है।

(ग) भारत में कैंसर रोगियों की संख्या 20 से 25 लाख है जिसमें प्रति वर्ष 7 से 9 लाख नए रोगी शामिल हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की वयस्क जनसंख्या के बीच उच्च रक्तचाप की व्याप्तता क्रमश: 5 से 10 प्रतिशत है। इसी प्रकार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मधुमेह की व्याप्तता क्रमश: 3 से 5 और 8 से 9 प्रतिशत है। जहां तक क्षयरोग का संबंध है, प्रति वर्ष 18 लाख नए रोगी होते हैं। जिनमें से 8 लाख स्मीयर पाजिटिव संक्रामक रोगी होते हैं जो रोग के फैलाव के लिए जिम्मेवार होते हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है जिसका उद्देश्य एक समग्रवादी तरीके से स्वास्थ्य समस्याओं पर काबू पाना है। यद्यपि, मिशन पूरे देश में लागू है, परन्तु इसमें 18 राज्यों, जहां पर निम्न स्वास्थ्य और जनसांख्यिकीय सूचक हैं, पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

[अनुवाद]

दूरवर्ती क्षेत्रों में दूरभाष केन्द्र

4210. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 में देश के दूरवर्ती क्षेत्रों में एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. के राज्यवार कितने दूरभाष केन्द्र खोले गये;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों के दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के लोगों को कोई सुविधाएं/रियायतें देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2003-04 के दौरान देश के दूरवर्ती क्षेत्रों में प्रदान किए गए अतिरिक्त टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। एमटीएनएल के अधिकार क्षेत्र में कोई दूरवर्ती क्षेत्र नहीं आते हैं क्योंकि यह केवल दिल्ली और मुम्बई में प्रचालन कर रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बीएसएनएल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन उपभोक्ताओं से पहले ही अत्यधिक आर्थिक सहायता प्रदत्त (सब्सिडाइज्ड) दरों पर रियायती टेलीफोन प्रशुल्क प्रभारित किए जाते हैं।

विवरण

सर्किल का नाम	ग्रामीण (दूरवर्ती) क्षेत्रों में प्रदान किए गए अतिरिक्त एक्सचेंजों की संख्या
1	2
असम	324
आंध्र प्रदेश	106
बिहार	37
हरियाणा	1
झारखंड	13
कर्नाटक	7
केरल	28
मध्य प्रदेश	16
महाराष्ट्र	31
पूर्वोत्तर-1	2
पूर्वोत्तर-2	4
उड़ीसा	6
पंजाब	7
राजस्थान	16
तमिलनाडु	7
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	17
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	4
उत्तरांचल	9
पश्चिम बंगाल	12

खिलौनों के कारण बच्चों में खतरनाक रोग

4211. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि छोटे बच्चों द्वारा अपने मुंह में पी.वी.सी. खिलौने लेने के कारण उनमें कैंसर जैसे रोग होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) पालीविनाइल क्लोराइड (पी वी सी) का प्रयोग प्लास्टिक की वस्तुओं का विनिर्माण करने में किया जाता है जिनका निर्माण क्षेत्र, पैकेजिंग, इलेक्ट्रिक उपकरणों, चिकित्सा परिचर्या, कृषि, आटोमोटिव उद्योग तथा खिलौनों में व्यापक प्रयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्ययन के अनुसार विनाइल क्लोराइड के प्रति आरक्षितता से मनुष्यों में कैंसर होता है। तथापि, रिपोर्ट में अन्त:श्वसन की पहचान व्यावसायिक अरक्षितता के मुख्य माध्यम के रूप में की गई है जो मुख्यतया विनाइल क्लोराइड तथा पी वी सी उत्पन्न करने वाले पादपों में घटित होता है। उसी रिपोर्ट में निर्माण स्थलों तथा सैनिटरी लैंडफिलों में उत्सर्जन को कम करने के उपाय करने तथा पी वी सी में निम्न अवशिष्ट स्तर सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है। तथापि, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे मुंह में पी वी सी खिलौनों को रखने से कैंसर होने का संकेत मिलता हो।

'रेडक्रास' चिह्न के उचित प्रयोग हेतु दिशानिर्देश

4212. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले 'रेडक्रास' चिह्नों का उपयोग समुचित ढंग से नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश जेनेवा अभिसमय अधिनियम, 1960 को परिलक्षित करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में इन चिह्नों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम/उपाय किये गये/किये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) जी, हां। भारतीय रेडक्रास सोसाइटी के राष्ट्रीय मुख्यालय ने सूचित किया है कि रेड क्रास का प्रतीक चिह्न देश भर में प्रदर्शित है और इसे स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़कर देखा जाता है। भारतीय रेड क्रास सोसाइटी भी रेडक्रास के प्रतीक चिह्न के अनुचित प्रयोग की समस्या के निदान के लिए समय-समय पर पहल करती है।

[हिन्दी]

शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एस. सी. आई.) द्वारा पोतों की खरीद

4213. श्री तूफानी सरोज:
श्री ए. के. मूर्ति:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एस. सी. आई.) ने पोतों के उत्पादन में कमी के कारण कुछ पोत खरीदने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या एस. सी. आई. ने इस प्रयोजनार्थ 2000 करोड़ रुपये आरक्षित किये हैं;

(घ) यदि हां, तो कितने पोत खरीदे जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने एस. सी. आई. के इस प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(च) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क), (ख) और (घ) जी, हां। भारतीय नौवहन-निगम ने वर्ष, 2005-2006 तथा वर्ष, 2006-2007 के दौरान 39 जलयान खरीदने की योजना बनाई है।

(ग) ऐसा कोई आरक्षण नहीं किया गया है। फिर भी, उपर्युक्त जलयान खरीदने के लिए धन जुटाने हेतु भारतीय नौवहन-निगम के पर्याप्त आतंरिक संसाधन हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त अधिकारियों को पुन: रोजगार प्रदान किया जाना

4214. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सचिव स्तर के 100 सेवानिवृत्त अधिकारियों को सरकारी सेवा में पुन: रोजगार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सेवारत अधिकारियों की सेवाएं न लिए जाने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोयला ब्लॉक आबंटन हेतु आवेदन

4215. श्री प्रदीप गांधी:
श्रीमती करुणा शुक्ला:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ में लौह, इस्पात, सीमेंट और रक्षित विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए कोयला मंत्रालय के पास कितने आवेदन लम्बित हैं;

(ख) क्या सरकार दिनांक 28.6.2005 से पूर्व प्राप्त आवेदनों पर ही विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए दिनांक 28.6.2005 के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार न करने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) सरकार ने पूर्व में यह निर्णय लिया था कि गृहीत ब्लाकों के आवंटन के लिए 28.6.2004 तक प्राप्त हुए आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। इस पर पुनर्विचार किया गया है और सरकार ने फिलहाल, स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से आबंटन की मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत गृहीत खनन के लिए कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों का आबंटन जारी रखने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

दसवीं योजना के दौरान नयी योजनाएं

4216. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री सुव्रत बोस:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार दसवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में योजना कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में हुई प्रगति बहुत धीमी थी;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(ग) क्या दसवीं योजना रणनीति पर विशेष बल देने के लिए नयी योजनाएं आरंभ करने में असाधारण विलंब हुआ था;

(घ) यदि हां, तो दसवीं योजना अवधि के दौरान ऐसी कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जानी थीं;

(ङ) उन नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी हैं; और

(च) दसवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभिक दो वर्षों के दौरान इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी और कितनी धनराशि खर्च की गयी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार, परियोजनाओं/स्कीमों/कार्यक्रमों की परिव्यय द्वारा यथापरिभाषित प्रगति इंगित करती है कि दसवीं योजना के पहले तीन वर्षों के संबंध में केन्द्रीय क्षेत्रक योजना (पीएसयू योजना सहित), 54 प्रतिशत की सामान्य प्रत्याशा की तुलना में कुल योजना का 44.2 प्रतिशत होने का अनुमान है। योजना स्कीमें/परियोजनाएं/कार्यक्रम जो आधारिक संरचना क्षेत्रक जैसे विद्युत, सड़क, रेलवे और खानों इत्यादि से संबंधित हैं, के संबंध में धीमी प्रगति संबंधी बताए गए संभावित कारणों में, भूमि अधिग्रहण, सिविल कार्य के पूरा होने, उपस्करों की आपूर्ति, पर्यावरण व वन संबंधी स्वीकृति प्राप्त करने, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निवेश अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब तथा कुछ राज्यों में कानून और व्यवस्था की समस्यायें शामिल हैं जबकि सामाजिक क्षेत्रक स्कीमों के संबंध में ऐसे कारणों में राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्र और प्रस्ताव प्राप्त न होना/विलंब से प्राप्त होना, राज्य सरकार द्वारा मैचिंग शेयर जारी करने में और स्कीमें कार्यान्वित करने में, न्यूनतम संस्थागत प्रबंध करने में और लाभभोगियों की पहचान करने के लिए पारिवारिक एवं अन्य सर्वेक्षण शुरू करने में विलंब इत्यादि हैं।

(ग) और (घ) योजना आयोग द्वारा योजना स्कीमों/कार्यक्रमों के निष्पादन की आवधिक समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित कुछ नई योजना स्कीमें/कार्यक्रम जिनमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बांस प्रौद्योगिकी व व्यापार विकास मिशन, माइक्रो सिंचाई, बाजार आधारिक संरचना ग्रेडिंग व स्तरीकरण का विकास, राज्य विस्तार कार्यक्रम का समर्थन, कृषि विस्तार को जन मीडिया समर्थन, अच्छी गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन संबंधी आधारिक संरचना का सुदृढ़ीकरण, डेयरी/मुर्गी पालन हेतु उद्यम पूंजी निधि, राष्ट्रीय कार्बनिक कृषि परियोजना, कृषि क्षेत्रक में ट्रांसजीनिक व आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें, औद्योगिक क्षेत्रक में प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण स्कीम, शिक्षा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय; महिलाओं और बच्चों के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन; राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली; पूलित वित्त विकास स्कीम, शहरी क्षेत्रक में शहर चेतावनी निधि; 100 विद्यमान आईटीआईज का उत्कृष्टता केन्द्र में उन्नयन; श्रम और रोजगार क्षेत्रक में गैर-औपचारिक साधनों के माध्यम से उपार्जित दक्षताओं की जांच और प्रमाणन, शामिल हैं, के कार्यान्वयन में विलंब की रिपोर्ट की गई है।

(ङ) और (च) प्रतिपादन का उत्तरदायित्व सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निवेश अनुमोदन और अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करना तथा नई स्कीमों का कार्यान्वयन संबंधित मंत्रालय/विभाग का कार्य है। वित्त वर्ष में कार्यान्वित की जाने वाली नई स्कीमों के ब्यौरे निधियों के प्रावधान सहित केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट के साथ पेश की

गई अनुदान मांगों में प्रकाशित 'नई सेवा/सेवा का नया यंत्र के ब्योरे दर्शाने वाले विवरण' में और संबंधित मंत्रालय/विभाग की विस्तृत अनुदान मांगों में भी उपलब्ध हैं। जैसे कि नई स्कीम के अंतर्गत योजना आबंटन का उपयोग योजना कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं के प्रतिपादन से, निवेश अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से और उनका वास्तविक कार्यान्वयन संबंधित मंत्रालय/विभाग से सम्बद्ध है, इन स्कीमों पर किया गया वास्तविक व्यय परवर्ती वर्षों के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग की विस्तृत अनुदान मांगों में उपलब्ध है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण और विस्तार योजना के अंतर्गत केन्द्र के हिस्से का पुनर्प्रमाणीकरण

4217. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से केन्द्रीय-क्षेत्रीय प्रशिक्षण और विस्तार योजना (सेन्ट्रल रीजनल ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन स्कीम) के अंतर्गत 4.00 लाख रुपए के केन्द्र के हिस्से का पुनर्प्रमाणीकरण करने की मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित पुनर्प्रमाणीकरण को कब तक किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) कृषि मंत्रालय केन्द्रीय क्षेत्र प्रशिक्षण और विस्तार योजना नाम की कोई स्कीम कार्यान्वित नहीं कर रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-200 की जीर्ण-शीर्ण स्थिति

4218. श्रीमती करुणा शुक्ला: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विलासपुर से आगे जागीर-चंपा और रायगढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 200 जीण-शीर्ण स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2004-05 की वार्षिक योजना के अंतर्गत उक्त राजमार्ग के 197वें किलोमीटर से 210वें किलोमीटर के बीच 14 किलोमीटर के हिस्से का पुनरुद्धार करने हेतु कोई प्रस्तार भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की लागत कितनी है और उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दी जाएगी?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग उपर्युक्त खंड के केवल सीमित सड़क खंड ही टूटी-फूटी स्थिति में हैं।

(ख) जागीर-चंपा और रायगढ़ के बीच के राजमार्ग खंडों के कुछ खंडों के तटबंध कम ऊंचाई के हैं और ये धान के खेतों से होकर गुजरते हैं जहां पर भौम जल स्तर (वाटर टेबल) अपेक्षाकृत ऊंचा है। इसके परिणामस्वरूप, यह सड़क भारी बारिश के दौरान पानी में डूब जाती है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र की मिट्टी काली कपासी मिट्टी होने के कारण, भौम जल स्तर ऊंचा होने की वजह से यह सड़क बुरी तरह प्रभावित होता है।

(ग) और (घ) पिछले वित्त वर्ष के दौरान, इस प्रभावित क्षेत्र में 204 से 210 किलोमीटर तक के सड़क खंडों को ऊंचा उठाने समेत इसके सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु 269.83 लाख रु. की धनराशि की पहले ही स्वीकृति दे दी गई है। 197 से 204 किलोमीटर के बीच के टूटे-फूटे सड़क खंडों के सुदृढ़ीकरण कार्य चालू वर्ष की वार्षिक योजना में शामिल कर लिए गए हैं।

[अनुवाद]

भारतीय देवता का अनादरपूर्ण चित्रण

4219. श्री वेंकटेश ए. नायक:
श्री एम. शिवन्ना:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि एक फ्रांसीसी फैशन समूह मीनेली हिंदू देवता भगवान राम की छवि वाले जूतों की बिक्री कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले से संबंधित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस मामले को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) और (ख) जी हां। एक फ्रांसीसी कंपनी मैसर्स विवार्टे ने हिंदू देवता भगवान राम की तस्वीरों को मिनेली ब्रांड के अपने जूतों पर छापा था।

(ग) और (घ) जी हां, पेरिस स्थित भारतीय मिशन ने तत्काल संबंधित मैसर्स विवार्टे कंपनी के साथ इस मामले को

उठाया और उनसे उक्त जूतों को बाजार से हटा लेने का अनुरोध किया। तत्पश्चात अनेक रिपोर्टों से इस बात की पुष्टि हुई कि उस कंपनी ने वास्तव में उक्त जूतों को बाजार से हटा लिया और उपयुक्त तरीके से उन्हें निपटा दिया। सभी यूरोपीय देशों में हमारे मिशन इस बात पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं।

[हिन्दी]

बिहार को विशेष पैकेज

4220. श्री राम कृपाल यादव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इसके क्रियान्वयन के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) बिहार को यह पैकेज कब तक दिए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.वी. राजशेखरन): (क) बिहार को विशेष पैकेज के संबंध में राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम को इस प्रकार से पढ़ें:

"समय-समय पर, पिछली सरकारों द्वारा पूर्वोत्तर बिहार और जम्मू व कश्मीर के लिए इस तरह के विशेष आर्थिक पैकेजों की घोषणा की गई है। बिहार के लिए वर्ष 1989 में श्री राजीव गांधी ने एक विशेष विकास पैकेज की घोषणा की थी तथा बाद में इसके विभाजन के समय वर्ष 1999 में राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए एक अन्य पैकेज की घोषणा की गई थी। इन पैकेजों को शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाएगा।"

दसवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत एक विशेष योजना के रूप में बिहार में एक विशेष पैकेज पहले से ही कार्यान्वयनाधीन है।

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत, बिहार राज्य सरकार के परामर्श से निम्नलिखित नौ स्कीमों की पहचान की गई:

	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (रुपये करोड़ में)	जारी की गई राशि (रुपये करोड़ में)
क. 1.	मिलियन शैलो नलकूप कार्यक्रम (सब्सिडी घटक)	633.78*	344.64*
2.	उप-पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	365.00	325.394
3.	पूर्वी गंडक नहर का पुनरुद्धार	294.00	51.417
4.	बागवानी विकास (अनुदान/सब्सिडी घटक)	35.53	18.1809
5.	एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम	60.00	10.00
6.	राज्य राजमार्गों का विकास	846.29	–
7.	एकीकृत समुदाय आधारित वन प्रबंधन	351.00	–
	कुल-क	2585.60	749.6319
ख. 8.	दक्षिण बिहार में उप-पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (चरण-2)	597.00	नई स्कीम
9.	बरौनी और मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशनों का नवीकरण और आधुनिकीकरण	643.00	नई स्कीम
	कुल-ख	1240.00	–
	कुल जोड़	3825.60	749.6319

*आरएसवीवाई वित्तपोषण से पूर्व, वर्ष 2002-03 तक एमएसटीपी के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को एकमुश्त एसीए के रूप में जारी किए गए 55.50 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(ग) ये स्कीमें अनुमोदन/कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। इन स्कीमों के निष्पादन के लिए सभी स्कीमों हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान कर ली गई है। कुछ स्कीमों के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी पर कार्य प्रगति पर है। केन्द्र सरकार इन स्कीमों की इसके तीव्र कार्यान्वन हेतु नियमित रूप से मानीटरिंग कर रही है।

(घ) स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

अस्पतालों से बच्चों का अपहरण

4221. श्री पारसनाथ यादव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी अस्पतालों से बच्चों का अपहरण करने के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान अपहृत बच्चों की अस्पताल-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या उपरोक्त अस्पतालों के कर्मचारियों को भी इसमें संलिप्त पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) अस्पतालों में उक्त घटनाओं की रोकथाम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) राज्य के स्वामित्व वाले अस्पतालों में ऐसी घटना की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में बच्चों के अपहरण की कोई सूचना नहीं दी गई है।

तथापि, अस्पतालों से बच्चों के अपहरण को रोकने के लिए उपर्युक्त अस्पतालों में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

* प्रसव होने के तुरन्त पश्चात गर्भनाल काटने से पहले शिशु और इसके बाह्य जननांगी स्थान को मां को दिखाया जाता है।
* शिशु के हाथ और छाती पर बैज लगाए जाते हैं जिन पर माता, पिता का नाम, एम आर डी संख्या, प्रसव की तारीख और समय, लिंग तथा वार्ड संख्या लिखी रहती है।
* शिशु का लिंग प्रसूति रोग विज्ञानी तथा बाल रोग विज्ञानी द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा शिशु के पैरों के निशान ले लिए जाते हैं। इसी के साथ-साथ, प्रसव रजिस्टर में तथा अन्तरण रजिस्टर में प्रविष्टि की जाती है।
* अस्पताल से छुट्टी होने पर शिशु को वार्ड से बाहर ले जाने से पहले शिशु की डिस्चार्ज स्लिप की जांच सुरक्षा गार्ड द्वारा की जाती है। प्रसव रजिस्टर और अन्तरण रजिस्टर में प्रविष्टि की जाती है।

डाकघरों में कम्प्यूटरों का उपयोग न किया जाना

4222. श्री कैलाश बैठा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत चार या पांच वर्षों से बिहार से कई डाकघरों में कम्प्यूटर बिना उपयोग के रखे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बगहा उप-डाकघर में कम्प्यूटर बिना उपयोग के पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार राज्य के डाकघरों में कम्प्यूटर सेवाओं को आरंभ करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) पिछले चार या पांच वर्षों से बिहार के डाकघरों में कोई कम्प्यूटर अनुपयोगी नहीं पड़ा है।

(ग) बगहा उप डाकघर में नवंबर, 2004 से एक कम्प्यूटर अनुपयोगी पड़ा है।

(घ) 1997-98 में बगहा डाकघर को सीडीएमए (कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस) तकनीक पर काम करने वाले वीएसएटी (वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल) नेटवर्क के माध्यम से मनीआर्डर के इलैक्ट्रॉनिक पारेषण के लिए एक कम्प्यूटर की आपूर्ति की गई थी। इस नेटवर्क पर 1 नवंबर, 2004 से कार्य नहीं किया जा रहा है और अब मनीआर्डरों के पारेषण के लिए उच्च गति वाले टीडीएमए

(टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस) वीएसएटी नेटवर्क स्थापित किया गया है। बगहा डाकघर में स्थापित कम्प्यूटर उच्च गति वाली वीएसएटी प्रणाली के अनुरूप नहीं है, अतः इस कम्प्यूटर का उपयोग नहीं हो रहा है।

(ङ) मौजूदा कम्प्यूटर का उन्नयन किया जा रहा है ताकि बगहा डाकघर में इसका इस्तेमाल किया जाए।

(च) और (छ) डाक विभाग फिलहाल बिहार राज्य के डाकघरों सहित देश भर के सभी प्रधान डाकघरों और बड़े उप डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत करने की एक योजना स्कीम को लागू कर रहा है। अब तक 31 प्रधान डाकघरों और 26 बड़े उप डाकघरों को कम्प्यूटर प्रदान कर दिए गए हैं। मार्च, 2007 तक निधि की उपलब्धता और आवश्यक अनुमोदन के आधार पर बिहार के और बड़े डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

नए अस्पताल/औषधालय खोलना

4223. श्री जोवाकिम बखला: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में सरकारी अस्पताल और औषधालय दयनीय अवस्था में हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी स्थिति को सुधारने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार राज्य के लोगों की मांग को पूरा करने हेतु नए अस्पताल और औषधालय खोलने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) वर्तमान वर्ष हेतु पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितना बजटीय आबंटन किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (च) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए अपने अस्पतालों और औषधालयों के कार्यकरण का विनियमन/मानीटरिंग करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य के लोगों की मांग को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों के भीतर अपेक्षा का मूल्यांकन करने तथा नए अस्पताल और औषधालय खोलने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-5 को चार लेनों वाला बनाना

4224. श्री अर्जुन सेठी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 को चार लेनों वाला बनाने का कार्य धीमी गति से चल रहा है और कार्य की धीमी गति के कारण सड़क की स्थिति और भी खराब हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) उड़ीसा में स्वर्णिम चतुर्भुज के भाग के तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को चार-लेन का बनाने के कार्य में विलंब हुआ है। यह विलंब भूमि-अधिग्रहण से संबंधित समस्याओं, ठेकेदारों के घटिया प्रबंधन, कानून व्यवस्था की समस्या आदि के कारण हुआ है। तथापि, इस राजमार्ग को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा

4225. श्री उदय सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान रोगों के रहस्यमय ढंग से फैलने के दौरान समय पर नैदानिक जांच उपलब्ध कराने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी विफलता के कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा करने और इसे प्रभावी बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों के अनुरोध अथवा महामारी अपेक्षाओं के अनुसार पूरे वर्ष देश के विभिन्न भागों में रोग प्रकोपों की जांच करता है। अधिकतर मामलों में, पद्धतियां सुस्थापित हैं और संबंधित राज्य सरकारी प्राधिकारियों

को निवारण उपाय करने का समर्थन किया जाता है। तथापि, कुछ मामलों में जहां पर रोग उपस्थिति जटिल होती है सामान्यत: उनके लिए गहन अग्रिम प्रयोगशाला जांचों की आवश्यकता होती है जो कि एक समय लगने वाली प्रक्रिया होती है। संचारी रोग अथवा गैर-संचारी एजेन्टों के नए उभरते पेथोजनों वाले सूचित रोग प्रकोपों में, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान रोग के निदान और नियंत्रण, यदि अवश्यकता हो, के लिए अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से सहायता लेता है। प्रत्येक जांच के बाद राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्टें समय पर आती हैं और क्लीनिकों-एपी डेमियौलोजिकल और फील्ड आबजर्वेशन पर आधारित होती हैं तथा तत्काल नियंत्रण उपायों को करने तक निदान करके संबंधित राज्य सरकारों को तुरन्त सूचित कर दिया जाता है।

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने विभिन्न राज्य सरकारों के अनुरोध पर पूरे देश में 2003-2005 के दौरान विभिन्न रोगों के बारे में जांच करके और स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करके तुरन्त कार्रवाई की।

चूंकि संस्थान अपने कर्तव्यों को भली-भांति निष्पादित कर रहा है, इसलिए इसके कार्यकरण की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, संस्थान के कार्यकलापों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए दसवीं योजना के दौरान कुछ योजनागत स्कीमों की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

एन.पी.पी.सी.ओ. का कार्यकरण

4226. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस कन्ट्रोल आर्गनाइजेशन के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार अस्पतालों में विभिन्न सेवाओं को निर्धारित मूल्य-संरचना का गठन करने का है;

(ग) यदि हां, तो उक्त संरचना का गठन कब तक किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के तहत नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथारिटी (एनपीपीए) को अन्य कार्यों के साथ-साथ औषधों और उसके सूत्रों का मूल्य निर्धारण करने और अपेक्षानुसार उसमें समय-समय पर परिवर्तन करने का कार्य सौंपा गया है। एनपीपीए के अन्य कार्यों में शामिल हैं:

1. इस प्राधिकरण को प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसरण में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों को लागू और कार्यान्वित करना।

2. औषध की उपलब्धता तथा औषध कमी का पता लगाना और उपचारी कदम उठाना।

3. औषधों और सूत्रों के उत्पादन, निर्यात और आयात, निजी कम्पनियों के मार्केट शेयर तथा कंपनियों की लाभप्रदता से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण/रख-रखाव।

4. औषधों/फार्मास्यूटिकल के संदर्भ में संगतपूर्ण अध्ययन कराना/प्रायोजित करना।

एनपीपीए अपने गठन के समय से ही अपने कार्य को प्रभावी ढंग से अंजाम देता रहा है तथा इसने नकली औषधों सहित 237 बल्क औषधों और 3070 सूत्रसंयोजन पैकों के मूल्य का निर्धारण/संशोधन किया है।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार के अस्पतालों में, कुछ महंगी जांच को छोड़कर जिसके लिए मामूली दर से प्रभार लिया जाता है, सभी सेवाएं नि:शुल्क उपलब्ध करायी जाती हैं। निर्धन रोगियों से मामूली दर से प्रभार भी नहीं लिया जाता है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा ही राज्य के सरकारी अस्पतालों/निजी अस्पतालों/अन्य नैदानिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए प्रभार का निर्धारण किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

झांजरा कोयला परियोजना की क्षमता

4227. श्री सुनील खां: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ई.सी.एल. की झांजरा परियोजना की उत्पादन क्षमता के 100 वर्षों तक बने रहने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में प्रबंधन और कामगारों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना की विशाल क्षमता का दोहन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) झांजरा परियोजना का अनुमानित खनन योग्य भंडार लगभग 200 मि.ट. है। झांजरा परियोजना की मोचन-निषेध रिपोर्ट में 1.03 मि.ट वार्षिक उत्पादन की अभिकल्पना है और इस दर पर परियोजना की अवधि 100 वर्षों से अधिक होगी। किन्तु, परियोजना में बृहत उत्पादन प्रौद्योगिकी जैसी कन्टीन्यूअस माइनर और लांगवाल को लागू करके उच्चतर उत्पादन क्षमता की संभावना है।

(ग) प्रस्ताव पर संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक में चर्चा हुई थी और इस संबंध में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को अवगत करा दिया गया था।

(घ) कन्टीन्यूअस माइनर प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए, कोल इंडिया लि. द्वारा एक पृथक परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया है और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई.सी.एल.) ने इस प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी है। लांगवाल खानों के कार्यान्वयन हेतु ई.सी.एल. ने पहले ही एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो वर्तमान में सरकार के अनुमोदन की प्रक्रिया के अधीन है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का योगदान

4228. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी:
श्री वाडिगा रामकृष्णा:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड समुद्री, तेल, रक्षा और पत्तन क्षेत्रों के लिए पोतों का निर्माण करता है;

(ख) यदि हां, तो अब तक राष्ट्रीय समुद्री उद्योग में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित और सुपुर्द किए गए पोतों का क्षमता-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, राष्ट्रीय समुद्री उद्योग के लिए अभी तक बनाए गए पोतों/कूपमुख प्लेटफार्मों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा वर्ष, 2004-2005 के दौरान बनाए गए और सुपुर्द कर दिए गए जलयानों का क्षमता-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया जा रहा है।

(घ) 15.8.2005 को मौजूद स्थिति के अनुसार, वर्तमान वर्ष में उपर्युक्त कंपनी द्वारा हासिल किए गए आदेशों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया जा रहा है।

(ङ) उपर्युक्त यार्ड को अंतर्देशीय बाजारों के साथ-साथ, अंतर राष्ट्रीय बाजारों से पोत-निर्माण के आदेश हासिल करने में सहायता करने की दृष्टि से, मौजूदा पोत-निर्माण-सहायता-उपदान-योजना के अनुसार, भारत-सरकार, उपर्युक्त यार्ड को सहायता-उपदान प्रदान कर रही है। उपर्युक्त सहायता-उपदान के साथ-साथ, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किए गए लगातार संगत प्रयासों के परिणामस्वरूप, पोत-निर्माण की आदेश-पुस्तिका की स्थिति में सुधार हुआ है, जिससे उसकी क्षमता के उपयोग में वृद्धि हुई है। उपर्युक्त कंपनी की नए सिरे से वित्तीय पुन:संरचना किए जाने के बारे में भारत-सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, जिससे उपर्युक्त यार्ड के तकनीकी उन्नयन और बेहतर वित्तीय हालात के कारण उसकी क्षमता का बेहतर उपयोग होने की आशा है।

इसके अलावा, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा अपनी विद्यमान क्षमता का उपयोग बढ़ाने की दृष्टि से उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

1. नौसेना रीफिट, छोटे रीफिट और मध्यम रीफिट की रेट्रोफिटिंग और 877 ई के एम पनडुब्बी जैसी विशेष श्रेणी की पनडुब्बियों के आधुनिकीकरण का काम हाथ में लेना।
2. वर्ष, 2004-05 से पोत-मरम्मत और रेट्रोफिटिंग के व्यवसाय में सुधार करने की दृष्टि से नए आदेश हासिल करने के लिए सुविख्यात विदेशी यार्डों से सहयोग/संयुक्त उपक्रम कायम करना।
3. नौसेना के ओ पी वी, टैंकरों और सर्वेक्षण-जलयानों के आदेश हासिल करना।

विवरण I

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटिड द्वारा, राष्ट्रीय समुद्री उद्योग के लिए अभी तक बनाए गए पोतों/कूपमुख प्लेटफॉर्मों का ब्यौरा

समुद्री क्षेत्र	
जहाजी माल जलयान	54
सामान्य जहाजी माल-सह-बहुउद्देशीय जलयान	12
सामान्य जहाजी माल-सह-कंटेनर जलयान (छोटे बनाए गए पायनियर्स)	03
बल्क कैरियर (एच एस एल फ्लैक्सीबल डिजाइन 27,000 डी डब्लयू टी)	07
42,750 डी डब्ल्यू टी बल्क कैरियर	03
रक्षा-क्षेत्र	
सर्वेक्षण जलयान	01
मूरिंग जलयान	01
एच एस डी ओ जे ऑयलर	01
लैडिंग शिप टैंक	01
किनारे पर अवस्थित गश्ती जलयान	05
प्रशिक्षण पोत	01
तेल-क्षेत्र	
(क) पोत	
आपूर्ति-जलयान	06
ड्रिल पोत	01
(ख) कूपमुख प्लेटफॉर्म	
जैकेट्स-11	
डैक्स-11	
पत्तन	
विशाखापट्टनम-पत्तन-न्यास के लिए निकर्षक	02
पत्तन-सर्वेक्षण-जलयान (सी पी सी)	01
मुरगांव-पत्तन-न्यास और विशाखापट्टनम-पत्तन-न्यास के लिए टग	07
एफ आर पी लांच-विशाखापट्टनम-पत्तन-न्यास	01
अन्य	
यात्री फेरी/पोत	02
यात्री-सह-जहाजी माल पोत	09
मोटर लांच (एच एस एल)	03
लैंडिंग क्राफ्ट (एच एस एल)	02
बजरे	12
750 डी डब्ल्यू टी बजरे -6	
अंडमान-निकोबार-प्रशासन के लिए पंटून-सह-बजरे -6	
प्लवमान क्रेन	01
कुल	136+22*

*कूपमुख प्लेटफॉर्म-ढांचे

विवरण II

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटिड द्वारा, वर्ष 2004-05 के दौरान बनाए गए और सुपुर्द कर दिए गए जलयानों का क्षमता-वार ब्यौरा

क्र.सं.	यार्ड संख्या	श्रेणी (क्षमता)	स्वामी
1.	11107	100 यात्री जलयान	अंडमान-निकोबार-प्रशासन
2.	11108	100 यात्री जलयान	अंडमान-निकोबार-प्रशासन
3.	11109	100 यात्री जलयान	अंडमान-निकोबार-प्रशासन
4.	11126 से 11131 तक	10×8×2 मीटर के 6 बजरे	अंडमान-निकोबार-प्रशासन
5.	11177	17.5 टन की प्लवमान क्रेन	मैसर्स सरत चटर्जी एंड कंपनी
6.	11113	500 घन मीटर ग्रैब हॉपर ड्रैजर	विशाखापट्टनम-पत्तन-न्यास
7.	कार्यादेश 2699	एफ आर पी लांच	विशाखापट्टनम-पत्तन-न्यास

विवरण III

15.8.2005 को मौजूद स्थिति के अनुसार, वर्तमान वर्ष अर्थात् वर्ष, 2005-2006 में उपर्युक्त कंपनी द्वारा हासिल किए गए आदेशों का ब्यौरा

क्र.सं.	यार्ड संख्या	श्रेणी (क्षमता)	स्वामी
1.	11132 से 11135 तक	4 यूटिलिटी लांच	अंडमान-निकोबार प्रशासन
2.	11136 से 11141 तक	53,000 डी डब्ल्यू टी क्षमता के डायमंड श्रृंखला के 6 हैंडी मैक्स बल्कर	मैसर्स गुड अर्थ मैरिटाइम लिमिटेड, चेन्नई

आउटकम बजट रिपोर्ट

4229. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग के एक गैर सरकारी सलाहकार द्वारा हाल ही में प्रकाशित "आऊटकम बजट" रिपोर्ट में रोजगार गारंटी योजना, ग्राम स्वास्थ्य मिशन आदि जैसे आठ प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में धनराशि के अपर्याप्त होने को उजागर किया गया है जैसा कि दिनांक 20 जुलाई, 2005 को हिन्दी दैनिक "राष्ट्रदूत" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी-ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कार्यक्रम-वार कोई भी मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) प्रधान मंत्री के निर्देशों और वर्ष 2005-06 की प्रतिबद्धता, जिनमें प्रमुख कार्यक्रमों के परिणामों के महत्व पर बल देने के लिए कहा गया था। योजना आयोग ने वित्त मंत्रालय के अनुरोध पर आउटकम बजट 2005-06 के संबंध में पहचान किए गए परिणामों और मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का संकलन किया गया है, जिसे चालू सत्र के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में रखे जाने की संभावना है। आउटकम बजट सरकारी कार्यक्रमों के लिए निधियों की पर्याप्तता का आकलन नहीं है।

(ग) से (च) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आवश्यकता के अनुसार और योजना आयोग द्वारा आवश्यक समझे जाने पर भी, निष्पादन, कार्यान्वयन प्रक्रिया, वितरण प्रणाली की प्रभाविता और कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) द्वारा नियमित रूप से कार्यान्वयनाधीन चुनिंदा कार्यक्रमों/स्कीमों का मूल्यांकन किया जाता है। ये रिपोर्टें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड की पूरी हो चुकी/लंबित परियोजना

4230. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी प्रत्येक सहायक कंपनियों की पूरी हो चुकी/लंबित पड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) लंबित एवं पूरी हो चुकी परियोजनाओं के अनुमानित व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों की परियोजनाएं दस वर्षों से अधिक समय से लंबित पड़ी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलंब के कारण इस पर कितना अतिरिक्त व्यय किया गया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बी.एस.एन.एल. द्वारा प्रापण नीति में संशोधन

4231. श्री जुएल ओराम:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड का विचार इसकी प्रापण नीति में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु बी.एस.एन.एल. द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) टेलीफोन उपस्कर के देशीय विनिर्माण की वांछनीयता का अनुभव इस उद्देश्य के साथ किया गया है कि अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर वांछित गुणवत्ता/मानक उत्पादों बिक्री-पश्चात सेवाओं की तत्काल उपलब्धता और देश में नई प्रौद्योगिकियों का विकास हो। भारत संचार निगम लि. एक प्रापण ढांचे (प्रोक्योरमैंट फ्रेमवर्क) के निर्माण पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है, जिसके अंतर्गत केवल वे विक्रेता (वैण्डर) जो कतिपय दूरसंचार उत्पादों का स्वदेशी निर्माण करते हैं (या जिनके पास ऐसा करने की सुनिश्चित योजना है) प्रापण के पात्र हैं।

[हिन्दी]

मस्तिष्क आघात

4232. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री महेश कनोडीया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रति वर्ष लाखों लोग मस्तिष्क आघात के खतरे का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन लोगों को खतरे से बचाने हेतु कोई उपाय करने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमानों के अनुसार, भारत में होने वाली 9.4 मिलियन मौतों में से 619,000 मौतें आघात से हुई। इससे आघात संबंधी मृत्युदर प्रति 100,000 पर 73 हो गई है।

(ख) से (घ) ''राष्ट्रीय मधुमेह हृदयवाहिका रोग नियंत्रण कार्यक्रम'' संबंधी एक मसौदा प्रस्ताव योजना आयोग को ''सैद्धान्तिक'' अनुमोदन हेतु भेजा गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आरोग्य निधि

4233. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आरोग्य निधि हेतु राज्यवार कितने धन का आबंटन किया गया है;

(ख) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे रोगियों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और इसमें शामिल किए गए रोगियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु लोगों का चयन करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत आबंटित की गई पूरी धनराशि को खर्च नहीं करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत धनराशि का आबंटन राज्यवार नहीं किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में रह रहे रोगियों को वित्तीय सहायता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अलावा कुछ सरकारी अस्पतालों/संस्थानों द्वारा अनुरक्षित रिवाल्विंग फण्ड तथा सम्बद्ध राज्य की बीमारी निधि के माध्यम से जारी की जाती है। राज्य बीमारी निधि में सम्बद्ध राज्य सरकार और भारत सरकार का 2:1 के अनुपात में योगदान होता है। तदनुसार, जिन राज्यों ने राज्य बीमारी निधि की स्थापना की है उन्हें गत तीन वर्षों के दौरान संलग्न विवरण के अनुसार धनराशि जारी की गयी है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित और व्यय की गयी धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

(लाख रुपयों में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
2002-03	310.00	420.00
2003-04	414.00	480.00
2004-05	450.00	675.00

रोगियों की संख्या तथा सम्बद्ध राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा रोगियों को दी गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा केन्द्र स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के निर्धन रोगियों को, जो जीवन के लिए घातक बीमारियों से ग्रस्त हैं तथा किसी भी सरकारी अस्पताल में उपचार करा रहे हैं, वित्तीय सहायता दी जाती है।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(लाख रुपयों में)

वर्ष/राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
झारखण्ड	150.00	50.00	–
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	40.00	50.00	25.00
राजस्थान	100.00	101.00	–
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	50.00	–	50.00
जम्मू-कश्मीर	–	24.00	–
केरल	–	100.00	–
उत्तरांचल	–	25.00	–
लक्षद्वीप	–	50.00	–
छत्तीसगढ़	–	–	205.00
गोवा	–	–	90.00
कर्नाटक	–	–	100.00
पांडिचेरी	–	–	25.00

परिवार नियोजन के संदेश को लोकप्रिय बनाना

4234. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार परिवार नियोजन के संदेश को आम जनता तक पहुंचाने हेतु फिल्मों में प्रच्छन्न (सरोगेट) विज्ञापन आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ समन्वय कर रही है;

(घ) यदि हां, तो अब तक की गई वार्ता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

बी.ए.एम.एस. स्नातकों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति अपनाने की अनुमति देना

4235. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया:
श्री हंसराज जी. अहीर:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बेचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिसीन सर्विसेज इन्टीग्रेटेड मेडिकल ग्रैजुएट्स को देश में आधुनिक चिकित्सा पद्धति को अपनाने की अनुमति दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा कब तक विचार किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) इस मामले की जांच डा. मुख्तार चंद और अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य की दीवानी मुकदमें की अपील संख्या 89/1987 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 15 एवं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम (आईएमसीसी) की धारा 17 के सुसंगत अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि राज्य भारतीय चिकित्सा रजिस्टर या केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज उस व्यक्ति को आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा की किसी भी शाखा में चिकित्सक का कार्य करने के लिए कोई गुंजाइश नही है जब तक कि वह 1956 के अधिनियम के आशय के तहत किसी राज्य चिकित्सा रजिस्टर में भी नामांकित नहीं हो जाता। तथापि, औषधि और

प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के नियम 2 (ङ ङ) (iii) के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों को उन राज्यों में आधुनिक औषधियों के नुस्खे लिखने का अधिकार प्राप्त होगा जहां किसी चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करने के ऐसे अधिकार की सुविधा राज्य की उस विधि द्वारा प्रदान की जाती है जिसके अंतर्गत भारतीय चिकित्सा के अभ्यासियों को राज्य में पंजीकृत किया जाता है।

कोयला विपणन में कथित अनियमितताएं

4236. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों/विद्युत संयंत्रों को कोयले का विपणन करने में कथित अनियमितताओं और हेराफेरी को लेकर वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो/सतर्कता एजेन्सियों को जांच हेतु कितने मामले भेजे गए हैं;

(ग) पायी गई अनियमितताओं और हेराफेरी की संलिप्तता का ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा कोयले का सक्षम रूप से विपणन करने हेतु की गई कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्राप्त शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एम.एस.ई.बी.) ने कोयला वाशरी यूनिटों के साथ, उनकी ओर से वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू.सी.एल.) से कोयला उठाने और एम.एस.ई.बी. के विद्युत गृहों को धुले कोयले की आपूर्ति करने का करार किया है। इन यूनिटों को इस कोयले के 20% को "रिजक्टस" के रूप में बेचने की अनुमति है और एम.एस.ई.बी. को कोयले का केवल 80% प्राप्त होता है। वाशरी यूनिटें स्थानीय लघु स्तर की यूनिटों को अवशिष्ट कोयले की आड़ में अच्छी गुणवत्ता का कोयला बेच रही हैं और इस प्रकार एम.एस.ई.बी. को नुकसान पहुंचा रही हैं। इसके अतिरिक्त, एम.एस.ई.बी. इन वाशरियों को कोयला धुलाई प्रभारों का भुगतान भी कर रहा है। डब्ल्यू.सी.एल. के पदाधिकारियों की मिलीभगत का आरोप भी शिकायत में लगाया गया है।

महाराष्ट्र सरकार तथा डब्ल्यू.सी.एल. से मामले को सत्यापित करने तथा रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है। चूंकि मामले को अभी भी सत्यापित किया जा रहा है, इसलिए इसे सी.बी.आई./सतर्कता एजेंसियों को भेजने का प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) डब्ल्यू.सी.एल. में ई-नीलामी के माध्यम से कोयले की बिक्री अप्रैल, 2005 से शुरू कर दी गई है। ई-नीलामी के अंतर्गत, उपभोक्ता, चाहे वह लिंक्ड हो अथवा गैर-लिंक्ड अपनी कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भाग ले सकता है। उपभोक्ता स्वयं की आवश्यकता की मात्रा और गुणवत्ता के लिए बोली लगाने हेतु स्वतंत्र है। वर्ष 2005-06 के लिए ई-नीलामी के लिए डब्ल्यू.सी.एल. को 2.2 मिलियन टन कोयले की मात्रा का आबंटन किया गया है जिसे, उपलब्धता तथा उपभोक्ताओं की मांग के आधार पर बढ़ाए जाने की उम्मीद है। उपर्युक्त के अलावा, लघु तथा अति लघु उपभोक्ताओं की कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला, नेशनल को-आपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन (एन.सी.सी.एफ.) तथा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की राज्य सरकार की एजेंसियों को भी आबंटित कर दिया गया है। नॉन-कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं के प्रचालन/अस्तित्व से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन करने का भी निर्णय लिया गया है। तदनुसार, डब्ल्यू.सी.एल. ने ऐसे उपभोक्ताओं से आवश्यक दस्तावेज मंगाए हैं और असली उपभोक्ताओं की कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सत्यापन किया जा रहा है।

परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों को क्षति

4237. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में स्थित परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों की विभिन्न इकाइयों को हाल की बाढ़ के कारण भारी क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्षति का सही-सही पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्रवार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा प्रत्येक ऐसे संयंत्र को सामान्य हालत में लाने के लिए कितना काम किया गया है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं की डाक टिकटें जारी किया जाना

4238. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार चालू वर्ष के दौरान और आगामी वर्ष में आज तक भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं के संबंध में डाक टिकटें जारी करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी नहीं। हालांकि, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी पर एक डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव है, जिन्हें 2005-06 में भारत रत्न से भी अलंकृत किया है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एड्स से निपटना

4239. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एड्स को रोकने में लगे संगठनों ने इस विश्वव्यापी जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश के साथ हाथ मिलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश में एड्स के उन्मूलन हेतु हाथ मिलाने वाले संगठन कौन-कौन से हैं;

(घ) आंध प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकार और संबंधित संगठनों के बीच हस्ताक्षरित समझौता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कदम से राज्य में एड्स का कितना उन्मूलन होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अत्यधिक जोखिम वाली जनसंख्या के लिए लक्षित कार्यकलाप कार्यान्वित करने वाले गैर सरकारी संगठनों के अलावा, एड्स को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर के अनेक संगठन एचआईवी/एड्स का सामना करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिल गए हैं। ऐसे संगठनों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) पांच संगठनों नामत: (1) भारतीय उद्योग परिसंघ, (2) लेपरा इंडिया, (3) हिन्दुस्तान लेटेक्स फेमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट, (4) सेन्टर फॉर वर्ल्ड सोलिडारिटी, और (5) पीपल लिविंग विद एचआईवी/एड्स ने आंध प्रदेश सरकार को एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर सहायता करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ एचआईवी/एड्स से संबद्ध मुद्दों पर उद्योग प्रमुखों को सुग्राही बनाना, सूचना और शिक्षा द्वारा अधिक सुरक्षित सेक्स प्रेक्टिसस को बढ़ावा देना, कार्यक्रम में शामिल काउंसलरों की क्षमता का निर्माण, लक्षित कार्यकलाप कार्यक्रम कार्यान्वयन का अनुरक्षण और पर्यवेक्षण, ड्रॉप इन सेंटरों को चलाना आदि शामिल है।

(ङ) ये सभी संगठन महामारी को नियंत्रित करने और समुदाय को एचआईवी निवारण एवं उपचार कार्यक्रमों का स्वामित्व और अगुआई करने के लिए समर्थ बनाकर तथा प्रेरित करके व्याप्तता को नियंत्रित करके न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए सरकार को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

विवरण

उन संगठनों की सूची जो राज्य में एड्स का सामना करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिल गए हैं।

क्र.सं.	संगठन का नाम
1	2
1.	आंध्र प्रदेश विधायक मंच
2.	आंध्र प्रदेश ग्राम पंचायत सरपंच एसोसिएशन
3.	यूनिसेफ
4.	भारतीय रेडक्रास सोसायटी
5.	बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउंडेशन (उनके भागीदार फेमिली हैल्ड इंटरनेशनल, पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल, सेंटर फॉर एडवोकेसी एण्ड रिसर्च, हिन्दुस्तान फेमिली प्लानिंग प्रोमोशन ट्रस्ट, एलान्स, टीसीआईई, केयर इंडिया)

1	2
6.	कैथोलिक हैल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (कैथोलिक हैल्थ एसोसिएशन आफ इंडिया) कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज (सीआरएस) के साथ
7.	हिन्दुस्तान लेटेक्स फेमिली प्लानिंग प्रोमोशन ट्रस्ट
8.	भारतीय उद्योग परिसंघ
9.	आंध्र प्रदेश भागीदार मंच
10.	सेंटर फॉर वर्ल्ड सोलिडरिटी
11.	लेपरा इंडिया
12.	पीएलएचए नेटवर्कस
13.	इंडियन मेडिकल एसोसिएशन
14.	नेहरू युवक केन्द्र

(अधिक जोखिम वाली जनसंख्या के लिए लक्षित कार्यकलाप कार्यान्वित करने वाले सभी गैर सरकारी संगठन)।

[हिन्दी]

अधिकारियों के विरुद्ध सी.बी.आई. की जांच

4240. श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान सी.बी.आई. ने संयुक्त सचिव स्तर या उससे ऊपर के अधिकारियों के विरुद्ध जांच की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध जांच की गई है और उनके विरुद्ध मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी.बी.आई. ने गत दो वर्षों के दौरान संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने हेतु सरकार से अनुमति मांगी है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे अधिकारी कौन-कौन से हैं और किस तिथि को अनुमति मांगी गई थी और किस तिथि को अनुमति दी गई है; और

(ङ) अनुमति देने में हुए विलंब के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी हां।

(ख) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(ङ) अनुमति देने में सामान्यत: कोई अत्यधिक विलंब नहीं हुआ है।

विवरण

1.1.2004 से 31.7.2005 तक संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर अधिकारियों के विरुद्ध जांच/ अन्वेषण हेतु हाथ में लिए गए मामलों का ब्यौरा

क्र. सं.	मामला आई डी सं. दर्ज किए जाने की तारीख सहित	अभियुक्त का नाम और पदनाम (केवल संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के)	सरकार से अनुमति मांगे जाने की तारीख	सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने की तारीख	मामले की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	आर.सी. 15/2004-जे.ए.आई. दिनांक 31.7.2005	डा. टी.डी. दत्ता, अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर	15.7.2004	23.7.2004	जांच चल रही है।
2.	आर.सी. 16/2004-जे.ए.आई. दिनांक 31.7.2005	डा. टी.डी. दत्ता, अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना जयपुर	15.7.2004	23.7.2004	जांच चल रही है।

1	2	3	4	5	6
3.	आर.सी. 10(ए)/2005-एन.पी.आर. दिनांक 27.6.2005	श्री संजय कुमार तिवारी, तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक तथा महाप्रबंधक, रेलवे इंडिया तकनीकी आर्थिक सेवा, रेल मंत्रालय, नागपुर	9.4.2005	15.6.2005	जांच चल रही है।
4.	आर.सी. 3(ए.)/2005-एस.सी.यू.-1/एस.स.आर.-1 दिनांक 12.4.2006	श्री बलदेव सिंह संधू, भारतीय राजस्व सेवा आयकर आयुक्त, अहमदाबाद	1.4.2005	6.4.2005	जांच चल रही है।
5.	आर.सी. 8 (ए.)/2005-रांची दिनांक 2.4.2005	1. श्री एम.के. थापर, तत्कालीन निदेशक (टी), अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक, सी.सी.एल., रांची, इस समय अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एस.ई.सी.एल., बिलासपुर	13.2.2004	4.4.2005	जांच चल रही है।
6.	पी.ई. 3/2005-सी.एच.जी. दिनांक 22.4.2004	श्री वीरेन्द्र सिंह, आर.ए.एस., तत्कालीन सलाहकार, प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव के रूप में कार्यरत	17.10.2003	30.1.2004	ऐसी कार्रवाई हेतु संस्तुत
7.	आर.सी. 1/2004-डी.एल.आई. दिनांक 1.1.2004	डा. श्रीमती के.के. कालड़ा, अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली	अपेक्षित नहीं (ट्रैप केस)	-	विचारण के अधीन
8.	पी.ई.-11/2005-डी.एल.आई. दिनांक 6.6.2005	श्री एच.एम. कैरे, आई.ए.एस. (ए. एंड एम. 1978), तत्कालीन आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली	23.3.2005	19.5.2005	जांच चल रही है।
9.	पी.ई. 1/2004-के.ओ.एल. दिनांक 29.1.2004	श्री एन.के. शर्मा, अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक, कोल इंडिया लि.	9.1.2004	19.1.2004	समाप्त

1	2	3	4	5	6
10.	आर.सी. 39/2004-के.ओ.एल. दिनांक 9.9.2004	श्री मलय सेनगुप्ता, तत्कालीन महाप्रबंधक, इस समय अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक, मैटल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, कोलकाता	15.7.2004	6.8.2004	जांच चल रही है।
11.	आर.सी. 48/2004-के.ओ.एल./ए सी यू-IV दिनांक 10.10.2004	श्री प्रकाश सिंह, अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	अपेक्षित नहीं (ट्रैप केस)	–	जांच चल रही है।
12.	पी ई 1 (ए)/2005-बी एल आर दिनांक 15.4.2005	श्री एम.एस. जाहिद, अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक, मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि., बैंगलूर	20.1.2005	4.4.2005	जांच चल रही है।
13.	आर.सी. 1/2004-ए एच डी/पी ए टी दिनांक 24.1.2004	श्री ब्रह्मदेव प्रसाद, तत्कालीन अध्यक्ष, बिहार राज्य बिजली बोर्ड, पटना	अपेक्षित नहीं। उच्च न्यायायल निर्दिष्ट मामला	–	ऐसी कार्रवाई हेतु संस्तुत
14.	आर.सी. 2/2004-ए एच डी/पी ए टी दिनांक 24.1.2004	1. श्री एल.के. लाल, तत्कालीन सदस्य (तकनीकी), बिहार राज्य बिजली बोर्ड, पटना 2. श्री ब्रह्मदेव प्रसाद, तत्कालीन अध्यक्ष, बिहार राज्य बिजली बोर्ड, पटना	अपेक्षित नहीं। उच्च न्यायालय निर्दिष्ट मामला	–	ऐसी कार्रवाई हेतु संस्तुत
15.	आर.सी. 3/2004-ए एच डी पी ए टी दिनांक 24.1.2004	श्री ब्रह्मदेव प्रसाद, तत्कालीन अध्यक्ष, बिहार राज्य बिजली बोर्ड, पटना	अपेक्षित नहीं। उच्च न्यायालय निर्दिष्ट मामला	–	ऐसी कार्रवाई हेतु संस्तुत
16.	आर.सी. 4/2004-ए एच डी/पी ए टी दिनांक 24.1.2004	श्री ब्रह्मदेव प्रसाद, तत्कालीन अध्यक्ष, बिहार राज्य बिजली बोर्ड, पटना	अपेक्षित नहीं। उच्च न्यायालय निर्दिष्ट मामला	–	समाप्त
17.	आर.सी. 5/2004-ए एच डी/पी ए टी दिनांक 24.1.2004	श्री एस.पी. कोचर, तत्कालीन अध्यक्ष, बिहार राज्य बिजली बोर्ड, पटना	अपेक्षित नहीं। उच्च न्यायालय निर्दिष्ट मामला	–	ऐसी कार्रवाई हेतु संस्तुत
18.	आर.सी.-1/2004-ए सी यू-1 दिनांक 27.2.2004	श्री युवराज गुप्ता, आई.आर.एस., सीमा शुल्क आयुक्त (अन्वेषण), सेटलमेंट कमीशन, मुम्बई	24.11.2003	29.12.2003	जांच चल रही है।

1	2	3	4	5	6
19.	आर.सी.-5/2004-ए सी यू-II दिनांक 27.9.2004	श्री अजय कुमार टक्कर, महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लि., मुम्बई	16.9.2004	17.9.2004	जांच चल रही है।
20.	आर.सी.-2/2005-ए सी यू-III दिनांक 4.4.2005	श्री अशोक कुमार दिनकर, महाप्रबंधक, महानगर टेलीफोन निगम लि., मुम्बई	22.3.2005	24.3.2005	जांच चल रही है।
21.	आर.सी.-3/2005-ए सी यू-I दिनांक 6.6.2005	श्री एम.के. घोष, तत्कालीन संयुक्त निदेशक (कॉस्ट), रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय, डी.एच.क्यू, साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली (अब संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली)	जिस समय मामला दर्ज किया गया था उस समय ये संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी नहीं थे इसलिए अनुमति अपेक्षित नहीं थी।	–	जांच चल रही है।
22.	आर.सी.-48/2004-के ओ एल/ए सी यू-IV दिनांक 10.10.2004	श्री प्रकाश चंद, अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य	21.12.2004	8.2.2005	जांच चल रही है।
23.	आर.सी.-1/2005-ए सी यू-IV दिनांक 1.2.2005	श्री राजेन्द्र प्रकाश, आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिल्ली	27.1.2005	28.1.2005	जांच चल रही है।
24.	आर.सी.-2/2005-ए सी यू-IV दिनांक 10.2.2005	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयकर निदेशक (अनुसंधान), नई दिल्ली	20.1.2005	21.1.2005	जांच चल रही है।
25.	आर.सी.-3/2005-ए सी यू-IV दिनांक 5.5.2005	श्री बी.पी. मीणा, आई.आर.एस.:80, आयकर आयुक्त (अपील-13), नई दिल्ली	1.4.2005	26.4.2005	जांच चल रही है।
26.	पी.ई.-1/2004-ई ओ यू-VII दिनांक 6.3.2004	1. श्री पदमाकर मिश्रा, आई.आर.एस.:66 2. श्री वी.एस. सिंह, आर.आर.एस.:83, 3. श्री सुब्रोतो दास, आई.आर.एस.:68.	16.2.2004	26.2.2004	समाप्त

1	2	3	4	5	6
27.	आर सी. 2/2004-ई ओ यू-VII दिनांक 12.1.2004	श्री जवाहर ठाकुर, तत्कालीन, मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	9.12.2003	22.12.2003	जांच चल रही है।
28.	पी ई 1/2004-ई.ओ.डब्ल्यू/एम.यू.एम.	1. श्री प्रभाकर मिश्रा, आई आर.एस.: 68	3.3.2004	12.3.2004	बंद किया गया। एस सी एन विभाग को भेजा गया
29.	पी.ई. 1/2004-एस.टी.एफ./एम.यू.एम. दिनांक 24.2.2004	श्री राकेश मारिया, आई पी एस (महाराष्ट्र : 81)	–	–	पूछताछ पूरी की गई और एस सी एन गृह मंत्रालय को भेजी जा रही है।
30.	पी.ई. 2(ए)/2004-जी.डब्ल्यू, एच. दिनांक 26.5.2004	श्री एम आर पसरीजा, निदेशक (वित्त), आयल इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	26.4.2004	30.4.2004	समाप्त
31.	आर.सी. 10(ए)/2004-सी.एच.एन. दिनांक 24.2.2004	1. सुश्री कल्पागम भास्करन, आयुक्त और सदस्य-1 एप्रोप्रिएट प्राधिकरण, आयकर, चेन्नई 2. श्री देव वर्मन, आयुक्त और पूर्व सदस्य-2, एप्रोप्रिएट प्राधिकरण, चेन्नई और वर्तमान में आयुक्त X (प्रशासन) आयकर, चेन्नई	23.1.2004	16.2.2004	जांच चल रही है।
32.	आर.सी. 21(ए)/2004-सी.एच.एन. दिनांक 29.4.2004	श्री दामोदर सारंगी, आयकर आयुक्त (ए)X, आयकर, चेन्नई,	26.3.2004	12.4.2004	जांच चली रही है।
33.	आर.सी. 22(ए)/2004-सी.एच.एन. दिनांक 29.4.2004	श्री डी. दास गुप्ता, आयकर आयुक्त (अपील-3), आयकर, चेन्नई	26.3.2004	12.4.2004	जांच चल रही है।
34.	आर.सी. 23(ए)/2004-सी.एच.एन. दिनांक 29.4.2004	श्री सुशील कुमार, आयकर आयुक्त (अपील-IV) आयकर, चेन्नई	26.3.2004	12.4.2004	चांज चल रही है।

1	2	3	4	5	6
35.	आर.सी. 24(ए)/2004-सी.एच.एन. दिनांक 29.4.2004	श्री टी. गोरखनाथन, आयकर आयुक्त (अपील) केन्द्रीय रेंज-II और आयकर आयुक्त (ए) II, आयकर, चेन्नई	26.3.2004	12.4.2004	जांच चल रही है।
36.	आर.सी. 25(ए)/2004-सी.एच.एन. दिनांक 29.4.2004	श्री जी.एस. कुरूप, आयकर आयुक्त (ए), केन्द्रीय रेंज-1, चेन्नई	26.3.2004	12.4.2004	जांच चल रही है।
37.	आर.सी. 26(ए)/2004-सी.एच.एन. दिनांक 29.4.2004	श्री एस. चेल्लप्पन, आयकर आयुक्त (ए) III, आयकर चेन्नई वर्तमान में आयकर आयुक्त, तिरूपति	26.3.2004	12.4.2004	जांच चल रही है।
38.	आर.सी.27(ए)/2004 सी.एच.एन. दिनांक 29.4.2004	श्री पॉल जॉर्ज, आयकर आयुक्त (ए), VI, आयकर चेन्नई, वर्तमान में आयकर आयुक्त, बेलगाम	26.3.2004	12.4.2004	जांच चल रही है।
39.	आर.सी.28(ए)/2004-सी.एच.एन. दिनांक 29.4.2004	श्री टी.पी. कृष्णकुमार, पूर्व अपर निदेशक, अन्वेषण, आयकर, चेन्नई, वर्तमान में आयकर आयुक्त, कोयम्बटूर	26.3.2004	12.4.2004	जांच चल रही है।
40.	आर.सी.29(ए)/2004 सी.एच.एन. दिनांक 29.4.2004	श्री जे सुरेश, आयकर आयुक्त (अपीलें) IX, आयकर, चेन्नई	26.3.2004	12.4.2004	जांच चल रही है।
41.	आर.सी.45(ए)/2004-सी.एच.एन. दिनांक 29.6.2004	श्री एन.पी. त्रिपाठी, तत्कालीन, आयकर आयुक्त (ए), आयकर, चेन्नई वर्तमान में डी जी आई टी (छूट) कोलकाता	14.5.2004	2.6.2004	जांच चल रही है।
42.	आर.सी.13(ए)/2004-के.ई.आर. दिनांक 27.5.2004	श्री आर.सुन्दरेश शिनॉय, निदेशक (विपणन), उर्वरक और रसायन त्रेवेन्कोर लिमिटेड, निगमित कार्यालय, उद्योगमण्डल, एर्नाकुलम	11.6.2004	24.6.2004	जांच चल रही है।

1	2	3	4	5	6
43.	पी.ई.2(ए)/2004-के.ई.आर. दिनांक 7.8.2004	1. श्री आर. सुन्दरेश शिनॉय, निदेशक (विपणन), उर्वरक और रसायन त्रेवेन्कोर लिमिटेड, निगमित कार्यालय, उद्योगमण्डल, एर्नाकुलम 2. श्री डी. एन. प्रधान, निदेशक (वित्त), उर्वरक और रसायन त्रेवेन्कोर लिमिटेड, निगमित कार्यालय, उद्योगमण्डल, एर्नाकुलम	5.7.2004	19.7.2004	जांच चल रही है।
44.	आर.सी.19(ए)/2005-बी.बी.एस.आर. दिनांक 18.4.2005	श्री दुर्गा प्रसाद कार, आई आर एस, आयकर आयुक्त, आसनसोल, पश्चिम बंगाल	1.4.2005	6.4.2005	जांच चल रही है।
45.	आर.सी. 31(ए)/04-एम.यू.एम. दिनांक 7.6.2004	श्री आर.के. अग्रवाल, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, पन्वेल, नवी मुम्बई	16.6.2004	24.6.2004	जांच चल रही है।
46.	आर.सी.36(ए)/2004-एम.यू.एम. दिनांक 2.7.2004	श्री पी.के. अजवानी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कमीश्नरी थाने-II, दादर, मुम्बई	31.8.2004	2.9.2004	जांच चल रही है।
47.	आर.सी.37(ए)/2004-एम.यू.एम. दिनांक 8.7.2004	श्री ए.वी. दुग्गाढे, तत्कालीन उप महाप्रबंधक, मुम्बई शहर क्षेत्र, महाराष्ट्र बैंक (वर्तमान में कार्यपालक निदेशक, बी ओ एम)	15.6.2004	23.6.2004	जांच चल रही है।
48.	आर.सी.44(ए)/2004-एम.यू.एम. दिनांक 29.9.2004	श्री पी.के. अजवानी, आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कमीश्नरी थाने-II, दादर, मुम्बई	5.10.2004	12.10.2004	जांच चल रही है।
49.	पी.ई.1(ए)/2004-एम.यू.एम. दिनांक 30.6.2004	श्री वाई. राधाकृष्णन, उप प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया और अन्य	26.5.2004	17.6.2004	जांच चल रही है।
50.	आर.सी.5(ए)/2005-एम.यू.एस. दिनांक 8.2.2005	श्री आर.पी. कैम, महाप्रबंधक (कार्गो), भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (आई ए डी), छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुम्बई	अपेक्षित नहीं (ट्रैप केस)	–	अभियोजन हेतु संस्वीकृति प्रतीक्षित है।

(ख) मोबाइल टॉवर के कार्यकरण के पश्चात प्री पेड सिम कार्डों की पंजीकरण संख्या कितनी है और उनके पंजीकरण की तिथियां कौन-कौन सी हैं;

(ग) पंजीकरण के पश्चात् अब तक कितने सिम कार्ड वितरित किए गए हैं;

(घ) क्या खीरी के महाप्रबंधक ने कथित रूप से निजी कंपनियों के साथ सांठ-गांठ करके बी.एस.एन.एल. लैंडलाइन और मोबाइल सेवाओं को बदतर स्थिति में ला दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो बी.एस.एन.एल. लैंडलाइन और मोबाइल सेवाओं द्वारा खराब सेवा प्रदान किए जाने के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) मोहम्मदी, जिला खीरी, उत्तर प्रदेश में भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) के मोबाइल टॉवर ने जून, 2004 से कार्य करना आरंभ कर दिया है।

(ख) पंजीकरण 15 जुलाई, 2004 को शुरू किया गया और मोहम्मदी में प्री-पेड सिम कार्डों के आवेदकों की संख्या 1340 है।

(ग) 29.9.2004 तक 317 प्रीपेड सिम कार्ड वितरित किए जा सके थे, तभी 4.10.2004 को माननीय सिविल जल, कनिष्ठ पीठ मोहम्मदी, ने सिम कार्डों के आगे वितरण पर रोक लगा दी। जनवरी, 2005 में स्थगन आदेश रद्द हो जाने से शेष कनैक्शन दिए जा रहे हैं। सभी पंजीकृत उपभोक्ताओं को इस माह में अन्त तक कनैक्शन दिए जाने की आशा है।

(घ) और (ङ) लखीमपुर खीरी दूरसंचार जिले ने विगत तीन वर्षों से सकारात्मक वृद्धि दर्शायी है, हालांकि उपभोक्ताओं ने लैंडलाइन की तुलना में बेतार सेवाओं को लेना पंसद किया है। ऐसा सामान्यतया उद्योग रूझान के अनुसार है और इस प्रकार रिकार्ड में ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिससे अधिकारी के खिलाफ आरोप सिद्ध हो सके।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य बीमा योजना

4246. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ गठित आयोग ने इस संबंध में सरकार को कोई अन्तरिम/अन्तिम रिपोर्ट सौंप दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) भारत सरकार ने सितम्बर, 2004 में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों/व्यक्तियों के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की है। न्यू इंडिया एस्यूरेंश कंपनी लिमिटेड इस योजना को चला रही है। इस योजना की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:

* योजना में प्रति परिवार चलायमान आधार पर 30,000 रुपए तक के अस्पताली खर्च के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।
* परिवार का कमाने वाले मुखिया की दुर्घटना से मौत होने पर 25,000 रुपए की बीमा सुरक्षा मिलती है।
* योजना के अंतर्गत अधिकतम 15 दिनों के लिए 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कमाई की भरपाई के लिए मुआवजा दिया जाता है।
* योजना के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम एक व्यक्ति के लिए 365 रुपए, पांच व्यक्तियों के लिए 548 रुपए और सात व्यक्तियों के लिए 730 रुपए नियत किया गया है। सरकारी सहायता एक व्यक्ति के लिए 200 रुपए, पांच व्यक्तियों के लिए 300 रुपए और सात व्यक्तियों के लिए 400 रुपए नियत की गई है। इस प्रकार गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए भुगतान किया जाने वाला वार्षिक प्रीमियम एक व्यक्ति, पांच व्यक्तियों के परिवार और सात व्यक्तियों के परिवार के लिए क्रमश: 165 रुपए, 248 रुपए और 330 रुपए है।
* यह पॉलिसी 65 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों के लिए है।

वर्ष 2004-05 और 2005-06 (30 जून, 2005 तक) के दौरान व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कवर की गई पालिसी, परिवार और व्यक्तियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

वर्ष	पालीसी की संख्या	परिवारों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या	प्रीमियम रुपए (लाख में)
2004-05	52,772	65,718	682611	260665
2005-06 (30 जून तक)	30,664	34,014	719299	1666251

(ग) और (घ) स्वास्थ्य बीमा के लिए कोई ऐसा आयोग गठित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

स्पोर्टस यूनिवर्सिटी

4247. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोई स्पोर्टस यूनिवर्सिटी है;

(ख) यदि हां, तो यह कहां पर अवस्थित है;

(ग) क्या सरकार की प्रत्येक राज्य में स्पोर्टस यूनिवर्सिटी स्थापित करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई अनुदान स्वीकृत किया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कोडलैस फोनों की मरम्मत/उनके काम न करने से संबंधित शिकायतें

4248. श्री पारसनाथ यादव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष से एम.टी.एन.एल., दिल्ली के पास कोडलैस फोनों की मरम्मत/उनके काम न करने से संबंधित लंबित पड़ी शिकायतों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से दिल्ली स्थित लक्ष्मीबाई नगर के सरकारी क्वार्टरों से संबंधित शिकायतों की संख्या कितनी है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन शिकायतों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) ऐसी कोई शिकायत लंबित नहीं है।

(ख) शून्य।

(ग) से (ङ) उपरोक्त भाग (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान से होकर सामान लाने और ले जाने की मनाही

4249. श्री वाडिगा रामकृष्णा: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत से हैल्थ बिस्किट/गेहूं को अफगानी बच्चों तक अपने क्षेत्र से होकर पहुंचाने की अनुमति नही दी थी जैसा कि दिनांक 31 जुलाई, 2005 के "इंडियान एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) इस कारण कुल कितना घाटा उठाना पड़ा है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां। पाकिस्तान ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत अफगानिस्तान के स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के लिए गेहूं/बिस्कुट ले जाने की अनुमति नहीं दी।

(ख) पाकिस्तान अपने भूक्षेत्र से भारतीय माल ले जाने की अनुमति नहीं देता है, जिसमें अफगानिस्तान के लिए भारतीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत ले जाए जाने वाली वस्तुएं/सामग्री भी शामिल है।

(ग) पाकिस्तान से होकर जाने में परिवहन पर होने वाले व्यय का पता न होने के कारण, होने वाले अतिरिक्त व्यय की गणना नहीं की जा सकती है। ईरान होकर बिस्कुट भेजने में परिवहन पर हुए व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है

9526 मी. टन बिस्कुट की पहली खेप – 11 करोड़ रु.

7496 मी. टन बिस्कुट की दूसरी खेप – 14.29 करोड़ रु.

18,000 मी. टन बिस्कुट की तीसरी खेप – 31.08 करोड़ रु.

चार लेनों की सड़कों पर पथकर लगाया जाना

4250. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चार लेनों वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में चार लेनों वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर लगाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में चार लेनों वाली सड़कों पर पहले से ही पथकर लिया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार चार लेनों वाली सड़कों पर पथकर लगाने हेतु किसी निजी कंपनी को ठेका देने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) देश में चार और उससे अधिक लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुसार यथासंशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-7 के अनुसार केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों के प्रयोग के लिए शुल्क लगा सकती है।

(ग) आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चार और उससे अधिक लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रयोक्ता शुल्क वसूल किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) दिनांक 27.8.1997 की राष्ट्रीय राजमार्ग नियमावली (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड तथा स्थायी लोक वित्तपोषित परियोजनाओं के प्रयोग के लिए शुल्क) सा.का.नि. 490 (ई) में विभागीय रूप से संबंधित निष्पादन एजेंसी अथवा निजी एजेंसी को प्रयोक्ता शुल्क संगृहीत करने की अनुमति है। तदनुसार प्रयोक्ता शुल्क या तो विभाग द्वारा या प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया आधार पर इसे ठेके पर देकर निजी एजेंसियों द्वारा संगृहीत किया जा रहा है।

विवरण

देश में चार और उससे अधिक लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	कुल लंबाई (कि.मी.)
1.	आंध्र प्रदेश	1173
2.	असम	19
3.	बिहार	166
4.	चंडीगढ़	24
5.	छत्तीसगढ़	8
6.	दिल्ली	66
7.	गोवा	26
8.	गुजरात	915
9.	हरियाणा	327
10.	झारखंड	139
11.	कर्नाटक	448
12.	केरल	54
13.	मध्य प्रदेश	133
14.	महाराष्ट्र	507
15.	मणिपुर	2
16.	उड़ीसा	250
17.	पंजाब	264
18.	राजस्थान	866
19.	तमिलनाडु	502
20.	उत्तरांचल	3
21.	उत्तर प्रदेश	653
22.	पश्चिम बंगाल	420

[हिन्दी]

कोयला परियोजनाओं का बंद होना

4251. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
मोहम्मद शाहिद:
श्री मो. ताहिर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की कुछ कोयला परियोजनाओं को बंद करने का है जैसा कि दिनांक 2 अगस्त, 2005 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी परियोजनाएं किन-किन राज्यों के लिए स्वीकृत की गई थी;

(घ) क्या सरकार ने प्रत्येक ऐसी परियोजना से निकाले जाने वाले कोयले की अनुमानित मात्रा के संबंध में आकलन किया था;

(ङ) इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(च) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं के बंद होने के कारण कोयले की सम्भावित कमी के संबंध में आकलन किया है; और

(छ) यदि हां तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्रमुख पत्तनों के निजीकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन

4252. श्री अनन्त नायक: क्या **पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को वॉटर ट्रांसपोर्ट वर्क्स फेडेरेशन ऑफ इंडिया से देश के प्रमुख पत्तनों के अंधाधुंध निजीकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अभ्यावेदनों की जांच की है; और

(घ) यदि हां तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या हैं?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) भारतीय जल-परिवहन-कामगार-संघ सहित, पत्तन मजदूरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन, समय-समय पर पत्तन-सेवाओं के निजीकरण के साथ-साथ, मौजूदा कंटेनर टर्मिनलों, जहाजी माल के घाटों, आदि को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दे देने और उन कंपनियों को, बनाओ, चलाओ और हस्तांरित कर दो के आधार पर कंटेनर टर्मिनलों और जहाजी माल के घाटों के निर्माण की अनुमति दिए जाने का विरोध करते आ रहे हैं, जिससे, उनके अनुसार, पत्तन और डाक कामगारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

महापत्तनों का किसी प्रकार से अंधाधुंध निजीकरण नहीं किया गया है। सरकार, प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर, अलग-अलग मामलों में, महापत्तनों के विकास और संचालन में विदेशी कंपनियों सहित, गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देती चली आ रही है, जो कि सामान्यत: काम-काज के उन क्षेत्रों तक ही सीमित है, जो कि वाणिज्यिक प्रकृति के है। गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत, यह सुनिश्चित करते हैं कि इस प्रकार की गैर सरकारी भागीदारी से महापत्तनों में कार्यरत मौजूदा मजदूरों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। मौजूदा कानूनी ढांचे के अंतर्गत इस प्रकार की भागीदारी से महापत्तनों का विस्तार करने और उनकी कार्यकुशलता तथा उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से अति आवश्यक संसाधन जुटाने में सहायता मिली है। सरकार का यह सुविचारित विचार है कि पत्तन-क्षेत्र में गैर सरकारी निवेश के प्रवाह की मौजूदा क्षमता का पूरी तरह से दोहन (उपयोग) किया जाना आवश्यक है।

चिकित्सा उपकरणों का विनियमन

4253. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रत्यारोपण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में अविनियमित चिकित्सा उपकरणों को औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के दायरे में लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने भेषज कंपनियों को इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी, हां। औषध तकनीकी परामर्शी बोर्ड ने 2 अगस्त, 2005 को हुई अपनी बैठक में औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 3 (ख) (IV) के अंतर्गत स्टैंटों, केथेटरों, इन्ट्रा आकूलर लैन्स, IV कोन्नुला, बोन सीमेंट, हर्ट वाल्व, स्कालप वेन सेट, ओर्थोपेडिक्स इम्प्लांट्स और इन्टरनल प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट सहित विसंक्रमित चिकित्सीय युक्तियों को अधिसूचित करने के लिए सिफारिश की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दसवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

4254. श्री के.सी. सिंह "बाबा": क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के संबंध में लक्ष्य क्या है,

(ख) जुलाई, 2005 तक देश में विशेषकर उत्तरांचल में निर्मित सड़कों का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विशेषकर उत्तरांचल में वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक राष्ट्रीय राजमार्गों के नवीकरण और मरम्मत हेतु वर्षवार और राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है और व्यय की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण संबंधी लक्ष्य संग्लन विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) इसके ब्यौरे संलग्न-विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) इसके ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण I

क्र.सं.	स्कीम का नाम	दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2002-03 से 2005-06) के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों के लिए लक्ष्य
1.	दो लेन का बनाना (कि.मी.)	3475
2.	विद्यमान कमजोर पेवमेंट का सुदृढ़ीकरण (कि.मी.)	9994
3.	चार लेन बनाना (कि.मी.)	7227
4.	निम्न ग्रेड खंड का सुदृढ़ीकरण (कि.मी.)	133
5.	सड़क गुणता सुधार कार्यक्रम (कि.मी.)	14664
6.	आर ओ बी सहित पुलों की मरम्मत/निर्माण (संख्या)	750
7.	बाइपासों का निर्माण (संख्या)	62

विवरण II

10वीं योजना में निर्मित सड़कों के वर्षवार ब्यौरे

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वर्ष			
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (जुलाई, 05 तक)
1.	दो लेन का बनाना (कि.मी.)	710 (36.89)	671 (43.20)	719 (42.86)	297 (19.53)
2.	विद्यमान कमजोर पेवमेंट का सुदृढ़ीकरण (कि.मी.)	1109 (26.68)	1489 (0)	2981 (0)	557 (0)
3.	चार लेन बनाना (कि.मी.)	418 (0)	799 (3)	2386 (3)	351 (0)
4.	निम्न ग्रेड खंड का सुदृढ़ीकरण (कि.मी.)	12 (0)	68 (4.68)	42 (0)	9 (0)
5.	सड़क गुणता सुधार कार्यक्रम (कि.मी.)	4894 (46.37)	3691 (53.50)	3134 (11.50)	972 (38.50)
6.	आर ओ बी सहित पुलों की मरम्मत/निर्माण (संख्या)	143 (0)	123 (0)	105 (6)	40 (0)
7.	बाइपासों का निर्माण (संख्या)	12 (0)	6 (0)	5 (0)	0 (0)

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उत्तरांचल राज्य के हैं।

विवरण III

राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आबंटित निधियों और व्यय की गई धनराशि के वर्षवार और राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष					
		2003-04		2004-05		2005-06	
		आबंटन (करोड़ रु.)	खर्च की गई धनराशि (करोड़ रु. में)	आबंटन (करोड़ रु. में)	खर्च की गई धनराशि (करोड़ रु. में)	आबंटन (करोड़ रु. में)	7/05 खर्च की गई धनराशि (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	37.42	35.39	34.67	20.65	43.78	12.65
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.31	0.16	0.41	0.10	0.32	0.02
3.	असम	23.27	22.37	22.42	11.28	25.08	शून्य**
4.	बिहार	29.48	36.52	46.28	22.25	30.78	22.00
5.	चंडीगढ़	0.28	0.31	0.80	0.40	0.50	0.04
6.	छत्तीसगढ़	15.34	17.43	26.99	16.69	19.03	4.31
7.	दिल्ली	0.42	0	0.75	0	0.42	शून्य
8.	गोवा	5.03	5.01	3.80	1.75	2.55	0.09
9.	गुजरात	22.47	20.88	37.39	26.09	27.00	3.60
10.	हरियाणा	11.19	11.66	5.95	3.96	10.52	3.20
11.	हिमाचल प्रदेश	13.45	10.77	16.10	13.53	14.70	6.61
12.	जम्मू-कश्मीर	0.54	0.46	0.44	0.05	0.42	शून्य
13.	झारखंड	15.46	13.66	23.78	7.63	17.96	2.52
14.	कर्नाटक	38.73	39.35	37.40	31.56	33.60	4.50
15.	केरल	20.81	23.66	8.45	7.40	33.19	5.00
16.	मध्य प्रदेश	57.50	68.80	59.49	49.85	54.14	10.48
17.	महाराष्ट्र	49.85	48.71	48.48	41.61	42.50	4.99
18.	मणिपुर	6.96	7.33	7.02	3.20	10.08	शून्य
19.	मेघालय	9.41	9.20	12.24	9.11	8.63	0.83
20.	मिजोरम	5.55	5.44	4.56	1.90	4.33	0.33
21.	नागालैण्ड	1.98	1.97	2.31	1.13	3.44	शून्य
22.	उड़ीसा	42.51	40.53	33.83	24.06	34.56	8.66

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	पांडिचेरी	0.83	0.84	1.06	0.65	0.80	0.04
24.	पंजाब	20.09	18.80	19.03	14.52	18.68	3.02
25.	राजस्थान	27.93	25.81	53.11	39.48	45.54	13.90
26.	तमिलनाडु	41.36	31.11	35.43	29.18	57.92	4.43
27.	उत्तरांचल	3.66	2.62	14.60	7.99	11.60	2.71
28.	उत्तर प्रदेश	55.68	55.19	54.92	44.15	48.32	4.46
29.	पश्चिम बंगाल	23.57	27.07	25.67	15.79	21.40	4.93
30.	बी आर डी बी	17.00	17.00	17.00	16.99	22.00	4.98
31.	एन एच ए आई	133.57	133.57	91.09	91.09	50.00	88.74

[अनुवाद]

सी.एस.एस. काडरों का केन्द्रीयकरण करना

4255. श्री बागुन सुम्बरूई: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 3 अक्टूबर, 2003 में अन्य बातों के साथ-साथ सहायक से निदेशक तक सी.एस.एस. काडर का केन्द्रीयकरण करने और डी.ओ.पी.टी. में सी.एस. डिवीजन द्वारा काडर व्यवस्था करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या काडर व्यवस्था अथवा ई.ओ. कार्यालय से सी.एस.एस. को सी.एस. डिवीजन में स्थानांतरण करने हेतु आवश्यक राजपत्रित अधिसूचना जारी नहीं गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त मामले में राजपत्रित अधिसूचना कब तक जारी की जाएगी?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ङ) अक्टूबर, 2003 में, सरकार ने, केन्द्र सचिवालय सेवा के पुनर्गठन का अनुमोदन किया था और अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग का प्रबंधन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के केन्द्रीय सचिवालय (सी.एस.) प्रभाग द्वारा केन्द्रीकृत रूप से किया जाएगा। इस बारे में आवश्यक आदेश दिनांक 20.4.2005 के आदेश संख्या: 21.1.2004-के.से.-1 द्वारा जारी किए गए हैं।

स्वास्थ्य पर आधारित उपग्रह छोड़ा जाना

4256. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश द्वारा कितने उपग्रह छोड़े गए और इनके विशिष्ट उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में स्वास्थ्य पर आधारित उपग्रह छोड़ने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्वास्थ्य पर आधारित उपग्रह कब तक छोड़े जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) गत तीन वर्षों के दौरान छोड़े गए उपग्रह तथा इनके उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

उपग्रह	उद्देश्य
1	2
मेटसैट-1 (कल्पना-1)	मौसमविज्ञानीय पर्यवेक्षणों के लिए विशिष्ट उपग्रह
इन्सैट-3ए	संचार और मौसमविज्ञान के लिए बहु-उद्देशीय उपग्रह

1	2
जीसैट-2	परीक्षणात्मक संचार
इन्सैट-3ई	सी-बैण्ड तथा विस्तृत सी-बैण्ड प्रेषानुकरों सहित प्रचालनात्मक संचार उपग्रह
रिसोर्ससैट-1	प्राकृतिक संसाधन प्रबंध में उपयोगों के लिए प्रचालनात्मक सुदूर संवेदन उपग्रह
जीसैट-3(एडुसैट)	देश में शिक्षा के प्रसार हेतु समर्पित प्रचालनात्मक विषय संबंधी उपग्रह
कार्टोसैट-1	मानचित्रकला संबंधी मानचित्रण उपयोगों के लिए प्रचालनात्मक सुदूर संवेदन उपग्रह
हैमसैट	उपग्रह आधारित अव्यवसायी रेडियो सेवाओं के लिए उपयोग विशिष्ट सूक्ष्म उपग्रह

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष उपचार

4257. श्री रघुनाथ झा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वरिष्ठ नागरिकों को सीजीएचएस औषधालयों में रक्त परीक्षण और अन्य परीक्षण कराने के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिकों के रक्त परीक्षण और अन्य परीक्षण प्राथमिकता के आधार पर कराने का है;

(ग) क्या सीजीएचएस पैनल के अंतर्गत डा. लाल पैथोलोजी लैबोरेटरी जैसी विभिन्न प्रयोगशालाएं वरिष्ठ सीजीएचएस लाभार्थियों के रक्त और अन्य नमूने उनके आवासों से एकत्रित नहीं कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन वरिष्ठ नागरिकों के आवासों से रक्त नमूने आदि एकत्रित करने से मना करने वाली ऐसी प्रयोगशालाओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और डा. लाल पैथोलॉजी लेबोरेटरी, नई दिल्ली समेत प्रत्येक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट आस्पताल/नैदानिक केन्द्रों के प्राधिकृत अधिकारियों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौता ज्ञापन में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के निवास से रक्त और अन्य नमूने एकत्र करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

युवक कार्यक्रम और खेल कार्यकलापों को बढ़ावा देना

4258. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में युवक कार्यक्रम और खेल कार्यकलापों को बढ़ावा देने और उनके आयोजन के लिए किन-किन मदों को चुना गया और कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में युवक कार्यक्रम और खेल के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और इस संबंध में क्या उपलब्धि प्राप्त की गई;

(ग) क्या लोकप्रिय और स्वदेशी खेल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा विशेष छात्रवृत्तियां दी जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन खेलों को चुना गया और उनके लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(च) क्या सरकार ने खेलों के लिए डे बोर्डिंग स्कीम लागू की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ज) राजस्थान के उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां यह योजना लागू की गई है;

(झ) क्या ऐसे स्थानों की पहचान करते समय वास्तविक तथ्यों की उपेक्षा की गई है;

(ञ) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ट) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ठ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) और (घ) देशज खेल विधाओं के लिए छात्रवृत्तियां विशेष रूप से चिन्हित नहीं की गई हैं। तथापि, खेल छात्रवृत्ति देने की योजना के अंतर्गत कुल 39 खेल विधाएं अनुमोदित हैं। ये सभी (39) खेल विधाएं दो श्रेणियों नामत: प्राथमिकता-प्राप्त खेल विधाएं (संख्या 21) तथा गैर-प्राथमिकता प्राप्त खेल विधाएं (संख्या 18) में विभाजित है। न्यूनतम 75% छात्रवृत्तियां प्राथमिकता प्राप्त खेल विधाओं को प्रदान की जाती है।

(ङ) विभिन्न खेल विधाओं हेतु छात्रवृत्तियां देने के लिए कोई विशिष्ट धनराशि चिन्हित नहीं है। तथापि, जहां तक राजस्थान का संबंध है, पिछले तीन वर्षों के दौरान छात्रवृत्तियों की कुल संख्या तथा उनके लिए दी गई धनराशि निम्नानुसार है:

	2002-03	2003-04	2004-05
खेल छात्रवृत्तियां की संख्या	205	221	449
जारी की गई छात्रवृत्तियों की राशि (रु. में)	11,61,000	13,54,800	30,31,800

(च) जी, हां।

(छ) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा भा.खे.प्रा. के क्षेत्रीय केन्द्रों में विभिन्न खेल संवर्धन योजनाओं जैसे राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता, विशेष क्षेत्र खेल, भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र तथा उत्कृष्टता केन्द्र के अंतर्गत डे-बार्डिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस योजना में भारतीय खेल प्राधिकरण केन्द्रों में बेहतर प्रशिक्षण अवसर प्रदान करना है। जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर उपर्युक्त प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाता है।

(ज) डे-बोर्डिंग योजना राजस्थान में निम्नलिखित भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्रों में कार्यान्वित की जाती है:

1. श्री गुरू नानक खालसा स्कूल, श्रीगंगानगर
2. भूलाल नूल्स एच.एस. स्कूल, उदयपुर
3. माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, नागवास बांदीकुई, दौसा
4. पद्म बनारी डी.ए.वी. पब्लिक, स्कूल, बिनानीग्राम, पिंडवारा, सिरोही।
5. जवाहर नवोदय विद्यालय, तेलबांसी, भावी, जोधपुर
6. जवाहर नवोदय विद्यालय, खेरली, दौसा
7. गुरू हनुमान व्यायामशाला, पटेल मैदान, अजमेर
8. 61 कोवलरी केन्द्र जयपुर
9. भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर
10. भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, जोधरपुर।

(झ) जी, नहीं।

(ञ) जी, नहीं।

(ट) प्रश्न नहीं उठता।

(ठ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

2002-2005 के दौरान लक्ष्यों और उपलब्धियों सहित विभिन्न युवा विकास और खेल संवर्धनकारी योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान को उपलब्ध करायी गयी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

योजना का नाम	वित्तीय सहायता (रु. में)			निश्चित लक्ष्य			उपलब्धि		
	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राष्ट्रीय सेवा योजना	2,57,54,896	2,60,50,173	2,17,00,000	95,000 एनएसएस स्वयंसेवकों को आबंटन	1,04,500 एनएसएस स्वयंसेवकों को आबंटन	1,20,000 एनएसएस स्वयंसेवकों को आबंटन	96,000 एनएसएस स्वयंसेवकों को नामित किया गया	1,05,735 एनएसएस स्वयंसेवकों को नामित किया गया	1,26,500 एनएसएस स्वयंसेवकों को नामित किया गया
युवा संबंधी गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	5,01,786	14,22,895	3,99,935	राज्यवार कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया	राज्यवार कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया	राज्यवार कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया	5 गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई थी	13 गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई थी	5 गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई थी
युवा छात्रावास	शून्य	शून्य	40,00,000	-वही-	-वही-	-वही-	-	-	2 युवा छात्रावासों को वित्तीय सहायता दी गई थी
राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन	4,89,245	17,91,234	11,55,608	-वही-	-वही-	-वही-	5 गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई थी	11 गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई थी	8 गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई थी
साहस का संवर्धन	1,15,350	1,97,250	शून्य	-वही-	-वही-	-वही-	3 गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई थी	2 गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई थी	-
खेल अवस्थापना की योजना	23,52,000	54,39,000	34,68,000	-वही-	-वही-	-वही-	20 परियोजनाओं/ खेल उपस्करों को वित्तीय सहायता दी गई थी	33 परियोजनाओं/ खेल उपस्करों को वित्तीय सहायता दी गई थी	34 परियोजनाओं/ खेल उपस्करों को वित्तीय सहायता दी गई थी
नेहरू युवा केन्द्र संगठन की योजनाएं	2,54,47,315	2,16,46,931	2,22,13,031	युवा सशक्त विकास कार्यक्रमों की संख्या	90	90	90	88	86	83
				व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	120	120	120	145	350	317
				जागरूकता अभियान की संख्या	90	90	90	89	177	83
				कार्य शिविरों की संख्या	90	90	90	87	102	81
				खेल संवर्धन कार्यक्रम	90	90	90	134	104	97
				कार्यशालाएं एवं सेमिनार	30	30	30	41	26	24
				सांस्कृतिक कार्यक्रम	90	90	90	87	87	77
				साहस संवर्धन कार्यक्रम	60	60	60	97	53	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाएं	1,61,00,000	1,57,37,000	2,09,54,000	विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं	150	150	150	205	221	449
				अन्य योजनाएं जैसे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता (एनटीएससी), भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र	कोई राज्यवार लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया	कोई राज्यवार लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया	कोई राज्यवार लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया			

ग्रामीण खेल कार्यक्रम

4259. श्री कैलाश मेघवाल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "ग्रामीण खेल कार्यक्रम" के अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्यक्रम किन-किन एजेंसियों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं;

(ग) उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निधियों के आबंटन के लिए मानदंड क्या हैं; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान राजस्थान में ग्रामीण खेल कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए सरकार द्वारा आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है और निधियां किस एजेंसी के माध्यम से आबंटित की गई हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय "खेल गतिविधियों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन" की एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत ग्रामीण खेल कार्यक्रम उन घटकों में से एक हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से कार्यन्वित किए जा रहे ग्रामीण खेल कार्यक्रम को जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए सहायता-अनुदान प्रदान की जाती है। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को अनुदान राशि का आबंटन भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। मंत्रालय जिला स्तरीय स्पर्धाओं के आयोजन के लिए, नेहरू युवा केन्द्र संगठन हित गैर सरकारी संगठनों को भी 30,000 रुपये प्रति विद्या की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के सहयोग से भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्तर के टूर्नामेंटों का आयोजन किया जाता है। राज्य स्तर पर टूर्नामेंटों को आयोजित करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को प्रति विद्या 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। संघ शासित क्षेत्र के मामले में, यह सहायता प्रति विद्या 25,000 रुपये तक सीमित है। राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट के लिए, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग से विभिन्न राज्यों में बारी-बारी से टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को 2,50,000 रुपये प्रति खेल विद्या की सहायता दी जाती है।

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण खेल कार्यक्रम भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) और नेहरू युवा केन्द्र संगठन के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) योजना के ब्यौरे प्रत्येक वर्ष भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा विभिन्न राज्यों को जारी किए जाते हैं और पिछले अनुदानों के लिए निधियों हेतु अनुरोध और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर संबंधित राज्यों को निधियां जारी की जाती है।

(घ) गत दो वर्षों के लिए राजस्थान को जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

2003-04	3,00,000 रुपये
2004-05	अनुदानों के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था।

[अनुवाद]

कर्नाटक में यूथ कैंप

4260. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान यूथ कैंप लगाने हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियों की स्वीकृति के लिए कर्नाटक सरकार से सिफारिश प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार और संगठनवार ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) राष्ट्रीय एकीकरण और साहस के संवर्धन की योजना के अंतर्गत, गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में अठारह संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई थी। ये प्रस्ताव नेहरू युवा केन्द्रों/राष्ट्रीय सेवा योजना से प्राप्त हुए थे।

(ख) वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय एकीकरण के संवर्धन की योजना

2002-03

1. कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़।
2. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़।
3. धर्मात्मा शैक्षिक एवं ग्रामीण विकास समिति, बंगलौर।
4. ग्रामीण विकास के लिए जीवन विकास समिति, चित्रदुर्ग।
5. नेहरू युवा केन्द्र, तुमकुर।
6. रायल शैक्षिक सामाजिक तकनीकी सांस्कृतिक संगठन, बंगलौर।

2003-04

7. श्री प्रगति ग्रामीण विकास समिति, शिमोगा।

2004-05

8. साधना ग्रामीण विकास ट्रस्ट, कोलार
9. एकीकरण विकास ट्रस्ट, मैसूर

साहस के संवर्धन की योजना

2002-03

10. कुर्ग साहस क्लब, कुर्ग।
11. श्री वेंकटेश्वर शैक्षिक और ग्रामीण विकास विज्ञान समिति तुमकुर।
12. एकीकरण ग्रामीण विकास समिति, कोलार।
13. गवन शिक्षा ट्रस्ट, बीदर।
14. श्री वेंकटेश्वर युवा क्लब, देवनगेरे।
15. कल्याणी ग्रामीण विकास विज्ञान समिति, कोलार।

2003-04

शून्य

2004-05

16. फिरदोसा महिला समाज, हासन।
17. अल-अमीन ग्रामीण शिक्षा विकास स्वास्थ्य समिति, तुमकुर।
18. समाज सेवा समिति बंगलौर।

पुणे में नया दूरभाष केन्द्र

4261. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में पुणे स्थित राजगुरू नगर के पश्चिमी भाग में नया दूरभाष केन्द्र खोलने के लिए कोई अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पुणे में राजगुरू नगर तालुका के पश्चिमी भाग के मौजूदा दूरभाष केन्द्रों में प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के लिए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु बीएसएनएल द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। पुणे स्थित राजगुरूनगर के पश्चिमी भाग में चिखलगांव और देहाने में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का अनुरोध किया गया है।

(ख) बीएसएनएल के नए टेलीफोन एक्सचेज खोलने संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, 5 कि.मी. की परिधि के भीतर 150 से अधिक की प्रतीक्षा सूची होनी चाहिए। चूंकि पुणे स्थित राजगरूनगर के पश्चिमी भाग का कोई भी गांव इस मानदंड को पूरा नहीं करता है, अत: वहां कोई नया एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) राजगुरूनगर और चाकन, प्रत्येक में 750 लाइनों वाले सीडीएमए बीटीएस संस्थापित किए गए हैं जो राजगुरूनगर के

भागों को कवर करते हैं। राजगुरूनगर के पश्चिमी भाग के कुछ और हिस्से को कवर करने के लिए मानचर एसडीसीए के अंतर्गत तालेघर में एक सीडीएमए बीटीएस की संस्थापना करने का प्रस्ताव है। पुणे के राजगुरूनगर तालुका के पश्चिमी भाग में 199 की छितरी हुई प्रतीक्षा सूची है। अधिकांश प्रतीक्षा सूची को डब्ल्यूएलएल प्रौद्योगिकी के माध्यम से मार्च, 2006 तक उत्तरोत्तर रूप से निपटाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

खाड़ी युद्ध पीड़ितों को मुआवजा

4262. श्री धावरचन्द गेहलोत: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत में कार्यरत भारतीय नागरिकों को संयुक्त राष्ट्र की ओर से कोई मुआवजा प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उन्हें अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि का दावा किया गया और कितनी राशि स्वीकृत हुई और इस संबंध में अपर्याप्त धनराशि प्राप्त करने वालों का ब्यौरा क्या है;

(घ) मुआवजे के ऐसे कितने मामले अभी लंबित है और इसके क्या कारण है;

(ङ) भारतीय नागरिकों को दावा की गई राशि का शीघ्र और पूरा संवितरण कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार का विचार भारतीय नागरिकों को पर्याप्त मुआवजा दिलाना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां।

(ख) एक अलग विवरण संलग्न है।

(ग) संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग की अनुमोदित दावों संबंधी व्यक्तियों की सूची गोपनीय होती है और केवल संबंधित व्यक्तियों को ही दिखाई जा सकती है।

मुआवजे से सम्बद्ध आवेदन पत्रों की जांच करना, उनका मूल्यांकन करना और भुगतान की मात्रा का निर्धारण करना अथवा दावे को पूर्णत: अस्वीकार करने का पूरा दायित्व संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग का है।

(घ) संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग ने हमें 8,615 दावेदारों की एक ऐसी सूची भेजी थी जिनके दावों की राशि अनुमोदित थी किन्तु इस सूची को संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग को वापिस कर दिया गया था, क्योंकि उस अंश विशेष के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग द्वारा दी गई अवधि के भीतर उन्हें खोजा न जा सका।

(ङ) विदेश मंत्रालय के विशेष कुवैत सैल ने यह सूची उन चार राष्ट्रीयकृत बैंकों को सौंपी थी, जिन्हें खाड़ी युद्ध के मुआवजे के वितरण हेतु नाम-निर्दिष्ट किया गया था। यह सूची खाड़ी देशों में स्थित भारतीय मिशनों और साथ ही विभिन्न राज्य सरकारों को भी भेजी गई थी। सभी संबंधितों को अपनी-अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में खोजे न जा सके दावेदारों की सूची को अधिक-से-अधिक प्रचारित करने को कहा गया है और ऐसे दावेदारों को अपने नवीनतम पते के साथ विदेश मंत्रालय के विशेष कुवैत सैल के सम्पर्क में रहने को कहा गया है।

(च) और (छ) संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग के साथ इस मसले पर विचार-विमर्श हेतु मई, 2005 में एक सचिव स्तर का शिष्टमंडल जेनेवा गया था। तथापि, संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग की स्थिति यह है कि किसी भी नए आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जा रहा है।

विवरण

(16.8.2005 की स्थिति के अनुसार)

विदेश मंत्रालय के विशेष कुवैत सैल में पंजीकृत दावों की कुल संख्या		दावे की कुल राशि (अमरीकी डालर)
श्रेणी 'क'	110,511	424,437,500-अमरीकी डालर
श्रेणी 'ख'	386	867,500 अमरीकी डालर
श्रेणी 'ग'	39,955	771,964,457 अमरीकी डालर
श्रेणी 'घ'	999	315,125,486 अमरीकी डालर
कुल	1,51,851	1,512,394,943 अमरीकी डालर

श्रेणीवार अनुमोदित दावेदारों की कुल संख्या

श्रेणी 'क'	104,980
श्रेणी 'ख'	183
श्रेणी 'ग'	40,846
श्रेणी 'घ'	841
कुल	1,46,490

दावेदारों को भुगतान की गई कुल राशि-917,575,243.36 अमरीकी डालर (सभी श्रेणियों के लिए)

संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग से प्राप्त कुल राशि-948,151,360.53 अमरीकी डालर (सभी श्रेणियों के लिए)

मेघालय में कोयला खनन

4263. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने मेघालय में कोयला खनन कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड की रिपोर्टों में मेघालय में कोयला उत्पादन संबंधी आंकड़े उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) मेघालय राज्य में कोल इंडिया लि. के अधीन कोई कोयला उत्पादक खान नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

झारखंड में विकास योजनाएं

4264. डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है;

(ख) क्या झारखंड से संबंधित विकास योजनाओं का लक्ष्य अब तक प्राप्त नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 के लिए झारखंड की विकास योजनाओं हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और अब तक कितना प्रतिशत कार्य पूरा किया गया है;

(घ) खराब कार्य-निष्पादन के क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास में तेजी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1844 कि.मी. है।

(ख) और (ग) वर्ष 2004-05 में झारखंड के लिए विकास परियोजनाओं के संबंध में निर्धारित लक्ष्य और पूरे किए गए कार्यों की प्रतिशतता के ब्यौरे निम्नवत हैं:

क्र.सं.	कार्य/परियोजना का नाम	लक्षित लंबाई (कि.मी.)	उपलब्धि		एजेंसी
			लंबाई (कि.मी.)	प्रतिशतता	
1.	चार लेन का बनाना (स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा)	78.75	66.30	84.19	भा.रा.रा.प्रा. (एनएचएआई)
2.	दो लेन का बनाना	17	12.5	73.5%	सड़क निर्माण
3.	सड़क गुणता सुधार कार्यक्रम का सुधार	64	87	135.9%	विभाग (आर सी डी) झारखंड
4.	कमजोर दो लेनों का सुदृढ़ीकरण	9	कुछ नहीं	0	

(घ) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, कानून व्यवस्था की समस्या तथा ठेकेदार द्वारा धीमी गति से सामग्री जुटाने के कारण चार लेन बनाने की परियोजनाओं में विलंब हुआ। निविदाओं पर कम प्रतिक्रिया प्राप्त होना, परियोजनाओं का नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होना, पुलों के फाउंडेशन डिजाइन में परिवर्तन, राज्य में नई शुरू की गई प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया के बारे में जानकारी न होना और राज्य विधान सभा के चुनाव के कारण सड़क निर्माण विभाग, झारखंड द्वारा निर्धारित समय के अनुसूची के अनुसार कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

(ङ) परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

महाराष्ट्र सहित देश में परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए किए गए उपाय

(1) स्वतंत्र इंजीनियर, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुख्यालय, राज्य सड़क निर्माण विभाग और मंत्रालय द्वारा जैसे विभिन्न स्तरों पर ठेकों की नियमित रूप से मानिटरिंग की जाती है।

(2) राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं (यूटीलिटीज) के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि समस्याओं के समाधान के लिए नोडल अधिकारियों के तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की है।

(3) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं (यूटीलिटीज) के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन, सड़क उपरि पुलों की स्वीकृत आदि जैसे अंतर-मंत्रालयों और केन्द्र-राज्यों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सचिवों की एक समिति गठित की गई है।

(4) सड़क उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए, रेलवे के एक अधिकारी को रेल मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है। कुछ आर.ओ.बी. के कार्य के कार्यान्वयन के लिए मै. इरकॉन के साथ एक समझौता-ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(5) चूक करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

डायरिया के कारण बच्चों की मृत्यु

4265. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्रतिवर्ष डायरिया के कारण मरने वाले बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार राज्य सरकारों को किस तरह सहायता प्रदान कर रही है; और

(घ) इस रोग का उन्मूलन कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) चुनींदा राज्यों में प्रमुख ग्रुप "शैशवावस्था में विशिष्ट कारण" के अंतर्गत विशेष कारणों से होने वाली मौतों की प्रतिशतता के अनुसार नवजात शिशुओं में 2.4 प्रतिशत मृत्यु अतिसार के कारण हुई थी। अतिसार के कारण होने वाली मृत्यु की ठीक-ठीक संख्या का पता लगाने के लिए कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

भारत सरकार प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य का दूसरा चरण लागू कर रही है जिसके अंतर्गत अतिसार के कारण होने वाली मौतों पर नियंत्रण पाने के उपाय किए जाते हैं। अतिसार के सभी रोगियों को नि:शुल्क वितरण के लिए देश भार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट की आपूर्ति किट 'ए' में की जाती है। अतिसार के कारण होने वाली मौतों को रोकने तथा ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट के उपयोग करने का प्रचार करने में स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य चलता रहता है। अतिसार की रोकथाम में स्वच्छ पेय जल और साफ-सफाई में सुधार लाना महत्वपूर्ण कार्यकलाप है। भारत सरकार ने केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम चला रही है। इसके अंतर्गत स्वच्छ पेय जल आपूर्ति विभाग समग्र स्वच्छ अभियान चला रहा है। भारत सरकार ने गांवों की स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने के लिए देश के 520 जिलों में समग्र स्वच्छता अभियान स्वीकृत किए हैं। समग्र स्वच्छता अभियान का उद्देश्य जागरूकता पैदा करके तथा स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना, स्वच्छता कवरेज को तेजी से बढ़ाना तथा स्वच्छता सुविधाओं की मांग तैयार करना है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में स्वास्थ्य, स्वच्छता, साफ-सफाई, पोषण और स्वच्छ पेय जल के

(घ) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, कानून व्यवस्था की समस्या तथा ठेकेदार द्वारा धीमी गति से सामग्री जुटाने के कारण चार लेन बनाने की परियोजनाओं में विलंब हुआ। निविदाओं पर कम प्रतिक्रिया प्राप्त होना, परियोजनाओं का नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होना, पुलों के फाउंडेशन डिजाइन में परिवर्तन, राज्य में नई शुरू की गई प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया के बारे में जानकारी न होना और राज्य विधान सभा के चुनाव के कारण सड़क निर्माण विभाग, झारखंड द्वारा निर्धारित समय के अनुसूची के अनुसार कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

(ङ) परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

महाराष्ट्र सहित देश में परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए किए गए उपाय

(1) स्वतंत्र इंजीनियर, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुख्यालय, राज्य सड़क निर्माण विभाग और मंत्रालय द्वारा जैसे विभिन्न स्तरों पर ठेकों की नियमित रूप से मानिटरिंग की जाती है।

(2) राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं (यूटीलिटीज) के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि समस्याओं के समाधान के लिए नोडल अधिकारियों के तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की है।

(3) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं (यूटीलिटीज) के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन, सड़क उपरि पुलों की स्वीकृत आदि जैसे अंतर-मंत्रालयों और केन्द्र-राज्यों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सचिवों की एक समिति गठित की गई है।

(4) सड़क उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए, रेलवे के एक अधिकारी को रेल मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है। कुछ आर.ओ.बी. के कार्य के कार्यान्वयन के लिए मै. इरकॉन के साथ एक समझौता-ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(5) चूक करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

डायरिया के कारण बच्चों की मृत्यु

4265. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्रतिवर्ष डायरिया के कारण मरने वाले बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार राज्य सरकारों को किस तरह सहायता प्रदान कर रही है; और

(घ) इस रोग का उन्मूलन कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) चुनींदा राज्यों में प्रमुख ग्रुप "शैशवावस्था में विशिष्ट कारण" के अंतर्गत विशेष कारणों से होने वाली मौतों की प्रतिशतता के अनुसार नवजात शिशुओं में 2.4 प्रतिशत मृत्यु अतिसार के कारण हुई थी। अतिसार के कारण होने वाली मृत्यु की ठीक-ठीक संख्या का पता लगाने के लिए कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

भारत सरकार प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य का दूसरा चरण लागू कर रही है जिसके अंतर्गत अतिसार के कारण होने वाली मौतों पर नियंत्रण पाने के उपाय किए जाते हैं। अतिसार के सभी रोगियों को नि:शुल्क वितरण के लिए देश भार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट की आपूर्ति किट 'ए' में की जाती है। अतिसार के कारण होने वाली मौतों को रोकने तथा ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट के उपयोग करने का प्रचार करने में स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य चलता रहता है। अतिसार की रोकथाम में स्वच्छ पेय जल और साफ-सफाई में सुधार लाना महत्वपूर्ण कार्यकलाप है। भारत सरकार ने केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम चला रही है। इसके अंतर्गत स्वच्छ पेय जल आपूर्ति विभाग समग्र स्वच्छ अभियान चला रहा है। भारत सरकार ने गांवों की स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने के लिए देश के 520 जिलों में समग्र स्वच्छता अभियान स्वीकृत किए हैं। समग्र स्वच्छता अभियान का उद्देश्य जागरूकता पैदा करके तथा स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना, स्वच्छता कवरेज को तेजी से बढ़ाना तथा स्वच्छता सुविधाओं की मांग तैयार करना है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में स्वास्थ्य, स्वच्छता, साफ-सफाई, पोषण और स्वच्छ पेय जल के

निर्धारकों के साथ स्वास्थ्य समस्याओं को जोड़ने की बात कही गई है।

ये प्रयास अतिसार की घटनाओं को कम से कम करने तथा मौतों को रोकने पर केन्द्रित हैं।

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय बीमा योजना

4266. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रवासी भारतीय बीमा योजना के अंतर्गत अब तक कितने प्रवासी भारतीय श्रमिकों का बीमा किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रवासी भारतीय बीमा योजना के अंतर्गत एड-ऑन फीचर्स के साथ नए उत्पाद शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन श्रमिकों की सुविधा के लिए विदेश में प्रवासी भारतीय बीमा योजना उपलब्ध कराने वाली बीमा कंपनियों के कार्यालय खोलने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) 31 मार्च, 2005 तक, प्रवासी भारतीय बीमा योजना के अंतर्गत 5.30 लाख पॉलिसी जारी की गई थी।

(ख) और (ग) प्रवासी भारतीय बीमा योजना के अंतर्गत कवरेज को इस प्रकार विस्तारित कर दिया गया है कि उसमें बीमांकित व्यक्ति के नौकरी/रोजगार कान्ट्रेक्ट में परिवर्तन होने से संबंधित विधिक खर्चों की प्रतिपूर्ति उस बीमांकित व्यक्ति को हुए नुकसान की सीमा तक है जिसमें प्राकृतिक मृत्यु भी शामिल है। यह भी निर्णय लिया गया है कि बीमा किए गए व्यक्ति के नौकरी/रोजगार कान्ट्रेक्ट/करार में कोई विशेष परिवर्तन करने से हुए नुकसान के सिलसिले में विधिक व्यय किसी अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के बिना 25,000 रुपए की राशि से अधिक के बीमा प्रतिपूर्ति को कवर नहीं किया जाएगा।

(घ) इस समय बीमा कंपनियों का विदेशों में भारतीय कामगारों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह

4267. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार समर्पित मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रहों का प्रयोग करके मौसम विज्ञान संबंधी सेवाओं में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे उपग्रहों पर अनुमानत: कितना व्यय किया जाएगा;

(ग) मौसम विज्ञान संबंधी सेवाओं के लिए ऐसे उपग्रह कितने लाभदायक होंगे;

(घ) क्या पड़ोसी देशों को भी इसके लाभ प्राप्त होंगे;

(ङ) यदि हां, तो क्या पड़ोसी देश इस संबंध में लागत का हिस्सा देंगे; और

(च) यदि हां, तो ऐसे उपग्रह कब तक छोड़े जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) मौसमविज्ञानी उपग्रहों द्वारा ऊपरी वायुमंडलीय विशिष्टताओं का मापन संभव होता है, जिसका मौसमविज्ञानीय परिघटनाओं के पूर्वानुमान के लिए अनेक कारकों में से एक कारक के रूप में उपयोग किया जाता है। मौसमविज्ञानीय पूर्वानुमान के लिए उपग्रह और भू-पर्यवेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों को एक मॉडल के रूप में संश्लेषित किया जाता है। भारत ने इन्सैट-2ई तथा इन्सैट-3ए जैसे बहु-उद्देशीय उपग्रहों से प्रचालनात्मक मौसमीविज्ञानीय आंकड़ा सेवाएं प्रदान करने के अलावा मौसमविज्ञानीय प्राचल प्रदान करने वाले प्रचालनात्मक उपग्रहों को पहले ही प्रमोचित किया है। वर्ष 2002 में, 155 करोड़ रुपये के व्यय से मौसमविज्ञानीय उपयोगी के लिए कल्पना नामक एक विशिष्ट उपग्रह का प्रमोचन किया गया है। दूसरा समर्पित उन्नत मौसमविज्ञानीय उपग्रह, इन्सैट-3डी का प्रमोचन 2007 के लिए निर्धारित है। सरकार ने इन्सैट-3डी के प्रमोचन के लिए 375 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है।

(ग) इन्सैट-3डी उपग्रह उच्च-विभेदन तापमान और आर्द्रता प्रोफाइल से संबंधित आंकड़े प्रदान करने में समर्थ होगा।

(घ) से (च) पड़ोसी देश यदि चाहें तो मौसमविज्ञानीय उपग्रहों से प्राप्त आंकड़े उनके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तथापि, इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

ऑनलाइन भर्ती प्रणाली

4268. श्री मनोरंजन भक्त: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के युवाओं के लिए फास्ट ग्रेजूएटस अपोइंटमेंट सिस्टम के अंतर्गत कुछ विशेषकृत रोजगारों के लिए संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से ऑनलाइन भर्ती प्रणाली शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ऐसी प्रणाली को निकट भविष्य में अन्य राज्यों में भी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न, नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पोत परिवहन सेवा

4269. श्री परसुराम माझी: क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में पोत परिवहन सेवा किन-किन राज्यों के बीच उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 2005-06 में पोत परिवहन सेवाओं का देश में तथा बांग्लादेश तक विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां तो इस संबंध में सरकार के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

पोत-परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) देश में निम्नलिखित जलमार्गों में यात्री-पोत-परिवहन-सेवाएं उपलब्ध हैं:

(1) पश्चिम बंगाल (कोलकाता) और अंडमान तथा निकोबार (पोर्टब्यलेयर) के बीच।

(2) आंध्र प्रदेश (विशाखापट्टनम) और अंडमान तथा निकोबार (पोर्टब्लेयर) के बीच।

(3) तमिलनाडु (चेन्नई) और अंडमान तथा निकोबार (पोर्टब्यलेयर) के बीच।

(4) अंडमान और निकोबार-संघ-राज्य-क्षेत्र के भीतर।

(5) केरल (कोचीन) से लक्षद्वीप-संघ-राज्य-क्षेत्र के बीच।

(6) लक्षद्वीप-संघ-राज्य-क्षेत्र के भीतर।

जहां तक तटीय जहाजी माल के संचलन (परिवहन) का संबंध है, यह व्यापरिक सिद्धान्तों पर आधारित पोत-परिवहन कंपनियों द्वारा किया जाता है। देश में सभी समुद्रवर्ती राज्यों में तटीय पोत-परिवहन के माध्यम से जहाजी माल का संचलन (परिवहन) किया जाना संभव है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित अंतर्देशीय जलमार्गों पर भी अंतर्देशीय जल-परिवहन-सेवाएं उपलब्ध हैं:

(1) गंगा-नदी के पटना और हल्दिया-खण्ड के बीच।

(2) ब्रह्मपुत्र-नदी के धुबरी और पांडु-खण्ड के बीच।

(3) पश्चिम तटीय नहर के अलुवा और इडैपल्लीकोट्टा-खण्ड के बीच।

(ख) और (ग) जी, हां। तटीय पोत-परिवहन, यात्री-पोत-परिवहन सेवा और अंतर्देशीय जल-परिवहन से युक्त समुद्री क्षेत्र के बारे में व्यापक नीति तैयार की जा रही है। उपर्युक्त नीति से देश के भीतर सेवाओं का विस्तार किया जा सकेगा। भारत-सरकार ने अंतर्देशीय जल-व्यापार और ट्रांजिट से संबंधित विद्यमान प्रोटोकॉल के नवीकरण का मसला, बांग्लादेश-सरकार से पहले ही उठा रहा है, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच पोत-परिवहन-सेवाओं का विकास और अधिक सुकर तथा सुसाध्य हो जाएगा।

नेहरू युवा केन्द्रों का कार्य-निष्पादन

4270. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा नेहरू युवा केन्द्रों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन केन्द्रों ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन केन्द्रों के कार्यकरण का पुनर्गठन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा कुल परिव्यय, जारी और उपयोग की गई निधियों का केन्द्रवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या नेहरू युवा केन्द्र द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यावरण के अनुकूल कोई विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां। नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा और मूल्यांकन किया जाता है।

(ख) योजना आयोग ने 1991 और 2002 में नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों के मूल्यांकन अध्ययनों को प्रायोजित किया था। इन कार्यक्रमों की समीक्षा नेहरू युवा केन्द्र संगठन मुख्यालय में एक मानीटरिंग यूनिट के माध्यम से नियमित रूप से की जा रही है। मंडल निदेशक भी आवधिक निरीक्षणों के माध्यम से जिला युवा समन्वयकों तथा युवा क्लबों, युवा विकास केन्द्रों आदि के निष्पादन की समीक्षा करते हैं।

(ग) नेहरू युवा केन्द्र संगठन की फील्ड इकाईयों द्वारा तय लक्ष्य मोटे तौर पर प्राप्त कर लिये गये हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(छ) जी, हां।

(ज) ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

वर्ष 2002-03 से 2004-2005 के दौरान असम में नेहरू युवा केन्द्रों और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों का परिव्यय, जारी की गई राशि और उपयोग

राज्य/नेयुके कोड	नेहरू युवा केन्द्र	2002-03			2003-04			2004-05		
		परिव्यय	जारी की गई राशि	उपयोगित	परिव्यय	जारी की गई राशि	उपयोगित	परिव्यय	जारी की गई राशि	उपयोगित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
असम										
4201	डिबूगढ़	1,651,036	1,651,036	1,653,358	735,557	735,557	735,551	941,881	941,881	786,474
4202	दिफू	986,310	986,310	911,443	927,612	927,612	946,572	928,601	928,601	947,571
4203	धुबरी	991,402	991,402	987,478	687,823	687,823	689,365	1,352,199	1,352,199	1,351,120
4204	कामरूप	4,957,402	4,957,402	5,029,651	1,568,738	1,568,738	3,291,981	2,852,822	2,852,822	1,859,121
4205	लखीमपुर	674,964	674,964	809,158	725,701	725,701	729,468	749,376	749,376	748,818
4206	नागांव	1,992,669	1,992,669	1,942,728	802,232	802,232	796,723	1,170,287	1,170,287	1,054,087
4207	कछार	2,186,297	2,186,297	2,072,567	946,753	946,753	925,408	1,077,437	1,077,437	1,052,757
4208	तेजपुर	1,651,486	1,651,486	1,620,794	804,125	804,125	781,058	1,009,809	1,009,809	960,355
4209	हाफलोंग	475,217	475,217	445,618	446,245	446,245	410,537	443,311	443,411	307,267
4210	करीमगंज	870,910	870,910	811,536	777,836	777,836	767,854	935,824	935,824	899,601
4211	बारपेटा	517,048	517,048	487,048	648,280	648,280	646,280	816,789	816,789	776,825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4212	कोकराझार	455,000	455,000	584,640	1,976,691	1,976,691	1,976,691	595,996	595,996	594,856
4213	जोरहाट	794,977	794,977	776,887	761,660	761,660	726,275	896,571	896,571	882,016
4214	सिबसागर	653,297	653,297	710,278	621,605	621,605	604,965	681,569	681,569	518,914
4215	नलबाड़ी	1,022,468	1,022,468	3,686,241	837,937	837,937	976,698	1,943,225	1,943,225	1,399,259
4216	गोलपाड़ी	1,809,027	1,809,027	1,808,885	1,374,595	1,374,595	1,364,976	1,098,774	1,098,774	1,049,926
4217	धेमाजी	0	0	0	0	0	0	329,763	329,763	324,831
4218	दरांग	866,502	866,502	867,987	736,423	736,423	734,016	1,283,221	1,283,231	1,005,496
4219	हैलाकांडी	723,927	723,927	717,816	686,306	686,306	686,129	904,635	904,635	849,163
4220	गोलाघाट	656,688	656,688	656,388	664,668	664,668	648,978	919,567	919,567	862,182
4221	मोरीगांव	696,576	696,576	682,272	671,746	671,746	664,958	935,009	935,009	904,603
4222	बोंगाईगांव	1,264,715	1,264,715	1,264,775	980,470	980,470	980,440	967,232	967,232	942,113
4223	तिनसुकिया	606,358	606,358	537,461	685,553	685,553	633,829	629,017	629,017	613,017
	कुल	26,504,276	26,504,276	29,066,009	19,068,556	19,068,556	20,718,662	23,462,924	23,462,924	20,690,371
			2002-03			2003-04			2004-05	
मणिपुर										
5201	चुराचांदपुर	887,622	887,622	881,383	1,30,229	1,130,229	1,125,585	773,183	773,183	775,265
5202	इम्फाल	1,397,435	1,397,435	1,304,350	1,005,081	1,005,081	970,791	973,859	973,859	820,420
5203	कोंगपोकपी	2,799,358	2,799,358	658,488	955,106	955,106	946,371	793,451	793,451	761,386
5204	तमेंगलों	1,315,095	1,315,095	1,312,441	664,621	664,621	635,170	977,234	977,234	926,937
5205	उखरूल	524,748	524,748	521,710	654,414	654,414	612,822	510,037	510,037	520,832
5206	थाऊबाल	877,184	877,184	877,037	681,714	681,714	681,312	668,651	668,651	656,548
5207	चांदेल	689,347	689,347	669,909	684,759	684,759	657,239	651,132	651,132	684,744
5208	बिशेनपुर	2,261,518	2,261,518	2,199,276	1,002,452	1,022,452	809,852	638,461	638,461	797,763
5209	सेनापती	702,998	702,998	675,500	897,877	897,877	893,773	715,263	715,263	539,352
	कुल	11,455,305	11,455,305	9,100,094	7,696,253	7,696,253	7,312,915	6,701,271	6,701,271	6,483,247
मेघालय										
5301	जोवाई	738,621	738,621	707,280	881,106	881,106	822,471	779,803	779,803	712,250
5302	तुरा	592,793	592,793	567,292	564,513	564,513	547,525	547,232	547,232	502,105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5303	शिलांग	1,067,830	1,067,830	944,713	604,305	604,305	602,002	964,240	964,240	740,423
5304	विलियम नगर	530,200	530,200	503,195	512,984	512,984	497,892	609,445	609,445	559,052
5305	नॉगस्टोइन	448,053	488,053	489,291	402,289	402,289	398,806	554,633	554,633	481,068
	कुल	3,417,497	3,417,497	3,211,771	2,965,197	2,965,197	2,868,697	3,455,353	3,455,353	2,994,898
नागालैण्ड										
5401	कोहिमा	1,901,613	1,901,613	2,028,998	1,043,239	1,043,239	1,039,985	1,254,887	1,254,887	971,927
5402	मोकोक्चुंग	1,044,404	1,044,404	709,969	478,791	478,791	475,194	439,956	439,956	424,646
5403	जुन्हेबोटो	438,198	438,198	430,788	462,425	462,425	459,163	455,720	455,720	460,494
5404	ट्यूनसांग	285,217	285,217	263,985	368,672	368,672	352,131	784,770	784,770	371,778
5405	मोन	1,468,800	1,468,800	1,463,357	689,338	689,338	664,689	739,923	739,923	704,311
5406	वोखा	481,060	481,060	468,601	437,013	437,013	434,733	619,406	619,406	494,737
5407	फेक	2,938,098	2,938,098	592,429	654,498	654,498	630,758	701,345	701,345	690,988
	कुल	8,557,390	8,557,390	5,958,127	4,133,976	4,133,976	4,056,653	4,996,008	4,996,008	4,118,881
5801	गंगटोक	2,294,070	2,294,070	2,226,785	946,695	946,695	930,859	1,336,727	1,336,727	1,097,743
5802	मोनगान	24,600	24,600	24,600	30,010	30,010	30,010	348,624	348,624	330,696
5803	ग्यालसिंग	1,940,535	1,940,535	1,491,363	738,545	738,545	716,474	1,004,624	1,004,624	929,390
5804	नामची	720,537	720,537	720,594	641,544	641,544	635,200	760,753	760,753	664,203
	कुल	4,979,742	4,979,742	4,463,342	2,356,794	2,356,794	2,312,543	3,450,727	3,450,727	3,022,032
त्रिपुरा										
6001	अगरतला	1,106,931	1,106,931	1,073,261	902,252	902,252	828,402	1,254,246	1,254,246	1,215,581
6002	धर्मनगर	2,240,928	2,240,928	2,049,886	1,099,896	1,099,896	1,100,448	1,022,287	1,022,287	1,013,656
6003	उदयपुर	1,745,282	1,745,282	1,716,341	924,721	924,721	905,406	1,128,650	1,128,650	908,408
	कुल	5,093,141	5,093,141	4,839,488	2,926,869	2,926,869	2,834,256	3,405,183	3,405,183	3,137,645
अरुणाचल प्रदेश										
6301	अलोंग	821,009	821,009	820,131	539,560	539,560	540,206	714,506	714,506	708,780
6302	जीरो	446,966	446,966	412,183	455,492	455,492	429,931	491,711	491,711	426,371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6303	डपोरिजो	367,477	367,477	366,970	365,647	365,647	369,761	470,393	470,393	376,298
6304	तेजू	1,998,353	1,998,353	1,753,816	495,171	495,171	484,704	479,291	479,291	472,900
	कुल	3,663,805	3,633,805	3,353,100	1,855,870	1,855,870	1,824,602	2,155,901	2,155,901	1,984,349
मिजोरम										
7001	एजवाल	798,870	798,870	1,656,241	481,932,	481,932	478,132	1,180,068	1,180,068	682,217
7002	लुंगलेई	2,002,240	2,002,240	784,846	654,887	654,887	653,645	802,133	802,133	713,007
7003	साइहा	465,802	465,802	465,802	529,924	529,924	517,509	790,135	790,135	510,826
	कुल	3,266,912	3,266,912	2,906,889	1,666,743	1,666,743	1,649,286	2,772,336	2,772,336	1,906,050

टिप्पणी: कुछ नेहरू युवा केन्द्रों में निधियों का अधिक उपयोग-पिछले वर्षों में कार्यक्रम निधियों के आधिक्य/न खर्च की गई बकाया राशि जिसमें अन्य मंत्रालयों के विशेष कार्यक्रमों से निधियां भी शामिल हैं, के कारण हुआ।

विवरण II

नेहरू युवा केन्द्रों के कार्य निष्पादन

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रम

*** पूर्वोत्तर स्कूली छात्र सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम**

वर्ष 2002-2003 के दौरान नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग के साथ पूर्वोत्तर स्कूली छात्र सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम चलाया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्य के स्कूली छात्रों के लिए विशेष रूप से देश के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण करने तथा राष्ट्रीय एकीकरण की भावना विकसित करने के अवसर पर प्रदान किये गये थे। पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न जिलों के 1485 स्कूली छात्रों ने 45 बैचों में देश के अन्य हिस्सों का दौरा किया।

*** दूरदर्शन पूर्वोत्तर संगीत उत्सव**

नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग और दूरदर्शन के साथ मिलकर संयुक्त रूप से पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों में 5-19 फरवरी, 2003 तक तथा नई दिल्ली में 25-26 अप्रैल, 2003 को दूरदर्शन पूर्वोत्तर संगीत उत्सव आयोजित किया। इसका प्रमुख उद्देश्य देश के पूर्वोत्तर हिस्सों के परिचित और कम जानकारी वाले सांस्कृतिक पहलुओं का पता लगाना और उन्हें उजागर करना तथा देश के पूर्वोत्तर भागों के युवाओं की प्रतिभा को मान्यता प्रदान कर उन्हें सम्मानित करना है।

*** उत्सव पूर्वांचल: पूर्वोत्तर में अद्वितीय राष्ट्रीय स्तर का युवा आदान-प्रदान**

नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा 24-26 मई, 2003 तक गुवाहाटी में उत्सव पूर्वांचल आयोजित किया गया था जिसमें पूर्वोत्तर तथा शेष भारत दोनों से युवा शामिल हुए थे। उत्सव पूर्वांचल ने राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने के लिए अनौपचारिक तरीके से एक-दूसरे से परस्पर विचार-विमर्श करने तथा देश के गौरव को बढ़ाने के लिए दौरा करने वाले युवाओं को अद्वितीय अवसर प्रदान किये।

संवर्ग आबंटन हेतु प्रक्रिया

4271. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को संवर्ग के आबंटन में अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान संवर्ग आबंटन को विभिन्न उच्च न्यायालयों और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की खंडपीठों में चुनौती देने के लिए अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों द्वारा दायर मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर न्यायालयों/अधिकरण द्वारा क्या आदेश पारित किए गए; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के संवर्ग आबंटन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के संवर्ग आबंटन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के ब्यौरे

1. भारत संघ के राज्य 24 संवर्गों/संयुक्त संवर्गों में विभाजित हैं। तीन संयुक्त संवर्गों अर्थात् असम मेघालय, मणिपुर-त्रिपुरा और एगमुट (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र) संवर्ग के अलावा प्रत्येक राज्य का एक संवर्ग है।

2. संवर्ग आबंटन में पहला चरण, सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर इन प्रत्येक श्रेणी के बीच रिक्तियों को विभाजित करना है। (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जानजातियों के लिए चिन्हित रिक्तियों को एक साथ गिना जाता है और दोनों श्रेणियों के लिए प्रतिशतता को संवर्ग आबंटन के प्रयोजन से जोड़ दिया जाता है)।

3. अगला चरण, प्रत्येक श्रेणी (अर्थात् सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के लिए रिक्तियों को 30 पाइंट रोस्टर के आधार पर राज्य के उम्मीदवारों (इनसाईडरस) और राज्य से बाहर के उम्मीदवारों (आऊटसाईडरस) के बीच बांटना है। उक्त रोस्टर में पहली रिक्ति राज्य से बाहर के उम्मीदवार को आबांटित की जाती है, दूसरी रिक्ति राज्य के उम्मीदवार को आबंटित की जाती है और तीसरी रिक्ति राज्य से बाहर के उम्मीदवार को आबंटत की जाती है। यह क्रम दोहराया जाता है। यह 30 पाइंट वाला रोस्टर निरन्तर चलता रहता है।

4. सेवा को आबंटित उम्मीदवारों की एक सूची उनके मूल राज्यों और उनके मूल राज्यों को आबंटित किए जाने की उनकी इच्छा दर्शाते हुए तैयार की जाती है और प्रत्येक उम्मीदवार को उक्त सूची में उनकी योग्यता क्रम के अनुसार एक क्रम संख्या दी जाती है।

5. राज्य के उम्मीदवारों का आबंटन पूर्णत: उनके रैंकों के अनुसार किया जाता है बशर्ते कि वे अपने मूल राज्यों को आबंटित किए जाने के इच्छुक हों। राज्य से बाहर के उम्मीदवारों का आबंटन जैसे कि नीचे स्पष्ट किया गया है राज्य से बाहर के उम्मीदवारों को आबंटन चार्ट में उनके उचित स्थानों पर रखने के बाद रोस्टर पद्धति के अनुसार किया जाता है।

6. सभी संवर्गों/संयुक्त संवर्गों को वर्णक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है और चार समूहों में बांटा जाता है। ये समूह औसत भर्ती के आधार पर बनाए जाते हैं जो कई वर्षों से मोटे तौर पर एक समान हैं। ये समूह निम्न प्रकार हैं:

   समूह 1 : आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात।

   समूह 2 : हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल तथा मध्य प्रदेश

   समूह 3 : महाराष्ट्र, मणिपुर-त्रिपुरा, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और सिक्किम; तथा

   समूह 4 : तमिलनाडु, ए.जी.एम.यू.टी. (यू.टी. संवर्ग), उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

7. चूंकि संवर्गों/संयुक्त संवर्गों की संख्या 24 है अत: चक्र 1-24, 25-48, 49-72 और आगे इसी क्रम में हैं। क्रम सं. 1 और 24 के बीच उम्मीदवार जिन्हें उनके गृह-राज्यों को आबंटित किया जा सकता है उन्हें पहले चक्र (1-24) में रखा जाता है तथा क्रम संख्या 25 और 48 के बीच के उम्मीदवार जिन्हें अनेक गृह राज्यों को आबंटित किया जा सकता है उन्हें दूसरे चक्र (25-48) में रखा जाता है और अन्य उम्मीदवार भी आगे इसी क्रम में रखे जाते हैं।

8. अपनी क्रम संख्या के अनुसार एक ही चक्र में आने वाले उम्मीदवार यदि दो अथवा इससे अधिक हों तो उन्हें अगले चक्र में रखा जाएगा चाहे उनकी क्रम संख्या कोई भी हो। दूसरे शब्दों में यदि क्रम सं. 3, 7, 11 पर राज्य के उम्मीदवार के रूप में आबंटित किए जाने वाले तीन उम्मीदवार हों तो क्रम सं. 13 प्रथम चक्र (1-24) में रहेगा, क्रम सं. 7 द्वितीय चक्र (25-48) में और क्रम सं. 11 तृतीय चक्र (49-72) में रखा जाएगा।

9. यदि सामान्य श्रेणी के राज्य के उम्मीदवार की रिक्ति भरने के लिए सामान्य श्रेणी का कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्य के उम्मीदवार द्वारा भरा जाता है परंतु अदला-बदली को सुविधाजनक बनाए जाने हेतु उस संवर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की राज्य से बाहर के उम्मीदवार की रिक्ति उपलब्ध हो। यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का राज्य का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो अथवा उस संवर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की राज्य से बाहर के उम्मीदवार की रिक्ति नहीं हो तो सामान्य रिक्ति अन्य पिछड़े वर्ग के राज्य के उम्मीदवार द्वारा उसी शर्त पर भर ली जाती है कि बदला-बदली को सुविधाजनक बनाए जाने की दृष्टि से अन्य पिछड़े वर्ग की राज्य से बाहर के उम्मीदवार की रिक्ति, अन्य पिछड़े वर्ग के राज्य के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं भरी जाने की स्थिति में रिक्ति को पहले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्य के उम्मीदवार द्वारा भरा जाता है और तत्पश्चात सामान्य श्रेणी के राज्य के उम्मीदवार द्वारा उन्हीं शर्तों के साथ भरा जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भरी नहीं गई राज्य के उम्मीदवार की रिक्ति को पहले अन्य पिछड़े वर्ग के राज्य के उम्मीदवार द्वारा भरा जाता है और तत्पश्चात् उन्हीं शर्तों के साथ सामान्य श्रेणी के राज्य के उम्मीदवार द्वारा भरा जाता है।

10. अदला-बदली किए जाने के बाद भी यदि किसी राज्य के उम्मीदवार की रिक्ति नहीं भरी जाती है तो वह राज्य से बाहर के उम्मीदवार को मिल जाती है और उसे अग्रनीत नहीं किया जाता।

11. ऐसे उम्मीदवार जिन्हें उनका गृह राज्य नहीं मिल पाता है, उन्हें योग्यता के आधार पर क्रमबद्ध करके विभिन्न संवर्गों में जिस वर्ष के लिए उन्हें क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया गया हो उस प्रथम संवर्ग से प्रारम्भ करते हुए विभिन्न संवर्गों में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर संवर्ग आबंटित किया जाता है। प्रथम चक्र भर जाने पर बकाया राज्य से बाहर के उम्मीदवार द्वितीय चक्र में आबंटित होते हैं परंतु द्वितीय चक्र राज्यों के अगले समूह से प्रारम्भ होता है और यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के तौर पर, किसी वर्ष-विशेष में प्रथम समूह जो आंध्र प्रदेश से प्रारम्भ होता है वह सबसे ऊपर होता है। राज्य से बाहर के उम्मीदवार को प्रथम चक्र में उपलब्ध रिक्ति पर आबंटित किए जाने के बाद, अगले उपलब्ध राज्य से बाहर के उम्मीदवार को दूसरे समूह को प्रथम उपलब्ध राज्य को आबंटित किया जाएगा तथा दूसरे चक्र में आबंटित किए जा सकने वाले सभी उपलब्ध राज्य से बाहर के उम्मीदवारों को आबंटित करने के बाद अगला उपलब्ध राज्य से बाहर के उम्मीदवार तीसरे समूह के प्रथम उपलब्ध राज्य में आबंटित किया जाएगा और यह क्रम चलता रहेगा। इससे योग्यता का समान रूप से वितरण सुनिश्चित होता है।

12. अगले वर्ष के लिए, राज्यों के समूह का आवर्तन हो जाएगा। इस वर्ष में सबसे ऊपर का समूह अगले वर्ष में सबसे नीचे चला जाएगा। दूसरा समूह सबसे ऊपर आ जाएगा और यही क्रम चलता रहेगा।

13. आरक्षित श्रेणियों के मामले में, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु इसी प्रकार के विवरण तथा प्रणाली के आधार पर अलग चार्ट तैयार किए जाते हैं।

14. आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उन उम्मीदवारों के मामले में जिनकी नियुक्ति की सिफारिश अनारक्षित रिक्ति पर किए जाने के लिए होती है और जो सेवा में अनारक्षित रिक्ति पर आबंटित किए जाते हैं उन्हें आरक्षण का लाभ आरक्षित उम्मीदवार के रूप में गृह राज्य मिलने की दशा में दिया जाता है।

खाद्य उत्पाद अपमिश्रण के मामले

4272. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य उत्पाद अपमिश्रण से संबंधित कुल कितने मामलों की रिपोर्ट मिली है;

(ख) क्या सरकार को मिर्च में अपमिश्रण के संबंध में माननीय न्यायालय से कोई निदेश प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी विभिन्न खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम सूचना के अनुसार संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2001 से 2003 के दौरान मिलावटी पाए गए नमूनों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	मिलावटी पाए गए खाद्य नमूनों की संख्या
2001*	11008
2002**	10025
2003***	9226

* गुजरात राज्य की सूचना शामिल नहीं है।

** गुजरात, बिहार और झारखंड राज्यों की सूचना शामिल नहीं है।

*** अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नागर हवेली, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु की सूचना शामिल नहीं है।

(ख) और (ग) मिलावटी मिर्च के बारे में सरकार को माननीय न्यायालय से कोई निर्देश नहीं मिला है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की पदोन्नति के लिए आरक्षण कोटा

4273. श्री महावीर भगोरा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों के अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए आरक्षण कोटा 16% है और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 12% है;

(ख) क्या पदोन्नति के लिए अ.जा./अ.ज.जा. अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध न होने की स्थिति में उक्त रिक्त पद को अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विभाग-वार और पद वार अ.जा./अ.ज.जा. अधिकारियों/कर्मचारियों को कुल कितने पदों को अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया;

(ङ) क्या इन आरक्षित पदों पर अन्य जातियों के अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है; और

(च) यदि हां, तो विभाग-वार और पद-वार ऐसे कितने आरक्षित पद हैं जिन पर अन्य जातियों के अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण क्रमश: 15% और 7.5% की दर से उपलब्ध है।

(ख), (ग) और (ङ) यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति, जैसा भी मामला हो, का कोई भी उम्मीदवार किसी विशेष भर्ती वर्ष में उस श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्ति पर की जाने वाली पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसी रिक्ति, जब तक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनारक्षित न कर दी जाए, पिछली बकाया रिक्ति के रूप में अग्रेणीत की जानी अपेक्षित है। किसी आरक्षित रिक्ति के अनारक्षण करने से, आरक्षित श्रेणी के कोटे में हुई इस प्रकार की कमी यथाशीघ्र अवसर मिलते ही पदों को भर कर पूरी की जानी अपेक्षित है।

(घ) और (च) इस प्रकार की जानकारी केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय

4274. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सकल घरेलू उत्पाद में विश्व के प्रथम दस बड़े देशों की सूची में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) ये देश कौन-कौन से है तथा उनका सकल घरेलू उत्पाद का अलग-अलग मूल्य कितना है;

(घ) क्या भारत प्रति व्यक्ति आय संदर्भ में 150 देशों में है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; तथा इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए उद्योग, व्यापार तथा अर्थव्यवस्था के संबंध में अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करेगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) से (ग) जी, नहीं। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) सांख्यिकीय विभाग के वेबसाइट से प्राप्त सूचना के आधार पर, 210 देशों की सूची में वर्ष 2003, जिसकी सूचना उपलब्ध है, में 591.5 बिलियन अमेरिकी डालर के सकल घरेलू उत्पाद सहित, भारत का स्थान

ग्यारहवां है। भारत की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद में विश्व के प्रथम दस बड़े देशों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। उपर्युक्त डाटा स्रोत के अनुसार, 555 अमेरिकी डालर के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के साथ भारत का स्थान विश्व में 161 है। भारत की प्रति व्यक्ति निम्न आय का मुख्य कारण, इसकी अधिक जनसंख्या का होना है।

(च) और (छ) भारत और अन्य देशों में विद्यमान प्रति व्यक्ति आय के स्तर में अंतर को कम करने के लिए, विकास दर को बढ़ाने हेतु सरकार ने उद्योग, व्यापार तथा अर्थव्यवस्था के संबंध में प्रस्तावित कई नीति पहलों को शुरू किया है। संसद पुस्तकालय में उपलब्ध दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के मध्यावधि मूल्यांकन में अन्य प्राथमिकताओं के साथ-साथ इन क्षेत्रों में कार्रवाई करने के लिए 59 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है।

विवरण

वर्ष 2003 में भारत की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के उच्च स्तर रखने वाले दस देशों की सूची

देश का नाम	सकल घरेलू उत्पाद (2003) अमेरिकी डालर $ बिलियन
संयुक्त राज्य	10857.2
जापान	4317.1
जर्मनी	2403.1
ब्रिटेन	1798.5
फ्रांस	1757.6
इटली	1465.8
चीन	1409.8
कनाडा	853.8
स्पेन	838.6
मेक्सिको	615.1

स्रोत: संयुक्त राष्ट्र (यूएन) सांख्यिकी विभाग की वेबसाइट

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार के संबंध में रिपोर्ट

4275. **श्रीमती मनोरमा माधवराज:**
श्री रघुनाथ झा:
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
श्री रामजीलाल सुमन:
कुंवर मानवेन्द्र सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज द्वारा प्रकाशित 'इंडियन करप्सन स्टडीज टू इम्प्रूव गवर्नेंस-2005' का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुलिस प्रशासन सूची में सर्वाधिक भ्रष्ट है तथा न्यायपालिका एवं शहरी निकायों सहित भूमि प्रशासन द्वितीय स्थान पर है तथा शिक्षा (विद्यालय) क्षेत्र मौद्रिक दृष्टिकोण से सर्वोच्च स्थान पर है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या रिपोर्ट में प्रतिवर्ष 21,800 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार होने का अनुमान लगाया गया है; और

(च) यदि हां, तो देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ङ) ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा सेंटर फॉर मास स्टडीज के सहयोग से 20 राज्यों के 14,405 प्रत्यर्थियों पर अध्ययन किया गया जिसमें 11 सेवाएं शामिल हैं। उपर्युक्त अध्ययन की मुख्य-मुख्य बातों में भ्रष्टाचार पर आधारित सूची में विभिन्न सेवाओं की रैंकिंग, अध्ययन में अंकलित भ्रष्टाचार के कारण और भ्रष्टाचार में निहित मैट्रिक मूल्य शामिल हैं, जिन्हें "शासन में सुधार लाने हेतु भारतीय भ्रष्टाचार अध्ययन, 2005" शीर्षक के अंतर्गत ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है।

(च) भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा प्रशासनिक काम-काज में सुधार लाने हेतु अनेक कदम पहले ही उठा लिए गए हैं। इन कदमों में महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार है: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन करना; व्हिसॅल ब्लोअर संकल्प

2004 को अधिसूचित करना; सतर्कता के संबंध में वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से मंत्रालय/विभाग की सकारात्मक सक्रिय भागीदारी; केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निविदा और संविदा से सम्बद्ध प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के संबंध में व्यापक अनुदेशों का जारी किया जाना; केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम का अधिनियम और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अपने भ्रष्टाचार निरोध काम-काज का निर्वाह करने के क्रम में सशक्त बनाना; सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का ज्यादा प्रयोग; नागरिक चार्टरों का आरम्भ और प्रक्रियाओं और प्रणालियों का सरलीकरण इत्यादि।

औषधि कंपनियों द्वारा उत्पादित उत्पाद

4276. श्री आलोक कुमार मेहता: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औषधि कंपनियों द्वारा उत्पादित उत्पादों को बाया-इक्वेलेन्स स्टडीज के संदर्भ की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) भारतीय औषध कंपनियों द्वारा विनिर्मित उत्पादों और इनोवेटर उत्पादों के बायो-इक्वेलेन्स अध्ययन की अनुमति दी गई है।

बच्चों का डायरिया से बचाव

4277. श्री अधीर चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनिसेफ के अनुसार सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर तथा स्वच्छता सेवाओं में सुधार करके हजारों बच्चों को डायरिया से बचाया गया है जैसाकि 4 जून, 2005 के 'हिन्दुस्तान' (हिन्दी संस्करण) में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) अतिसार को रोकने के लिए सुरक्षित पेय जल और बेहतर स्वच्छता सेवाएं महत्वपूर्ण उपाय माने जाते हैं। भारत सरकार, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इसके अंतर्गत पेय जल आपूर्ति विभाग, समग्र स्वच्छता अभियान (डीएससी) कार्यान्वित कर रहा है। भारत सरकार ने गांवों की स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने के लिए देश के 520 जिलों में समग्र स्वच्छता अभियान स्वीकृत किए हैं। समग्र स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य जागरूकता सृजन एवं स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना, स्वच्छता कवरेज को तेजी से बढ़ाना तथा स्वच्छता सुविधाओं की मांग सृजित करना है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में स्वास्थ्य, स्वच्छता, साफ-सफाई, पोषण और सुरक्षित पेय जल के निर्धारकों के साथ स्वास्थ्य समस्याओं को जोड़ने की बात कही गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में धीमी प्रगति

4278. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री काशीराम राणा:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में लगे कुछ ठेकेदारों को काली सूची में डाला गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई असक्षम तथा अकुशल ठेकेदारों को वर्ष 2003 तथा 2004 में काम दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके निर्माण कार्य की कोई समीक्षा करायी है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या विश्व बैंक ने भी राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में, विशेषकर बिहार में धीमी प्रगति की बात कही है;

(छ) यदि हां, तो क्या इसका कारण असक्षम ठेकेदारों को काम दिया जाना है; और

(ज) यदि हां, तो इसमें सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) भारतीय

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाले गए ठेकेदारों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) सभी ठेकों के कार्यों की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

(च) जी हां।

(छ) जी नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान काली सूची में डाले गए ठेकेदारों की सूची

क्र.सं.	गत तीन वर्षों के दौरान काली सूची में डाली गई कंपनी का नाम
1.	मै. पी.टी. सुम्बर मित्र जया लि.
2.	मै. महरिया-राज (जे वी.) और उसके भागीदारी (1) मै. महरिया री-सर्फेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. (2) मै. राज एंड एसोसिएट्स कंस्ट्रक्शन डिवीजन
3.	मै. यू वन* महरिया (सं.उ.) और उसके भागीदार (1) मै. महरिया री-सर्फेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. (2) मै. यू वन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.*
4.	मै. राणा प्रोजैक्ट्स इंटरनेशनल लि.

*मै. यू वन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लि., सियोल, कोरिया का अब मै. अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एंड इंजी. कं. लि., सियोल, कोरिया में विलय हो गया है।

[अनुवाद]

केरल में बाई-पासों के निर्माण के लिए लंबित प्रस्ताव

4279. श्री पी.सी. थामस: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति के लिए कोटमंगलम बाई-पास के भूमि अधिग्रहण कार्य तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-49 मुवात्तुपुज्हा बाई-पास के भूमि अधिग्रहण जिसमें कुल 160.82 करोड़ रुपये का प्राक्कलन दर्शाया गया है सहित आठ 'वर्क्स' भेजे थे।

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या स्थिति है;

(ग) क्या केरल सरकार ने चालू वर्ष के दौरान वार्षिक आबंटन बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करने के लिए भी अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग-49 पर एर्नाकुलम जिले में तिरूपुनिथुरा बाई-पास के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके पूरा होने में कितना समय लग जाने की संभावना है; और

(च) केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकार के विचाराधीन अन्य बाई-पासों के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक की स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) प्राप्त 8 प्राक्कलनों के ब्यौरे और उनकी स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 8 प्राक्कलनों में से 67.83 करोड़ रु. की धनराशि के 4 प्राक्कलन जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग-49 पर मुवात्तुपुज्हा बाइपास के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी अनुमान शामिल है, प्राप्त हुए हैं। प्राप्त 4 प्राक्कलनों में से, 24.35 करोड़ रु. की धनराशि का एक प्राक्कलन जिसे चालू वार्षिक योजना में शामिल नहीं किया गया है, राज्य सरकार को वापस लौटा दिया गया है।

मुवात्तुपुज्हा बाइपास के भूमि अधिग्रहण के लिए 12.30 करोड़ रु. की धनराशि के प्राक्कलन के मामले में, राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। सड़क गुणता सुधार और पेव्ड शोल्डर्स के लिए 31.18 करोड़ रु. की धनराशि के प्राक्कलनों पर तकनीकी पर्याप्तता, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अधीन विचार किए गए हैं।

कोटमंगलम बाइपास के लिए भूमि अधिग्रहण के अनुमान सहित 92.99 करोड़ रु. की धनराशि के 4 अन्य प्राक्कलन गत वर्षों के दौरान प्राप्त हुए थे। 4 प्राक्कलनों में से, 57.12 करोड़ रु. के 2 प्राक्कलनों पर मंजूरी हेतु विचार नहीं किया जा सका क्योंकि वे प्राक्कलन संबंधित वार्षिक योजनाओं में शामिल नहीं किए गए थे। 35.87 करोड़ रु. की धनराशि के शेष प्राककलन निधियों की कमी के कारण मंजूर नहीं किए गए थे।

संलग्न विवरण-II पर दिए गए ब्यौरों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग-17 से संबंधित 4 अनुमानों जिनका संलग्न विवरण-II में दिया गया है को अब राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (चरण-III) के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) आधार पर 4 लेन का बनाने के लिए शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने चालू वर्ष का आबंटन 51 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए करने का अनुरोध किया है। अतिरिक्त आबंटन निधियों की उपलब्धता के अधीन राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने वाले खर्च की गति पर निर्भर करता है।

(ङ) केरल सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग-49 पर थिरीपुनिथुरा बाइपास के निर्माण के लिए पुनर्संरेखण प्रस्ताव हाल ही में प्रस्तुत किया है। इस बाइपास का निर्माण कार्य संरेखण को अंतिम रूप दिए जाने और भूमि अधिग्रहण के पूरा हो जाने के बाद ही शुरू किया जा सकता है। इसलिए इस बाइपास के निर्माण कार्य को पूरा करने की समय-सीमा बताना अभी संभव नहीं है।

(च) करेल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 6 अन्य बाइपास हैं। इन बाइपासों का निर्माण कार्य भूमि और निर्माण की लागत अधिक होने के कारण चरणबद्ध पद्धति से किया जा रहा है। इन बाइपासों के ब्यौरों सहित इनकी स्थिति संलग्न विवरण-II पर दी गई है।

विवरण I

क्र.सं.	कार्य का नाम	रा.रा. सं.	धनराशि करोड़ रु.	किस वर्ष के दौरान प्राप्त	स्थिति
1.	थालासेरी माहे बाइपास-III-रीच के लिए भूमि अधिग्रहण प्राक्कलन	17	24.59	2003-04	निधियों की कमी के कारण मंजूर नहीं किया जा सका।
2.	कोडंगलूर बाइपास (उत्तरी पहुंच मार्ग से कोट्टापुरम पुल तक) के 407/900 से 412/235 कि.मी. तक पुन:संरेखण के लिए भूमि अधिग्रहण प्राक्कलन	17	11.28	2003-04	-वही-
3.	चैनल 0/00 से 4/150 तक थालेसरी माहे बाइपास का निर्माण	17	44.40	2003-04	मंजूर नहीं किया जा सका क्योंकि इन्हें वार्षिक योजना 2003-04 में शामिल नहीं किया गया था।
4.	कोटमंगलम बाइपास के लिए भूमि अधिग्रहण प्राक्कलन	49	12.72	2004-05	विचार नहीं किया जा सका क्योंकि इन्हें वार्षिक योजना 2004-05 में शामिल नहीं किया गया था।
5.	मुवात्तुपुज्हा बाइपास के लिए भूमि अधिग्रहण प्राक्कलन	49	12.30	2005-06	राज्य लोक निर्माण विभाग से स्पष्टीकरण मांगे गए थे।
6.	मुथाकुन्नम से चेराईपल्ली तक 414/630 से 424/000 कि.मी. में नई सड़क का निर्माण	17	24.35	2005-06	इसे वापस कर दिया गया क्योंकि इसे वार्षिक योजना में शमिल नहीं किया गया था।
7.	विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के रीच का सड़क गुणता सुधार कार्य	-	10.00	2005-06	इस पर तकनीकी पर्याप्तता, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अधीन विचार किया जाना है।
8.	विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के रीच का पेव्ड शोल्डर्स कार्य	-	21.18	2005-06	-वही-
	कुल		160.82		

विवरण II

क्र.सं.	बाइपास का नाम	रा.रा. सं.	लंबाई कि.मी.	चरणों की संख्या	स्थिति
1.	कोझीकोड बाइपास	17	28.124	4	संपूर्ण बाइपास में भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है। 7.25 कि.मी. बाइपास में निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 9 कि.मी. बाइपास में निर्माण कार्य प्रगति पर है।
2.	कोल्लम बाइपास	47	13.141	4	संपूर्ण बाइपास में भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है। 4.74 कि.मी. बाइपास में निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
3.	अलापुझा बाइपास	47	7.58	2	संपूर्ण बाइपास में भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है। 3.73 कि.मी. बाइपास में निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 2 सड़क उपरि पुलों को छोड़कर 3.85 कि.मी. बाइपास में निर्माण कार्य प्रगति पर है।
4.	तिरूअनंतपुरम-नेयत्तिंकारा बाइपास	47	44.253	2	25.87 कि.मी. बाइपास में भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है और 5.47 कि.मी. बाईपास में यह कार्य प्रगति पर है। शेष हिस्से में भूमि अधिग्रहण का कार्य अभी किया जाना है। 22.6 कि.मी. बाइपास में निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
5.	थालेसरी-माहे बाइपास	17	18.031	2	9.14 कि.मी. बाइपास में भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा हो गया है और शेष हिस्से में इसे अभी किया जाना है।
6.	कोयलांडी विचलन	17	11.213	2	संपूर्ण बाइपास में भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है।

रा.रा.-47 और रा.रा.-17 पर ये 6 बाइपास एनएचडीपी चरण-III के अंतर्गत शामिल हैं। इसलिए इन बाइपासों पर शेष कार्य रा.रा.-47 और रा.रा.-17 को 6-लेन का बनाने के साथ ही किया जाना प्रस्तावित है।

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के पूरा होने में विलंब

4280. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री सर्वानन्द सोनोवाल:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को विलंब से पूरा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भर्त्सना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) विलंब के मुख्य कारण क्या बताए गए हैं तथा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को 2005-06 के दौरान पूरा करने के लिए नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने क्या सुझाव दिए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी ए जी) की- केन्द्र सरकार (वाणिज्यिक), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के संबंध में- वर्ष 2005 की रिपोर्ट संख्या-7 दिनांक 11 मई, 2005 को सदन के पटल पर रख दी गई है। इस रिपोर्ट में की गई अन्य टिप्पणियों में से लेखा परीक्षा ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर के निष्पादन में विलंब पर भी टिप्पणी की है।

सी ए जी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी टिप्पणी की है कि एन एच ए आई जून, 2004 तक 1846 कि.मी. (29%) तक स्वर्णिम चतुर्भुज के कार्य को पूरा कर सका था। आंशिक रूप से पूर्ण किए गए खंडों सहित जून, 2004 तक दिल्ली-मुम्बई, मुंबई-चेन्नई, चेन्नई-कोलकाता और कोलकाता-दिल्ली खंडों के संबंधों में कार्य समापन संबंधी कारीडोर वार उपलब्धि क्रमश: 82%, 46%, 45% और 25% थी। बाकया कार्यों को दिसंबर, 2005 तक पूरा करने की संभावना है। यथापरिकल्पित कॉरीडोर अवधारणा को अभी तक मूर्त रूप दिया जाना था।

एन एच डी पी चरण-1, मुख्यत: स्वर्णिम चतुर्भुज को पूरा करने के लिए प्रभावी लक्ष्य वर्ष 2005 था। स्वर्णिम चतुर्भुज का काफी हद तक कार्य दिसंबर, 2005 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इस प्रगति में भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण स्वीकृति में विलंब, सुविधाओं के स्थानांतरण आदि जैसे अड़चनें आ जाने के बावजूद, इतनी वृहद अवसंरचना की प्रगति महत्वपूर्ण थी। केवल 29% पूर्ण किए गए कार्यों का परिकलन करते समय, लेखा-परीक्षा ने चालू परियोजनाओं के पूर्ण किए गए अंशों की ओर ध्यान न देते हुए पूरी तरह से पूर्ण की गई परियोजनाओं के पूर्ण हो चुके खंडो को ही ध्यान में रखा है। वास्तव में दिनांक 30.6.2004 की स्थिति के अनुसार स्वर्णिम चतुर्भुज में कुल 2892 कि.मी. अर्थात् 49.46% को ही चार लेन का बनाया गया है। दिनांक 31 जुलाई, 2005 की स्थिति के अनुसार स्वर्णिम चतुर्भुज में कुल 4949 कि.मी. लंबाई अर्थात् 84% को 4-लेन का बनाया गया है।

सी ए जी द्वारा दिए गए सुझाव इस प्रकार है:

* एन एच ए आई योजना प्रणाली को सुदृढ़ करें और बाधाओं को दूर करने के लिए क्रियाविधि (मेकेनिज्म) तंत्र का अनुपालन करें।

* एन एच ए आई ठेका प्रावधानों और अनुमोदन प्रक्रिया में मानकीकरण तथा एकरूपता सुनिश्चित करे।

* एन एच ए आई ठेका करारों में दोषी परामर्शदाताओं के विरुद्ध कठोर प्रावधान शामिल करे उन्हें कार्यान्वित करें।

* एन एच ए आई विक्रेता विकास नीतियां तथा फ्रेमवर्क तैयार करे ताकि लागत के अनुरूप बेहतर प्रतिस्पर्धा तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का सृजन किया जा सके।

* एन एच ए आई सिविल ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों की गुणवत्ता की मानिटरिंग में सुधार करे।

(घ) सरकार द्वारा किए कुछ उपाय इस प्रकार है:

* भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनापत्ति, सड़क उपरि पुलों की स्वीकृति जैसे अंतर-मंत्रालयी और केन्द्र-राज्यों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सचिवों की एक समिति गठित की गई है।

* एक रूपता लाने और प्रणाली, क्रियाविधि तथा आंतरिक नियंत्रण आदि को मजबूत बनाने के लिए कार्य-विधि को मानकीकृत तथा सुव्यवस्थित बनाने के लिए एन एच ए आई द्वारा अनेक दिशनिर्देश जारी किए गए हैं।

* राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न समस्याओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं (यूटीलिटीज) के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि समस्याओं के समाधान के लिए नोडल अधिकारियों के तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की है।

* सड़क उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए, रेलवे के एक अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है ताकि रेल मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके। कुछ सड़क उपरि पुलों (आर. ओ. बी) के कार्यान्वयन के लिए मै. इनकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

* ठेकेदारों के कार्य निष्पादन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और गैर-निष्पादन ठेकेदारों की पहचान की जा रही है।

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं का पुनर्गठन

4281. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में सिफारिश की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को दसवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं का पुनर्गठन करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) नौवीं योजना में मौजूदा संस्थाओं को पुनर्गठित करके और उनको मौजूदा द्वितीयक और तृतीयक परिचर्या वाली संस्थाओं से जोड़कर लोगों को उनके घर से एक से तीन किलोमीटर के भीतर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने वाली शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं के एक सुगठित नेटवर्क का विकास करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत सरकार ने शहरी निर्धनों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने के लिए एक परियोजना कार्यान्वयन योजना (पी.आई.पी.) तैयार की है जिसे मुख्यतया शहरी मलिन बस्तियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए शहरी क्षेत्रों में एकीकृत और स्थाई प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवा प्रदानगी की व्यवस्था करने हेतु प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-II परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन योजना में शामिल कर लिया गया है। इस प्रयोजन के लिए एक द्विस्तरीय सेवा प्रदाय माडल अर्थात् स्वास्थ्य सुविधा और समुदाय के बीच सम्पर्कों का विकास करने तथा उनको बनाए रखने के लिए श्रेणी-1 और सार्वजनिक निजी भागीदारी संघटक के अंतर्गत चलाए जा रहे जिला अस्पतालों, प्रसूति गृहों और उपचर्या गृहों/अस्पतालों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली रेफरल सेवाओं के रूप में श्रेणी-2 पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, शहरी स्वास्थ्य परिचर्या हेतु कार्यनीतियों के बारे में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सलाह देने के लिए एक कार्यदल का भी गठन किया गया है।

शुल्क वापसी के बारे में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्देश

4282. श्री सनत कुमार मंडल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने फोन कंपनियों को फोन वापस करने के 60 दिनों के भीतर शुल्क वापस करना सुनिश्चित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा हाल ही में टेलीफोन कंपनियों को जारी किये गए अन्य निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बीएसएनएल/एमटीएनएल के वर्ष-वार कितने लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन वापस किए गए;

(घ) अब तक कितने मामलों में शुल्क वापस कर दिया गया है; और

(ङ) शेष मामलों में विलम्ब के क्या कारण है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दिनांक 1 सितम्बर, 2003 के ज्ञापन सं. 301-30/2003-ट्राई-इको. के जरिए दूरसंचार प्रचालकों को टेलीफोन कनेक्शन काटे जाने के 60 दिनों के भीतर प्रतिभूति जमा राशि वापस करने का निदेश दिया है। सेवा प्रदाताओं द्वारा नियत अवधि के भीतर प्रतिभूति जमा राशि वापस करने में विलंब के लिए उन्हें 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान भी करना पड़ेगा। ट्राई ने 8 जुलाई, 2005 की सं. 303-1/2004-इको. के जरिए सभी दूरसंचार अभिगम्यता प्रदाताओं को दिनांक 1 सितंबर 2003 के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निदेश भी दिया है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मैसर्स स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को कोल लिंकेज

4283. श्री चन्द्र शेखर दूबे: क्या प्रधानमंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला मंत्रालय एक निजी कंपनी को शेयर इक्विटी के साथ महत्वपूर्ण बिक्री तथा प्रबंधन नियंत्रण का कार्य सौंपने के पश्चात 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ मैसर्स स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को सी.पी.एस.यू. की निबंधन एवं शर्तों पर कोल लिंकेज दे रही है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 2001 से बाल्को के नाम पर मैसर्स स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को कोल लिंकेज की कुल कितनी मात्रा जारी की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इन्य सी.पी.एस.यू. को प्रदान किये गए कोल लिंकेज की वास्तविक दर का गत चार वर्षों का ब्यौरा क्या है तथा बाल्को के नाम पर मैसर्स स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को किस दर से कोल लिंकेज दिया जा रहा है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) मैसर्स स्टरलाइट इंडस्ट्रीज की बाल्को यूनिट के पास गृहीत विद्युत उत्पादक के रूप में दीर्घावधि कोयला लिंकेज है। विद्युत क्षेत्र में, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा निजी उपभोक्ताओं को कोयला लिंकेज प्रदान करने के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है।

(ख) मार्च, 2001 से मैसर्स बाल्को के नाम में मैसर्स स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के गृहीत विद्युत संयंत्र को निर्मुक्त किए गए कोयला लिंकेज की कुल मात्रा नीचे दी गयी है:

अवधि	मात्रा लाख टन में
मार्च, 2001	01.70
2001-02	19.78
2002-03	17.28
2003-04	18.18
2004-05	18.00

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दायर किए गए मामले

4284. श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा माननीय न्यायालयों में कितने मामले दायर किए गये;

(ख) माननीय न्यायालयों द्वारा कितने मामले निपटाये गये और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने मामलों में आरोपित व्यक्तियों को एक माह की सजा तथा दण्ड दिया गया;

(घ) क्या कुछ मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाया जिसके कारण माननीय न्यायालय ने आरोपित व्यक्तियों को बरी कर दिया; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सुनवाई के लिए भेजे गए मामलों की संख्या, विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय सुना कर निपटा दिए गए मामलों की संख्या और उनमें से सिद्ध-दोष ठहराए गए और दोष-मुक्त/खारिज किए गए अथवा अन्यथा निपटाए गए मामलों की वर्ष-वार संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	सुनवाई के लिए भेजे गए मामलों की संख्या	सुनवाई द्वारा निपटा दिए गए मामलों की संख्या	कॉलम 3 में से सिद्ध-दोष ठहराए गए मामलों की संख्या	कॉलम 3 में से दोष-मुक्त/ खारिज किए गए मामलों की संख्या	कॉलम 3 में से अन्यथा निपटाए गए मामलों की संख्या
2002	721	673	430	196	47
2003	718	692	391	181	120
2004	814	549	329	167	53

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जानकारी दी है कि विचारण न्यायालयों ने 4 मामलों में एक माह के कारावास और जुर्माने की सजा दी है।

(घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जांच-कार्य पूरा कर लेने के बाद, ऐसे मामलों में, जिनमें आरोपी पर अभियोजन चलाए जाने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनके विरुद्ध सक्षम न्यायालयों में आरोप-पत्र दायर करता है। सुनवाई के दौरान न्यायालय यह निर्णय करने से पूर्व के आरोप सिद्ध हुए अथवा नहीं, साक्ष्यों पर विचार करते हैं।

(ङ) 1993 की रिट याचिका 340-343 में निहित उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार ने दिनांक 9 जुलाई, 2001 के का.ज्ञा. सं. 201/5/2000-ए.वी.डी.II के तहत एक जवाबदेही तंत्र स्थापित किया है जिसमें प्रत्येक महत्वपूर्ण मामले जिसमें दोषमुक्ति हो जाती है, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो दोषमुक्ति के कारणों का विश्लेषण करता है तथा अन्वेषण अथवा अभियोजन में किसी विफलता/कमी के लिए जवाबदेही निर्धारित करता है।

भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के बारे में समझौता

4285. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नियंत्रण रेखा के बारे में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस समझौते का कितनी बार उल्लंघन हुआ है; और

(घ) इस बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों द्वारा औषधियों का इन्डेन्ट न किया जाना

4286. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में कतिपय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों ने लाभान्वितों को औषधियां इन्डेन्ट करना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके कारण लाभान्वित विशेषकर लक्ष्मीबाई नगर तथा देवनगर औषधालयों के लाभान्वित भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) सीजीएचएस दिल्ली के अंतर्गत 87 एलोपैथिक औषधालय कार्य कर रहे हैं (मोती नगर, शकूर बस्ती तथा पुल बंगश के औषधालयों का कार्य अस्थाई रूप से रोक दिया गया है) जिनमें से इस समय निम्नलिखित औषधालय उनके समक्ष दर्शाई गई अवधि से बिना किसी प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट के चल रहे हैं:

क्र.सं.	सीजीएचएस, दिल्ली के तहत आने वाले औषधालय का नाम	वह तारीख जब से प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट उपलब्ध नहीं है
1.	आर.के.पुरम, से.-III	1.6.2005
2.	आर.के.पुरम, से.-XII	1.6.2005
3.	कालकाजी-II	1.6.2005
4.	एम.बी.रोड	1.6.2005
5.	एंड्रूज गंज	1.6.2005
6.	किदवई नगर	1.6.2005
7.	लक्ष्मीबाई नगर	1.6.2005
8.	अलीगंज	1.6.2005
9.	नेताजी नगर	1.6.2005
10.	चाणक्यपुरी	1.6.2005
11.	तिमारपुर डिस्पेंसरी/हास्पिटल	1.6.2005
12.	कालकाजी-I	एक वर्ष से अधिक
13.	फरीदाबाद	एक वर्ष से अधिक

सीजीएचएस ने आस-पास के सीजीएचएस औषधलयों के प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्टों को पत्र लिख कर उपर्युक्त औषधालयों का स्थानीय खरीद हेतु दवाओं की आपूर्ति करने हेतु उनकी मंजूरी की मांग की है।

(ग) और (घ) ऐसे औषधालयों (लक्ष्मीबाई नगर औषधालय समेत) जिनके पास कोई प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट नहीं है, के

मामलों में, सीजीएचएस लाभार्थियों (पेंशन लेने वालों सहित) को खुले बाजार से दवाएं खरीदने की अनुमति है जिसके लिए उन्हें सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। जहां तक सीजीएचएस औषधालय देव नगर का संबंध है, उसे प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट द्वारा दवाओं की आपूर्ति की जा रही है।

504 प्रोप्राइटेरी औषधों के संबंध में एम एस ओ/सीजीएचएस के लिए सरकार ने पहले से ही एक तदर्थ संयुक्त फार्मूलेरी को मंजूरी दे दी है। फार्मूलेरी के अनुसार सीजीएचएस हेतु दवाओं की खरीद करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके परिणामस्वरूप सीजीएचएस औषधालयों में औषधों की उपलब्धता में और अधिक सुधार होने की संभावना है।

अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस परिसंघ द्वारा दान के रूप में धनराशि उगाहना

4287. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस परिसंघ (आई एफ आर सी) जिनेवा द्वारा प्रत्येक वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (आई आर सी एस) के अनुरोध पर गुजरात में आए भूकम्प के लिए उनकी सहायता, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में सहयोग के लिए वैश्विक अपील के जरिए दान के रूप में कितनी धनराशि उगाही गई;

(ख) क्या इस प्रकार से उगाही गई कुल धनराशि भारतीय रेड क्रास सोसाइटी को प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि नहीं, तो 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस परिसंघ से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(घ) अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस परिसंघ द्वारा उगाही गई धनराशि तथा इसके द्वारा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को जारी धनराशि के बीच अन्तर किस कारण है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को इसके बारे में विधिवत सूचना दे दी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (च) भारतीय रेडक्रास सोसाइटी के राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली ने सूचित किया है कि एक टीम द्वारा किए गए आकलन के आधार पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेडक्रास तथा रेड क्रीसेंट सोसाइटीज (आई एफ आर सी एंड आर सी एस), जिनेवा ने गुजरात के भूकम्प पीड़ितों की सहायता के लिए भारतीय रेडक्रास सोसाइटी (आई आर सी एस) की सहायता हेतु स्थिति रिपोर्ट जारी की। भारतीय रेडक्रास सोसाइटी को आई एफ आर सी एंड आर सी एस तथा जमा की गई निधियों की जानकारी नहीं है। रेडक्रास और रेड क्रीसेंट मूवमेंट की प्रणाली के अनुसार भारतीय रेडक्रास सोसाइटी को राहत और पुनर्वास के लिए कार्य करने के वास्ते अग्रिम धन प्रदान किया गया था जिसको भारतीय रेडक्रास सोसाइटी द्वारा हिसाब में लिया गया और तब ही दूसरी किश्त भारतीय रेडक्रास सोसाइटी के खाते में स्थानान्तरित की गई। रेडक्रास मूवमेंट की विश्व भर में 181 राष्ट्रीय सोसाइटियां हैं जिनसे मिलकर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेडक्रास एंड रेड क्रीसेंट सोसाइटीज बनती हैं। इनका मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व के किसी भाग में आपदा के समय सहयोगी राष्ट्रीय सोसाइटियों, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेडक्रास एंड रेड क्रीसेंट सोसाइटीज तथा रेडक्रास की अंतर्राष्ट्रीय समिति को व्यक्तियों, सरकारों और अन्य दाता अभिकरणों द्वारा सहायता की पेशकश की जाती है जिन पर कार्रवाई की जाती है और तब राहत और पुनर्वास की आवश्यकता वाले क्षेत्र में उसका उपयोग किया जाता है। भारतीय रेडक्रास सोसाइटी द्वारा वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान प्राप्त धनराशि इस प्रकार है:

2001-2002	37943194 रुपए
2002-2003	48899874 रुपए
2003-2004	104828288 रुपए

भारतीय रेडक्रास सोसाइटी की आपदा राहत समिति, वित्त समिति और प्रबन्ध निकाय ने परिसंघ समर्थित सभी कार्यक्रमों का अनुमोदन किया है और लेखा परीक्षित खाते भी वित्त समिति और प्रबंध निकाय द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक 13.10.2004 को हुई जिसमें भारतीय रेडक्रास सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा गुजरात की सभी परियोजनाएं राज्य को समर्पित की गई।

[हिन्दी]

रक्षित प्रयोग के लिए कोल लिंकेज

4288. श्री प्रदीप गांधी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कोल लिंकेज के माध्यम से रक्षित प्रयोग के लिए कोयला उपलब्ध कराने की वर्तमान नीति में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई नीति पहले से कोयला लिंकेज प्राप्त कर रही कंपनियों पर भी लागू होगी;

(ग) यदि हां, तो क्या छोटी कंपनियों के लिए कोयले के मंहगा हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो कोल ब्लॉक वाली कंपनियों के साथ छोटी कंपनियों द्वारा किस प्रकार प्रतिस्पर्धा किये जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सिविल सेवा परीक्षा में बैठने हेतु मानदण्ड

4289. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल सेवाओं में विभिन्न रैंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस निर्णय पर पुनर्विचार करने और उन्हें पहले की तरह इन परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) सिविल सेवा परीक्षा के नियम इंजीनियरी अथवा चिकित्सा सेवा के किसी भी सदस्य को सिविल सेवा परीक्षा में बैठने से मना नहीं करते बशर्ते कि वह पात्रता की शर्तें पूरी करता हो।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

खेलों के लिए अनुदान

4290. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा खेलकूद के लिए केवल 400 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह राशि खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने हेतु अपर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या और अधिक धनराशि देने हेतु अनुरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) 2005-06 के दौरान "खेल और शारीरिक शिक्षा" के लिए मंत्रालय का योजनागत आबंटन 305.95 करोड़ रुपये है।

(ख) से (ङ) संविधान में 'खेल' राज्य का विषय है तथा राज्य स्तर पर उसका संवर्धन करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, भारत सरकार अपनी योजना तथा भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) की योजनाओं के जरिए जूनियर, सब-जूनियर तथा सीनियर स्तर पर खेलों के प्रदर्शनों को सुधारने के लिए खेलों के संवर्धन में राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ाती है। मंत्रालय जरूरतों के अनुसार अधिक धनराशि मांगने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए बजट आबंटन जो 2003-04 में 236.40 करोड़ रुपये था, बढ़कर 2004-05 में 252.00 करोड़ रुपये तथा 2005-06 में 305.95 करोड़ रुपये हो गया है।

[हिन्दी]

राज्य सरकारों से सड़क परियोजना प्रस्ताव

4291. श्री गणेश सिंह:
श्री रामसेवक सिंह:
श्री संतोष गंगवार:
श्री लोनाप्पन नम्बाडन:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, उन्हें चौड़ा करने, उनका सुदृढ़ीकरण करने, सतह विकास में सुधार करने तथा उनका अनुरक्षण करने और कतिपय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने के संबंध में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा केरल सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्तावों के लिए राज्य सरकारों द्वारा राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता की मांग की गई है; और

(घ) केन्द्र सरकार इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर देगी?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग)

(1) राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, सतह विकास में सुधार तथा अनुरक्षण के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	कार्य शीर्ष	मध्य प्रदेश		उत्तर प्रदेश		केरल	
		संख्या	अनुमानित लागत/ राज्य द्वारा प्रस्तावित आबंटन	संख्या	अनुमानित लागत राज्य द्वारा प्रस्तावित आबंटन	संख्या	अनुमानित लागत . राज्य द्वारा प्रस्तावित आबंटन
1.	चौड़ीकरण	12	71.35	6	25.83	4	16.86
2.	सुदृढ़ीकरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	सड़क गुणता सुधार कार्यक्रम	5	14.4	41	139.6	6	14.98
4.	आवधिक नवीकरण	39	68.36	28	38.94	2	6.04

(2) कतिपय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

क्र.सं.		मध्य प्रदेश		उत्तर प्रदेश		केरल	
		संख्या	लंबाई कि.मी.	संख्या	लंबाई कि.मी.	संख्या	लंबाई कि.मी.
1.	नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए प्रस्ताव	शून्य	शून्य	7	1044.177	1	164

(घ) वार्षिक योजना में शामिल कार्यों पर तकनीकी स्वीकार्यता तथा पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाती है। विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्धारित मानकों के अनुरूप सुधार करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए फिलहाल किसी राज्यीय राजमार्ग की राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषणा नहीं की जा रही है।

एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथों के आबंटन के लिए लंबित आवेदन

4292. श्री अजीत जोगी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों/स्थानों पर शारीरिक विकलांग श्रेणी के अंतर्गत एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथों के आबंटन के लिए सरकार के पास कितने आवेदन लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) उक्त श्रेणी के अधीन एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथों के आबंटन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में जिले-वार कितने एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ स्वीकृत तथा आबंटित किये गए?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31.7.2005 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ में शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के तहत एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथों के आबंटन के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के पास कोई आवेदन लंबित नहीं है।

(ख) पीसीओ 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के सभी आवेदकों को बिना किसी प्रतिबंध के उदारतापूर्वक आबंटित किए जाते हैं और व्यवहार्य क्षेत्रों में ये मांग पर उपलब्ध हैं। तथापि, जहां एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ की प्रतीक्षा सूची है, वहां अन्य श्रेणियों के साथ विकलांग व्यक्तियों को पीसीओ का आबंटन करने में निम्नलिखित क्रम में वरीयता दी जाती है:

1. युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं/आश्रित
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

3. विकलांग व्यक्ति

4. भूतपूर्व सैनिक।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में संस्वीकृत और आबंटित एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथों की गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए)-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

छत्तीसगढ़ में गत तीन वर्षों अर्थात् 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान प्रदान किए गए एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ की संख्या

क्र.सं.	एसएसए का नाम	जिले का नाम	गत तीन वर्षों के दौरान (सभी श्रेणियों के तहत) प्रदान किए गए पीसीओ की संख्या		
			स्थानीय	एसटीडी/आईएसडी	कुल
1.	बिलासपुर	बिलासपुर कोरबा जांगीर चांपा	188	1014	1202
2.	दुर्ग	दुर्ग कवार्धा राजनंदगांव	59	428	487
3.	बस्तर	बस्तर कांकेर दंतेवाड़ा	72	542	614
4.	रायगढ़	रायगढ़ जशपुर	115	452	567
5.	सरगुजा	सरगुजा, कोरेआ	217	392	609
6.	रायपुर	रायपुर महासमुंद धमतारी	82	733	815
		जोड़	733	3561	4294

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु धनराशि

4293. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा चालू वर्ष 2005-06 हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई है;

(ख) क्या राज्य सरकारों विशेषकर राजस्थान ने इन कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अतिरिक्त धनराशि कब तक जारी कर दी जाएगी;

(ङ) क्या सरकार ने इन धनराशियों के आबंटन पर कोई प्रतिबंध लगा दिया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) विवरण I और II संलग्न हैं।

(ख) से (घ) जम्मू कश्मीर से प्राप्त 4.59 करोड़ रुपए के एसीए का अनुरोध मंजूर नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ रुपए एसीए का अनुरोध मंजूर कर लिया गया है और योजना आयोग द्वारा मंजूरी पत्र जून, 2005 में जारी कर दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण I

वर्ष 2005-06 में प्रमुख रोग नियंत्रण एवं प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए स्कीमवार, राज्यवार आबंटन

(लाख रुपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षयरोग*	कुष्ठरोग*	आईडीएसपी	आईडीडी*	दृष्टिहीनता*	एनवीबीडीसीपी*	एड्स	आरसीएच*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अं. और निको. द्वी. समूह	5.05	11.19	—	6.00	17.50	236.96	289.12	286.56
आंध्र प्रदेश	1100.00	102.50	610.00	4.50	528.76	852.37	7511.66	24572.36
अरुणाचल प्रदेश	55.31	50.03	—	13.00	21.00	1063.66	566.9	1434.99
असम	1337.50	54.45	—	13.00	115.00	3035.10	1395.18	20249.11
बिहार	1270.28	409.21	—	3.50	284.52	4736.19	1757.78	33207.01
चंडीगढ़	15.16	10.65	46.00	6.00	29.00	69.62	438.84	152.42
छत्तीसगढ़	740.21	238.80	305.00	3.50	271.78	2114.72	916.54	8213.75
दादरा एवं नगर हवेली	3.37	9.35	—	5.00	4.50	50.09	90.8	131.25
दमन और दीव	3.37	10.04	—	6.00	11.00	11.66	158.94	104.56
दिल्ली	232.42	63.41	177.00	5.50	63.00	42.51	2273.02	2554.64
गोवा	19.92	17.05	59.00	4.00	68.44	21.13	604.78	447.1
गुजरात	775.35	114.90	440.00	5.00	521.44	838.84	4163.1	27990.56
हरियाणा	200.00	33.94	283.00	6.00	184.52	122.76	724.35	6106.8
हिमाचल प्रदेश	93.47	35.97	360.00	4.50	122.18	31.72	908.45	3711.35
जम्मू-कश्मीर	154.76	52.46	—	3.50	216.35	50.96	597.74	4710.87
झारखंड	957.30	346.80	—	3.50	183.74	2179.14	634.15	12160.81
कर्नाटक	807.30	80.42	620.00	9.00	462.08	385.99	2071.35	16427.04
केरल	487.27	24.07	330.00	5.00	270.19	91.53	2251.61	10535.53
लक्षद्वीप	1.68	6.52	—	5.00	6.00	8.27	125.59	94.23
मध्य प्रदेश	925.51	364.52	900.00	3.50	549.50	1897.77	1779.61	23507.59
महाराष्ट्र	1483.27	148.23	890.00	3.50	351.07	768.09	5202.27	27501.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मणिपुर	120.68	32.09	172.00	12.00	30.00	531.37	1576.5	2465.26
मेघालय	115.65	33.15	164.00	12.00	15.50	729.00	328.71	2147.32
मिजोरम	45.25	35.07	149.00	13.00	23.50	677.82	761.6	2177.51
नागालैण्ड	100.56	78.57	164.00	12.00	20.50	732.23	1405.36	1934.23
उड़ीसा	300.00	292.58	425.00	7.00	326.64	4027.67	1563.29	14372.84
पांडिचेरी	16.84	11.28	—	2.50	24.00	31.77	200.08	181.35
पंजाब	372.35	47.38	55.00	4.75	148.39	140.70	924.24	6741.59
राजस्थान	865.75	73.16	500.00	5.50	554.79	1661.86	1280.72	22783.64
सिक्किम	25.14	23.92	—	13.00	13.50	24.65	391.92	692.69
तमिलनाडु	951.56	80.81	760.00	4.50	1294.39	358.60	4329.04	17843.3
त्रिपुरा	160.90	4.12	151.00	12.00	61.00	1616.65	345.9	3036.33
उत्तर प्रदेश	2545.16	449.94	—	5.00	1061.06	1121.00	1267.83	69580.1
उत्तरांचल	302.49	108.93	300.00	6.75	164.77	58.44	1542.66	4279.98
पश्चिम बंगाल	1228.91	267.09	290.00	3.50	390.41	1231.17	4301.47	24402.41
कुल	17819.74	3739.60	8150.00	232.00	8410.02	31552.00	54681.10	396738.39

*राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शामिल

विवरण II

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए राज्य योजना के जरिए केन्द्रीय सहायता का राज्यवार परिव्यय

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	43269.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	एन एफ
3.	असम	5687.00
4.	बिहार	12721.80
5.	छत्तीसगढ़	14287.44
6.	गोवा	एन एफ
7.	गुजरात	43494.00
8.	हरियाणा	10200.00
9.	हिमाचल प्रदेश	18476.60
10.	जम्मू-कश्मीर	21061.70
11.	झारखंड	15000.00
12.	कर्नाटक	33239.29
13.	केरल	10035.00
14.	मध्य प्रदेश	20587.00
15.	महाराष्ट्र	77874.10
16.	मणिपुर	351.00

1	2	3
17.	मेघालय	4484.00
18.	मिजोरम	3480.00
19.	नागालैण्ड	2263.00
20.	उड़ीसा	14348.19
21.	पंजाब	2743.13
22.	राजस्थान	18605.59
23.	सिक्किम	1840.00
24.	तमिलनाडु	26874.17
25.	त्रिपुरा	2813.10
26.	उत्तर प्रदेश	85421.00
27.	उत्तरांचल	8790.92
28.	पश्चिम बंगाल	40207.80
29.	अं.और नि. द्वीप समूह	3321.00
30.	चंडीगढ़	3392.00
31.	दादरा और नगर हवेली	400.00
32.	दमन और दीव	350.00
33.	दिल्ली	60600.00
34.	लक्षद्वीप	242.00
35.	पांडिचेरी	5635.00

एन.एफ.: अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य पद्धति संबंधी केरल परियोजना

4294. डा. के.एस. मनोज: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से केरल राज्य स्वास्थ्य पद्धति परियोजना से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना कब तक मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) जी, हां। विश्व बैंक वित्त पोषण के लिए राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना के संबंध में केरल सरकार से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव की जांच आर्थिक कार्य विभाग, योजना आयोग एवं विश्व बैंक के परामर्श से की गई है। आर्थिक कार्य विभाग ने सूचना दी है कि विश्व बैंक ने वर्ष 2005-08 की अवधि के लिए अपने प्रचालन कार्यक्रम में प्रस्तावित केरल स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना को शामिल नहीं किया है क्योंकि केरल के विभिन्न स्वास्थ्य सूचक राष्ट्रीय स्तर से ऊपर है तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्व बैंक वित्तपोषण की मौजूदा प्राथमिकता ऐसे बड़े एवं निर्धन राज्यों के लिए है जहां स्वास्थ्य सूचक सर्वाधिक कम हैं।

टोर्सा नदी पर पुल का निर्माण

4295. श्री हितेन बर्मन: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** 11 मई, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6929 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टोर्सा नदी पर बनाए जा रहे पुल के लिए दूसरे संशोधित लागत प्राक्कलन के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह अनुमोदन कब तक प्राप्त होने और उक्त पुल का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रा.रा. 31 के फलाकाता से पुंडीबाड़ी तक पुनर्संरेखण जिसमें टोर्सा पुल के निर्माण शामिल हैं, के लिए 6172.17 लाख रु. का दूसरा वित्तीय संशोधित लागत प्राक्कलन नोट संबंधित मंत्रालयों को मूल्यांकन हेतु परिचालित किया गया था। मूल्यांकनकर्ता मंत्रालयों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकनकर्ता मंत्रालयों की टिप्पणियों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। दूसरे संशोधित लागत प्राक्कलन की स्वीकृति के बाद बकाया कार्य शुरू किया जा सकता है। बकाया कार्य सौंपे जाने के बाद ही कार्य पूरा होने के समय का पता लग सकेगा।

[हिन्दी]

डाक विभाग का बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश

4296. श्री पंकज चौधरी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग बैंकिंग क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) डाक घर बचत बैंक वित्त मंत्रालय की एक एजेंसी कार्यकलाप के रूप में लघु बचत की विभिन्न लिखतों की व्यवस्था करता है। डाक बैंक का प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन है, अत: इसकी कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सहयोग

4297. श्री बापू हरी चौरे: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ कोई सहयोग स्थापित किया है/करने का क्या प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आकर्षक बाजार के रूप में उभर रहा है;

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जो इस क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता से लाभ उठाना चाहते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग तथा सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना के विकास के लिए अन्य देशों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विदेशी सरकारों तथा एजेंसियों और विदेशों में स्थित हमारे मिशनों के साथ विभिन्न देशों के बीच सहक्रियात्मक संबंध स्थापित करने के लिए नियमित रूप से बातचीत कर रहा है। इसके अनुसरण में, भारत ने विभिन्न देशों के साथ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं जो द्विपक्षीय सहयोग के लिए सामने आए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता तथा लागत की प्रतिस्पर्धा का लाभ पाने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ के सदस्य देश, जापान, कोरिया आदि हैं।

गर्भाशय और स्तन कैंसर रोगियों की संख्या में वृद्धि

4298. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में फेफड़ों के कैंसर रोगियों की तुलना में गर्भाशय और स्तन कैंसर के रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार इन रोगियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या देश में इन रोगियों के उपचार के लिए कोई देशव्यापी जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) चूंकि देश भर में कैंसर होने के बारे में आंकड़े एकत्र नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए कैंसर के रोगियों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य कर रहे जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों से कैंसर होने के बारे में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों के आधार पर "भारत की कैंसर एटलस" के अनुसार महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा और स्तन का कैंसर महिलाओं में कैंसर होने के दो प्रमुख स्थान थे। बैंगलूर बारशी, भोपाल और चेन्नई में गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर प्रमुख है जबकि दिल्ली और मुम्बई में स्तन का कैंसर प्रमुख है। शहरी रजिस्ट्रियों में सभी प्रकार के कैंसरों के मुकाबले महिलाओं में इन दोनों प्रकार के कैंसरों की प्रतिशतता 40 बैठती है और बारशी में ग्रामीण रजिस्ट्री में इन दोनों कैंसरों की प्रतिशतता 65 से अधिक बैठती है। भोपाल, चेन्नई, दिल्ली और मुम्बई में स्थित 6 रजिस्ट्रियों में से 4 रजिस्ट्रियों में महिलाओं में भी फेफड़े का कैंसर 10 प्रमुख कैंसरों में से एक है।

(ख) इन कैंसरों की घटना दर में परिवर्तन के सही कारण स्पष्ट नहीं है। स्तन कैंसर के साथ जुड़े हुए मुख्य जोखिम कारकों में हाइपरेस्ट्रोजेनिजम, एस्ट्रोजेनिजम एडमिनिस्ट्रेशन, अधिक वसा वाला आहार, शारीरिक कार्यकलाप का अभाव, कम उम्र में मासिक धर्म शुरू होना, रजोनिवृत्ति देर से होना और 30 वर्ष की आयु के पश्चात पहला गर्भधारण शामिल है। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के साथ जुड़े हुए प्रमुख कारकों में ह्यूमेन पेपिल्लोमा वायरस से संक्रमण (एच.पी.वी.), बहुत सारे यौन सहभागी, छोटी आयु में विवाह, लैंगिक अस्वच्छता, धूम्रपान शामिल है। फेफड़े के कैंसर

को उत्पन्न करने वाला मुख्य कारक धूम्रपान है जबकि इसके अन्य कारकों में पेशे के कारण आयोनाइजिंग रेडिएशन्स, रेडोन, कोलटार्स, पेट्रोलियम, क्रोमेट्स, निकल, आर्सेनिक और मस्टर्ड गैस के सम्पर्क में रहना शामिल है।

(ग) चूंकि देश भर में कैंसर होने के आंकड़े एकत्र नहीं किए जा रहे हैं। अत: कैंसर के रोगियों की राज्यवार संख्या उपलब्ध नहीं है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अनुसार किसी निश्चित समय में भारत में 2-2.25 मिलियन कैंसर के रोगी हैं। भारत में हर वर्ष 7-9 लाख नए कैंसर रोगियों की सूचना दी जाती है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में एक नोट विवरण-I के रूप में संलग्न है।

विवरण I

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

कैंसर भारत में मृत्यु के दस प्रमुख कारणों में से एक कारण बन गया है। यह अनुमान है कि किसी भी नियत समय पर कैंसर के लगभग 2-2.5 मिलियन रोगी होते हैं। प्रति वर्ष 7 लाख से अधिक कैंसर के नए रोगी होते हैं तथा 3 लाख लोगों की इससे मृत्यु होती है। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के तहत जनसंख्या आधारित रजिस्ट्रियों के आंकड़े से पता चलता है कि कैंसर होने के प्रमुख स्थान पुरुषों में मुखीय गुहा, फेफड़े, ओसेफेगस एवं उदर और महिलाओं में सर्विक्स, स्तन एवं मुखीय गुहा हैं। भारत में कैंसर से होने वाली सभी मौतों में से 50 प्रतिशत से अधिक मोतें पुरुषों में मुखीय एवं फेफड़े के कैंसर तथा महिलाओं में सर्विक्स एवं स्तन के कैंसर के कारण होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमान लगाया है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में 91 प्रतिशत मुखीय कैंसर का सीधा संबंध तम्बाकू के सेवन से है और यह भारत में मुखीय गुहा एवं फेफड़े के कैंसर का प्रमुख कारण है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1975-76 में शुरू किया गया। इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. तम्बाकू के सेवन के खतरों एवं सर्विकल कैंसर की रोकथाम हेतु जननांगीय स्वच्छता की आवश्यकता के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा कैंसर की प्राथमिक रोकथाम।
2. द्वितीय रोकथाम अर्थात जांच विधियों एवं स्वयं जांच विधियों के बारे में रोगियों की शिक्षा द्वारा कैंसरों, उदाहरणार्थ, सर्विक्स का कैंसर, स्तन कैंसर और ओरो-फैरिंनगिल कैंसर का शुरू में ही पता लगाना एवं निदान।
3. मौजूदा कैंसर उपचार की अपर्याप्त सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।
4. अंतिम अवस्था वाले कैंसर में प्रशामक परिचर्या।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्कीमें
(वर्ष 2004 तक)

स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता:

यह स्कीम सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलापों तथा कैंसर का शुरू में ही पता लगाने के लिए है। इस स्कीम के तहत कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा एवं शुरू में ही इसका पता लगाने संबंधी कार्यकलाप करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित, पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों का 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र (या क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के नहीं होने पर मेडिकल कॉलेज) से संबंध होना संबंधित गैर-सरकारी संगठन के द्वारा अब अनिवार्य है।

जिला कैंसर नियंत्रण स्कीम:

यह ज्ञात है कि उपयुक्त स्वास्थ्य शिक्षा एवं शुरू में ही इस रोग का पता लगाकर बड़ी संख्या में कैंसर के मामलों को रोका जा सकता है।

तद्नुसार रोकथाम, स्वास्थ्य शिक्षा, रोग का शुरू में पता लगाने और दर्द निवारक उपायों के संबंध में जिला परियोजनाओं के लिए 1990-91 में स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार को स्कीम के तहत चुने गए प्रत्येक जिला परियोजना हेतु 15 लाख रुपए की एक बारगी वित्तीय सहायता दी जाती है और परियोजना के शेष रहते चार वर्षों के लिए 10 लाख रुपए प्रति वर्ष देने की व्यवस्था है। यह परियोजना क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र अथवा कैंसर रोगियों के उपचार हेतु अच्छी सुविधाओं वाले संस्थान से जुड़ी होती है। रोगियों को संबंधित क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र अथवा नोडल संस्थान में उपचार प्रदान किया जाता है।

कोबाल्ट इकाई स्थापना हेतु वित्तीय सहायता:

कैंसर उपचार सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए धर्मार्थ संगठनों एवं सरकारी संस्थाओं को टेलीथेरेपी और ब्राची थेरेपी उपकरणों आदि की खरीद हेतु क्रमश: 1 करोड़ रुपए और 1.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्तमान में यह एक बारगी अनुदान है।

सरकारी मेडिकल कालेज अस्पतालों में अर्बुद विज्ञान स्कंध का विकास:

इस स्कीम को देश में कैंसर उपचार सुविधाओं की उपलब्धता में भौगोलिक अंतर को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। उपकरणों की खरीद के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है जिसमें अन्य उपकरणों के अलावा कोबाल्ट इकाई भी शामिल है। सिविल कार्य एवं जनशक्ति संबंधित राज्य सरकार/संस्थान द्वारा प्रदान की जानी होती है। इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता 2 करोड़ रुपए प्रति संस्थान है। यह स्कीम केवल एक बारगी अनुदान देती है।

क्षेत्रीय अनुसंधान एवं उपचार केन्द्र हेतु सहायता:

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 20 क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान एवं उपचार केन्द्र वार्षिक अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

वर्ष 2002 में कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया था और तद्नुसार राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम संशोधित किया गया था।

स्कीमों में संशोधन के कारण

- राज्य सरकारों द्वारा जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के लिए जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम सोसाइटियों को निधियां उपलब्ध नहीं कराई जाती थी।
- क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र एवं अर्बुद विज्ञान स्कंध स्कीम के लिए निधियां आवश्यकता से कम थी।
- प्राइवेट अनुदान देने वाली संस्थाएं, जरूरतमंदों एवं गरीबों को लाभ नहीं पहुंचा रही थी।
- वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को अनिश्चित निधियां देने पर आपत्ति जताई थी।
- और अधिक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों विशेषतौर से अधिक आबादी वाले राज्यों में दूसरे क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र को मान्यता देने की आवश्यकता थी।

संशोधित राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (1.1.2005 से)- विभिन्न उप स्कीमों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:

1. *कोबाल्ट यूनिट स्कीम*-मूल्यांकन रिपोर्ट के निष्कर्षों को देखते हुए इस आधार पर समाप्त कर दिया गया है कि गैर-सरकारी संगठन निर्धन लोगों को लाभ नहीं दे पा रहे हैं। अब सुविकसित सरकारी संस्थाओं को आनकोलोजी विंग स्कीम में कवर किया जाएगा।
2. *ऑनकोलोजी विंग स्कीम*-मूल्यांकन रिपोर्ट तथा 10वीं योजना की कार्यनीतियों हेतु कार्य दल की सिफारिशों को देखते हुए इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई है। ऐसे कई जिला अस्पताल हैं जो सुविधाओं के अनुसार मेडिकल कालेजों के समान हैं और उन्हें अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता है जिन्हें इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाता है।
3. *क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र*-मूल्यांकन रिपोर्ट की सिफारिशों तथा मार्च, 2003 में हुई व्यय वित्त समिति की रिपोर्ट को देखते हुए सनसेट क्लाज के बाद क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को असीमित धन देना बंद कर दिया गया है। क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मौजूदा क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के लिए 3 करोड़ तक और नए क्षेत्रीय कैंसर केन्दों के लिए 5 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता संस्थान के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए कार्य योजना के आधार दी जाती है जिसमें उन्हें एक खास स्तर तक लाने के लिए कैंसर उपचार हेतु उपकरण भी शामिल हैं
4. *जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम*-इस स्कीम में निवारण, रोग का शुरू में ही पता लगाने पर अधिक बल देने के लिए संशोधन किया गया है। यह वित्तीय सहायता पिछली स्कीमों में राज्य सरकारों के बजाए नोडल एजेंसी (क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र/मेडिकल कालेजों के सुविकसित आनकोलोजी विंग) को जारी करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक जिलों को 5 वर्ष के लिए लगभग 90 लाख रुपए की सहायता (2 संगत जिलों के लिए) दी जाएगी।
5. *गैर-सरकारी संगठन योजना*-कैंसर के बारे में जागरूकता, इसकी रोकथाम आदि के लिए गैर-सरकारी संगठन योजना जिसे इस समय केन्द्रीय स्तर से चलाए जाने की तुलना में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र/सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को नोडल अधिकरणों के रूप में विकेन्द्रीकृत किए जाने/सौंपे जाने का प्रस्ताव है ताकि शिकायतें दूर की जा सकें।
6. *नए घटक*-सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण तथा अनुसंधान के लिए नए घटक पहली बार केन्द्रीय स्तर पर चलाए जाने के लिए बनाए गए हैं।

राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम 1981-2001

* 97.8 (बैंगलौर) से 121.9 (दिल्ली) कैंसर के मामले प्रति 1,00,000 जनसंख्या-शहरी पुरुष (एज एड्जस्टिड इंसीडेंस रेट)
* 92.2 (भोपाल) से 135.3 (दिल्ली) कैंसर के मामले प्रति 1,00,000 जनसंख्या-शहरी महिलाएं (एज एड्जस्टिड इंसीडेंस रेट)
* 46.2 (बारशी) कैंसर के मामले प्रति 1,00,000 जनसंख्या-ग्रामीण पुरुष (एज एड्जस्टिड इंसीडेंस रेट)
* 57.7 (बारशी) कैंसर के मामले प्रति 1,00,000 जनसंख्या-ग्रामीण महिलाएं (एज एड्जस्टिड इंसीडेंस रेट)
* शहरी क्षेत्रों में लगभग 15 पुरुषों में से 1 को तथा लगभग 12 महिलाओं में से 1 को अपनी जीवन में कैंसर हो सकता है।
* महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर तथा स्तन कैंसर होना सामान्य सी बात है। मुम्बई तथा दिल्ली में स्तन कैंसर सर्वाइकल कैंसर से अधिक है।

* पुरुषों में सभी तम्बाकू संबंधी कैंसरों में से फेफड़े का कैंसर होना सामान्य है।

* बंगलौर की महिलाओं में ओएसोफेगील कैंसर की एज एड्जस्टिड इंसीडेंस दर विश्व में सबसे अधिक (8.3 प्रति 1,00,000) है।

* भोपाल में पुरुषों को जीभ का कैंसर सभी महाद्वीपों में सबसे अधिक (8.8 प्रति 1,00,000) है।

* दक्षिणी रजिस्ट्रियों में पुरुषों में पेट का कैंसर एक प्रमुख कैंसर है।

* दिल्ली की महिलाओं में गॉल ब्लेडर का कैंसर विश्व में सबसे अधिक (8.9 प्रति 1,00,000) है।

* पहली बार की जांच में 75-80 प्रतिशत मरीज रोग की अग्रिम अवस्था में हैं।

* भारत में कैंसर के नये रोगियों की अनुमानित संख्या 7 से 9 लाख के बीच है।

विवरण II

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की सूची

कमला नेहरू मेमोरिक्ल हास्पिटल, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, तिरूवनंतपुरम
चित्तरंजन नेशनल कैंसर इन्स्टीट्यूट, कोलकाता, प. बंगाल	गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात
किदवई मेमोरियल इन्स्टी. आफ आकोलॉजी, बंगलौर, कर्नाटक	एमएनजे आन्कोलॉजी संस्थान, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, अदयार, चेन्नई, तमिलनाडु	पांडिचेरी क्षेत्रीय कैंसर सोसाइटी, जिपमेर, पांडिचेरी
आचार्य हरिहर क्षेत्रीय कैंसर, कैंसर अनुसंधान एवं उपचार केन्द्र, कटक, उड़ीसा	डा. बी.बी. कैंसर संस्थान, गुवाहाटी, असम
क्षेत्रीय कैंसर नियंत्रण सोसाइटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश	टाटा मेमोरियल हास्पिटल, मुम्बई, महाराष्ट्र
कैंसर हास्पिटल एवं अनुसंधान केन्द्र, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	इंदिरा गांधी चिकित्सा विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार
इंडियन रोटरी कैंसर संस्थान, (अ.भा.आयु.चि.वि.) नई दिल्ली	आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर ट्रस्ट एवं अनुसंधान संस्थान बिकानेर, राजस्थान
आर.एस.टी. हास्पिटल एवं अनुसंधान केन्द्र, नागपुर, महाराष्ट्र	क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, पं. बी.डी. शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक, हरियाणा
पं. जे.एन.एम. चिकित्सा कालेज, रायपुर, छत्तीसगढ़	सिविल अस्पताल, आईबोल, मिजोरम

[अनुवाद]

तहसील मुख्यालयों में ब्राड बैण्ड सेवाएं

4299. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्राण्ड बैण्ड सेवाएं केवल जिला मुख्यालयों में ही उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सेवा को सम्पूर्ण देश के तहसील मुख्यालयों में उपलब्ध करवाने का है; और

(ग) यदि हां, तो यह सेवा तहसील मुख्यालयों में कब तक उपलब्ध कराई जायेगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और अन्य प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाता देश के प्रमुख शहरों में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बीएसएनएल ने वर्ष 2006-07 के दौरान सभी जिला मुख्यालयों में अपनी ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार करने की योजना बनाई है।

(ख) और (ग) सरकार ने ब्रॉडबैंड नीति 2004 की घोषणा की है जिसके अंतर्गत देश में ब्रॉडबैंड सेवाओं के तेजी से विकास की संकल्पना करते हुए वर्ष 2005 और 2010 तक क्रमश: 3 मिलियन और 20 मिलियन ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की परिकल्पना की गई है। प्राधिकृत सेवा प्रदाता लाइसेंसिंग और विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने पर ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा तहसील मुख्यालयों में ब्रॉडबैंड सेवाओं के रोल आउट के लिए विशेष समय सीमा सरलता से निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि यह तकनीकी, वाणिज्यिक और अन्य पहलुओं पर आधारित उनकी रोल आउट योजनाओं पर निर्भर करता है।

स्वास्थ्य परिचर्या योजनाओं का क्रियान्वयन

4300. श्री दुष्यंत सिंह:
श्री अनन्त नायक:

क्य **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र द्वारा निर्धन व्यक्तियों की स्वास्थ्य परिचर्या के लिए कौन-कौन सी योजनाओं को प्रायोजित किया गया है;

(ख) क्या इन योजनाओं को कुछ राज्यों में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इन योजनाओं की निगरानी के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिकतर योजनाओं का उद्देश्य गरीब लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। इनमें जनस्वास्थ्य परिचर्या बुनियादी ढांचा, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कार्यकलाप, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य मंत्री का विवेकानुदान तथा राष्ट्रीय आरोग्य निधि को सहायता देने वाली योजनाएं शामिल हैं।

(ख) और (ग) मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे, प्रणाली एवं शासन संबंधी मामलों के कमजोर होने के कारण इस स्कीम के कार्यान्वयन में राज्य-दर-राज्य भिन्नता होती है।

(घ) और (ङ) सरकार ने हाल ही में एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरंभ किया है। यह मिशन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करते हुए एवं प्रणालीगत सुधार करते हुए मौजूदा योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को विकसित करने के लिए 18 राज्यों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करेगा।

प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

4301. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी. ए. आर. सी.) द्वारा विकसित विभिन्न प्रौद्योगिकियों को 2004-05 के दौरान उद्योगों को हस्तांतरित किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए रायल्टी मिलती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2004-05 के दौरान विभाग को कितनी रायल्टी प्राप्त हुई; और

(ङ) वर्ष 2005-06 के दौरान विकसित की जाने वाली विभिन्न प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित नौ प्रौद्योगिकियां 15 विभिन्न उद्योगों को हस्तांतरित की गई थीं:

1. एफडीके-फ्लुओराइड डिटेक्शन किट
2. लॉसकन डाया गेज
3. केले का रस निकालने की प्रक्रिया
4. कम्पन-तापीय विग्रसक
5. अतिसूक्ष्म-निस्यंदन पॉलीसल्फोन झिल्ली पर आधारित ऑन-लाइन घरेलू जल शोधक
6. निम्न पृष्ठभूमि वाला गैस फ्लो बीटा काउंटर
7. द्रवचालित लिफ्ट के लिए त्वरण-मंदन नियंत्रण वाल्व और परिपथ
8. रसोईघर से निकले अपशिष्ट पदार्थ पर आधारित बायो-गैस संयंत्र
9. कोबाल्ट-60 दूरचिकित्सा मशीन।

(ग) ये हस्तांतरण अविशिष्ट आधार पर सामान्यत: प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु एकमुश्त फीस लेकर और बिना किसी रायल्टी के किए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी पहले के कुछ मामलों में रायल्टी मिलती है।

(घ) विभाग को वित्त-वर्ष 2004-05 के दौरान बोरॉन कारबाइड प्रौद्योगिकी के लिए 2,11,130 रुपए रायल्टी मिली है।

(ङ) वित्त-वर्ष 2005-2006 के दौरान विकसित की जाने वाली संभावित प्रौद्योगिकियों की सूची निम्नानुसार है:

1. फिल्म रहित आंकिक चिकित्सीय चित्रण प्रणाली
2. केले के पौधों का सूक्ष्म प्रवर्धन
3. चिकित्सीय विश्लेषक
4. उच्च शुद्धता वाला गैलियम

5. उच्च शुद्धता वाला आर्सेनिक

6. नगरीय आपंक का विकिरण की सहायता से संसाधन

7. यूएसबी पर आधारित बहु चैनलीय विश्लेषक कार्ड

8. बहु चैनलीय ध्वानिक उत्सर्जन विश्लेषक

9. आवेश के प्रति संवदेनशील पूर्व-प्रवर्धक

सूचना का अधिकार विधेयक

4302. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:**
श्री मोहन सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'सूचना का अधिकार' से संबंधित विधेयक को माननीय राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी के लिए भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी प्राप्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इसकी तिथि क्या है;

(ङ) क्या कतिपय उच्च सरकारी प्राधिकारियों के साथ पत्राचार को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या औचित्य है;

(छ) क्या सरकार का विचार देश हित से जुड़े मामलों को इस कानून के दायरे से बाहर रखने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (घ) संसद के सदनों द्वारा यथापारित सूचना का अधिकार विधेयक, 2005 को दिनांक 15 जुलाई, 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है।

(ङ) से (ज) उपर्युक्त अधिनियम के खण्ड 8 और 9 में उल्लिखित छूट प्राप्त श्रेणियों के संबंध में सरकारी अधिकारियों के बीच पत्राचार का खुलासा करना उक्त अधिनियम के अनुसार अपेक्षित नहीं होगा।

[हिन्दी]

कोयला ब्लॉकों का आबंटन

4303. **श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री हंसराज जी. अहीर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी/सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को रक्षित उपयोग हेतु आबंटित कोयला ब्लॉकों का ब्यौरा क्या है और निजी क्षेत्र को वाणिज्यिक उत्पादन के लिए कितने कोयला ब्लॉक प्रदान किये गए;

(ख) क्या उक्त उद्देश्य के लिए कोई नीति/नियम/अनुदेश तैयार किये गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन खानों में खनन कार्यकलापों की गति धीमी है;

(ङ) यदि हां, तो खान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) इन कोयला ब्लॉकों के आबंटन से अर्जित धनराशि का कंपनी-वार और खान-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) इन खानों में कार्यरत व्यक्तियों का खान-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है और उनकी सेवा-शर्तें क्या हैं;

(ज) क्या कोयला ब्लॉकों के आबंटन में हुई कथित अनियमितताओं अथवा इन खानों में निजी कंपनियों द्वारा की गई कथित अनियमितताओं से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) अद्यतन तिथि तक, गृहीत उपयोग के लिए पहचान किए गए कोयला ब्लॉकों की सूची से 86 कोयला ब्लाकों को आबंटित कर दिया गया है/आबंटित करने का निर्णय किया गया है। इन 86 ब्लाकों में से गोतीतोरिया (पूर्व तथा पश्चिम) स्थित दो छोटे तथा पृथक भंडारों को, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3(3)(ग) के अंतर्गत बिना किसी रेल परिवहन के मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्र के भीतर निर्दिष्ट अन्त्य उपयोगकर्ताओं को, कोयला खनन तथा निपटान के लिए निजी क्षेत्र की कंपनी को दे दिया गया है।

(ख) और (ग) कोयले के गृहीत खनन की अनुमति कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा, 3 उप-धारा 3, खंड (क) उप-खंड (iii) के अंतर्गत दी जाती है। कोयला मंत्रालय ने उक्त अधिनियम, 1973 के अंतर्गत गृहीत खनन के लिए प्रावधानों के प्रोत्साहन में गृहीत खनन हेतु कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। जांच समिति, जो अपने निर्णय के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश करने से पहले गृहीत कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए आवेदन प्राप्त करती है और निर्णय लेती है, के कार्यचालन को सुकर बनाने के लिए तथा अभ्यार्थियों के मार्ग-दर्शन दोनों हेतु इन दिशा-निर्देशों को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। इन दिशा-निर्देशों को मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाला जाता है। कोयला ब्लाकों का आबंटन जांच समिति द्वारा किया जाता है जो एक अंतर्मंत्रालयी, अंतर्सरकारी निकाय है। इस समिति में, इस्पात, विद्युत, उद्योग तथा वाणिज्य, रेलवे और कोयला के केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि; कोयला उत्पादक राज्यों की राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, जिन राज्यों में अन्त्य उपयोग परियोजना स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है वहां के प्रतिनिधि और कोल इंडिया लि., सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि. के प्रतिनिधि तथा सीआईएल की संबंधित सहायक कंपनी के प्रतिनिधि, जिनके क्षेत्र में अपेक्षित कोयला ब्लाक स्थित हैं, होते हैं। समिति परस्पर परामर्श के बाद तथा अभ्यार्थियों को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात कोयला ब्लाकों के आबंटन का निर्णय लेती है।

(घ) और (ङ) केवल 8 खानों में खनन प्रचालन शुरू हो गए हैं। खनन कार्यकलापों को शुरू करने में धीमी प्रगति मुख्य रूप से-अन्त्य उपयोग परियोजनाओं की स्थापना करने में विलंब, खनन और भूमि अधिग्रहण के लिए विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने में लगे समय और वाणिज्यिक खनन हेतु कोयला खनन क्षेत्र खोलने की प्रत्याशा करने वाले आबंटितियों द्वारा संभावी अटकलबाजी के कारण हैं।

(च) केन्द्रीय सरकार, गृहीत ब्लाकों के आबंटन से कमाई नहीं करती है। खनन पट्टा क्षेत्र से हटाए गए कोयले पर रायल्टी का भुगतान, पट्टाधारी द्वारा संबंधित राज्य सरकार को किया जाता है।

(छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ज) और (झ) अभी तक गृहीत ब्लाकों के आबंटन के संबंध में अनियमितताओं की कोई विशिष्ट शिकायत कोयला मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, निजी कंपनियों द्वारा की गयी अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होती हैं और उनके गुण-अवगुण के आधार पर उन पर कार्रवाई की जाती है। एक ऐसे मामले में, अनियमितताएं सही पायी गयी थीं और खान तथा खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अपनी पुनरावलोकन की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा खनन पट्टे को रद्द माना गया था।

[अनुवाद]

भारत में दूरसंचार घनत्व में वृद्धि

4304. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री गणेश सिंह:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अवसंरचनात्मक विकास और अर्थव्यवस्था के विकास में दूरसंचार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में दूरसंचार घनत्व बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में दूरसंचार घनत्व में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, निम्नलिखित कुछ विकासशील देशों की तुलना में भारत में टेलीघनत्व बहुत कम है:

	देश	टेली-घनत्व
1.	भारत	9.37 (30.6.2005 की स्थिति के अनुसार)
2.	ईरान	27.14*
3.	चीन	42.32*
4.	ब्राजील	41.88*

*दिसंबर, 2003 की स्थिति के अनुसार टेलीघनत्व।

देश में कम टेलीघनत्व होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

(1) सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां

(2) प्रति व्यक्ति आय कम होना

(3) साक्षरता दर कम होना

(4) विशिष्ट राज्यों/क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर में दुर्गम भू-भाग।

(5) इसके अलावा, अवसंरचना की कमी होना जैसे बिजली के ठीक से उपलब्ध नहीं होने से दूरसंचार सेवाओं की विश्वसनीयता कम होना तथा लोगों के अलग-थलग स्थानों पर बसे होने के कारण दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना तकनीकी-वाणिज्यिक दृष्टि से कम व्यवहार्य होना।

(घ) देश में टेलीघनत्व को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रमुख उपाय किए गए हैं:

(1) सार्वजनिक तथा निजी, दोनों प्रचालकों द्वारा अप्रैल 2005 से दिसंबर, 2007 के दौरान लगभग 150 मिलियन अतिरिक्त फोन प्रदान किए जाने की योजना है। इन अतिरिक्त फोनों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा मिलकर लगभग 52% (78 मिलियन) का योगदान दिए जाने की योजना बनाई गई है।

(2) यूएसओ निधि के प्रशासक ने समस्त 1965 निवल लागत सकारात्मक एसडीसीए में ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें (डीईएल) प्रदान करने के लिए चार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (बीएसएनएल, रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड, टाटा टेलीसर्विसेज और टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) के साथ करारों को अंतिम रूप दिया है। इस करार के तहत, सेवा प्रचालक सितंबर 2005 तक उन प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्रों (एसएसए) में कम से कम 100 ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करेंगे जिनमें से एसडीसीए शामिल हैं। जहां तक शेष बचे निवल लागत नकारात्मक (व्यवहार्य) एसडीसीए का संबंधी है, इन क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली मांग को बाजारी शक्तियों द्वारा पूरा किए जाने की संभावना है।

(3) इसके अतिरिक्त, बीएसएनएल ने लैंडलाइन एक्सचेंजों के लिए बाह्य केबल बिछाने की दूरी 2.5 कि.मी. से 5.0 कि.मी. तक करने की छूट प्रदान कर दी है। इससे मौजूदा एक्सचेंजों से ग्रामीण क्षेत्रों में कवरेज का और अधिक विस्तार करने की सुविधा मिल जाएगी।

[हिन्दी]

अधिकारियों की पत्नियों द्वारा संचालित स्वयंसेवी संगठन/ एलआईसी एजेंसी

4305. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की पत्नियों के नाम पर कितने स्वयंसेवी संगठन और एल.आई.सी. एजेंसियां चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या वे अधिकारी जिनकी पत्नियां स्वयंसेबी संगठन अथवा एल.आई.सी. एजेंसियां संचालित कर रही हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन समर्पण भाव के साथ नहीं कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1968 में यह प्रावधान है कि यदि अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य के परिवार का कोई सदस्य (पत्नी सहित) व्यापार अथवा कारोबार में लगा हुआ है, कोई बीमा अभिकरण चलाता है अथवा गैर सरकारी संगठन में नियुक्त है तो अखिल भारतीय सेवा का वह सदस्य इस बारे में सरकार को सूचित करेगा। इस बारे में आंकड़े, केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1968 में स्पष्टत: यह अनुबंधित है कि सेवा का प्रत्येक सदस्य हमेशा अपनी ड्यूटी के प्रति पूर्ण सत्य निष्ठा और समर्पण बनाए रखेगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो सेवा के सदस्य के लिए अशोभनीय हो। इस नियम का उल्लंघन होने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

न्यायालयों में लंबित भ्रष्टाचार के मामले

4306. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के हजारों मामले दस वर्षों से भी अधिक समय से न्यायालयों में लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(घ) न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और इसके फलस्वरूप सरकार को कितनी सफलता मिली है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जानकारी दी है कि दिनांक 31.7.2005 की स्थिति के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दायरे में आने वाले 773 मामले ऐसे हैं जो आरोप-पत्र दायर कर दिए जाने के बाद 10 वर्ष से भी अधिक समय से सुनवाई में लंबित हैं।

(ग) जिन अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मामले दर्ज किए जाते हैं उनके विरुद्ध कानून/नियमों के संगत प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(घ) मामलों के शीघ्र निपटान के लिए केन्द्र सरकार के अनुरोध पर अनेक राज्य सरकारों ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार केवल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज मामलों की सुनवाई करने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं। ऐसे विशेष न्यायालयों के आवर्ती तथा गैर आवर्ती खर्चों को भारत सरकार वहन करती है। चूंकि ये न्यायालय केवल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ही मामलों की सुनवाई करते हैं। अत: दर्ज किए गए मामलों का शीघ्र निपटान कर दिया जाता है।

[अनुवाद]

वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों संबंधी अनुसंधान

4307. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैव-विविधता और पारस्परिक ज्ञान की वजह से भारत में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए अपार संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अनुसंधान किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, हां। आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां नहीं है, लेकिन, उनकी पुरातनता प्रागैतिहासिक काल से जुड़ी हुई मानी जाती है।

(ख) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान आयुष विभाग की केन्द्रीय अनुसंधान परिषदों ने 48 अनुसंधान परियोजनाएं संचालित की हैं और तीन औषधियों एवं दो प्रक्रियाओं को पेटेन्ट करवाया है।

सांख्यिकी प्रणाली/आंकड़ा संग्रहण को सुदृढ़ बनाया जाना

4308. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सांख्यिकी प्रणाली और आंकड़ा संग्रहण को सुदृढ़ बनाने के लिए रंगराजन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से 8 विशेष तकनीकी समितियां का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सिफारिशों को शीघ्र लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) ये सिफारिशें कब तक कार्यान्वित की जायेगी?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, हां। मंत्रालय ने रंगराजन आयोग की कुछ सिफारिशों के कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने संबंधी बेस पेपर्स तैयार करने के लिए 8 आंतरिक तकनीकी समितियां गठित की हैं।

(ख) रंगराजन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी अपेक्षाओं को शामिल करते हुए कुल 623 सिफारिशें की है।

(ग) सिफारिशों के कार्यान्वयन की शीघ्र निपटान करने के लिए उठाए गए कदमों में एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा कार्यान्वयन प्रक्रिया की समीक्षा तथा मार्गदर्शन करना; एक अंतर-मंत्रालयी समन्वय प्रक्रिया के माध्यम से कार्यान्वयन प्रक्रिया का अनुवीक्षण करना; केन्द्रीय एवं राज्य सांख्यिकीय संगठनों की बैठकों में विचार-

विमर्श करना तथा उपरोक्त वर्णित 8 तकनीकी समितियों का गठन करना शामिल है।

(घ) सिफारिशों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों का है। एक वर्ष की अवधि के अंतर्गत आयोग की सभी सिफारिशों पर निर्णय ले लिया जाएगा।

[हिन्दी]

मेडिकल कालेजों की स्थापना

4309. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितने मेडिकल कालेज हैं और उनमें से कितने मेडिकल कालेज मान्यता प्राप्त हैं;

(ख) वर्तमान में पिछड़े जिलों में कितने मेडिकल कालेज हैं;

(ग) क्या सरकार के पास पिछड़े क्षेत्रों में मेडिकल कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार के पास प्राइवेट मेडिकल कालेजों को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है जो सहकारिता के आधार पर स्थापित किये जा रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) इस समय देश में 242 चिकित्सा महाविद्यालय है जिनमें से 170 चिकित्सा महाविद्यालय मान्यता प्राप्त हैं। केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनिवार्यता प्रमाण-पत्र तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद विनियमों के मानदण्डों के अनुसार बुनियादी ढांचे तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर नए चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की अनुमति दे रही है। इसलिए, यह संबंधित राज्य सरकार को निर्णय लेना है कि क्या उसे राज्य के किसी विशेष स्थान पर चिकित्सा महाविद्यालय की आवश्यकता है। तथापि केन्द्र सरकार प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत सामाजिक आर्थिक कारणों, चिकित्सा महाविद्यालयों की उपलब्धता के आधार पर छः अल्पसेवित राज्यों अर्थात बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तरांचल में एम्स जैसे संस्थानों को स्थापित करने हेतु कार्यरत है।

(च) और (छ) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

खान क्षेत्रों में वृक्षारोपण

4310. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खान क्षेत्रों की पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए सीआईएल द्वारा कोयला खान क्षेत्रों के आसपास बृहत स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किन-किन क्षेत्रों में पौध-रोपण किया गया है;

(ग) कोयला खान क्षेत्रों में कितने प्रतिशत सफेदे और फलदार वृक्ष लगाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वैज्ञानिकों और वनस्पति विज्ञानियों ने सफेदे के पेड़ को "कैंसर" और "दमा" की बीमारियों का अभिकारक घोषित किया है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में सफेदे के पेड़ लगाने के क्या कारण हैं;

(च) क्या स्थानीय विस्थापित व्यक्तियों की अनदेखी करते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए बाहरी एजेंसियों को ठेके दिए गए हैं;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) यदि नहीं, तो उक्त कार्यक्रम में स्थानीय विस्थापित व्यक्तियों को दी गई प्राथमिकता का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष किए गए पौधरोपण की संख्या/हेक्टेयर का सहायक कंपनी वार ब्यौरा इस प्रकार है:

सीआईएल (राज्य) की सहायक कंपनी	2002-03		2003-04		2004-05	
	पौधरोपण की संख्या	क्षेत्र (हेक्टे. में)	पौधरोपण की संख्या	क्षेत्र (हेक्टे. में)	पौधरोपण की संख्या	क्षेत्र (हेक्टे. में)
बीसीसीएल (झारखंड और प. बंगाल)	695.000	278	6,000	2.4	10,400	4.16
सीसीएल (झारखंड)	526,250	210.5	622,500	249	563,000	225.2
ईसीएल (झारखंड और प. बंगाल)	190,600	76.24	212,500	85	119,000	47.5
एमसीएल (उड़ीसा)	216,000	86.4	75,000	30	243,768	97.51
एनसीएल (एम.पी. और यू.पी.)	602,450	240.98	414,750	165.9	348,853	139.54
एनईसी (असम और मेघालय)	48,500	19.4	50,000	20	35,981	14.39
एसईसीएल (एम.पी. और छत्तीसगढ़)	575,000	230	620,000	248	622,452	248.98
डब्ल्यूसीएल (महाराष्ट्र और एम.पी.)	650,000	260	630,000	252	510,000	204

ईसीएल-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
सीसीएल-सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
एनसीएल-नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
डब्ल्यूसीएल-वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
एम.पी.-मध्य प्रदेश
पं. बंगाल-पश्चिम बंगाल,
यू.पी.-उत्तर प्रदेश
बीसीसीएल-भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
एमसीएल-महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
एसईसीएल-साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(ग) से (ङ) सफेदे के पेड़ पिछले कुछ वर्षों से नहीं लगाए जा रहे हैं। क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए कुल वृक्षारोपण के लगभग 10% तक फलदार पेड़ों को लगाया जाता है।

सफेदे के पेड़ों को लगाए जाने के प्रतिकूल प्रभावों की आशंकाएं कुछ क्षेत्रों में व्यक्त की गई हैं परन्तु अंतिम रूप से कुछ भी सिद्ध होने की सूचना नहीं है।

(च) से (ज) अधिकतर मामलों में, वनीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य वन विभागों और निगमों को ठेके दिए गए हैं। नौकरियों के प्रकार हेतु उपलब्ध व्यक्तियों की उपयुक्तता के अनुसार, इन एजेंसियों द्वारा स्थानीय विस्थापित व्यक्तियों को नियोजित किया जाता है।

यूसीआईएल का विस्तार कार्यक्रम

4311. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के पास देश के विभिन्न हिस्सों में 2004-05 के दौरान नई खानों और संयंत्रों के निर्माण का वृहत् स्तर पर विस्तार कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन नई खानों और संयंत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामलें में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) आज की तिथि के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित खानों और संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और ये प्रस्ताव कब से लंबित पड़े हैं;

(ङ) प्रत्येक मामले में मंजूरी पाने में विलंब के क्या कारण है; और

(च) शीघ्र मंजूरी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी, हां, यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल), जोकि इस विभाग का एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, ने वर्ष 2004-05 के दौरान देश के विभिन्न भागों

में यूरेनियम अयस्क के खनन और पेषण के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं हाथ में लेने की कार्रवाई शुरू की थी।

(1) झारखंड के सिंहभूम (पूर्व) जिले में बंदुहुरंग विवृत खान।

(2) झारखण्ड के सिंहभूम (पूर्व) जिले में बगजाता खान।

(3) झारखण्ड के खारस्वान-सरायकेला जिले में मोहुलडीह खान।

(4) झारखंड के सिंहभूम (पूर्व) जिले में तुरमडीह मिल।

(5) मेघालय के पश्चिमी खासी पहाड़ी जिले में किलेंग-पेंडेंगसोहियांग, मोठथाबाह खनन एवं पेषण परियोजना (जिसे इससे पूर्व डोमियासियात यूरेनियम खनन एवं पेषण परियोजना के नाम से जाना जाता था)।

(6) आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में लम्बापुर-पेड्डागट्टू यूरेनियम खनन तथा पेषण परियोजना।

(7) आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में तुम्मलापल्ली यूरेनियम खनन तथा पेषण परियोजना।

(ग) लक्ष्यों और अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा:

(1) बंदुहुरंग विवृत खान : शून्य तारीख: 17.4.2005 और पूरा होने की लक्ष्य अवधि: दो वर्ष। काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

(2) बगजाता खान : शून्य तारीख: 1.4.2005 और पूरा होने की लक्ष्य अवधि: तीन वर्ष। काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

(3) मोहुलडीह खान : इस परियोजना को परमाणु ऊर्जा आयोग ने अनुमोदित कर दिया है। प्रत्याशित शून्य तारीख: 1.4.2006 और पूरा होने की लक्ष्य अवधि: चार वर्ष। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से पर्यावरण संबंधी अनुमति मिलने के बाद ही काम शुरू होगा।

(4) तुरमडीह मिल : काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है और आशा है कि इस संयंत्र को मार्च, 2006 में कमीशन कर दिया जाएगा।

(5) किलेंग-पेंडेंगसोहियांग, मोठथाबाह खनन एवं पेषण परियोजना : परियोजना को परमाणु ऊर्जा आयोग ने अनुमोदित कर दिया है। परियोजना को 3.5 वर्ष की अवधि में पूरा किए जाने की योजना बनाई गई है, लेकिन मेघालय सरकार से अनुमति न मिल पाने की वजह से शून्य तारीख अभी निश्चित नहीं की गई है।

(6) लम्बापुर-पेड्डागट्टू खनन एवं पेषण परियोजना : परियोजना को परमाणु ऊर्जा आयोग ने अनुमोदित कर दिया है। प्रत्याशित शून्य तारीख: 1.4.2006 और पूरा होने की लक्ष्य अवधि: 3.5 वर्ष।

(7) तुम्मलापल्ली खनन एवं पेषण परियोजना : प्रक्रिया फ्लो शीट तैयार करने के लिए प्रायोगिक स्तर पर अध्ययन हेतु अयस्क का उत्पादन करने के लिए अन्वेषणात्मक खनन कार्य किया गया है। प्रायोगिक स्तर पर किए जा रहे अध्ययन से उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं।

(घ) पर्यावरण संबंधी अनुमति के लिए लंबित खानों और संसाधन संयंत्रों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(1) मोहुलडीह खान:

झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जन-सुनवाई 29.8.2005 को की जानी अधिसूचित की है।

(2) किलेंग पेंडेंगसोहियांग, मोठथाबाह खनन और पेषण परियोजना:

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) ने अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए मेघालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 14.10.2004 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

(3) लम्बापुर-पेड्डागट्टू खनन तथा पेषण परियोजना:

खानों के लिए: यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) ने आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 26.5.2003 को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था। पर्यावरण संबंधी जन-सुनवाई 19.8.2003 को आयोजित की गई थी। पर्यावरण, वन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आंध्र प्रदेश सरकार के सचिव ने यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए बिना उक्त प्रस्ताव 3.1.2005 को पर्यावरण तथा वन मंत्रालय को भेजा। यूसीआईएल ने पर्यावरण संबंधी अनुमति के लिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय को 12.3.2005 को एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

संसाधन संयंत्र के लिए: यूसीआईएल ने सेरीपल्ली में संसाधन संयंत्र के लिए नए स्थल हेतु आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक आवेदन-पत्र 3.12.2004 को प्रस्तुत किया था और पर्यावरण संबंधी जन-सुनवाई 3.3.2005 को आयोजित की गई थी। जन-सुनवाई के दौरान पूछे गए प्रश्नों का उत्तर यूसीआईएल ने 23.7.2005 को दे दिया है।

(ङ) पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त करने में हुए विलंब के कारण

मोहुलडीह खान: इसमें कोई विलंब नहीं हुआ। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सांविधिक अपेक्षानुसार पर्यावरण संबंधी जन-सुनवाई 29.8.2005 को की जानी अधिसूचित की है।

किलेंग-पेंडेंगसोहियांग मोठथाबाह: यह मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विचाराधीन है। कुछेक गैर-सरकारी संगठन जैसेकि खासी विद्यार्थी संघ (केएसयू), मेघालय मानवाधिकार परिषद (एमएचआरसी) इस प्रस्तावित यूरेनियम परियोजना का विरोध कर रहे हैं।

लम्बापुर-पेड्डागट्टू खान: कुछेक गैर-सरकारी संगठन लम्बापुर-पेड्डागट्टू में यूरेनियम के खनन का विरोध कर रहे हैं।

(च) ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं:

किलेंग-पेंडेंगसोहियांग मोठथाबाह: विकिरण के भय को कम करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा विकिरण के संबंध में स्वतंत्र रूप से तैयार की गई रिपोर्ट राज्य सरकार को उनके अनुरोध पर प्रस्तुत की गई है। ग्रामवासियों, भू-स्वामियों, मंत्रियों, राज्य सरकार के अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों, पत्रकारों को जादुगोडा का दौरा कराया गया ताकि ये यूरेनियम अयस्क के खनन और पेषण तथा विकिरण, स्वास्थ्य संबंधी खतरों आदि जैसे अन्य संबंधित मामलों के बारे में प्रत्यक्ष रूप से सूचना हासिल कर सकें। यूसीआईएल पर्यावरण संबंधी जन-सुनवाई आयोजित करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ सम्पर्क बनाए हुए है। यूसीआईएल यूरेनियम परियोजना स्थापित करने संबंधी यूसीआईएल के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए भी राज्य सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है।

लम्बापुर-पेड्डागट्टू खान: यूसीआईएल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परियोजना निर्माण का कार्य 1.4.2006 को शुरू कर सकने के लिए पर्यावरण संबंधी अनुमति शीघ्र प्राप्त करने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ सम्पर्क बनाए हुए है।

पथकर एकत्र करना

4312. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया:
श्री बालासाहिब विखे पाटील:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर वसूलने वाले राज्य-वार कितने टोल ब्रिज हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगाई गई पथकर की दर एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग है और टोल ब्रिज-वार भी यह दर, विशेषकर हरियाणा और राजस्थान में अलग-अलग है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मल्टी एक्सल व्हिकल्स एक्ट (एम.ए.वी.) के अनुसार एकल और अधिक ट्रिप के लिए पथकर की दर अलग-अलग है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है और कोई विसंगति पाई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या कुछ निजी एजेंसियां भी फरीदाबाद, हरियाणा में बाटा ब्रिज और राजस्थान के कुछ अन्य स्थानों पर पथकर एकत्र कर रही हैं;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) इनके विरुद्ध, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे पुलों, जिन पर प्रयोक्ता शुल्क (पथकर) वसूल किया जा रहा है; की राज्यवार संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क दर) नियमावली, 1997 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के लिए प्रति कि.मी. प्रयोक्ता शुल्क की दर एक समान है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित पुलों के लिए प्रयोक्ता शुल्क की दरें पुलों और उसके पहुंच-मार्गों की लागत पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर प्रयोक्ता शुल्क की दरें थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) से जोड़ी गई हैं जिनकी थोक मूल्य सूचकांक में उतार-चढ़ाव के आधार पर प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् समीक्षा की जाती है।

(घ) और (ङ) 24 घंटे के अंदर एक बार और एक बार से अधिक यात्रा के लिए प्रयोक्ता शुल्क की दर राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थायी पुल के प्रयोग के लिए शुल्कों से लोक वित्तपोषित परियोजना) नियमावली, 1997 के नियम 7(4) के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी वाहन को एक दिन में एक से अधिक बार राष्ट्रीय राजमार्ग खंड अथवा पुल को पार करना होता है तो प्रयोक्ता के पास पहली बार ऐसे खंड अथवा पुल को पार करते समय अधिसूचित दर के डेढ़ गुना का भुगतान करने का विकल्प होता है अथवा यदि उसे खंड अथवा पुल को बार-बार पार करना होता है जो वाहन स्वामी 30 (तीस) एकल दरों के बराबर प्रभारों का भुगतान करके मासिक पास प्राप्त कर सकता है।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) और (झ) फरीदाबाद, हरियाणा में बाटा पुल राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है। यह एक राज्यीय सड़क है और इस पर प्रयोक्ता शुल्क वसूलने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों पर जिन पुलों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एन.एच.ए.आई. और राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा नियुक्त निजी एजेंसियों द्वारा प्रयोक्ता शुल्क वसूल किया जा रहा है, के ब्यौरे इस प्रकार है:

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्गों पर जिन पुलों पर प्रयोक्ता शुल्क वसूल किया जा रहा है	एजेंसी
रा.रा. 8	किशनगढ़ (आर ओ बी)	सोसाइटी ऑफ एक्स सर्विस मेन के माध्यम से एन एच ए आई
रा.रा. 11	रींगस (आर ओ बी)	ठेकेदार के माध्यम से लो.नि.वि.
रा.रा. 11ए	दौसा-मनोहरपुर (भानगंगा)	ठेकेदार के माध्यम से लो.नि.वि.
रा.रा. 12	चंबल पुल	ठेकेदार के माध्यम से लो.नि.वि.
रा.रा. 12	चंद्रभागा पुल	ठेकेदार के माध्यम से लो.नि.वि.

(ञ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन पुलों की राज्यवार संख्या जिन पर प्रयोक्ता शुल्क (पथकर) वसूल किया जा रहा है

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पुलों की राज्यवार संख्या जिन पर प्रयोक्ता शुल्क (पथकर) वसूल किया जा रहा है
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	असम	2
3.	बिहार	6
4.	छत्तीसगढ़	2
5.	गुजरात	5
6.	कर्नाटक	5
7.	केरल	10
8.	मध्य प्रदेश	6

1	2	3
9.	महाराष्ट्र	12
10.	मणिपुर	2
11.	उड़ीसा	3
12.	पंजाब	2
13.	राजस्थान	9
14.	तमिलनाडु	5
15.	उत्तर प्रदेश	19
16.	उत्तरांचल	3

[हिन्दी]

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स में अनियमितताएं

4313. श्री संतोष गंगवार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स में वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति में नियमों का पालन न करने तथा अन्य अनियमितताओं के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। नई दिल्ली में माननीय उच्च न्यायालय और आगे भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ बायोलाजिकल्स में कुछ वरिष्ठ पदों पर हुई नियुक्ति को चुनौती देते हुए न्यायालय में कुछ मुकदमें भी दायर किए गए।

माननीय न्यायालयों ने इन नियुक्तियों को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के और भारत संघ तथा संस्थान के विद्वान वकीलों को सुनने के पश्चात् इन वरिष्ठ पदों की नियुक्तियों को बरकरार रखने का फैसला किया था क्योंकि भारत के उच्चतम न्यायालयों सहित माननीय न्यायालयों द्वारा इन वरिष्ठ नियुक्तियों को करने की प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

(ग) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलाजिकल्स में इस संस्थान में वरिष्ठ स्तर पदों पर नियुक्तियों की उचित क्रियाविधि का अनुपालन किया है। दिल्ली के माननीय उच्च-न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय ने इन नियुक्तियों को करने की प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं पाई। अत: इस प्रक्रिया में किसी अनियमितता को रोकने का प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

सेवा संबंधी मामलों के निर्णयों पर असंतोष

4314. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पिछले कुछ वर्षों से नौकरशाही में पदोन्नति, स्थानांतरण तथा तैनाती के संबंध में सरकार के कुछ निर्णयों पर असंतोष है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के सामने आए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जहां राज्यों तथा केन्द्र में अधिकारी विरोध स्वरूप लम्बी छुट्टी पर चले गए;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में नौकरशाहों विशेष रूप से आई.ए.एस. तथा आई.पी.एस. और कुछ स्वायत्तशासी निकायों के अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण तथा पदोन्नति मे निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन मामलों में एक स्पष्ट नीति बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) केन्द्रीय सिविल सेवाओं के साथ-साथ अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति को विनियमित करने वाले नियम हैं। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा पदोन्नति मार्गदर्शी सिद्धान्त भी है जिनका राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से अनुपालन किया जाना होता है। इसी तरह विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं के लिए भी मार्गदर्शी सिद्धान्त विद्यमान है। सेवाओं में नियुक्ति और पदोन्नति करते समय इन नियमों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन करना आवश्यक होता है। जहां तक स्थानांतरण और तैनाती का संबंध है, यह अधिकारियों की सेवा शर्तों का ही एक हिस्सा है और ये सरकार के द्वारा जब कभी अपेक्षित हों, लोक हित में किए जाते हैं। सेवा के किसी सदस्य का विरोध व्यक्त

करना अथवा विरोध स्वरूप लम्बी छुट्टी पर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सरकार ने कुछेक पदों की अवधि में स्थिरता लाने का प्रस्ताव शुरू किया है। संगत नियमों में आवश्यक प्रावधान करने से पूर्व इस पर राज्य सरकारों से परामर्श करना आवश्यक है।

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंज भवनों का निर्माण

4315. श्री ब्रजेश पाठक: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में विशेषकर उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेजों के लिए निर्मित भवनों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पर किए खर्च का वर्ष-वार तथा बिल्डिंग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां टेलीफोन एक्सचेंजों की बिल्डिंगों का निर्माण प्रगति पर है;

(घ) इस पर कितना व्यय किया जा रहा है; और

(ङ) उक्त कार्य के कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खेलों का स्तर बढ़ाना

4316. डा. के. धनराजू: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यालय स्तर पर खेलों का स्तर बढ़ाने तथा अंतरविद्यालय प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 1986 में एक योजना शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्यों को कितना वित्तीय अनुदान दिया गया;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई अंतरविद्यालय प्रतिस्पर्धा आयोजित नहीं की गई तथा अनुदान राशि का उपयोग ही नहीं किया गया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार का विशेष रूप से तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां। स्कूलों में खेलों के स्तर को बढ़ाने और अंतर-स्कूल प्रतियोगिताओं में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1986 में "स्कूलों में खेल-कूदों के संवर्धन" नामक एक योजना प्रारंभ की गई थी। योजना की तब से समीक्षा की गई है।

(ख) जिला और राज्य स्तरीय अंतर-स्कूल प्रतियोगिताएं आयोजित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई:

(रुपये लाखों में)

राज्य का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
महाराष्ट्र	19.50	—	—
त्रिपुरा	4.00	4.00	—
मणिपुर	6.50	—	—
उत्तरांचल	8.50	—	—
उड़ीसा	17.00	—	—
असम	—	13.50	—
सिक्किम	—	4.00	—
नागालैण्ड	—	6.00	11.25
हिमाचल प्रदेश	—	8.00	—
दमन और दीव	—	3.00	—
चंडीगढ़	—	—	3.00
तमिलनाडु	—	—	21.40
हिमाचल प्रदेश	—	—	12.00
त्रिपुरा	—	—	6.00

वर्ष 2004-05 के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) को 13 राज्यों में संवितरण के लिए 1.31 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। शेष आठ राज्यों के लिए राज्य सरकारों से मांगे गए कुछ स्पष्टीकरणों की प्राप्त के पश्चात राशि जारी की जाएगी।

(ग) तमिलनाडु में मंडल, जिला प्रभाग और राज्य स्तर पर बालक और बालिकाओं के लिए विविध खेल-विधाओं जैसे एथलेटिक्स, बास्केटबाल, फुटबाल, हाकी, वालीबाल, खो-खो, कबड्डी, बाल-बैडमिंटन, टेबल-टेनिस, बैडमिंटन, इत्यादी में 20 वर्ष से भी अधिक समय से अंतर-स्कूल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। ये प्रतियोगिताएं बिना किसी अंतराल के आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान तमिलनाडु सरकार को 21.40 लाख रुपये का अनुदान दिया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ये प्रतियोगिताएं स्कूलों में खेलों के स्तर को उठाने और अंतर-स्कूल प्रतियोगिताओं में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भी तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान उच्चतम माध्यमिक स्कूलों के लिए राज्य स्तरीय अंतर स्कूल प्रतियोगिताएं अर्थात भारतीय दिवस खेल विल्लुपुरम में आयोजित किए गए जिसमें 3000 से भी अधिक बालक और बालिकाओं ने विभिन्न खेल-विधाओं में भाग लिया।

युवाओं के लिए योजनाएं

4317. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा युवाओं के लिए कोई योजनाएं बनाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालय तथा विद्यालय स्तर पर युवा कार्यकलापों का विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी हां। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने युवाओं के लिए निम्नलिखित योजनाएं और कार्यक्रम बनाये हैं:

1. युवा संबंधी गतिविधियों के संवर्धन और प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता की योजना।
2. ग्रामीण युवाओं और खेल क्लबों तथा मूल्यांकन को वित्तीय सहायता की योजना।
3. किशोरों के विकास और सशक्तीकरण के लिए वित्तीय सहायता की योजना।
4. राष्ट्रीय सद्भावना योजना।
5. राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना।
6. राष्ट्रीय एकीकरण के संवर्धन की योजना।
7. साहस के संवर्धन की योजना।
8. नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन.वाई.के.एस.) का कार्यक्रम
9. ग्रामीण खेल कार्यक्रम
10. स्कूलों में खेल-कूद के संवर्धन के लिए योजना
11. महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव।
12. पूर्वोत्तर खेल महोत्सव
13. राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)
14. भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे खेल संवर्धन कार्यक्रम

(ख) और (ग) राष्ट्रीय सेवा योजना के विस्तार और व्यापकता को मंत्रालय के प्रस्ताव पर योजना आयोग सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

यूरोपीय देशों के साथ संबंध

4318. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 25 यूरोपीय देशों ने भारत के साथ नीतिगत भागीदारी करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा संयुक्त कार्य योजना के लिए किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) इससे भारत को क्या लाभ होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) जी हां। 8 नवम्बर, 2004 को द हेग, नीदरलैण्ड में आयोजित पांचवें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन ने, भारत की प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक भूमिका की बढ़ती हुई हैसियत को समझते

हुए, भारत और यूरोपीय संघ के बीच सामरिक भागीदारी प्रारंभ की।

(ख) और (ग) यूरोपीय संघ के 25 सदस्य देशों में आस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, चैक गणराज्य, डेनमार्क एस्टोनिया, फिनलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आयरलैण्ड, इटली, लात्विया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, पोलैण्ड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, द नीदरलैण्ड, यूनाइटिड किंगडम शामिल हैं।

इस समय दोनों पक्ष, भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त कार्ययोजना, जिसमें परस्पर हित के व्यापक मसलों पर वार्त्ता और सहयोग का सुदृढ़ करने की परिकल्पना की गई है, को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। इस संयुक्त कार्य योजना को अगले माह नई दिल्ली में आयोजित होने वाले छठें भारत-यूरोपीय शिखर सम्मेलन के समय तक अंतिम रूप दिये जाने की उम्मीद है।

पोलिया के लिए ट्राईवेलेंट टीके

4319. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि तीन खुराक लेने के बाद भी बच्चों को पी-3 वायरस वाला पोलियो हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले सामने आए हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या रोग प्रतिरक्षण के अगले चरण में पुन ट्राईवेलेंट टीके अपनाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी हां।

वर्ष 2005 के दौरान अब तक पता लगाए गए कुल 26 मामलों में से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर, शाहजहांपुर और मुरादाबाद जिलों से सूचित किए गए तीन मामले पोलियो टाइप-3 के हैं। पी-3 के होने अंतिम सूचना जून, 2005 में मुरादाबाद से प्राप्त हुई थी। रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर ट्राईवेलेंट वैक्सीन को जुलाई, 2005 के अंत से पुन: शुरू किया गया है। ट्राईवेलेंट वैक्सीन का दूसरा दौर अगस्त, 2005 के अंतिम सप्ताह में कार्यान्वित किए जाने की योजना बनाई गई है। इन जिलों में रोगप्रतिरक्षण दौरों की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास कर दिए गए हैं। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के उच्चतम स्तर के अधिकारी इन जिलों में इस कार्यक्रम की गहन मानीटरिंग शुरू कर रहे हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने पहले ही ट्राईवेलेंट वैक्सीन को लौटा दिया है। अप्रैल, मई और जून, 2005 में अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों अर्थात पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और मुम्बई में 3 दौरों में मोनोवेलेंट टाइप-1 पोलियो वैक्सीन का उपयोग किया गया। मध्य/पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तरांचल के चार जिलों में भी 2 दौरों के लिए मोनोवेलेंट टाइप-1 वैक्सीन का उपयोग किया गया। इससे देश में पोलियों टाइप-1 का विषाणु को फैलने से रोकने में सहायता मिली है। जुलाई में संचालित किए गए दौर के दौरान सरकार ने पहले ही ट्राईवेलेंट वैक्सीन को लौटा दिया है और इसका अगस्त, 2005 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किए जाने वाले दौर में उपयोग किया जाएगा।

[हिन्दी]

लखीमपुर-खीरी में विभाग की दयनीय स्थिति

4320. श्री इलियास आजमी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी जिले में दूरसंचार विभाग की दयनीय स्थिति की जानकारी है;

(ख) क्या जिले के लोक सभा सदस्यों द्वारा जीएम जिला-खीरी को हटाने तथा इसकी हालत सुधारने के लिए पत्र भेजे गए थे;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उस पत्र का उत्तर संबद्ध संसद सदस्यों को भेज दिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी जिले की दूरसंचार सेवाएं सामान्यत: संतोषजनक हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) लखीमपुर-खीरी के महाप्रबंधक, दूरसंचार जिला (जीएमटीडी) को दूरसंचार सेवाओं को सुचारू बनाए

रखने में और अधिक सतर्क और सावधान रहने हेतु निदेश दिए गए हैं।

(ङ) और (च) माननीय राज्य मंत्री (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी) को माननीय संसद सदस्य द्वारा लिखे गए एक पत्र के मामले में दिनांक 19.8.2005 को उत्तर भेज दिया गया है। माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को लिखे गये एक अन्य पत्र के मामले में उत्तर भेजा जा रहा है।

[अनुवाद]

कंप्यूटर शिक्षा हेतु विश्व बैंक की सहायता

4321. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कंप्यूटर शिक्षा देने तथा स्कूलों में कंप्यूटर की आपूर्ति करने के लिए विश्व बैंक की सहायता के साथ किसी परियोजना को अंतिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गांवों तथा दूर-दराज के क्षेत्रों के स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा उन स्कूलों की पहचान की गई है जहां इन कंप्यूटरों की आपूर्ति की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

हीमोफीलिया का फैलना

4322. श्री प्रहलाद जोशी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में हीमोफीलिया फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इस रोग से ग्रस्त व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस रोग का गहन अध्ययन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस रोग का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(छ) क्या सरकार को जानकारी है कि इसके इलाज के लिए एन्टी हीमोफीलिया फैक्टर (एएचएफ) नामक दवाई काफी मंहगी है तथा भारत में उपलब्ध नहीं है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में तीव्र हीमोफीलिया के लगभग 60,000 रोगी होने का अनुमान है। तथापि, हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के पास केवल कुल 8000 रोगी पंजीकृत है।

(घ) और (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने, अस्पताली व्यवस्था, एकरूपता बनाने, रोगी के निदान हेतु प्रयुक्त प्रयोगशाला तकनीकों के मानकीकरण, काइयोपेरीसिपीटेट विशेष में रक्त घटकों के उत्पादन को बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करने के लिए भूतलक्षी एवं भविष्यलक्षी दोनों अध्ययनों द्वारा हीमोफीलिया की समस्या की व्यापकता का मूल्यांकन करने के वास्ते एवं कार्यबल अध्ययन कराया था। यह अध्ययन तीन केन्द्रों अर्थात दिल्ली, वेल्लौर और मुम्बई में कराए गए थे। कुल 295 रोगियों में से दिल्ली में 41%, मुम्बई में 27.1% और वैल्लौर में 31.9% रोगियों में फेक्टर VIII अल्पता पाई गई थी। अध्ययन की सिफारिश यह थी कि देश की स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में निदान, प्रबन्धन, शिक्षा, अनुसंधान और गुणवत्ता नियंत्रण तथा रक्त बैंकिंग एवं उपाचारात्मक सामग्री व गुणवत्ता नियंत्रण हेतु पर्याप्त और विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है।

(च) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि यकृत प्रत्यारोपण के अथवा हीमोफीलिया ए और बी के लिए कोई रोग मुक्ति उपचार उपलब्ध नहीं है। इस समय परिचर्या का मानक कमी वाले फेक्टर का इन्ट्राविनस रीप्लेसमेंट है। फेक्टर रीप्लेसमेंट उपचार से 19वीं शदी के शुरू में जो जीवन प्रत्याशा औसतन 1.4 वर्ष थी, वह बढ़कर इस समय लगभग 65 वर्ष हो गई है। हीमोफीलिया परिचर्या कार्यनीतियों में रोगी और उसके परिवार को शिक्षा स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ता एवं समुदाय, प्रयोगशाला निदान, भौतिक चिकित्सा और जमाव फैक्टरों द्वारा उपचार तथा संवाहकों का पता लगाने एवं प्रसव पूर्व निदान हेतु आनुवंशकीय सेवाएं देना शामिल है।

(छ) और (ज) औषध महानियंत्रक (भारत) ने विभिन्न देशों से एंटी हीमोफिलिक फैक्टर के आयात हेतु देश में छः आयातकों को आयात लाइसेंस जारी किए हैं।

उत्तरांचल में नेहरू युवा केन्द्र

4323. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरांचल में जिला-वार नेहरू युवा केन्द्र सही ढंग से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इन केन्द्रों द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) उत्तरांचल के नौ जिलों में नेहरू युवा केन्द्र (एन.वाई.के.) कार्य कर रहे हैं। इन जिलों में नेहरू युवा केन्द्रों ने बड़े पैमाने पर अपने भौतिक और वित्तीय लक्ष्य प्राप्त किए हैं।

(ख) जी, हां। तीन नेहरू युवा केन्द्रों अर्थात पिथौरागढ़, देहरादून और नैनीताल में अनियमितताएं बरती जाने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ) शिकायतों और इस मामले में की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए हुए हैं।

विवरण

क्र.सं.	अधिकारी का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई	आरोप की प्रकृति	की गई कार्रवाई
1.	श्री हरिहर प्रसाद, जिला युवा समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र पिथौरागढ़	वित्तीय अनियमितताएं	दाण्डिक ब्याज सहित 24,430 रु. की राशि वसूल की गई।
2.	श्री आर.के. कुण्डु, क्षेत्रीय समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र देहरादून	कार्यक्रम धनराशि का दुरूपयोग	प्रक्रिया संबंधी कमियां पाई गई और लिखित चेतावनी जारी की गई।
3.	श्री यतीश चन्द्र काण्डपाल, जिला युवा समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र नैनीताल	जाली गैर सरकारी संगठन के परियोजना प्रस्तावों की संस्तुति	गैर-सरकारी संगठन सही पया गया-मामला बंद कर दिया गया।

खेल प्रशिक्षण केन्द्र

4324. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार गुजरात के जामनगर जिले में एक नया खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) "खेल" राज्य का विषय है और राज्य स्तर पर उसके संवर्धन का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकार का है। तथापि भारत सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जूनियर, सब-जूनियर और सीनियर स्तर पर खेलों के संवर्धन के लिए राज्य-सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देती है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा नये खेल प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ करने के लिए, राज्य सरकार को भारतीय खेल प्राधिकरण की योजना की आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने होते हैं।

चिकित्सा उपकरणों का उपयोग न किया जाना

4325. **श्री वाडिगा रामकृष्णा:**
श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि एक विदेशी कंपनी द्वारा दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल अस्पताल को दान दिए गए करोड़ों रुपयों के आधुनिक चिकित्सा उपकरण बेकार पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन चिकित्सा उपकरणों का प्रभावी उपभोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या उक्त अस्पताल में कर्मचारियों की भारी कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली के एक सम्बद्ध अस्पताल अर्थात कलावती सरन बाल चिकित्सालय को जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण द्वारा वर्ष 1998-99 में 19 करोड़ रुपए मूल्य के उपकरण दान दिए गए थे। इनमें से ज्यादातर उपकरण काम कर रहे हैं और उनका समुचित उपयोग किया जा रहा है। तथापि, कुछ उपकरण अर्थात 3 वेंटीलेटर, स्टरलाइजर, 2 वाइटल साइन मॉनीटर अतिरिक्त और सहायक पुर्जों के अभाव में इस समय काम नहीं कर रहे हैं। उपकरणों की आपूर्ति हेतु जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण के लिए नियुक्त जापान के एजेंटों को बदलने के कारण यह समस्या खड़ी हुई है। कलावती सरन बाल चिकित्सालय, जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण के भारतीय कार्यालय और उपकरणों की आपूर्ति और रख-रखाव करने वाले मित्सुबीशी संघ के सम्पर्क में है।

(घ) और (ङ) यह कहना सही नहीं है कि इस संस्थान में कर्मचारियों की भारी कमी है। सरकार ने हाल ही में मंत्रालय के अधीन तकनीकी पदों को इस सरकारी आदेश के प्रभाव से छूट दे दी है जिसके अंतर्गत मंत्रालय में सीधी भर्ती वाले पदों के केवल 1/3 पद भरे जा सकते हैं बशर्ते कि यह संख्या मंत्रालय में कुल मंजूरशुदा पदों के 1% से अधिक न हो। खाली तकनीकी पदों को यथाशीघ्र भरने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

भारत और पाकिस्तान के बीच बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षणों के संबंध में समझौता

4326. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री मो. ताहिर:
प्रो. एम. रामदास:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षणों की पूर्व सूचना देने के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जैसा कि 7 अगस्त, 2005 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) श्री तारीक उस्मान हैदर के हाल के भारत दौरे के दौरान उनके साथ की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत ने परमाणु जोखिमों को कम करने पर पाकिस्तान को समझौते का एक मसौदा सौंपा है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या भारत का विचार पाकिस्तान के साथ आतंकवाद तथा नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर भी बातचीत करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस बातचीत हेतु कितनी समय अवधि निर्धारित की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (ङ) नाभिकीय विश्वासोत्पादक उपायों पर भारत-पाकिस्तान विशेषज्ञ स्तरीय वार्ता का तीसरा चरण 5-6 अगस्त, 2005 को नई दिल्ली में हुआ। दोनों पक्षों ने अपने-अपने सुरक्षा पहलुओं और नाभिकीय सिद्धांतों सहित व्यापक विषयों पर विचार-विमर्श किया। बालिस्टिक मिसाइलों की परीक्षण उड़ान की पूर्व-अधिसूचना पर प्रस्तावित करार पर समझ-बूझ बनी। प्रस्तावित करार में आपसी विश्वास और संभावना उत्पन्न करने और इरादे की पारदर्शिता के उद्देश्य की दृष्टि से बालिस्टिक मिसाइलों की परीक्षण उड़ान की एक निर्धारित प्रपत्र में दोनों पक्षों को पूर्व सूचना देने की वचनबद्धता

है। दोनों पक्षों ने प्रस्तावित करार के सहमत पाठ को भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों को इसको औपचारिक रूप देने के लिए संस्तुत किया।

21 फरवरी, 1999 के समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अपने-अपने नियंत्रणाधीन नाभिकीय शस्त्रों के आकस्मिक अथवा अनाधिकृत उपयोग के जोखिम को कम करने के लिए राष्ट्रीय उपाय करने का प्रावधान किया गया है, भारत ने पाकिस्तान को एक प्रस्तावित करार का मसौदा सौंपा। दोनों पक्षों ने नाभिकीय मामलों से संबंधित गलत फहमियों को रोकने और संबद्ध जोखिमों को कम करने के लिए अपने-अपने विदेश कार्यालयों के माध्यम से विदेश सचिवों के बीच स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित हॉट लाइन सम्पर्क के प्रचालनरत होने से संबंधित तकनीकी पैरामीटर पर भी विचार-विमर्श किया। कार्यान्वयन और परीक्षण कार्यक्रमों के विवरणों को आदान-प्रदान किया गया। यह सहमति बनी कि हॉट लाइन सम्पर्क सितम्बर, 2005 में स्थापित किया जाएगा।

(च) से (ज) दोनों पक्षों के बीच आंतकवाद और नशीली दवाओं के अवैध व्यापार पर विचार-विमर्श हुआ। इन मामलों पर दोनों पक्षों के बीच 29-30 अगस्त, 2005 को नई दिल्ली में होने वाली प्रस्तावित गृह सचिव स्तरीय वार्ताओं के दौरान आगे विचार-विमर्श किया जाएगा।

[अनुवाद]

उच्चतर श्रेणियों में संवर्ग की निश्चित संख्या

4327. श्री बागुन सुम्बरूई: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा 3 अक्टूबर, 2003 को अन्य बातों के साथ-साथ सेन्ट्रल स्टाफिंग स्कीम के माध्यम से केन्द्रीय सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले ए.आई.एस. तथा समूह 'क' के अधिकारियों और केन्द्रीय सेवा संवर्ग के उप सचिव तथा निदेशक श्रेणियों के संवर्ग की संख्या निश्चित करने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो 1 जुलाई, 2003 की तिथि के अनुसार उप सचिव तथा निदेशक श्रेणी के नियमित पदधारित प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत समूह 'क'/ए.आई.एस. तथा केन्द्रीय सेवा संवर्ग के अधिकारियों का मंत्रालय/विभाग-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिनांक 1.1.2005 की तिथि के अनुसार उप सचिव तथा निदेशक का पदधारित करने वाले समूह 'क' तथा ए.आई.एस., प्रत्येक सेवा के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा की पुनर्संरचना संबंधी प्रस्ताव पर विचार करते हुए सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ अक्टूबर, 2003 में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) तथा वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) के लिए एक निर्धारित संवर्ग संख्या नियत करने का निर्णय किया। सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि निदेशक, उप सचिव तथा अवर सचिव के पद अब केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। उपर्युक्त प्रस्ताव में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों तथा केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के माध्यम से केन्द्रीय सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले समूह 'क' के अधिकारियों की संख्या नियत करना विचारार्थ विषय नहीं था।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कों तथा संबंधित अवसंरचना का विकास

4328. श्री एस. के. खारवेनथन: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार ने आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए सड़कों तथा अन्य संबंधित अवसंरचना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए इनके विकास हेतु केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आर.आई.) से सहायता और सलाह मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए अब तक अनुमानित/जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सड़कों तथा संबंधित अवसंरचना का विकास कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण कार्य के लिए जिम्मेवार है। जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी टी) दिल्ली सरकार और केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आर.आई.) द्वारा सूचित किया गया है, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई सहायता और सलाह नहीं मांगी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में अवसंरचना विकास

4329. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता से राज्य में अवसंरचना के विकास हेतु एक विस्तृत योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन

4330. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा 'केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन' तथा 'राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन' का विलय करके 'राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन' बनाने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 'राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन' को आयोग का संवैधानिक दर्जा कब तक दिए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एन एस सी) के गठन के संबंध में भारत सरकार के संकल्प, दिनांक 1 जून, 2005 के अनुसार, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (के.सां.सं.) तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (रा.प्र.सर्वे.सं.) को एक सत्ता में विलय कर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एन एस ओ) का नाम दिया जायेगा। देश में सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित रंगराजन आयोग की सिफारिश के अनुसार यह निर्णय लिया गया है।

(ग) उपर्युक्त "राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन" को संवैधानिक आयोग बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डब्ल्यू.सी.एल. द्वारा लम्बित मामलों के निपटान में विलंब

4331. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनप्रतिनिधियों और विस्थापित परिवारों द्वारा उनके पुनर्वास, रोजगार और आर्थिक मुआवजे से संबंधित लम्बित मामलों के निबटान में हो रहे विलंब के विरुद्ध डब्ल्यू.सी.एल. द्वारा क्षेत्र में एक जन आंदोलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो जन आंदोलन के दौरान विस्थापित लोगों और उनके जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त लम्बित मामलों के निपटान के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) सी.आइ.एल. द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, भू-वंचितों के पुनर्स्थापना की मांग करते हुए माननीय सांसद, श्री हंसराज जी. अहीर द्वारा 23.7.2005 को एक गेट मीटिंग आयोजित की गयी।

(ख) और (ग) उठाए गए मुद्दों तथा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

(1) उमरेर क्षेत्र की मकरधोकरा-II ओसी के लिए अधिगृहीत श्रीपुर गांव के भू-वंचितों को रोजगार:

दिनांक 20.7.2001 की अधिसूचना के माध्यम से भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 के अंतर्गत 2001 के दौरान 75.64 हेक्टे. भूमि अधिगृहीत की गई थी। कुल 98 भू-स्वामी हैं। अभी तक केवल 18.78 हेक्टे. भूमि उमरेर क्षेत्र के कब्जे में है। विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी भू-वंचितों को अवार्ड किए गए धन के संवितरण के लिए सभी प्रयास करते रहे हैं, किन्तु अभी तक 34 व्यक्तियों ने मुआवजे को स्वीकार किया है। शेष भू-वंचित मुआवजे के अलावा रोजगार की मांग कर रहे हैं।

कोल इंडिया लि. की पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति के मानदण्डों के भीतर ही रोजगार पर विचार किया जा सकता है।

(2) माजरी क्षेत्र की यकोना और मरदा परियोजना का भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास:

यकोना तथा मरदा के लिए अपेक्षित भूमि अधिगृहीत कर ली गई है लेकिन इसका वास्तविक कब्जा अभी लिया जाना है। ग्रामीण यह मांग कर रहे हैं कि समग्र भूमि को अधिगृहीत कर लिया जाए और उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाना चाहिए। यकोना गांव में 651 हेक्टे. भूमि और मरदा गांव में 852 हेक्टे. भूमि राज्य सरकार से अधिगृहीत कर ली गई है। कोयलाधारी क्षेत्र (ए तथा डी) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत यकोना-II ओसी के लिए 9(1) के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र तथा यकोना-I ओसी के लिए धारा 4(1) के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र को अधिगृहीत कर लिया गया है जो निम्नानुसार है:

गांव	यकोना-II ओसी के लिए सीबीए अधिनियम की धारा 9(1) के अंतर्गत अधिसूचित	यकोना-I ओसी के लिए सीबीए अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत अधिसूचित	भूमि की संभावित आवश्यकता
यकोना	187.37 हेक्टेयर	50.17 हेक्टेयर	237.54 हेक्टेयर
मरदा	234.33 हेक्टेयर	40.65 हेक्टेयर	274.98 हेक्टेयर

डब्ल्यूसीएल परियोजना की आवश्यकता के अनुसार भूमि अधिगृहीत करती है और मात्र न्यूनतम भूमि अधिगृहीत करने का प्रयास किया जाता है। सीआईएल की आर.एण्ड.आर. नीति के अनुसार परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्स्थापना ओर पुनर्वास किया जाता है।

(3) माजरी क्षेत्र की धोर्वासा ओसीपी के वृक्षों का मूल्यांकन:

यह तर्क दिया गया कि धोर्वासा ओसीपी के भीतर प्लाट संख्या 101, 103, 104 तथा 105 के अंतर्गत अधिगृहीत क्षेत्र में खड़े वृक्षों का मूल्यांकन समुचित तरीके से नहीं किया गया है।

डब्ल्यूसीएल प्रबंधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि धोर्वासा ओसीपी के वृक्षों का मूल्यांकन महाराष्ट्र सरकार के उद्यान-विज्ञान तथा वन विभाग द्वारा किया गया है।

[अनुवाद]

अस्पतालों से पारे को चरणबद्ध ढंग से हटाया जाना

4332. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में से पारे को चरणबद्ध ढंग से हटाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) अस्पतालों में मरकरी के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य समस्याएं होने के किसी मामले की जानकारी नहीं है। मरकरी थर्मोमीटर के टूटने से कुछ मरकरी का रिसाव हो सकता है जिसे अस्पताल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तरीकों के एक अंग के रूप में एकत्र किया जाना होता है तथा प्रति किलोग्राम 50 मि.ग्रा. या इससे अधिक या बराबर मरकरी एवं मरकरी घटक वाले मरकरीयुक्त अपशिष्ट, चाहे उसकी उत्पत्ति का स्रोत कुछ भी हो, का निपटान मई, 2003 में यथा संशोधित हानिकारक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं चालन) नियम के अनुसार किया जाना होता है। जहां पारंपरिक रूप से शरीर के तापमान/रक्तचाप को मापने में प्रयोग में लाए जाने वाले मरकरी थर्मोमीटर/स्फिगमोमेनोमीटर का प्रयोग पर्यावरणीय दृष्टि से कुछ देशों में बंद कर दिया गया है वही कई देशों में वैकल्पिक यंत्रों की उपलब्धता, वहनीयता एवं उपयुक्तता के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। इस समय सरकारी अस्पतालों एवं प्राइवेट स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में मरकरी आधारित यंत्रों के प्रयोग को चरणबद्ध ढंग से बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय भंडार/एन.सी.सी.एफ. से खरीद

4333. श्री रघुनाथ झा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की समिति द्वारा दस हजार रुपए तक की खरीद को बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रित किए सीधे केन्द्रीय भंडार और एन.सी.सी.एफ. से करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त निर्णय को क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय भंडार और एन.सी.सी.एफ. से वस्तु की खरीद की सीमा को दस हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ङ) सचिवों की समिति ने केन्द्रीय भंण्डार/एन.सी.सी.एफ. से वस्तुएं खरीदने को प्राथमिकता देने के प्रश्न पर विचार किया और कुछ सिफारिशें की। तथापि वित्त मंत्रालय ने गहन समीक्षा

करने के पश्चात, जी.एफ.आर. 1963 के प्रावधानों में आशोधन करते हुए नए जी.एफ.आर. 2005 जारी किए हैं। नए जी.एफ.आर. 2005 के नियम 145 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक अवसर पर केवल 15000 रुपए तक की कीमत की वस्तुओं की खरीद, दर अथवा बोली आमंत्रित किए बिना, निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड किए जाने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर की जाए। इस नियम के प्रावधान, केन्द्रीय भंडार/एन.सी.सी.एफ. से की जाने वाली 15000 रुपए तक की ऐसी खरीद पर कोई रोक नहीं लगाते।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में औषधालयों का उन्नयन

4334. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को विद्यमान औषधालयों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में उन्नयन हेतु कोई अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थानवार विशेषकर मध्य प्रदेश में दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में कितने औषधालयों का उन्नयन किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) राज्य सरकारों को ऐसे कोई विशिष्ट अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और यूरोपीय संघ की ऊर्जा संबंधी वार्ता

4335. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और यूरोपीय संघ ने ऊर्जा के उन क्षेत्रों में जिनमें इन्होंने मिलकर कार्य करना है उन पर व्यापक वार्ता की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस संबंध में क्या मुख्य समझौते किए गए हैं;

(घ) इससे भारत को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा उनके कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) और (ख) जी हां। नवम्बर, 2004 में पांचवें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अनुसार, 29 जून, 2005 को ब्रसेल्स में भारत-यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की उद्घाटन बैठक हुई। पैनल ने सुरक्षित और सतत् ऊर्जा आपूर्ति के विकास के लिए विधि संभावित नीतियों पर चर्चा की।

(ग) से (ङ) भारत ऊर्जा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का अंतरण हासिल करने, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को लेने और इस दिशा में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान की आशा करता है। ऊर्जा पैनल ने ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए परिष्कृत कोयला प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा-क्षमता और पुनर्नवीकृत ऊर्जा और विलयन ऊर्जा के क्षेत्रों में तीन कार्यदलों का गठन करने का निश्चय किया।

सॉफ्ट ड्रिंक्स हेतु भारतीय मानक ब्यूरो के मानक

4336. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री राजेन्द्र कुमार:
श्री गणेश सिंह:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स के विनिर्माताओं द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित किए गए मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन विनिर्माताओं के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्ड द्वारा निर्धारित मानदण्ड स्वैच्छिक प्रकृति के हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स निर्माताओं के लिए इनका पालन करना तब तक अनिवार्य नहीं है जब तक उन्होंने अपने उत्पादों के लिए बी आई एस प्रमाणन प्राप्त न कर लिया हो।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि

4337. श्री गणेश सिंह: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सड़क निधि में से कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) राज्य में जिलेवार कितनी लंबाई की सड़कों का निर्माण किया गया है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़क निर्माण हेतु नए प्रस्ताव भेजे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और अब तक केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत जारी निधियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

वर्ष	रिलीज (करोड़ रु.)
2002-03	80.65
2003-04	42.50
2004-05	52.01
2005-06 (अब तक)	35.60
जोड़	210.76

(ख) जिला-वार निर्मित सड़कों की लंबाई इस प्रकार है:

जिला	लंबाई (कि.मी.)
1	2
बालाघाट	23.6
छतरपुर	42.3
दमोह	46
होशंगाबाद	48.2
इन्दोर	235.8
जबलपुर	120.4
कटनी	175
मंदसौर	7.6
रायसेन	48
रतलाम	133.3
रीवा	10
सिहोर	76
शाजापुर	45.2
टीकमगढ़	62.2
उज्जैन	72.81
विदिशा	30
कुल जोड़	1176.41

(ग) से (ङ) जी हां। तथापि, राज्य सरकार ने चालू वर्ष के दौरान 29 नए प्रस्ताव भेजे थे, जिनको चालू दर अनुसूची के आधार पर अद्यतन करने हेतु राज्य सरकार के अनुरोध पर वापस लौटा दिया गया था। राज्य द्वारा चालू अनुसूची के आधार पर 15 प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत किए गए थे जिनमें से 10 प्रस्ताव पहले ही स्वीकृत कर लिए गए हैं। आगे की स्वीकृतियां पारस्परिक प्राथमिकता और स्वीकृत कार्यों हेतु निधियों के उपयोग पर निर्भर करेंगी।

कार्गो टर्मिनल का स्थान

4338. श्री पी.सी. थामस:
डा. के.एस. मनोज:

क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार और अन्य संगठनों से अलप्पुझा पर जलमार्ग-तीन के समीप स्थित कार्गो टर्मिनल के स्थान पर पुनर्विचार करने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, क्योंकि इससे नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ में और अलप्पुझा में उभरते हुए हाउस बोट पर्यटन में बाधा उत्पन्न होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्गो टर्मिनल के स्थान परिवर्तन संबंधी मामले के अध्ययन हेतु गठित की गई समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो रिपोर्ट के कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त मसले की जांच-पड़ताल कर ली गई है और यह लगता है कि मूल स्थल अर्थात् मुल्लाक्कल पर टर्मिनल का निर्माण किए जाने से, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ के संचालन अथवा हाउस बोट पर्यटन सहित पर्यटन से संबंधित किसी भी कार्य-कलाप में बाधा नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त टर्मिनल का स्थल पुन: निश्चित किए जाने के मसले का केरल की राज्य-सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में विरोध किया गया है। उपर्युक्त मसले पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत-सरकार की राय का समर्थन करते हुए, उपर्युक्त मुकदमे में अपना निर्णय देकर, उसे निबटा दिया है और उपर्युक्त राज्य-सरकार को मुल्लाक्कल पर स्थित भूमि, अंतर्देशीय जल-परिवहन-टर्मिनल का निर्माण किए जाने हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण को सुपुर्द कर देने का निदेश दिया है।

(ग) ऐसी कोई भी समिति गठित नही की गई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण

4339. **श्री हरिसिंह जावड़ा:**
श्री काशीराम राणा:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पासपोर्ट कार्यालयों का नियमित निरीक्षण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) वार किन तिथियों को अंतिम निरीक्षण किया गया था और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) सरकार द्वारा उक्त निरीक्षण के परिणामों के आधार पर क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी जिला पासपोर्ट कार्यालय-वार ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) पूरे भारत में पासपोर्ट कार्यालयों का, उनके कार्यकलापों की निगरानी करने तथा उनके कार्यों में सुधार लाने हेतु विभिन्न उपाय सुझाने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है। दिल्ली स्थित पासपोर्ट कार्यालय का निरीक्षण पिछली बार 16.8.2005 को विदेश सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों और सरकारी अधिकारियों के लिए दिल्ली पासपोर्ट कार्यालय में तत्काल प्रभाव से एक अलग नियमित काउंटर खोला गया है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षण के ब्यौरे संलग्न विवरण में है। इससे पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली तथा संबंधित सेवाओं में बेहतरी और शीघ्रता आई है।

विवरण

वर्ष 2003 से अब तक पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण

क्र.सं.	निरीक्षण किए गए पासपोर्ट कार्यालय	अधिकारी जिन्होंने निरीक्षण किया	निरीक्षण की तिथि
1	2	3	4
1.	गाजियाबाद	संयुक्त सचिव (सी पी वी. II)	2002
2.	कोजीकोडे	ए पी ओ (निरीक्षण)	1 से 4 जनवरी, 2003
3.	मुम्बई	निदेशक (पी वी)	22 से 23 फरवरी, 2003
4.	चंडीगढ़	सचिव (पी सी डी)	11 से 12 मार्च, 2003

1	2	3	4
5.	लखनऊ	सचिव (पी सी डी)	2 से 3 अप्रैल, 2003
6.	हैदराबाद	सचिव (पी सी डी)	24 से 28 अप्रैल, 2003
7.	विशाखापट्नम	सचिव (पी सी डी)	24 से 28 अप्रैल, 2003
8.	अहमदाबाद	संयुक्त सचिव (पी वी. II)	26 से 27 जून, 2003
9.	सूरत	सचिव (पी सी डी)	15 से 16 अगस्त, 2003
10.	चेन्नई	संयुक्त सचिव (सी पी वी. II)	24 से 27 अगस्त, 2003
11.	बंगलौर	संयुक्त सचिव (सी पी वी. II)	24 से 27 अगस्त, 2003
12.	हैदराबाद	संयुक्त सचिव (सी पी वी. II)	24 से 27 अगस्त, 2003
13.	अहमदाबाद	सचिव (पी सी डी)	25 से 26 सितंबर, 2003
14.	कोलकाता	संयुक्त सचिव (सी पी वी. II)	8 से 10 अक्टूबर, 2003
15.	चेन्नई	संयुक्त सचिव (सी पी वी. II)	12 से 18 अक्टूबर, 2003
16.	त्रिची	संयुक्त सचिव (सी पी वी. II)	12 से 18 अक्टूबर, 2003
17.	तिरूवेन्द्रम	संयुक्त सचिव (सी पी वी. II)	12 से 18 अक्टूबर, 2003
18.	जलंधर	निदेशक (पी वी)	30 से 31 अक्टूबर, 2003
19.	भोपाल	निदेशक (पी वी)	9 से 11 नवम्बर, 2003
20.	अहमदाबाद	संयुक्त सचिव (सी पी वी. II)	1 से 3 दिसंबर, 2003
21.	चेन्नई	सचिव (पी सी डी)	24 से 25 दिसंबर, 2003
22.	चंडीगढ़	संयुक्त सचिव (सी पी वी. II)	8 से 10 फरवरी, 2004
23.	चंडीगढ़	सचिव (पी सी डी)	10 फरवरी, 2004
24.	अहमदाबाद	संयुक्त सचिव (सी पी वी. II)	20 फरवरी, 2004
25.	अहमदाबाद	सचिव (पी सी डी)	20 से 21 फरवरी, 2004
26.	गुवाहाटी	विदेश सचिव	जनवरी, 2005
27.	दिल्ली	अपर सचिव (ई आर)	16 फरवरी, 2005
28.	कोजीकोडे	संयुक्त सचिव (सी पी वी)	25 से 29 फरवरी, 2005
29.	दिल्ली	संयुक्त सचिव (सी पी वी)	1 जून, 2005
30.	दिल्ली	विदेश सचिव, अपर सचिव (ए डी और ई आर) और संयुक्त सचिव (सी पी वी)	16 अगस्त, 2005

[अनुवाद]

सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के भाग के रूप में घोषणा

4340. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से रानीगंज तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 का भाग घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या इस परियोजना से संबंधित कार्य शुरू हो चुका है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्य को कब तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) निधियां राज्यवार आबंटित की जाती हैं न कि राष्ट्रीय राजमार्ग-वार।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है और इसे निधियों की उपलब्धता, यातायात की मात्रा और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग-60 के रूप में घोषणा हो जाने के बाद से, इस सड़क को 2-लेन तक चौड़ा करने का कार्य 5.0 किलोमीटर में पूरा हो गया है और 19.5 किलोमीटर की कुल दूरी में यह कार्य प्रगति पर है। कुल 70 किलोमीटर लंबाई में सड़क गुणता सुधार कार्य पूरा हो गया है और कुल 91 किलोमीटर लंबाई में सावधिक नवीकरण का कार्य पूरा हो गया है।

कोयला खानों में रक्षात्मक कार्य

4341. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला कंपनियों से प्राथमिकता के आधार पर पुनर्स्थापना और पुनर्वास समस्या को सुलझाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक कोयला कंपनियों के कोलफील्ड क्षेत्रों में रेत भरने तथा रक्षात्मक कार्य किए जाने बाकी हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान कोयला कंपनियों द्वारा रक्षात्मक कार्यों के लिए आबंटित की गई धनराशि के 40 प्रतिशत से भी कम भाग का उपयोग किया गया है;

(च) क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिए गठित की गई समिति द्वारा अनुमोदित सभी योजनाओं को चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित करने संबंधी निर्देश दिए हैं; और

(छ) यदि हां, तो कोयला कंपनियों द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विस्थापित परिवारों को पुनर्वास कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास (आर. एण्ड आर.) नीति के अनुसार चरणबद्ध रूप में किया जाता है।

(ग) और (घ) कोयले के उत्खनन से संबद्ध रेत भराई एक निरंतर जारी प्रक्रिया है और इसे डिपलरिंग जिलों से कोयला उत्पादन के साथ-साथ किया जाता है। सुरक्षात्मक कार्य मुख्य रूप से कोयला खानों में सुरक्षा के साथ-साथ कोयले के संरक्षण हेतु किए जाते हैं। एक वित्तीय वर्ष के आरंभ से पूर्व, प्रत्येक कोयला कंपनी सुरक्षात्मक कार्यों हेतु प्रस्ताव तैयार करती है और अनुमोदन तथा सहायता हेतु कोयला संरक्षण और विकास सलाहकार समिति (सीसीडीएसी) को प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। प्रारंभ में कोयला कंपनियों को 100% व्यय वहन करना होता है और वास्तविक कार्य हो जाने के बाद कोयला कंपनियों को दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। तथापि, कुछ मामलों में विभिन्न कोयला कंपनियों द्वारा प्राप्त की गई वार्षिक उपलब्धियां, निधियों की कमी और प्रशासनिक कारणों से प्रस्तावित की गई उपलब्धियों की तुलना में कम हैं।

(ङ) जी, नहीं। सहायता शीर्ष के अंतर्गत "स्टोइंग और सुरक्षात्मक कार्य एवं आर. एण्ड डी." हेतु कोयला तथा लिग्नाइट कंपनियों को आर्थिक सहायता के रूप में बजटीय आबंटन किया गया है। दसवीं योजना के प्रथम 3 वर्षों के दौरान निधियों का आबंटन तथा इस शीर्ष के अंतर्गत वास्तविक प्रतिपूर्ति निम्न प्रकार है:

वर्ष	निधियां का आबंटन (करोड़ रु.)	वास्तविक प्रतिपूर्ति (करोड़ रु.)
2002-03	66.05	66.05
2003-04	64.00	64.00
2004-05	100.03	100.03

(च) और (छ) सी.सी.डी.ए.सी. को कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) नियमावली, 1975 के अंतर्गत गठित किया गया है और यह सुरक्षात्मक कार्यों के लिए केवल उन्हीं सुगठित योजनाओं को अनुमोदित करता हैं जिन्हें एक निश्चित समयावधि के भीतर पूरा किया जाना होता है। सी.सी.डी.ए.सी. द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम तथा पिछले 3 वर्षों में कोयला कंपनियों द्वारा किया गया वास्तविक कार्य निम्न प्रकार है:

वर्ष	सीसीडीएसी द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम (रु.)	कोयला कंपनियों द्वारा किए गए वास्तविक कार्य (रु.)	अनुमोदित कार्यक्रम के संबंध में प्राप्त के उपलब्धियों का %
2002-03	99,858,371	82,547,981	82.67
2003-04	62,879,408	50,869,230	80.90
2004-05	114,164,540	94,547,895	82.82

[हिन्दी]

राजस्थान में मोबाइल सेवा

4342. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड का विचार राजस्थान के विभिन्न भागों विशेषकर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में मोबाइल सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मोबाइल सेवा कब तक शुरू होने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी हां, राजस्थान राज्य में सभी जिला मुख्यालयों में मोबाइल सेवाएं प्रदान कर दिए जाने के बाद भारत संचार निगम लिमिटेड ने तहसील मुख्यालयों को कवर करने की योजना बनाई है। इस समय नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है और बीएसएनएल ने चित्तौड़गढ़ जिले के तेरह नए शहरों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।

(ग) से (च) सभी तेरह शहरों का तकनीकी सर्वेक्षण पूरा कर लेने के पश्चात पांच शहरों अर्थात बड़ी सदरी, बेगू, भदेसर, छोटी सदरी और कपासन में मोबाइल सेवाएं चालू की जा चुकी हैं। शेष आठ शहरों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सेवाओं को उत्तरोत्तर रूप से उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के छापे

4343. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री काशीराम राणा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो देश में संदिग्ध/भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध छापे मारता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे लोगों के विरुद्ध कितने छापे मारे गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दर्ज किए गए हैं; और

(घ) उपर्युक्त लोगों में से कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और इनके विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निरोधी कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003 से 2005 तक (30.6.2005 तक) के दौरान 07 देशव्यापी विशेष अभियान चलाए जिनमें 1257 तलाशियां ली गई।

(ग) और (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सूचित किया है कि उपर्युक्त में से 30.6.2005 तक, 29 मामलों में आरोप-पत्र दायर किए गए हैं जबकि 12 मामलों में अभियोजन की मंजूरी प्रतीक्षित है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 15 मामलों में नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सिफारिश की है कि 2 मामलों में उपयुक्त समझी जाने वाली कार्रवाई की

जाए जबकि उसने 9 मामले समाप्त कर दिए हैं। शेष मामलों में अन्वेषण पूरा नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

नए दूरभाष केन्द्रों की स्थापना

4344. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना और दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में विशेषकर पुणे जिले में कितने दूरभाष केन्द्रों की स्थापना की गई है और इस समय कितने दूरभाष केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सभी केन्द्रों पर एसटीडी/आईएसडी और इंटरनेट सेवाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास नए दूरभाष केन्द्र खोलने संबंधी मांग लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो इन मांगों की इस समय क्या स्थिति है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना और दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान पुणे जिला सहित महाराष्ट्र में सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या और इस समय उनमें से कार्य कर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या नीचे दर्शाई गई है:

योजना अवधि	वर्ष	महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल (बीएसएनएल) (क)	पुणे जिला [(क) में भी शामिल]	एमटीएनएल मुंबई
नौवीं पंचवर्षीय योजना	1997-2002	2148	135	85
दसवीं पंचवर्षीय योजना	2002-2005	153	52	29

(ख) जी, हां। महाराष्ट्र के सभी एक्सचेजों में एसटीडी/आईएसडी सुविधा और इंटरनेट सेवाएं प्रदान की गई हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बीएसएनएल के महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में 32 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की मांग की गई है।

(ङ) प्रतीक्षा सूची इतनी लंबी नहीं है कि नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की आवश्यकता हो। अत: बीएसएनएल द्वारा डब्ल्यूएलएल प्रौद्योगिकी अधारित फोन प्रदान करके प्रतीक्षा सूची निपटाई जाती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

4345. श्री उदय सिंह:
श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में नक्सलवाद और उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लाभ नहीं पहुंच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के नक्सलवाद और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में इस मिशन को क्रियान्वित करने के लिए कोई रणनीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी, नहीं। भारत सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं पहुंची है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल, 2005 को शुरू किया गया है। यह मिशन नक्सलवाद और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों सहित पूरे देश के लिए है। देश के विभिन्न भागों/क्षेत्रों में इसके लाभ पहुंचने से पहले इसका मूल्यांकन करना बहुत जल्दबाजी होगी। इस मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यनीतियों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों को हाल ही में धन जारी कर दिया गया है।

(ग) और (घ) लागू नहीं होता।

नाइट्रो-ग्लिसरिन आधारित विस्फोटकों का उत्पादन

4346. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नाइट्रो-ग्लिसरिन आधारित विस्फोटकों को रखने, बेचने और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) दिनांक 1.4.2005 से नाइट्रो-गिल्सरीन आधारित विस्फोटकों को रखने, इसकी बिक्री और इसके उपयोग पर रोक लगाने के लिए दिनांक 21.1.2004 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। तदोपरान्त दिनांक 1.4.2004 तक मौजूद नाइट्रो-गिल्सरीन आधारित विस्फोटकों के स्टॉक को समाप्त करने के लिए समयावधि को 1.12.2004 तक बढ़ाने हेतु 20.8.2004 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। इसके अलावा, दिनांक 24.3.2005 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 191(अ) जारी की गई थी जिसके अंतर्गत मैसर्स सिंगारेनी कोलेरीज कंपनी लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और केन्द्रीय खान अनुसंधान संस्थान को पी-3 टाइप नाइट्रो-गिल्सरीन आधारित विस्फोटकों (बेल्जेक्स कोल-आर) को रखने, उसकी बिक्री और उसके उपयोग के लिए तथा लाइसेंसधारी पी-3 टाइप नाइट्रो-गिल्सरीन आधारित विस्फोटकों (बेल्जेक्स कोल-आर) विनिर्माता इकाइयों को भूमिगत खुदाई हेतु विस्फोटक गैलरी विधि में प्रयोगार्थ पी-3 टाइप नाइट्रो-गिल्सरीन आधारित विस्फोटकों (बेल्जेक्स कोल-आर) को रखने, उनकी बिक्री और आवागमन के वास्ते अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों के साथ अधिसूचना जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए छूट दे दी गई थी।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड की आउटसोर्सिंग नीति

4347. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी समनुषंगी कंपनियों द्वारा आउटसोर्सिंग नीति का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी समनुषंगी कंपनियों द्वारा परिवहन, कोयले का उत्पादन और अन्य संबंधित कार्यों से संबंधित आउटसोर्सिंग की गई सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और जुलाई, 2005 तक कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी समनुषंगी कंपनियों द्वारा आउटसोर्स की गई सेवाओं, मशीनों के आयात और उत्पादन हेतु उपकरण के लिए सेवा-वार और मद-वार भुगतान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी समनुषंगी कंपनियों को सुदृढ़ और लाभ कमाने वाली इकाईयां बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) अतिरिक्त क्षमता उत्पादन का निर्माण करने, आरंभिक पूंजी निवेश से बचने तथा प्रचालन लागत को कम करने के लिए कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) तथा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा अपनी कुछ खानों में कुछ क्रियाकलापों की आउटसोर्सिंग की गई है।

(ख) और (ग) सी.आई.एल. तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा आउटसोर्स किए गए मुख्य क्रियाकलाप कुछ खानों तथा पृथक पैचों में कोयला उत्पादन करना, कुछ खानों और पृथक पैचों में ऊपरी मलबे को हटाया जाना, कोयले और रेत का परिवहन, आदि हैं। जुलाई, 2005 तक पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के दौरान आउटसोर्स की गई सेवाओं और मशीनरी के आयात के लिए कोल इंडिया लि. तथा इसकी अनुषंगी कंपनियां द्वारा भुगतान की गई राशि नीचे दी गई है:

(करोड़ रु.)

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05 (अनंतिम)	2005-06 (जुलाई, 05 तक) (अनंतिम)
कोयले का परिवहन	257.25	265.59	390.82	122.62
उपकरण को भाड़े पर लिया जाना	51.68	42.42	46.95	8.91
सरफेस माइनर	55.66	40.52	54.37	21.75
ठेका ओबीआर	75.42	118.08	273.41	127.18
जोड़	440.01	466.61	765.55	280.46
मशीनरी का आयात (सीआईएफ + सीमा शुल्क + परिवहन)	41.69	शून्य	8.31	शून्य

(घ) सी.आई.एल. समग्र रूप से लाभ कमा रही है परन्तु इसकी 2 अनुषंगियां, अर्थात ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई.सी.एल.) तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी.सी.सी.एल.) घाटे में चल रही है। ई.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. की पुनरूद्धार योजनाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) को संदर्भगत कर दिया गया है।

उदयपुर मंडल में रिक्त पद

4348. श्री महावीर भगोरा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान सर्किल के उदयपुर मंडल में डाकघरों तथा दूरभाष विभाग में कुल कितने पदों का सृजन किया गया है तथा उनका श्रेणी-वार तथा जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी स्वीकृत पदों को भर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो कितने पद रिक्त हैं;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन पदों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):

डाक विभाग

(क) शून्य

(ख) से (ङ) रिक्त पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। अभी उदयपुर डिवीजन में डाक सहायक के 19, पोस्टमैन के 13 पद और समूह 'घ' का 1 पद खाली है। इनको भरने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। भर्ती की प्रक्रिया अगले दो महीने के अंदर पूरी होने की संभावना है।

दूरसंचार विभाग

(क) राजस्थान सर्किल के उदयपुर डिवीजन में दूरसंचार विभाग का कोई कार्यालय नहीं है। हालांकि, राजस्थान सर्किल के उदयपुर एसएसए, बीएसएनएल (दूरसंचार विभाग का सरकारी क्षेत्र का उपक्रम) से संबंधित सूचना निम्नानुसार है:

उदयपुर एसएसए में स्वीकृत पद

समूह 'क'	19
समूह 'ख'	158
समूह 'ग'	777
समूह 'घ'	187
कुल	1141

(ख) और (ग) उदयपुर एसएसए में रिक्त पद

समूह 'क'	4
समूह 'ख'	70
समूह 'ग'	116
समूह 'घ'	00
कुल	190

(घ) पदों का सृजन और पदों को भरना एक सतत प्रशासनिक प्रक्रिया है। व्यवसाय एवं प्रोद्योगिकी के तेजी से बदलते हुए परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के आधार पर ही पदोन्नति एवं नियुक्ति की जाती है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय स्तर के खेल

4349. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय स्तर पर कौन-कौन से खेल खेले जाते हैं;

(ख) एक खेल को राष्ट्रीय स्तर के खेल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड है;

(ग) क्या जूडो और कराटे राष्ट्रीय स्तर के खेल हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) उन खेलों के नाम जिनके लिए राष्ट्रीय स्तर के परिसंघों/संघों को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर खेल परिसंघों की मान्यता के लिए मंत्रालय ने जिन मानदंडों पर विचार किया है, उनमें अंतर्राष्ट्रीय और एशियाई परिसंघों तथा भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा इनकी मान्यता, इनकी कानूनी और शीर्ष स्थिति, भारत में खेलों के संवर्धन और विकास में इनकी भूमिका व योगदान तथा इनका आंतरिक

वित्तीय प्रबंधन और निर्वाचन पद्धतियां शामिल हैं। इसके अलावा, मान्यता प्राप्त करने वाले खेल परिसंघ को मान्यता हेतु आवेदन करने की तारीख के तीन वर्ष से अधिक तक सक्रिय रूप से विद्यमान होना चाहिए तथा उसकी भारत के कुल राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के दो तिहाई भाग में सम्बद्ध इकाईयां भी होनी चाहिए।

(ग) जूडो और कराटे के खेल के लिए भारतीय जूडो परिसंघ (जे.एफ.आई.) तथा अखिल भारतीय कराटे-डो-परिसंघ राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष खेल परिसंघ हैं जिनको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

खेल विधाओं का श्रेणीकरण

खेल विधा	*प्राथमिकता (क)*
1. तीरंदाजी	प्राथमिकता
2. एथलेटिक्स	प्राथमिकता
3. बैडमिंटन	प्राथमिकता
4. बिलियर्डस और स्नूकर	प्राथमिकता
5. मुक्केबाजी	प्राथमिकता
6. शतरंज	प्राथमिकता
7. फुटबाल	प्राथमिकता
8. हाकी (पुरुष)	प्राथमिकता
9. हाकी (महिला)	प्राथमिकता
10. कबड्डी	प्राथमिकता
11. रोइंग	प्राथमिकता
12. निशानेबाजी	प्राथमिकता
13. टेनिस	प्राथमिकता
14. साइक्लिंग	प्राथमिकता
15. कुश्ती	प्राथमिकता
16. भारोत्तोलन	प्राथमिकता
17. तैराकी	प्राथमिकता

	सामान्य (ख)
1. बास्केटबाल	सामान्य
2. कयाकिंग और कैनोइंग	सामान्य
3. घुड़सवारी	सामान्य
4. फेन्सिंग	सामान्य
5. गोल्फ	सामान्य
6. जिम्नास्टिक्स	सामान्य
7. हैंडबाल	सामान्य
8. जुडो	सामान्य
9. स्कूल गेम्स (एस.जी.एफ.ई.)	सामान्य
10. स्क्वैश	सामान्य
11. टेबल-टेनिस	सामान्य
12. वालीबाल	सामान्य
13. याटिंग	सामान्य
14. शरद कालीन खेल (डब्ल्यू.जी.एफ.आई.)	सामान्य

	अन्य (ग)
1. एयरो क्लब	अन्य
2. अत्या पत्था	अन्य
3. बाल बैडमिंटन	अन्य
4. बेसबाल	अन्य
5. शरीर सौष्ठव	अन्य
6. बाउलिंग	अन्य
7. ब्रिज	अन्य
8. कैरम	अन्य
9. क्रिकेट	अन्य

10.	क्रिकेट (महिला)	अन्य
11.	साइकल पोलो	अन्य
12.	कराटे	अन्य
13.	कॉर्फबाल	अन्य
14.	खो-खो	अन्य
15.	मल्लखंब	अन्य
16.	मोटर स्पोर्ट्स	अन्य
17.	नेटबाल	अन्य
18.	पोलो	अन्य
19.	पावर लिफ्टिंग	अन्य
20.	रोलर स्केटिंग	अन्य
21.	सेपक तकारो	अन्य
22.	सॉफ्टबाल	अन्य
23.	शूटिंग बाल	अन्य
24.	बधिरों के लिए खेल	अन्य
25.	ताइक्वांडो	अन्य
26.	टेन्नि-कोइट	अन्य
27.	टेनिस बाल क्रिकेट	अन्य
28.	थ्रोबाल	अन्य
29.	ट्रायथलोन	अन्य
30.	रस्साकशी	अन्य
31.	टेन-पिन बाउलिंग	अन्य
32.	कुश्ती (भारतीय स्टाइयल)	अन्य
33.	वुशु	अन्य

[अनुवाद]

पृथक उत्पादकता एवं रोजगार केन्द्र प्रभाग की स्थापना

4350. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान ई-अवसंरचना/ई-लर्निंग समूह के अंतर्गत एक पृथक उत्पादकता तथा रोजगार केन्द्र प्रभाग की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रभाग उन विभिन्न क्षेत्रों की पहचान करने में नोडल भूमिका निभाएगा जहां सूचना संचार उपकरणों का प्रयोग उन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने तथा और अधिक रोजगार सृजन में किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कुछ और प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है; और

(ङ) इससे रोजगार सृजन में कितनी सहायता मिलेगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) इस प्रभाग ने उत्पादकता तथा उसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन में वृद्धि करने के लिए एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण का चयन किया है।

असम में पिछड़े क्षेत्रों का विकास

4351. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा असम के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वीकृत की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक जिले को कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) असम सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के लिए सौंपी गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) असम के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए स्कीमें राष्ट्रीय सम विकास योजना की पिछड़े जिले पहल के माध्यम से कोकराझार, उत्तरी लखीमपुर, धिमाजी, उत्तरी कछार पहाड़ियां और कर्बी आंगलोंग के पिछड़े जिलों में कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) प्रत्येक जिले को आवंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

जिले का नाम	तीन वर्षों के लिए आवंटित धनराशि	वर्ष 2003-04 में जारी की गई धनराशि	वर्ष 2004-05 में जारी की गई धनराशि
कोकराझार	45.00	5.00	2.50
उत्तरी लखीमपुर	45.00	5.00	2.50
धिमाजी	45.00	0.00	7.50
उत्तरी कछार पहाड़ियां	45.00	0.00	7.50
कर्बी आंगलोंग	45.00	0.00	7.50

नोट: यह स्कीम वार्षिक योजना, 2003-04 में अनुमोदित हुई थी।

(ग) राज्य सरकार/जिला प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्कीमें कृषि, शिक्षा, सड़क, सिंचाई, विद्युत, स्वास्थ्य आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतरालों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ हैं तथा प्रत्येक जिले में भिन्न-भिन्न हैं।

(घ) इस स्कीम के अंतर्गत शामिल सभी पांचों जिलों की जिला योजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है। स्कीम के अनुसार, जिला योजनाओं में शामिल स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले को तीन वर्ष की अवधि में 45 करोड़ रुपये की राशि दी जानी है। अब तक, प्रत्येक जिले को 7.50 करोड़ रुपये की केवल एक किश्त जारी की गई है। अतिरिक्त निधियां इस जिला योजना के अंतर्गत हुई वित्तीय और वास्तविक प्रगति को ध्यान में रखते हुए जारी की जाएगी।

[हिन्दी]

सेवानिवृत्त व्यक्तियों का पुनः नियोजन

4352. **श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":**
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **पिछले** तीन वर्षों के दौरान सेवा से सेवानिवृत्त हुए कुल कितने लोग संयुक्त सचिव तथा उसके ऊपर के पदों पर कार्यरत थे;

(ख) क्या इनमें से बहुत से लोगों को सरकारी पदों पर पुनः नियोजित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे पुनः नियोजित लोगों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान सरकारी सेवा में उनके पुनः नियोजन की तारीख क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (घ) इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बीमारियों से लड़ने के लिए सहायता

4353. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एच.आई.वी./एड्स, टी.बी. तथा मलेरिया से लड़ने के लिए द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दान एजेंसियों से सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक दान एजेंसी से 2004-05 के दौरान प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों को आवंटित सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम अपने उद्देश्य प्राप्त करने में कितना सफल रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना-चरण-II, शत प्रतिशत केन्द्र

प्रायोजित स्कीम है जिसे 38 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों के माध्यम से पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना-चरण-II के लिए 1941.91 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। ब्यौरा इस प्रकार है:

1.	भारत सरकार (विश्व बैंक सहायता सहित)	1155 करोड़ रुपए
2.	महाराष्ट्र में एवर्ट (ए.वी.ई.आर.टी.) परियोजना हेतु यू एस एड सहायता	166 करोड़ रुपए
3.	तमिलनाडु और पांडिचेरी में ए.पी.ए.सी. परियोजना हेतु यू एस एड सहायता	64.58 करोड़ रुपए
4.	पी.एस.एच. परियोजना हेतु डी.एफ.आई.डी. सहायता	487.40 करोड़ रुपए
5.	सी आई डी ए सहायता	37.81 करोड़ रुपए
6.	यू एन डी पी सहायता	6.47 करोड़ रुपए
7.	ए यू एस एड सहायता	24.65 करोड़ रुपए

परियोजना के शुरू होने से पहले ही ए यू एस एड सहायता का त्याग कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त दो वर्षों के लिए 122.74 करोड़ रुपए की ग्लोबल निधि सहायता का अनुमोदन इस परियोजना के दसवीं पंचवर्षीय योजना प्रावधान के अतिरिक्त किया गया है।

भारत सरकार के वास्तविक अंशदान के अलावा इस परियोजना हेतु पूरी राशि सर्वप्रथम सरकार द्वारा बजट में उपलब्ध कराई गई है और फिर खर्च करने के बाद विदेशी वित्तपोषण एजेंसी से प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है।

(ख) वर्ष 2004-05 के दौरान प्राप्त सहायता निम्न प्रकार है:

रु. करोड़ में

विश्व बैंक सहायता	107.92
यू एस एड सहायता (ए पी ए सी एवं एवर्ट)	19.64
डी एफ आई डी सहायता	31.47
सी आई डी ए सहायता	शून्य
यू एन डी पी सहायता	4.20

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) राष्ट्रीय एड्स निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य जन सामान्य में संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोकना है ताकि वर्ष 2007 तक नए संक्रमण की वृद्धि दर शून्य हासिल की जा सके। इस संबंध में विभिन्न जोखिम वर्गों के लिए प्रहरी स्थलों के जरिए वार्षिक आधार पर एच आई वी संक्रमण का अनुमान लगाया जाता है। पिछले तीन वर्षों में वर्षवार अनुमान निम्नलिखित है:

वर्ष	अनुमान (मिलियन में)
2002	4.58
2003	5.106
2004	5.134

विवरण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना, चरण-II निधियां जारी करने की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05 के दौरान जारी
1	2	3
	विश्व बैंक	
1.	आंध्र प्रदेश	1692.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	285.50
3.	असम	1214.50
4.	बिहार	1079.50
5.	गोवा	163.50
6.	गुजरात	565.00
7.	हरियाणा	266.00
8.	हिमाचल प्रदेश	423.50
9.	जम्मू-कश्मीर	279.50
10.	कर्नाटक	1664.50
11.	केरल	553.00
12.	मध्य प्रदेश	855.50
13.	महाराष्ट्र	1625.50
14.	मणिपुर	1847.75
15.	मेघालय	15.50

1	2	3
16.	मिजोरम	571.50
17.	नागालैण्ड	1065.25
18.	उड़ीसा	430.00
19.	पंजाब	371.50
20.	राजस्थान	867.50
21.	सिक्किम	179.00
22.	तमिलनाडु	2043.50
23.	त्रिपुरा	221.00
24.	उत्तर प्रदेश	1070.80
25.	पश्चिम बंगाल	2028.00
26.	दिल्ली	604.00
27.	पांडिचेरी	114.00
28.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	180.50
29.	चंडीगढ़	228.50
30.	दादरा एवं नगर हवेली	76.00
31.	दमन एवं दीव	101.00
32.	लक्षद्वीप	29.50
33.	एमडीएसीएस	775.00
34.	अहमदाबाद नगर निगम	208.30
35.	चेन्नई नगर निगम	157.45
36.	उत्तरांचल	298.00
37.	छत्तीसगढ	429.50
38.	झारखंड	256.00
	कुल	24837.00

डीएफआईडी द्वारा सहायता प्राप्त

पीएसएच परियोजना

1.	आंध्र प्रदेश	1360.00
2.	गुजरात	992.00
3.	केरल	551.00
4.	उड़ीसा	100.00
5.	अहमदाबाद नगर निगम	232.00
6.	पश्चिम बंगाल	365.00
7.	बिहार	150.00
8.	उत्तर प्रदेश	200.00
9.	मध्य प्रदेश	150.00
		4100.00

यू.एस.एड सहायता प्राप्त परियोजना

1.	तमिलनाडु में एपीएसी परियोजना	1684.00
2.	महाराष्ट्र में एवीईआरटी परियोजना	885.00

सी आई डी ए वित्तपोषित परियोजना

1.	कर्नाटक	200.00
2.	राजस्थान	0.00

राष्ट्रीय राजमार्ग-206 पर संकरे मार्ग को चौड़ा करना

4354. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजमार्ग सं. 206 तुमकुर तथ टिपतुर के बीच बहुत संकरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वाहनों के सुचारू आवागमन के लिए उक्त मार्ग को चौड़ा करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस मार्ग पर कार्य कब आरंभ होगा, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 206 तुमकुर से टिपतुर के बीच बहुत संकरा नहीं है और यहां पर इसकी 2-लेन की मानक कैरिज वे विद्यमान है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश (पश्चिम), बीएसएनएल में लगाए गए कंप्यूटर

4355. श्री संतोष गंगवार: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश (पश्चिम), बीएसएनएल में, ओरॉकल आधारित डॉटसॉफ का प्रयोग करते हुए कितने कंप्यूटर लगाए गए हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश, बीएसएनएल (पश्चिम) में ओरॉकल आधारित डॉटसॉफ के कितने लाइसेंस प्रदान किए गए;

(ग) क्या ये लाइसेंस प्रदान करने में कोई विसंगति सामने आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) इस समय उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सर्किल में ओरॉकल डाटाबेस पर डॉटसॉफ्ट हेतु कार्यरत कंप्यूटर की कुल संख्या 719 है। भविष्य में ओरॉकल आधारित डॉटासॉफ्ट का उपयोग करके कुछ और कंप्यूटर संस्थापित किए जाने की संभावना है।

(ख) उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सर्किल में ओरॉकल आधारित डॉटसॉफ्ट हेतु लिए गए लाइसेंसों की कुल संख्या 801 है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

दूरसंचार विभाग की भूमि पर अतिक्रमण

4356. श्री ब्रजेश पाठक: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में दूरसंचार विभाग की भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले राज्य-वार सरकार की जानकारी में आए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) दूरसंचार विभाग की भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण नहीं हो रहा है। विभाग के स्वामित्व वाले 10,000 से भी अधिक भूखंडों में से, 38 भूखंडों पर अवैध निर्माण हुआ है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जानकारी में आए अतिक्रमणों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) स्थानीय निकायों तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है। अन्य भूखंडों पर ऐसे अतिक्रमणों से बचाव करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

(1) भूखण्डों के चारों तरफ चाहरदीवारी/कंटिदार तार वाली बाड़ लगाना/जंजीर से जुड़ी बाड़ लगाना।

(2) नियमित निरीक्षण।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभाग की जानकारी में आए भूमि के अतिक्रमण से संबंधित मामलों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	मामलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	गुजरात	1
3.	मध्य प्रदेश	9
4.	महाराष्ट्र	8
5.	नई दिल्ली	8
6.	उड़ीसा	3
7.	पंजाब	2
8.	गोवा	2
9.	पश्चिम बंगाल	2
10.	उत्तर प्रदेश	1
	जोड़	38

[अनुवाद]

रक्त का आयात

4357. **डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:**
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ब्लड बैंको द्वारा एक वर्ष में एकत्र किए गए रक्त की मात्रा तथा उसके स्रोतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विदेशों से भी रक्त का आयात किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(घ) क्या आयातित रक्त विषाणु/संक्रमित पाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके प्रतिकूल प्रभाव क्या हैं; और

(च) संक्रमित रक्त के आयात को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) भारत में, सभी लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंकों द्वारा रक्त केवल स्वैच्छिक तथा प्रतिस्थापन रक्त दाताओं से एकत्रित किया जाता है। वर्ष 2004 में रक्त का वार्षिक संचयन 44,11,428 यूनिट था। इसमें से, 23,12,871 यूनिट (52.24 प्रतिशत) रक्त स्वैच्छिक रक्त दाताओं से एकत्र किया गया था और 20,98,557 यूनिट (47.76 प्रतिशत) रक्त प्रतिस्थापन रक्त दाताओं से लिया गया था।

(ख) जी, नहीं। रक्त का विदेशों से आयात नहीं किया जाता। तथापि रक्त उत्पादों (रक्त फ्रैक्शन) का आयात होता है।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

खेल प्रौद्योगिकी विकास मिशन कार्यक्रम

4358. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खेलों के विकास के लिए खेल प्रौद्योगिकी विकास मिशन कार्यक्रम की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु कितना खर्च होने का अनुमान है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्टेम सेल रिसर्च

4359. **श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई:**
श्री ई. जी. सुगावनम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितनी कंपनियां राज्य-वार स्टेम सेल रिसर्च के कार्य में लगी हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अनुसंधान के लिए धनराशि आवंटित की है;

(ग) क्या राज्य सरकारें भी अनुसंधान कार्य में भाग ले रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार स्टेम सेल अनुसंधान में केवल दो कंपनियां अर्थात रिलांइस लाइफ साइंसेज, मुम्बई तथा चेन्नई के पास लाइफ सेल, किलाकोट्टियूर लगे हुए हैं। रिलायंस लाइफ साइंसेज ने जून, 2000 में दक्षिण एशिया के प्रथम अमबिलीकल कॉर्ड ब्लड रेस्पीरेटरी की स्थापना की थी। हाल ही में एशिया क्रायो-सेल ने फ्लोरिडा स्थित क्रायो-सेल इंटरनेशनल के सहयोग से पहला अर्माबलीकल कॉर्ड ब्लड स्टेम बैंक "लाइफ सेल" स्थापित किया है जिसके अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद और मुम्बई में संग्रहण केन्द्र हैं जिसकी अगले 24 महीनों में 24 शहरों में और केन्द्र खोलने की योजना है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने यह भी सूचित किया है कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बंगलौर स्थित क्रायो सेल ने हाल ही में मलेशिया के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। अपोलो अस्पताल, चेन्नई, हिस्टो स्टेम इंस, डेलावर, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है। सरकार ने इन केन्द्रों के लिए कोई धन आबंटित नहीं किया है।

खीरी जिले में मोबाइल टॉवर लगाना

4360. श्री इलियास आजमी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में खीरी जिले के मिटोली कस्बे में मोबाइल टॉवर लगाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त टॉवर के कब तक कार्य आरंभ करने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को मोबाइल टॉवर न होने के कारण मिटोली के लोगों के समक्ष आ रही कठिनाईयों की जानकारी है;

(घ) क्या खीरी में बीएसएनएल के महाप्रबंधक ने निजी कंपनियों से साठगांठ करके सरकार को नुकसान पहुंचाया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराने का है; और

(च) यदि हां, तो यह जांच कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) जी, हां। सभी जिला मुख्यालयों को सेल्यूलर सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाकर अब भारत संचार निगम लिमिटेड तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर तहसील मुख्यालय तक सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं की कवरेज का विस्तार कर रहा है। तदनुसार परियोजना को लागू किया जा रहा है। तथापि, इस समय मिटोली कस्बे, जिला खीरी (उ.प्र.) में मोबाइल टॉवर प्रदान करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि यह वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

(घ) महाप्रबंधक बीएसएनएल खीरी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार का ठोस साक्ष्य रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

4361. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए चालू वर्ष में ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि में से विभिन्न राज्यों को राज्य-वार तथा परियोजनावार कितनी धनराशि प्रदान किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी नहीं। विश्व बैंक ने वर्तमान वर्ष के दौरान देश में किसी स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए लोन के रूप में कोई निधि स्वीकृत नहीं की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वदेशी प्रतिरक्षा नैदानिक किटों का विकास

4362. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान ने हार्मोनों का अनुमान लगाने हेतु स्वदेशी प्रतिरक्षा नैदानिक किटों को विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे उक्त किटों की लागत के 90 प्रतिशत तक कम होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो किटों के व्यावसायिक उत्पादन के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, हां।

(ख) आशा की जाती है कि यह लागत मौजूदा बाजार मूल्य से काफी कम होगी।

(ग) वाणिज्यिक उत्पादन और विपणन के लिए उपयुक्त पक्षकार को प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण करने और लाइसेंस प्रदान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

भारत-अमरीका अंतरिक्ष समझौता

4363. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमरीका के साथ अंतरिक्ष प्रक्षेपण समझौता किया है, जिससे कि भारत को अमरीका निर्मित उपग्रहों को न केवल अमरीका बल्कि अन्य देशों से प्रक्षेपण की अनुमति मिल जाएगी जैसा कि दिनांक 2 अगस्त, 2005 को 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के परिणामस्वरूप इसरो को क्या लाभ होने की संभावना है;

(ग) इस समझौते पर कब तक हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद इसरो पर अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

टीकों का उत्पादन तथा आवश्यकता

4364. डा. के. धनराजू: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डीपीटी, डीटी तथा टीटी की आवश्यकता तथा सरकारी और निजी क्षेत्र द्वारा उनके उत्पादन का आकंलन किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कंपनी-वार विशेषकर सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा उक्त टीकों के निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त कंपनी उक्त टीकों को देश में बेचे, इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2004-05 के दौरान कुल उत्पादन का निर्यात कर दिया तथा घरेलू बाजार में उक्त टीकों के किसी भी भंडार की आपूर्ति नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप देश में टीकों की कमी हो गई थी; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, हां। डी.पी.टी. और टी.टी. वैक्सीनों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है और डी.सी.जी.आई. द्वारा पिछले वर्ष 2000-01 में मूल्यांकन किया गया।

(ख) डी.पी.टी., टी.टी. और डी.टी. के विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निर्माताओं द्वारा किए गए पिछले 3 वर्षों के उत्पादन और आवश्यकताओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) मैसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे द्वारा पिछले 3 वर्षों में डी.टी., डी.पी.टी. और टी.टी. वैक्सीनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में है।

(घ) इस समय सरकार विभागीय ईकाइयों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों और निजी निर्माताओं से वैक्सीनों की पूरी आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ है। उनकी क्षमताओं और उद्धृत कीमत के आधार पर आपूर्ति आदेश दिए जाते हैं।

(ङ) वर्ष 2004-05 में मैसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ने डी.पी.टी. की बोली में भाग लिया था और निविदा क्रय समिति की सिफारिश के आधार पर उनको 46 लाख खुराकों का आदेश दिया गया था।

(च) वर्ष 2005-06 के लिए अपेक्षित डी.पी.टी., डी.टी. और टी.टी. वैक्सीनों के अधिप्रापण खरीद के लिए आपूर्ति आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के डी.पी.टी., टीटी. और डी.टी. के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निर्माताओं का उत्पादन ब्यौरा

(लाख खुराकों में)

फर्म	वैक्सीनों का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
पी.आई.आई. कुन्नूर	डीटी	71.61	85.44	250.00
	टीटी	60.00	105.24	181.52
	डीपीटी	99.59	234.27	162.80

1	2	3	4	5
केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	डीटी	113.14	111.01	154.91
	टीटी	142.78	218.026	329.77
	डीपीटी	73.87	253.654	218.77
एच.बी.पी.सी.एल., मुम्बई	डीटी	97.90	30.00	72.02
	टीटी	277.84	136.61	229.51
	डीपीटी	188.51	116.36	84.48
एस.आई.आई., पुणे	डीपीटी	1234	1740	1777
	डीटी	2.8	11.4	56.8
	टीटी	848.00	1710.00	1268.00
बी.ई., हैदराबाद	डीटी	14.00	55.00	70.00
	टीटी	374.00	820.00	1310.00
	डीपीटी	519.00	245.00	580.00
केआईपीएम, चेन्नई	टीटी	5.50	शून्य	शून्य
एसवीआई, पटवाड़ नगर	टीटी	2.08	शून्य	शून्य
पीआई, शिलांग	टीटी	0.58	0.61	शून्य
बायो वैक्सीन, हैदराबाद	टीटी	103.30	68.51	114.33
डानो वैक्सीन, हैदराबाद	टीटी	744.92	516.50	770.67

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के वैक्सीनों की आवश्यकता

(लाख खुराकों में)

क्र.सं.	वैक्सीन का नाम	2003-04	2004-05	2005-06
1.	डीपीटी	1661.27	1723.5	1667
2.	डीटी	391.51	439.3	409
3.	टीटी	1832.60	1834	1866

विवरण III

पिछले तीन वर्षों के मैसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा डीपीटी, डीटी और टीटी वैक्सीनों का निर्यात

क्र.सं.	वैक्सीन	2002-03	2003-04	2004-05
1.	डीपीटी	1140.50	1217.60	1648.60
2.	डीटी	16.60	18.70	48.30
3.	टीटी	898.60	654.40	1422.90

सांख्यिकी विभाग में तदर्थ नियुक्ति

4365. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसंबर, 1997 में सांख्यिकी विभाग में भारतीय सांख्यिकी सेवा (आई.एस.एस.) की श्रेणी-चार में भारी संख्या में अधिकारियों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या 1997 में तदर्थ आधार पर नियुक्त इन अधिकारियों को दिसंबर, 2004 में नियमित कर दिया गया था और उनके द्वारा उक्त पद पर सात वर्षों तक पहले ही कार्य कर लेने के बावजूद उन्हें और दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रख दिया गया;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सांख्यिकी विभाग में आई.एस.एस. की उक्त श्रेणी में तदर्थ नियुक्ति तथा इन्हें नियमित करने से संबंधित नियमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, सरकार ने दिसंबर, 1997 में भारतीय सांख्यिकीय सेवा के कनिष्ठ समयमान (ग्रेड-IV) में तदर्थ आधार पर 41 अधिकारी नियुक्त किए।

(ख) और (ग) दिसंबर, 1997 में तदर्थ आधार पर नियुक्त अधिकारियों को 2001 से 2004 की अवधि के दौरान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा समायोजित विभागीय पदोन्नति समितियों की सिफारिशों पर निम्नानुसार नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था।

क्र.सं.	वर्ष	पदोन्नत व्यक्तियों की संख्या	पदोन्नति से पहले सेवा-निवृत्त हुए व्यक्तियों की संख्या	कुल
1.	2000*	–	4	
2.	2001	8	3	
3.	2002*	–	1	
4.	2003	1	–	
5.	2004	24	–	
	कुल	33	8	41

*2000 और 2002 में कोई भी विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित नहीं की गई।

भा.सां.सेवा नियमावली के अनुसार भा.सां. सेवा के कनिष्ठ समयमान (जेटीएस) में नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहना होता है। तदनुसार, भा.सां.सेवा के कनिष्ठ समयमान में नियुक्त इन अधिकारियों को परिवीक्षा पर रखा गया था।

(घ) सरकार ने कनिष्ठ समयमान स्तर पर तदर्थ नियमित नियुक्ति करते समय भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियमावली में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हुए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के संबंधित अनुदेशों का पालन किया गया है।

(ङ) निर्धारित प्रक्रिया का अनुगमन किया जा रहा है।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वरिष्ठता सूची का पुन: रिकार्ड बनाना

4366. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में कार्यरत विभिन्न एस.एस.सी. बैचों के आशुलिपिक ग्रेड-डी की वरिष्ठता सूची का पुन: रिकार्ड बनाने हेतु कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विभागवार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न एस.एस.सी. बैचों के आशुलिपिक ग्रेड-डी की वरिष्ठता सूची निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड है;

(घ) क्या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वरिष्ठता सूची का पुन: रिकार्ड बना लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पुन: बनाई गई वरिष्ठता सूची का ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वरिष्ठता सूची को पुन: कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (छ) कर्मचारी चयन आयोग किसी विशेष वर्ष की आशुलिपिक ग्रेड 'घ' परीक्षा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को केवल उनके योग्यता क्रम में रखता है। वरिष्ठता सूची तैयार करना अथवा इसके संबंध में कोई कार्रवाई करना इसके कार्य नहीं हैं।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (क्षमता प्रमाणपत्र का रद्दकरण अथवा निलंबन) नियम, 2005 जो 16 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 403 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2737/2005)

(2) प्रमुख पत्तनों द्वारा संग्रहित राशि के बारे में श्री परसुराम माझी द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 611 का 27 जुलाई, 2005 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2738/2005)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं:

(1) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के वर्ष 2003-2004 और इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ माह का निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2739/2005)

(2) राष्ट्रीय आरोग्य निधि (पहले नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड के नाम से ज्ञात), नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षत लेखे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2740/2005)

(4) (एक) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2741/2005)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): महोदय मैं, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2742/2005)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): महोदय, श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी की ओर से, में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26-क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 510(अ) जो 28 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। तथा जिसमें उल्लिखित औषधि के विनिर्माण, बिक्री और संवितरण को प्रतिषिद्ध किया गया है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2743/2005)

(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 2005 जो 27 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 339(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 24 जून 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 423 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2744/2005)

(3) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन) का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री का प्रतिषेध नियम, 2004 जो 1 सितम्बर, 2004 को भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 561 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथ वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (संशोधन) नियम, 2005 जो 31 मई 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 345(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 22 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 496(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2745/2005)

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलाकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2746/2005)

(7) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2747/2005)

(9) (एक) नेशनल बोर्ड आफ एक्जामिनेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बोर्ड आफ एक्जामिनेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2748/2005)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): महोदय, मैं महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड और दूरसंचार विभाग, संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2749/2005)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, श्री के.एच. मुनियप्पा की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 642 (अ) जो 5 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 जून, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ. 556(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 637(अ) जो 5 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 पर संगमनेर के बाईपास के निर्माण के लोक प्रयोजन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 294 (अ) जो 2 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के तिरूनेलवेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (मदुरै-कन्याकुमारी खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 338 (अ) जो 18 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य के बारन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76 के निर्माण के लोक प्रयोजन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 339(अ) और का.आ. 340(अ) जो 18 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य के कोटा जिले में विभिन्न भागों पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76 (चार लेन वाला बनाने) के निर्माण के लोक प्रयोजन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छह) का.आ. 580(अ) जो 27 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य के बुर्दवान जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (रानीगंज-पानागढ़ खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सात) का.आ. 596(अ) जो 29 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य के वलसाड़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (सूरत-मनोर टॉलवे परियोजना) (चार लेन वाला) के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 610(अ) जो 4 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडिवनम-विल्लुपुरम-त्रिची खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 611(अ) जो 4 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 95(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का.आ. 612(अ) जो 4 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के वेल्लौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 613(अ) जो 4 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1301(अ) में कतिपय संशोधन किए गए है।

(बारह) का.आ. 641(अ) जो 5 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के तिरूवेल्लुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-205 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 656(अ) जो 10 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या का.आ. 141(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का.आ. 657(अ) जो 10 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 1010(अ) जो 14 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 1011(अ) जो 14 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 4ख के विभिन्न भागों के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दर के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1016 (अ) जो 15 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 के चार लेन वाले प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दर के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 1019(अ) जो 18 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 1020(अ) जो 18 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिम गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बार में है।

(बीस) का.आ. 1021(अ) जो 18 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तम खंड) के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 403(अ) जो 24 मार्च, 2005 के भारत की राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य के बाराबंकी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ से उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा) के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 404(अ) जो 24 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ से उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा) के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 553(अ) जो 15 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ से उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा खंड) के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 609(अ) जो 3 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के मेडक जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (नागपुर-हैदराबाद खंड) के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 646(अ) जो 6 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 और 46 (कृष्णागिरी से अंबूर) पर चार लेन वाले भागों के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 647(अ) जो 6 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजामार्ग संख्या-4 के प्रयोक्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण को अधिसूचित करने के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 648(अ) जो 6 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (होसुर-कृष्णागिरी खंड) पर चार लेन वाले भागों के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(अठाईस) का.आ. 523(अ) जो 7 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (गुंडुगोलानु से बोम्मुरू) पर चार लेन वाले भागों के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 697(अ) जो 24 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के तिरूवल्लुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लोक प्रयोजनार्थ हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तीस) का.आ. 748(अ) जो 1 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1012 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकत्तीस) का.आ. 749(अ) जो 1 जून, 2005 के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 (लखनऊ-उत्तर प्रदेश/बिहार-सीमा खंड) के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 750(अ) जो 1 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य के बाराबंकी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ-उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा) के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 752(अ) जो 1 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर दिनाजपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 815(अ) जो 13 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बेलगांव से महाराष्ट्र सीमा) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 851(अ) जो 17 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 1121 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छत्तीस) का.आ. 852(अ) जो 17 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-25 के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 853(अ) जो 17 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-25 और 76 के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 857(अ) जो 17 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 368(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतालीस) का.आ. 946(अ) जो 5 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य के फैजाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ से उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा) के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 947(अ) जो 5 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ से उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा खंड) के निर्माण (चौड़ा करना) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. 948(अ) जो 5 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 पर गोरखपुर बाईपास के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 949(अ) जो 5 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 (लखनऊ से उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा) के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ. 951(अ) जो 5 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (नागपुर-हैदराबाद खंड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बार में है।

(चौवालीस) का.आ. 976(अ) जो 11 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के खुर्दा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5

के निर्माण (चौड़ा करने), जिसमें बाईपास (विशाखापट्टन-भुवनेश्वर खंड) का निर्माण शामिल है, के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 983(अ) जो 12 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम् जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियालीस) का.आ. 984(अ) जो 12 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ. 985(अ) जो 12 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के त्रिवल्लुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) के निर्माण (चार लेने वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. 698(अ) जो 24 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम् जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-45 (ताम्ब्रम-टिन्डीवनम् खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्चास) का.आ. 699(अ) जो 24 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम् जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-45 (चेंगलपट्टू-टिन्डीवनम् खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का.आ. 700(अ) जो 24 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 फरवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 78 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्यावन) का.आ. 706(अ) जो 25 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-25 के निर्माण के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बावन) का.आ. 735(अ) जो 30 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के बेल्लौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (चेन्नई-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरपन) का.आ. 742(अ) जो 31 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1097(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौवन) का.आ. 743(अ) जो 31 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1-ए (जालंधर-पठानकोट खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचपन) का.आ. 751(अ) जो 1 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 अक्टूबर, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1206 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छप्पन) का.आ. 892(अ) जो 28 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-14 और 76 के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तावन) का.आ. 893(अ) जो 28 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76 के निर्माण के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठावन) का.आ. 894(अ) और का.आ. 895(अ) जो 28 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ थे तथा जो राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76 के विभिन्न भागों पर

निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनसठ) का.आ. 898(अ) जो 29 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-45 (टिंडीवनम-विल्लुपुरम-तिरूचिरापल्ली खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(साठ) का.आ. 899(अ) जो 29 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (मनसर-नागपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के बार में है।

(इकसठ) का.आ. 1096(अ) जो 4 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पहले जारी सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए सभी राज्य सरकारों को राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपे जाने के बारे में है।

(बासठ) का.आ. 1059(अ) जो 27 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 पर छोटे पुलों के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के लिए सब-डिविजनल अधिकारी, संगमनेर, डिवीजन, संगमनेर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(तिरसठ) का.आ. 1060(अ) जो 27 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6 पर पिंगलिया नदी (नागपुर-ईदलाबाद सड़क खंड) पर बने पुल के प्रयोक्ताओं से, उसमें विनिर्दिष्ट दरों पर यांत्रिक वाहनों पर शुल्क के संग्रहण और प्रतिधारण के लिए मैसर्स बीएचसीपीएल-एडीसीसी पिंगालई इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अथवा इसके विधिक प्रतिनिधि को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(चौंसठ) का.आ. 858(अ) जो 17 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 2 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या का.आ. 539(अ) में कतिपय संशोधन किए जाने के बारे में है।

(पैंसठ) का.आ. 859(अ) जो 17 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के तिरूवल्लूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियासठ) का.आ. 860(अ) जो 17 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के कृष्णागिरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-46 (कृष्णागिरी-रानीपेट संख्या) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सड़सठ) का.आ. 872(अ) जो 22 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76 के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़सठ) का.आ. 875(अ) जो 22 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य के बूंदी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76 के निर्माण के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनहत्तर) का.आ. 875(अ) जो 22 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो राजस्थान राज्य के बूंदी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76 के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तर) का.आ. 891(अ) जो 28 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के तिरूचिरापल्ली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (तिरूचिरापल्ली-विरालीमलई-मदुरई खंड) के निर्माण के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकहत्तर) का.आ. 988(अ) जो 12 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड) के निर्माण तथा चौड़ा करने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बहत्तर) का.आ. 986(अ) जो 13 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिहत्तर) का.आ. 992(अ) जो 13 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1118 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौहत्तर) का.आ. 995(अ) जो 13 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1119(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचहत्तर) का.आ. 998(अ) जो 13 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1116(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छिहत्तर) का.आ. 1008(अ) जो 4 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 और 76 के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तहत्तर) का.आ. 1009(अ) जो 4 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में राष्ट्रीय राजामर्ग संख्या-76 के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठहत्तर) का.आ. 965(अ) जो 8 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 मई, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 382(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक से चौदह और इक्कीस से अट्ठाईस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले आठ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2750/2005)

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 854(अ) जो 17 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में, प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (पानागढ़ से कोलकाता) के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दो) का.आ. 1097(अ) जो 4 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क, 3, 4, 6, 11, 34 और 58 के विभिन्न खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2751/2005)

(4) केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय मोटर वाहन (चौथा संशोधन) नियम, 2005 जो 1 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 349(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2752/2005)

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2753/2005)

(3) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2001-02 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेली संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2754/2005)

(5) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2755/2005)

(7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2756/2005)

(दो) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2757/2005)

(तीन) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2758/2005)

(चार) इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2759/2005)

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमाणिक्कम): महोदय, मैं राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2005-2006 के पहली तिमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियां और व्यय के रुझानों की त्रैमासिक समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2760/2005)

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 23 अगस्त, 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2005 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं 23 अगस्त, 2005 को राज्य सभा द्वारा यथा पारित भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2005 भी सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02$^{1}/_{2}$ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 23 अगस्त, 2005 को सभा में प्रस्तुत अपने चौथे

प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के समक्ष उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए:

1. श्री बसन गौड़ा आर. पाटिल	25.2.2005 से 22.3.2005 तक
2. श्री पी. के. वासुदेवन नायर	25.2.2005 से 24.3.2005 तक
3. श्री अतीक अहमद	25.2.2005 से 24.3.2005 तक और 19.4.2005 से 13.5.2005 तक

क्या सभा, समिति द्वारा यथा संस्तुत अनुमति प्रदान करेगी?

अनेक माननीय सदस्य: ठीक है।

अध्यक्ष महोदय: अनुमति दी जाती है। तद्नुरूप सदस्यों को सूचित किया जाएगा।

अपराह्न 12.02$^{3}/_{4}$ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

लोक लेखा समिति

विवरण

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) ''सीमा शुल्क प्राप्तियां-अंतिम प्रयोक्त का गैर-सत्यापन'' के बारे में लोक लेखा समिति (10वीं लोक सभा) का 56वां प्रतिवेदन।

(2) ''स्वीकृति अनुदानों से अधिक और प्रभारित विनियोग (1992-1993)'' के बारे में लोक लेखा समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) का 19वां प्रतिवेदन तथा लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के 60वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही।

(3) ''संघ उत्पाद शुल्क-अनन्तिम आकलन'' के बारे में लोक लेखा समिति (12वीं लोक सभा) का 10वां प्रतिवेदन।

(4) ''1993-94 के लिए संघ सरकार के विनियोग लेखे'' के बारे में लोक लेखा समिति (13वीं लोक सभा) का 11वां प्रतिवेदन।

(5) ''निम्न वर्गीकरण के परिणामस्वरूप 352.30 लाख रुपए की हानि ''के बारे में लोक लेखा समिति (13वीं लोक सभा) का 43वां प्रतिवेदन।

(6) ''स्वीकृत अनुदानों से अधिक और प्रभारित विनियोग (1995-1996) और (1998-99)'' के बारे में लोक लेखा समिति (13वीं लोक सभा) का 45वां प्रतिवेदन।

(7) ''एसयू 30 विमान का अधिग्रहण'' के बारे में लोक लेखा समिति (13वीं लोक सभा) का 59वां प्रतिवेदन।

(8) ''फ्रैंकफर्ट में भारत के वाणिज्यिक दूतावास के लिए निवास की खरीद'' के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) का दूसरा प्रतिवेदन।

(9) ''उच्च क्षमता वाली डीजल पावर ब्रेक डाउन क्रेनों का परिहार्य आयात'' के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) का तीसरा प्रतिवेदन।

(10) ''मांगों का गैर-अधिनिर्णय तथा पुष्ट मांगों की वसूली में अनावश्यक विलंब'' के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा का 5वां प्रतिवेदन)।

अपराह्न 12.03$^{1}/_{4}$ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

पांचवां और छठा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति प्रस्तुत करता हूं:

(1) ''सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित आदेशों की

जांच के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 16वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही'' के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) से संबंधित समिति की तत्संबंधी बैठक के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सहित समिति का 5वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण); और

(2) ''राजस्थान में समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं का कार्यकरण'' के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 23वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही'' के बारे में जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित समिति की तत्संबंधी बैठक के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सहित समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.03½ बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री सुरेश कलमाडी (पुणे): वर्ष 2003-2004 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.03¾ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं ''वैगनों की खरीद'' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (2005-2006) का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

एक सौ छियासठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती पी. सतीदेवी (बड़ागरा): मैं जेंडर बजट विश्लेषण के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 153वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 166वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न 12.04¼ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के इक्यासीवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप दोनों विवरण सभा पटल पर रख सकते हैं।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, मैं सभा पटल पर विवरण रखता हूं।

* मैं लोक सभा में कार्य प्रक्रिया और संचालन संबंधी नियम (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 389 और 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन-भाग-2 के तहत जारी निर्देश 73ए के अनुसरण में परिवहन, पर्यटन, संस्कृति संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति की 8वीं रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वित की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग की वर्ष 2004-05 की अनुदान मांगों पर विचार करने के लिए परिवहन, पर्यटन, संस्कृति संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति की दिनांक 12 अगस्त, 2004 को बैठक हुई थी।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2761/2005

समिति ने मंत्रालय के अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य भी लिया था। इस समिति ने उद्देश्यों, लक्ष्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में मंत्रालय की अनुदान मांगों का विश्लेषण किया था और पोत परिवहन, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग की अनुदान मांग (2004-05) (मांग संख्या 86) के संबंध में अपनी 81वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। (यह रिपोर्ट दिनांक 26.8.2004 को राज्य सभा और दिनांक 26.8.2004 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी)।

महोदय, स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुल 16 सिफारिशें की थी। इन 16 सिफारिशों में से 11 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और अन्य 5 सिफारिशों से संबंधित स्थिति विवरण में स्पष्ट की गई हैं। समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट राज्य सभा सचिवालय को दिनांक 1.12.2004 के का.ज्ञा. सं. जी-20017/9/2004 के तहत भेज दी गई है।

मैं प्रत्येक सिफारिश के कार्यान्वयन की स्थिति स्पष्ट करते हुए सदन के पटल पर एक विवरण भी प्रस्तुत कर रहा हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

(दो) परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के बयासीवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): मैं सभा पटल पर विवरण रखता हूं।

*मैं लोक सभा में कार्य प्रक्रिया और संचालन नियमावली (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 389 और 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन-भाग 2 के तहत जारी निर्देश 73ए के अनुसरण में परिवहन, पर्यटन, संस्कृति संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति की 82वीं रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग की वर्ष 2004-2005 की अनुदान मांगों पर विचार करने के लिए परिवहन, पर्यटन, संस्कृति संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति की दिनांक 3 अगस्त, 2004 को बैठक हुई थी। समिति ने मंत्रालय के अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य भी लिया था। इस समिति ने उद्देश्यों, लक्ष्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में मंत्रालय की अनुदान मांगों का विश्लेषण किया था और पोत परिवहन, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग की अनुदान मांग (2004-05) (मांग सं. 79) के संबंध में अपनी 82वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। (यह रिपोर्ट दिनांक 26.8.2004 को राज्य सभा में और दिनांक 26.8.2004 को लोक सभा के सभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी)।

महोदय, स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुल 15 सिफारिशें की थी। इन 15 सिफारिशों में से 12 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और अन्य 3 सिफारिशों से संबंधित स्थिति विवरण में स्पष्ट की गई हैं। समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट राज्य सभा सचिवालय को दिनांक 22.12.2004 के का.ज्ञा. सं. जी 11011/9/2004 के तहत भेज दी गई है।

मैं प्रत्येक सिफारिश के कार्यान्वयन की स्थिति स्पष्ट करते हुए सदन के पटल पर एक विवरण भी प्रस्तुत कर रहा हूं।

अपराह्न 12.04¾ बजे

(तीन) कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के दूसरे और पांचवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

अध्यक्ष महोदय: आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

*महोदय, उड़ीसा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार उड़ीसा सरकार और मै. पोस्को आफ दि रिपब्लिक आफ कोरिया के बीच 22 जून, 2003 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कोरियन कंपनी (क) इस्पात निर्माण, (ख) एकीकृत इस्पात संयंत्र और संबंधित परियोजनाओं के लिए आवश्यक बुनियादी संरचना, तथा (ग) लौह अयस्क एवं अन्य अयस्कों के खनन से संबंधित क्षेत्रों में उड़ीसा में निवेश करने के लिए एक भारतीय कंपनी स्थापित करेगी। समझौता ज्ञापन में प्रस्तावित निवेश लगभग 12 बिलियन यू.एस. डॉलर अथवा 51,000 करोड़ रुपए (अनुमानित होगा)।

2. इस परियोजना के फलस्वरूप इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास होगा। पोस्को खान स्थल से पोर्ट पर एक माइनर पोर्ट और/अथवा एक बर्थ का निर्माण करने का भी विकल्प है। कंपनी

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2762/2005

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2763/2005

[श्री शीश राम ओला]

को जल आपूर्ति, हाउसिंग और विद्युत आपूर्ति सहित टाउनशिप विकसित करने के लिए लागत पर भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी।

3. समझौता ज्ञापन से यह स्पष्ट होता है कि 12 मिलियन टन प्रतिवर्ष की प्रस्तावित इस्पात परियोजना की जरूरत को पूरा करने के लिए कंपनी को 62 प्रतिशत औसत लौह तत्व युक्त लगभग 600 मिलियन टन लौह अयस्क की जरूरत होगी। कंपनी पारादीप परियोजना में बेहतर गुणवत्ता का इस्पात उत्पादन करने और ऊर्जा संरक्षित करने के लिए उच्च एल्युमिना तत्व वाले लौह अयस्क का निर्यात कर ऐसे लौह अयस्क की उतनी ही मात्रा, (जो पारादीप संयंत्र की वार्षिक कुल आवश्यकता के 30 प्रतिशत से अधिक न हो) आयात कर सकती है, जिसमें मिश्रण के लिए समान या बेहतर लौह तत्व और निम्न एल्युमिना तत्व वाला लौह अयस्क हो। समझौता ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऊपर उल्लिखित सीमा के भीतर और उच्च ग्रेड ओर की समान मात्रा के आयात के माध्यम से पूर्णत: बदली करने के सिवाय कैप्टिव खान से लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति नहीं होगी। उड़ीसा सरकार, कंपनी द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुसरण करने और अपेक्षित मानदण्डों को पूरा करने पर उसे 600 मिलियन टन लौह अयस्क के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे प्रदान करने पर सहमत हो गई है।

4. सभी खनिज रियायतें अर्थात खनन पट्टा पूर्वेक्षण लाइसेंस, टोही परमिट राज्य सरकारों द्वारा दिए जाते हैं। खान मंत्रालय, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5 (1) के अंतर्गत अनुसूचित खनिजों के संबंध में पूर्व अनुमोदन प्रदान करता है। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा खनिज रियायतें दी जाती हैं। लौह अयस्क एक अनुसूचित खनिज होने के कारण इसके लिए भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा। तथापि, खान मंत्रालय को उड़ीसा राज्य सरकार से मै. पोस्को को पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टा मंजूर करने के लिए प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

5. जब राज्य सरकार से विधिवत अग्रेषित आवेदन प्राप्त होगा, खान मंत्रालय विधि अनुसार और संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करने के बाद प्रस्ताव की विस्तार से जांच करेगा। माननीय संसद सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों पर, मामले की जांच के समय यथोचित ध्यान दिया जाएगा।

अपराह्न 12.05 बजे

(चार) ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के पहले और तीसरे प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): महोदय, मैं सभा पटल पर विवरण रखता हूं।

*मैं लोक सभा बुलेटिन भाग-2 दिनांक 1 सितंबर, 2004 द्वारा लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निर्देश 73ए के अनुसरण में ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थाई समिति की प्रथम, तृतीय और पंचम रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति के बारे में वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं।

ऊर्जा संबंधी स्थाई समिति (14वीं लोक सभा) की प्रथम, तृतीय और पंचम रिपोर्ट लोक सभा में क्रमश: 19.8.2004, 2.3.2004, और 21.4.2005 को प्रस्तुत की गई थी। प्रथम और तृतीय रिपोर्ट वर्ष 2004-05 हेतु विद्युत मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच से संबंधित हैं तथा पंचम रिपोर्ट वर्ष 2005-06 हेतु विद्युत मंत्रालय की अनुदान मांगों से संबंधित है।

समिति की रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों/टिप्पणियों संबंधी की गई कार्रवाई का विवरण ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति को क्रमश: 17.1.2005, 27.7.2005 और 5.8.2005 को भेज दिया गया था।

पहली रिपोर्ट में समिति द्वारा 24 सिफारिशें की गई थी, जिसमें से 22 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई थीं।

तीसरी रिपोर्ट में 12 सिफारिशें थीं। सरकार ने सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

पंचम रिपोर्ट में सभी 30 सिफारिशों को भी सरकार द्वारा पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है।

उक्त रिपोर्टों में समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति को मेरे विवरण, जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है, के अनुबंध में दर्शाया गया है। मैं इस अनुबंध की विषय वस्तु को पढ़ने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। अतएव अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2764/2005

विद्युत मंत्रालय की ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की प्रथम रिपोर्ट में शामिल सुझावों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को दर्शाता हुआ विवरण

सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई	सरकार ने स्वीकार किया है या नहीं	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
2.10	2002-03 और 2003-04 में योजना आवंटन के गैर-उपयोग की पुनरावृत्ति से बचने के लिए व्यापक मॉनीटरिंग	विद्युत मंत्रालय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में व्यापक आवधिक मॉनीटरिंग प्रणाली शुरू की गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गेस मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय के साथ भी अंत:मंत्रालयीन समन्वय स्थापित किया गया है।	जी हां	
2.11	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय का एकत्रीकरण	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में 33% से कम के बजट उपयोग के संबंध में वित्त मंत्रालय के निर्देश का सख्ती से अनुसरण करने के लिए सभी संबंधितों को एक परिपत्र पहले ही जारी किया जा चुका है।	जी हां	
2.12	परियोजना की स्वीकृति हेतु विद्युत मंत्रालय को अधिक शक्ति प्रत्यायोजन।	परियोजना निवेश निर्णय प्रक्रिया में सुधारों के लिए वैकल्पिक प्रतिपादन पर विचार करने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 5.4.2005 को मंत्रियों के समूह का गठन किया गया था। मंत्रियों के समूह की सिफारिशें सरकार द्वारा विचाराधीन है। मंत्रियों के समूह ने योजना पर पहले से ही विचार कर लिया है और उनकी सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।	जी हां	यह मामला विद्युत मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। किंतु विद्युत मंत्रालय शक्तियों के संवर्धित अधिकार प्रत्यायोजन पर सहमत है।
2.22	10वीं योजना में क्षमता अभिवृद्धि हेतु लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम पिछले दो परियोजनाओं में खराब कार्यनिष्पादन के पृष्ठपट में मिले हैं।	वर्तमान में, 41,110 मेगावाट के लक्ष्य का 26.7% शुरू हो गया है, लक्ष्य का 58.8% निष्पादनाधीन है और 1815 मेगावाट के मूल्य की परियोजनाएं ठेका प्रदान किए जाने के स्तर पर हैं। 36926 मेगावाट की क्षमता, जो कि लक्ष्य का 89.8% है को 10वीं योजना के दौरान शुरू किए जाने की संभावना है। 10वीं योजना की चालू परियोजना के संबंध में व्यापक मॉनीटरिंग की जा रही है और एक मासिक अपवाद रिपोर्ट सुधारात्मक कदम उठाने के लिए तैयार की जा रही है।	जी हां	

1	2	3	4	5
2.34	निधियों की कमी के कारण कोई ऊर्जा योजना नहीं रुकी हुई है क्योंकि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है।	सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) स्थापित किया है और अच्छी संभाव्य रिटर्न प्राप्त करने के लिए निवेश हेतु प्राधिकरण को एकमुश्त कॉरपस निधि के रूप में 50 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी। अत: अपने चालू कार्यक्रम के लिए बीईई के पास निधियों की कोई कमी नहीं है। अत: कोई योजना प्रभावित नहीं हुई है।	जी हां	
2.35	समिति ने पुनरावर्ती लाभों के ब्योरों को जानने की इच्छा प्रकट की, जो ऊर्जा संरक्षण पद्धतियों पर एकमुश्त निवेश के कारण उद्योगों को प्राप्त होने चाहिए।	ऊर्जा दक्षता सुधार परियोजना पर प्राप्त ऊर्जा बचतें और किया गया निवेश केवल प्रथम वर्ष की ऊर्जा बचतों को ही दर्शाता है और ये बचतें पुनरावर्ती ऊर्जा बचतों के रूप में पश्चातवर्ती वर्षों में शामिल नहीं की गई है। उद्योग में दूसरे और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए ऊर्जा बचतों के ऊर्जा बचत उपकरणों की टूट-फूट के कारण कम होने की संभावना है। आर्थिक रूप में ऊर्जा बचत प्राप्ति ठेका योजना (1999-2003) के लिए 4810 करोड़ रुपये थी।	जी हां	
2.36	सरकार के ऊर्जा दक्षता उपायों के संबंध में सार्वजनिक जागरूकता की आवश्यकता और इस उद्देश्य हेतु दीर्घावधिक/लघु अवधि लक्ष्य निर्धारित किए जाएं।	सरकार ने बच्चों पर विशेष बल देते हुए ऊर्जा दक्षता के प्रचार को शुरू करने का निर्णय लिया है। ऊर्जा संरक्षण 2005 पर राष्ट्रीय प्रचार ऊर्जा संरक्षण दिवस अर्थात 14 दिसंबर, 2004 को शुरू किया गया था। घरेलू, वाणिज्यिक, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र और सरकारी भवन, पीएसयू और शैक्षिक संस्थान आदि राष्ट्रीय अभियान के लक्ष्य हैं।	हां	
2.37	ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकों के तीव्र प्रवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन।	ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के बारे में जागरूकता बीईई की कार्यवाहक योजना को शुरू करने के साथ शुरू हुई थी जो कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के बारे में ब्योरे उपलब्ध कराती है। बीईई ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बहुत से राष्ट्रीय स्तर के सेमिनारों में भाग लिया है और प्रतिनिधित्व किया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम बीईई की वेबसाइट	जी हां	

1	2	3	4	5
		(www.beeindia.com) पर भी डाल दिया गया था। आयकर अधिनियम के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए त्वरित ह्रास उपलब्ध है।		
2.54	सभी चिन्हित संभावित यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर शुरू किया जाए। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण प्रगति की मॉनीटर कर रहा है। निजी क्षेत्र की संक्षिप्तता और पारेषण लाईन के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य भी शुरू किया जाएगा।	636 नवीकरण एवं आधुनिकीकरण गतिविधियों को 9वीं योजना की पूरी अवधि के दौरान पूरा किए जाने का कार्यक्रम था। इसमें से 9वीं योजना के दौरान केवल 434 गतिविधियां पूरी की गयी थीं और शेष 10वीं योजना के लिए छोड़ दी गई थी। विद्युत मंत्रालय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण सभी चिन्हित नवीकरण एवं आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार परियोजनाओं का यूटिलिटियों के साथ अनुसरण कर रहा है।	जी हां	
2.66	एपीडीआरपी योजना के साथ-साथ 100% मीटरिंग की योजना को तेज करने के लिए कठोर कदम उठाए जायेंगे।	वितरण सुधारों के अंतर्गत 100% उपभोक्ता मीटरिंग प्राप्त करने पर विशेष बल दिया गया है। विद्युत मंत्रालय राज्यों द्वारा की गई प्रगति की नियमित रूप से मॉनीटर कर रहा है। इसके अतिरिक्त, एपीडीआरपी के अंतर्गत सहायता विभिन्न पैरामीटरों की तुलना में की गई प्रगति के आधार पर राज्यों को प्रदान की जाएगी जिसमें उपभोक्ता मीटरिंग की प्रगति भी शामिल है।	जी हां	
2.67	शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल की स्थापना 3 महीनों के भीतर सभी राज्यों में की जाए।	सभी राज्यों से, विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार निपटारा फोरम स्थापित करने और वितरण कंपनियों में लोकपाल की नियुक्ति के लिए कहा गया है।	जी हां	
2.68	सभी राज्यों में एपीडीआरपी को सफल बनाने हेतु उसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।	एपीडीआरपी निधियां जारी करने की शर्तों के अनुसार भारत सरकार ने निधियां तीन किस्तों में जारी की है 25% की पहली किस्त का अग्रिम भुगतान परियोजना की मंजूरी पर जारी की जाती है। अगली किस्त समनुरूपी निधि की बराबर राशि के साथ सरकार की निधि के उपयोग के पश्चात् जारी की जाएगी। मंत्रालय क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यवहार्यता लाने के लिए कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु	जी हां	

1	2	3	4	5
		एपीडीआरपी को तीव्रता से कार्यान्वित करने के लिए सभी राज्यों से अनुरोध कर रहा है।		
2.82	राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम की परिकल्पनानुसार आगामी पांच वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण पूरा करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु एक विस्तृत कार्य योजना का प्रतिपादन।	''ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं गृह विद्युतीकरण'' की एक नई योजना राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम की परिकल्पनानुसार अगले पांच वर्षों के सभी ग्रामीण घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना में पांच वर्षों में 16,000 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है और इसमें 90% पूंजी सब्सिडी का प्रावधान भी है।	जी हां	
2.83	कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत निर्दिष्ट निधियां बिना किसी कमी के विस्तारित की जानी चाहिए।	वर्ष 2003-2004 के लिए आरई योजना की प्रगति की स्थिति नीचे दी गई है- (1) विद्युत यूटिलिटियों द्वारा 60.44 करोड़ रुपये का कुटीर ज्योति अनुदान प्राप्त किया गया था और उन्होंने वर्ष के दौरान 5.09 लाख कनैक्शन जारी किए हैं। (2) गांव, दलित बस्ती, हैमलेट, तीव्र विद्युतीकरण एवं पंपसेट ऊर्जीकरण, प्रणाली सुधार, एपीडीआरपी, विद्युत उत्पादन सहित अन्य योजनाओं के लिए 5956 करोड़ रुपये की राशि सांवितरित की गई थी।	जी हां	
2.84	राज्यों को गांवों के विद्युतीकरण के लिए नई परिभाषा के आधार पर अपने आंकड़ों को नवीनतम करने और प्राथमिक आधार पर गैर-विद्युतीकृत गांवों को चिन्हित करने हेतु नवीन सर्वेक्षण करने का परामर्श दिया जाना चाहिए।	विद्युत मंत्रालय ने निर्दिष्ट फॉरमेट में नई परिभाषा के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण आंकड़ों के एकत्रीकरण हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्राधिकारियों को निदेश दिया है और इस वर्ष के लिए 15.12.2004 तक और बाद में प्रत्येक वर्ष 15 मई तक भेजने का भी निदेश दिया है।	जी हां	
2.85	तीव्रतर ग्रामीण विद्युतीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(5) के अंतर्गत जिला विद्युत समितियों का गठन करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करना।	राज्यों से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(5) के अंतर्गत जिला विद्युत समितियां गठित करने का अनुरोध किया गया है।	जी हां	

1	2	3	4	5
2.94	नई राष्ट्रीय नीति, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नीतियां और टैरिफ नीति तैयार करने तथा अधिसूचना जारी करने के बारे में स्थिति।	सरकार द्वारा फरवरी, 2005 में राष्ट्रीय विद्युत नीति की घोषणा की गई है, जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 में पांच वर्षों के भीतर सभी घरों में विद्युत उपलब्ध करा देने तथा 2012 तक विद्युत मांग को पूरा करने की सरकार के संकल्प की परिकल्पना की गई है।	जी हां	अन्य दो नीतियां, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नीति तथा टैरिफ नीति तैयार की जा रही है।
2.95	राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार संवितरण लाइसेंसीं की सब्सिडी भुगतान की मॉडलटीज पर स्पष्टीकरण देना।	विद्युत अधिनियम की धारा 65 के तहत राज्य सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली सब्सिडी राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के निर्देशानुसार होनी चाहिए।	जी हां	
2.102	नीपको की प्रयोग न गई निधि का गैर-व्यपगत पूल में स्थानांतरण की संभावना यदि बजटीय राशियों को खर्च करने के प्रयास सफल नहीं होते।	मंत्रालय द्वारा खर्च न की गई निधि को गैर-व्यपगत पूल में स्थानांतरण के संबंध में यह वर्णित किया गया है कि विद्युत मंत्रालय योजना बजट का अनिवार्य 10% से अधिक बहाल कर रहा है। अत: व्यपगत पूल में योजना निधि के स्थानांतरण का प्रश्न ही नहीं उठता।	जी हां	
2.117	2009 तक राष्ट्रीय पावरग्रिड का विकास	सुदृढ़ राष्ट्रीय पावरग्रिड के विकास के लिए क्षेत्रीय ग्रिडों का समेकन एक अनवरत प्रक्रिया है, वर्ष 2011-12 तक 30,000 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता के साथ राष्ट्रीय पावरग्रिड वाली वर्तमान योजना में पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों से विद्युत कमी वाले उत्तरी, पश्चिमी एवं दक्षिण क्षेत्रों में विद्युत अंतरण करने की आयोजना की गई है। राष्ट्रीय ग्रिड के कार्यान्वयन के मार्ग में तेजी लाने तथा 2011-12 के पूर्व 30,000 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय विद्युत पारेषण क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करना मुख्यत: संबद्ध उत्पादन परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा।	जी हां	
2.118	पारेषण एवं संवितरण हानियों को कम करने के लिए एपीडीआरपी योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाना।	पारेषण एवं संवितरण तथा वाणिज्यिक हानियों को कम करने के विचार से मंत्रालय एपीडीआरपी योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करके राजस्व संग्रहण में वृद्धि करके तथा उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार लाकर कुल तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों को कम करने के	जी हां	

1	2	3	4	5
		उद्देश्य से देश में उप पारेषण के उन्नयन तथा सुदृढ़ीकरण हेतु फण्ड अतिरिक्त केन्द्रीय योजनागत सहायता के बतौर राज्य विद्युत बोर्डों को दिए जा रहे हैं। अब तक 29 राज्यों में 499 परियोजनाओं को वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान 17619.07 करोड़ रुपये की राशि के साथ मंजूरी प्रदान की गई है।		
2.119	पारेषण परियोजनाओं संबंधी संचार योजना में निवेश से पावरग्रिड द्वारा किए गए लाभ को वापस लगाना।	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) द्वारा बैकबोन टेलीकॉम नेटवर्क की स्थापना हेतु प्रस्ताव 934.23 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मार्च, 2003 में अनुमोदित की गई थी। मार्च, 2003 में निवेश अनुमोदन प्रदान करने के बाद विभिन्न मेट्रो तथा बड़े शहरों पूर्वोत्तर राज्यों के शहरों, जम्मू आदि को जोड़ने वाला अधिकांश नेटवर्क सितंबर-दिसंबर, 2004 के बीच जोड़ दिए गए हैं। बाजार विश्लेषण, प्रतिस्पर्धा, प्रचलित टैरिफ आदि के आधार पर पीजीसीआईएल को उम्मीद है कि लक्षित बाजार अंश को वर्ष 2008-09 तक प्राप्त कर लिया जाएगा तथा उसके बाद इसकी स्थापना की जाएगी। पीजीसीआईएल के अनुमानों के अनुसार राजस्व प्रारंभिक वर्ष के 2 करोड़ रुपये से बढ़कर 10वें वर्ष तक 556 करोड़ रुपये हो जाएगा।	जी हां	
2.126	समिति ने बजट स्तर पर ही बजट तैयार करने के बारे में डीवीसी की विद्यमान प्रणाली की समीक्षा करना चाहा ताकि वर्ष 2003-2004 में बजट की तुलना में कम व्यय के मद्देनजर लक्ष्य के संदर्भ में इसे वास्तविक रूप दिया जा सके।	बजट अनुमान 2003-04 में प्रक्षेपित योजना पूंजी व्यय 599.26 करोड़ रुपये था जबकि इसकी तुलना में बजट अनुमान 2003-04 में यह 1450 करोड़ रुपये था। मेजिया टीपीएस विस्तार यूनिट 5 व 6 परियोजना हेतु ठेका कीमत को आंतिम रूप प्रदान करने में विलंब होने के कारण वास्तविक व्यय केवल 316.51 करोड़ रुपये हुआ था। इसके अतिरिक्त बीएसईएस संयुक्त उद्यम साझेदार के हट जाने के कारण मैथान पावर लि. हेतु प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका। संचार स्कीमों के मामले में आबंटित व्यय का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि एचवी लाईन कार्यक्रम,	जी हां	

1	2	3	4	5
		यूएलडीसी परियोजना को चालू करने के पुनर्कार्यक्रम के अनुरूप पीएलसीसी उपस्कर को प्राप्त करने का समय कार्यक्रम आस्थगित किया गया था।		
2.127	डीवीसी को आर एंड एम संबंधी कार्य समयबद्ध तरीके में करना चाहिए।	लागत और क्षेत्र को अंतिम रूप प्रदान करने के संबंध में की जाने वाली तैयारी में हुई धीमी प्रगति के कारण जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी विशिष्टियों और बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप प्रदान करने में विलंब हुआ है के कारण 10वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान अपेक्षाकृत कम धनराशि का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त के मद्देनजर अधिकतर आर एड एम कार्यों को 2005-06 के दौरान सुपुर्द किए जाने की प्रत्याशा है और वर्ष 2005-06 के लिए आर एंड एम स्कीमों हेतु बजट अनुमान स्तर पर 202.38 करोड़ रुपये का आवंटन अनुमोदित किया गया है।	जी हां	

विद्युत मंत्रालय की ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की तीसरी रिपोर्ट में निहित सुझावों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को दर्शाता हुआ विवरण

सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार ने स्वीकार किया है या नहीं	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
10	समिति कई वर्षों में बजटीय राशि के कम उपयोग से चिंतित है। समिति को आशा है कि मानीटरिंग कार्यविधि के सही एवं समय पर कार्यान्वयन से मंत्रालय निधियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित कर सकेगा।	15630.32 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना में से वर्ष 2004-05 के दौरान 12947.57 करोड़ रुपये का उपयोग हुआ, जो बजट अनुमान का 82.84% और 2004-05 में निर्धारित संशोधन अनुमानित 14041.06 करोड़ रुपये का 92.21% बैठता है। पूर्व वर्षों की तुलना में प्रतिशत उपयोग 73% और 2002-03 में 64% था। यह मंत्रालय की लगातार निगरानी कार्यविधि का परिणाम है।	जी हां	
13	परियोजनाओं की स्वीकृति एवं विद्युत निवेश आयोग सृजन के निमित्त विद्युत मंत्रालय के अधिकार में बढ़ोत्तरी की गई।	परियोजना निवेश निर्णय प्रक्रिया में सुधार हेतु वैकल्पिक तैयारी पर विचार के लिए वित्तमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 5.4.2005 को एक मंत्रिदल का गठन किया गया। मंत्रिमंडल की सिफारिशें सरकार के पास विचाराधीन हैं।	जी हां	मामला सरकार के विचासधीन है।

1	2	3	4	5
18	समिति ने नोट किया है कि 10वीं योजना के प्रथम 3 वर्षों के दौरान केवल 20.7% विद्युत परियोजनाएं चालू की गई है। 65.30% निर्माणाधीन हैं तथा शेष 14% अनुबंध स्तर पर हैं। समिति यह महसूस करती है कि चालू योजना की शेष अवधि में 10वीं योजना अवधि के दौरान क्षमता संवृद्धि के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार को नए सिरे से पहल करनी होगी ताकि निर्माणाधीन 65.3% परियोजनाओं को पूरा किया जा सके।	इस समय 41110 मे. वा. के लक्ष्य की 26.7% प्राप्त हो गया, 58.8% निष्पादनाधीन है और 1815 मे. वा. की परियोजनाएं अनुबंध स्तर पर है। 36926 मे. वा. क्षमता, जो लक्ष्य का 89.8% है, 10वीं योजना के दौरान प्राप्त होने की आशा है। चालू 10वीं योजना परियोजनाओं के बारे में गहन मानीटरिंग की जा रही है और समुचित उपायों के लिए मासिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है।	जी हां	
21	ऊर्जा संरक्षण स्कीमों के खराब क्रियान्वयन के बारे में ऊर्जा दक्षता एवं इसके संरक्षण पर अल्पावधिक और दीर्घावधिक योजनाएं बनाना।	विद्युत मंत्रालय ने विगत में 13 ऊर्जा संरक्षण स्कीमें जारी की; जिन्हें बाद में मार्च, 2002 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के गठन के बाद बंद कर दिया गया। तथापि ऊर्जा संरक्षण कार्यकलापों पर जोर देने के लिए विद्युत मंत्रालय ने उद्योगों, सरकारी भवनों और सरकारी भवनों में ऊर्जा दक्षता सुधार परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण स्कीमें आरंभ की हैं।	जी हां	
26	विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार स्कीम में विलंब और पारेषण लाइनों एवं उप-केन्द्रों आदि के आर एण्ड एम के बारे में।	10वीं योजनावधि के लिए ताप विद्युत संयंत्रों की पुरानी यूनिटों के आरएण्डएम/जीवन विस्तार कार्यक्रम को राज्य विद्युत बोर्डों/यूटिलिटियों के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया। जीवन विस्तार कार्य पूरा करने के लिए 106 थर्मल यूनिटें अभिज्ञात की गई।	जी हां	
29	एपीडीआरपी स्कीमों को शीघ्र पूरा करना आवश्यक है और सरकार सक्रिय प्रतिभागिता एवं आवश्यक कदम उठाकर इसका शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करे।	सचिव (विद्युत) एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रत्येक राज्य में प्रत्येक परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सघन मॉनिटरिंग तंत्र स्थापित किया गया है। एपीडीआरपी परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए क्रियान्वयन में आनेवाली बाधाओं की पहचान कर इन्हें दूर करने के लिए उचित सुधारकारी उपाय किए जाते हैं।	जी हां	

1	2	3	4	5
32	शिकायत निपटान मंचों के गठन और लोकपाल की नियुक्ति में विलंब के कारण और इस संबंध में की गई कार्रवाई।	दिल्ली और उड़ीसा, जिन्होंने वितरण का निजीकरण कर लिया है, ने उपभोक्ता शिकायत निपटान मंचों का गठन कर लिया है तथा लोकपाल की नियुक्ति कर ली है और शिकायत निपटान मंचों तथा लोकपाल विनियमों को अधिसूचित भी कर दिया है। 16 एसईआरसी ने भी उक्त विनियमों को अधिसूचित कर दिया है। 11 राज्यों में वितरण लाइसेंसी ने उपभोक्ता शिकायत मंच गठित कर लिए हैं। 12 फरवरी, 2005 को अधिसूचित नई राष्ट्रीय विद्युत नीति में एसईआरसी से लाइसेंसियों द्वारा उपभोक्ता शिकायत निपटान मंच गठित करने हेतु छह महीने के भीतर दिशानिर्देश तैयार करने, लोकपाल के संबंध में विनियम तैयार करने और लोकपाल की नियुक्ति/को नामोद्दिष्ट करने को कहा गया है।	जी हां	
35	समिति ने पाया कि नई परिभाषा के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण का आंकड़ा केवल 1 राज्य ने दिया है। अत: समिति ने नई परिभाषा के आधार पर ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में अद्यतन सूचना जाने की इच्छा व्यक्त की।	सरकार ने अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य पांच वर्षों में सभी ग्रामीण घरों को विद्युत उपलब्ध कराना, सभी अविद्युतीकृत गांवों एवं बसावट वाले स्थानों का विद्युतीकरण करना तथा 90% पूंजीगत सब्सिडी के साथ बीपीएल परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन देना है। राज्यों से कहा गया है कि वे नई परिभाषा के अनुसार अविद्युतीकृत गांवों का आंकड़ा प्रस्तुत करें।	जी हां	
38	नई विद्युत नीति के मद्देनजर सरकार को दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक योजना तैयार करना चाहिए और समति ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र एवं टैरिफ पर प्राथमिकता आधार पर नीति तैयार की जाए।	एसईआरसी, सीईआरसी एवं सीईए से टिप्पणी प्राप्त होने के बाद प्रारूप टैरिफ नीति सरकार के विचाराधीन है। ग्रामीण क्षेत्रों पर भी नीति निर्माण अंतिम चरण में है।	जी हां	
39	पिछले वर्षों में डीवीसी द्वारा निधियों के कम उपयोग के कारण समिति ने इच्छा व्यक्त की कि सरकार को डीवीसी द्वारा बजट	डीवीसी की वार्षिक योजना को गतिविधि वार पार्ट चार्ट एवं क्रिटिकल पाथ एनलिसिस के साथ मासिक तिमाही एवं छमाही लक्ष्यों के अनुसार तैयार किया गया है। व्यय एवं चालू	जी हां	

1	2	3	4	5
	निरूपण की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए और इस संबंध में सुधार के लिए उपाय करने चाहिए।	परियोजनाओं की प्रगति की मासिक समीक्षा की विद्युत मंत्रालय द्वारा निगरानी की जा रही है।		
40	डीवीसी को समयबद्ध तरीके से आर एण्ड एम से संबद्ध कार्य करने चाहिए।	डीवीसी आरएण्डएम कार्यक्रम को निम्नानुसार अंतिम रूप प्रदान कर दिया है: - बोकारो "ए" टीपीएस यूनिट # 1, 2 और 3 - फरवरी 08 तक - दुर्गापुर टीपीएस यूनिट # 3 - जुलाई, 07 तक - चन्द्रपुरा टीपीएस यूनिट # 1 से 3 -दिसम्बर, 07 तक - मैथन एचपीएस यूनिट # 1, 2 और 3 -मई, 2010 तक - पंचेट एचपीएस यूनिट # 1 -सितम्बर, 2008 तक	जी हां	
43	मंत्रालय प्रशासनिक विलंब से बचने के लिए प्रत्येक परियोजना की समीक्षा के उपाय करे।	डीवीसी संबंधी विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठक (क्यूपीआरएम) और परियोजनाओं की समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए समय सारणी के पालन हेतु सुझाव/निदेश देना। डीवीसी को यह सलाह भी दी गई है कि वह परियोजनाओं की समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने से विरत सभी सरकारी कार्मिकों की जिम्मेवारी तय करे।	जी हां	

विद्युत मंत्रालय की ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की पंचम रिपोर्ट में शामिल सुझावों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को दर्शाता हुआ विवरण

पैरा संख्या	सिफारिशें	सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई	सरकार ने स्वीकार किया है या नहीं	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
2.11	जनवरी माह तक व्यय केवल 73% है। विद्युत मंत्रालय किस प्रकार शेष माह के व्यय की पूर्ति करेगी। विद्युत मंत्रालय को भी उपयोगिता में असंतुलन को रोकना चाहिए	वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान विद्युत मंत्रालय द्वारा कुल व्यय का 86.93% उपयोगिता दर्शाई गई है जबकि 2003-04 के दौरान यह 73.23% थी। इस प्रकार यह उल्लेख किया जाता है कि 2004-05 की अंतिम तिमाही में	जी हां	

1	2	3	4	5
		कुल बजटीय सहायता, 3600 करोड़ की कुल बजटीय सहायता परिव्यय का 33%, वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार है। यह भी उल्लेख किया जाता है कि अंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय स्रोतों पर कोई प्रतिबंध नहीं था, अत: गत वर्ष की अंतिम तिमाही की तुलना में आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय स्रोत (आईईबीआर) की स्थिति काफी अच्छी थी। हालांकि, समिति की टिप्पणी को नोट कर लिया गया है तथा व्यय के समुचित रूप से उपयोग हेतु सभी संबंधितों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।		
2.12	मंत्रालय द्वारा वास्तविक योजना तैयार की जानी चाहिए जिससे कि कुल बजट का समुचित उपयोग किया जा सके। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की है कि विभिन्न योजनाओं के लिए लक्ष्य तथा वास्तविक उपलब्धियों एवं कमी के कारण, यदि उन्हें समय-समय पर सूचित किया जाता है, बताया जाए	मंत्रालय ने नवीन परियोजना की स्थिति की समीक्षा के माध्यम से सांविधिक तथा प्रशासनिक अनुमोदनों आदि के अनुसार इसकी तैयारी को मद्देनजर रखते हुए, परियोजना/योजना की समावेशन क्षमता के वास्तविक अनुमान के आधार पर व्ययों के वित्तीय लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। भौतिक लक्ष्यों के रेखाचित्रों सहित इसका मानचित्र तैयार कर लिया गया है तथा समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।	जी हां	
2.13	जल विद्युत परियोजना के वितरण जो कि वर्ष 2005-06 हेतु योजना आयोग द्वारा कम की गई वार्षिक योजना के कारण बुरी तरह प्रभावित होंगे	इस प्रकार की कोई जल विद्युत परियोजना नहीं है जो कि बुरी तरह प्रभावित होगी। यह कमी मुख्यत: कुल बजटीय सहायता के कारण की गई है जिसकी पूर्ति आंतरिक स्रोतों, संबंधित निगमों की परियोजना की तैयारी के आधार पर की जाएगी। सतलुज जल विद्युत निगम ने एनजेपीसी की स्थापना की है तथा इसकी सभी 6 यूनिट जिसे एनजेपीसी के द्वारा आंतरिक उत्पादन स्रोतों के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है, संचालन में है	जी हां	
2.14	समिति ने, वार्षिक योजना 2005-06 के समान रूप से उपयोग किये जाने हेतु कोई कदम उठाए हैं, यह जानने की इच्छा व्यक्त की है	पूर्वानुसार एनटीपीसी, पीजीसीआई द्वारा लक्ष्यों को पूरा किए जाने की आशा है, अधिकांशत: परिव्यय अनुमोदित परियोजनाओं या उन परियोजनाओं के लिए जो कि निवेश अनुमोदन की प्रारम्भिक अवस्था में है, के लिए है।	जी हां	

1	2	3	4	5
		निपको हेतु, मुख्य आबंटन, कामेला एचईपी जो कि एक अनुमोदित परियोजना है तथा त्रिपुरा गैस आधारित परियोजना जिसे पीआईबी द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है, के लिए है। विद्युत मंत्रालय की योजनाओं हेतु कोई कमी आने की आंशका नहीं है। यह आशा है कि इस वर्ष वार्षिक योजना का पूर्ण उपयोग होगा		
2.15	जैसा कि समिति ने इच्छा व्यक्त की है कि वित्तीय वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों को कार्यनिष्पादन के आधार पर संशोधित अनुमान में बजटीय राशि को संशोधित किए जाने की प्रक्रिया वित्त मंत्रालय के परामर्श से समीक्षा की जाएगी।	इसे संशोधित अनुमान पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा।	जी हां	
2.38	जल विद्युत क्षेत्र में 2004-05 हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करना, यद्यपि, सरकार ने अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन हेतु 50,000 मे.वा. योजना तैयार की है। सरकार द्वारा देश में उपलब्ध जल विद्युत क्षमता का पता लगाने तथा इन लक्ष्यों को पूरा किये जाने हेतु एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जानी है	क्षमता वृद्धि में कमी का मुख्य कारण तीन परियोजनाएं दुलहस्ती (3 × 130 = 390 मे. वा.) में खराब भौगोलिक अवस्था के कारण हैड रेस टनल में लाइनिंग कार्यों की धीमी प्रगति, टिहरी (4 × 250 = 1000 मे. वा.) एचईपी में अगस्त एवं दिसम्बर, 2004 में टी-3 वर्टिकल शाफ्ट में गड़बड़ी के कारण कार्य की प्रगति को प्रभावित किया, धौलीगंगा (280 मे. वा.) एचईपी के मामले में संबद्ध पारेषण तैयार नहीं था। वर्ष 2003-04 के दौरान भारत सरकार द्वारा 50,000 मे. वा. एचई लागू की गई जिसके अंतर्गत सीईए ने 7 केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों के परामर्शकों सहित एक नोडल एजेन्सी के रूप में 162 योजनाओं की पीएफआर को तैयार करते हुए देश के 16 राज्यों के लिए तैयार की। सीईए ने 162 योजनाओं की पीएफआर को 47.930 मे.वा. स्थापित क्षमता सहित तैयार करते हुए अगस्त, 2004 में पूर्ण की। इन योजनाओं की डीपीआर आबंटन/राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के भीतर पूरा किए जाने की संभावना है। इन परियोजनाओं से 11वीं योजना के	जी हां	

1	2	3	4	5
		दौरान एवं उसके बाद लाभों को प्राप्त करने की संभावना है।		
2.39	नेवेली लिगनाईट कारपोरेशन की दो परियोजनाएं यथा नेवेली टीपीएस एक्स-2 तथा बरसिंगसर को पीआईबी सीईए में विलंब के कारण 10वीं योजना में स्थापित नहीं किया जा सका समिति की यह इच्छा है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना तैयार की जाए।	सरकार ने क्रमशः जुलाई, 2009 तथा जून, 2009 में योजना को पूरा किए जाने के लिए अनुमोदित किया है। उप-समूह ने अपनी रिपोर्ट में, देश में 10, 11 एवं 12वीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि हेतु लिगनाईट आधारित विद्युत केन्द्रों को 3635 मे.वा., 3025 मे.वा. तथा 3260 मे.वा. की सीमा तक विस्तारित किए जाने हेतु चयनित भी किया है।	जी हां	
2.40	33300 करोड़ रुपये की 10वीं योजना परिव्यय में हुई कमी को मद्देनजर रखते हुए यह मुश्किल प्रतीत होता है कि सरकार 10वीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर पाएगी समिति चाहती है कि सरकार द्वारा अग्रिम कार्य योजना तैयार की जाए जिससे कि क्षमता अभिवृद्धि हेतु 11वीं योजना प्रोजेक्शनों को प्राप्त किया जा सके। समिति यह भी चाहती है कि सरकार/पावरग्रिड द्वारा राष्ट्रीय ग्रिड को पूरा किए जाने के अपने प्रयासों को शीघ्र पूरा किया जाए।	संभावना है कि सरकार 10वीं योजना के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्य का 90% लक्ष्य पूराकर सकेगी। 11वीं योजना के क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के संबंध में विभिन्न पणधारियों जैसे सीपीएसयू, बीएचईएल, ईमा, सेल इत्यादि के साथ बैठकें की गई है। विद्युत मंत्री ने 11वीं योजना की तैयारियों की भी समीक्षा 21.7.2005 को की। 11वीं योजना अवधि के दौरान शेष राष्ट्रीय ग्रिड के साथ दक्षिणी क्षेत्र का समक्रमिक समेकन कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। समेकित ईआर/एनईआर/डब्ल्यूआर/एनआर प्रणाली एवं दक्षिणी क्षेत्र हेतु 4750 मे.वा. की संमक्रमिक अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता सहित 10वीं योजना का समय काल में राष्ट्रीय ग्रिड स्वयं एक सच्चाई है। 10वीं योजना के अंत तक की गई कुल अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता जो कि वर्तमान में 9500 मे.वा. है, की परिकल्पना बढ़ाई जाने के लिए की गई है तथा यह बाद में 11वीं योजना के अंत तक दो गुनी हो जाएगी।	जी हां	
2.41	विद्युत मंत्रालय कोयले एवं गैस की अपर्याप्त आपूर्ति किए जाने संबंधी मामले को कोयला एवं पेट्रोलियम मंत्रालय के समक्ष उठाना	विद्युत मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं: (क) कोयला/गैस स्थिति की प्रतिदिन मानीटरिंग	जी हां	

1	2	3	4	5
		(ख) सभी स्तरों पर अंतर-मंत्रालय समन्वय बैठक (ग) कोयला/गैस उत्पादन को बढ़ाए जाने के लिए अंशकालिक उपाय तथा आयात द्वारा कमी की पूर्ति (घ) संकटपूर्ण विद्युत केन्द्रों हेतु आकस्मिक योजना तैयार की तथा क्रियान्वयनाधीन है। (ङ) विद्युत केन्द्रों हेतु कैप्टिव कोल माईन्स ब्लॉक के आबंटन सहित दीर्घावधि उपायों तथा अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं से दीर्घावधि गैस अनुबंध।		
2.42	समिति यह महसूस करती है कि निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए सरकार की सुदृढ़ नीति के बावजूद भी, इसकी कार्यक्षमता आधा तक नहीं पाई गई है और समिति ने इच्छा प्रकट की कि विद्युत में निजी क्षेत्र की असफलता का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए और सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि निजी क्षेत्र में परियोजना अर्थात महाराष्ट्र में दाभोल और कई अन्य परियोजनाएं प्राथमिक रूप से शुरू की जाएं।	विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश में धीमी प्रगति राज्य यूटिलिटियों के खराब वित्तीय सहायता के कारण, पीपीए को अंतिम रूप देने में विलंब और विशेष रूप में जल क्षेत्र में वित्तीय बंद के कारण भी थी। विद्युत अधिनियम 2003 के पास होने के पश्चात, पीएफसी एलआईसी, आईसी और अन्य वित्तीय संस्थानों ने निजी क्षेत्र परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की अनिच्छा दर्शायी है और इनमें से वित्तीय समापन प्राप्त किया है। दाभोल विद्युत परियोजना से संबंधित मामले निकट भविष्य में आरंभ करना सुनिश्चित करने के लिए निपटाए जा रहे हैं।	जी हां	
2.43	समिति ने पाया है कि कुछ परियोजनाएं ऐसी है जिसमें एमओपी/एनटीपीसी द्वारा तकनीकी अवरोधों के कारण विलंब हो रहा है या जिन्हें समाप्त किया जा रहा है। अत: समिति ने अपेक्षा की कि मंत्रालय/एनटीपीसी को श्रेष्ठ आलोचनात्मक तकनीक में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए आर एण्ड डी प्रयास करने चाहिए ताकि ये परियोजनाएं 11वीं योजना के दौरान शुरू/पूरी की जा सके।	अत: महत्वपूर्ण तकनीक क्षेत्र में प्रथम बार प्रयोग की गई थी। अत: एनटीपीसी श्रेष्ठ आलोचनात्मक परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली प्रक्रिया में भाग लेने की स्थिति में भेल को लाने के लिए, भेल को पर्याप्त समय प्रदान किया गया। सिपाल-1 और बार परियोजना के सुपर क्रिटिकल संयंत्र के मुख्य योजना पैकेज प्रदान किया गया है। सिपाल-2, विध्याचल-2, कवारा-2, गंधार-2 के मामले में पुर्नसंगरूपन किया गया है ताकि 10वीं योजना लक्ष्य पर कोई प्रभाव न पड़े।	जी हां	

1	2	3	4	5
2.48	समिति ने पाया कि आवेदन की तारीख से 4 वर्षों के उपरान्त, कुछ परियोजनाओं अर्थात विंध्याचल-3 की केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय/ वित्त मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त हुई है।	स्वीकृति मिलने में विलंब का कारण जल स्रोत जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं अंर्तराज्यीय नदी बेसिन से था तथा बिहार पानी की हिस्सेदारी की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। मंत्रालय ने इस मामले को, शीघ्र स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अपने हाथ में ले लिया है। समिति की टिप्पणियों को संबंधित मंत्रालयों को भी सूचित कर दिया गया है।	जी हां	
2.49	समिति ने यह इच्छा व्यक्त की है कि एक वर्ष के भीतर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति लिए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। यह भी इच्छा व्यक्त की है कि मामले को पीएमओ की जानकारी में लाया जाए जिससे कि विशिष्ट उद्देश्य वाहन को संचालित किया जा सके। विद्युत मंत्रालय, जल संसाधन तथा पर्यावरण एवं वनीय मंत्रालय एवं अन्य विभागों की एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जिससे कि विद्युत परियोजनाओं हेतु स्वीकृति को समयबद्ध सीमा के भीतर प्राप्त किया जा सके।	विद्युत परियोजनाओं अर्थात 2500 करोड़ रुपये तक की थर्मल परियोजनाओं हेतु स्वीकृति प्राप्त करने के लिए राज्यों को और अधिक शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं। पर्यावरणीय एवं वित्तीय स्वीकृतियां शीघ्र प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से सचिव (विद्युत) एवं सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के बीच द्वैमासिक बैठकें की जा रही हैं। इन बैठकों में वनीय एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्राप्त नहीं होने के कारण लंबित सभी परियोजनाओं से संबंधित मामलों पर विचार तथा निपटान किया जाता है। इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।	जी हां	
2.60	ऊर्जा संरक्षण योजनाएं जैसे मानक एवं लेबलिंग, ऊर्जा संरक्षण भवन कोडों की सरकारी भवनों में ऊर्जा लेखा-परीक्षा अभी की जानी है। मानक एवं लेबलिंग की जानी है जिसे 3 माह के समय सीमा के भीतर पूर्ण करना है।	ब्यूरों ने बिजली यंत्र तथा उपकरण जैसे रेफ्रीजरेटर, कृषि पम्प सेट, बिजली मोटर फ्लोरोसेन्ट ट्यूब लाईट एवं वितरण ट्रांसफार्मरों की ऊर्जा लेबलिंग हेतु तकनीकी मानदण्डों को पूरा कर लिया है। पायलेट टेस्ट के मामले में रेफ्रीजरेटरों हेतु ऊर्जा लेबलिंग लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो इस कार्यक्रम के विस्तार के लिए सीपीडब्ल्यूडी से निरंतर पारस्परिक संपर्क में है। स्कूलों में ऊर्जा क्लबों के माध्यम से इस योजना को चलाए जाने पर विचार किया जा रहा है।	जी हां	

1	2	3	4	5
2.61	ऊर्जा दक्ष उपकरण और उपस्कर देने के लिए सरकार को ऋण/ अनुदान के रूप में निधियां ज्यादा प्रदान की जानी चाहिए।	इस समय ऊर्जा कार्य कुशलता ब्यूरो अपना खर्च प्रदत्त सेवाओं के लिए प्रभारित शुल्क, 50 करोड़ रुपये की सामग्री निधि और द्विपक्षीय कार्यक्रमों पर अर्जित ब्याज से पूरा करता है।	जी हां	
2.62	समिति ने सरकार को शतप्रतिशत मूल्यह्रास प्रोत्साहनों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा अध्ययन और इस संबंध में जहां संभव हो शीघ्र आवश्यक उपाय करने का आग्रह किया।	ऊर्जा कार्य कुशलता ब्यूरो ने शत प्रतिशत मूल्यह्रास के वित्तीय प्रोत्साहन पर अध्ययन का निर्णय लिया है।	जी हां	
2.71	समिति यह नहीं समझ रही है कि देश की नवीन न्यून क्षमता अभिवृद्धि के बावजूद सरकार 2007 तक पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य और 2009-10 तक सभी गांवों और आवासों का लक्ष्य पूरा कैसे करेगी।	सरकार ने अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना नाम से नई स्कीम शुरू की है, जिसका उद्देश्य 5 वर्षों में सभी ग्रामीण आवासों में बिजली सभी अविद्युतीकृत गांवों और वास स्थलों का विद्युतीकरण, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों का निशुल्क बिजली कनेक्शन देना है इनके लिए परियोजना की समग्र लागत हेतु 90% पूंजी सब्सिडी होगा।	जी हां	
2.72	समिति ने इच्छा व्यक्ति की है कि विद्युत मंत्रालय और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय ठोस समयबद्ध योजना तैयार कर सुझाव दें ताकि अगले 5 वर्षों में राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किए जा सकें।	सभी अधिकृत गांवों और वास स्थलों का विद्युतीकरण, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को नि:शुल्क बिजली कनेक्शन देना है। इनके लिए परियोजना की समग्र लागत हेतु 90% पूंजी सब्सिडी होगा। राज्यों को ग्राम विद्युतीकरण की नई परिभाषा के अनुसार अविद्युतीकृत गांवों के आंकड़े देने के लिए कहा गया है। 30% निधियां ठेका देने के समय जारी की जानी है। शेष निधियां 30%, 30% और 10% की किश्तों में समुपयोजन प्रमाण-पत्र मिलने पर जारी की जानी है।		
2.74	ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए निधियों के संवितरण को ध्यान में रखते हुए समिति ने सिफारिश की है कि सरकार/ आरईसी आवश्यक सभी कदम उठाए ताकि वर्ष 2009-10 तक स्कीम कार्यान्वित और उस पर निधियां संवितरित की जाएं।			

1	2	3	4	5
2.73	ग्राम विद्युतीकरण पर खर्च 525 रुपये के बजट अनुमान की तुलना में 15.3.2005 तक केवल 148 करोड़ रुपये है। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि ग्राम विद्युतीकरण के लिए पूरी राशि का इस्तेमाल सभी चार तिमाहियों में बराबर किया जाना चाहिए।	525 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में ग्राम विद्युतीकरण 400 करोड़ रुपये है, जिसका पूर्णतया इस्तेमाल कर लिया गया है।	जी हां	सिफारिश सं. 2.11 की भांति।
2.81	समिति ने एपीडीआरपी कार्यक्रम के अंतर्गत नोट किया कि बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने उनको जारी निधियों का जनवरी, 2005 तक बहुत कम इस्तेमाल किया है। समिति पारेषण एवं वितरण हानियों की वर्ष 2001-02 में 33.98% से वर्ष 2002-03 के दौरान 32.54% तक कमी आने के मौजूदा स्तर से भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए समिति ने सिफारिश की कि सरकार को नियमों के लिए विस्तृत कदम उठाने चाहिए ताकि राज्य सरकार निधियां जुटाने के उपयुक्त योगदान में और एपीडीआरपी स्कीमों के सफलतापूर्वक सहभागिता सुनिश्चित कर सकें।	सरकार ने 19488.75 करोड़ रुपये की राशि वाली एपीडीआरपी परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, जिसमें से केवल 11469.14 करोड़ रुपये की निधियां भारत सरकार द्वारा जारी की जानी है। अब तक भारत सरकार ने 5540.76 करोड़ रुपये अर्थात् एपीडीआरपी का 50% घटक जारी किया है। परियोजनाएं गत तीन वर्षों अर्थात् 2002-03 से 2004-05 तक स्वीकृत की गई हैं। राज्यों ने 6708.68 करोड़ रुपये तक की राशि, जिसमें प्रतिरूप निधियां (काउंट पार्ट फंड) शामिल हैं, का इस्तेमाल किया है। बाद में, राज्यों द्वारा निधियां का समुपयोजन महत्वपूर्ण मदों पर किया गया। यह सच है कि बिहार, अरुणाचल प्रदेश मणिपुर और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में निधियों का समुपयोजन कम है। सचिव (विद्युत) ने राज्यों के अधिभारियों की बैठक के दौरान बार-बार एपीडीआरपी परियोजनाओं के समय पर पूरा करने के लिए बल दिया है ताकि एपीडीआरपी तैयार करते समय परिकल्पित वांछित परिणामों को प्राप्त किया जा सकें।	जी हां	
2.82	समिति ने सिफारिश की कि पारेषण एवं वितरण क्षतियों को वितरक कंपनियां वहन करें और इसका बोझ बिजली की दर बढ़ा कर उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाना चाहिए।	एपीडीआरपी के अधीन नकद हानियों की कमी के लिए निजी डिस्काम द्वारा किसी प्रोत्साहन दावों पर विचार नहीं कर रहा है। एपीडीआरपी के संबंध में निवेश घटक के बारे में उड़ीसा में निजी डिस्काम की परियोजनाओं पर विचार करते समय प्रारंभ में निर्णय लिया गया था कि राज्यों के संबंध में वितरण निजी योजनाएं हैं जिसका उद्देश्य वितरण परिमंडलों में उप-पारेषण प्रणाली में	जी हां।	

1	2	3	4	5
		सुधार लाना है जिसे शर्तों एवं निबंधनों के समझौते के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गई निधियां निजी वितरण कंपनियों को जारी कर दी जाएंगी। तदनुसार उड़ीसा दिल्ली, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य में निजी डिस्काम की परियोजनाओं को 2757.48 करोड़ रु. की राशि भी मंजूर की गई है। वितरण एवं पारेषण हानियों एवं एपीडीआरपी के परिणामी लाभ उपभोक्ताओं को नहीं प्राप्त होते एवं एसईआरसी द्वारा ध्यान रखा गया है जिसके लिए अनुदानों की रसीद देनी अनिवार्य है।		
2.97	समिति ने सिफारिश की है कि यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जाएं कि केन्द्र एवं राज्य क्षेत्रों में सभी विद्युत संयंत्रों का संयंत्र भार अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर होना चाहिए।	10वीं योजना अवधि के दौरान जीवन विस्तार (एलई) के लिए 106 यूनिटों में से 7 यूनिटों का जीवन विस्तार कार्य गत तीन वर्षों में पूरा हो चुका है। 6 यूनिटों का कार्य मई, 2005 तक पूरा होने का कार्यक्रम है। 55 यूनिटों में सभी संबंधित गतिविधियों का 10वीं योजना के दौरान पूरा करने का कार्यक्रम है। इनमें से 42 वर्ष 2003-04 में पूरी हो चुकी हैं तथा 182 वर्ष 2004-05 के दौरान पूरी हुई थी। इसके अतिरिक्त आर एंड एम/एलई कार्यों के तेजी से कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कार्यनिष्पादनाधीन ताप विद्युत केन्द्रों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए लघु अवधि, मध्य अवधि एवं दीर्घ अवधि उपाय अपनाकर कार्य योजना तैयार की गई है। इन उपायों को कार्यान्वित करके खराब निष्पादन स्टेशन एक वर्ष में 60% से अधिक संयंत्र भारत अनुपात प्राप्त कर लेंगे तथा अंतत: वे राष्ट्रीय औसत के बराबर संयंत्र भार अनुपात प्राप्त कर लेंगे।	जी हां।	
2.98	समिति ने यह सिफारिश की है कि 62 जल विद्युत परियोजनाओं के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए लक्ष्य वर्ष 2007 तक पूरे कर लिए जाने चाहिए तथा इस संबंध में सरकार द्वारा बनाई गई कार्य योजना को जानने की भी इच्छा व्यक्त की है।	नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए 62 नियोजित परियोजनाओं में से 18 पूरी हो चुकी हैं, 31 चल रही हैं तथा 13 परियोजनाओं का कार्य चालू किया जाना है।		

1	2	3	4	5
2.106	समिति ने इच्छा व्यक्त की है कि वर्ष 2004-06 के दौरान नीपको के आईईबीआर घटक में 265 करोड़ रुपये से 90 करोड़ रुपये की भारी कमी आई है। अत: समिति ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नीपको 372.79 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को कैसे जुटाना सुनिश्चित करेगा?	पहुंच सड़कों की गैर-उपलब्धता, खराब पारेषण प्रणाली, स्थलीय दूरी तथा बहुत कठिन कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पूर्वोत्तर क्षेत्र की धीमी प्रगति के मुख्य कारण हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान आईईबीआर में कमी का कारण टीजीबीपीपी, टीकेटीएस के संबंध में भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त न होना तथा तुरियिल एचईपी में कार्य का बंद होना था।	जी हां।	
2.107	समिति यह जानना चाहेगी कि सरकार ने नीपको के मामले में 5-10% की प्रथम तीव्रीकरण की अधिकतम वृद्धि के साथ सभी चल रही एवं भावी परियोजनाओं को चालू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं	सभी चल रही भावी परियोजनाओं का न्यूनतम समय एवं निर्धारित लागत के अंदर पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे।	जी हां।	
2.108	समिति ने सिफारिश की है कि 10वीं योजना अवधि में नीपको की सभी 3 चल रही स्कीमें पूरी होनी चाहिए?	940 मेगावाट की कुल क्षमता वाली चल रही 3 परियोजनाएं तुरियिल एचईपी, केमेंग एचईपी एवं टीजीबीपीपी 11वीं योजना अवधि के दौरान पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।	जी हां।	सभी 3 परियोजनाएं अब 11वीं योजना के लिए निर्धारित हैं।
2.113	समिति जानना चाहती है कि पारेषण परियोजनाओं के लिए सीमा शुल्क में कमी लाने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन के क्या परिणाम हैं?	यद्यपि ये प्रस्ताव 2005-06 के केन्द्रीय बजट में या घोषित व्यापार नीति में नहीं दर्शाए गए हैं, फिर भी यह मंत्रालय अगले वित्तीय वर्ष 2006-07 में इन मुद्दों को जोरदार तरीके से पुन: उठाएगा।	जी हां।	
2.118	संबंधित राज्य आयोगों के दिशा-निर्देशों के अधीन प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी द्वारा बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 42 (5) एवं (6) के अनुसार 6 महीनें के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले समाधान मंचों एवं लोकपालों की नियुक्ति के बारे में समिति जानना चाहती है।	दिल्ली एवं उड़ीसा, जिनकी निजी वितरण व्यवस्था है, ने उपभोक्ता समाधान मंच स्थापित किए हैं एवं लोकपाल की नियुक्ति की है तथा शिकायत समाधान एवं लोकपाल विनियम भी अधिसूचित किए हैं। उपर्युक्त के लिए 16 एसईआरसी लाइसेंसधारियों ने उपभोक्ता समाधान मंच स्थापित किए हैं। 7 एसईआरसी ने लोकपाल नियुक्त/नामजद किए हैं।	जी हां	

1	2	3	4	5
		12 फरवरी, 2005 को अधिसूचित नई विद्युत नीति (एनईपी) ने लाइसेंसधारकों के साथ विनियमों द्वारा उपभोक्ता समाधान मंच स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है तथा 6 महीने के अंदर लोकपाल नियुक्त/नामजद किए जाएं।		
2.120	समिति ने बताया है कि केवल एनटीपीसी अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों के साथ-साथ कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कुछ राशि खर्च कर रहा है। समिति चाहती है कि सरकार विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास नीति तैयार करे।	इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों द्वारा सामान्य रूप से भूमि से संबंधित सभी कानून, नियम एवं विनियम तथा विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित नियमों का पालन करना अपेक्षित है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के जरिए जारी सरकार के आदेशों, नियमों एवं विनियमों का सभी के द्वारा पालन किया जाता है।	जी हां	

अपराह्न 12.06 बजे

लोकल काल डायलिंग सुविधा के बारे में दिनांक 20 अप्रैल, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3968 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): अध्यक्ष महोदय, लोक सभा में 20 अप्रैल, 2005 को "स्थानीय काल डायलिंग सुविधा" से संबंधित पूछे गये अतरांकित प्रश्न संख्या 3968 के उत्तर में असावधानी से एक गलती रह गई थी।

उत्तर के भाग (क) से (ग) तक को संशोधित रूप में निम्नवत पढ़ा जाए:

(क) से (घ) महोदय, महाराष्ट्र राज्य, जिसमें मुंबई महानगर और महाराष्ट्र दूरसंचार सेवा क्षेत्र शामिल हैं, तमिलनाडु, जिसमें चेन्नई महानगर और तमिलनाडु दूरसंचार सेवा क्षेत्र शामिल हैं, कोलकाता, जिसमें कोलकाता महानगर और पश्चिम बंगाल दूरसंचार सेवा क्षेत्र शामिल हैं और उत्तर प्रदेश जिसमें उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सेवा क्षेत्र शामिल हैं, में 20 मई 2005 से अभिगम प्रदाताओं के बीच अंतर सेवा क्षेत्र कनेक्टिविटी की अनुमति दी गई है। इसका अर्थ है कि एक ही राज्य के भीतर "फिक्स्ड से मोबाइल और मोबाइल से मोबाइल कॉलों" के लिए '0' डायल किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के बीच भी इसी प्रकार कॉलें की जा सकती है क्योंकि उत्तरांचल उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सेवा क्षेत्र का हिस्सा है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2765/2005)

अपराह्न 12.07 बजे

'मेडिकल डायग्नोस्टिक किटों' की गुणवत्ता के बारे में दिनांक 10 अगस्त 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2679 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): महोदय, अपनी सहकर्मी श्रीमती पनबाक लक्ष्मी की तरफ से, मैं मेडिकल डायग्नोस्टिक किटों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या

2679 के दिनांक 10 अगस्त 2005 को दिए गए उत्तर की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। खण्डों ''ङ'' और ''च'' के उत्तर में संस्था का नाम अनभिप्रेत रूप से 'हास्पिटल सर्विसेज कंसलटेंसी कारपोरेशन (एचएससीसी) दर्शाया गया है। हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमि. (एचएलएल) वह संस्था है जिसे डायग्नोस्टिक टेस्ट किटों की खरीद के लिए नियुक्त किया गया है। सही उत्तर निम्न प्रकार है:

''(ङ) और (च) हां महोदय। नाको ने हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमि. (एचएलएल) को खरीद करने वाली संस्था के रूप में नियुक्त किया है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला भारत सरकार का उपक्रम है।''

जैसे ही यह बात ध्यान में आई उत्तर को सही करने के लिए कदम उठाए गए।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2766/2005]

अपराह्न 12.08 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री जीवन राय, जो राज्य सभा से सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति से सेवानिवृत्त हुए हैं, के स्थान पर समिति की शेष अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति से सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री जीवन राय, जो राज्य सभा से सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति से सेवानिवृत्त हुए हैं, के स्थान पर समिति की शेष अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति से सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.09 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की आलोचना के मामले में सरकार से आत्मसंयम बरतने की सलाह के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गयी कथित टिप्पणी के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इससे पहले कि हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करें, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि इस देश के उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई कतिपय टिप्पणियों को लेकर इस सभा के लगभग सभी दलों के सदस्य समान रूप से चिंतित हैं। मैंने यहां सभी दलों के नेताओं को अपनी बात संक्षेप में रखने की अनुमति देने का निर्णय किया है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए आपको इस तरह से बोलना चाहिए जिससे हमारी और न्यायपालिका जैसी महान संस्था दोनों की गरिमा बनी रहे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सर, मैंने प्रीवलेज दिया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। इस बारे में अपने लीडर से पूछिए।

[अनुवाद]

श्री रावले, यह भी आवश्यक है कि आपको अध्यक्षपीठ की बात सुननी चाहिए अन्यथा, आप द्वारा स्वयं विशेषाधिकार का हनन होगा।

अब, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा बोलेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने कल कुछ ऐसे आब्जर्वेशन किये और आब्जर्वेशन के कारण अलग-अलग उसकी कई प्रतिक्रियाएं आयीं। मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस सदन ने सर्वसम्मति से इस बात का विचार किया था और सभी नेताओं की बैठक हुई, उसमें भी इस बात पर विचार हुआ कि सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक न्याय की दृष्टि से कानून में इतना परिवर्तन किया जाए, ताकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें रिजर्वेशन रह सके और इस दृष्टि से एक सर्वसम्मत राय इसके बारे में बनी है। इस संबंध में हमने नया कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन करने का भी विचार किया है और वह कमेटी गठित करके उसके बारे में अपना निर्णय देगी और उसके मुताबिक कानून बनेगा। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का संबंध है या जुडीशियरी का संबंध है, पार्लियामेंट का संबंध है, मैं कहना चाहता हूं कि प्रेसीडेंट, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ये तीनों अपने-अपने दायरों में सर्वोच्च हैं, परंतु जो सबसे सर्वोच्च हैं, वह ही कांस्टीट्यूशन। संविधान के बेसिक फीचर को छोड़कर उसमें अमेंड करने का अधिकार हमारा जरूर है, इसलिए हम यह जरूर विचार रखेंगे कि यहां कांस्टीट्यूशन के मुताबिक जो भी काम हो, उसमें सभी तीनों पक्ष को इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा कंफ्रंटेशन सुप्रीम कोर्ट, जुडीशियरी, एक्जेक्यूटिव या पार्लियामेंट में इन सब के अंदर, लेजिस्लेचर में कोई कंफ्रंटेशन होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि हम यहां पार्लियामेंट में अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं और रहने भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि नया कानून बनाइए और ठीक कानून बनाइए और उस कानून के मुताबिक काम हो। इस चीज में मुझे कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती है, परन्तु कई बातें पीछे हुईं। हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि मजहब के आधार पर कोई आरक्षण, सबसे पहले यह शुरू हुआ है इस बात से ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद): धर्म के आधार पर ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सब का हक है, आप भी बोलिएगा। आप अभी बैठ जाइए। हम लोगों को थोड़ा सुनना भी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: थोड़ा सहन करना भी जानना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री आजमी, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, जो बात संविधान के विरोध में जाती है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आजमी जी, कृपया बैठ जाइए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अगर कोई कानून ऐसा बना दिया जाएगा, जो संविधान के ही खिलाफ हो, तो स्वाभाविक रूप से कोर्ट्स को उसके बीच में आने का अधिकार रहता है। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, उनका आरक्षण हम जरूर चाहते हैं, उसके लिए यहां कानून बनाया जाएगा। हम उसका पूरा समर्थन करेंगे, परंतु यह मामला शुरू हुआ, फिर आईएमडीटी एक्ट आया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: बिहार के अंदर बिल्कुल ऐसी बात कर दी गई कि विधानसभा बनी ही नहीं, उसके पहले भंग कर दी, उसके बाद कई ऐसे मामले सामने आए। झारखंड का मामला सामने आया, बिहार का आया, गोवा का आया। महोदय, मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)* हमारा संविधान सर्वोच्च है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

मुझे सभा को नियंत्रित करने दीजिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

मल्होत्रा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं।

[अनुवाद]

कि इस विषय पर बोलें। अन्यथा, कठिनाई होगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्या बात है, मैं खड़ा हुआ हूं, आपको बैठना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री आजमी, आपको बैठना होगा।

[हिन्दी]

आप उनकी बात मानते नहीं हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं तो केवल इतना कहना चाहता था कि हम बिना सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में या इसमें आपस में कंफ्रंटेशन का सवाल नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे अपील करता हूं। यह एक अत्यन्त संवेदनशील मामला है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: पिछली बार पूरी सभा ने कतिपय टिप्पणियां की थी जिनमें उस विशेष मुद्दे पर चिन्ता व्यक्त की गई थी जिसके बारे में इस देश की एक दूसरी सम्मानित संस्था न्यायपालिका ने कुछ टिप्पणियां की हैं।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइए, इसके लिए हमारी रिक्वेस्ट है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसलिए, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया इस मुद्दे पर अपना ध्यान केन्द्रित रखें। कृपया इस मुद्दे के बारे में उल्लेख करें।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं समझता हूं और मैंने देखा है दलित क्रिश्चियन्स के आरक्षण वाली बात पर यह मामला उठा था कि दलित क्रिश्चियन्स का आरक्षण होना चाहिए और उन्हें एससी की पावर मिलनी चाहिए। अगर कोई संविधान के किलाफ जाता है तो उनको कहने का अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट के जो अधिकार हैं, केवल इस बात के लिए हम अपने अधिकार सुरक्षित रखें और सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार सुरक्षित रखे। कोई सीमा से बाहर न जाए और किसी तरह से कंफ्रन्टेशन न हो। परन्तु वे कहते हैं कि बिल बनाओ, हम बिल जरूर बनाएंगे और हम उसका पूरा समर्थन करेंगे जिसमें सामाजिक न्याय और समरसता होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे। कृपया अपनी बात इसी मामले तक सीमित रखें और इस विषय से हटकर न बोलें। मैंने अपील की थी कि आपको अपनी बात कहते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, इस सभा में उस समय सर्वानुमति देखी गई कि जब उच्चतम न्यायालय ने निजी शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों में दिए जा रहे आरक्षण के विरुद्ध निर्णय दिया था। पूरी सभा में मतैक्य था और हम सभी लोगों ने मांग की थी कि सरकार को विधान लाना चाहिए और संविधान का संशोधन आवश्यक हो तो वह भी किया जा सकता है।

कल, इस सभा के नेता की इच्छानुसार, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): उन्होंने सभी नेताओं को आमंत्रित नहीं किया था। हमसे सलाह-मशविरा नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: यह मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि नया विधेयक लाने के लिए प्रयास किये गये थे।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं इसे स्पष्ट करना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय: निश्चय ही, आपने अपनी बात रखी है।

श्री बसुदेव आचार्य: उस बैठक में भी एक सहमति बनी थी कि सरकार को एक विधान लाना चाहिए और देश के पिछड़े तबकों और देश के दलितों को भी आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन करने हेतु एक विधान लाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: हम इस मामले के गुणों पर बात नहीं कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह दुर्भाग्य है कि जब इस सभा में मतैक्य था, कल, उच्चतम न्यायालय ने एक टिप्पणी की थी कि यदि भारत सरकार उसकी सलाह को नहीं मानती है तो न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार जो चाहे कर सकती है। यह सर्वाधिक दुर्भाग्य की बात है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के अपने-अपने कृत्य हैं।

महोदय, हमने उस समय आपको बधाई दी थी जब ऐसी स्थिति पैदा हुई थी कि ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप इसे छोड़िए। हमने छोड़ने के लिए बोला है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह बात पुन: नहीं उठायी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया यह बात मत उठाइए। वास्तव में, मेरी बात ठीक थी और अभी भी मेरी बात ठीक है। मेरा हर व्यक्ति से अनुरोध है कि लक्ष्मण रेखा जो मैंने निर्धारित की है उसका उल्लंघन न किया जाए।

श्री बसुदेव आचार्य: हम कोई टकराव नहीं चाहते हैं। कोई टकराव क्यों होना चाहिए? विधायिका को अपना विधान बनाने की शक्ति है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कह सकते हैं कि हम सभी को अपने अपने क्षेत्राधिकार में रहना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य: यह संविधान की मूल संरचना के प्रतिकूल है। जो बात हम महसूस करते हैं वह संविधान में है। देश के कमजोर तबकों और दलितों के लिए आरक्षण की बात संविधान में दी गई है। यह संविधान की मूल संरचना में है।

संसद को कानूनों को लागू करने का अधिकार एवं प्राधिकार है लेकिन न्यायपालिका का इससे कोई लेना-देना नहीं है। हम न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हैं लेकिन कल उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण थी। हम चाहते हैं कि कोई टकराव न हो और हमें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि समाज के कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के लिए विधान बनाए।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): श्रीमान, संसद और न्यायपालिका के बीच कंफ्रंटेशन का कोई सवाल नहीं है और न ही कल सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के खिलाफ कोई टिप्पणी की है। मैं संसद सदस्यों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1930, 1931 और 1932 में जब सारी दुनिया में मंदी आयी थी, तो उससे निपटने के लिए अमरीका ने कुछ कानून बनाए, जिनको डी-लॉज के नाम से जाना जाता है। अमरीकन सुप्रीम कोर्ट ने जब उसे रद्द कर दिया तो अमरीका के राष्ट्रपति श्री रूजवेल्ट ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने लोगों से भर लेंगे। आप जानते हैं कि अमरीका में सीनेट की अप्रूवल के बिना सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति किसी जज की नियुक्ति नहीं कर सकता है। सीनेट ने इस धमकी पर रत्तीभर भी गौर नहीं किया और कभी ऐसा मौका नहीं आया कि न्यायपालिका में कोई हस्तक्षेप हुआ हो।

जैसा आप जानते हैं कि जब पहला जमींदारी उन्मूलन विधेयक पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था तब पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने इसी हाउस में कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो अमीर अमीर बने रहेंगे और गरीब गरीब बने रहेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। कभी यह नहीं कहा गया कि टकराव हो। निर्णय और मत हमेशा अलग-अलग रहे हैं। सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को लेकर आर्टिकल-31 के तहत जितने भी मुकदमे चले, आप बहुत बड़े वकील हैं और कानून को जानने वाले बहुत से लोग यहां बैठे हुए हैं, इतनी मुकदमेबाजी कभी नहीं हुई है। चाहे गोलकनाथ का केस हो, चाहे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला हो, चाहे कम्पन्सेशन शब्द को आर्टिकल-31 से हटाकर एमाउंट में बदलने का मामला हो। उससे भी मामला नहीं सुलझा तो अंततोगत्वा आर्टिकल-31 को मिटाना पड़ा। उसे जब चैलेंज किया गया तब फंडामेंटल राइट्स को ओवर-राइट करने का अधिकार दिया गया कि डाइरेक्टिव प्रिंसीपल्स में कतिपय मामलों में मौलिक अधिकार नीति-निदेशक सिद्धान्तों पर अध्यारोही हैं। उसे भी चैलेंज किया गया तब जो फैसला हुआ उसमें जस्टिस एच.आर. खन्ना का यह फैसला था कि हम अपने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते हैं। यह अभी भी है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की बात

कही गई है। उसे भी हम बेसिक स्ट्रक्चर मानते हैं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह नहीं कहा कि हम कानून नहीं बना सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप कानून बनाइए। कानून बनाने का अधिकार हमारा है, लेकिन कानून की समीक्षा करने का अधिकार संविधान ने न्यायपालिका को दिया है। सर्वोच्च न्यायालय यह नहीं कह रहा है कि आप कानून मत बनाइए। आप जो चाहे कानून बनाइए। अगर कोई उस कानून को चुनौती देता है तो उच्चतम न्यायालय को इसकी पुनरीक्षा करने का मौलिक अधिकार हो जहां कोई यह समझता है कि यह हिस्सा गैर-सांविधानिक या पूरा संविधान से हटकर है तो उसे रद्द करने का अधिकार है। इसलिए कहीं भी यह लोगों में नहीं जाना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय और संसद में कोई विवाद है।

आप कानून बनाइए, आरक्षण की व्यवस्था कीजिए, वह हमारा बेसिक स्ट्रक्चर भी है। जो पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक हैं उन्हें आर्टिकल-30 के तहत जो संस्थान चल रहे हैं, उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हम भी यह चाहते हैं कि यह कानून बनना चाहिए। न्यायपालिका कहीं भी इस पर बंदिश नहीं लगाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने थोड़ी सी डांट लगायी है, लेकिन संसद के लिए कुछ नहीं कहा है।

वह कार्यपालिका के लिए कहा है। जब आज किसी मामले को सुना जाना है, तो एक दिन पहले उस पर कानून बनाने या आदेश देने की क्या जरूरत थी? जब सर्वोच्च न्यायालय में कोई मामला चल रहा है, आज सुनवाई हो रही है, उसकी पूर्व संध्या पर गवर्नमेंट कोई कार्य करे, जो स्वाभाविक है कि गवर्नमेंट की आलोचना होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। आप देश के शासक हैं। आप जैसा चाहें वैसा कानून बना सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा संविधान संशोधन कर सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा कानून ला सकते हैं। जो कानून न्यायपालिका ने रद्द कर दिया, उस कानून को आप जिन्दा कर सकते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के केस में क्या हुआ, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा वाले केस में क्या हुआ, वह आप सबको मालूम है। वर्चुअली हाइकोर्ट ने जो आदेश दिया था, उस निर्णय को इस संसद द्वारा वस्तुतः निष्प्रभावी कर दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. राम गोपाल यादव, हम एक साधारण मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। फिर, अन्य माननीय सदस्य भी कई अन्य बातें बोलने लगेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: मेरा कहना है कि यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि संसद और न्यायपालिका के बीच किसी तरह का मतभेद है। संसद कानून लाए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इस बारे में कल बात हो गई थी, सर्वसम्मत बन गई थी, सहमति हो गई थी कि कानून आना चाहिए और किसी तरह के तनाव और टकराहट की बात नहीं होनी चाहिए। यह देश के स्वास्थ्य के हित में नहीं है। थैंक्यू सर।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, आज सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत ही संवेदनशील विषय पर चर्चा की है। मैं समझता हूं कि सदन में नेताओं ने जो अपनी राय रखी, उसमें "टकराव" शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही आपत्तिजनक है। हमारे यहां डैमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ऐसे समय में, इंडियन जुडीशियरी के इतिहास में, जितनी मेरी समझ है, राजनीति में जितने दिनों से मैं हूं, मेरे संसदीय जीवन में, असैम्बली से लेकर पार्लियामेंट तक, मैंने इस तरह के रिमार्क, इस तरह की आब्जर्वेशन, किसी न्यायालय द्वारा, न्यायपालिका के जरिये, न्यायमूर्ति के जरिये की गई हो, नहीं देखी। चीफ जस्टिस के जरिये, जो आब्जर्वेशन आई है, वह न केवल अभूतपूर्व है, न केवल अनप्रैसीडेंटेड है, बल्कि अनावश्यक भी है।

महोदय, अनावश्यक इसलिए है, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। किस संदर्भ में इस प्रकार के आब्जर्वेशन की आवश्यकता हुई? ठीक है, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जी द्वारा क्रिश्चियनों और दलितों की बात कही गई। दर्द तो परसों से शुरू हुआ, जब सदन में आपके आदेश से एक कॉलिंग-अटेंशन मोशन आया। सवाल है कि देश में शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी 54 प्रतिशत आबादी है और एस.सी. तथा एस.टी. 24 प्रतिशत हैं। इस प्रकार से संविधान में जो 78 प्रतिशत देश की आबादी, जो बैकवर्ड के नाम से जानी जाती है, उसके कल्याण का काम हो रहा है, तो उस पर क्यों विवाद खड़ा किया जा रहा है? इसकी संविधान में परिभाषा दी गई है। संविधान की धारा 15(4) में यह स्पष्ट किया गया है कि वैसे गवर्नमेंट को, संसद को और न्यायपालिका को बेसिक फीचर्स को बदलने का अधिकार नहीं है—संविधान की धारा 15(4) में इस प्रकार है—

[अनुवाद]

> "इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"

[हिन्दी]

एडवांसमेंट का क्या मतलब हुआ? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इस देश में जो 78 प्रतिशत हैं, उनके विकास के लिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चाहे वे टैक्नीकल एजूकेशन के इंस्टीट्यूट हैं, *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम विस्तृत गुणावगुण में नहीं जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, आपकी स्वीकृति से सदन में कॉलिंग अटेंशन मोशन आया, सरकार की तरफ से एक राय आई, वह स्वीकृत हुआ। जब सदन एक मत था, पूरे संसद की एकमत से राय थी कि इस पर सेंट्रल लॉ आना चाहिए था, तो फिर यह आपत्ति क्यों? इसीलिए एक सर्वदलीय बैठक हुई। एक माननीय सदस्य नहीं गए हों, वह अलग बात है, लेकिन हम सब लोगों ने रात्रि में 9.00 बजे तक इस विषय पर गम्भीरता से विचार-विमर्श किया। माननीय श्री अर्जुन सिंह, माननीय एच.आर.डी. मिनिस्टर ने मीटिंग की अध्यक्षता की और यह एक आम सहमति बनकर आई कि सोश्यल जस्टिस को मैनटेन रखने के लिए एक सेंट्रल लॉ आना ही चाहिए। मतलब यह है कि सोशल जस्टिस को मैनटेन करने के लिए एक सेंट्रल लॉ आए, इतनी सहमति हुई। दूसरी सहमति यह हुई, जो माननीय मल्होत्रा जी राय रख रहे थे, मैं उससे सहमत नहीं हूं। आर्टीकल-30 में जो माइनोरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं ...*(व्यवधान)*

नहीं, नहीं, वह छोड़िए, अभी वह बात नहीं है।

[अनुवाद]

आपने कहा कि आप उनके साथ सहमत नहीं है। ठीक है, हो गया।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं कह रहा था कि यह भी राय कल हुई कि माइनोरिटी इंस्टीट्यूशंस को भी प्रोटैक्शन मिले और एक सैण्ट्रल लॉ बने, जिसमें एजुकेशनली, सोशसली जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, इसमें भी राय हुई ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हम सहमत नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया इसमें नहीं जाइए। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस स्थिति से निपटने के लिए जो सहमति बनी है, क्योंकि ये अत्यन्त ही वाद-विवाद के मुद्दे हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आपकी पार्टी की तरफ से आप बैठक में नहीं थे, देख लीजिए। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, यह विषय इतना गंभीर है कि इस पर राय स्पष्ट होनी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट के जरिये दुर्भाग्यपूर्ण ऑब्जवेशन है, क्योंकि भारतीय संविधान की जो मूल भावना है, भारतीय संविधान का जो प्रिएम्बल है, उसको खंडित करने का किसी को अधिकार नहीं है। सबसे सर्वोपरि हमारा संविधान है और आप पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के संरक्षक हैं, कस्टोडियन हैं, चूंकि आप स्पीकर है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आपका एक नियमन इस पर आना चाहिए। आम तौर पर पिछले दिनों हाल ही में जितनी टिप्पणियां न्यायपालिका से आई है, मैं समझता हूं कि हम लोगों को इस पर कोई टकराव नहीं करना चाहिए और यह संदेश नहीं जाना चाहिए। यह ठीक है, जो माननीय रामगोपाल जी ने कहा है, हम लोग संदेश सदन से नहीं देना चाहते हैं, लेकिन यह भी व्यवस्था चाहते हैं कि जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है या विधायिका है, ये अपनी-अपनी सीमा से रहें, लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश न करें, नहीं तो इस देश में नई परिस्थिति पैदा होगी और इस परिस्थिति का फिर कहीं समाधान नहीं होगा। ऐसा कोई उपयुक्त मंच नहीं है, जिससे इसका समाधान निकल सकेगा। इसके लिए सर्वोच्च सदन ही एक मंच है और संसदीय लोकतंत्र के सर्वोपरि आसन पर आप बैठे हैं और आपका नियमन हम चाहते हैं कि इस पर टकराव नहीं रहे और संतुलन बना रहे। न्यायपालिका और विधायिका में भी आने वाले दिनों में संतुलन बना रहे, इसकी गारण्टी के लिए हम आपसे भी नियमन चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, हो गया।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री गुरुदास दासगुप्त बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): पहले सदस्य और स्पीकर का टकराव रोका जाए।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, उच्चतम न्यायालय कहता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री गुरुदास दासगुप्त की बात को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया, यह ठीक नहीं है। हमने आज एक प्रक्रिया का विकास किया है क्योंकि अनेक माननीय नेतागण अपने विचार प्रकार करना चाहते थे। यह पिछले अवसर पर अत्यन्त ही गंभीरता से और सीधे मुद्दे पर किया गया था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसा नहीं कीजिए। मैं आपसे अपील करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अन्यथा, मैं चर्चा रोक दूंगा यदि आप इस प्रक्रिया से बाहर जाते हैं। कुल मिला कर हम भी अपने अधिकार के हकदार हैं हमें दो के बीच असंतोष पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम सभी अपने दायित्वों के प्रति सचेत हैं। मैंने शुरू में अनुरोध किया था कि हमें इस तरह से कार्य करना चाहिए जो हमारी गरिमा को बनाए रखता है और उच्चतम न्यायालय की गरिमा को भी बनाए रखता है। जहां तक न्यायापालिका का संबंध है उच्चतम न्यायालय हमारे देश का सर्वोच्च मंच है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैंने यह कहा है। कृपया उनसे व्यवधान न डालने के लिए कहें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान न डालिए अब व्यवधान डालने की यह आदत छोड़ दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। यह करने का तरीका नहीं है। अब आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री गुरुदास दासगुप्त की बात को छोड़कर किसी की भी बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*...(व्यवधान)**

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): अध्यक्ष महोदय, हम इस सभा में प्रत्येक राजनीतिक विचारधारा के लोग अत्यन्त ही क्षुब्ध हैं। हम कुछ टिप्पणियों से अत्यन्त ही आहत हैं। मैं अत्यन्त ही आदर के साथ कहना चाहता हूं कि ये टिप्पणियां अनावश्यक हैं और अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। गैर-सरकारी संस्थानों में आरक्षण के बारे में निर्णय पर बोलते हुए इस सभा में किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया जिससे टकराव हो।

इसकी कोई भी प्रतिध्वनि नहीं थी। हमें उस चर्चा को याद करना चाहिए। न्यायपालिका के विवेक पर कोई प्रतिध्वनि न हो यह महसूस किया गया था कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत की रक्षा करनी चाहिए और उसके लिए इस सभा में इसके अनुमोदन के लिए एक विधेयक लाने की आवश्यकता है। हम ऐसा महसूस इसलिए करते हैं कि सामाजिक न्याय को भारत के संविधान का मूलाधार माना जाता है।

मैं स्मरण करता हूं कि 1969 में, बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था। 1970 में, 'प्रिविपर्स' (निजी थैली) की समाप्ति को भी संविधान के अधिकारातीत घोषित कर दिया गया था। 1986 में, विख्यात या कुविख्यात, आप जो चाहे कह सकते हैं, शाहबानो मामले पर फैसला आया था। उन सभी अवसरों पर संसद ने न्यायिक निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का विकल्प चुना था। कृपया स्मरण करें कि उन सभी अवसरों पर संसद ने प्रत्युत्तर दिया और हमने कानून बनाया। मेरा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

कहना यह है कि जब उन अवसरों पर संसद ने प्रत्युत्तर दिया तो न्यायपालिका के किसी सदस्य ने टकराव का एक भी शब्द नहीं कहा। उच्चतम न्यायालय ने विशेष अधिनियम को अधिकारातीत घोषित किया और संसद ने एक नया कानून बनाकर इस पर प्रत्युत्तर दिया। शत्रुता के एक भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था।

नई स्थिति क्या है? संविधान अंगीकार करने के 57 वर्षों बाद यह स्थिति आई है। हमने अपना काम कर दिया। न्यायपालिका ने अपना काम किया। मैं प्रो. रामगोपाल यादव से सहमत हूं कि न्यायपालिका को संसद की चर्चाओं पर विचार रखने का अधिकार है। उन्हें अधिकार है और उन्हें उस अधिकार का प्रयोग निर्भीकतापूर्वक करना चाहिए क्योंकि संविधान उन्हें वह अधिकार देता है। संसद को भी एक नया कानून बनाकर स्थिति का प्रत्युत्तर देने का भी उतना ही अधिकार है। किंतु उसमें नवीनता क्या है? संसद के विचार-विमर्श पर इससे पहले कभी भी ऐसी तीखी टिप्पणी नहीं की गई थी। यह एक नई बात है। इस नई बात के कारण, शत्रुतापूर्ण बात के कारण, असहिष्णुता के कारण, अनावश्यक टिप्पणी के कारण, हम आहत हैं। हम इसलिए आहत हैं कि संसद को इसका कार्य अवश्य करने दिया जाना चाहिए था। न्यायपालिका को भी उसका कार्य अवश्य करने दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आपको किसने रोका है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: रोका है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: यह असहिष्णुता की बात है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। मैं केवल यह कह रहा हूं कि न्यायपालिका द्वारा पहले कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं की गई थी। यह एक तरह की चेतावनी है। भारत के संविधान में राज्य के विभिन्न अंगों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों और कार्य करने का उपबंध किया गया है। विद्वेष, असहिष्णुता या राज्य के किसी अंग द्वारा दूसरे के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण से भारत का संविधान खतरे में पड़ जाएगा। इन्हीं चीजों से लोकतंत्र को खतरा है और संविधान कमजोर पड़ता प्रतीत होता है।

अत: मेरी दलील है कि इस प्रकार का विद्वेष समाप्त होना चाहिए और सौहार्दपूर्ण कार्यकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संसद आदरणीय है। हम लोग न्यायपालिका के प्रति भी आदर भाव रखते हैं। हमें यही उम्मीद न्यायपालिका से भी है। यही कारण है कि मैं सूझबूझ, संवैधानिक सूझबूझ और भारतीय संविधान की अलंघ्यता की वकालत करता हूं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदय, हमें इस घटना से बहुत सदमा पहुंचा है। लोकतंत्र के तीनों अंगों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करना चाहिए। हमें संविधान द्वारा जो भी अधिकार या शक्तियां प्रदान की गयी हैं, हमें अपनी सीमा के अंदर कार्य करना चाहिए।

अत: हमें लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए। मैं आपकी इस बात से शत-प्रतिशत सहमत हूं कि हमें लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए। हम जनता के प्रतिनिधि है। संवैधानिक कानून ही नहीं बल्कि कोई भी कानून अपरिवर्तनीय नहीं होता ह। हमें जनमत और उनकी आकांक्षाओं को परिलक्षित करना चाहिए। अत: हमने संविधान में उल्लिखित सामाजिक न्याय के सिद्धांत के प्रति समुचित प्रतिबद्धता दिखाई है। इसका कारण यह हैं कि उस समय देश को एकता के सूत्र में बांध कर रखना समय का तकाजा था। यदि इस आरक्षण नीति का पालन नहीं किया जाता या संविधान में स्वीकार नहीं किया जाता तो उस समय देश को एकता के सूत्र में बांध कर रख पाना कठिन होता। अत: हमें वापस अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालनी चाहिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने किस प्रकार इस पहलू पर विस्तार से चर्चा की थी। देश को एक जुट रखने के लिए हमने सामाजिक न्याय के इस सिद्धान्त को अपनाया है। हम सामाजिक न्याय के इस सिद्धांत से दूर नहीं भाग सकते हैं।

हमें उन सभी लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करना चाहिए जो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अब निजी क्षेत्र तथा उच्च शिक्षा में भी इसकी आवश्यकता हो गयी है। शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बालक और बालिकाओं के साथ न्याय किया जाना चाहिए। यही इस सभा का विवेक है। इस देश की जनता भी यही चाहती है। हमें इसके लिए कानून बनाने हेतु आगे बढ़ना चाहिए। इस कानून को लाने में हम सरकार का शत-प्रतिशत समर्थन करेंगे। अत: आपसे साग्रह निवेदन है कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायपालिका के साथ कोई टकराव न हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने अपने विवेकानुसार यह निर्णय दिया है। उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था। इसीलिए उन्होंने इस देश के कानून का संरक्षक होने के नाते हस्तक्षेप किया है। अब समय की मांग यह है कि हम इस संबंध में कोई कानून बनाएं ताकि उच्चतम न्यायालय इसमें दखल न दे सके और देश

में यह कानून लागू हो सके। अब यह आवश्यक हो गया है। हमें संविधान में संशोधन करने के लिए आगे आना होगा। हमें कतिपय कानून बनाना होगा। इससे कानून का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में देश को ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के सभी अंगों को मदद मिलेगी। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी आप बैठिए। वैसे लीडर को बुलाते हैं, लेकिन अभी आपके लीडर नहीं हैं, डिप्टी लीडर भी नहीं है, आज आप लीडर बन गए हैं, तो आपको बुलाएंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार (नालन्दा): अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने सभी पक्ष के माननीय सदस्यों को अपनी राय प्रकट करने का अवसर दिया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। यह एक संवेदनशील मसला है और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आप सांसद हैं इसलिए स्पीकर हैं और साथ-साथ पेशे से वकील भी हैं। ...*(व्यवधान)* इसलिए आप दोनों क्षेत्र को ठीक ढंग से समझ सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी तो सब चला गया।

...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: इसलिए आपने इस विषय पर सबको अपनी राय रखने का अवसर दिया।

राम गोपाल जी ने ठीक कहा और मैं उनसे सहमत हूं कि यह प्रश्न किसी भी प्रकार से न्यायपालिका या संसद के बीच टकराव का नहीं है और कोई ऐसा प्रश्न भी पैदा नहीं हुआ, ऐसी परिस्थिति भी पैदा नहीं हुई जो कुछ भी समाचार पत्रों में आज पढ़ने को मिला, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कोई बात कही है। सरकार के पास उनके लॉ ऑफिसर्स होते हैं, सबसे बड़े लॉ ऑफिसर मौजूद रहते हैं, वे किस प्रकार अपनी बात रख रहे हैं, यह देखना उनका काम है। संयोग से कानून मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। यह भी विलक्षण प्रतिभा के धनी कानून दा हैं। इनको भी देखना चाहिए कि आखिर कौन से निर्णय हैं जिन्हें आप महीनों लंबित रखते हैं। उसके चलते भी कभी-कभी विवादास्पद स्थिति पैदा होती है। यह अलग बात है। इसलिए सरकार को अपना पक्ष ठीक ढंग से रखना चाहिए और न्यायपालिका को अपना काम करने में सरकार को ठीक ढंग से सहयोग भी प्रादन करना चाहिए। यह देखना सरकार का काम है। मेरी समझ से संसद से किसी भी प्रकार के टकराव की बात उभर कर सामने नहीं आई।

इस विषय पर दो बातें हैं। संसद के अपने अधिकार हैं, संविधान सर्वोच्च है। न्यायपालिका को संविधान ने अधिकार दिया है और संसद के भी कुछ दायित्व और अधिकार हैं। कानून बनाना संसद का काम है। हमने उस दिन अपनी राय रखी थी। कल भी एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, एक प्रश्न उभरकर सामने आया था, जिसमें सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अमली जामा पहनाने की बात थी।

सभी पक्ष के लोगों ने इस पर सहमति प्रकट की है और उसके लिए सरकार को आगे बढ़कर कानून लाना चाहिए। सरकार तो पहले हाथ खड़ा कर देती है। उसके बाद सभी दल के लोग उनको सलाह देते हैं तब उसके आधार पर सरकार आगे काम करती है, यह ठीक है। उस दिन हमने भी राय दी थी कि एक सर्वदलीय बैठक हो। वह बैठक हो गयी है और उसमें एक राय उभरकर आयी है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किसी भी प्रकार से संसद और उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका के बीच टकराव की बात नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न का उल्लेख यहां जरूर करना चाहूंगा। कल दलित क्रिश्चियन के मामले में वहां चर्चा हो रही थी। अध्यक्ष महोदय, हम कब तक निर्णय को टालते रहेंगे। इस देश में धर्म बदल लेने से व्यक्ति की जात नहीं बदलती। यह बापू जी ने भी कहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम लोग इस मामले के गुणावगुण पर विचार नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: मैं तीन वाक्य में अपनी बात पूरी कर दूंगा, नहीं तो इसके लिए मुझे अलग से आपसे मिलकर समय मांगना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप समय मांगिए। ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: आपका ही समय बच गया। आज इस अवसर पर चर्चा चल रही है इसलिए मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं। यह प्रश्न ईसाइयों में भी है और मुसलमानों में भी है। हिन्दु धर्म में जो जातियां हैं, जो आज अनुसूचित जाति मानी जाती हैं, उसी प्रकार की जातियां मुस्लिम सम्प्रदाय में हैं, उनको अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं मिलती, यह अन्यायपूर्ण है। वह हर प्रकार से शिकार होते रहे हैं। उनका पेशा एक है। इसलिए मुस्लिम समाज में इस प्रकार की जातियां हैं, इक्वलेंट जातियां हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या बात कर रहे हैं? आप में थोड़ी सहनशक्ति होनी चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: यह एक ऐसा प्रश्न है *...(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ मित्रों को एतराज हो रहा है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सीधा संबंध सिद्धांत से है, विचारधारा से है और मैं उस विचारधारा में विश्वास करता हूं जिसमें इनका विश्वास नहीं है। इसलिए हम खुले तौर पर कहना चाहते हैं कि मुसलमान में जो दलित जातियां हैं, उनको भी अनुसूचित जाति में शामिल करना चाहिए। यह एक प्रश्न है। जिसका समाधान होना चाहिए। गांधी जी ने भी कहा है, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नीतीश जी, कृपया सहयोग कीजिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, कालीन के नीचे किसी चीज को डालने से काम नहीं चलेगा। मैं पुन: दोहराना चाहता हूं कि धर्म बदलने से आदमी की जात नहीं बदलती है। यह सबको मालूम है कि यहां पर किस प्रकार से मुसलमानों की ज्यादा संख्या हुई या ईसाइयों की ज्यादा हुई, यह सब धर्म परिवर्तन से हुआ। ऐसी स्थिति में उनकी बुनियादी जात बदलती नहीं है। जिस प्रकार से भी उनको झेलना पड़ता है, उसी प्रकार की उपेक्षा का शिकार वह भी होता है चाहे वह ईसाई हो या मुसलमान हो, हर जगह होता है। *...(व्यवधान)* यह जो सिद्धान्त है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, किसी धर्म निरपेक्ष या कनफाइन नहीं होना चाहिए। *...(व्यवधान)* यह आस्था का प्रश्न है। उसमें भी सरकार को आगे बढ़कर जो अनुसूचित जाति में आने लायक मुस्लिम जगत की जातियां हैं, उनको भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाये जाने के लिए आपको आवश्यक विधेयक लाना चाहिए और उस पर *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं, आप खड़े क्यों हैं? क्या आप अध्यक्ष हैं? सिर्फ बोलने से आप अध्यक्ष नहीं हो जाते हैं। मैंने आपके दल के नेता से ही शुरू किया है जबकि उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया है। इसलिए, मैं इसे विनियमित करने की कोशिश कर रहा हूं और पिछली बार कतिपय मामलों में बहुत ही सम्मानजनक उत्तर भी प्राप्त हुआ था।

[हिन्दी]

श्री नीतीश जी, अपनी बात समाप्त कीजिए। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, आप जब खड़े होकर कुछ निर्देश दे रहे थे, तो उस बीच में उधर से कुछ आवाज आई कि वोट के लिए यह ऐसा कर रहे हैं। माफ करियेगा, वोट के लिए आप करते होंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस पर ध्यान मत दीजिए। इसे रिकार्ड में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: यह सिद्धांत का प्रश्न है। आप लोगों को हम लोगों की पृष्ठभूमि के बारे में मालूम नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गोयल, आप बहुत शीघ्र एक दिन मुसीबत में फंस जाएंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे बहुत दु:ख है। आज मुझे चोट पहुंची है। मैंने आपके अनुरोध पर सभी से अपील की थी। मैंने सोचा कि यह महत्वपूर्ण अनुरोध है और इसलिए इसकी अनुमति दी ताकि इसका संदर्भ दिया जा सके।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मिस्टर मानवेन्द्र सिंह, आपके साथ भी एक दिन ऐसा ही होगा।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: आप पावर में हैं तो क्यों नहीं कर लेते। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप छोड़िए। यह बात रिकार्ड में नहीं आया।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं। यहां से कोई टकराव का संदेश नहीं जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इससे सहमत हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: वर्ना ऐसा एहसास होता है कि इस देश ने कई बार टकराव देखे हैं, इस देश में एमर्जेंसी लागू हुई है और इस देश में कमिटेड ज्यूडिशियरी की भी बात हुई है और आज वे लोग फिर से सत्ता में हैं। कहीं फिर से इस संसद का इस्तेमाल करके *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नीतीश जी, आप एक मुखर सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: इसलिए निष्पक्ष ड्यूडिशियरी होनी चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका को जो अधिकार संविधान ने दिया है, हम उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब कोई और नहीं। अब श्री ढींडसा बोलेंगे। केवल श्री ढींढ़सा द्वारा कही बातें कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित की जाएंगी।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: ढींढ़सा जी, आप कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें। आपने उस दिन बहुत ही गरिमामय भाषण दिया। अत:, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर): सर, मैं आज भी वैसे ही करूंगा। सर, मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ दिन से यहां चर्चा हो रही थी कि ज्यूडिशियरी और लेजिस्लेचर में कहीं टकराव न आ जाए। उसके लिए आज सभी मैम्बर्स ने कहा है कि इसमें टकराव नहीं होना चाहिए, यह हाउस की सहमति है। जहां तक कानून का सवाल है, उस पर सहमति है लेकिन मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहले तो मैं यह कहूंगा कि रिजर्वेशन जो हमारे पंजाब में है, जब यह रिजर्वेशन आता है तो एक तबका कहता है कि इसे 98 प्रतिशत अधर्मी ले गये और जहां पर दूसरी जो सब-कास्ट्स हैं, जैसे कोई मजहबी है, कोई रामदासिया है या कोई दूसरा है, तो यह उनको नहीं मिलता। इसलिए मैं कहूंगा कि यह हमें स्टेट्स पर छोड़ना चाहिए क्योंकि स्टेट्स में अलग-अलग तरह की सब-कास्ट्स होती हैं जिनको पूरा इंसाफ नहीं मिलता है। इसलिए मैं एक बात कहने जा रहा हूं कि सरकार को यह सर्वे करवाना चाहिए कि रिजर्वेशन जिन लोगों के लिए किया गया है, क्या उनको यह रिजर्वेशन का फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है, यह भी हमें सर्वे करवाना चाहिए। यह फैमिलीज को नहीं है कि जो फायदा वे ले रही हैं। वे अगर सर्वे करेंगे कि जिनके लिए हमने रिजर्वेशन किया है, उसका फायदा उनको जाना चाहिए, यह सरकार को सोचना चाहिए और पार्लियामेंट को भी सोचना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. रामदास जी कृपया बोलें।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले। मैंने 'प्रोफेसर' कहा। मैं नहीं जानता कि आप किस विषय के प्रोफेसर हो सकते हैं।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, संसद में हमारी इस चर्चा का केवल सीमित प्रयोजन होना चाहिए, और वह प्रयोजन यह है कि उच्चतम न्यायालय को यह बताया जाए कि संसद ने न्यायपालिका की शक्तियों और प्रकार्यों का अतिक्रमण करने के लिए कुछ नहीं किया है। इसका प्रयोजन उच्चतम न्यायालय को यह बताना होना चाहिए कि हमने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर कोई आक्षेप नहीं लगाया है या किसी प्रकार का विचार व्यक्त नहीं किया है। उच्चतम न्यायालय ने कई विशेष याचिकाओं को निपटाते हुए अनुच्छेद 19(1)(छ) और 19(6) में गारंटी प्राप्त मूल अधिकारों की व्यवस्था करते हुए अपना निर्णय दिया है और उन्होंने इसकी व्याख्या सही ढंग से की। उन्होंने सरकार से कहा है कि सरकार को एक व्यापक विधान लाना चाहिए।

अब, हमारे विचार से, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते, हमें लगा कि यह निर्णय भारतीय संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात था, नामत: सामाजिक न्याय पर, जो लोगों के प्रतिनिधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मसला है। यह सामाजिक न्याय आज दांव पर लगा हुआ है। इसलिए, हमने इसे चर्चा के लिए लिया। दुर्भाग्यवश, ऐसा प्रतीत होता है कि जिस पर हमने चर्चा की और जो माननीय न्यायाधीशों ने समझा उसके बीच में सही संप्रेषण न हो पाना है। माननीय न्यायाधीशों को संसद में हुई चर्चा पर जल्दबाजी में विचार व्यक्त नहीं करना चाहिए था। इसलिए, हमें संसद के माध्यम से उच्चतम न्यायालय और न्यायपालिका को यह संदेश देना चाहिए कि हमारे और उनके बीच कोई टकराव नहीं है। हम अपना कार्य कर रहे हैं, वे अपना कार्य कर रहे हैं और सारी व्यवस्था ठीक है।

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद। यह एक गरिमामय भाषण था।

अब, श्री इलियास आजमी बोलेंगे। केवल आज के लिए मैं आपको अल्पकालिक नेता के रूप में मानूंगा। आपको अपनी बात बहुत संक्षेप में कहनी चाहिए और कोई टकराव और उकसाने वाली बात कृपया न कहें।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: अध्यक्ष जी, आपने यह कैसे मान लिया कि मैं कंफ्रंटेशन करूंगा?

अध्यक्ष महोदय: आप करते नहीं हैं। यह आपका रिकार्ड है।

श्री इलियास आजमी: अध्यक्ष जी, कहीं से यह नजर नहीं आता है और कोई ऐसी बात नहीं है कि विधायिका और न्यायपालिका में कोई टकराव है। यह ...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी: जबर्दस्ती टकराव की बात करना जबकि कोई टकराव नहीं है, ठीक नहीं है। हम लोग न्यायपालिका का सबसे ज्यादा एहतराम करते हैं और आज तो वे लोग भी न्यायपालिका का एहतराम करने लगे हैं जिन्होंने अपने इतिहास में न्यायपालिका का कभी भी एहतराम नहीं किया। इस तरह अब तो पूरी पार्लियामेंट न्यायपालिका पर एहतराम कर रही है। उनका जो काम है वह करे और विधायिका का जो काम है, वह संसद और विधानसभाएं करेंगी। इसमें टकराव की क्या बात है। सोशल जस्टिस देना सरकार की जिम्मेदारी है। जिन लोगों को सदियों से इंसाफ नहीं मिला है या जो अब इंसाफ पाने से पिछड़ गए हैं, जो भी सरकार आए, उन लोगों को न्याय देना उसकी जिम्मेदारी है। बार-बार यह कहना कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट को और पूरे मुल्क को गुमराह करने की श्रेणी में आता है।

अध्यक्ष महोदय: यह क्या गुमराह-गुमराह बोल रहे हैं।

श्री इलियास आज़मी: जब शिडयुल्ड कास्ट के लिए आरक्षण से शुरुआत हुई थी, उसमें शिडयुल्ड कास्ट के लिए हिन्दू होने की शर्त रखी गयी। बाद में सिख और बुद्धिस्ट उसमें जोड़े गए लेकिन मुसलमान और ईसाई उसमें आज तक नहीं जोड़े गए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपने अपनी बात कह ली, अब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सहयोग के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: महोदय, मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। *...(व्यवधान)* सारा आरक्षण ही धर्म के आधार पर शुरू हुआ है और आज तक धर्म के आधार पर चल रहा है। हिन्दू धोबी, सिख धोबी और बुद्धिस्ट धोबी आरक्षण पाता है, लेकिन मुसलमान या ईसाई धोबी आरक्षण नहीं पाता है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसको जानते हैं कि अभी यह प्वाइंट नहीं है। ठीक है, आपने अपना व्यु दे दिया है, अब बैठ जाइए।

श्री इलियास आज़मी: दूसरे बुनकर, मेहतर, सफाई कर्मचारी आरक्षण पाते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं पाता है। इसीलिए यह कहना कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं है। जब सारा धर्म के आधार है तो आगे भी धर्म के आधार पर होने में कोई दिक्कत नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आजमी जी, प्लीज को-ऑपरेट कीजिए। मेहरबानी करके बैठ जाइए।

श्री इलियास आज़मी: कृपया मुझे बोलने दीजिए। जब से खड़ा हुआ हूं, आपने रोकना शुरू कर दिया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या बोल रहे हैं?

[अनुवाद]

यदि आप फिर बेबुनियाद बातें करेंगे तो मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। यह आपकी आदत है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बेहतर होगा यदि आप इस आदत को छोड़ दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी: आपने दो-तीन सदस्यों वाली पार्टियों के लोगों को बोलने का ज्यादा समय दिया है। मैं 20 सदस्यों की ओर से बोल रहा हूं, इसलिए मेरी बात सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय: अब नहीं सुनूंगा। यह कोई मजाक की जगह नहीं है।

श्री इलियास आज़मी: महोदय, मैं आपकी इसी टिप्पणी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपने जो कहा है, वह रिकार्ड में है।

[अनुवाद]

यह निर्णय लिया गया था कि केवल नेता ही बोलेंगे। आज मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है परन्तु आप फिर वैसे मुद्दे उठा रहे हैं जो टकराव वाले हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी: यह कहना कि मुसलमानों को कुछ न मिले कंफ्रंटेशन नहीं है और अगर मैं यह कहूं कि धर्म के आधार पर जो आरक्षण है, उसे खत्म कीजिए और आरक्षण से धर्म को निकालिए तो वह कंफ्रंटेशन है। अध्यक्ष जी, आप इंसाफ कीजिए, आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया सहयोग करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, इस मामले को 'प्रश्न काल के बाद महत्वपूर्ण विषयों को उठाना' के अंतर्गत उठाने के लिए श्री सुशील कुमार मोदी, श्री वरकला राधाकृष्णन, श्री रामदास आठवले और डा. मन्डा जगन्नाथ ने सूचना दी थी। चूंकि हम इस पर सहमत हैं, इसलिए मैं मानता हूं, इन सभी के नाम इस चर्चा से जोड़े जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने अपने नाम दिये थे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, बैठ जाइए। आपके लीडर बोल चुके हैं।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों को सुना *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री ओवेसी, कृपया सहयोग करें।

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.00 बजे

अध्यक्ष महोदय: यह एक बहुत ही गंभीर मामला है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं कि आप एक गंभीर सदस्य हैं। मैं भी आपका आदर करता हूं।

...(व्यवधान)

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर की गई टिप्पणियों को सुना है। जैसाकि आपने ठीक ही कहा कि हमें अपनी टिप्पणियां देते समय अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए, इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। बहुत सारी टिप्पणियां की गई हैं जो मेरे अनुसार जिस विषय पर आपने सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है उसके विषय क्षेत्र की परिधि के बाहर की है।

जहां तक सरकार की स्थिति का प्रश्न है, मैं इसे पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहूंगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य और कानून के राज का मूल है। संविधान के अंगीकरण के बाद से, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अपने विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के अंदर कार्य कर रही है। इसका श्रेय हमारी संसदीय प्रणाली को जाता है। हमें गर्व है कि हमारे यहां स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसका कार्य कानून और संविधान की व्याख्या करना है। सरकार ऐसा मानती है कि न्यायिक निर्णयों के प्रति उचित आदर दिखाया जाना चाहिए।

हमारा यह भी मानना है कि विधायिका को सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करना होता है। ऐसे अवसरों पर जहां राष्ट्रहित में यह मांग होती है कि सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए विधियों का अधिनियमन किया जाना चाहिए वहां विधायिका ने उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए विधियों का अधिनियमन किया है। कभी भी किसी प्रकार की टकराहट नहीं रही है और किसी विधायी कार्रवाई के कारण क्षोभ व्यक्त करने का कोई अवसर पैदा नहीं हुआ है। *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: माननीय विधि मंत्री को कुछ कहना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। सदन के नेता यहां मौजूद हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अभी तक नेता नहीं हैं। आप अपने अधिकार से नेता हैं, इस सभा के नेता नहीं हैं।

...(व्यवधान)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुखियारी (कोकराझार): महोदय, मैं सरकार से निजी शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने के प्रश्न पर सरकार के मंतव्य के बारे में जानना चाहूंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अध्यक्ष को भी कुछ कहने देंगे? क्या आप पीठ को कुछ कहने देंगे? आपके उदार सहयोग के लिए धन्यवाद।

मैंने माननीय नेताओं को उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों पर कुछ सकारात्मक चर्चा करने की अनुमति दी है क्योंकि माननीय सदस्यों और नेताओं ने महसूस किया कि ऐसी चर्चा करने की अनुमति दी जा सकती है। अत: सिर्फ आज के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है। किन्तु जैसाकि मैंने पहले कहा, इस मामले को बहुत सावधानी के साथ लिया जाना चाहिए। हमें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिसे गलत समझा जाए।

जो कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है, उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पिछले मौके पर सभा ने सर्वसम्मति से अपने विचार व्यक्त किये थे। वह भी इस संस्था की महानता थी। जब भी अवसर आता है, सभा अपने मतभेदों को भूल जाती है और एक ध्वनि से उन मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करती है जो कुल मिलाकर इस देश की जनता से संबंधित होते हैं और यही कार्य सुस्पष्ट रूप से किया गया। सभा के सभी वर्गों ने अपने विचार व्यक्त किये थे। जैसाकि मैंने कहा हम संविधान के अनुसार काम करने के लिए बाध्य हैं। विधायिका की अपनी शक्तियां हैं और सर्वोच्च विधायी निकाय के रूप में संसद निश्चित रूप से संविधान के अंतर्गत अपने अधिकारों के अनुसार काम करेगी। इसी प्रकार बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के, न्यायालयों के अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करने के अपने अधिकार हैं और कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब इसके बाद, इस संसद द्वारा पारित कानूनों की व्याख्या करना निस्सन्देह न्यायालय का अधिकार है। अत: संसद द्वारा पारित अनेक कानून अधिकारातीत घोषित कर दिए हैं और ये प्रत्येक व्यक्ति पर बाध्यकारी हैं। अत: जो बात महत्वपूर्ण

है, वह यह है कि विधानमंडल और न्यायालय जैसे बड़े सांविधानिक संगठनों के बीच मधुर और सामंजस्यपूर्ण संबंध होने चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना अथवा कहा जाना चाहिए जिससे अपरिहार्य विवाद पैदा हो। जो चीज मुझे लगती है वह यह है कि कल उच्चतम न्यायालय ने जो टिप्पणियां की3, वे किसी निर्णय का हिस्सा नहीं थीं।

यह उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी मामले के निर्णय के बारे में नहीं है बल्कि यह जो कुछ सभा में हुआ है उसके बारे में उच्चतम न्यायालय के कतिपय विचारों की अभिव्यक्ति के बारे में है। अत: हम अपने आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा नहीं करना अथवा कहना चाहिए जिसे गलत समझा जाए। किन्तु हम भी संवैधानिक उपबंधों के अनुसार कानून बनाने का अपना अधिकार नहीं छोड़ रहे हैं जिसका उच्चतम न्यायालय को निस्संदेह उपयुक्त समय पर व्याख्या करने का अधिकार होगा।

मैं आशा करता हूं कि सभा की सर्वसम्मति से व्यक्त यह राय कि कानून आवश्यक है, पर यथाशीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

अपराह्न 1.06 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) उड़ीसा सरकार के कोरियाई स्टील मेजर पोस्को के साथ हुए समझौते, जिसमें उन्हें देश की खनिज संपदा का निर्यात करने की अनुमति दी गई है, से उत्पन्न स्थित

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 24-ध्यानाकर्षण को लेंगे। इसके बाद हम अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर आएंगे।

आज कोई भोजनावकाश नहीं होगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले पर खान मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दें:

"कोरियाई इस्पात कंपनी पोसको के साथ उड़ीसा सरकार के हाल के समझौते से पैदा होने वाली स्थिति, जिसमें उसे देश की खनिज सम्पदा का निर्यात करने की अनुमति दी गई है और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

[हिन्दी]

***खान मंत्री (श्री शीश राम ओला):** अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार उड़ीसा सरकार और मै. पोस्को ऑफ दि रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच 22 जून, 2005 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कोरियन कम्पनी, इस्पात निर्माण, एकीकृत इस्पात संयंत्र और संबंधित परियोजनाओं के लिए आवश्यक बुनियादी संरचना तथा लौह-अयस्क एवं अन्य अयस्कों के खनन से संबंधित क्षेत्रों में उड़ीसा में निवेश करने के लिए एक भारतीय कम्पनी स्थापित करेगी। समझौता ज्ञापन में प्रस्तावित निवेश लगभग 12 बिलियन यू.एस. डॉलर अथवा 51,000 करोड़ रुपए (अनुमानित) होगा।

अपराह्न 1.07 बजे

[श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन हुईं*]

इस परियोजना के फलस्वरूप इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास होगा। पोस्को खान स्थल से इस्पात परियोजना तक एक समर्पित रेलवे लाइन का निर्माण करेगा। पोस्को के पास पारादीप मेजर पोर्ट पर एक माइनर पोर्ट अथवा एक बर्थ का निर्माण करने का विकल्प है। कंपनी को जल आपूर्ति, हाउसिंग और विद्युत आपूर्ति सहित टाउनशिप विकसित करने के लिए लागत पर भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी।

समझौता ज्ञापन से यह स्पष्ट होता है कि 12 मिलियन टन प्रतिवर्ष की प्रस्तावित इस्पात परियोजना की जरूरत को पूरा करने के लिए कम्पनी को 62 प्रतिशत लौह तत्व युक्त लगभग 600 मिलियन टन लौह अयस्क की जरूरत होगी। कम्पनी पारादीप परियोजना में बेहतर गुणवत्ता का इस्पात उत्पादन करने और ऊर्जा संरक्षण करने के लिए उच्च एल्युमिना तत्व वाले लौह अयस्क का निर्यात कर ऐसे लौह अयस्क की उतनी ही मात्रा, जो पारादीप संयंत्र की वार्षिक कुल आवश्यकता के 30 प्रतिशत से अधिक न हो, आयात कर सकती है, जिसमें मिश्रण के लिए समान या बेहतर लौह तत्व और एल्यूमिना तत्व वाला लौह अयस्क हो। समझौता ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऊपर उल्लिखित सीमा के भीतर और उच्च ग्रेड ओर की समान मात्रा के आयात के माध्यम से पूर्णत: बदली करने के सिवाय कैप्टिव खान से लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति नहीं होगी। उड़ीसा सरकार, कंपनी द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुसरण करने और अपेक्षित मानदण्डों को पूरा करने पर उसे 600 मिलियन टन लौह अयस्क के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे प्रदान करने पर सहमत हो गई है।

सभी खनिज रियायतें अर्थात खनन पट्टा, पूर्वेक्षण लाइसेंस, टोही परमिट राज्य सरकारों द्वारा दिए जाते हैं। खान मंत्रालय, खान

---

*ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2767/2005।

[श्री शीश राम ओला]

और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के अंतर्गत अनुसूचित खनिजों के संबंध में पूर्व अनुमोदन प्रदान करता है। तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा खनिज रियायतें दी जाती हैं। लौह अयस्क एक अनुसूचित खनिज होने के कारण इसके लिए भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा। तथापि, खान मंत्रालय को उड़ीसा राज्य सरकार से मै. पोस्को को पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टा मंजूर करने के लिए प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

जब राज्य सरकार से विधिवत अग्रेषित आवेदन प्राप्त होगा, खान मंत्रालय विधि अनुसार और संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करने के बाद प्रस्ताव की विस्तार से जांच करेगा। माननीय संसद सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों पर, मामले की जांच के समय यथोचित ध्यान दिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: सभापति महोदय, भारत सरकार और दक्षिण कोरिया की पोस्को कंपनी के बीच समझौता ज्ञापन उड़ीसा के ऐसे दुर्लभ खनिज लौह अयस्क को....* सुकर बनाएगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस विशेष कंपनी को भारी रियायत दी जा रही है। वे पारादीप में इस्पात संयंत्र लगाएंगे।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक): महोदया, मैं उनके शब्दों पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बोलते समय माननीय सदस्य ने कहा कि "यह सुकर बनाएगा .... खनिज सम्पदा" क्या इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा? कोई भी सरकार चाहे वह केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार हो, वह नहीं करेगी। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: यह असंसदीय नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सेठी: उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: यह असंसदीय नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सेठी: कौन।

श्री बसुदेव आचार्य: मुझे स्पष्ट करने दीजिए *...(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सेठी: वह कह सकते हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़): बंगाल वाले उड़ीसा की प्रगति सहन नहीं कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: मुझे स्पष्ट करने दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सेठी: सभापति महोदया, कृपया इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दीजिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: मैं देखूंगी कि क्या उसमें कुछ आपत्तिजनक है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: यदि कुछ है तो मैं इसकी जांच करूंगी।

...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): यदि श्री बसुदेव आचार्य यह सुझाव दे रहे हैं कि उड़ीसा सरकार द्वारा किया जाने वाला समझौता ज्ञापन कैसा होना चाहिए, तो उन्हें प्रस्ताव लाना चाहिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: क्या ये लोग हमें नसीहत देंगे कि हमें उड़ीसा में क्या करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, मुझे यह कहने का पूरा अधिकार है। यदि मैंने किन्हीं असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है तो आप उन्हें कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल सकते हैं। मैंने किन्हीं असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): पिछले म्युनिसपेलिटी के इलेक्शन में इन्होंने अपने उम्मीदवार को पिटवाया, एमपी को पिटवाया *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: वे 12 मिलियन टन क्षमता वाला इस्पात संयंत्र स्थापित करेंगे और पॉस्को को रक्षित लौह अयस्क खान दिया जाएगा।

वे रक्षित खानों से 600 मिलियन टन लौह अयस्क निकालेंगे। कंपनी को लाइसेंस मिलने के दिन से 33 महीने के बाद इस्पात संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इस विशेष कंपनी को इस तरह से पक्ष क्यों लिया जा रहा है? वे अनुज्ञप्ति जारी करने के पश्चात्

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

तत्काल लौह अयस्क निकालने लगेंगे, हालांकि, केन्द्र सरकार की अनुमति और अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

600 मिलियन टन लौह अयस्क में से 30 प्रतिशत ब्राजील को निर्यात किया जाएगा क्योंकि उड़ीसा के लौह अयस्क में अल्युमिना का प्रतिशत अत्यन्त ही अधिक है। दूसरी ओर, उन्हें ब्राजील से उतनी ही मात्रा में लौह अयस्क के आयात की अनुमति दी जा रही है जिसमें अल्युमिना का प्रतिशत कम है। 600 मिलियन टन के अलावा इस कंपनी को दक्षिण कोरिया में अपने इस्पात संयंत्र को 400 मिलियन टन लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। इसका अभिप्राय यह है कि दक्षिण कोरिया की इस कंपनी को उड़ीसा से प्रति 1000 मिलियन टन में से 600 मिलियन टन मिलेगा।

महोदया, हमारे देश में 18 बिलियन टन लौह अयस्क है और उड़ीसा में लगभग 4.5 बिलियन टन लौह अयस्क है। इस समझौता ज्ञापन से पहले विभिन्न इस्पात विनिर्माण कंपनियों के साथ लगभग 36 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। जिनके लिए कुल क्षमता लगभग 40 मिलियन टन लौह अयस्क होगी। इन 36 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के समय उड़ीसा खनिज विकास निगम से लौह अयस्क खरीदने की अनुमति किस दर पर दी गई थी उन्हें बाजार दर पर लौह अयस्क खरीदने की अनुमति दी गई थी। इस समय एक टन लौह अयस्क की कीमत क्या है यह 2000 रु. हो किंतु पॉस्को के मामले में, लौह अयस्क के प्रति टन निकासी अथवा उत्पादन लागत केवल 400 रु. होगी। इस तरह की भिन्नता क्यों है? इस कंपनी को इतने अधिक कम दाम पर लौह अयस्क लेने की अनुमति क्यों दी जा रही है? समझौता ज्ञापन में जिस कम मूल्य का निर्धारण किया गया है उसके परिणामस्वरूप उड़ीसा राज्य को कितना घाटा होगा? उड़ीसा सरकार का घाटा 1.20 करोड़ रु. होगा।

इतना ही नहीं, यह इस्पात संयंत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, और इसका अर्थ यह होगा कि इस कंपनी को आय कर, उत्पाद शुल्क और अन्य करों में भी रियायत मिलेगी। उड़ीसा सरकार को इनके कारण कितना घाटा होगा?

सभापति महोदया: आचार्य जी, कृपया संक्षेप में अपनी बातें रखिए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि इसके बाद दूसरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करनी है। अतएव, कृपया माननीय मंत्री जी से अपना प्रश्न पूछिए।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं प्रश्न पर आ रहा हूं महोदया।

इस कंपनी ने सबसे पहले ब्राजील की सरकार के साथ समझौता ज्ञापन करने का प्रयास किया था। ब्राजील में लौह अयस्क का सबसे विशाल भंडार है। उन्हीं शर्तों जिन पर उड़ीसा सरकार सहमत हुई थी कंपनी ब्राजील गई थी। किंतु ब्राजील सरकार उन शर्तों पर सहमत नहीं हुई। वे बाजार मूल्य पर लौह अयस्क देने पर सहमत थे। उड़ीसा सरकार ने काफी कम मूल्य पर लौह अयस्क की आपूर्ति करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। महोदया, उड़ीसा के लोगों को क्या लाभ मिलेगा? हजारों एकड़ जनजातीय भूमि अधिग्रहीत की जाएगी। उड़ीसा सरकार के वक्तव्य के अनुसार सिर्फ 13,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। *...(व्यवधान)*

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: यह बिल्कुल ही गलत सूचना है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: मैं आपके नेता को समय दूंगी और उन्हें अपनी बात रखने का अवसर होगा।

श्री खारबेल स्वाईं: वहां एक भी आदिवासी नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: समझौता ज्ञापन में जनजातीय लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना का प्रावधान नहीं किया गया है।

श्री ब्रह्मानन्द पाण्डा (जगतसिंहपुर): उन्हें जो बात वह कर रहे हैं उसके बारे में कोई बुनियादी जानकारी नहीं है।

सभापति महोदया: श्री आचार्य, अब कोई बात नहीं है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब: श्री आचार्य स्वयं उड़ीसा से प्रवास कर गए। उन्हें यह बात नहीं भूलनी चाहिए। मैं उन्हें उनके पूर्वजों का स्मरण करा रहा हूं।

श्री ब्रह्मानन्द पांडा: विद्वान सदस्य को इस विषय पर बोलने से पहले इस मुद्दे पर बुनियादी जानकारी होनी चाहिए।

सभापति महोदया: श्री आचार्य, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपकी ही पार्टी से एक अन्य सदस्य को भी बोलना है। दो मिनट में आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, कोरिया को यह लौह अयस्क इस तथ्य के बाद दिया जा रहा है कि भारत के पास 50 साल के लिए पर्याप्त लौह अयस्क नहीं है। हमारी प्रति व्यक्ति खपत विकासशील देशों में सबसे कम है। यह मात्र 32 कि.ग्रा. है। जबकि चीन में प्रति व्यक्ति खपत 270 कि.ग्रा. है। यह इस पर नहीं रहेगा। हमारी प्रतिव्यक्ति खपत में वृद्धि होगी। हमारे मांग में भी वृद्धि होगी। यदि इस विशेष कंपनी को 30 प्रतिशत भंडार दे दिया जाता है तो हमारी इस्पात विनिर्माता कंपनियों का क्या होगा?

श्री भर्तृहरि महताब: चीन में?

श्री बसुदेव आचार्य: 36 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्हें बड़ी मात्रा में लौह अयस्क चाहिए। मैं माननीय खान मंत्री जी अच्छा वित्त मंत्री जी से अथवा चाहे जो उत्तर दे उनसे यह जानना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): खान मंत्री उत्तर देंगे।

श्री शीशराम ओला: मैं उत्तर दूंगा।

सभापति महोदया: श्री आचार्य, कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि देश की भावी आवश्यकताओं को किस तरह पूरा किया जाएगा। इस विशेष कंपनी को क्यों इस तरह की रियायत दी गई है? पॉस्को को बाजार दर की पेशकश क्यों नहीं की गई जैसाकि अन्य 36 कंपनियों, जिन्हें उड़ीसा राज्य में इस्पात संयंत्र स्थापित करना है, को पेशकश की गयी है। इसकी 40 मिलियन टन की क्षमता होगी। उनके मामले में बाजार दर 2000 अथवा 3000 रु. क्यों है जबकि पॉस्को के मामले में मात्र 400 करोड़ रु. है?

श्री भर्तृहरि महताब: यह उत्तर कौन देगा? खान मंत्री इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं हैं।

सभापति महोदया: वह कुछ कहेंगे। मैं उन्हें अवसर दे रही हूं। यह बिल्कुल ठीक है।

श्री भर्तृहरि महताब: यह प्रश्न सिर्फ उड़ीसा सरकार से पूछा जा सकता है। खान मंत्री द्वारा इस प्रश्न के उत्तर दिये जाने की कोई संभावना नहीं है।

अब खान नीति बनाए जाने की आवश्यकता है। क्या इस पर विस्तृत चर्चा नहीं होनी चाहिए। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने से पूर्व खान नीति पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। *...(व्यवधान)* यह समाप्त हो जाए इससे पहले भारत सरकार को खान नीति की घोषणा करनी चाहिए।

सभापति महोदया: अपनी पार्टी के ही सदस्य के लिए भी कुछ समय रहने दीजिए। अब आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री भंवर सिंह डांगावास (नागौर): नियमानुसार, उन्हें सिर्फ दस मिनट दिया जा सकता है।

सभापति महोदया: मैं यह देख रही हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: खान मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि खान मंत्री प्रस्ताव की विस्तृत जांच करेंगे क्योंकि उड़ीसा सरकार ने कानून के अनुरूप और संबंधित मंत्रालय के परामर्श से अनुमोदन के लिए प्रस्ताव नहीं भेजे हैं जब राज्य सरकार द्वारा भेजे गए आवेदन प्राप्त होते हैं तो आज माननीय सदस्यों द्वारा इस सभा में व्यक्त किये गये विचारों पर उपयुक्त विचार किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उड़ीसा सरकार और पॉस्को द्वारा हस्ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापन के संबंध में देश में व्यापक आलोचनाओं के मद्देनजर *...(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: सभी अखबारों में इस समझौता ज्ञापन का समर्थन किया है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: किसी विशेष कंपनी का पक्ष लेने और उड़ीसा सरकार तथा भारत सरकार को वित्तीय घाटे की आशंका व्यक्त की गई है। क्या भारत सरकार इस प्रस्ताव को अनुमोदित करने से पहले *...(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सेठी: सभापति महोदया, मेरा कहना यह है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आपको समय मिलेगा।

श्री अर्जुन सेठी: मेरा कहना यह है कि जब कभी इस सभा के समक्ष राज्य सरकार से संबंधित कोई विषय आता है तो उसे उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: लेकिन लोग शिकायत कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपके पास केवल आधा मिनट बचा है। अन्यथा मैं श्री रूपचन्द पाल को बुलाऊंगी।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: हमारे देश के लोगों की रक्षा की जानी चाहिए। दुर्लभ खनिज को .....*। धन्यवाद, महोदय *...(व्यवधान)*

अनेक माननीय सदस्य: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदया: ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कृपया उसका लोप कर दिया जाए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): सभापति महोदया, मैं बहुत ही संक्षेप में बोलूंगा। राज्य के विकास और राष्ट्र के विकास के बीच हितों का टकराव नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर ये सब राष्ट्रीय संसाधन हैं यदि उड़ीसा समृद्ध होता है तो उससे राष्ट्र भी लाभान्वित होगा। यह राष्ट्रीय समृद्धि है। अत: राष्ट्रीय समृद्धि और उड़ीसा की समृद्धि में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो सकता है। लेकिन मुद्दा यह है कि बुनियादी राष्ट्रीय संसाधन सीमित हैं। विशेषकर प्रति व्यक्ति इस्पात उपभोग को ध्यान में रखते हुए हमें इसका उपयोग समझदारी से और सावधानी से करना चाहिए। आगामी 20 या 50 वर्षों या जब भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हो रही हो, के लिए संदर्शी योजना में मांग का अनुमान क्या है। मंत्रालय हमेशा यह दावा करता रहता है कि हमारी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से वृद्धि हो रही है। हमारी अर्थव्यवस्था तीव्रगति से बढ़ रही है ...*(व्यवधान)* इस्पात मुख्य क्षेत्र है। अपने वैध हित, संवैधानिक और आर्थिक हितों की रक्षा सावधानीपूर्वक करें। लेकिन केन्द्र सरकार से मैं जो जानना चाहता हूं वह यह है। खान और खनिज विकास (विनियम) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के अनुसार केन्द्र सरकार ने पूर्वानुमोदन दे दिया था।

किस मानदण्ड के आधार पर यह अनुमोदन दिया गया था? क्या वे यह जानते थे कि विनिमय खण्ड का उपबंध किया जाने वाला है? यदि उस विनिमय खंड पर विचार किया गया तो क्या संबंधित प्रद्योगिकी पर भी विचार किया गया। इसका कारण यह है कि हमारे देश में जिस प्रौद्योगिकी को लाया जा रहा है वह आधुनिक नहीं है ...*(व्यवधान)* हमारे इस्पात उद्योगों द्वारा किये गये दावे से मैं सहमत हूं। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं।

श्री भर्तृहरि महताब: आप उनका नाम क्यों नहीं बता रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: हमारे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की अधिकतर इस्पात कंपनियों ने यह बताया है कि वे यह प्रौद्योगिकी प्रदान करने में सक्षम हैं लेकिन उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है और यहां समान अवसर प्रदान नहीं किये जाते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी को जो दिया जा रहा है, यदि वह हमारी इस्पात कंपनियों को दिया गया होता तो वे अद्यतन प्रौद्योगिकी से युक्त एक नया इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थापित कर देती। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है और उन्हें यह देने से इंकार किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: श्री देव, आपको इस तरह से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: श्री रूपचंद पाल के वक्तव्य को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री रूपचन्द पाल: माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे। मैं केन्द्र सरकार से पूछ रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: श्री रूपचन्द पाल की बात के अलावा कुछ भी रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री रूपचन्द पाल: महोदया, मैं केन्द्र सरकार से यह पूछ रहा हूं कि क्या समान अवसर हैं या नहीं।

प्रक्रिया में शामिल उच्च एवं अल्यूमीना संघटक और प्रौद्योगिकी के बारे में एक कहानी थी जिसे फेनिक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्या इससे यह पता चलता है कि हम लोग अपनी इस्पात प्रौद्योगिकी के विकास की प्रक्रिया में उस स्थिति में नहीं हैं जहां पर हम मौजूदा बड़ी इस्पात कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही प्रौद्योगिकी और संसाधनों से तुलना कर सकें। इन कंपनियों को हमारी महत्वपूर्ण बुनियादी प्रक्रिया की अति आवश्यकता है जिसे अभी तक पूरी दुनिया में बुद्धिमत्तापूर्वक योजनाबद्ध नहीं किया गया है और जिसे उड़ीसा सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा रही है केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है?

मैं केन्द्र सरकार से यह पूछता हूं कि क्या पूर्वानुमोदन करने से पहले उसने उस पर भलीभांति विचार किया था।

श्री अर्जुन सेठी: महोदया, मैं उड़ीसा सरकार और कोरियन इस्पात कंपनी पॉस्को के बीच हाल में हुए समझौता ज्ञापन के बारे में विस्तारपूर्वक बताने के लिए खान मंत्री महोदय का आभारी हूं। मंत्री महोदय के वक्तव्य में सारी बातें निहित थी। लगाए गये आरोपों और उठाये गये मुद्दों का स्पष्टीकरण भी उसमें निहित था। यह विशेष समझौता ज्ञापन भारत सरकार द्वारा माननीय वित्त मंत्री भी यहां उपस्थित हैं—खनन क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दिये जाने के कारण ही संभव हो पाया। इस विशेष घोषणा के फलस्वरूप ही यह समझौता ज्ञापन संभव हो पाया। अन्यथा, कोई भी ऐसा समझौता ज्ञापन संभव नहीं हो पाता। अत: खनन क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दिये जाने संबंधी केन्द्र सरकार के निर्णय के बाद ही पॉस्को और उड़ीसा सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अर्जुन सेठी]

महोदय, माननीय खान मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि "यद्यपि खान मंत्रालय को उड़ीसा सरकार के माध्यम से मैसर्स पॉस्को को भावी लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं मिला है।"

मैं इससे बहुत आश्चर्यचकित हूं कि संयोग से सभी माननीय सदस्य पश्चिम बंगाल के हैं। सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश हम आपके पश्चिम बंगाल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। यही इतिहास है।*

सभापति महोदया: यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया आप सब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: अर्जुन चरणजी, यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: कृपया एक मिनट। यह कार्यवाही-वृत्तांत से सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: मैं इसे हटा दूंगी। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अर्जुन चरण जी, आपको किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। आप केवल विषय पर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सेठी: महोदया, मेरा कहना यह है कि नीतिगत मामलों पर केन्द्र सरकार के अनुमोदन से उड़ीसा सरकार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने में पूरी तरह सक्षम है बशर्ते कि वे समझौता ज्ञापन केन्द्र सरकार की नीतियों के प्रतिकूल न हों। यदि ऐसा है, तो वे इतने चिंतित क्यों हैं। अभी तक कोई उपलब्धि नहीं मिली है। उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार को अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। जैसाकि सरकार द्वारा बताया गया है कि वे इसकी जांच विस्तारपूर्वक करेंगे।

वे हर बात पर परामर्श करेंगे। वे इसी समझौता ज्ञापन के बारे में इतने आक्रोश में क्यों हैं। जब भारत सरकार ने घोषित किया कि शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है तो वे इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। यदि कोई बात है—मैं इसके विस्तार में नहीं आना चाहता हूँ—उड़ीसा सरकार इसे केन्द्र सरकार के साथ चर्चा करने के लिए सक्षम है। तब तक केन्द्र सरकार सभी बातों पर गुण-दोष आधार पर निर्णय ले सकती है। अत: यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि यह देश के हित के विरुद्ध किया गया है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: अर्जुन चरण जी, आप जानते हैं कि एक नेता के रूप में यदि आप केन्द्र सरकार से कुछ जानना चाहते हैं तो आप प्रश्न पूछकर जान सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो कृपया पूछें। *...(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सेठी: महोदया, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह पट्टा खनिज और खान (विनियमन और विकास) अधिनियम से शासित होगा। यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन देंगे कि सरकार उड़ीसा सरकार और इस्पात कंपनी को तभी अनुज्ञप्ति जारी करेगी जब वह इस विशेष अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन कर लेगी।

महोदया, यह कहा गया है कि कुछ मात्रा में खनिज अन्य देशों जैसे ब्राजील, कोरिया को निर्यात किया जायेगा। यहां यह भी कहा गया है और इसे समझौता ज्ञापन में भी कहा गया है कि यह अदला-बदली 30 प्रतिशत तक हो सकेगी बशर्ते कि 'पॉस्को' 30 प्रतिशत खनिज का आयात करे।

इसके अतिरिक्त, इस समझौता ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि जांच करने के पश्चात् यदि यह पाया जाए कि इसमें अल्युमिनिया की मात्रा अनुमत्य सीमा के अधीन है तो आयात अथवा निर्यात करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसका इसमें उल्लेख है।

सभापति महोदया: अब आप अपनी बात समाप्त करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया पूछें।

श्री अर्जुन सेठी: मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। इस पक्ष के अन्य माननीय सदस्य भी प्रश्न पूछेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से केवल यही प्रश्न पूछूंगा और मुझे आशा है कि वे इसका उत्तर देंगे।

सभापति महोदया: श्री जुएल ओराम, आप केवल अपना प्रश्न ही पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदया: कृपया व्यवधान न डालें। श्री तोपदार आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। सभा के अंदर इस प्रकार व्यवधान डालने की अनुमति नहीं है। आप कृपया अपने आप को नियंत्रित करें ताकि मैं सभा की कार्यवाही का संचालन कर सकूं।

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़): महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उनके उत्तर देंगे।

महोदया, पॉस्को के साथ उड़ीसा सरकार का समझौता ज्ञापन हुआ है। पॉस्को द्वारा उड़ीसा में निवेश किया जाए, मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन जिस शर्त पर यह हो रहा है, उसके लिए मैंने आपत्ति उठाई है और इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है। क्या यह बात सही है कि पास्को की ब्राजील और आस्ट्रेलिया में दो माइनिंग कंपनियाँ—आस्ट्रेलिया में बीएचपी बिल्टन और ब्राजील में सीवीआरडी, ज्वाइंट वेंचर के रूप में काम कर रहे हैं और लांग टर्म आयरन ओर सप्लाई हो रही है? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि वहां कौन-कौन सी शर्तें हैं? यह जानना हमारे लिए आवश्यक है। पॉस्को ने केवल वही समझौता ज्ञापन किया है, ऐसी बात नहीं है, उसने हमारे यहां भी समझौता ज्ञापन साइन किया है। मैंने इसके बारे में पूरे एक महीने तक अध्ययन किया है। बेल्लारी-हास्पेट कर्नाटक एरिया से एमएमटीसी के जरिए, एनएमडीसी के जिरये और शेषा-गोवा के जरिए वे सन् 2000 से आयरन-ओर ले रहे हैं। अगर यहां से आयरन-ओर पॉस्को ले रही है और उसे साउथ कोरिया की कंपनी में यूज कर रही है तो वह किस शर्त पर यह आयरन-ओर ले रही है? उसका मार्केट प्राइस क्या है?

मान्यवर धर्मेन्द्र प्रधान जी ने पहले वित्त मंत्री जी से एक प्रश्न किया था कि क्या पॉस्को की ओर से आपके पास एफडीआई की एप्लीकेशन आई है तो मंत्री जी ने जवाब दिया था कि नहीं कोई एप्लीकेशन नहीं आई है। लेकिन उन्होने बताया था कि एफडीआई नहीं है लेकिन समझौता ज्ञापन साइन किया है। मैं यह वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: आप वित्त मंत्री जी से प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। आप माननीय खान मंत्री जी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम: यह मामला एफडीआई से संबंधित है। पॉस्को द्वारा 51 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, यह कह कर उसे देश का सबसे बड़ा एफडीआई कहा जा रहा है। मैं यह जाना चाहता हूं कि वह इसमें कितना पैसा हमारे देश में से वित्तीय संस्था द्वारा लगाएगी और इसके बदले में कितनी पूंजी हमारे देश से बाहर ले जाएगी? इसके बारे में पूरी क्लियर जानकारी दी जानी चाहिए।

मेरी दूसरी बात यह है कि उड़ीसा सरकार ने इससे पहले 36 समझौता ज्ञापन साइन किये हैं। अब उसमें दर्शाए गए प्रोजेक्ट (परियोजना) के हिसाब से उनके बजट में दो गुने से भी ज्यादा का अन्तर क्यों है? मैंने 25 जुलाई को तारांकित प्रश्न संख्या 220 पूछा था। मैंने उस प्रश्न में पॉस्को का उल्लेख नहीं किया था, मैंने यह पूछा था कि उड़ीसा में जो आयरन-ओर के लिए कंपनियां आएंगी, वे कौन प्रोशेस यूज करेगी—कोरेक्स, फाइनैक्स या ब्लास्ट फर्निस (धमन भट्टी) प्रोशेस। मैंने इसका उल्लेख नहीं किया था। मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में बताया था कि वे फाइनैक्स प्रोशेस यूज करेंगी और उन्होंने आगे कहा कि वे चीपर आयरन-ओर और लो एश कोल यूज करेंगी जो कि भारत में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। यदि वे इसे यूज करेंगी तो फिर यह स्वैप क्लॉज क्यों है?

मैं पूछना चाहता हूं कि तीस प्रतिशत शापिंग वे क्यों कहेंगे? इसका तीस प्रतिशत विदेशों में भेजेंगे, इसकी क्या जरूरत है। मेरा प्रश्न है? मैंने मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा, उसका उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि ब्राजील को स्वैप नहीं होगा, यह साउथ कोरिया पोस्को के लिए जाएगा। अब एक बिलियन टन ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री जुएल ओराम: मैं पूरी तरह से रिलेवेंट बात कर रहा हूं, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, लेकिन भारत सरकार को इस बारे में बताना चाहिए। एक बिलियन टन वे लेंगे। हमारे उड़ीसा में चार-पांच मिलियन का डिपॉजिट है। अभी 38 मिलियन टन के उत्पादन के लिए एग्रीमेंट हो गया है। उनको कहां से माइन्स देंगे? मुझे यह बात पता चली है कि स्टेट गवर्नमेंट जो कि रिकमेंड करने वाली हैं, मालांगटोली और गंधामार्दन ये दो माइंस जो उड़ीसा माइंस के अंडर में हैं, उसको रिकमेंड करेंगे। आप इसको कैसे करेंगे? इसके पहले आप रियोटिन्डो से एग्रीमेंट कर चुके हैं, उसका क्या होगा। उसका पहले खंडाधार की जो माइन्स आप देने जा रहे हैं, कुदुरमुखी आयरन ओर माइन्स जो गवर्नमेंट आफ इंडिया अंडरटेकिंग्स है, उससे आपने एग्रीमेंट किया है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप कौन सी स्पेसिफिक माइन्स को देने जा रहे हैं? कितना डिपाजिट है, कौन-कौन से माइंस को आप देने जा रहे हैं? क्या इसके बारे में कोई बात हुई है? ठीक है, एप्लीकेशन नहीं आए, वो अलग बात है, लेकिन क्या एग्रीमेंट हुआ है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं।

[श्री जुएल ओराम]

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कल-परसों की बात है, पारादीप के वाइस-चेयरमैन ने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को पत्र मिला। वे कह रहे हैं कि अगर आपके पारादीप पत्तन का माइर्नाइजेशन हो रहा है, वर्ष 2007 तक कंप्लीट होगा, भारत सरकार का उसमें पैसा लगा हुआ है। उसमें आप हैंडलिंग करने के लिए कैपेबल हैं। आपका जितना भी इंपोर्ट-एक्सपोर्ट होगा, उसकी हैंडलिंग करने के लिए पारादीप पोर्ट कैपेबिल है, तो आप सात किलोमीटर दूरी में दूसरा पोत क्यों देंगे, इसका क्या इंपैक्ट होगा? ये पत्र भी लिखे हैं। आप जानते हैं कि वर्ष 1999 में जो सुपर साइक्लोन आया था, उससे पारादीप में सबसे अधिक हानि हुई थी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: क्या वित्त मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

श्री जुएल ओराम: सरकार को इसका उत्तर देना होगा। मुझे यह पता नहीं है कि वित्त मंत्री जी उत्तर देंगे अथवा नहीं लेकिन भारत सरकार को इन सभी बातों का उत्तर देना होगा। यह आपकी सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा थी। ...*(व्यवधान)* मैं पूछना चाहता हूं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा? आपके कोस्टल रेग्यूलेशन जोन का क्या होगा, उस एरिया में जो मेग्रम खराब हुआ है, उसका क्या होगा? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदया, मैंने भी नोटिस दिया है।

सभापति महोदया: मैं किसी को अनुमति नहीं दे रही हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: महोदया, मैंने भी नोटिस दिया है।

सभापति महोदया: कृपया सहयोग करें। मैंने आपके नेता को बोलने की अनुमति दे दी है। अन्यथा मुझे अन्य सदस्यों को भी समय देना पड़ेगा। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम: मैं किसी सरकार की प्रेज या क्रिटीसाइज नहीं करता हूं। सरकार की बात नहीं है। यह माइनिंग पालिसी की बात है। ...*(व्यवधान)* अगर आपका माइंस एंड मिनरल्स रेग्युलेशन एक्ट इसमें लागू होगा, तो क्या आप एमएमडीआर क्लॉज को अमेंड करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि जब पोस्को हुआ, तो कांग्रेस पार्टी पीसीसी प्रेसीडेंट उड़ीसा ने उसका स्वागत किया, लेकिन अभी कांग्रेस वाले इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)* इस एग्रीमेंट को बनाने में आपका क्या रोल है? कितने लोग डिस्प्लेस होंगे? मैंने बीएचपीमिल्टन की वेबसाइट खोलकर देखा है, उसके अस्सी मिलियन टन के प्रोडक्शन के लिए आठ सौ आदमी आवश्यक हैं। आप यहां इतने लोगों को बेकार कैसे करेंगे, आप तो कह रहे हैं कि 13-15 हजार आदमियों की आवश्यकता होगी। यह कैसे होगा? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अब आप अपनी बात समाप्त करें। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम: हम लोग इस शर्त पर इसका स्वागत नहीं कर रहे हैं। यह देश के हित के लिए नहीं है, उड़ीसा स्टेट के हित के लिए नहीं है। आप इस संबंध में सही पॉलिसी बनाएंगे, और आप फाइनल डिसीजन लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): कृपया मुझे केवल एक प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए।

सभापति महोदया: मैं किसी को अनुमति नहीं दे रही हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: श्री स्वाईं, आपको सहयोग देना होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदया: फिर मुझे दूसरों को भी बोलने की अनुमति देनी पड़ेगी।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री शीश राम ओला: माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य श्री आचार्य जी ने जो बातें रखी हैं और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार रखे हैं, मैं समझता हूं कि ये सारे मुद्दे विषय से हटकर हैं। जब तक समझौता ज्ञापन हमारे पास नहीं आएगा, अनुमति नहीं मांगी जाएगी, उससे पहले क्या कर सकते हैं। जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो विचार यहां रखे हैं, जब भारत सरकार के पास उड़ीसा सरकार से समझौता ज्ञापन स्वीकृति के लिए आएगा तब हम उस पर विस्तार से विचार करेंगे और सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं की कद्र करते हुए उस पर निर्णय करेंगे। आज एक बात श्री आचार्य जी ने पूछा है कि समझौता ज्ञापन में नहीं कहा गया है कि 400 मिलियन टन आयरन ओर लीज क्षेत्र से साथ कोरिया को एक्सपोर्ट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल खुले बाजार (ओपन मार्केट) का विकल्प है।

दूसरी बात यह है कि 30 प्रतिशत आयरन-ओर जिसे 62 प्रतिशत आयरन है, वही जाएगा और उसी परसेंटेज का आयरन-ओर भारत में आएगा। इसमें अंतर केवल इतना है कि जो यहां आएगा उसमें एल्यूमिना कम क्वालिटी का होगा और जो यहां से जाएगा उसमें ज्यादा क्वालिटी का होगा क्योंकि उसको मिक्स करने में, आयरन के रूप में स्टील बनाने में उसकी आवश्यकता है। हम एक क्विंटल आयरन-ओर नहीं भेज रहे हैं। *...(व्यवधान)* आप बोलने दीजिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप बैठिए। श्री शीश राम ओला जी, बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री शीश राम ओला: आप पहले मेरी बात सुनें *...(व्यवधान)* आपकी मर्जी है, मैंने उत्तर दे दिया है। आप बोलने तो दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदया: यह कोई तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री शीश राम ओला: मैं केवल यह निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सदस्यों की चिंता थी कि हमारे राष्ट्र से दूसरे मुल्क में हमारा आयरन-ओर जा रहा है, उसकी हमें जरूरत नहीं थी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि समझौता ज्ञापन में यह लिखा है कि वह नहीं जाएगा, जितना जा रहा है उतना ही आएगा जो 30 परसेंट है।

दूसरी बात यह है कि केन्द्र सरकार ने अभी कोई *...(व्यवधान)* मेरी बात सुनिए *...(व्यवधान)* मैंने आपसे यही निवेदन किया है कि उसमें एल्यूमिना की वह क्वालिटी नहीं है जो कंपनी वालों को चाहिए, हल्की क्वालिटी का आयरन-ओर जाएगा और अच्छी क्वालिटी का आएगा। पहले हमारे पास, राष्ट्र में, वह आयरन-ओर आएगा उसके बाद ही हम भेजेंगे, पहले नहीं भेजेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री शीश राम ओला: सभापति महोदया, केन्द्र सरकार के पास अभी कोई अनुमोदन नहीं आया है। जैसे मैंने पहले निवेदन किया, उड़ीसा सरकार से लीज का प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। जब हमारे पास आएगा तो हम उसके हर पहलू पर विचार करेंगे और माननीय सदस्यों की भावनाओं की पूरी कद्र करेंगे।

अपराह्न 1.56 बजे

(दो) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम के प्रस्तावित बंद के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की छंटनी से उत्पन्न स्थिति

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर, पश्चिम बंगाल): मैं पोत, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का ध्यान लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर आकृष्ट करते हुए अनुरोध करता हूं कि वे इस पर अपना वक्तव्य दें:

"केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम के प्रस्तावित बंदी के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की छंटनी से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम"।

*पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि. (सीआईडब्ल्यूटीसी), कोलकाता को 22 फरवरी, 1967 को इसके प्रारंभ से ही घाटा होता आ रहा है। सरकार द्वारा जून, 2001 को इसके पुनरुत्थान के लिए एक पैकेज अनुमोदित किया गया था। इस पैकेज में सरकारी ऋण को बट्टे खाते में डाले जाने के अलावा, 139.55 करोड़ रु. की सहायता दी जानी परिकल्पित थी। उपर्युक्त पैकेज को कार्यान्वित करने की दृष्टि से अपेक्षित धन के स्रोत तथा अन्य ब्यौरा निम्नानुसार है:

(1) 76.55 करोड़ रु. की धनराशि की व्यवस्था, बजट से संबंधित सहायता से तथा 63.00 करोड़ रु. की शेष धनराशि की व्यवस्था, राजाबागान डाकयार्ड (आरबीडी) तथा अन्य परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि से की जानी थी।

(2) पहले दो वर्षों के दौरान, बजट से संबधित सहायता के रूप में दी गई 76.55 करोड़ रु. से अधिक धनराशि अर्थात् 39.67 करोड़ रु. की धनराशि, केन्द्रीय अंतर्देशीय जल-परिवहन-निगम लि. द्वारा उपर्युक्त बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि में से वापस की जानी थी। पहले दो वर्षों में 116.22 करोड़ रु. की सहायता दी जानी परिकल्पित थी।

(3) 31.3.2000 को मौजूदा स्थिति के अनुसार, भारत सरकार के आयोजनागत और आयोजना-भिन्न ऋण की धनराशि तथा उस पर देय ब्याज सहित, 425.20 करोड़ रु. की धनराशि, बट्टे खाते में डाली जानी थी।

उपर्युक्त पुनरुत्थान पैकेज में उपर्युक्त निगम के कर्मचारियों की संख्या को घटा करके 1400 किया जाना, गहरे समुद्री जहाज की मरम्मत के प्रभाग को बन्द किया जाना, राजाबागान डॉकयार्ड को बन्द किया जाना तथा उससे जुड़ी जमीन और परिसम्पत्तियों सहित अन्य अधिशेष परिसम्पत्तियों को बेच दिया जाना और उपर्युक्त क्षेत्र में किए गए अनुमान के अनुसार उपर्युक्त बिक्री से प्राप्त होने वाली 85 करोड़ रु. से 95 करोड़ रु. तक की धनराशि को उपर्युक्त पुनरुत्थान के पैकेज को कार्यान्वित करने में इस्तेमाल किया जाना भी परिकल्पित था।

उपर्युक्त पैकेज में परिकल्पित 116.22 करडो़ रु. की बजट से संबंधित सहायता में से सरकार ने पिछले चार वर्षों में 145.00 करोड़ रु. से अधिक की बजट से संबंधित सहायता दे दी है, हालांकि, राजाबागान डॉकयार्ड के साथ-साथ, अन्य अधिशेष परिसम्पत्तियों को बन्द किया जाना और बेचा जाना संभव नहीं हो पाया। फिर भी, केन्द्रीय अंतर्देशीय जल-परिवहन निगम अपने को उबार नहीं पाया। केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम को घाटा होना जारी है।

केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम के कामकाज के संचालन की समीक्षा करने और उसका भविष्य तय किये जाने के बारे में दिनांक 22.8.2004 को एक बैठक की गई। यह महसूस किया गया कि केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम में स्थिति सचमुच बहुत गंभीर और चिन्ताजनक है और उसका (उपर्युक्त निगम का) पुनरुत्थान किये जाने का प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं लगता। इसे ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

(1) उपर्युक्त निगम को पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिये जाने की संभावना तलाशी जाए। यदि उपर्युक्त राज्य सरकार से 3 महीनों के भीतर इस बारे में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो तो उपर्युक्त निगम के विनिवेश की प्रक्रिया चलाई जाए; और

(2) इस मामले में कोई निश्चित निर्णय लिए जाने तक, उपर्युक्त निगम को वेतन/मजदूरी का भुगतान करने देने के लिए आयोजना भिन्न धन उपलब्ध करवाया जाए।

तद्नुसार, उपर्युक्त मसला, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से उठाकर उससे इसके बारे में बातचीत की गई। उपर्युक्त राज्य सरकार ने उपर्युक्त सुझाव के प्रति अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अत: इस बारे में एक मात्र विकल्प, उपर्युक्त निगम का विनिवेश किया जाना ही बचा था।

उपर्युक्त के अनुसरण में, इस मंत्रालय ने मंत्रिमंडल से संपर्क किया। मंत्रिमंडल ने अपनी 24 फरवरी, 2005 को हुई बैठक में उपर्युक्त मसले को सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन बोर्ड (बोर्ड फॉर रीकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजिज) को भेज देना तय किया गया। तद्नुसार, केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का उपर्युक्त मामला, मार्च, 2005 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन बोर्ड (बोर्ड फॉर रीकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजिज) को भेज दिया गया।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन बोर्ड (बोर्ड फॉर रीकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजिज) की सिफारिशें, लोक उद्यम विभाग के दिनांक 4.7.2005 और 26.7.2005 के कार्यालय ज्ञापनों द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। यह मंत्रालय, इस मसले में लोक उद्यम विभाग के अनुदेशों के अनुसार, उपर्युक्त सिफारिशों में से प्रत्येक सिफारिश के प्रति अपनी पक्की राय बना लेने के पश्चात् केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम के भविष्य के बारे में निर्णय हेतु मंत्रिमंडल से पुन: सम्पर्क करेगा।

केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2768/2005।

होने की पेशकश किये जाने पर, यह मंत्रालय उनकी (केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम के कर्मचारियों की) छंटनी किये जाने पर विचार नहीं करेगा।

अपराह्न 2.00 बजे

श्री अधीर चौधरी: सभापति महोदया, मैं अपनी पूरी विनम्रता से कह रहा हूं कि माननीय मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। इस वर्षों पुराने क्षेत्र के महत्व के प्रति अनुपयुक्त दृष्टिकोण की बू आती है जिसमें इसके दुष्प्रभाव भी शामिल हैं, माननीय मंत्री एक गहनशील व्यक्ति हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वह पहले सब कुछ अपनी आंखों से, न कि अपने कानों से देखें। उन्हें नौकरशाही कुतर्क से प्रभावित नहीं होना चाहिए। दूसरे संप्रग सरकार इससे सहमत नहीं है कि विनिवेश ही इस देश की आर्थिक खामियों का उपचार करने हेतु रामबाण का काम कर सकता है। तीसरे, माननीय मंत्री को राज्य सरकार की विरासत का उत्तराधिकारी नहीं होना चाहिए।

वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता है कि इस पुराने संगठन को या तो बंद किया जा रहा है अथवा उसका विनिवेश किया जा रहा है। यह कहा गया है:

> "उपर्युक्त निगम को पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिये जाने की संभावना तलाशी जाए। यदि उपर्युक्त राज्य सरकार से 3 महीनों के भीतर इस बारे में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो तो उपर्युक्त निगम के विनिवेश की प्रक्रिया चलाई जाए.....
>
> तद्नुसार, उपर्युक्त मसला, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से उठाकर उससे इसके बारे में बातचीत की गई। उपर्युक्त राज्य सरकार ने उपर्युक्त सुझाव के प्रति अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अत: इस बारे में एक मात्र विकल्प, उपर्युक्त निगम का विनिवेश किया जाना ही बचा था।"

तथापि, मैं इस संगठन को बचाने का अंतिम प्रयास करूंगा ताकि इसकी पुरातन कीर्ति बहाल की जा सके। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार लम्बे समय से वित्तीय दिवालिएपन का सामना कर रही है। आज की तिथि तक पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने ऋण के भार के रूप में 1,10,000 रु. की अत्यधिक धनराशि खर्च की है। अत: अपने स्रोतों पर ही इस क्षेत्र को पुनरुज्जीवित करना इस तरह की राज्य सरकार के लिए असम्भव है। यह कहा गया है:

> "उपर्युक्त निगम के वेतन/मजदूरी का भुगतान करने देने के लिए आयोजना-भिन्न धन उपलब्ध करवाया जाए।"

इसका अर्थ है वेतन अथवा मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। वक्तव्य में यह भी कहा गया है:

> "बीआरपीएसई की सिफारिशें उपलब्ध करवा दी गई हैं। मंत्रालय केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम (सीआईडब्ल्यूटीसी) के भविष्य के बारे में निर्णय हेतु मंत्रिमंडल से पुन: सम्पर्क करेगा।"

वक्तव्य से यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि बीआरपीएसई ने क्या सिफारिशें की थीं। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या बीआरपीएसई ने इस संगठन को बंद करने की सिफारिश की थी। स्थिति को बदलने के उद्देश्य से विनिवेश और बिक्री आय के माध्यम से धनराशि एकत्र करने की बात सोची गई है। क्या यह सहायता है? यह सहायता नहीं हो सकती। सर्वप्रथम, मंत्रालय को समस्या के मूल में जाना चाहिए। यह सही है कि इस संगठन को 1967 से घाटा हो रहा है। किन्तु कारण क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन वर्षों में अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली अत्यधिक लापरवाही और उदासीनता के अधीन रही है। माननीय मंत्री के सुविधा के लिए मैं अन्तर्देशीय जल परिवहन संबंधी दसवीं योजना के दृष्टिकोण-पत्र में की गई टिप्पणियों का हवाला दूंगा। इसमें उल्लेख है कि सीआईडब्ल्यूटीसी कोलकाता में उपलब्ध मरम्मत सुविधाओं का पूर्णतया उपयोग किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में स्पष्टतया कहा गया कि आईडब्ल्यूटी की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिए बिना, सीआईडब्ल्यूटीसी पुनरुद्धार पैकेज में यथानिर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहा। राजग की सरकार के दौरान, पुनरुद्धार पैकेज में रोजगार की संख्या घटाने और राजबागान डॉकयार्ड बंद करने की परिकल्पना की गई थी जो मूलत: आईडब्ल्यूटी सेवाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है।

सभापति महोदया: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अधीर चौधरी: महोदया, क्या आप यह कल्पना कर सकती हैं कि अभी भी राजबागान डॉकयार्ड में परिसम्पत्तियां हैं अर्थात तैंतीस एकड़ भूमि जिसमें छह सौ मीटर जमीन नदी के सामने वाली है, भूमि का डॉकयार्ड है? इस गोदी बाड़ा की प्रमुख विशेषताएं जेट्टी, शिपवेज, पांच ड्राई डॉक, जलयान निर्माण और उनकी मरम्मत, जिनमें एक सौ मीटर वाले जलयान का निर्माण करने के लिए जलयान निर्माण स्थान शामिल है, हेतु अद्वितीय कार्यशाला सुविधाएं हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अधीर चौधरी: मुझे मालूम है कि सभी के लिए एक ही पैमाना अपनाया जाता है। महोदया, जहां तक सीआईडब्ल्यूटीसी का संबंध है सरकार ने 1967 में इसे अपने अधिकार में लिया था क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए युद्ध के दौरान आईडब्ल्यूटी के अधिकतर वाहन उससे छीन लिए गए थे। स्वाभाविक रूप से उस समय से संगठन को नुकसान होना शुरू हुआ। सीआईडब्ल्यूटीसी में दो सेवाओं की परिकल्पना की गई थी। एक तो नदी सेवाओं के लिए और दूसरी राजाबागान डॉकयार्ड के लिए। आपको यह नोट कर आश्चर्य होगा कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत गोआ शिपयार्ड और गार्डन रीच शिपबिल्डिंग ने इस राष्ट्रीय आवश्यकता की संभाव्यता, व्यवहार्यता और महत्व की हाल ही में सराहना की है।

महोदया, भारतीय अर्थव्यवस्था में नदी सेवा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह पश्चिम बंगाल आदि तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल, असम, पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और समूचा पूर्वी भारत जिसमें पूर्वोत्तर भारत शामिल है, जैसे राज्यों को आईडब्ल्यूटी क्षेत्र की सेवा से लाभ मिला होगा। किन्तु सच्चाई यह है कि इस क्षेत्र पर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। इसीलिए इस क्षेत्र को नुकसान हो रहा है।

महोदया, राष्ट्रीय जलमार्ग-1 और 2 के अंतर्गत, नदी सेवाओं में सागर से इलाहाबाद तक कार्गो ले जाने के लिए आईडब्ल्यूटी प्रकार के सौ वाहन हैं। सागर से इलाहाबाद तक यह जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के अंतर्गत है। कोलकाता से साडिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग-2 के अंतर्गत है। हमारे पास तीन राष्ट्रीय जलमार्ग हैं।

महोदया, राजाबागान डॉकयार्ड चार वर्षों के अन्तराल पर सांविधिक डॉकिंग सर्वेक्षण मरम्मत किया करता था। मैं आपको दिखा सकता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: मैं इस बात को समझ सकता हूं।

श्री अधीर चौधरी: महोदया, आप निश्चित रूप से यह मानेंगी कि जहां तक मॉडल हिस्सेदारी का संबंध है, तो इस समय अन्तर्देशीय जल परिवहन प्रणाली की 0.15 प्रतिशत की ही हिस्सेदारी है जबकि एक सौ बिलियन मीट्रिक टन कारगो बाजार उपलब्ध है। माननीय मंत्री सड़क और परिवहन क्षेत्र के प्रभारी हैं जो 65000 करोड़ रुपये मूल्य की हमारे देश की आस्तियों का निर्माण कर रहा है। नागर विमानन भी जिसका पहले विनिवेश हेतु प्रस्ताव किया गया था, अब 10,249 करोड़ रुपए की धनराशि का नया निवेश कर रहा है।

फ्लीट (बेड़ा) अधिग्रहण को स्वीकृति दे दी गई है। तीसरे जहां तक रेलवे क्षेत्र का संबंध है, समर्पित फ्रेट कारीडोर का भी प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए 42000 करोड़ रुपये की धनराशि के साथ एक कृतिक बल की स्थापना की गई है। इस क्षेत्र में विभिन्न सेवाओं को पूरा करने के लिए अंतर्निहित संभाव्यता है। जहां तक जल परिवहन प्रणाली का संबंध है, आपकी सूचना और माननीय मंत्री की सूचना के लिए मैं एक ही आंकड़े का हवाला दूंगा जिससे उन्हें इस क्षेत्र के महत्व को समझने में सहायता मिलेगी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: माननीय मंत्री के पास सभी आंकड़े हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछिए। यह उचित समय है कि आप अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री अखिल बसु (आरामबाग): यह मात्र कार्य योजना है ...*(व्यवधान)* यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। वह केवल विनिवेश ही कर रहे हैं। यह कैसे स्वीकार्य है? वह इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वह इसे समाप्त करना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: अब आपको हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। यह कोई तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री अधीर चौधरी: जहां तक पूंजीगत लागत का संबंध है, यह केवल सड़क क्षेत्र के पांच से दस प्रतिशत के बराबर है। जहां तक ईंधन क्षमता का संबंध है, इसमें ईंधन की खपत कम है और यह पर्यावरणानुकूल है। इस क्षेत्र में अंतर्निहित पर्यटन सम्भावनाएं तो हैं ही।

आपको यह नोटकर आश्चर्य होगा कि एक मीट्रिक टन कारगो ले जाने के लिए, यदि इसे सड़क मार्ग द्वारा ले जाया जाता है तो एक लीटर ईंधन से चौबीस मीट्रिक टन किमी तक चला जा सकता है। रेलवे से यह 85 मीट्रिक टन किमी है। लेकिन जल

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

परिवहन के मामले में यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रति कि.मी. 105 मीट्रिक टन ले जाया जा सकता है। अत: यह लागत प्रभावी है। यह ईंधन की दृष्टि से अनुकूल है। यह पर्यावरण के अनुकूल है। इससे दुर्घटना की संभावना कम है। इसमें पर्यटन के विकास की संभावनाएं हैं जिससे अंतत: विशेषकर पूर्वी भारत में रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। इस समय देश में रोजगार की सबसे अधिक संभावना पश्चिम बंगाल में है।

अपराह्न 2.12 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम देश के अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली के अत्यंत गंभीर पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। इस संबंध में मैं एशिया विकास बैंक की रिपोर्ट से कुछ उद्धृत करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है:

"अन्तर्देशीय जलमार्ग परिवहन द्वारा वर्ष 2000 में 1000 बिलियन टन किमी. की कुल कार्गो बाजार में लगभग 1.5 मिलियन टन कि.मी. प्रतिवर्ष कार्गो ले जाया गया जो कि नाममात्र 0.15 प्रतिशत हिस्सा है। इस नाममात्र के छोटे हिस्से के अनेक कारण हैं....."

इन कारणों को नोट किया जाना चाहिए।

"अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं अपर्याप्त हैं, अधिकांश जलमार्गों में उथला समुद्र, गर्मी के दिनों में पानी की पतली धारा, गाद के जमाव, तट कटाव और 24 घंटे तक परिवहन के लिए अपर्याप्त नौवहन सुविधाओं जैसी नौवहन समस्याएं हैं। पर्याप्त एवं उपयुक्त सुसज्जित टर्मिनल और वेयरहाउस जैसी सहायक अवसंरचना की भी कमी है।

उपर्युक्त जलयानों के न होने से अंतर्देशीय जलमार्ग को व्यावहारिक परिवहन प्रणाली के रूप में उपयोग करने में भी समस्याएं आती हैं। मौजूदा समय में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को मिलाकर कुल 400 से कम जलयान हैं जो अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के लिए है और इसमें टैंकर्स, बल्क कैरियर्स, छोटी नौकाएं और 600 टी की औसत क्षमता वाले अन्य जलयान हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय: आप 15 मिनट से अधिक समय ले चुके हैं। अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अधीर चौधरी: मन्त्री महोदय ने तमिलनाडु में एक महत्वाकांक्षी परियोजना सेतुसमुद्रम परियोजना शुरू की है। यह हमारे देश के लिए गर्व की बात है। तमिलनाडु के लोगों का 145 वर्षों का सपना अब सच हो गया है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम 170 वर्ष पुराना है। वास्तविकता अब स्वप्न बनने जा रही है। इसमें क्षेत्रगत असंतुलन अत्यंत सुस्पष्ट है। कुछ निहित स्वार्थों की वजह से इसकी व्याख्या क्षेत्रीय भेदभाव के रूप में की जा सकती है।

जहां तक सेतु समुद्रम का संबंध है, इसका कारण है कि सरकार निवेश कर रही है ...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): यह केवल तमिलनाडु राज्य का मामला नहीं है। यह राष्ट्रीय गर्व का मामला है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: महोदय, नहीं।

...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी: मैं इस का विरोध नहीं कर रहा हूं ...*(व्यवधान)* यह राष्ट्रीय गर्व का मामला है और मैंने इसका उल्लेख पहले ही कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अधीर चौधरी: जहां तक सेतुसमुद्रम परियोजना का संबंध है, 2,249 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा लेकिन इस मामले में बिक्री बढ़ाने के लिए यह सरकार इस क्षेत्र का 69 करोड़ रुपये या 70 करोड़ रुपये या अधिक से अधिक 90 करोड़ रुपये में विनिवेश करने जा रही है। इसी मार्ग को फिर से बनाने में 1,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसीलिए, मैं इस सरकार और माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और इसकी प्राचीन गरिमा को वापस लाने हेतु वे स्वयं इसका मूल्यांकन करें और इस संबंध में एक व्यापक योजना बनाएं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से केवल प्रश्न पूछने का अनुरोध करता हूं। मैं केवल तभी अनुमति दूंगा जब आप प्रश्न पूछें।

श्री शैलेन्द्र कुमार।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मानित सदस्य श्री अधीर चौधरी ने केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम के प्रस्तावित बंद के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की छंटनी से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर ध्यान आकर्षित किया है। इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि छंटनी के बाद जो कर्मचारी अपने घर वापस जाता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से सीधा प्रश्न करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: हमारे मंत्री इतने बुद्धिमान हैं कि वह सब कुछ समझते हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि छंटनी के बाद जो कर्मचारी अपने घर जाता है या उसका कोई रोजगार नहीं रहता है, तो उसका परिवार भुखमरी के कगार पर आ जाता है। दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी कोई ऐसा पैकेज दें कि इससे निगम को पुन: चालू किया जा सके। मेरे ख्याल से इस निगम को पुन: चलाने से कारगो यात्री सेवा को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे दुर्घटनाएं भी कम होंगी, ईंधन की भी बचत होगी।

दूसरी बात यह है कि सागर से इलाहाबाद वाया पटना के लिए और कलकत्ता से सादिया के लिए सेवा शुरू करने की बात कही गयी थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि छंटनीशुदा कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करके उनको पर्याप्त धन दिया जाए या उनकी आर्थिक मदद की जाए ताकि वे अपना कोई रोजगार शुरू कर सकें और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। अब, मैं श्री लक्ष्मण सेठ जी से अनुरोध करता हूं। कृपया प्रश्न पूछें भाषण न दें।

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से आर्थिक विकास के लिए सड़क, जलमार्ग, रेल और वायुमार्ग से संपर्क होना अत्यंत आवश्यक है। अत: आर्थिक विकास के लिए बहुपक्षीय परिवहन प्रणाली अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने सड़क परिवहन और अन्तर्देशीय जल परिवहन पर बहुत अधिक बल दिया है। भारत सरकार के, पोत परिवहन मंत्रालय ने समुद्री व्यापार के संबंध में राष्ट्रीय नीति बनाई है। मेरे विचार से यह शीघ्र ही मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। यह परामर्शदात्री समिति और अन्य समितियों के समक्ष भी उनकी टिप्पणी जानने के लिए रखा जाएगा। अंतत:, मेरे विचार से मंत्री समुद्र व्यापार से संबंधित नीति को अंतिम रूप देंगे।

प्रस्तावित समुद्री व्यापार नीति में, अन्तर्देशीय जल परिवहन प्रणाली को बल प्रदान किया है। इसलिए, मंत्रालय अनेक नदियों और नहरों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने पर विचार कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री लक्ष्मण सेठ: महोदय, मैं अपना प्रश्न पूछ रहा हूं।

इलाहाबाद से हल्दिया तक एक राष्ट्रीय जलमार्ग है और इसे सुन्दरवन तक बढ़ाए जाने की संभावना है। मंत्रालय ने इसे राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किये जाने हेतु इस मामले पर विचार करने का भी आश्वासन दिया है। लेकिन, मैं मंत्री जी से यही प्रश्न पूछता हूं। यदि सरकार अन्तर्देशीय जल परिवहन प्रणाली पर बल देती है तो सेवा प्रदाता कौन होगा? यदि केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को भंग कर दिया जाए तो यह सेवा कौन प्रदान करेगा? सरकारी क्षेत्र के सेवा प्रदाता के स्थान पर किसी निजी दल को कार्य दिया जाएगा। यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम के विरुद्ध है। अत:, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन को फिर से जीवित करें ताकि यह अन्तर्देशीय जल परिवहन में सेवा प्रदाता के रूप में एक प्रमुख भूमिका अदा कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने अनेकों बार अनुरोध किया है कि केवल प्रश्न पूछिए। कृपया, केवल प्रश्न पूछिए।

श्री लक्ष्मण सेठ: माननीय मंत्री ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है ...*(व्यवधान)*

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय पर अंगुली उठाना असंसदीय है।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, यह असंसदीय नहीं है।

श्री कपिल सिब्बल: यह अंग्रेजों की परम्परा का एक हिस्सा है जिसका हम पालन कर रहे हैं। मैं यह बात माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री लक्ष्मण सेठः महोदय, माननीय मंत्री ने जो बात कही मैं समझ नहीं पाया।

श्री कपिल सिब्बलः आप उपाध्यक्ष महोदय पर अंगुली उठा रहे हैं।

श्री लक्ष्मण सेठः मुझे खेद है। यदि मेरी गलती है तो मैं क्षमा मांगता हूं।

उपाध्यक्ष महोदयः अब, कृपया, अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री लक्ष्मण सेठः महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को अपने अधिकार में लेने को कहा है। केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को कोलकाता में स्थापित किया जा सकता है लेकिन यह राष्ट्रपर्यंत अपनी सेवाएं दे रहा है। राज्य सरकार केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम की जिम्मेदारी कैसे ले सकती है? अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को भंग न करें बल्कि इसको पुनः जीवित करें ताकि यह अन्तर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र में सेवा प्रदाता की भूमिका का निर्वाह कर सके।

उपाध्यक्ष महोदयः अब, मैं मंत्री महोदय से उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

श्री अनिल बसुः उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है और स्वयं मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वह केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम का विनिवेश करने जा रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आपने कोई सूचना नहीं दी है। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदयः अब, मैं मंत्री महोदय से उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

श्री टी. आर. बालूः उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मामला उठाने के लिए श्री अधीर चौधरी को धन्यवाद देता हूं। मैं श्री शैलेन्द्र कुमार और श्री लक्ष्मण सेठ को भी धनयवाद देता हूं कि उन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया और इस मामले पर पुनर्विचार करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया। इसी के साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में निष्क्रिय नहीं है। केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम 1967 में अपनी शुरुआत के समय से ही घाटे में चल रहा है, यह पहले दिन से ही घाटे में चल रहा है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया मंत्री महोदय को बाधित नहीं कीजिए। बिना मेरी अनुमति के बोलने वालों के वक्तव्य को रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। कृपया पहले पीठासीन से अनुमति लें उसके बाद बोलें।

*...(व्यवधान)**

श्री अनिल बसुः महोदय, सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी. में कोई पूंजी नहीं लगायी जाती है। यही कारण है कि यह घाटे में चल रही है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अब आप बैठ जाइए।

श्री टी.आर. बालूः यह संगठन पहले ही दिन से 38 वर्षों से घाटे में चल रहा है। यदि यह गैर-सरकारी संगठन है और वर्ष दर वर्ष 38 वर्षों तक लगातार घाटे में चल रही है, तो क्या कोई चुप रहेगा? यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः आप पहले पीठासीन से अनुमति लें उसके बाद बोलिए।

श्री टी.आर. बालूः जिस किसी व्यक्ति के ऊपर दायित्व है वह चुप नहीं रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदयः आपको उस पक्ष को संबोधित नहीं करना चाहिए। आप पीठासीन को संबोधित कीजिए।

श्री टी.आर. बालूः मैं उत्तर दे रहा हूं। महोदय, 2001 में हमने कुछ निधि दी है। सरकार चुप नहीं बैठी है। इसने पुनरुद्धार पैकेज के रूप में 76.55 करोड़ की बजटीय सहायता दी है। इसने संगठन को राजाबागान डॉकयार्ड और इसकी परिसंपत्तियों को बेचने की सलाह दी है ताकि इस विक्रय से प्राप्त लगभग 95 करोड़ रु. का उपयोग बकाए की राशि का भुगतान करने के लिए किया जा सके। लेकिन इसने सकारात्मक प्रगति का कोई संकेत नहीं दिया है। अतः सरकार ने पुनः 39.67 करोड़ रु. दिये। उसके बाद क्या हुआ? सरकार ने वर्ष 2002 में बट्टे खाते में भी 425.20 करोड़

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री टी.आर. बालू]

रु. डाल दिये। वर्ष 2002 तक डीप सी शिप रिपेयर डिविजन को भी बंद कर दिया गया था। अन्य दो प्रभाग, नदी सेवा प्रभाग और राजाबागान डॉकयार्ड अभी भी विद्यमान हैं। कैबिनेट की मदद से इन दोनों प्रभागों को बचाने का मैंने हर प्रयास किया। कैबिनेट में मुझे बी.आर.पी.एस.ई. के पास जाकर उसकी सलाह और सिफारिश लेने के बाद अपने पास आने की सलाह दी है। उन्होंने सिफारिशें दे दी हैं। उनमें से एक सिफारिश यह है कि राजाबागान डॉकयार्ड को गोवा शिपयार्ड या गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स, कोलकाता को सौंप दिया जाना चाहिए। दोनों शिपयार्ड रक्षा मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

दूसरी सिफारिश यह है कि अधिशेष आस्तियों को 35 करोड़ रुपये में बेच दिया जाए। इसके साथ ही (तीसरी सिफारिश) श्रमिकों की संख्या को 1080 से घटाकर 200 करना है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जानी है। 35 करोड़ की बिक्री से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की समस्या (चौथी सिफारिश) को हल किया जा सकता है। यदि यह धनराशि पर्याप्त न हो तो सरकार को 17 करोड़ रुपये देने होंगे।

पांचवीं सिफारिश 120 करोड़ रु. के ऋण को इक्विटी में बदलने की है। छठी सिफारिश 31.3.2005 तक 160 करोड़ रुपये के ब्याज को माफ करने से संबंधित है। सातवीं सिफारिश यह है कि इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद राजाबागान डॉकयार्ड को छोड़कर सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी. का विनिवेश कर दिया जाए। साथ ही वेतन और पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। ये सभी सिफारिशें बी.आर.पी.एस.ई. द्वारा की गई हैं।

हम लोग चुप नहीं बैठे हैं। सरकार और संबंधित संगठन का प्रबंधन राजाबागान डॉकयार्ड को रक्षा विभाग-गोवा शिपयार्ड या गार्डनरीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लि. को सौंपने के लिए रक्षा विभाग से बात कर रहा है। ये सभी मामले रक्षा विभाग के अधीन है।

वार्ताएं चल रही हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि श्रमशक्ति के साथ-साथ संबंधित एक रक्षा मंत्रालय को दिया जा सकता था। साथ ही कुछ पुनर्गठन के बाद नदी सेवा प्रभाग का विनिवेश कर दिया जाना है। वह सरकार का दृष्टिकोण है। जहां तक सरकार का संबंध है, हम किसी का छटनी नहीं करना चाहते हैं। साथ ही, यदि कोई व्यक्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए हमारे पास आता है, तो निश्चित रूप से हमें वह सुविधा उसे देनी चाहिए। यह सेवा प्रदान करने के लिए सरकार निधि देगी। यही सार-संक्षेप है। ...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी: मंत्री महोदय, क्या यही निराकरण है? ...*(व्यवधान)*

भारतीय अन्तर्देशीय जल प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का गठन राष्ट्रीय जल मार्ग एक और दो में आईडब्ल्यूटी प्रणाली के माध्यम से माल ढुलाई से होने वाले आर्थिक लाभ का अध्ययन करने के लिए किया गया है। हल्दिया और पटना के बीच चलने वाले जहाजों को अध्ययन के लिए लिया गया है। अध्ययन की व्याप्ति में सड़क और रेल लागत और स्वॉट (SWOT) विश्लेषण की तुलना में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का तुलनात्मक मॉडल लागत भी शामिल है।

इस विषय पर अध्ययन करने के लिए आई.डब्ल्यू.ए.आई. द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता की नियुक्ति की गयी है। उस अध्ययन की रिपोर्ट क्या है?

स्थायी समिति में प्रश्न सं. 26 के उत्तर में आपके विभाग द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अनुसंधान और विकास सुविधाओं को विशेषकर जहाज के डिजाइन, रात्रिकालीन नौवहन सुविधाओं और आर्थिक रूप से व्यवहार्य मार्गों की पहचान के लिए सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। तीनों राष्ट्रीय जलमार्गों में रात्रिकालीन नौवहन के लिए सुविधाएं प्रदान करने के मामले में विगत वर्ष पर्याप्त प्रगति हुई है। रात्रिकालीन नौवहन के लिए रोशनी की विशेष सुविधाएं लगाई गई हैं लेकिन मुझे परिणाम की जानकारी नहीं है। टास्क फोर्स की रिपोर्ट की विषय वस्तु के बारे में हमें जानकारी नहीं है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी: आपके विभाग ने वायदा किया है।

...*(व्यवधान)*

मंत्री महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: रिकार्ड में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, रिकार्ड में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ रिकार्ड नहीं हो रहा है, आप क्यों कह रहे हैं?

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय ने पहले ही उत्तर दे दिया है। कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: हमें विशेष उल्लेख पर विचार करना चाहिए। आप बैठ जाइए। रिकार्ड में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री टी.आर. बालू: महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम के लिए लाया गया है लेकिन माननीय सदस्य भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बारे में बात कर रहे हैं। विचाराधीन विषय यह नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु: महोदय, विगत 38 वर्षों के दौरान सरकार की ओर से कुछ भी नहीं किया गया है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने उत्तर दे दिया है। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अनिल बसु, कृपया जाइए। कुछ भी रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है, आप क्यों बोल रहे हैं?

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: मैं पहले ही आश्वासन दे चुका हूं कि यदि श्रमिक स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति चाहते हैं तो हम राशि उपलब्ध कराएंगे। हम विकल्प खुले नहीं रख सकते हैं। साथ ही साथ कोई छंटनी नहीं होगी। इसका मैं आश्वासन दे सकता हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया नहीं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम विशेष उल्लेखों पर चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब, कृपया बैठ जाइए। माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे चुके हैं। अब हम विशेष उल्लेखों पर चर्चा करेंगे।

श्री सुरेश चंदेल बोलेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश चंदेल के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अनिल बसु, आप कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। अब मैंने श्री सुरेश चंदेल का नाम पुकारा है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि कृपया मेरी बात सुनिए। कृपया बैठ जाइए? आप इस सभा का समय अकारण ही व्यर्थ कर रहे हैं, यदि आप बोलना बंद नहीं करते हैं तो मुझे सभा की कार्यवाही को स्थगित करना होगा।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं श्री सुरेश चंदेल से बोलने का आग्रह करता हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कृपया बैठ जाइए। मैंने श्री सुरेश चंदेल का नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप क्या चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री सुरेश चन्देल: उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इससे पहले भी सदन में बाढ़ के विषय पर चर्चा हो चुकी है और चर्चा में भाग लेते हुए मैंने हिमाचल प्रदेश में पारिछू नदी के कारण वहां जो विनाश का ताण्डव हुआ, उसकी तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट किया था। हम जानते हैं कि पिछले दिनों वहां जो बाढ़ आई थी उसके कारण वहां लगभग 800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। मैंने उस समय निवेदन किया था कि भारत सरकार अपने राजनयिक संबंधों का उपयोग करते हुए एक विशेषज्ञ टीम चीन भेजे ताकि यह जानकारी प्राप्त हो सके कि बार-बार जो पारिछू नदी का जल स्तर बढ़ रहा है और जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में समय-समय पर बाढ़ आ रही है और अरबों रुपए की सम्पत्ति नष्ट हो रही है, उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तक उस दिशा में कोई ज्यादा प्रयास नहीं हुए हैं। अभी पिछले दिनों यह खबर मिली है कि उस नदी में फिर से जलस्तर बढ़ रहा है और उसके कारण ट्राइबल जिला किन्नौर और विलासपुर तक, सभी जगह इस बात का भय व्याप्त है कि फिर से उसी तरह की बाढ़ आएगी, जिसमें लोगों के धन और जन की हानि होने की संभावना है।

महोदय, मैं भारत सरकार से फिर निवेदन करता हूं कि चीन में उस स्थान पर विशेषज्ञों की एक टीम भेजे। जो उस स्पॉट पर जाकर निरीक्षण कर सके और ठीक वस्तुस्थिति से भारत सरकार और प्रदेश सरकार को अवगत करा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों वहां पर अभी जो पुनर्वास का काम है, वह भी ठीक से नहीं चल रहा है। पिछले दिनों वहां पर जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान के लिए जो पर्याप्त पैसा यहां से जाना चाहिए था, वह नहीं गया है। यद्यपि, थोड़ी मात्रा में वहां सहायता मिली है और जैसा कि मैंने कहा कि लगभग आठ सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मेरा यह निवेदन है कि कहीं ऐसा न हो कि अभी जो पुरानी सड़कें और पुल टूटे हैं या जहां भी पुनर्वास का काम होना है, वह ठीक से नहीं हुआ है और दोबारा वहां पर क्षति हो जाए, इसलिए मैं पुन: सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि चीन के साथ अपने राजनयिक संबंधों का उपयोग करते हुए एक विशेषज्ञों की टीम वहां भेजी जाए। भारत सरकार वहां पर्याप्त सहायता दे, ताकि प्रदेश के अंदर जो पुनर्वास का काम है, वह ठीक से चले और जो आशंका लोगों के मन में व्याप्त है, उसको दूर करने के लिए इन संबंधों का भारत सरकार उपयोग करे।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, इंडिया इन्वेस्टमेंट सेंटर विदेशों से निवेश के मामले में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। अनिवासी भारतीयों को हमारे देश में निवेश को एक दिशा देने में विशेष रूप से सहायता देते रहे हैं। इसके बावजूद कि वित्त मंत्रालय के अधीन इंडिया इन्वैस्टमेंट सेंटर अत्यन्त ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, इसे बंद करने का निर्णय लिया गया जिसका कारण सरकार को ही मालूम होगा। यह अक्टूबर 2004 में हुआ था।

बाद में सरकार को इस पर पुनर्विचार करना पड़ा और मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया था जिसे इस पूरे मामले की जांच करनी थी क्योंकि भारत जैसे देश जिसमें बड़ी संख्या में अत्यन्त महत्वपूर्ण अनिवासी भारतीय हैं, जो हमारे देश में निवेश करने में सक्षम हैं, ऐसा संगठन हमारे निवेश को बढ़ाने के मामले में अच्छा कार्य कर सकता है। किंतु मंत्रियों के समूह ने लम्बे विचार-विमर्श के बाद यह सिफारिश की कि यद्यपि इस संगठन विशेष को भंग किया जा सकता है परन्तु अन्य मंत्रालयों जैसे प्रवासी कार्य मंत्रालय में इन लोगों, जिनके पास अनिवासी भारतीयों से, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, निवेश आकर्षित करने का कौशल क्षमता और दीर्घ अनुभव है, को खपाया जा सकता है। दुर्भाग्य से प्रवासी कार्य मंत्रालय ने मंत्रियों के समूह की इस सिफारिश पर ध्यान नहीं

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दिया। अंततः क्या हुआ, सक्षम, कुशल और दीर्घ अनुभव प्राप्त इन लोगों की सेवाओं को 31 जुलाई को समाप्त कर दिया गया।

अब सरकार से मेरी दलील यह है कि जब इस प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय को कुशल और अनुभवी लोगों की आवश्यकता होती है, सरकार को मंत्रियों के समूह की सिफारिश के आधार पर मंत्रालय पर दबाव बनाना चाहिए ताकि सभी कुशल, अनुभवी और सक्षम लोग जो कि पूर्ववर्ती इंडिया इन्वेस्टमेंट सेंटर में कार्यरत थे को अविलम्ब सेवा में लिया जाए और इन कुशल लोगों की सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए जैसाकि प्रस्ताव है और किया गया।

उपाध्यक्ष महोदयः हम अब मद सं. 26 को लेंगे—नियम 377 के अधीन मामलों यदि यह सभा सहमत हो तो हम उन्हें इस सभा पटल पर रखा हुआ मान सकते हैं?

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): नहीं महोदया उनमें से कुछ एक सदस्य ही उपस्थित हैं। कृपया उन्हें पढ़ने की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदयः इसमें काफी समय लगेगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः ठीक है, जैसा आप चाहते हैं। सर्वप्रथम मैं, श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी से बोलने का अनुरोध करता हूं। वह उपस्थित नहीं हैं।

अब श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी बोलेंगे।

अपराह्न 2.46 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी उपस्थित नहीं।

(एक) ओंगोले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, आंध्र प्रदेश की कानीगिरि जल आपूर्ति योजना को स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी (ओंगोले): महोदय, मैं इस सभा के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में ओंगोले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कानगिरी विधान सभा क्षेत्र में सात मंडलों के 234 बसावटों में फ्लोरीन का प्रतिशत विश्व के किसी भी अन्य स्थान की तुलना में अधिक है। हम भारत सरकार के संबंधित विभाग के सामने इस मामले को काफी दिन से उठा रहे हैं कि पेयजल की योजना मंजूर की जाए जिससे कि फ्लोरीन की अत्यधिक मिलावट की प्रतिशतता के कारण बुरी तरह से शारीरिक रूप से प्रभावित लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। किंतु दुर्भाग्यवश, इस योजना को स्वीकृति नहीं दी गई है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृपया आंध्र प्रदेश के कानिगिरी क्षेत्र में जल में फ्लोरीन की अधिक प्रतिशतता के कारण शारीरिक रूप से पीड़ित 2,00,000 लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्राथमिकता के आधार पर आंध्र प्रदेश के नालगोण्डा और महबूबनगर के लिए जिस तरह से स्वीकृति दी गई थी, कानिगिरी जलापूर्ति योजना को स्वीकृति दी जाए।

(दो) भारतीय सेना में अहिरवाल रेजीमेंट की स्थापना किये जाने की आवश्यकता

डा. करण सिंह यादव (अलवर): महोदय, सेना में इन्फैन्ट्री रेजीमेंट संबंधित जातियों पर आधारित है और उनका नाम सिक्ख, जाट, डोगरा, राजपूत, मराठा इत्यादि है। अन्य रेजीमेन्ट प्रान्तों और क्षेत्रों पर आधारित हैं, उदाहरण के लिए मद्रास, पंजाब, बिहार, नागा, लद्दाख स्काउट्स, जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री इत्यादि सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण योद्धा समुदाय जो अंग्रेजों द्वारा छोड़ दिया गया, वह था अहीर/यादव, जिसका कारण संभवतः यह था कि उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

अहीर/यादव देश की कुल जनसंख्या के 15 प्रतिशत से अधिक हैं और इस जाति ने विभिन्न युद्धों के मैदानों में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है। मानद कैप्टन उमराव सिंह को द्वितीय विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस और कमांडर योगिन्द्र सिंह को कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र दिया गया था। लद्दाख में 1962 में राजागला का युद्ध हुआ था जिसमें वीर यादव सैनिकों ने युद्ध किया था, जो उनकी वीरता का बहुत बड़ा उदाहरण है।

अतएव, मैं माननीय रक्षा मंत्री से आग्रह करता हूं कि भारतीय सेना में अहीर अथवा अहीरवाल के नाम से एक रेजीमेन्ट स्थापित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदयः श्रीमती कृष्णा तीरथ, उपस्थित नहीं। श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी—उपस्थित नहीं।

(तीन) पूर्वी उत्तर प्रदेश में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, देश में प्रतिवर्ष बाढ़, भूकम्प, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं से बड़े पैमाने पर धन-जन की हानि होती है। बाढ़ अन्य प्राकृतिक त्रासदियों भूकम्प अथवा तूफान जैसी विभीषिका भी नहीं है कि जिसका पूर्वानुमान कठिन है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज आदि जनपद तथा बिहार के कुछ क्षेत्र प्रतिवर्ष बाढ़ की भीषण आपदा का सामना करते हैं। हिमालय की तराई में पड़ने वाला यह क्षेत्र वहां से निकलने वाली सरयू, राप्ती, रोहिन, गण्डक, नारायणी आदि कई छोटी-बड़ी नदियों की बरसाती बाढ़ के मुहाने पर होने के कारण पहले शिकार होते हैं। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ की त्रासदी का स्थलीय निरीक्षण-सर्वेक्षण कराकर तथा राहत सामग्री के रूप में प्रतिवर्ष व्यय की जाने वाली धनराशि से थोड़ी ही अधिक धनराशि अगर एक बार खर्च कर दी जाए तो बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान किया जा सकता है। आजादी के बाद जल के उचित दोहन तथा बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए गंगाजल आयोग का गठन किया था। इस आयोग का सुझाव था कि पूर्वांचल की नदियों का उद्गम-स्थल नेपाल में ही करनाली, पंचेश्वर तथा भालू में बांध बनाकर रोका जाए तथा नेपाल में ही जलकुण्डी जलाशय बनाकर आवश्यकतानुसार जल इसमें लाया जाए, परन्तु राजनीतिक कारणों से योजना अमल में नहीं लायी जा सकी।

अत: मैं माननीय सदन से इस समस्या पर विचार करने तथा माननीय प्रधानमंत्री जी से इसके लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं जिससे प्रतिवर्ष बाढ़ जैसी प्राकृतिक त्रासदी से होने वाली व्यापक धन-जन की हानि को रोका जा सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राम सिंह कस्वां—उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

(चार) जयपुर, राजस्थान में मेट्रो रेल सेवा शुरू किये जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, जयपुर शहर की यातायात समस्या दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। अधिकतम संख्या में गाड़ियों व स्कूटरों के होने के कारण उनके बाजार में खड़ा करने से यातायात अवरोध हो जाता है। राज्य सरकार द्वारा यातायात की समस्या को हल करने के लिए कई उपाय किये जाने वाले हैं, परन्तु इसमें काफी समय और व्यय लगेगा। दिल्ली में मैट्रो रेल प्रारंभ करने से यातायात की समस्या भी हल हुई है और नागरिकों को शुल्क पर दूरी तय करने में सुविधा प्राप्त हुई है। जयपुर शहर अब एक मैट्रो सिटी बना हुआ है। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जयपुर में मैट्रो रेल प्रारंभ की जाए जिससे कि जयपुर की जनता को सुलभ यातायात मिल सके।

(पांच) उड़ीसा में तालचेर और ब्रजराजनगर की कोयला खनन पट्टी में बढ़ रहे तापमान की स्थिति पर राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी संस्थान द्वारा अध्ययन कराये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़): महोदय, गत पांच वर्षों में उड़ीसा के कोयला खनन क्षेत्रों अर्थात कल्चर और ब्रजराजनगर में तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। गत ग्रीष्म ऋतु में तलचर में 52 डिग्री सेलसियस तापमान रिकार्ड किया गया। किसी को भी वहां लोगों की कठिनाइयों का अनुमान हो सकता है। कोयला खनन से, विशाल वृक्ष काटे जा रहे हैं और इन क्षेत्रों में वैकल्पिक रूप से वानिकी कार्य अनुमान से काफी कम हो रहा है। खनन के पश्चात भराई का कार्य भी शुरू नहीं किया जा रहा है। इससे भी तापमान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मैं अनुरोध करता हूं कि इन दोनों शहरों का राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा पर्यावरणीय अध्ययन कराया जाए ताकि पर्यावरण संरक्षण हेतु उपायों का सुझाव दिया जा सके।

(छह) पश्चिम बंगाल में जगदीशपुर से हल्दिया तक गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, भूमंडलीकरण की चुनौतियों के मद्देनजर गैस अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। पश्चिम बंगाल में आज तक गैस के किसी स्रोत का पता नहीं चला है। गैस की अनुपलब्धता के कारण एचएफसी का हल्दिया उर्वरक संयंत्र बंद हो गया है।

हल्दिया एक अग्रणी औद्योगिक क्षेत्र है जहां रसायनिक उद्योग जैसे पेट्रोरसायन, मितसुबिशी का पीटीए संयंत्र, हिन्दुस्तान लीवर की डिटर्जेंट संयंत्र टाटा केमिकल्स की डीएपी इत्यादि स्थित हैं जिसमें गैस की आवश्यकता होती है। हल्दिया को पश्च और अग्रिम

लिंकेज प्रदान कर एक प्रमुख रासायनिक केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल में गैस आधारित विद्युत संयंत्र की अत्यधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है।

यह एक स्वीकृत तथ्य है कि देश के अन्य भागों की तुलना में पूर्वी भारत आर्थिक रूप से पिछड़ गया है। अतएव, माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि इस संबंध में कदम उठाये जाएं ताकि गेल, पाइपलाईन के माध्यम से जगदीशपुर से हल्दिया तक गैस की आपूर्ति कर सके। अन्य स्रोतों जैसे म्यांमार और पश्चिमी बंगाल में रिलायंस उद्योग द्वारा भी गैस की आपूर्ति उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

(सात) दक्षिण पूर्व रेलवे के खडगपुर डिवीजन के अंतर्गत कोंटई रोड स्टेशन पर हावड़ा-भुवनेश्वर धौली एक्सप्रैस को ठहराव दिये जाने की आवश्यकता

श्री रूपचन्द मुर्मू (झाड़ग्राम): महोदय, बेलदा, नारायणगढ़, खाकुर्दा, कोसियाटी और दांता के लोगों की काफी दिनों से मांग है कि 2821/2822 हावड़ा-भुवनेश्वर धौली एक्सप्रेस का दक्षिण-पूर्व रेलवे के खडगपुर मंडल के अंतर्गत कोंटई रोड रेलवे स्टेशन पर ठहराव प्रदान किया जाए। कोंटई रोड रेलवे स्टेशन बेलदा के नाम से लोकप्रिय है और यह उड़ीसा का प्रवेश द्वार है। यह पश्चिम मिदनापुर जिले का व्यावसायिक केन्द्र भी है। प्रतिदिन इन जगहों से हजारों लोग कटक और भुवनेश्वर जाते हैं। इनमें से अधिकांश लोग बीमार होते हैं। धोंली एक्सप्रेस को छोड़कर सुबह में खड़गपुर और हावड़ा से कटक और भुवनेश्वर के लिए कोई अन्य एक्सप्रेस रेलगाड़ी उपलब्ध नहीं है। अत:, मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इन लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी मांग पर विचार करे।

(आठ) उत्तर प्रदेश के चायल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की पेय जल की समस्या के समाधान के लिए वहां स्वजलधारा परियोजना को कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): उपाध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद (उ.प्र.) "चायल" संसदीय क्षेत्र में पेयजल की समस्या गंभीर है। स्वजलधारा योजना के अंतर्गत समस्या को दूर करने की व्यवस्था सरकार करे। न्याय पंचायत स्तर पर एक पानी की टंकी की व्यवस्था से ही पेयजल समस्या का निराकरण हो सकता है। जल संसाधन मंत्री पूरे क्षेत्र का सर्वे करा कर पेयजल समस्या को दूर करने के लिए एक बृहद् कार्य योजना तैयार करें।

(नौ) देश में खाद्यान्न की कमी न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न से शराब के उत्पादन पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल (चतरा): महोदय, देश में शराब कंपनियों द्वारा मोयलेसिस के स्थान पर अनाज से शराब बनाने का प्रचलन शुरू हो गया है और कई शराब कंपनियां इन्हीं अनाजों से शराब बना रही हैं, जिसके कारण अनाज का अभाव कभी भी हो सकता है और विदेशी मुद्रा खर्च करके अनाज का आयात करना पड़ सकता है। देश में बाढ़ एवं सूखा पड़ने से अनाज का उत्पादन कम होने की स्थिति में शराब कंपनियां इन्हीं अनाजों से शराब बनाने का काम करती रही तो देश में अनाज बहुत महंगा होगा, जिसका भार देश की गरीब जनता पर पड़ेगा। यह भी जानकारी मिली है कि जो गेहूं और चावल गरीब लोगों के आवंटन के लिए होता है, उसी गेहूं और चावल को चोरी से शराब कंपनियां ले रही हैं।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि देश में अनाज से शराब बनाने के काम को लोकहित में जल्द रोका जाए एवं इसकी सीबीआई जांच भी करवाई जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राजाराम पाल, उपस्थित नहीं, श्री अनंत गुढ़े, उपस्थित नहीं, श्री चन्द्रकांत खैरे।

(दस) महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में लाटरी व्यवसाय को विनियमित करने के लिए बनाए गए नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): उपाध्यक्ष महोदय, भारत के कई राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने लॉटरी व्यवसाय के लिए जिन एजेंसियों के साथ करार किया है, वे एजेंसियां बड़े पैमाने पर रैवेन्यू की चोरी कर, सरकार को घाटा पहुंचा रही हैं। यह एक गम्भीर मामला है और इससे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी फैल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन लॉटरी और इंटरनैट लॉटरी के लिए जिन एजेंसियों को नियुक्त किया है, वे ही, सरकार के अधिकार में आने वाले रैवेन्यू की चोरी कर रही हैं। राज्य सरकार के अधिकारी जो इस व्यवसाय को सरकारी स्तर पर देखते हैं, उनसे मैंने इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए लिखित अनुरोध किया था, परन्तु उन्होंने इस जानकारी को उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया। यह शक पैदा करने वाली बात

है। माननीय गृह मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस व्यवसाय के नियमों और कानूनों को कड़ाई से पालन करने हेतु एजेंसियों को हिदायत दें।

(ग्यारह) उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में क्रायोफाइडमाइट नामक नारियल के रोग के प्रसार को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): उड़ीसा के तटीय जिलों के नारियल किसान क्रामोफाइडमाइट बीमारी जिससे उनके नारियल के पेड़ ग्रसित हो चुके हैं, के कारण गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप अब तक किसानों की संपत्ति माने जाने वाले नारियल के पेड़ नारियल किसानों पर बोझ बनकर रह गए हैं। एक समय में नारियल और इसके कोपरे को दूर-दराज स्थलों तक भेजा जाता था। लेकिन आज इस व्यवसाय की स्थिति कीट लगने के कारण पेड़ों में फल नहीं करने से खराब है।

यदि नारियल प्रभावित पेड़ों में लग भी जाते हैं तो ये सूख जाते हैं और इस पर काले धब्बे आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इसकी गुणवत्ता और आकार पर भी प्रभाव पड़ता है। रिपोर्टों के अनुसार शंकर वर्ण के नारियल के पेड़ों में कीट लगने की अधिक संभावना रहती है।

1999 के महा चक्रवात के पश्चात कई पेड़ उखड़ गए जिसके लिए सरकार और अन्य संगठनों ने केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से हजारों शंकर किस्म के नारियल के पौधे उपलब्ध कराए थे। लेकिन उड़ीसा के किसानों की आशाओं पर पानी फिर गया है। कोच्ची स्थित नारियल विकास बोर्ड इस समस्या से अवगत है। गत वर्ष केन्द्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए लगभग 1.6 लाख रुपए मंजूर किये थे लेकिन इस धनराशि का उपभोग समस्या का हल निकालने के लिए नहीं किया गया है।

सरकार को उड़ीसा के नारियल किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त धनराशि और विशेषज्ञता उपलब्ध करानी चाहिए।

(बारह) क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या के समाधान के लिए तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में होगेनक्कल इंटिग्रेटेड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट' के कार्यान्वयन के लिए धन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डा. आर. सेनथिल (धर्मपुरी): धर्मपुरी जिगला भारत का एक अत्यंत पिछड़ा जिला है। इस जिले में बहुत कम बारिश होती है और यहां हमेशा पानी की कमी रहती है। इस जिले के लोग कृषि पर निर्भर करते हैं और अल्प दृष्टि के कारण कृषि से लोगों को पर्याप्त आय नहीं होती है। इसलिए, ये लोग अपनी आजीविका के लिए पडोसी राज्य कर्नाटक विशेषकर बंगलौर की ओर पलायन कर रहे हैं, परन्तु सबसे महत्वपूर्ण समस्या पेयजल की है। भू-जल काफी नीचे स्तर पर है। राज्य सरकार नलकूपों की खुदाई पर पैसे खर्च करती है। परन्तु इनमें से अधिकतर असफल रही हैं और इनसे हानि हुई है। कुओं की खुदाई से भी कोई लाभ नहीं हो रहा है।

इस जिले के लिए पेयजल हेतु एकमात्र विकल्प 'होजेनकल एकीकृत पेयजल परियोजना' है। इस परियोजना की योजना 40 वर्षों से भी पहले बनी थी। इसे जापान के सहयोग से 1999 में, शुरू किया जाना था। परन्तु पोखरन में हुए परमाणु परीक्षण के बाद जापान ने अपनी सहायता वापस ले ली। इसलिए इसे शुरू नहीं किया जा सका।

इस परियोजना की लागत 1,060 करोड़ रुपये है। तमिलनाडु सरकार इस परियोजना के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस जिले के लोगों की कठिनाइयों पर विचार करे और इस परियोजना का क्रियान्वयन अपने कोष से करे। भारत सरकार ने चेन्नई में 'विलवणीकरण परियोजना' के लिए राशि मंजूर की है। इसी प्रकार, सरकार इस अति महत्वपूर्ण परियोजना को भी वित्त पोषित कर सकती है। मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह हमारे अनुरोध पर विचार करें।

अपराह्न 3.00 बजे

(तेरह) असम में सरायघाट में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर चार लेन वाला सड़क-सह-रेल पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार होने के कारण गुवाहाटी शहर को न केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को जोड़ने के लिए बल्कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से जोड़ने के लिए भी संचार संरचनाओं के मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत चार लेन वाले ईस्ट-वेस्ट कॉरीडोर के अवयव के रूप में ब्रह्मपुत्र के ऊपर सरायघाट में एक तीन लेन वाली सड़क पुल के निर्माण के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 1960-61 में सरायघाट में निर्मित विद्यमान दो लेन वाला रेल एवं सड़क पुल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न केवल पुराना हो गया है बल्कि यह दोहरी लाइन वाली बड़ी लाइन मार्ग को भी समंजित करने में अक्षम है जिसके कारण रेल परिवहन में भीड़-भाड़ की स्थायी समस्या उत्पन्न हो रही है। इस समुद्र से संबंध विच्छिन्न

क्षेत्र के भविष्य में होने वाले संपर्कगत विकास को खतरे में डालकर राष्ट्रीय संपर्क वाले चार लेन वाले राजमार्ग को जोड़ने के लिए तीन लेन वाले पुल का निर्माण सर्वथा अनुचित है।

इसलिए, मैं प्रधान मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे इस प्रस्ताव की समीक्षा करें और इसे चार लेन वाले सड़क एवं रेल पुल में उपांतरित करवाएं जो अगले 100 वर्षों तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेल और सड़क परिवहन को समंजित करने में सक्षम हो पाएगा। वर्तमान प्रस्ताव जैसी अदूरदर्शी नीति इस क्षेत्र के भविष्य में होने वाले विकास को नुकसान पहुंचाएगी जो इस क्षेत्र के इस देश में अति रणनीतिक और संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण भारत की सुरक्षा के साथ पूर्णरूप से समझौता होगा। यदि इस मामले पर अभी पूरी गंभीरता से विचार नहीं किया जाता है तो इससे होने वाली क्षति अपूर्णीय होगी।

(चौदह) हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र और कुल्लू और शिमला जिलों के कतिपय क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूं कि हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की दो तहसीलों, राजगढ़ एवं शिलाई का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं तहसील रेणुका तथा पांवटा साहब के कुछ भाग, जिन्हें गिरिपार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उनके 392 गांवों में 1,89,968 लोग रहते हैं, जिनमें से 65,317 लोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंध रखने वाले हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में रहने वाले लोग सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं भाषाई दृष्टि से आज भी पिछड़े हुए हैं। इसलिए इस क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाए।

इसके अतिरिक्त जिला कुल्लू की ग्राम पंचायत पाली तथा जिला शिमला की तहसील रामपुर के छुआरा विकास खंड एवं तहसील रोहडू की ग्राम पंचायत किन्नू (6/20) को भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाए, क्योंकि यह अतिदुर्गम तथा सांस्कृतिक, आर्थिक सामाजिक एवं भाषाई दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र हैं।

(पंद्रह) कतिपय विदेशी कंपनियों द्वारा चावल का पेटेंट कराए जाने से देश के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी (बापतला): महोदय, मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि जब आपने मेरा नाम पुकारा उस समय मैं उपस्थित नहीं थी। महोदय, सिंजेटा नामक स्विट्जरलैंड की जैव प्रौद्योगिकी की एक बड़ी कंपनी चावल के हजारों जीन के विश्वव्यापी पेटेंट का प्रयास कर एकाधिकार जमाने की कोशिश कर रही है। यह कंपनी दावा करती है कि इसने पता लगाया है कि चावल के एक दाने में 37,544 जीन होते हैं जो मानव शरीर में पाए जाने वाले जीनों की तुलना में एक-चौथाई अधिक है।

इन पेटेंट के मामलों को यूरोपीय पेटेंट कार्यालय, यू.एस. पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस तथा वर्ल्ड इंटैलै-क्युअल प्रोपर्टी राइट्स आर्गेनाइजेशन में दायर किया गया है। यदि यह स्वीकार किया जाता है, तो इसका भारत और तीसरी दुनिया के देशों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। सभी पेटेंट आवेदनों की समुचित जांच किए जाने की आवश्यकता है तथा भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए। इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय पेटेंट कानूनों के अंतर्गत, जीनों का पेटेंट नहीं किया जा सकता।

कुछ समय पहले इसी प्रकार मोनसेटों नामक कंपनी ने हमारे कपास की खेती पर अपना दावा किया था और हमारे कपास की खेती करने वालों को 400 ग्राम के बीटी कॉटन के प्रति पैकेट पर इसके सामान्य मूल्य से 1250 रुपए अतिरिक्त का व्यापारिक मूल्य जोड़ दिया था।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोगों ने एक लाइन में ही तय कर लिया था कि लेट जाना है।

(सोलह) दिल्ली में वाहन में आगे की सीट पर बैठने वालों के लिए अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट बांधने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग): महोदय, मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं कि दिल्ली जैसे शहर में जहां इतना ट्रैफिक हो, सड़कों पर इतनी कम स्पीड से गाड़ियां चलती है, जिससे बेल्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह जरूरत तब होती है जब हाई-वे पर बहुत अधिक गति से गाड़ी चल रही हो और उससे हैड-इंजरी का डर रहता है कि कहीं जो ब्रेक लगने पर या दुर्घटना होने पर बेल्ट का फायदा है। किन्तु दिल्ली में इससे परेशानी है। खास तौर से महिलाओं को। अगर वह गर्भवती है, तो और भी दिक्कत होती है। किंतु सड़कों पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस यह सब नहीं देखती और गाड़ी नम्बर नोट कर उस गाड़ी का चालान सीधे घर भेज देती है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि इस सीट बैल्ट को आवश्यक घोषित न करके इसे समाप्त किया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आगे के लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि केवल उसी पाठ को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा जिसे नोटिस आफिस को पहले ही दिया गया हो।

श्रीमती कृष्णा तीरथ: मैं पहले ही यह पाठ दे चुकी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: परन्तु आपने उस पाठ से नहीं पढ़ा है।

अपराह्न 3.06 बजे

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक, 2005—*जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, हम मद सं. 27 घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण विधेयक, 2005 पर चर्चा करेंगे।

इसके लिए चार घंटे का समय दिया गया था। अब तक 1 घंटे 32 मिनट की चर्चा हो चुकी है। हमारे पास दो घंटे 28 मिनट का समय शेष बचा है।

पिछली बार जब सभा स्थगित हुई थी तो श्री आलोक कुमार मेहता अपना भाषण देने के लिए खड़े थे। अब, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह अपना भाषण जारी रखें।

श्री मेहता, आप इसका ध्यान रखें कि आप 10 मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): महोदय, मैंने केवल चार मिनट का समय लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे पास रिकार्ड है जो बता रहा है कि आपने सात मिनट लिया है। कृपया भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता: उपाध्यक्ष महोदय, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक 2005 पर मैं अपनी बात को जारी रखते हुए यह कहना चाहता हूं कि देश में जितने महान नेता, समाज सुधारक हुए हैं, उन सभी ने इस बात की वकालत की थी कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। जीवन की गाड़ी महिला और पुरुष नामक दो पहियों पर चलती है। सिद्धांतों में ऐसी बातें अनवरत कही जाती रही हैं, लेकिन व्यवहार में जो अंतर है, उसकी जड़ में मनुवाद है। मनुवादी व्यवस्था में पशु, शूद्र और नारी को एक ही स्तर पर रख कर तोला गया है। उस समाज ने इन कुरीतियों को लंबे समय तक ढोया है और अभी तक जारी रखने का काम किया है। इसके लिए मनुवादी व्यवस्था सबसे अधिक दोषी है। मनुवादी व्यवस्था से ऊपर उठकर हमें सोचना होगा। इस देश में और पूरी दुनिया में इस पर रेवेल्यूशन है। अभी मैं वैनेजुएला के अंदर युवा महोत्सव में भाग ले कर आया हूं। वहां पर भी ऐसे विषय पर बहुत गहन चर्चा हुई है। मैं इस देश और इस एक्ट के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि इसे स्त्री और पुरुष की लड़ाई नहीं माना जाना चाहिए। यह एक अलग व्यवस्था की लड़ाई है। यह मनोविज्ञान की लड़ाई है। इसे इस रूप में लिया जाना चाहिए। दिल्ली में प्रोजेक्ट रक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह बहुत ही ऐप्रीशिएट किए जाने लायक व्यवस्था है। इस तरह की व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी चाहिए। शिक्षण संस्थानों और विभिन्न तरह के संस्थानों में महिलाओं को सेल्फ-प्रोटेक्शन के लिए ऐसे प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए ताकि इमरजेंसी में उनका यह हुनर काम आ सके। इस क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों को सक्रिय बनाने की जरूरत है। यह मामला सामाजिक समस्याओं और रूढ़िवादी मानसिकता से ज्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए लोगों को जागृत करने की जरूरत है। ऐसे कार्यक्रमों में अच्छी स्वयंसेवी संस्थाओं को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए समाज को जागरूक किया जाना चाहिए। जहां कहीं घटना होती है, उसके प्रतिकार स्वरूप पूरे समाज को खड़ा किए जाने की आवश्यकता है। अदालतों में हमेशा तकनीकी मापदंडों पर फैसले किए जाते हैं। लेकिन इस तरह के केसेज के लिए सदन के माध्यम से नियम बनाए जाने चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके सबूत स्पष्ट रूप से नहीं दिए जा सकते। वैसी स्थिति में मानवीय आधार भी बनाए जाने की आवश्यकता है। गरीब महिलाओं के आंसू कपोलों पर ही सूख जाते हैं। सीआरपीसी एक्ट और विभिन्न एक्ट में जो प्रावधान दिए गए हैं, वह अभी भी अमीरों की ही लड़ाई है। अगर आप सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों और गांव की अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोगों की बात करें, तो वहां इस तरह की प्रताड़ना रोज की कहानी है। इस एक्ट में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं की शिकायतों को दर्ज किए जाने की पूरी सुनिश्चितता हो, क्योंकि महिलाएं संकोच और लज्जावश पुलिस स्टेशन जाने से हिचकिचाती हैं। उनके लिए प्री-ऐडवोकेसी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में पैसा और सत्ता उसके हाथ में होती है। प्रताड़ना की शिकार होने की स्थिति में महिलाओं के पास पैसे नहीं रहते जिससे वे कोर्ट में जाकर आगे की लड़ाई लड़ सकें। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिना किसी मैनीपुलेशन के दोषी लोगों पर कार्यवाही हो, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस दायरे में इस एक्ट को संशोधित कर और सभी बातों का पूरा ख्याल रखते हुए कार्य किया

जाना चाहिए। एक्ट का दुरूपयोग न हो सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए उसे ढंग से बनाया जाना चाहिए, नहीं तो कल को पुरुष प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की आवश्यकता भी सदन को पड़ सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया, श्रीमती कांति सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण एक्ट को सदन में लाकर पूरे समाज को नई दिशा देने का काम किया।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस एक्ट का भरपूर समर्थन करता हूं।

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन (रामनाथपुरम): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक, 2005 के बारे में कुछ शब्द कहने के लिए मुझे अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

महोदय, तमिल में एक कहावत है: ''मंगाइयारई पिरप्पाघर के नल्ला माधवम सीधिदा वेंडुममम्या,''

स्वतंत्रता पूर्व के तमिलनाडु के देशभक्त कवि थिरू कविमणि थीसिया विनागगम पिल्लै ने इस दोहे की रचना की जिसका अर्थ है कि सर्वशक्तिमान रचयिता द्वारा ''किसी को महिला रूप में उत्पन्न होने का आशीर्वाद दिया जाना चाहिए।''

मैं प्रसन्नता पूर्वक कहती हूं कि श्रीमती सोनिया गांधी और माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह के कुशल नेतृत्व में संप्रग सरकार ने यह विधेयक लाकर महिलाओं का सम्मान किया है और मैं नि:संदेह अपनी पार्टी डी.एम.के. की ओर से इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

साथ ही हमें इस सच्चाई को मानना पड़ेगा कि इस विधेयक में उल्लिखित कुछ बातों को अधिक गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए तभी संप्रग सरकार द्वारा इस विधेयक का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है।

यद्यपि विधेयक में घरेलू हिंसा के प्रति सभी संरक्षात्मक उपाय किए गए हैं, फिर भी हमें यह कहने में दुख है कि व्यवहार में ऐसा नहीं है। हमें भली-भांति मालूम है कि प्राचीन काल में महिलाओं को बहुत सामाजिक स्थान दिया जाता था और उनके साथ अत्यधिक सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता था। वे अनेक राजाओं की दूत के रूप में और दरबार में सलाहकारों के रूप में कार्य करती थीं उदाहरणार्थ हमारे देश के दक्षिण भाग में अनैयार और काकैपाडिनियार जैसी कवयित्री थीं। किन्तु मध्यकाल में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उनका उपयोग पुरुषों के लिए आनन्द की वस्तुओं के रूप में किया गया। वास्तव में धनी लोगों के घरों और अपने पतियों के घरों में दासियां थीं। साधारणतया उनके पति देवियों के सम्मुख हाथ जोड़कर झुककर खड़े होते और अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते। साथ ही, वे घरों में उन्हीं हाथों से अपनी पत्नियों को पीटते थे। कुछ स्थानों पर महिलाओं के अपने पतियों की मृत्यु के पश्चात जौहर करने के लिए विवश किया जाता था। उस समय हमारे महान राजा राममोहन राय ने महिलाओं के पति की मृत्यु पर उनके द्वारा जौहर करने की इस परंपरा का विरोध किया। आज भी ऐसा हो रहा है किन्तु उसका कारण अलग है अर्थात दहेज-एक ऐसा अपराध है जो हमारे समाज में सर्वाधिक अस्वीकार्य अपराध है। महात्मा गांधी, राजाजी, ई.वे.रा. पेरियार जैसे महान नेता पुरुष वर्ग द्वारा महिलाओं के प्रति की गई सामाजिक बुराईयों के विरुद्ध लड़े। हमारे नेताओं द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद लोगों की सोच उतनी नहीं बदली जितना बदलनी चाहिए थी।

विधेयक में यह स्पष्टतया बताया गया है कि किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा के बारे में सूचना तत्काल संबंधित संरक्षण अधिकारी को दी जानी चाहिए। किन्तु लोग विद्वान और अज्ञानी दोनों-घरेलू हिंसा की घटना को छुपाते हैं और इस प्रकार महिलाओं को इस अधिनियम से संरक्षण मिलने से रोका जाएगा।

यद्यपि दस्तावेज के स्तर पर यह विधेयक बहुत अच्छा है फिर भी इस अधिनियम की निश्चित सफलता प्राप्त करने की एकमात्र कुंजी क्रियान्वयन है। यह निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए मैं तीन बातों का सुझाव देना चाहती हूं। ये तीन बातें हैं: जागरूकता प्राधिकार और कार्यवाही। हमारी संप्रग सरकार को वीडियो, मीडिया और स्वैच्छिक सेवाओं और ठोस अभियान के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त बजट निर्धारित करना चाहिए। दूसरा राज्य सरकारों के सहयोग से हमारी केन्द्र सरकार को विशिष्ट प्राधिकरण बनाना चाहिए जिसे जब भी महिलाओं के प्रति अत्याचार की सूचनाएं मिलें, महिलाओं का बचाव करने की वैधानिक रूप से शक्ति प्राप्त हो। घरेलू हिंसा के कारण महिलाओं को हुई कठिनाईयों की जांच करने के लिए विशिष्ट रूप से विशेष पुलिस बल बनाया जाना चाहिए।

मैं यह भी सुझाव देना चाहती हूं कि जिन लोगों ने सामाजिक रूप से महिलाओं को स्वतंत्र कराने में विशेष और उल्लेखनीय योगदान किया है उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाना चाहिए। यह पुरस्कार, भारत विभूषण अथवा भारत रत्न अथवा ऐसे ही उच्च स्तर का होना चाहिए। इससे उन लोगों और गैर सरकारी

[श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन]

संगठनों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा जिनकी महिलाओं के कल्याण में रूचि है। अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इस पुरस्कार पर विचार किया जा सकता है जो घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण करने के मामले में एकल रूप से योगदान करते हैं।

महोदय, महिला सशक्तीकरण वास्तविक कवच है जो महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान कर सकता है। स्वसहायता समूहों का निर्माण महिलाओं को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं गर्व से कहती हूं कि हमारे तमिलनाडु में हमारे महान नेता डा. कलैग्नर ने 1989 में पहला स्वसहायता समूह बनाया था। अपने शासन काल के दौरान के प्राथमिक स्कूल स्तर, अर्थात पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक, पर केवल महिला अध्यापिकाओं को नियुक्त करने के लिए अधिनियम लाए थे। इस अधिनियम को सरकारी पद प्राप्त करने में भी कार्यान्वित किया गया था। इस प्रकार तमिलनाडु में महिलाओं को सशक्त बनाया गया है। विभिन्न नेताओं द्वारा किए गए सभी प्रयासों और इस विधेयक में उल्लिखित संरक्षात्मक उपायों के बावजूद महिलाएं दहेज की मांगों से पीड़ित हैं; यदि महिलाएं कन्या शिशुओं को जन्म देती है तो उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है; महिला कर्मचारियों का अपने अधिकारियों द्वारा छेड़छाड़ और शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जाता है।

यह दयनीय स्थिति बदलनी चाहिए।

सभापति महोदय: तमिलनाडु का शासन महिला द्वारा चलाया जा रहा है।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन: तमिल कवि भारती जिसने विदेशी शासन से स्वतंत्रता की भावना की अलख जगाई थी, ने यह दोहा कहा है।

''माधर थम्मै इजिहवु सय्युम मदमैयइ कोलुथ्थुवम''।

इसका अर्थ है हमें मानव जाति को अपमानित करने और नीचा दिखाने की गंदी प्रवृत्ति को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए।

महोदय, इसलिए मैं इस बात पर बल देती हूं कि सरकार को घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिनियम के सकल कार्यान्वयन को लिए ग्रामीण स्तर पर समिति का गठन करना चाहिए।

हमारी संप्रग सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी के सराहनीय नेतृत्व में महिलाओं को संपत्ति में बराबर का हिस्सा देने के लिए विधेयक पारित किया है। हमारी सरकार द्वारा स्वसहायता समूहों को प्रोत्साहित किया गया है। जब ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक यहां पारित किया गया था तो श्रीमती सोनिया गांधी ने रोजगार में लगभग तैंतीस प्रतिशत आरक्षण की बात कही है। हम यह भी आशा करते हैं कि विधान मंडलों में महिलाओं के लिए तैंतीस प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक इस सभा में अति शीघ्र लाया जाएगा।

हर तरह से हम डीएमके पार्टी के लोग इस विधेयक का इस आशा के साथ समर्थन करते हैं कि इससे घरेलू हिंसा से अपनी सुरक्षा करने के लिए महिलाओं को निश्चित रूप से सहायता मिलेगी।

सभापति महोदय: अब श्रीमती अर्चना नायक बोलेंगी।

यदि आपको वहां से बोलने में कठिनाई हो तो आप आगे आ सकती हैं। महिलाओं को आगे स्थान दिया जाता है। विधेयक में भी ऐसा ही स्थान दिया गया है; और इसलिए आप आगे आ सकती हैं।

सभी महिला सदस्य जो इस विधेयक पर बोलना चाहती हैं आगे आ सकती हैं और बोल सकती हैं उनके भाषण अगली सीटों से रिकार्ड किए जाएंगे।

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): महोदय, मुझे घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण विधेयक, 2005 पर बहु प्रतीक्षित चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं बीजू जनता दल तथा अपने नेता और उड़ीसा के मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक की ओर से इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन महिलाओं और अल्पसंख्यकों के प्रति किए जा रहे व्यवहार से किया जाना चाहिए। इसलिए इस विधेयक में बुनियादी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया है।

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा केवल गंदी बस्तियों में ही नहीं होती है अपितु शिक्षित मध्यम वर्गीय परिवारों और धनाढ्य तथा शक्तिशाली घरों में भी होती है। ऐसी हिंसा अधिकांशत: घर की चहारदीवारी में होती है और पीड़ित महिलाएं पारिवारिक दबाव या भय या अज्ञानता या मदद की कमी के कारण अक्सर चुपचाप सहन कर लेती है। अकेले और नि:सहाय होने के कारण पीड़ित महिला अपनी परेशानी बता नहीं पाती है, हिंसा का विरोध करने और इसकी शिकायत करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं। यहां तक कि उनके अंदर आत्म-रक्षा की स्वाभाविक इच्छा-शक्ति भी जागृत नहीं होती है।

घरेलू हिंसा केवल वैवाहिक संबंधों तक ही सीमित नहीं है। छोटी बालिकाओं बहनों, अविवाहित महिलाओं, विधवाओं तथा परिवार के किसी कोने में जीवन यापन कर रहीं परित्यक्त और आश्रित महिलाओं पर विभिन्न तरीके से हिंसा की जाती है जिनमें से अधिकांश हिंसा का पता भी नहीं चलता है। जहां तक विवाह का संबंध है, हमारे लिए सामान्यत: वैवाहिक बंधन की वास्तविकता से अधिक इसकी पवित्रता चिंता का विषय है यही कारण है कि अधिकतर महिलाएं असत्य हिंसक कृत्यों को सहन करने के लिए मजबूर है।

यह विधेयक सही दिशा में उठाया गया सशक्त कदम है। इसमें कई नए उपबंध किए गये हैं। मेरे अनुसार सबसे महत्वपूर्ण पहलू घरेलू हिंसा की परिभाषा है। अब शारीरिक तथा यौन उत्पीड़न के साथ-साथ गाली-गलौज, भावनात्मक तथा आर्थिक शोषण को भी घरेलू हिंसा के रूप में शामिल किया गया है। हम सभी जानते हैं कि भाषा का भी हिंसा के हथियार के रूप में दुरूपयोग हो सकता है। गाली-गलौज का प्रभाव मारपीट के समान ही कष्ट कारण और दुष्प्रभावी होता है। अत: मुझे यह जानकर काफी संतोष हुआ कि इस विधेयक में घरेलू हिंसा के उस पहलू पर भी विचार किया गया है, जिस पर पहले उपयुक्त रूप से विचार नहीं किया गया था।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं। ऐसे अनेक उदाहरण है जब माता-पिता और भाई किसी भी वयस्क अविवाहित महिला की धनोपार्जन के लिए वेश्यावृत्ति में धकेल देते हैं। उसके बाद वह नि:सहाय महिला वेश्यावृत्ति के नरक में वस्तु मात्र बनकर रह जाती है। मेरा सुझाव है कि विधेयक में ऐसे दोषियों को सजा दिलवाने के लिए कठोर-से-कठोर उपबंध किए जाने चाहिए।

विकलांग महिलाओं को दोहरी मार झेलनी पड़ती है: वे महिला होने के अलावा शारीरिक और मानसिक रूप से भी विकलांग है। ऐसी महिलाओं की एक विशेष श्रेणी होती है। कई शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं का यौन-शोषण उनके निकट संबंधियों द्वारा किया जाता है। उदाहरणस्वरूप, उड़ीसा में कई विकलांग महिलाएं, जो इस राज्य की 40 लाख विकलांग जनसंख्या का 50 प्रतिशत है, बड़े पैमाने पर घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। अत: मेरा सुझाव यह है कि विधेयक में ऐसी हिंसा करने वालों के विरुद्ध कठोर सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए।

इस विधेयक में परिवार की चहारदीवारी के भीतर नौकरानियों पर होने वाली हिंसा के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। इस विधेयक में ऐसे मामलों के लिए भी प्रावधान किया जाना चाहिए।

इस विधेयक के खण्ड 8 में उपबंध किया गया है कि प्रत्येक जिले में सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति से जुड़े व्यय के वहन का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों पर होगा। मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि इस व्यय का वहन केन्द्र सरकार द्वारा भी किया जाना चाहिए क्योंकि कई राज्य सरकारें स्वेच्छा से इस वित्तीय भार का वहन करने की स्थिति में नहीं हो सकती हैं। कानून के व्यवहारिक कार्यान्वयन के लिए वित्तीय प्रावधान महत्वपूर्ण पहलू होता है। अत: मौजूदा विधेयक के उपबंधों के सफल कार्यान्वयन के लिए संबंधित व्यय के वहन का दायित्व केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर होना चाहिए।

केवल कानून बनाने से घरेलू हिंसा पर काबू नहीं पाया जा सकता है। इमराना का बलात्कार करने वाले उसके ससुर के साथ कानून क्या करेगा जबकि वह उनके पांच पोते-पोतियों की मां है? संभवत: कुछ अधिक नहीं करेगा। हमें इसके मूल कारणों में जाना पड़ेगा जो कि पितृ-प्रधान समाज की सामन्ती मानसिकता है।

सामाजिक स्तर पर यह भावना हमें जगानी होगी कि मानवीय संबंध में संपत्ति स्वरूप न लिया जाए। इसके लिए पुरुष और महिला दोनों को उचित सामाजिक वातावरण सृजित करने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा जिसमें लोगों के बीच परस्पर-आदर भाव बुनियादी मूल्य के रूप में विकसित हो सके। अत: घरेलू हिंसा पर काबू पाने के लिए सामूहिक प्रयास में शामिल होने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस दिशा में किए जा रहे प्रयास को सरकार संरक्षण प्रदान कर सकती है और उसे प्रदान करना भी चाहिए। लिंग आधार को स्कूली शिक्षा में अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

अत: माननीय विधि और न्याय मंत्री से अनुरोध है कि महिलाओं के विरुद्ध की जा रही घरेलू हिंसा पर कारगर ढंग से काबू पाने के लिए इस कानून को काफी सख्त और कारगर बनाया जाए। नए कानून के द्वारा एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत इस देश के किसी भी भाग और किसी भी सामाजिक या आर्थिक तबके की महिलाओं को तुरंत कानूनी सहायता मिल सके।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करती हूं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने हमें आगे आकर बोलने का अवसर दिया है।

[श्रीमती किरण माहेश्वरी]

आप ऐसे अवसर हमेशा ही दिया कीजिए। ...*(व्यवधान)* अभी तो सबसे अगे हम ही हैं, हम से ज्यादा यहां आगे कोई नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं परिणामों के बारे में भली-भांति जानता हूं और यही कारण है कि मैंने इसकी अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: हम चाहते है कि आप हमेशा महिलाओं को आगे आकर बोलने का मौका दें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि घरेलू हिंसा पर महिला संरक्षण के संदर्भ में इस सदन में चर्चा हो रही है। और चर्चा के दौरान हमारे बहुत सारे पुरुष भाइयों ने, जो यहां मौजूद हैं, समर्थन किया, लेकिन मुझे इसका दुख है कि चर्चा के दौरान पुरुष भाइयों ने इतना पार्टिसिपेशन नहीं किया, जितना कि महिलाओं ने किया।...*(व्यवधान)* मौका नहीं मिला ऐसा कभी नहीं हो सकता। घरेलू हिंसा के संदर्भ में जो महिला संरक्षण विधेयक रखा गया है, उस संदर्भ में कहना चाहती हूं कि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आती हूं जो दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी क्षेत्र है और उस आदिवासी क्षेत्र में महिलाओं के ऊपर बहुत तरह के उत्पीड़न होते हैं और घरेलू हिंसा के बहुत सारे उदाहरण सामने आए हैं। हम लोग इससे बहुत चिंतित हैं। इस बारे में जो हमारी सोच है, ऐसे समय में, जब इसकी आवश्यकता है उन महिलाओं को आगे लाने की, और घरेलू हिंसा जो दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उससे उनको किस तरह से प्रोटेक्शन मिल सके, इस संदर्भ में जो बिल यहां रखा गया है, कानून बनाने का फैसला किया गया है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं इसका आदर करती हूं।

हमारे यहां घरेलू हिंसा बहुत व्यापक रूप से विद्यमान है। किन्तु जनसाधारण क्षेत्र में यह अधिकतर अदृश्य रहती है। जहां किसी सिक स्त्री के साथ उसके पति या नातेदार द्वारा क्रूरता की जाती है, वहां भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (क) के अंतर्गत वह अपराधी होता है। वह सिविल विधि संपूर्ण सम्प्रवृति या समाधान नहीं है। यह सभ्यता की निशानी नहीं है, लेकिन आज के समय की यह एक कड़वी सच्चाई है कि जहां हमारी महिलाएं सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा की शिकार होती है, और यह धारणा गलत है कि इस तरह की घटनाएं केवल ग्रामीण क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्रों में ही होती हैं। जब हम आंकड़े उठाकर देखें, तो गांवों में कम और शहरों में ज्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि एक नई तरह की आधुनिक मानसिकता लोगों के अंदर आई है और उस आधुनिक मानसिकता में समानता की बात आती है। उस समानता की बात से ही, खासकर घरेलू हिंसा शुरू होती है, ऐसा मुझे लगता है। यह देश जो सीता और द्रौपदी का देश है, हमेशा पुरुष प्रधान समाज में रहते हुए महिलाओं के ऊपर जब भी किसी तरह की हिंसा हुई, उस पर उसने आवाज नहीं उठाई। उसने हमेशा इस बात को सोचा कि शायद वह उसके पति का प्रेम है। अगर उसने उसे मारा-पीटा है, तो वह उसका प्रेम समझ रही है तथा वह उसके बारे में आवाज नहीं उठाती है। इस देश के अंदर कभी भी इसे हिंसा के रूप में नहीं लिया गया। आज आधुनिकता की बात आती है, तो आधुनिक परिवेश के अंदर इसे हिंसा के रूप में किलए जाने पर विवश हम विवश हो गए हैं, क्योंकि आज स्थिति ही इस तरह की उत्पन्न हो गई है। आपने इस बिल के अंदर यह बात रखी है कि

[अनुवाद]

> परंतु पीड़ित पत्नी या पत्नी के रूप में साथ में रह रही कोई महिला अपने पति या पुरुष साथी के किसी रिश्तेदार के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकती है।

[हिन्दी]

इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि हमें इससे सावधान रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हिन्दु मैरिज एक्ट के तहत पत्नी को वह दर्जा दिया गया है क्योंकि वह पति के घर में सात फेरे लेकर आई है। अगर यह कहा जाए कि पत्नी के साथ कहीं घरेलू हिंसा हुई है, यदि कहा जाए कि कोई भी रिलेशन, पति और पत्नी के अलावा, रिलेशन मेंटेन होता है, तो मुझे लगता है कि यह आधुनिक परिवेश को बढ़ावा देने वाली बात होगी, जहां बिना शादी किए बिना सात फेरों के दो व्यक्ति साथ में रहते हैं और उसे घरेलू हिंसा में लिया जाए, तो उसे पत्नी के अधिकारों के साथ एक तरह से कुठाराघात करना कहा जाएगा। आप इसे किस तरह से लेते हैं, यह एक अलग बात है। मेरा विचार यह है कि कम से कम जो विधेयक यहां रखा गया है, उस विधेयक के अंदर हम इस बात की भी ध्यान रखें कि कहीं इसका दुरूपयोग न हो जाए, यानी इसका मिसयूज न हो, इस बारे में भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए।

इस विधेयक में अनेक अच्छे प्रावधान किए गए हैं, लेकिन इसका दुरूपयोग न हो, यह सुनिश्चित करने की जरूरत है। दूसरे विषय के बारे में आपने कहा कि संरक्षण अधिकारी लगाएंगे, आपने इसमें कहा है कि संरक्षण अधिकारी, जहां तक संभव है महिलाएं होंगी, बल्कि महिलाएं हीं संरक्षण अधिकारी हों। अगर ऐसा संभव हो तो वे महिलाओं की समस्याओं को अच्छी तरह से समझ पाएंगी और उन्हें आगे बढ़ाने में हमें और ज्यादा सहूलियत

मिलेगी। आपने इस चीज को अच्छे तरीके से कहा है, जैसा मैंने पहले कोट किया था कि इनमें उन स्त्रियों का समावेश किया जाएगा जो दुर्व्यवहार के साथ, नातेदारी में हैं या रही हैं, घरेलू हिंसा की अभिव्यक्ति, वास्तविक दुर्व्यवहार या धमकी या उसके अलावा दुर्व्यवहार को, जो शारीरिक, मौखिक, भावात्मक या आर्थिक हैं, जो ऑलरेडी आईपीसी धारा के तहत इन्कलूड हैं और जिसके अंदर कार्रवाई होती हैं।

आपने शैल्टर होम, आश्रय गृह के संदर्भ में भी कहा-यह बात वास्तव में बहुत अच्छी है। जब घरेलू हिंसा होती है, महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, घर से कदम बाहर निकालती हैं तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता-न वे पीहर जा सकती हैं और न कहीं और जा सकती हैं। अगर आश्रय घर, शैल्टर होम हों तो उनका संरक्षण हो सकता है। यह बात मुझे अच्छी लगी। निश्चित रूप से महिलाओं के लिए आश्रय गृह बनाने चाहिए। केरल जैसे सौ प्रतिशत साक्षरता वाले क्षेत्र को भी लें, तो जहां सौ प्रतिशत साक्षरता है, तथापि वहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी आई है लेकिन इन सबके बावजूद केरल में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। मैं इसका आंकड़ा आपके सामने रखना चाहती हूं। केरल में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की घटनाओं में मानसिक उत्पीड़न, रुपए-पैसे के मामले में अनदेखी और यौन उत्पीड़न शामिल है। सर्वेक्षण में शामिल 40 परसेंट महिलाओं का मानना है कि उनके साथ कई तरीके से घरेलू हिंसा होती है, 11 परसेंट महिलाओं का बचपन से यौन उत्पीड़न किया गया है। वहां माताओं की 12 परसेंट बेटियों ने कहा है कि हम भी बचपन में यौन उत्पीड़न की शिकार हुई हैं। अधिकतर महिलाओं ने कहा है कि उनके साथ घरेलू हिंसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका पति था।

घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा कारण शराब और पत्नी के चरित्र पर शक करना, पैसे की तंगी और दहेज की मांग जैसी बातें होती हैं। सर्वेक्षण से हैरान करने वाली बातें सामने आई है कि लगभग एक-तिहाई महिलाओं का मानना है कि उनको पीटना पतियों का अधिकार था और कुछ का मानना है कि अगर उनका पति पीटता है तो उसका उन्हें जवाब देना चाहिए। कुछ महिलाओं का मानना है कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सुनिश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए इसलिए जो विधेयक यहां लाया गया है उसे लाना अत्यंत आवश्यक है। महिलाओं को घरेलू उत्पीड़न से बचाने वाले विधेयक में उन महिलाओं को संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है जिनका प्रताड़ित करने वाले के साथ कोई रिश्ता है या वे एक ही घर में रहते हैं।

मैं पुनः आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि इसमें आप सुनिश्चित करें कि इसका दुरूपयोग न हो। पूरी दुनिया में महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन अपने देश की स्थिति चिंताजनक है। आंकड़े गवाह हैं कि आर्थिक प्रगति के बावजूद महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे मामलों में कानून बनाने के लिए केन्द्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी सहमत हों, यह आवश्यक है। बारह वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक घोषणा पत्र में लिंग पर आधारित कदाचार की आधिकारिक परिभाषा की गई थी। आज मैं सरकार से प्रस्तावित विधेयक के संबंध में कहना चाहती हूं कि जो भी राजनीतिक दल हैं, वे सब इसका समर्थन कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। सभी पार्टियों की जितनी भी महिला सांसदों ने यहां बोला है, इसकी प्रशंसा की है और सभी लोग निश्चित रूप सहमत हैं कि ऐसे विधेयक को लाना चाहिए जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण मिल सके। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि जो विधेयक हम ला रहे हैं, निश्चित रूप से यह पारित भी होगा, वैसे ही हम सब का समर्थन 33 परसेंट महिलाओं के आरक्षण के संबंध में जो विधेयक आना है, जब महिलाओं को सशक्तीकरण देने की बात आती है, जब महिलाओं को सशक्तीकरण घरेलू हिंसा के माध्यम से देना चाहते हैं, इसी तरह से महिलाओं को सशक्त 33 परसेंट आरक्षण विधेयक देकर बनाएं। मैं यह अपील करना चाहती हूं कि महिला आरक्षण विधेयक भी जल्दी से जल्दी यहां आना चाहिए जिसका समर्थन सर्वदल, सभी पार्टी को मिलकर करना चाहिए ताकि आज के समाज में महिला और पुरुष दोनों ही समाज में उतने ही आवश्यक पुंज हैं, जिस प्रकार हमारे एक भाई ने कहा कि एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं।

अगर एक पहिया निकल जाए तो गाड़ी सही ढंग से बराबर नहीं चल सकती है। इसलिए समाज के उत्थान के लिए आवश्यक है कि दोनों ही साथ-साथ मिल कर समाज के अंदर कार्य करें। इस दृष्टि से मेरा मानना है कि महिला और पुरुष दोनों मिल कर काम करते हैं तो इससे महिलाओं को सशक्त करने में सहायता मिलेगी। भारतीय परिवेश में हमेशा से ही कहा जाता है कि यह पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन पुरुष प्रधान देश में महिला सहयोगी के रूप में सामने आनी चाहिए, प्रतिद्वंद्वी के रूप में महिलाओं को सामने नहीं आना चाहिए। इसलिए महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के संबंध में इस तरह का विधेयक आना अच्छे समाज का परिचायक है। मेरा मानना है कि महिला आरक्षण बिल भी एक अच्छे समाज का परिचायक होगा।

मैं इस विधेयक का मन से आदर करती हूं और इसके सम्मान में पुरजोर शब्दों से समर्थन करती हूं, लेकिन साथ-साथ जो सुझाव इसमें सुधार के लिए संशोधन के बारे में दिए हैं, मैं उम्मीद करती हूं, माननीय मंत्री जी यहां बैठी हैं, निश्चित रूप से संशोधन करेंगे। आपने आज मुझे महिला संरक्षण के संबंध में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय महिला संसद सदस्य मैं आपके लिए समय में कटौती नहीं करूंगा। आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। महिला संसद सदस्यों के लिए कोई समय-सीमा नहीं होगी क्योंकि यह विधेयक उनके वक्तव्यों के साथ ही पारित किया जाएगा। इस रिकार्ड में इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि यह विधेयक माननीय महिला संसद सदस्यों के वक्तव्य के साथ पारित किया गया।

अब, श्रीमती कृष्णा तीरथ, यदि आप चाहती हैं तो अगले बेंच के पास आकर बोल सकती है। मैं आपको बाध्य नहीं कर सकता हूं।

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग): सभापति महोदय, धन्यवाद, मुझे अपनी सीट से बोलने में कोई परेशानी नहीं है।

सभापति महोदय: जैसी आपकी इच्छा।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा तीरथ: आदरणीय सभापति जी, मैं आज घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक, 2005 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। यह बहुत अच्छा विधेयक है और आज के समय में इसकी अत्यंत आवश्यकता भी है। कल भी बहनों ने, श्रीमती सुमित्रा महाजन, श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी ने बहुत अच्छी तरह से बताया और आज श्रीमती किरण माहेश्वरी ने बताया, सभी इस विधेयक के पक्ष में बोले। इस विधेयक से महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा, इस बारे में माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है। महिला उत्पीड़न और हिंसा घर के भीतर से ही शुरू होती है। महिला कहीं सुरक्षित नहीं है, न घर के अंदर और न बाहर, इसलिए इस बिल को लाने की आवश्यकता पड़ी।

कल मेरे भाई श्री शैलेन्द्र कुमार जी यहां बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि किस कारण वे इस बिल के पक्ष में नहीं है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को सामने रख कर बताया कि भारतीय संस्कृति के अनुसार इस विधेयक को लाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि घर में महिला पुरुष से ज्यादा ताकतवर हो कर पुरुष को दबाने की कोशिश करेंगी। मैं समझती हूं कि उनकी मानसिकता में कहीं कमी है। ऐसा कोई विचार हमारा इस बिल को लाने का नहीं है और न ही हम इस पक्ष में बोलते हैं। भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए देखें तो जहां महिला को देवी के रूप में पूजा जाता है, देवी दुर्गा ओर लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता हरे, अगर धन प्राप्त होता है तो लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, लेकिन उस पर आज से नहीं युगो-युगांतरों से अत्याचार हुए हैं। मुझे अपने इतिहास से याद आता है कि मां के रूप में दुर्गा सब कुछ देने वाली है, लेकिन महिषासुर ने अत्याचार किया और मां ने महिषासुरमर्दनी बन कर उस दानव का दमन किया, तभी वह मां कहलाई। मुझे लगता है कि आज इस युग में जो महिलाएं घरेलू हिंसा से उत्पीड़ित हैं, उस उत्पीड़न से बचाने के लिए जो बिल श्रीमती कांति सिंह लाई हैं, मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। आज पुरुष और स्त्री दोनों ही मां दुर्गा की पूजा करते हैं, उसी तरह से यह बिल महिलाओं को शक्ति देगा कि घर में और बाहर उनकी पूजा की जाए क्योंकि महिलाएं घर और बाहर दोनों जगहों में बड़ी अच्छी तरह सच्चाई और ईमानदारी से काम करती हैं।

सभापति जी, आधुनिक युग में महिलाएं बहुत बड़ी शक्ति हैं। इसलिए उनके साथ जो व्यवहार होता है, वह सही होना चाहिए। एक तरफ तो हम महिलाओं को सृष्टि का सृजक मानते हैं और कहते हैं कि यदि महिलाएं न हों, तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उनका अपमान करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाएं बच्चे को पैदा करने से लेकर बड़ा होने और उसके बाद भी उसकी सेवा में ही रहती हैं। इस प्रकार से वे आदमी की सेवा करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ इस प्रकार की हिंसक घटनाएं घटें, यह ठीक नहीं है।

महोदय, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि किस तरह से महिला के ऊपर तेजाब डाल दिया गया क्योंकि उससे कहा गया कि वह अपने मायके से अपने हिस्से के रुपए लेकर आए। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए ही इस बिल को लाया गया है। भारतीय संविधान ने पुरूष एवं महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया है। जहां हम सृष्टि की सृजक हैं, वहां हमें ऐसा अधिकार भी मिलना चाहिए कि हम सृष्टि को रच सकें। पति द्वारा जो अत्याचार किए जाते हैं या घर के दूसरे लोगों द्वारा महिला के साथ जो अत्याचार किए जाते हैं, उनसे निपटने के लिए उसे शक्तिशाली बनाया जाना आवश्यक है ताकि उसे ऐसे अत्याचारों से बचाया जा सके। ऐसा कानून बनाया जाना आवश्यक है, जो उनकी हिफाजत कर सके ।

महोदय, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक, 2005 के खंड 3 में संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन, पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य, आश्रय गृहों के कर्तव्य, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति, संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य, सेवा प्रदाता और सरकार के कर्तव्य आदि के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। ये सब चीजें इस विधेयक में रखी गई हैं जिनसे महिलाओं को सुरक्षा एवं शक्ति मिलेगी।

महोदय, पुराने जमाने मे महिलाओं के अबला होने के कारण, एक कहावत कहीं जाती थी कि–

"अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी
आंचल में है दूध और आंखों में पानी"

हम इस कविता को नकारना चाहते हैं। इस बिल के द्वारा हम महिला को इतनी शक्ति देना चाहते हैं कि उसके ऊपर उक्त कविता चरितार्थ न हो सके। यह ठीक है कि वह प्रेममयी रहे, सेवा करती रहे, लेकिन उसके ऊपर जो अत्याचार होते हैं, उन्हें बंद करने के लिए मैं बहन श्रीमती किरण माहेश्वरी, माननीय सदस्या से सहमत हूं। इस विधेयक के माध्यम से महिलाओं के ऊपर जो घरेलू हिंसा होती है, वह बंद होगी।

महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि सिर्फ घरेलू हिंसा ही नहीं, बल्कि घर से बाहर भी महिला के ऊपर जो हिंसा होती है, वह भी बंद होनी चाहिए। इस बिल के द्वारा पति अथवा परिवार के अन्य लोगों द्वारा किए गए अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का रास्ता मिलेगा, उनके उत्पीड़न से छुटकारा मिलेगा, लेकिन इनके अलावा भी महिलाओं का अनेक प्रकार से उत्पीड़न होता है जिसमें दहेज उत्पीड़न, यौन-शोषण और अन्य हजारों प्रकार से महिलाओं का शोषण समाज में होता है, वह भी बंद होना चाहिए। यदि हम महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी पिछले दो वर्षों के आंकड़ों की तरफ दृष्टि दौड़ाएं तो हम पाते हैं कि वर्ष 2001-02 में 1,43,795 केसेस रजिस्टर्ड किए गए, वर्ष 2002 और वर्ष 2003 में क्रमशः 1,43,034 केस और इस वर्ष 1,40,601 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं। दिल्ली में भी महिलाओं पर अत्याचारों और उत्पीड़न की घटनाओं में कोई कमी नहीं हुई है। अभी केरल का उदाहरण दिया गया, जहां पढ़े-लिखे ज्यादा हैं, वहां भी महिलाओं पर हिंसा होती है, लेकिन मैं भारत की राजधानी दिल्ली में देखती हूं कि अभी हाल ही में 15-20 दिन पहले ही भजनपुरा क्षेत्र में शादी हुए एक साल ही हुआ और उसके द्वारा अपने मायके से पैसा लाकर न दिए जाने के कारण उसे बहुत मारा और मारकर पंखे से लटका दिया। जब पुलिस वहां पहुंची, तो शायद उसे पुलिस आत्महत्या का केस बनाना चाहती होगी, लेकिन शायद लड़की वालों की तुरंत कार्रवाई के कारण वह वैसा नहीं कर सकी। इस प्रकार से महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते है, उन्हें रोकने के लिए इसमें जो संशोधन किए गए हैं, जो प्रावधान किए गए हैं, उन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। जो महिलाएं गुम हो जाती हैं और बाद में उनसे वेश्यावृत्ति कराई जाती है, यह भी बंद होना चाहिए, इस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को, डायन कह कर, पत्थर मार-मार कर मार दिया जाता है। ऐसे अत्याचार बंद होने चाहिए और ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए भी विधेयक में प्रावधान जोड़े जाएं।

सभापति महोदय, चलती ट्रेनों में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। इस प्रकार की घटना अभी मुम्बई में हुई। दिल्ली में चलती कारों में बलात्कार की घटनाएं हुई, इमराना केस, ये सब घरेलू हिंसा के ही उदाहरण हैं। ऐसे मामलों में कोर्ट का डिसीजन मिलना चाहिए, न कि फतवें के अनुसार उसे न्याय या अन्याय मिले। ऐसी बहुत सी महिलाएं होंगी, जो बाहर नहीं आ सकती हैं। इमराना जैसी अनेक महिलाएं हैं, जो बाहर आकर अपनी आवाज न उठा सकीं, लेकिन घर के भीतर अन्याय को सहन करती हैं। मुझे लगता है कि इस विधेयक से उन्हें लाभ मिलेगा और वे अपनी आवाज को बुलंद कर सकेंगी और अन्याय शहरियों से दूर होगा। पिछले वर्ष देश भर में, अलग-अलग भागों में बलात्कार के केस सामने आये। दिल्ली में 525 महिलाओं के साथ बलात्कार के केस हुए। मौलाना आजाद मेडीकल कालेज का भी केस हुआ था, शांति मुकुन्द मेडीकल हॉस्पिटल में नर्स के साथ बलात्कार का केस हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः मैडम, मैंने आपको असीमित समय दिया है। महिलाओं के लिए कोई समय-सीमा नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा तीरथः एक मिनट में खत्म हो जायेगा। उसे उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन उस उम्र कैद से किसी के ऊपर असर नहीं पड़ा। उसके दो दिन बाद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती कार में जो स्टूडेंट थी, वहां उसके साथ बलात्कार हुआ। उम्र कैद का कोई असर नहीं हुआ, इसका मतलब उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तभी कोई डर या भय उनमें हो सकता है। सामूहिक बलात्कार जैसी चीजें, इस तरह के केसेज महिलाओं के साथ होते रहे हैं। महिलाएं न घर में, न दफ्तर में, न खेत में, न खलिहान में, न बस में, न कार में, न ट्रेन में, न मोहल्ले में कहीं सुरक्षित नहीं हैं। मुझे लगता है कि इन सबको रोकने के लिए ही यह विधेयक लाया गया है, इस विधेयक का मैं समर्थन करती हूं।

भ्रूण हत्याओं की जा बात है, इसे भी इसमें रखा गया है। सोनिया जी, जो यू.पी.ए. सरकार की हमारी चेयर पर्सन हैं, वे ऐसे मामलों पर बहुत ध्यान देती हैं और चाहती हैं कि हम ऐसा बिल लायें, जिससे महिलाओं को पूरी शक्ति मिले, उनका सशक्तीकरण हो, चहुंमुखी सशक्तीकरण हो, चाहे वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीति में भी उन्हें संरक्षण मिले। ऐसा बिल इस समय लाया जा रहा है। मैं

[श्रीमती कृष्णा तीरथ]

केवल इस बिल के बारे में 2-3 चीजें कहना चाहूंगी, जो मेरे सुझाव हैं।

मेरा सुझाव है कि महिला को फ्री लीगल एड मिले, जिस समय उस पर अत्याचार हो, अन्याय हो, क्योंकि उस समय कोई उसका साथ नहीं देता है, न मायके वाला, न ससुराल वाला तो उनको सरकारी तौर पर फ्री लीगल एड मिले। जो वीमेन घर से निकाल दी जाये, जैसे उसके बच्चे निकाल देते हैं, जबकि सब कुछ उसका बना बनाया होता है, उनके लिए ऐसे घर बनें, जिनमें वे रह सकें और सरकार उनको अपनी ओर से कुछ स्टाईपिण्ड दे, जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता, तब तक सरकार उसकी देख-रेख करे। वर्किंग वीमेन हॉस्टल की तरह से उनके लिए रिहैबिलिटेशन सैण्टर्स बनाये जायें और उसका पूरा फंड, गुजारा भत्ता उन्हें मिलना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ हमारी मंत्री श्रीमती कांति सिंह जी द्वारा जो विधेयक लाया गया है, मैं इसका समर्थन करती हूं। इसमें जो सुझाव आये हैं, उनको देखते हुए इस बिल को पास करेंगे, पूरा सदन पास करेगा। इसके साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे समय दिया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम पति-सदस्य के विचार सुनते हैं। अब श्री मित्रसेन यादव की बारी है। एक पुरुष सदस्य बोल रहे है। तत्पश्चात् मैं महिला सदस्यों का नाम पुकारूंगा। श्री यादव अब आप बोल सकते है।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): माननीय सभापति जी, मेरा नाम शायद उसमें गलत लिखा, जरा देखकर उसे दुरूस्त कर लें। आपने इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

एक बात हमें सोचनी पड़ेगी कि क्या हमारे पारिवारिक जीवन के लिए कानून की जरूरत होगी, स्त्री-पुरुष के रिश्तों में कानून की जरूरत होगी, भाई-बहन के रिश्ते में कानून की जरूरत होगी। बहुत से ऐसे हमारे सामाजिक रिश्ते हैं, जिनमें कानून नहीं, बल्कि भातृत्व, मातृत्व, भाईचारा जैसी तमाम चीजें काम करती हैं। यहां कोई ऐसा बाप नहीं बैठा होगा, जो अपनी बेटी के साथ किसी प्रकार के अत्याचार को बर्दाश्त कर सके। जब लड़की बेटी रहती है तो उसे भाई और उसका बाप उसे अपनी आत्मा की तरह से मानते हैं और जब वह बड़ी होती है, सयानी होती है तो पति के संरक्षण में जाती है। वहां भी उसे मोहब्बत, ममता और प्रेम मिलता है और संरक्षण मिलता है। जब उसके बच्चे हो जाते हैं, जब वह मां बन जाती है तो बच्चे और बूढ़े उसे आदर देते हैं।

फिर यह सवाल कहा पैदा होता है कि इस उत्पीड़न से उन्हें संरक्षण की जरूरत है। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि इसमें इनकी क्या गलती है यदि खुदा ने इनसे नहीं पूछा कि आप पुरुष के रूप में पैदा होना चाहेंगी या महिला के रूप में पैदा होनी चाहेंगी। यदि भगवान ने इनसे पूछा होता तो ये अवश्य कहती कि हम पुरुष के रूप में पैदा होना चाहेंगी। मेरा निवेदन है कि कानून इनके संरक्षण के लिए बनाया जाए, लेकिन हर काम कानून से नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

श्रीमती किरण माहेश्वरी: सभापति जी, प्रोसिडिंग में से इन शब्दों को निकाल दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुर): महोदय, इस शब्द को निकाल देना चाहिए।...*(व्यवधान)* महिलाओं के बिना यह विश्व कहां ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): आप लोग इनकी बात नहीं समझ रही हैं। इनकी पार्टी की अध्यक्ष भी तो एक महिला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया व्यवधान नहीं डालिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: हमें स्त्री होने पर गर्व है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं आपसे एक बात कहूंगा आप सिर्फ संसदीय शब्दों का प्रयोग कर सकते है। असंसदीय शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव: हमारे देश में सभी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। दंगे के समय में चुरकी वाला दाढ़ी वाले का सर काटता है और दाढ़ी वाला चुरकी वाले का सर काटता है। इसमें चुरकी वाले और दाढ़ी वाले की क्या खता है? भगवान ने उन्हें संसार में भेजने से पहले यह नहीं पूछा था कि तुम मुसलमान के घर पैदा होना चाहते हो या हिन्दू के घर पैदा होना चाहते हो। महिला पैदा होना चाहते हो या पुरुष पैदा होना चाहते हो। इसमें

हमारी कोई खता नहीं है। इसमें महिला की कोई खता नहीं है। हिन्दू-मुसलमान की कोई खता नहीं है। हमारे समाज में बराईयां हैं, कमजोरियां हैं, जिनका हम शिकार होते हैं। मानव समाज में पैदा हुई बुराइयों को दूर करने का हमारा दायित्व है। कानून से समाज को बनाना होगा। मैं जानता हूं कि महिलाएं किन कारणों से शोषण का शिकार होती है। महिलाएं आर्थिक गुलामी की शिकार हैं, कुरीतियों की शिकार हैं, भ्रूण हत्या की शिकार हैं, परित्यक्तता की शिकार हैं। इन तमाम तरीकों से बचाने के लिए केवल कानून का सहारा ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति और मानवता में भी जागरूकता लाने की जरूरत है। हमारे समाज में कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसी समाज सुधारक संस्थाएं चलनी चाहिए जो महिलाओं के साथ अमानवीयता, क्रूरता और भिन्नता का व्यवहार होता है, उसको दूर कर सकें। उनके प्रति समाज में ममता, मोहब्बत और भ्रातृत्व का भाव पैदा हो सके।

मेरा कहना है कि कानून आप बनाएं, लेकिन देश के अंदर कुछ ऐसे राक्षस, कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो महिलाओं के साथ कानून के जरिए भी अत्याचार करते हैं। चाहे वह यौन शोषण का मामला हो, चाहे घरेलू शोषण हो, चाहे किसी प्रकार का उत्पीड़न हो। उनके उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन घरेलू उत्पीड़न के लिए जो कानून बनेगा, उसकी कैसी परिभाषा होगी और उसमें कैसे सबूत जुटाए जाएंगे? जो मामला क्रिमिनल एक्ट के तहत आता है, उसके तहत कैसे दंडित किया जाएगा। यह भी देखना होगा। इसलिए इस कानून को बनाते समय बहुत सतर्कता और संजीदगी की जरूरत है। ऐसा न हो कि भाई-बहन, स्त्री-पुरुष और मां-बेटे के रिश्तों में और कटुता पैदा हो जाए। कहीं हमारा समाज और अधिक बुराइयों की तरफ न चला जाए। हम इसे बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ ले जाना चाहते हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

वह केवल कानूनों से नहीं होगा बल्कि सामाजिक रिश्तों से होगा। वैदिक काल से महाभारत, रामायण, आज तक जिस संस्कृति की पूजा होती है और जिस पर यह हिन्दू समाज टिका हुआ है, उस संस्कृति पर कलंक न लगने पाए, इसलिए इस विधेयक को बड़ी सतर्कता के साथ लाना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण विधेयक, 2005 का समर्थन करता हूं। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। इस विधेयक को ऐतिहासिक भी कहा जा सकता है। जैसा कि मैं समझता हूं, हमारे देश में कोई विधान नहीं है जो घरेलू हिंसा की व्याख्या अथवा परिभाषा करता हो। यह विधान पहली बार, घरेलू हिंसा को अत्यंत ही व्यापक परिभाषा प्रदान करता है मैं समझता हूं कि यह महिलाओं के जब उनके घर में निजी रूप से उन पर हमला होता है अधिकारों के संरक्षण में सहायक होगा।

यह बताया गया है कि घरेलू हिंसा से संबंधित 31 प्रतिशत मामले दर्ज किए गए है। यह भी बताया गया है कि अत्यंत ही कम मामले सूचित किए गए हैं क्योंकि महिलाएं भयभीत रहती हैं अथवा सामाजिक निषेध उनसे जुड़े हुए हैं। इसलिए वह घर में किए गए सभी अपराधों को नहीं बताती हैं। यह विधेयक महिलाओं को उनके अधिकारों के संरक्षण में समर्थ बनाता है, वे कानून की सहायता ले सकती है और अपराध करने वालों को अदालत में ले जा सकती हैं। जहां तक कानून का संबंध है, यह एक सकारात्मक संकेत है। यह वह विधान है जिसके लिए देश में सभी महिला संगठन सतत् संघर्ष करती रही हैं। संभवत: वाम दलों ने सदैव ही इसका समर्थन किया है। अतएव महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। किन्तु जब हम इस विधान का समर्थन करते है तो हमें यह भी सोचना होगा कि क्या यह विधान महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त है। इस विधेयक के लक्ष्यों और उद्देश्यों में संवैधानिक उपबंधों का उल्लेख है। वे उसमें हैं। यह सत्य है कि महिलाओं के साथ अशोभनीय व्यवहार किया जाता है। हम पिछले दिन बालकों की समस्याओं बाल श्रमिकों-के बारे में चर्चा कर रहे थे। बाल श्रम को रोकने के लिए अनेक कानून हैं लेकिन यह बाल श्रम काफी प्रचलन में है। इसलिए, कानून अच्छा है, यह संबंधित लोगों को अदालत जाने और समस्या का निराकरण करने में सक्षम बनाता है। किन्तु अधिक महत्वपूर्ण बात संभवत: सामाजिक जागरूकता है विशेषकर संबंधित वर्गों की सामाजिक जागरूकता। महिलाओं की स्वयं इस तथ्य के प्रति सचेत होना चाहिए कि वे पीड़ित हैं- वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पीड़ित है और यदि उन्हें इसकी चेतना हैं तो इस कानून का प्रयोग किया जा सकता है। यह अन्य बात है कि महिलाओं और जो पीड़ित हैं उनके समर्थन के लिए शासकों की ओर से राजनीतिक चेतना होनी चाहिए। यदि इन तीन चीजों-सामाजिक चेतना राजनीतिक इच्छाशक्ति, संबंधित वर्गों की जागरूकता कि वे कतिपय परिस्थितियों की शिकार है- का समावेश हो तो संभवत: यह विधान उनके अधिकारों की रक्षा में अधिक प्रभावी होगा।

महोदय, हमारा समाज परंपरावादी है। हम हमेशा कहते हैं कि महिलाएं देवियां हैं। यदि आप पुराण देखे तो, उदाहरण के लिए वे सभी देवियां उस समय प्रचलित घरेलू परिस्थिति की दशा में पीड़ित थीं। हमारे पुराणों में महिला चरित्र-चाहे यह सीता हो या

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

पंचाली या रूकमणी या कोई अन्य-संस्कृत नहीं बोलती थीं अपितु वे प्राकृत बोलती थीं। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि मनु के कानून के अनुसार महिलाओं और शूद्रों से कहा गया था कि आपसे संस्कृत सीखने की अपेक्षा नहीं की जाती। इसलिए, भारतीय पुराणों में भी देवियां प्राकृत बोलती थीं।...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): गार्गी संस्कृत बोलती थी।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री चन्द्रप्पन, पीछे मत देखिए। आप अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: गार्गी देवी नहीं थी। वह अपने समय के बुद्धिजीवियों से लोहा लेने वाली एक अत्यंत प्रखर महिला थी। मैं भारतीय देवियों की बात कर रहा हूं।

सभापति महोदय: श्री चन्द्रप्पन, आप पीछे मत देखे। आप भारतीय संसद को संबोधित कर रहे है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, द्रौपदी प्राकृत बोलती थीं *...(व्यवधान)* रूढ़िवादी समाज का यह प्रभाव था। यह सामंतवाद से निकला हुआ हैं और समाज जो रूढ़िवादी हैं, जो सामंतवादी है और जो पितृसत्तात्मक भी है वह सरलता से इस विधान को सिर्फ इसलिए कि यह विधान स्वीकार किया गया है, को कार्यान्वित नहीं करने देगा।

आप देखिए क्या हुआ था। सती राजस्थान में प्रचलित था। हमने रूप कंवर का मामला देखा था। यह बताया गया था कि लोगों के कतिपय वर्ग द्वारा उसे मारा गया था जो सती के लिए मंदिर बनाना चाहते थे, हालांकि सती के खिलाफ विधान था।

मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं वह यह है कि हम इस विधान का हार्दिक समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इसे कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त राजनीति इच्छाशक्ति प्रदर्शित करें। यह अत्यंत ही कठिन बात है हम चाहते थे कि देश में महिलाएं इस बात के प्रति सचेत हों कि उन्हें यह विधान उनके अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ बनाएगा। यदि ये सारी बातें एक साथ चलती है तो यह विधान हमारे समाज में सार्थक परिवर्तन लाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधान का हार्दिक समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती निवेदिता माने (इचलकरंजी): सभापति महोदय, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार एक महत्वपूर्ण विषय है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक, 2005 को सरकार ने संसद में प्रस्तुत किया है, मैं उसका स्वागत करती हूं और कांति सिंह जी की प्रशंसा करती हूं। महिलाएं कुल जनसंख्या की लगभग 50 प्रतिशत है परन्तु खेद का विषय है कि कई कानूनों के होने पर भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं रही। उनको एक संघर्ष की जिंदगी गुजारनी पड़ती है। शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक उत्पीड़न का शिकार महिलाएं होती हैं। समाज में महत्वपूर्ण स्थान होने पर भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। स्त्रियों के प्रति होने वाली शारीरिक व मानसिक हिंसा आज के समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। हिंसा चाहे घरेलू हो, सामाजिक स्तर पर हो, साम्प्रदायिक दंगों का दावानल या युद्ध के दौरान फटने वाले गोले की ज्वाला के रूप में हो, उसकी लपट सबसे ज्यादा औरत को ही प्रभावित करती है। हिंसा के इन रूपों के पीछे उस समाज का दृष्टिकोण जिम्मेदार होता है जहां से औरत ताल्लुक रखती है। यह चिंतनीय भाव है। औरत के जीवन में हिंसा के सिलसिले की शुरूआत भ्रूण हत्या से ही हो जाती है। वैसे जो हर युग में समाज की चाहत बेटे के प्रति रही है लेकिन इधर वैश्वीकरण के दौर में यह लालसा कुछ ज्यादा ही जोर मारने लगी है। पुत्र के प्रति मोह ने कन्या भ्रूण को मार डालने की लिप्सा को और बढ़ा दिया है। भ्रूण हत्या एक संस्थागत रूप लेता जा रहा है। समाज के विकास में समान भागीदारी निभाने की संभावना को गर्भ में ही खत्म कर देने को बाकायदा एक अभियान का रूप दिया गया है। हमारे देश में नारा दिया जाता था कि आज पांच सौ रुपये खर्च करो, कल पांच लाख बचाओ। हालांकि कन्या भ्रूण हत्या का चलन भारत में ही नहीं है बल्कि हमारे चीन जैसे देश तथा हमारे मित्र देश रूस सहित पूरे विश्व भर में यही स्थिति है। लगता है कि बेटा पालने की लालसा का भी वैश्वीकरण हो चुका है। हमारे कोल्हापुर जिले में जहां से मैं आती हूं, पहनाला तहसील में लड़के और लड़की का जन्म रेश्यों देखा गया। उसको देखने से पता चलता है कि एक हजार लड़कों के पीछे 725 लड़कियां थी, इसलिए यह चिंता का विषय है। अगर इसी तरह से लड़कियों का रेश्यिों पीछे होता जाएगा तो यह हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए इस विधेयक को विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। जैसा मैंने पहले कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके विकास के लिए कई कानून बने हैं लेकिन उनके पालन में कमी है। न्याय दिलाने में अपराधी को दंड देने में कई वर्ष लग जाते हैं। हमें इस प्रणाली को बदलना होगा और न्याय और दंड का प्रावधान करना होगा। सिर्फ कानून बना देने से समस्याओं का हल नहीं होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून का कड़ाई

से पालन हो और कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए एक निश्चित अवधि के अंदर कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए क्योंकि हम सब लोग स्त्री के पूजक हैं, यह बात सभी माननीय सदस्यों और बहनों ने कही है। जो उद्योगपति होते हैं, वे सब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और जो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और प्रोफेसर होते हैं, वे सब सरस्वती की पूजा करते हैं। राजनैतिक लोग दुर्गा मां की पूजा करते हैं। सब लोग स्त्री को देवी मानते हैं, उसके सामने नतमस्तक होते हैं तो फिर हमारे ऊपर यह संकट क्यों आता है, यह सोचने की बात है। हमने अखबार में पढ़ा था कि एक पिता ने अपनी लड़की के साथ बलात्कार किया था, यह बात गंभीरता से ली जानी चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यवहार करता है तो उसके ऊपर कड़ी नजर रखनी चाहिए और उसके लिए यह कानून बहुत काम आएगा।

आज के समाज में आवश्यक है कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें व अपने आप को कम न समझें और पुरुष वर्ग को भी महिलाओं के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा। स्त्री, कुटुम्ब, समाज और राष्ट्र का एक आधार स्तम्भ है। जिस राष्ट्र में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार रखने वाली तथा मजबत विचारों वाली स्त्री होती है, उससे उस राष्ट्र की योग्यता पहचानी जाती है। स्त्री एक घर की इज्जत होती है, हरेक घर की इज्जत होती है। उसे इस विधेयक से आधार मिलेगा तो वह अपने मन और दिमाग से मजबूत हो सकती है। हमारे देश में स्त्री उन्नत होने से कुटुम्ब उन्नत होगा और कुटुम्ब उन्नत होने से देश उन्नत हो सकता है। उसे कानूनी संरक्षण मिले तो वह अच्छा काम कर सकती है, इसी विचारधारा के आधार पर हमारी पार्टी एन.सी.पी. के अध्यक्ष श्री शरद पवार जी ने, महाराष्ट्र में जिस समय वह मुख्यमंत्री थे तो 1994 में उन्होंने महिलाओं के लिए तलाक जैसे फैमिली मैटर्स में कोर्ट की फीस माफ कर दी थी। इससे यह हुआ था कि आम महिलाएं बिना हिचकिचाए कोर्ट में जा सकती थीं। इससे बहुत बड़ा फायदा और समर्थन महिलाओं को मिला।

महोदय, आज यह आवश्यक है कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में सरकार को काफी काम करना है। शिक्षित, स्वावलम्बी और स्वस्थ महिला को ऐसे कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है।

महोदय, एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं और वह है मीडिया। मीडिया, अर्थात रेडिया, टेलीविजन, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में महिलाओं का जो रूप दिखया जाता है, उसे बदलना होगा। सरकार को इस ओर ठोस कदम उठाने होंगे। पूरी दुनिया में महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, किन्तु अपने देश की स्थिति कुछ ज्यादा ही चिंताजनक है। आंकड़े इसके गवाह हैं कि आर्थिक प्रगति के बावजूद महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए जो विधेयक लाया गया है, मैं उसका तहेदिल से स्वागत करती हूं। मैं इसके लिए यूपीए की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमती कांति सिंह का अभिनन्दन करती हूं और महिलाओं की राजनीति में भी समान भागीदारी होनी चाहिए। मैं चाहूंगी कि सरकार महिला आरक्षण बिल जल्द से जल्द संसद में प्रस्तुत करे। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को प्रतिबंधित करने वाले इस विधेयक का, जिसका हमें पिछले दो दशकों से भी ज्यादा समय से इंतजार था, मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं इसका समर्थन करती हूं। मैं और मेरी पार्टी, एनसीपी की ओर इसका स्वागत करती हूं।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं यह बताना चाहता हूं कि सभी माननीय महिला सदस्यों को इस मुद्दें पर बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है। उन्हें उतना समय दिया जा रहा है जितना वे चाहते हैं और इस पर कोई पाबंदी नहीं है। अब श्रीमती जयाप्रदा की बारी है।

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): महोदय, मैं इस सभा के पटल पर अपना लिखित वक्तव्य रखना चाहता हूं। मैं अनुरोध कर रहा हूं क्योंकि इसके लिए अनुमति नहीं दी गई हैं।

सभापति महोदय: जी हां, आप इस सभा के पटल पर अपना लिखित वक्तव्य रख सकते है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्रीमती जयाप्रदा, आप सामने की पंक्ति में आकर बोल सकती है।

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): महोदय, आपकी अनुमति से मैं सामने की पंक्ति में आकर बोलना चाहती हूं।

सभापति महोदय: यदि आप चाहती है तो आप सबसे पहली पंक्ति में भी आ सकती है।

श्रीमती जयाप्रदा: धन्यवाद सभापति महोदय।

[हिन्दी]

महोदय, आज घरेलू उत्पीड़न विरोधी बिल पर चर्चा करने के लिए मैं यहां पर इस सदन में खड़ी हूं। मैं शुरूआत कहां से करू

[श्रीमती जयाप्रदा]

और कहां अंत करूं, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसे लेकर बहुत दुविधा में हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्रीमती जयाप्रदा आप अपने घर से ही शुरू कर सकती हैं।

श्रीमती जयाप्रदा: महोदय, मैं ऐसा करने का प्रयास कर रही हूं।

[हिन्दी]

महोदय, हम बचपन से यही सोचते हैं कि बड़े होकर समाज के लिए कुछ करेंगे। मैं बहुत खुश हूं कि मैं एक सांसद के रूप में यहां आई हूं और जब मैं राज्यसभा में थी, तब भी मैंने कहा था इस संसद को हम "टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी" कहते हैं। हम जब यहां आते हैं तो हमें गेट पर एक श्लोक लिखा देखते हैं:

"न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते यो न वदन्ति धर्मम्।

धर्म: स नो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यं न तद्यच्छलमभ्युपैति।"

महोदय, पुराने जमाने में यह वाक्य भरी सभा में द्रौपदी ने अपनी पहचान के लिए कहा था।

हमारे सामने यही दुविधा है कि स्त्री संपत्ति है। मैं यह बात कहते हुए उलझन में हूं कि समाज में जो कमजोर होता है, उस पर जुल्म किया जाता है। जहां लाचारी हो, मजबूरी हो या किसी पर निर्भरता हो, उस पर ज्यादा जुल्म होता है। मैं यह नहीं कहना चाहती कि समाज में स्त्री-पुरुष को अलग करना चाहिए। यह बहुत ही अहम बात है, जो बड़े लोग कहते हैं। जब एक औरत अपने पेट में बच्चा रखती है, तो वहीं से प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि वह लड़का है या लड़की। लड़की पैदा होने के बाद वह हर रूप से परिवार की सेवा करना चाहती है। वह घर में एक मां बनकर प्यार दे सकती है, बेटी बनकर इज्जत दे सकती है, पत्नी बनकर सेवा कर सकती है और बहन बनकर सम्मान भी कर सकती है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब हम लोग छोटे से जानवर को भी पालते हैं, तो आखिर तो उसके प्यार पर न्यौछावर हो जाते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जब हम उस बच्ची को पालकर बड़ा करते हैं, तो उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। वह लड़की जब अपने मां-बाप का घर छोड़कर ससुराल जाती है, तो सारा कुछ भूलकर केवल ससुराल को ही अपनी दुनिया समझती है। मां-बाप भी उसे उसी अरमान से भेजते हैं, ताकि वह खुश रहे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। ससुराल जाते ही उसकी दुविधा शुरू हो जाती है और उस पर अत्याचार होने लगते हैं। वह अपने मां-बाप और भाई-बहन कर घर छोड़कर वहां जाती है, जहां का माहौल उसके लिए पूरी तरह अनजान है और जहां उस पर अत्याचार होते हैं, उसे मारने की कोशिश की जाती है। आज उसके जीवन का इतना भी मूल्य नहीं, क्योंकि उसके ऊपर एक मोटरबाइक के लिए, स्कूटर के लिए अत्याचार किया जाता है और उसकी जान इन चीजों से भी सस्ती समझ ली जाती है। यह किस प्रकार का अन्याय हम उसके साथ कर रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। हमने इसे रोकने के लिए कानून बनाए हैं और बनाने जा रहे हैं। उन कानूनों में सारी व्यवस्था है, लेकिन हम समाज का माइंडसेट नहीं बदल पाए। जब तक समाज का माइंडसेट नहीं बदलेगा, तब तक यह अत्याचार होता रहेगा।

कार्येषु दासी, करणेषु मंत्री
शयनेषु रम्भा, भोज्येषु माता, गृहणेषु लक्ष्मी।

हम औरत को लक्ष्मी कहते हैं, मां कहते हैं। धरती को मां कहते हैं और औरत को जन्मदात्री कहते हैं, लेकिन वह महिला जो जन्म देती है, उसी पर अत्याचार करते हैं, उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। जब उस महिला को खत्म कर देंगे, तो फिर समाज नहीं रहेगा, यह युग नहीं रहेगा, क्योंकि फिर तो सारा युग ही खत्म हो जाएगा। अगर हम सृष्टि पर संकोच करेंगे, तो कहां रहेंगे! उसके लिए हमें आत्मनिर्भरता चाहिए। वह आत्मनिर्भरता तभी आएगी, जब महिला की अपनी पहचान होगी।

आज महिला बाहर जाकर काम करना चाहती है। आज समाज में महिला का बदला हुआ रूप हम देख रहे हैं। वह समाज में जाकर अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है, लेकिन समाज वाले उसे अलाऊ नहीं कर रहे हैं। इसलिए बालिका के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। मैं शहर की बात नहीं करती, आप गांव में जाएं, सभी सांसद इस बात को जानते हैं कि आज गांवों में एक भी गर्ल्स इंटर कालेज नहीं है। वहां कितनी अशिक्षा है? महोदय, जब तक शिक्षा नहीं होगी, वे दूसरों पर निर्भर रहेंगे और सोचेंगे कि लड़का कुलदीप है, उसे पढ़ाना है, लड़का कुलदीप है, उसे ज्यादा आहार देना है। लड़की का क्या है, वह बाद में दूसरे घर चली जाएगी, वह पराया धन है। महोदय, यह मानसिकता कैसे बदलेगी, आप ही बताइए। एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूं कि जब हमारी मां हमें पेट में रखती है तो वह सोचती है और ससुराल में सभी पूछते हैं कि यह लड़का है या लड़की है, पहले आप पहचान करा लीजिए। अगर आप राजस्थान में सर्वे कराएंगे तो पता चलेगा कि वहां 115 साल के बाद बारात निकली है। इसका मतलब है कि वहां लड़की की जरूरत नहीं है- इस तरह की मानसिकता लोगों की है। मैं कह रही हूं कि कितने अरमान के साथ वह ससुराल जाती है, लेकिन वहां उसे दहेज के लिए

मार दिया जाता हैं, कभी सती के नाम पर उसे मार देते हैं और यह अभी भी हो रहा है। ऐसा बर्ताव गैर कानूनी है लेकिन यह अभी भी चल रहा है। इसे सुधारना बहुत ही जरूरी है।

इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम जिस सोसायटी में रहते हैं, उस सोसायटी में लड़कियों को शिक्षा के लिए, उसके कालेज जाने के लिए या काम पर जाने के लिए, जब बाहर भेजते हैं, तो कहां उसके लिए सुरक्षा है? वह बस में जाती है, वहां उसका रेप होता है। वह पुलिस स्टेशन जाती है इंसाफ पाने के लिए, लेकिन वहां रक्षक ही भक्षक बन जाता है। वहां उसके साथ अत्याचार होता है, उसका रेप करते हैं। ऐसी स्थिति में वह कहां जाए? आप देख रहे हैं कि एक पुलिस आफिसर उस महिला की रक्षा नहीं कर सकता, वह केस रजिस्टर नहीं कर सकता, तो वह कहां जाए? मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूं कि देश में कानून और पुलिस की जो व्यवस्था हे, उसमें बदलाव लाना जरूरी है। जो अधिकारी महिला के ऊपर बत्याचार करता है, उसका शोषण करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। उसे बता देना चाहिए कि अगर इस तरह के अत्याचार महिलाओं के ऊपर होते रहे, अगर वह महिलाओं के शोषण का कारण बनता है तो उसे सख्त से सख्त सजा देना जरूरी है और इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती हूं लेकिन जो हमारी कानून व्यवस्था है, उसे भी एक्टिव करने की जरूरत है, क्योंकि 16 साल या 21 साल एक-एक केस चलेगा तो जो दोषी हैं वे बच कर बाहर निकल जाएगें और जो इंसाफ मांग रहा है, उसके हाथ तो निराशा ही लगेगी। आज मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि जब आपने इतना समय लोगों को बोलने के लिए दिया है, उसमें मैरिज इंस्टीट्यूट की बात करना जरूरी है।

[अनुवाद]

महोदय, मैरिज में व्यक्ति होते है जिन्हें परस्पर एक दूसरे को सम्मान करना होता है। समाज में सम्मान और मर्यादा के साथ विवाह को बनाए रखना होता है।

[हिन्दी]

जब तक उस रिश्ते की इज्जत नहीं होगी, कोई कानून उस रिश्ते को बचा नहीं पाएगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि मैरिज इंस्टीट्यूशंस में लोग जब तलाक लेने के लिए जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? महिलाएं कभी खुशी से तलाक लेने के लिए नहीं जाती हैं। अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ कर जब वह तलाक लेने के लिए जाती हैं, वह बहुत पीड़ादायक होता है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि हमारे समाज में, हमारा देश एकमात्र ऐसा देश है, जहां हर परिवार के सभी सदस्य एकता के साथ, एक घर में रहना पसंद करते हैं। ऐसा पश्चिमी देशों में नहीं होता, क्योंकि पश्चिमी देशों में मां-बाप को बड़े होने के बाद पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। वे लोग शादी में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन शादी का अरमान, शादी का सपना हर लड़की देखती है जबकि उसके ऊपर अत्याचार होता है। उसे दहेज के लिए, जायदाद के लिए टार्चर कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को सजा देना जरूरी है। मैं इस बिल का समर्थन करती हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि इसमें जो पाजीटिव प्वायंटस हैं, वे लेने हैं।

यह बहुत ही सेंसिटिव बिल है। इसका गलत इस्तेमाल करने के भी चांसिस हैं। मैं कहना चाहती हूं कि हम अपने परिवार का, शादी का, गृहस्थी का और मैरिज इंस्टीट्यूशन का सम्मान करते हैं, इसलिए इसका दुरूपयोग न करें और इसका सही इस्तेमाल करें। हम सब महिलाओं को और हर महिला को इस बिल से फायदा उठाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। महिलाओं को उत्थान के लिए सारे समाज को उनका हाथ थामकर उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। हम अबला नहीं हैं, हम हर महिला में झांसी की रानी देखना चाहते हैं। महिला जिसमें झांसी की रानी का रूप है, उस पर जो आदमी अत्याचार करते हैं, अगर समाज में उसे दोषी ठहराएंगे तो यह मुसीबत नहीं आएगी।...*(व्यवधान)*

अंत में, मैं यह कहना चाहती हूं कि भारत जैसे देश में पैदा होने के नाते अबला कहना बहुत चिंता का विषय है। हम इस समाज में स्वावलंबी हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि औरत को इतनी कमजोर भी न समझें। एडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन लाकर, कानून में जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को एक्टिवेट करें ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी न्याय मिले।

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): माननीय सदस्या *...(व्यवधान)* आपको क्या हो गया? क्या बात नहीं कहने देंगे?*...(व्यवधान)* माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने केवल राजस्थान में बालिकाओं पर अत्याचार की बात कही है, इसे हटा दिया जाना चाहिए, यह गलत है।

[अनुवाद]

***श्री एल. राजगोपाल** (विजयवाड़ा): जैसाकि हमारे प्रधान मंत्री जी ने अपने आरंभिक भाषण में कहा है "प्रत्येक वर्ष हमारे देश में पंचायतों में 10 लाख महिलाएं निर्वाचित होती हैं। हमारे देश के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को व्यापक स्तर पर यह भागीदारी अभूतपूर्व घटना है और यह विश्व में महिलाओं के

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एल. राजगोपाल]

सशक्तीकरण से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहल है। हमें भारत में महिला सशक्तीकरण की इस महान यात्रा की शुरूआत करने के लिए राजीव जी का आभार व्यक्त करना चाहिए।"

एक तरफ महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में विश्व भर में उच्चतर ऊंचाइयों को छू रही हैं लेकिन दूसरी तरफ न केवल भारत बल्कि विश्व भर में महिलाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा का भी सामना कर रही हैं। अमरीका के एक आंकड़े के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग दो लाख महिलाएं अमरीका में यो तो शारीरिक अथवा यौन शोषण अथवा किसी परिचित व्यक्ति द्वारा पीछा किए जाने का शिकार होती हैं।

ब्रिटेन में पुलिस को घरेलू हिंसा से बचाव के संबंध में प्रतिदिन 1300 सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ब्रिटेन में एक दिन में लगभग 7000 महिलाएं और बच्चें हिंसा का शिकार होते हैं।

आज मैं घरेलू हिंसा, इसके संभावित समाधान और इसके लिए प्रवर्तित किए जाने वाले कानून के बारे में चर्चा करना चाहूंगा।

घरेलू हिंसा में मारपीट, धक्का-मुक्की, यौन शोषण जैसे शारीरिक शोषण और मनोवैज्ञानिक शोषण में धमकी, मानसिक रूप से परेशान करना किसी को परेशान करने के लिए संपत्ति की क्षति करना बच्चों को किसी घरेलू हिंसा को देखने अथवा सुनने की अनुमति देना इत्यादि शामिल है और ये सभी समाज के विरुद्ध किए जाने वाले गंभीर अपराध हैं। घरेलू हिंसा से न केवल महिलाओं बल्कि बच्चों को भी संरक्षित किया जाना चाहिए।

हजारों लोगों विशेषकर महिलाओं को नियमित रूप से और कई मामलों में उसके पतियों अथवा साथ रहने वाले व्यक्तियों द्वारा मारपीट की जाती है यातनाएं दी जाती है। घरेलू हिंसा सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी क्षेत्रों में होती है। महिलाओं और बच्चों के शोषण में पारस्परिक संबंध है और यदि बच्चों का सीधे शोषण नहीं किया जाता है फिर भी वे घरेलू हिंसा के कारण गहरे और दूरगामी भावनात्मक प्रभावों का शिकार होते हैं। महिला भ्रूण हत्या, दहेज के कारण हत्या अथवा प्रताड़ना, मानसिक और शारीरिक यातना, देह व्यापार और सार्वजनिक रूप से अपमानित करना महिलाओं के विरुद्ध होने वाले कतिपय अन्य अपराध हैं।

घरेलू हिंसा के व्यापक रूप से जारी रहने के बावजूद इसकी हमारे देश में अनदेखी की जाती रही है। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 489-क इस अपराध से संबंधित है जबकि कोई महिला अपने पति अथवा संबंधियों द्वारा क्रूरता का शिकार होती है। घरेलू हिंसा के शिकार व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने और परिवार को सिविल कानून के अंतर्गत लाने के लिए विधान बनाया जाना चाहिए।

विवाह से संबंधित हिंसा अधिकांशत: आवास के निजी वातावरण में बंद कमरों के अंदर होती है। कोई महिला किसी स्वतंत्र साक्षी को बुलाकर अपने पक्ष में बयान देने के लिए नहीं कह सकती है ताकि वह साबित किया जा सके कि उसका मामला संदेह से परे हैं"।

शहरों में एकल परिवारों में वृद्धि होने और अपार्टमेंट में निवास का प्रचलन होने से शहर में रहने वाली महिला के लिए कोई सहायता अथवा सुरक्षा उपलब्ध नहीं है और वे अपने फ्लैट के बंद कमरे में कठिनाई का शिकार होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों की स्थिति ज्यादा खराब है जहां पंचायत अथवा गांव के बुर्जुग व्यक्ति अत्यधिक घरेलू हिंसा के मामले में बीच-बचाव अथवा बातचीत करने के लिए आते हैं, शहरों की स्थिति ज्यादा खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू हिंसा का पता चल जाता है जबकि शहरों में इससे शिकार महिलाओं की परेशानी एकाकी जीवन शैली के कारण बंद कमरे में ही दब कर रह जाती है।

नई दिल्ली, भारत में एक मेधावी डाक्टर ने उसके पति द्वारा अपने मित्रों के सामने बात काटने के कारण उसे तमाचा मारा जिस पर उसने आत्महत्या कर प्रयास कर लिया।

एक भूतपूर्व सुंदरी ने पुलिस को बताया कि उसे उसके पति द्वारा कई दिनों तक बगैर खाने के बंद कमरे में रखने के पश्चात किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया।

मुम्बई में एक पड़ोसी को किसी महिला द्वारा उसके पति को बच्चों के साथ कोई विशिष्ट कार्यक्रम देखने से मना करने पर मारपीट करने पर हस्तक्षेप करना पड़ा।

उच्च पद पर आसीन एक अधिकारी की पत्नी ने वर्षों तक संतान नहीं होने के कारण उसे दी गई शारीरिक और मानसिक यातना की जानकारी अंतत: दी है।

हालांकि ऐसी बातें नई नहीं है इस अध्ययन से घरेलू हिंसा, विशेषकर भारत में हिंसा के प्रति सांस्कृतिक अविश्वास के वाद-विवाद का एक नया दौर शुरू हो गया है जहां अध्ययन में महिलाओं को उसकी शिक्षा के स्तर के आधार पर उसके साथ मारपीट करने का खतरा बना रहता है।

महिलाओं के प्रति हो रही रिपोर्ट, की गई हिंसा के मामले में 50 प्रतिशत महिलाओं के साथ गर्भावस्था के दौरान मारपीट की

गई। हिंसा की शिकार लगभग 74.8 प्रतिशत महिलाओं ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। शिक्षित महिलाएं अपने अधिकारी के प्रति सजग है। वे आंख मूंदकर आदेश मानने को तैयार नहीं हैं। उनके द्वारा प्रश्न करने पर विवाद उत्पन्न होता है जिससे हिंसा होती है।

भारत में पुरुषों की अपने आप को श्रेष्ठ मानने की शिक्षा दी जाती है और उन्हें ऐसे विचार के साथ पाला जाता है कि उन्हें अपनी पत्नियों को विशेषकर जब वे अवज्ञाकारी हो जाएं, नियंत्रण में रखना होगा।

लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि अत्यधिक शिक्षित पुरुष वर्ग में यौन हिंसा के मामले पाये जाते हैं। 32 प्रतिशत अशिक्षित पुरुष और 1 से पांच वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले 42 प्रतिशत पुरुष यौन हिंसा करते हैं। पुरुषों में छः से 10 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त वाले और अत्यधिक शिक्षा प्राप्त करने वालों का प्रतिशत 57 प्रतिशत है निचले सामाजिक-आर्थिक स्तर, जैसे उत्प्रवासी श्रमिक, मोची, बढ़ई और नाई के मामले में यौन हिंसा की दर 35 प्रतिशत है। यह दर उच्च आय वर्ग में लगभग 61 प्रतिशत है। शोध वेत्ता इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि अधिक आय और शिक्षित वर्ग के लागों में महिलाओं के प्रति अधिक हिंसकता क्यों है।

इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता की धाराओं के कार्यकरण का मूल्यांकन करने हेतु पुलिस रिकार्ड पर आधारित एक अध्ययन टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेस की महिला कार्यकर्ताओं के एक वर्ग द्वारा किया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि 40 प्रतिशत महिलाओं की मृत्यु हो चुकी होती है जब उनके परिवार वाले उनके हिंसक पतियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने आते हैं।

इस प्रकार अनगिनत महिलाएं अपमान और मारपीट का शिकार हो रही है और कई महिलाएं इस क्रम में उनके लिए कठोर कानून मौजूद होने के बावजूद मृत्यु का शिकार होती है।

दूसरी तरफ यह धारणा बढ़ती जा रही है कि इन कानूनों का अधिकांश उपयोग पुलिस अधिकारियों और वकीलों द्वारा वधुओं के बेइमान परिवारों द्वारा उनके ससुराल पक्ष को परेशान करने की नीयत से किया जाता है।

प्रस्तावित सभी संशोधन पुलिस को अत्यधिक सख्त शक्तियां प्रदान करती है जबकि प्रर्वतन तंत्र की गैर जिम्मेवारी से सुरक्षा हेतु समुचित सुरक्षोपाय उपलब्ध नहीं है। वास्तविकता यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 324, 325 और 326 में किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने अथवा चोट पहुंचाने वालों के विरुद्ध पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध है। लेकिन अधिकांश मामलों में पुलिस इन धाराओं के अंतर्गत पति के विरुद्ध शिकायत दर्ज नहीं करती

है चाहे यह स्पष्ट भी हो जाए कि पत्नी की जिंदगी को गंभीर खतरा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हिंसा की घटनाओं का समाज के किसी वर्ग की तुलना में निरंतर सामना करने के कारण पुलिस मारपीट अथवा पतियों द्वारा अपनी पत्नी का खून करने को माफ करना स्वभावित मानती है।

घरेलू मतभेद और वैवाहिक संबंधों में शोषण से निपटने वाले विद्यमान कानूनों की बुनियादी समस्या यह है कि सिविल कानून के माध्यम से प्रभावी उपचार करने के स्थान पर पूरे मामले को आपराधिक कानून, जिसके इसके कार्यान्वयन की कठोर बनाने के लिए प्रत्येक तरह का कठोर प्रावधान किया गया है, के क्षेत्राधिकार में रखा गया है।

यही कारण है कि कई महिलाएं संरक्षण हेतु पुलिस अथवा न्यायालय की शरण में जाने से डरती हैं क्योंकि एक बार उनके पति के गिरफ्तार हो जाने की स्थिति में वे जानती हैं कि उन्हें अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़नी होगी।

स्वतंत्र भारत की त्रासदियों में से एक यह है कि हम अभी तक युक्तिपूर्ण और गैर युक्तिपूर्ण, कार्यान्वयन योग्य और गैर कार्यान्वयन योग्य कानूनों के बीच अंतर करने में उसी प्रकार असफल रहे हैं जिस प्रकार हम ऐसे सभी अधिकारों का हनन किए जाने के प्रति कानून प्रर्वतन करने के लिए एक विश्वसनीय तंत्र बनाने में विफल रहे है।

तथापि, यदि ऐसे कानूनों में हेराफेरी के उदाहरण आमतौर पर व्याप्त हो जाएं तो हम समाज में महिलाओं की दुर्दशा के प्रति कम सांत्वना प्रकट कर पायेंगे। महिलाओं की स्वतंत्रता की ऊंचाइयों को बढ़ाने और उनके अधिकारों की अधिक सशक्त करने की निरंतर करने वाले लोगों की अपने परिवार और लोक जीवन में उनकी बढ़ती हुई सफलता को स्वीकार करना होगा।

घरेलू हिंसा में कमी लाने के लिए पुलिस बल को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और इस उद्देश्य के लिए पुलिस को व्यक्तिगत रूप से अधिनियम का ज्ञान होना चाहिए और उसे घरेलू हिंसा की प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए।

तथापि, श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष संप्रग के सक्षम मार्ग निर्देशन में आज इस सरकार ने एक संगत कानून लाया है जिसमें मौजूदा घरेलू हिंसा कानून की कमियों पर ध्यान दिया गया है।

अंततः मैं अपनी बात महात्मा गांधी के शब्दों को उदघृत करते हुए समाप्त करता हूं कि वास्तविक स्वराज केवल कुछ लोगों को अधिकार मिलने से नहीं आ सकता है बल्कि सभी द्वारा अधिकार का उस स्थिति में विरोध करने हेतु सक्षम हो जाने से होता है

[श्री एल. राजगोपाल]

जब उनका दुरूपयोग हो रहा हो।" मुझे विश्वास है कि यह नया कानून स्त्रियों के विरुद्ध जघन्य अपराध करने वालों को दण्ड देगा और उन्हें घर में या घर के बाहर उनके प्रति होने वाले अपराधों का प्रतिरोध करने में सक्षम बनाएगा।

अपराह्न 4.32 बजे

अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण मुझे सभा को सूचित करना है कि आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निश्चय किया गया कि आवश्यक सरकारी कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देने हेतु सभा की बैठक सोमवार, 29 अगस्त और मंगलवार 30 अगस्त, 2005 को होगी। इन दोनों दिन प्रश्न काल नहीं होगा। मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत होगी।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

अपराह्न 4.34 बजे

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक, 2005—*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्रीमती सी.एस. सुजाता। यदि आप अगली पंक्ति से भाषण देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप संघर्ष शील महिला हैं। आपको अगली पंक्ति से भाषण देना चाहिए।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं इस अवसर का उपयोग माननीय मंत्री को धन्यवाद देने के लिए करना चाहती हूं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं। यह विधेयक घरेलू हिंसा-शारीरिक, मानसिक, शब्दिक, आर्थिक और यौन, को व्यापक रूप से परिभाषित करता है।

पहली बार वैवाहिक बलात्कार को महिला के विरुद्ध हिंसा माना गया है। मैं महसूस करती हूं कि इस विधेयक का पुरस्थापन सरकार द्वारा समय से उठाया गया कदम है और देश के लगभग सभी महिला संगठनों ने इस विधेयक का स्वागत किया था। सचमुच, यह विधेयक देश की लाखों पीड़ित महिलाओं के लिए राहत का एक कदम है।

महोदय, भारतीय कानूनों के अंतर्गत 'घरेलू हिंसा' शब्द परिभाषित नहीं किया गया है। मौजूदा कानूनों के अंतर्गत उपचारात्मक उपाय केवल विवाहित महिलाओं को उपलब्ध हैं। क्रूरता के आधार पर तलाक के सिविल कानूनों और अपराधियों को दण्ड देने के लिए दण्ड विधियों के अंतर्गत उपलब्ध उपचारात्मक उपाय अपर्याप्त है। भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है जो हिंसा से महिलाओं को राहत प्रदान करता है। इस विधेयक का लक्ष्य इस कमी को पूरा करना है।

अनुसंधानों से पता चलता है कि 60 प्रतिशत महिलाएं वैवाहिक जीवन में कभी न कभी हिंसा का शिकार होती है। लेकिन यह सच है कि घरेलू हिंसा होती रहती है लेकिन सामने नहीं आती है। ऐसा कोई प्रभावी कानूनी तंत्र नहीं है जिसके माध्यम से पीड़ित अपनी शिकायतों के निवारण की मांग कर सके। अधिकांश मामलों में पीड़ित गृहविहीन हो जाने के भय से उत्पीड़न और अपमान चुपचाप सहन करती है। अधिकांश मामलो में बच्चों को अशिक्षा में रखने के सवाल पर महिलाओं को मुकदमा वापस लेने के लिए बरगलाया जाता है। इन पहलुओं से विधेयक के नए खंडों में अपराधी को पीड़ित के लिए आवास सुनिश्चित करने और बच्चों को अस्थायी रूप से पीड़ित महिला की अभिरक्षा में देना, प्रशंसनीय कदम है।

पीड़ित को पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रस्तावित उपाय एक सकारात्मक कदम है। ऐसे उदाहरण हैं जिनमें महिलाओं को उन मामलों में विधिक सहायता नहीं मिल पाती है जिनमे शादी की औपचारिकताओं का पालन नहीं किया जाता है। अनेक मामलों में स्त्रियों को ऐसे पुरुषों से शादी करने को राजी किया जाता है जो जान बूझकर अपनी पूर्व शादी को छिपाते हैं। लेकिन इस दोष को दूर करने के लिए इस विधेयक में प्रभावी तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं।

महोदय, यद्यपि यह विधेयक व्यापक है और यह देश में महिलाओं को घरेलू हिंसा से निजात दिलाने में काफी सीमा तक मदद करेगा लेकिन इस बात का संदेह है कि विधेयक के कतिपय उपबंध उनके बेहतर हित में नहीं है। संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगे। इस बात की आशंका है कि तीसरे पक्ष द्वारा इस स्थिति का दुरूपयोग किया जा सकता है। यह संभव है कि इस अधिकारी की यह स्थिति भ्रष्टाचार की गुजाइंश पैदा करे। अत: संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करते समय सभा को यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि पर्याप्त ध्यान रखा जाएगा ताकि संरक्षण अधिकारी कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसकी पृष्ठभूमि भ्रष्टाचार की हो और जो लिंग के आधार पर भेदभाव न करता हो।

विधेयक में दूसरी कमी है कि केवल पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को पीड़ित महिलाओं को सेवा देने का अधिकार दिया गया

है। लेकिन असंख्यक महिला संगठन इस मुद्दे पर कार्य कर रहे हैं। वास्तव में, यह इस प्रकार का विधान लाने के लिए लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास करने वाले संगठनों के सतत प्रयासों का परिणाम है कि अब विधेयक पुरःस्थापित किया गया है। इसलिए, यह आवश्यक है कि पीड़ितों को सेवा प्रदान करने हेतु इस प्रकार के संगठनों पर भी विचार किया जाए।

महोदय, हमारा अनुभव है कि केवल विधान बनाने से ही जमीनी वास्तविकताओं में बहुत अधिक अंतर नहीं आएगा। इसलिए, यह अनिवार्य है कि इस प्रकार का अत्याचार रोकने हेतु कानून का ईमानदारी से पालन सुनिश्चित किया जाए और इस कानून का वास्तविक फल प्राप्त करने के लिए आम जनता में जागरूकता लाने हेतु कदम उठाए जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी): महोदय, घरेलू हिंसा रोकने के लिए जो विधेयक लाया गया है, निश्चित ही यह स्वागत योग्य है, बशर्ते इसका सही उपयोग हो। यह बिल सिर्फ कागजों तक ही सीमित न रहे और महिलाएं घरेलू हिंसा से बच सकें।

सभापति जी, आज जब मैं आ रही थी तो एक पुस्तक मैंने देखी। उस पुस्तक की दो लाइनों पर मेरी नजर पड़ी और मुझे लगा कि ये लाइनें महिलाओं के लिए ही कही गई हैं "बंद होठों का था सबब, कोई वक्त आया है, अब हम भी बोलेंगे"। महोदय, विवाह के समय घर से विदा करते हुए बेटी को कह दिया जाता है कि तुम्हारी डोली पिता के घर से उठी है और अर्थी पति के घर से उठेगी। डोली उठने से अर्थी उठने तक जीवन का सफर वह मौन रह कर, अपने कर्त्तव्यों का पालन कर घर के कार्यों को पूरा करते हुए बीता देती है। उसकी पीड़ा, वेदना, भावनाएं जानने वाला कोई नहीं होता है। सरकार ने महिलाओं पर घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कानून बना कर यह बता दिया है कि घरेलू हिंसा केवल घरेलू बात नहीं है, सरकार की उस पर नजर है।

अपराह्न 4.41 बजे

[श्री अर्जुन सेठी *पीठासीन* हुए]

सभापति जी, मैं घरेलू हिंसा के बारे में दो-तीन दिन से सुन रही हूं, इसलिए एक बात मन में आई कि जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं-हिंसा कौन करता है? कुछ क्षण के लिए मन में आया कि पिता, जो बचपन में बेटी को अपनी बाहों को झूला बनाकर झूलाता है, उसके सुखी जीवन को कल्पना करता है या भाई जिसमें बचपन से ही संस्कार डाले जाते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार जब आता है कि तुम्हें बहन की हमेशा रक्षा करनी है, सहयोग करना है, पति जो हर पल, जीवन में हर कदम पर सहयोगी बन कर चलता है या पुत्र जो मां को सबसे अधिक चाहता है और वृद्धावस्था में उसकी सेवा करना अपना धर्म मानता है। महोदय, हमारा भारतीय समाज रिश्तों में, मर्यादाओं में बंधा हुआ है पर पश्चिमी अनुकरण ने हमारे समाज की संस्कृति को उथल-पुथल कर दिया है। हमने एक पक्ष सोचा, यह पक्ष हमारे देश के लिए बहुत सुदर है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष उतना ही भयावह है। न महिलाएं घर में सुरक्षित हैं और न सार्वजनिक स्थानों में सुरक्षित हैं। नारी को प्रकृति ने कुछ गुण दिए हैं। नारी को महान कहा गया है, क्योंकि नारी में दया, करूणा, ममता, त्याग, बलिदान, शौर्य और साहस भी है। नारी सारे कष्ट सह कर अपने परिवार को सुखी रखना चाहती है। नारी मां, बहन, पत्नी, बेटी के रूप में खुद भूखी रहती है लेकिन अपने बच्चों को खाना जरूर खिलाती है। नारी की कोख से बड़े-बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया, श्री राम, श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया है, मां जो बालक की अंगुली पकड़ कर चलना सिखाती है, बच्चा प्रथम अक्षर भी बोलना मां के द्वारा ही सीखता है। मां प्रथम गुरू होती है, फिर वह बालक बड़ा हो कर समाज में अपने आपको सर्वोच्च कैसे मानने लगता है। कैसे पुरुष प्रधान समाज बन जाता है और कैसे वह महिलाओं पर हिंसा करने लगता है? यह सत्य है कि महिलाओं पर हिंसा सभ्य समाज के नाम पर कलंक है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दुनिया की आधी आबादी अनेक प्रकार की हिंसा की गिरफ्त में है। नारी का सम्मान सुरक्षित रखने और हिंसा से मुक्त रखने के लिए समाज को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। पुरुष प्रधान समाज सर्वोच्च है, यह धारणा हमें बदलनी होगी। यह धारणा भी गलत है कि हिंसा का कारण गरीबी है या अशिक्षा है या हिंसा जागरूकता की कमी के कारण होती है या ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसा होती है। हिंसा के आंकड़े कहते हैं कि शहरी और मध्यम वर्गीय परिवारों में हिंसा ज्यादा होती है। इनमें उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, संभ्रांत परिवार के लोग, बड़े अधिकारी ज्यादा हैं। दिल्ली जो दिल है हिंदुस्तान का, यहां पर घरेलू एवं सामाजिक हिंसा के आंकड़े सबसे ज्यादा हैं।

माननीय सभापति जी, ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): मैडम, नीता पटैरिया जी, महिलाओं की स्थिति गुजरात में बहुत खराब है। वहां के बारे में भी बोलिए।...*(व्यवधान)*

श्रीमती नीता पटैरिया: मैं देश की महिलाओं की स्थिति के बारे में बात कर रही हूं, किसी प्रदेश विशेष की बात नहीं कह रही हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री मिस्त्री, आप एक वरिष्ठ सदस्य है, कृपया व्यवधान न डालिए।

श्रीमती नीता पटैरिया के भाषण को छोड़कर अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया: माननीय सभापति महोदय, हमारे अधिकतर सदस्य इस बात पर जोर देते रहते हैं कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, लेकिन महिलाएं शिक्षित हों, इसके लिए हम क्या करते हैं, यह भी देखना जरूरी है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखें कि 5 किलोमीटर की दूरी पर मिडिल स्कूल है और 8 किलोमीटर की दूरी पर हाई स्कूल है। ये नियम बने हुए हैं। बहुत सारी छात्राएं, अर्थात् अधिकतर छात्राएं 5वीं कक्षा के बाद स्कूल जाना छोड़ देती हैं। कुछ छात्राएं, जैसे-तैसे हिम्मत कर के 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती हैं, वे 8वीं तक शिक्षा प्राप्त कर लेती हैं। हाई स्कूल तक पढ़ना किसी छात्रा के वश में नहीं होता क्योंकि उनमें इतना हौसला नहीं होता कि वे 8 किलोमीटर दूर जंगलों और वनों को पार कर जाएं और हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी करें। इसलिए पहले हम उनके लिए स्कूलों को खुलवाने की व्यवस्था करें, तब शिक्षा की बात करें। बातें करना आसान है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जब स्कूल ही नहीं हैं, तो छात्राएं शिक्षा कहां से प्राप्त करेंगी?

सभापति महोदय, कल आदरणीय सुमित्रा महाजन जी कह रही थी कि पत्नी की मजदूरी के पैसे छुड़ाकर शाम को शराब पीकर आदमी झूमते हुए आते हैं। गांव में स्कूल मिले या न मिले, अस्पताल मिले या न मिले, पीने का साफ पानी मिले या न मिले, लेकिन शराब की दुकान अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि सरकार को राजस्व की प्राप्त होती है। सब जानते हैं कि गांवों में शराब की दुकानें खोलने के कितने दुष्परिणाम होते हैं, लेकिन फिर भी शराब की दुकानें खोली जाती हैं। जब दुकानें खुली हैं, तो शराब भी बिकेगी और लोग पिएंगे और शराब पीने के बाद झूमता हुआ आदमी जब घर आएगा, तो उसके कारण सबसे ज्यादा प्रताड़ित महिला और बच्चे होते हैं। जहां एक तरफ शराब से शरीर खराब होता है, वहां दूसरी तरफ बच्चों की और औरत की पिटाई होती है। कोई भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन हकीकत यही है।

सभापति जी, सरकार चाहे कितने भी कानून बनाकर महिलाओं को पुरुषों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का दंभ भरे, लेकिन देश में महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़ रहा है, यह हमारे लिए शर्म की बात है। महिलाएं न घर में सुरक्षित हैं, न सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित हैं, न थानों में, न अस्पतालों में, न स्कूलों में, न बसों में, न कालेजों में। उत्पीड़न के मामले पहले 3500 प्रतिमाह थे, लेकिन अब बढ़कर वे 5300 प्रतिमाह हो गए हैं। देश में बलात्कार के 49000 मामले लम्बित हैं।

सभापति जी, नारी के साथ हिंसा तो जब वह गर्भ में होती है, तभी से शुरू हो जाती है। यह कहें कि जन्म लेने के बाद शुरू होती है, गलत है। महिला के साथ हिंसा गर्भ में इस प्रकार शुरू होती है कि जब वह गर्भ में होती है, तभी उसके भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। गर्भ में महिला के भ्रूण की हत्या किया जाना ही समाज की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। महिला उत्पीड़न और महिला हिंसा आज की नहीं हैं। यह युगों-युगों से चली आ रही है। चाहे द्रौपदी का युग हो या वर्तमान, सभी युगों में महिलाओं का उत्पीड़न होता रहा है। सीता ने बिना अपराध के कष्ट सहे, द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ, अहिल्या को पत्थर बनना पड़ा। वर्तमान में जब हम महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए कानून बनाने की बात कर रहे थे, तभी इमराना का उसके ससुर ने बलात्कार किया और सजा मिली इमराना को कि वह अपने पति के साथ बहिन की तरह रहे, यानी पति-पत्नी को भाई-बहन की तरह रहने के लिए कहा गया। समाज में महिलाओं को चुड़ैल और डायन कहा गया, विधवाओं को अशुभ माना गया, बांझ कहकर अपमानित किया गया। दहेज के लिए महिलाओं को जिंदा जला देना, आम घटनाएं हो रही हैं।

सभापति जी, भाई मधुसूदन मिस्त्री जी फिर नाराज होंगे और कहेंगे कि मैं केवल दिल्ली की ही बात क्यों कर रही हूं। मैं सांसद बनकर दिल्ली में आई हूं। सवेरे उठकर जब अखबार पढ़ती हूं, तो उसमें दिल्ली की ही खबरें पढ़ती हूं। उस क्षेत्र के अखबार सुबह नहीं मिलते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री मिस्त्री, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्रीमती नीता पटैरिया के भाषण को छोड़कर अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया: जब हम यहां सांसद बनकर आये हैं तो सुबह उठकर दिल्ली का पेपर पढ़ते हैं। हमारे क्षेत्र का मिलता ही नहीं है। लेकिन जब से आये हैं, तब से हम जब सुबह उठकर दिल्ली का पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बलात्कार, अत्याचार, शोषण और हिंसा की खबरें भरी हुई होती हैं तो मन दुखी हो जाता है, पेपर पढ़ने का मन नहीं होता...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री मधुसूदन मिस्त्री, आप एक वरिष्ठ सदस्य है। कृपया बैठ जाइए। आप सीनियर मेम्बर हैं। श्रीमती नीता के भाषण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

मिस्त्री साहब, आप इतने सीनियर मैम्बर होकर क्यों खड़े हो जाते हैं। ठीक है, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

श्रीमती नीता पटैरिया: माननीय सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन कर रही हूं।...*(व्यवधान)* "दुनिया के दस्तूर बदलेंगे, यह हम सभी जानते थे, पर इस तरह कहर बरपा कर बदलेंगे, यह किसी ने नहीं सोचा था।" महिलाओं की छवि खराब करने में मीडिया भी पीछे नहीं है। जैसा साहित्य पढ़ा जायेगा, देखा जायेगा, मस्तिष्क में वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे। आज धारावाहिकों में महिलाओं को कितनी विकृत और अश्लील दिखाया जाता है, उनकी अश्लील छवि पेश की जा रही है, विज्ञापनों में महिलाओं को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। मोबाइल फोनों में अश्लील एस.एम.एस. और एम.एम.एस. भेजना महिलाओं का उत्पीड़न है, उनकी भावनाओं को कष्ट पहुंचाना है। यह भी इस विधेयक के अंदर होना चाहिए, इस पर भी ध्यान दिया जाये और नियम कठोर बनाये जायें। प्रस्तावित विधेयक में यह अच्छी बात है कि प्रस्तावित कानून को भारतीय दण्ड संहिता एवं अपराध प्रक्रिया संहिता के दायरे के बाहर, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। प्रस्तावित कानून में हमें जो एक कमजोर कड़ी लगी, वह है कि संरक्षण अधिकारी कौन होगा, इसका खुलासा नहीं किया गया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: अब आप खत्म करिये।

श्रीमती नीता पटैरिया: बस दो मिनट और दें। खत्म हो गया है, में अंत में पहुंच गई हूं। संरक्षण अधिकारी ईमानदारी एवं प्रभावी ढंग से न्याय दिलाये, ऐसा प्रयास किया जाये और इस ओर ध्यान दिया जाये कि कहीं इस कानून का दुरूपयोग न हो, संरक्षण अधिकारी पंचिन साथी भी शायद हो सकती है, जैसा कि इसमें है, लेकिन भंवरी देवी का क्या हश्र हुआ था, यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इस विधेयक में ऐसा प्रावधान है कि प्रताड़ित महिला अपने पति या नातेदार के खिलाफ मामला दायर कर सकती है, लेकिन परिवार की किसी दूसरी महिला को प्रताड़ित महिला के खिलाफ मामला दायर करने की इजाजत नहीं दी गई है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि दूसरी महिला के प्रति अन्याय न हो, ऐसे नियम बनाये जायें ताकि उसकी भी अनदेखी न हो कि वह बात कहने से वंचित हो जाये और अपनी बात न रख सके, अपना पक्ष न रख सके। एक और प्रावधान है कि झगड़ा करने के बाद एक ही परिवार में रहने, एक ही घर में रहने की इसमें सुविधा दी गई है। जिनका छोटा घर होगा, अगर एक कमरे का घर होगा तो उसमें झगड़ा करने के बाद रहना कैसे सम्भव हो पाएगा? यह एक अस्वाभाविक बात हो जायेगी।

अंत में मुझे यहीं कहना है कि देश पर चूंकि आक्रमण हुए और दुश्मनों ने महिलाओं पर अत्याचार किया, उनका अपमान हुआ है, यहां तक स्थिति थी कि हमारे देश की महिलाओं को जौहर जैसे कदम उठाने पड़ते थे। धीरे-धीरे महिलाएं घर तक सीमित हो गईं। सामाजिक कार्यों में उनकी भूमिका कम होती गई। आज वे चारों तरफ कदम बढ़ा रही हैं, वे सशक्त हों, सुशिक्षित हों, सुरक्षित रहें, ऐसे नियम बनें और उनका कठोरता से क्रियान्वयन हो, जिससे महिलाएं सुरक्षित रहें। कानून ऐसे बनें, जो परिवार को जोड़ें, तोड़ें नहीं, क्योंकि समाज महिला और पुरुष दोनों से मिलकर बना है, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के बिना चलना कठिन है, वे एक दूसरे के पूरक हैं और गृहस्थ के दो पहिये हैं, इसलिए कानून अच्छे बनें।

अन्त में मुझे यही कहना है कि:

'नारी दुर्गा, नारी लक्ष्मी, नारी से जहान है,
नारी की गरिमा से, सारा हिन्दुस्तान है।

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा): माननीय सभापति महोदय, एक शिक्षित महिला के रूप में मेरे लिए यह बहुत ही

[श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश]

गर्व की बात है कि मैं यहां एक संसद सदस्य के रूप में कनकपुरा के 27 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रही हूं जिनमें से अधिकतर लोग निरक्षर, कृषक तथा गंदी बस्ती के रहने वाले हैं। वे बहुत ही कम पढ़े-लिखे लोग है; फिर भी वे सामाजिक और राजनीतिक रूप से इतने जागरूक हैं कि उन्होंने इस सर्वोच्च संस्था के लिए एक पत्रकार को निर्वाचित किया। मैं आज उनका स्मरण करना चाहती हूं।

विनम्रतापूर्वक मैं अपनी बात उन बहनों से शुरू करना चाहूंगी जिन्हें अपने अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। वे तलाक शुदा, अकेली और दहेज के कारण मार दी गई महिलाएं हैं। इस देश में पिता की अपनी बेटियां छिन गई है और भाइयों से उनकी बहनें। हम इस देश को "भारत माता" के नाम से पुकारते हैं। हम इसे "भारत पिता" के नाम से नहीं पुकारते हैं। हम लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते है, लेकिन जब हम इस देश को संबोधित करते है तो इसे भारत माता कहते है। कोई भी व्यक्ति दु:ख में अम्मा की याद करता है न कि अप्पा को। अत: शक्ति और आशा का परिचायक केवल मां होती है।

मैं आप लोगों को पुराणकाल की याद दिलाना चाहती हूं। जब यह संसार अस्तित्व में आया तो यह सत्य युग और कृत युग कहलाया। उस समय विष्णु, महेश्वर और ब्रह्मा ने नारी शक्ति को जाना। उन्होंने इसका सम्मान किया और मान्यता दी। यही कारण है कि उन्होंने वित्त विभाग मां लक्ष्मी को, शिक्षा विभाग मां सरस्वती को और गृह विभाग मां पार्वती को दिया। आज भी हम भगवान शिव को उमा-महेश्वर कहकर संबोधित करते है। हम लक्ष्मी-विष्णु कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि पौराणिक काल में भी धर्मों में महिलाओं का महत्व होता था लेकिन आज के कलियुग में धर्म के तीन स्तम्भ समाप्त हो गये हैं। आज धर्म एक स्तम्भ पर टिका हुआ है।

मैं संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित करवाने के लिए पहल करने हेतु संयुक्त प्रगतिशील गंठबंधन की अध्यक्ष सोनिया जी को बधाई देती हूं। उनके मार्गदर्शन में इस सरकार ने घरेलू हिंसा विधेयक लाया। इतना ही नहीं, बल्कि महिलाओं के हितार्थ लिंग आधारित बजट भी इस सभा में प्रस्तुत किया गया। यही महिलाओं की शक्ति है। इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी शासिका हुई है। इसी देश में उमा भारती जी और राबड़ी देवी जी भी हैं जो अलग-अलग राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करती है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं यह बताना चाहती हूं कि महिलाएं अपने विश्वास और इच्छा-शक्ति के कारण इस स्तर तक पहुंच पायी हैं। आज निर्वाचित सदस्य के रूप में इस सभा में महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। आगे आइए, आगे आइए बोलकर उत्साहवर्धन करने के लिए मैं अपने वरिष्ठ साथी श्री वरकला राधाकृष्णन की प्रशंसा करती हूं।

मैं कल भी यही रूख देखना चाहूंगी जब सभा में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। मैं चाहती हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए। हम आपको क्षति नहीं पहुंचाएंगे। हम लोग पारंपरिक भारतीय महिलाएं है। पुरुषों का शोषण करना तथा उनका अपमान करना हमारे लिए कोई शान की बात नहीं है। हम भारतीय महिलाएं हैं। मैं अपनी बहनों की ओर से यह कहना चाहती हूं कि कतिपय मूल्यों आचार-विचार परंपरा तथा संस्कृति से मार्ग दर्शित होते है। किसी कवि ने कहा है "नारी जीवन की यही अमर कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी।"

हम यहां रोने के लिए नहीं आए हैं। हम यहां अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने आए हैं। हमें महिला होने का गर्व है। हालांकि श्रीमती राबड़ी देवी भी एक गृहणी है लेकिन आज उनकी शक्ति तो देखिए। आज वह बिहार पर शासन करने में सक्षम है, चाहे खामियां जो भी हो। लोकतंत्र में हमें किसी भी सरकार की आलोचना करने का पूरा अधिकार है चाहे वह आलोचना साकारात्मक हो या नाकारात्मक।

अपराह्न 5.00 बजे

लेकिन यह एक वास्तविकता है कि एक महिला के रूप में वह राज्य पर शासन कर रही है। उदाहरणस्वरूप सुश्री मायावती या देश के किसी अन्य महिला मुख्य मंत्री को ही लीजिए, वे विभिन्न स्थितियों में तुलनात्मक रूप से बहुत ही विश्वास के साथ शासन किए हैं या कर रहे हैं और अच्छा शासन प्रदान करने में सक्षम रहे हैं। मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रही हूं। मैं केवल तुलनात्मक स्थिति बता रही हूं।

महोदय, यदि हम महाभारत काल और रामायण काल की बात करें तो द्रौपदी और सीता नामक चरित्र पाते हैं। सीता भगवान राम की पत्नी थी लेकिन उस पर भी घरेलू हिंसा की गई जबकि भगवान राम स्वयं जानते थे कि सीता निर्दोष है। वह वनवास में अपने पति के साथ थी लेकिन वनवास से लौटने के बाद उसे दो छोटे-छोटे बच्चों लव और कुश के साथ अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया गया। उसे अपनी सतीत्व सिद्ध करने के लिए अग्नि-परीक्षा देनी पड़ी। क्या उस समय यह घरेलू हिंसा का मामला नहीं था? फिर भी, उसने अपने पति के साथ समझौता नहीं किया, अपने आत्म-सम्मान के साथ समझौता नहीं किया और अंत में इस दुनिया को ही छोड़ देने का निर्णय लिया। लेकिन वह लौटकर भगवान राम के पास कभी नहीं आई। मैं भगवान राम का सम्मान करती हूं, सीता के विरुद्ध ऐसे कठोर कदम उठाने के पीछे चाहे उनकी जो भी मजबूरी रही हो, मुझे सीता पर गर्व है। उसने दुनिया के सामने साबित कर दिया कि एक महिला के नाते उसके भी अधिकार है और महिलाओं को अपने मान-सम्मान के साथ कभी भी समझौता नहीं करनी चाहिए।

महाभारत में द्रौपदी भी ऐसा ही दूसरा उदाहरण है। उस पर भी मुझे गर्व है। बहुत पहले से हमारे समाज को पुरुष-प्रधान कहा जाता रहा है। लेकिन मैं कहूंगी कि उस समय यह समाज महिला प्रधान था। सीता के पास अपना पति चुनने का विकल्प था। स्वयंवर का मतलब क्या होता है? राम को स्वयंवर में भाग लेकर और धनुष को तोड़कर यह साबित करना पड़ा था कि वह उसका पति बनने के लायक है। उसे उस अवसर पर साबित करना पड़ा कि वह उससे शादी करने के लिए सबसे अधिक योग्य व्यक्ति है। लेकिन आज योग्य बेटियों के पिता को एक दामाद की खोज में काफी भाग-दौड़ करना पड़ता है। इस कलियुग में यह बहुत ही शर्म की बात है। आज के समय में जब महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में सफलता की बुलंदियो को छू रही है तो क्या आपको नहीं लगता कि आज के भावी पतियों को भी अच्छी पत्नी की जरूरत है? पतियों की यह अपेक्षा होती है कि उनकी भावी पत्नियां शयनकक्ष में विश्व-सुन्दरी, रसोई घर में अच्छी रसोईया और हर क्षेत्र में दक्ष हो। क्या इसी भांति महिलाएं यह अपेक्षा नहीं कर सकती कि उनके पति भी अच्छे और हर क्षेत्र में काबिल हो? करोड़ रुपये मात्र से परिवार में खुशहाली नहीं आती है। जब किसी परिवार में किसी प्रकार की क्षति होती है तो उस पीड़ा को महिलाएं ही साथ मिलकर बांटती है। कोई भी पत्नी विपत्ति में अपने पति का साथ नहीं छोड़ती है।

किसी दम्पत्ति को संतान न होने की स्थिति में, यदि पति एक प्रोफेसर या वैज्ञानिक या संसद-सदस्य हो, तो कितने पति अपनी-अपनी पत्नियों के प्रति वफादार रहेंगे। मैं यह प्रश्न आज पूछना चाहती हूं। दम्पत्ति को संतान नहीं होने की स्थिति में कितने पति चिकित्सा जांच करवाएंगे? हमारी बहनों को यह सब झेलना पड़ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति इस पीड़ा को समझ सकते हैं।

महोदय, किसी भी परिवार में सबसे अधिक खुशी का माहौल विवाह के समय होता है। सभी लोग खुश होते हैं। इस अवसर को स्मरणीय और सुखद बनाने के लिए सभी लोग प्रयास करते है। जब प्यारी बेटी घर छोड़कर ससुराल जाती है, तो मां से ज्यादा बाप रोता है। लेकिन जब वही बेटी छः महीने के बाद ढेर सारी शिकायतों के साथ अपने माइके आती है तो वही बाप बेटी को कहता है कि बेटी, थोड़ा एडजस्ट कर लो, यह खानदान की बात है। लेकिन उस समय उसे यह मालूम नहीं होता कि वह कहां जाए, क्या करे। उस समय उसे न तो अपने पति के पास और न ही अपने पिता के पास वापस लौटने का अधिकार होता है।

मैं श्रीमती कांति सिंह, जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार में मंत्री है, को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देती हूं क्योंकि इससे महिलाओं को दिलासा देने में मदद मिलेगी। जब कोई मां किसी बच्चे को जन्म देती है, तो वह बच्चा अच्छा और निष्कपट होता है। फिर वही बच्चा बाद में अपराधी या आतंकवादी या नक्सलवादी कैसे बन जाता है? क्या पिता के रूप में वे इस दायित्व को भागीदार नहीं बन सकते है। क्या इसके लिए आप केवल मां को दोषी ठहराएंगे? मां के पास शक्ति ही क्या है? मां के पास कुछ भी शक्ति नहीं है। इस देश पर पुरुषों का शासन है। वे नीति-निर्माता हैं। आज के समय में नीति-निर्माण करने वाली संस्थाओं में मेरा प्रतिशत कितना है? आज इस संदर्भ में किसी भी क्षेत्र में हमारी भागीदारी का प्रतिशत कितना है? महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। यही कारण है कि आज की दुनिया में पुरुष अपने दायित्व से मुकर नहीं सकते हैं। आज की दुनिया में उन्हें अपना दायित्व लेना ही होगा।

मैं कतिपय तथ्य बताना चाहती हूं। एन.सी.आर.टी. के 2002 के रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध जितने भी अपराध हुए उसमें 36.1 प्रतिशत अपराध घरेलू हिंसा से संबंधित था। एन.एफ.एच.एस. की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पांच विवाहित महिलाओं में से एक को पंद्रह वर्ष की उम्र से ही घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। हम जानते हैं कि कई ऐसी महिलाएं भी है जो सामाजिक मान्यताओं तथा मजबूरियां के कारण इस प्रकार की हिंसाओं के बारे में रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कराती है। कुछ मामले तो पुलिस या किसी भी व्यक्ति की नजर में नहीं आ पाता है। कई महिलाएं चाहकर भी उस घर को नहीं छोड़ पाती है जहां उसके ऊपर हिंसा की जाती है और इसलिए उसे चुपचाप सहन करना पड़ता है। भारत में महिलाओं को अपने माइके में रहने का कोई अधिकार नहीं होता है।

मेरे अनुसार, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सामान्य अत्याचारों में कन्या भ्रूणहत्या, यानि कि लिंग या बच्चें के लिंग चयन के आधार पर गर्भपात, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या या उत्पीड़न, मानसिक और शारीरिक यातना, देह व्यापार और सार्वजनिक प्रताड़ना शामिल है। बच्चे भी घर में होने वाली घरेलू हिंसा से प्रभावित होते हैं। जब घर में हिंसा होती है तो बच्चों को भी शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है या उन्हें भी चोट लगती है। हिंसात्मक कार्य को आंखों से देखना बच्चों के दिमाग पर खतरनाक असर डाल सकता है। इस समय कई मासूम बच्चियां और हमारी बहनें गैलरी में बैठी हुई है। जब घर में पति और पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा होता है तो सामान्यतः बच्चे उन्हें शांत करने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। परन्तु ऐसा करते हुए उन्हें भी शारीरिक चोट पहुंचती है। बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते हैं वे भी हिंसात्मक व्यवहार की नकल करते हैं; उन्हें तनाव संबंधी समस्याएं भी होने लगती है; वे आत्मविश्वास खो देते हैं और जो भी घटनाएं घट रही होती हैं उसके लिए स्वयं को दोष देते हैं; वे स्वयं को कसूरवार मानते हैं; वे बदले की भावना के साथ बड़े होते हैं। ये सारी बातें उसके खतरनाक अपराधी बनने में सहयोग करती है।

[श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश]

इसमें कोई शक नहीं है कि महिलाओं से इन घटनाओं को साबित करने के लिए कहा जाता है। वे इसके लिए सक्षियों की मांग कर रहे हैं। हम उन्हें कहां से ला सकते हैं? यदि कोई पति अपनी पत्नी को यातना दे रहा हो तो क्या हम उस घटना को देखने के लिए किसी व्यक्ति को ला सकते हैं? यह अमानवीय है। इसके लिए कुछ उपाय किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसे साबित नहीं कर सकते हैं। बलात्कार के मामलों में भी ऐसा होता है। अभियुक्त लड़की के साथ बलात्कार करता है। पूछताछ के नाम पर, उस लड़की से पूरी घटना को बताने के लिए कहा जाता है कि कैसे उसे बलात्कार किया। बलात्कारी ने उसके साथ एक बार बलात्कार किया है परन्तु हमारा तंत्र, पूछताछ के नाम पर दस बार बलात्कार करता है। उसे इस पूरी कहानी को बताना होता है। इसे रोका जाना चाहिए। यह केवल शारीरिक यंत्रणा नहीं है बल्कि यह मानसिक यंत्रणा भी है। इसके बाद, हमेशा के लिए वह मानसिक रोगी बन जाती है। इसलिए इस विधेयक में इन बातों का सही तरीके से समाधान ढूंढ़ा जाना चाहिए। अब, हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होनेवाली हिंसक घटनाओं पर गौर करते हैं। शहरों में, एकल परिवारों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने के कारण, फ्लैटों में रहने के लिए बढ़ते दवाब के कारण यदि फ्लैट में कुछ घटता है तो पड़ोसी मदद के लिए आगे नहीं आएंगे। मृत्यु के मामलों में और आपराधिक मामलों में हम प्रतिदिन समाचारपत्रों में देखते हैं कि दो दिनों के बाद पड़ोसियों को पता चलता है कि उस फ्लैट में क्या घटित हुआ है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें हैं और बड़े बुजुर्ग हस्तक्षेप करते हैं। ग्रामीण महिलाएं भी उनका सामना करने में सक्षम होती है हालांकि उनके पास कोई आर्थिक और सामाजिक समर्थन नहीं होता है। यदि हम उन्हें सामाजिक और आर्थिक शक्ति प्रदान करते हैं तो ग्रामीण महिलाएं इन अत्याचारों को साहसपूर्ण तरीके से सामना करने में सक्षम हैं। पढ़ी-लिखी महिलाएं ही इस प्रकार की हिंसा का शिकार होती है क्योंकि वे इसे सम्मान और अपने परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न मानती है। यदि वे पुलिस थाने जाती है और यदि उनके पतियों को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें यह लड़ाई अंत तक लड़नी पड़ती है। इसलिए उन्हें इन मामलों में लड़ने के लिए अत्यधिक नैतिक समर्थन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह मुद्दा आय समूहों से भी जुड़ा है।

अब, मैं एक अध्ययन की बात करती हूं जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार भारतीय महिलाएं हिंसा का शिकार होती हैं। इस अध्ययन में थप्पड़ मारने, लात-घूंसे मारने, और पीटने के मामलों के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि 2002 में, 45 प्रतिशत भारतीय महिलाएं पतियों द्वारा थप्पड़ मारे जाते हैं, धक्का मुक्की या पिटाई का शिकार हुई हैं। भारत में गर्भकाल के दौरान हिंसा की दर अधिकतम है। गर्भकाल के दौरान, वे घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। इस गर्भवती महिलाओं के बाद जिन्होंने इस हिंसा की शिकायत की, इनमें से 50 प्रतिशत की पिटाई की गई। महोदय, 74.8 प्रतिशत महिलाएं जिन्होंने हिंसा की शिकायत की उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। क्या आपको लगता नहीं कि स्थिति बहुत चिंताजनक है? इसलिए शिक्षित महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में सजग है। वे जानती है कि वे इसके बारे में परिचित हैं। परन्तु बात यह है कि वे अब और ज्यादा अपने हिंसक पतियों की आज्ञाओं को आंख मूंदकर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जब वे प्रश्न पूछती हैं तो इससे झगड़े होते हैं। इसके कारण हिंसा होती है। भारत के कई राज्यों में, कामकाजी महिलाओं को अपने वेतन का चेक अपने पतियों को देने के लिए कहा जाता है। उनका उनके अपने पैसे पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। यदि वे ऐसा करना बंद कर देती हैं और अपने अधिकारों पर जोर देना शुरू करती हैं तो यह तय है कि इससे टकराव बढ़ेगा। इसलिए, समाज को उन्हें सामाजिक सुरक्षा अवश्य देनी चाहिए।

जब मैं एथेन्स गई, तो मैंने उन खूबसूरत लड़कियों को देखा जो समाज की खुशी में विश्वास करती हैं, और प्रत्येक खूबसूरत लड़का इन लड़कियों के पीछे भाग रहा था। यानि कि, लड़कियों का महत्व अधिक था। तदनन्तर, मुझे पता चला कि जो सामाजिक सुरक्षा उनके पास थी वह उन्हें उनके अस्तित्व के लिए सरकार द्वारा दी गई है। जब उनके पास यह सामाजिक सुरक्षा है तब वे कोई भी साहसिक निर्णय ले सकती हैं। अन्यथा वे कहा जाएंगी? यह उनके अस्तित्व का प्रश्न है। प्रत्येक राज्य सरकार को या केन्द्र सरकार को महिलाओं को सशक्त करना चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: मेरे एक अन्य सहयोगी मनु की बातों के बारे में कह रहे थे। वे प्रारंभ से ही कुछ प्रकार की मनोवैज्ञानिक बातों पर किस प्रकार जोर दे रहे थे। उदाहरण के लिए, हमें माता के समान होना चाहिए; हमें सभी बातों को माफ कर देना चाहिए। वास्तव में, मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहूंगी। परन्तु मनु कहते हैं कि शयनकक्ष में आपको ऐसा होना चाहिए। उन्होंने हमें उन बातों पर विश्वास करने के लिए कहा। यह सही नहीं है। हमारी शिक्षा और प्रगतिशील विचारों को आधुनिक होना चाहिए या उन्हें समाज का सुधार करना चाहिए।

एक अन्य सोच है अपने को सर्वश्रेष्ठ मानना। पुरुष हमेशा यह मानता है कि यदि वह उस पर प्रश्न उठाती है तो वह उससे झगड़ने लगता या उसे नियंत्रित करता है। वे हमेशा सर्वश्रेष्ठता में विश्वास करते हैं। इसलिए, मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी। नई दिल्ली में, एक प्रतिभाशाली डॉक्टर ने अपने पति की बातों को उसके कुछ मित्रों की मौजूदगी में काटने पर पति द्वारा थप्पड़ मारने

के बाद आत्महत्या कर ली। किसी सौंदर्य प्रतियोगता में विजेता रही एक पूर्व सुंदरी ने पुलिस को बताया कि उसे कई दिनों तक अपने पति द्वारा एक कमरे में बंद कर भूखा रखे जाने के बाद उस पर अन्य पुरुषों का मन बहलाने के लिए दवाब डाला गया। मुंबई में, एक महिला द्वारा अपने पति को बच्चों के साथ एक विशेष टी.वी. कार्यक्रम नहीं देखने देने पर बुरी तरह पीटे जाने के बाद उसकी मदद की गुहार पर एक पड़ोसी को आना पड़ा। आप महिलाओं के साथ इस प्रकार की हिंसा कैसे कर सकते हैं? एक उच्च पदस्थ प्रशासक की पत्नी ने बच्चे पैदा नहीं कर पाने के कारण कई वर्षों तक शारीरिक और मानसिक कष्टों को सहने के बाद अंतत: अपना मुंह खोला। इसलिए, मैं इस सभा में अपील करना चाहूंगी कि हमें भारत की महिलाओं को संरक्षण देने के लिए पार्टी की सोच से ऊपर उठना चाहिए। यह विधेयक महिलाओं के लिए सुरक्षा और संरक्षा का उपबंध करता है। यह विधेयक महिलाओं से संबंधित अन्य विधेयकों के अतिरिक्त है मैं समय की कमी के कारण इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

महोदय, यह विधेयक पति पत्नियों अथवा विवाह के स्वरूप के संबंधों में महिलाओं द्वारा हिंसा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अनुमति देगा। माताएं और पुत्रियां भी शिकायत दर्ज करा सकती है आज महिलाएं हंसी की पात्र बन गई हैं। कल मेरे भाई श्री शैलेन्द्र कुमार बोल रहे थे। इन सीरियलों को कौन बना रहा है।

[हिन्दी]

चार-चार पत्नियों होती हैं। महोदय, ऐसा कहां है? क्या हमारे कांस्टीट्यूशन में ऐसा लॉ है? सीरियल देखकर बच्चों के मन में क्या आता होगा? कौन लोग हैं जो महिलाओं को बेचते हैं? महिलाओं का कामर्शियलाइजेशन किसने किया है?

[अनुवाद]

वहां डांस बार है। वे कौन लोग हैं जो डांस बार चलाते हैं? कौन पैसा कमा रहा है। यही कारण है हम इसे वापस नहीं लेने जा रहे हैं। हम सभी घरेलू हिंसा के खिलाफ एक हैं। हम जानते है कि इन मामलों में अपनी बहनों को किस तरह बचाया जाए। यही कारण है मैं कहती हूं कि इस विधेयक का दुरूपयोग नहीं होगा।

मेरे कुछ भाइयों के मन में कुछ आशंकाएं हैं। वे सभी मानव हैं। यह महिलाओं और पुरुषों के बीच की लड़ाई नहीं है यह अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई है। यही कारण है कि मैं कहती हूं कि इन चीजों का ध्यान रखने के लिए कुछ खास कानून हो। जब वे पुत्र वधु की हत्या करते है तो क्या उन पर हत्या का मुकदमा चलाने के अतिरिक्त कोई अन्य कानून है? जब आप किसी के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करते हैं, यदि आप समझते है कि यह कानून का दुरूपयोग है, हम आपसे सहमत नहीं होंगे। यही कारण है कि मैं यह कहता हूं कि इसके बावजूद भी कि पुत्र वधुएं अपने घरों में मारी जा रही है उन्हें मानसिक संताप नहीं दिया जाए भावनात्मक संकट में नहीं डाला जाए। जब पुत्र के संरक्षण की बात आती है कौन सास का दुरूपयोग कर रहा है? पुत्र वधु का दुरूपयोग कौन कर रहा है? यह पुलिस है। पुलिस की ओर से कुछ लापरवाही है यदि आप पुलिस स्टेशन में लोगों को घूस दे तो वे मामला दर्ज करेंगे। यही कारण है कि हमें व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं करें। माता के साथ दुर्व्यवहार नहीं करें।

[हिन्दी]

मां और सास के बीच एक ही समय में महिला मां भी है और सास भी। नैचुरली मां जीतती है और सास हारती है।

[अनुवाद]

महिलाएं इस विश्व में लाचार है यही कारण है कि मैं आपसे इस व्यवस्था को ठीक करने का अनुरोध करता हूं महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक शक्ति से संपन्न कीजिए। तभी, हम समानता स्थापित कर सकते हैं और महिलाओं पर किए जाने वाली हिंसा को रोक सकते हैं। यही कारण कि मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

एक बार फिर मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): उन्होंने अपने नाम तेजस्विनी का औचित्य सिद्ध कर दिया है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती): महोदय, हिन्दुस्तान में जो पुरुष प्रधान संस्कृति है, उसके बारे में हमारी सभी सांसद बहनों ने बड़े जोर से आरोप लगाए हैं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। हमारे देश में जहां एक तरफ कुछ धर्मों और वर्गों में एक साथ चार-चार पत्नियां रखने की संस्कृति है, वहीं दूसरी तरफ यह भी संस्कृति रही है कि पांच पतियों ने एक पत्नी को संभाला। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो महिलाओं पर अत्याचार और अन्याय करते हैं और ऐसे कुछ लोगों की वजह से सारा समाज बदनाम हो जाता है। लेकिन जब हम पिछले कई सालों के आंकड़े देखते हैं तो महिलाओं के प्रति अत्याचार दिनोंदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ पैसों के लिए जब

[श्री अनंत गुढ़े]

किसी महिला के ऊपर अत्याचार होते हैं तो हमारी गर्दन सही मायने में शर्म से झुक जानी चाहिए। जब केवल दहेज के नाम पर किसी महिला को जलाया जाता है तो हमारे समाज को सही मायने में गहरा सदमा पहुंचता है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं। एक समय ऐसा था कि मुम्बई में शाम 6 बजे के बाद महिलाएं बाहर घूम नहीं सकती थीं। मुम्बई की लोकल ट्रेनों में, अन्य कई जगहों पर महिलाओं पर बलात्कार और दूसरे अत्याचार होते थे। एक समय ऐसा आया कि शाम छः बजे के बाद मुम्बई में महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। लेकिन इन महिलाओं को आधार देने के लिए, उन्हें सबला बनाने के लिए उस वक्त शिव सेना प्रमुख बाल ठाकरे जी ने कहा था कि अब वे दिन खत्म हो गए जब महिलाएं अपने पर्स में लिपस्टिक या कंघी रखती थीं, अब वे दिन आ गए हैं कि वे अपने पर्स में पिस्तौल रखें। उस वक्त मुम्बई जैसे शहर में शिव सेना पार्टी ने महिलाओं के साथ पूरा सहयोग करके एक ऐसा माहौल बना दिया कि आज रात 12 बजे भी अगर कोई महिला घर से बाहर निकलती है, तो कुछ नहीं होता है। ऐसी बात वहां देखने में आ रही है।

आज दहेज के नाम पर महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। जब उसके द्वारा इसका विरोध किया जाता है तो उसे घर में जलाने की कोशिश की जाती है। ऐसी कई घटनाएं हमारे सामने अखबारों में खबर के रूप में आती हैं। यह भी देखा जाता है कि महिला पर अत्याचार करने के पीछे महिला का भी हाथ होता है। दहेज के नाम उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है और उसे जलाया जाता है। विभिन्न कोर्ट्स में इस तरह के कई केस हमारे सामने आते हैं, जिसमें पाया जाता है कि महिला को जलाने में या उस पर अत्याचार करने में महिला यानी सास का हाथ है, वह भी साझीदार है। इसलिए इस बिल में इस बात पर ध्यान देना जरूरी है।

हम इन सब चीजों को रोकने के लिए संसद में कानून बनाते हैं और बना भी रहे हैं। देखने में यह भी आता है कि हमारे समाज में एक वर्ग के पुरुष एक पत्नी रख सकते हैं, तो दूसरे चार पत्नियां तक रख सकते हैं। यह भी गलत बात है।...*(व्यवधान)* हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए देश में कई दिनों से मांग हो रही है कि समान आचार संहिता बनाई जाए और उसे लागू किया जाए। जब इस देश में सभी नागरिक समान हैं, सबके लिए एक कानून है, तो फिर कोई किसी भी धर्म या समाज में रहने वाला हो, उसे एक पत्नी रखने का ही अधिकार होना चाहिए। अगर वह दूसरी पत्नी रखता है, तो उसे जेल भेजना चाहिए। इस तरह का कानून देश में बनाना चाहिए, इसकी कई दिनों से मांग हो रही है।

एक तरफ कहा जाता है कि हम दो-हमारे दो। लेकिन दूसरी तरफ समाज के एक वर्ग में यह देखा गया है कि हम दो-हमारे पांच। इस नीति को बदलने की जरूरत है। आज समाज में यह धारणा बन गई है कि महिलाओं पर अत्याचार करने में पुरुष की ही गलती है। लेकिन आप देखें जब से टीवी पर निजी चैनल्स की शुरूआत हुई है, उनमें दिखाए जाने वाले अधिकतर सीरियल्स में महिलाओं पर अत्याचार होता दिखाया जाता है। सिनेमा और टीवी समाज का वह आइना है कि वह जो दिखाता है, उससे समाज में एक राय बनती है और भविष्य में वैसा काम करने के प्रति लोग प्रेरित होते हैं। इसलिए कई दिनों से यह मांग हो रही है कि महिलाओं के लिए अलग से पुलिस थाने होने चाहिए, पुलिस में उनकी भर्ती होनी चाहिए। लेकिन हम आंकड़े देखें तो पाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं। वहां पर 1,50,000 पुरुष पुलिसकर्मी हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या केवल पांच हजार है। जबकि राज्य सरकार की तरफ से कई बार यह कहा गया है कि हर पुलिस थाने में महिला सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर होनी चाहिए। महिलाओं के लिए अलग से कोर्ट होना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो पा रहा है। अगर हम महिलाओं को इस तरह से संरक्षण नहीं दे पाएंगे, तो फिर यह जो बिल कानून बनेगा, उससे हम कैसे उनकी रक्षा कर पाएंगे। इसलिए सरकार को यह तय करना चाहिए, हर राज्य सरकार को हिदायत दे कि हर जिले में कम से कम दो पुलिस थाने महिलाओं के लिए होने चाहिए, जहां महिलाओं के संबंधित अत्याचारों के मामलों की जांच हो और कार्रवाई हो। हर जिले में एक कोर्ट होना चाहिए, जहां महिलाओं पर होने वाले अत्याचार ही सुने जाएं और वहां पर उनको सुनने के लिए महिला वकील होनी चाहिए तथा सुनवाई बंद कमरे में होनी चाहिए। आज तो कोर्ट में पुरुष होते हैं और उनसे पूछा जाता है कि बलात्कार कैसे हुआ, कहां हुआ, जोकि सुनने में ही अच्छा नहीं लगता है और महिलाओं को बहुत ही शर्मसार होना पड़ता है। जब पुरुष वकील उनसे सवाल करते हैं तो बलात्कारी महिला को बहुत गंभीर मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है, यह भी अत्याचार का ही एक रूप है। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक इस बिल को लाने का कोई फायदा नहीं होगा। बड़ी-बड़ी बातें हम संसद में करके चले जाएंगे और महिलाओं को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। हमारे यहां मराठी में एक कहावत है "महिला ही अल्पकाल की पत्नी, अनंत काल की माता है"। महिला लड़की के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में, नानी के रूप में सुशोभित होती है, इसलिए उसका सम्मान सारे समाज को करना चाहिए और उसको संरक्षण मिलना चाहिए। अगर हम उनके संरक्षण के लिए इस ढंग से काम नहीं करते हैं तब तक उसको संरक्षण नहीं मिल पाएगा।

इस बिल के माध्यम से नागरिकों के ऊपर भी हमें जिम्मेदारी डालनी चाहिए, अन्यथा केवल संसद में चर्चा करके हम उन पर अत्याचारों को बंद नहीं कर सकते हैं।

आजकल टीवी पर जो सीरियल दिखाये जाते हैं उनमें भी महिलाओं पर अत्याचारों को दिखाया जाता है, ये टीवी सीरियल भी बंद होने चाहिए। जब तक इन पर बैन नहीं होगा, तब तक हम महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोक नहीं सकेंगे।

[अनुवाद]

डा. आर. सेनथिल (धर्मपुरी): माननीय सभापति महोदय मैं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक, 2005 पर बोलने के लिए मुझे अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। इस ऐतिहासिक दिन जिसमें एक अत्यंत ही ऐतिहासिक विधेयक पर चर्चा की जा रही है, यहां उपस्थित रहने पर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। विभिन्न माननीय महिला सदस्यों ने देश में महिलाओं की स्थिति और उनके द्वारा सामना की जा रही हिंसा के विभिन्न रूपों के बारे में काफी कहा है इसलिए, मैं अपने आपको सिर्फ विधेयक तक सीमित रखता हूं और उस पर कुछ सुझाव देता हूं। आज का दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह विधेयक देश में काफी समय के बाद आये विभिन्न महिलाओं के सतत प्रयासों के बाद पुर: स्थापित हुआ है। मैं महिलाओं के अधिकारों के लिए ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन और लॉयर्स क्लेक्टिव फॉर वुमेन्स राइट को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस पर काफी वर्षों से काफी कार्य किया है और वास्तव में एक मॉडल विधान तैयार किया था जो इसका पूर्वगामी था।

8 मार्च 2002 के राजग शासन के दौरान इसी तरह का एक विधेयक पुर:स्थापित किया गया था। दुर्भाग्यवश यह विधेयक विभिन्न महिला संगठनों द्वारा अंतत: नामंजूर कर दिया गया क्योंकि इसमें सभी अपेक्षित घटक नहीं थे। द लॉयर्स कलेक्टिव ने कहा कि इसमें काफी संशोधन की आवश्यकता है एक समूह ने कहा कि जो विधेयक मार्च 2002 में पुर:स्थापित किया गया था वह त्रुटिपूर्ण था इसका उद्देश्य भ्रामक था और इसका विषय सारगर्भित नहीं था इसलिए यह विधेयक लाया गया। यह विधेयक में जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया है हिंसा को पूरी तरह परिभाषित किया गया है। इसमें सभी प्रकार की हिंसा की बात है जिसमें शारीरिक हिंसा, यौन उत्पीड़न मौखिक और भावनात्मक उत्पीड़न और आर्थिक उत्पीड़न सभी एक ही जगह है। किन्तु एक चीज का उन्होंने उल्लेख नहीं किया है और मैं इसका अभी उल्लेख करना चाहता हूं। महिला को गर्भपात कराने के लिए बाध्य करना—चयनात्मक गर्भपात-उसे भी हिंसा मानना होगा। इसका कारण मैं यह बताता हूं क्योंकि यह इन शब्दावलियों में नहीं आता है इसलिए मेरा मानना है कि हमें इसमें एक खंड जोड़कर महिला को गर्भपात विशेषकर चयनात्मक गर्भपात कराने के लिए बाध्य करना जोड़ा जाए पुन: महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध बंध्याकरण ऑपरेशन के लिए बाध्य करना-यह अत्यंत ही विशेष स्थिति में होता है-

ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए मेरे यहां यह एक पिछड़ा स्थान है-पति अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात पुनर्विवाह करता है मान लीजिए, उसकी पहली पत्नी से उसे कुछ बच्चे है, वह अपनी दूसरी पत्नी को उससे बच्चा होने से पहले ही उसे बंध्याकरण ऑपरेशन कराने के लिए बाध्य कर रहा है। यह अत्यंत ही विचित्र स्थिति है मैं समझता हूं कि इस विधेयक में महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध शल्य क्रिया कराने अथवा गर्भ निरोधक उपाय करने के लिए बाध्य करना भी शामिल किया जाए। यह विधेयक सभी के द्वारा शाश्वत रूप से स्वीकार किया गया है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन के निदेशक ने प्रमाणित किया है कि इस विधेयक में वुमेन्स मूवमेंट की सभी सिफारिशों पर विचार किया गया है मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह को बधाई देता हूं जिन्होंने सभी महिला संगठनों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया और सभी सिफारिशों को स्वीकार किया है।

महोदय, यह विधेयक महिलाओं को हिंसा मुक्त जीवन को मान्यता देता है और विवाहोपरान्त घर अथवा साझे घर में रहने का अधिकार प्रदान करता है। एक माननीय सदस्य ने पूछा कि किस तरह से एक महिला उस घर में रह सकती है जहां वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ झगड़ा कर चुकी है जब कि घर छोटा है। किंतु उस स्थिति की कल्पना कीजिए जिसमें उसे साझे घर में रहने का अधिकार नहीं दिया गया। वह कहा रहेगी? वह सड़क पर होगी। इसलिए मैं समझता हूं यह विधेयक संरक्षण का उपबंध करता है और साथ ही मौद्रिक राहत का उपबंध करता है हमें इन उपबंधों का स्वागत करना चाहिए।

पुन:, विधेयक में बताया गया है कि सभी संरक्षण अधिकारी महिलाएं होंगी, मैं समझता हूं कि यह भी अत्यंत ही स्वागत योग्य कदम है क्योंकि वे महिलाएं होंगी। केवल तभी वे महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवदेनशील होंगी, विधेयक का खंड 10(1) कहता है कि सेवा प्रदाता को सोसाइटीज अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संगम होना चाहिए। हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसे स्वैच्छिक संगम होना आवश्यक नहीं है, किंतु यह कोई भी संगम हो सकता हो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह महिला स्वसहायता समूह भी हो सकता है क्योंकि हमारे देश में दूर दराज में भी गांव हैं जहां इस प्रकार के पंजीकृत स्वैच्छिक संगम नहीं है किंतु महिला स्व सहायता समूह दूर दराज के गांवों में भी है। महिला स्वसहायता समूह हमारे देश में ग्रामीण विकास में क्रांति लाए हैं और मेरा मानना है कि उन्हें इसमें भूमिका दी जानी चाहिए।

अपराह्न 5.31 बजे

[श्री अजय माकन *पीठासीन* हुए]

महोदय, घरेलू परिस्थितियों में महिलाओं को शिक्षित करना रोजगार देना और अधिकार संपन्न बनाना उन्हें घरेलू परिस्थितियों

[डा. आर. सेनथिल]

में यौन अथवा किसी भी प्रकार के हिंसा से बचाने का उपाय नहीं है। जैसा कि हमने देखा है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, विशेषकर घरेलू हिंसा शिक्षा, रोजगार और अधिकार होने के बावजूद भी विकसित देशों में विद्यमान है। किंतु शिक्षा, रोजगार और अधिकार महिलाओं को कम से कम हिंसा का सामना करने, सहायता प्राप्त करने और यह जानने में कि वे विवाह विच्छेद होने पर भी वास्तव में अपने पांव पर खड़ी हो सकती हैं की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए, मैं समझता हूं कि हमें पूरी तरह से महिलाओं को अधिकार प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रीत करना चाहिए। इस संबंध में मैं संप्रग सरकार को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि वे अब हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक लेकर आ रही है। यह क्रांतिकारी विधान है जो महिलाओं की अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। वह संसद और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण देने का प्रयास भी कर रही है। ये उपाय हैं जिनसे हम अपनी महिलाओं को अधिकार प्रदान कर सकते हैं ताकि वे घरेलू परिस्थितियों में हिंसा का सामना कर सकें।

अनेक सदस्यों ने उल्लेख किया है कि महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा उत्तर केवल कानून नहीं है। यह सच है। उदाहरण के लिए यदि घरेलू हिंसा है तो हम पति को दंड दे सकते हैं, महिला को पृथक कर सकते हैं और उसे मौद्रिक राहत दे सकते हैं। किंतु उसके बाद क्या होता है? क्या उन्हें वापस नहीं लौटना चाहिए और परिवार पुन: शुरू नहीं करना चाहिए? क्या उन्हें वापस नहीं जाना चाहिए और अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए ताकि वे एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें? यह किसे करना चाहिए यह कैसे किया जा सकता है? यह वह स्थिति है जिसमें समाज को भूमिका निभानी चाहिए धर्म को भूमिका निभानी चाहिए और हमें इस मुद्दे पर अत्यंत ही संवेदनशील होना चाहिए।

अंतत: मैं सिर्फ यह सचेत करना चाहता हूं कि किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा सामान्य विधि व्यवस्था की समस्या नहीं हो यह विधि व्यवस्था की प्रश्न बिल्कुल नहीं है हमें ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तथाकथित संरक्षक जिनका कानून में उल्लेख है और सेवा प्रदाताओं को इस मुद्दे में अत्यंत ही संवेदनशील होना चाहिए उन्हें इस समस्या के प्रति यांत्रिक दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए और उन्हें यह जानना चाहिए कि झगड़े के बाद महिला को वापस जाना है तथा पुन: परिवार को शुरू करना है। अत: उन्हें परामर्श देने के लिए प्रावधान किया गया है। परामर्शदाताओं को, व्यापक रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार स्वास्थ्य देख-रेख सेवा प्रदाताओं, डाक्टरों और अन्य चिकित्सीय कर्मचारियों को उन महिलाओं को परामर्श देने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है। हमें घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की पहचान करने के लिए स्वास्थ्य देख-रेख सेवा प्रदाताओं को निश्चित रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए क्योंकि अक्सर इसमें चूक होती है। वास्तव में गर्भपात कराने वाली कोई महिला दुर्व्यवहार का शिकार होती है और डाक्टरों को अत्यधिक संवदेनशील होना चाहिए और वे घरेलू हिंसा पहचान करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और पट्टली मक्कल काची की ओर से विधेयक का स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय: श्री एम.पी.वीरेन्द्र कुमार।

उनके द्वारा अपना भाषण शुरू करने से पूर्व मैं एक घोषणा करना चाहूंगा। सभी दलों को आबंटित समय समाप्त हो चुका है। अब केवल दो महिला संसद सदस्या बची हैं जो इस वाद-विवाद में भाग लेना चाहती है। इनके नाम श्रीमती जयाबेन ठक्कर और श्रीमती सतीदेवी है। अत: श्री वीरेन्द्र कुमार का भाषण समाप्त होने के पश्चात मैं केवल इन्हीं दो महिला संसद सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे आपातकाल के दौरान सुश्री स्नेहलता रेड्डी द्वारा लिखी गई एक साहित्यिक कृति का स्मरण होता है। उन्होंने सीता के बारे में लिखा है। जब हम परंपरा की बात करते हैं तो मैं यह याद करता हूं कि उन्होंने सीता के बारे में क्या लिखा है। सीता ने रावण के महल में श्रीराम की प्रतीक्षा की लेकिन राम द्वारा रावण के वध के पश्चात गुरू वशिष्ठ ने सीता को अग्नि परीक्षा देने हेतु कहा। गुरू वशिष्ठ ने राम को अग्नि परीक्षा देने हेतु कभी भी नहीं कहा। अत: हम महिलाओं का हमेशा आदर करते हैं लेकिन हमने हमेशा ही महिलाओं का दमन किया है। पारंपरिक रूप से महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा सदियों से चली आ रही है। जब पांडवों ने द्युत क्रीड़ा में पंचाली को दांव पर लगाया तो यह घरेलू हिंसा थी। जब कुंती ने पंचाली को सभी पांच बेटों के बीच उपहार की भागीदारी के रूप में रहने को कहा तो यह घरेलू हिंसा थी। अत: यह हमेशा रही है। राजस्थान अथवा देश में अन्यत्र सती का उदाहरण लिया जा सकता है। पति की चिता पर साथ जलने वाली पत्नी को देवी माना जाता है। पति भी इसी प्रकार चिता पर जलकर देवता क्यों नहीं बन जाते हैं। अत: जब कभी भी नये मामले आते हैं हमारी यह परंपरा रही है कि हम महिलाओं का आदर करने के बावजूद इनका दमन किया जाता हैं।

यह भी सच है कि सभी जातियों की महिलओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा होती है। यह सीमाओं से परे है। महिलाओं का हमेशा ही दमन किया जाता है। यह सोच है। यह माना जाता है कि यदि महिलाओं का पुरुषों द्वारा दमन किया जाता है तभी वे गुणवान

होती हैं। यदि कोई महिला अपने पति को इतना ही कहे कि मैं काम पर जाना चाहती हूं, तुम रसोई में मेरा हाथ क्यों नहीं बंटाते तो यह माना जाता है कि वह अपने पति से प्रश्न कर रही है। अत: यह हमेशा ही एकतरफा रहा है। यह भारत की मानसिक अवस्थिति है। महिलाओं का हमेशा ही दमन किया जाता है और वे हिंसा का शिकार होती हैं। मैं आंकड़े नहीं देना चाहता हूं। कई सदस्यों ने यहां इसका उल्लेख किया है। घरों में जिस प्रकार महिलाओं को कई प्रकार की यातनाएं-मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक दी जाती है, जिसका विधेयक में उल्लेख किया गया है। वह समझ से बाहर की बात है। कभी अपवाद हो सकता है लेकिन यह एक अलग प्रश्न है। इस सोच में महिलाएं भी शामिल है। सास का अपनी बहुओं के प्रति व्यवहार क्रूरतापूर्ण होता है। वे महसूस करती है कि उनकी बहुएं दहेज लाएं। दहेज के कारण होने वाली मौत के लिए केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी जिम्मेदार हैं। अत: इस सोच को बदलना होगा।

जब कभी हम महिला मुक्ति की बात करते हैं तो महिलाओं को यह केवल शब्दों से प्राप्त नहीं होगा इसमें कुछ यथार्थ भी होना चाहिए। इन सभी ठोस मुद्दों को निश्चित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। हम केवल आसानी से यह नहीं कह सकते हैं कि महिलाओं को मुक्त किया जाना है। उन्हें कभी मुक्त किया जा सकता है जब उन्हें संपत्ति में समान अधिकार दिया उन्हें लैंगिक आधार पर भेदभाव से संरक्षित किया जाए। उन्हें पुरुषों की तरह समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इसके पश्चात ही समाज यह सोच सकता है कि पुरुष और महिला एक ही प्रकार के दो चक्के हैं। किसी समाज में एक बड़ा और एक छोटा चक्का कभी कार्य नहीं कर सकता है और यह चल नहीं सकता है। यह हमारे देश का इतिहास है। अत: घरेलू हिंसा के विरुद्ध एक कानून होना चाहिए और माननीय मंत्री महोदय को इस विधेयक को बनाने के लिए मैं बधाई देता हूं।

यह सच है कि इसका कुछ क्षेत्रों में दुरूपयोग हो सकता है। यह इसके उलट भी हो सकता है। कभी-कभी संरक्षण अधिकारी भी लैंगिक आधार पर पूर्वाग्रह ग्रसित हो सकते हैं। यह भी हो सकता है। अत: हमें यह भी देखना होगा कि केवल कानून बनाने से ही महिलाओं की मुक्ति नहीं होगी अथवा उनके विरुद्ध हिंसा नहीं रोकी जा सकेगी बल्कि हमें इसके लिए अभियान भी चलाना होगा। यह सामाजिक अभियान का हिस्सा होगा। राजनीतिक दलों को यह कार्य करना चाहिए। हम लोगों में से कईयों ने कुछ जातियों के विरुद्ध बातें कहीं है। लेकिन जब हमारे घर का मामला आता है हम हमेशा जातिगत आधार पर पूर्वाग्रह से कार्य करते है। हम यह कहते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति की पुत्री अंतरजातीय विवाह कर सकती है लेकिन अपनी पुत्री के मामले में मैं उसका विवाह अपनी जाति से अलग किसी व्यक्ति के साथ कभी नहीं होने दूंगा। सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। जातिगत आधार पर महिलाओं की मुक्ति हिंसा से मुक्ति करने की बात करने वाले सभी व्यक्तियों को अपने आप को बदलना होगा। केवल इसी सोच से यह हिंसा रोकी जा सकती है।

मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं ''द यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क फार माडल लेजिस्लेशन आन डोमेस्टिक वायलेंस'' की पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा।

महोदय ''द यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क फार माडल लेजिस्लेशन आन डोमेस्टिक वायलेंस'' में कहा गया है:

> ''परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा परिवार की किसी महिला के विरुद्ध लिंग आधारित किसी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार जैसे सामान्य दुर्व्यवहार से लेकर अत्यधिक शारीरिक मारपीट, अपहरण, धमकी, प्रताड़ना किसी कार्य के लिए बाध्य करना, पीछा करना, अपमानजनक शब्द कहना, बलपूर्व अथवा अवैध प्रवेश, आगजनी, संपत्ति की क्षति, यौन हिंसा वैवाहिक संबंध में बलात्कार, दहेज अथवा इससे संबंधित हिंसा, महिलाओं के यौन अंगों को विद्रुप करना वेश्यावृत्ति के माध्यम से शोषण संबंधित हिंसा, घरेलू नौकरों के विरुद्ध हिंसा तक के कार्य अथवा ऐसे कार्य को करने के प्रयास को ''घरेलू हिंसा'' कहा जायेगा।''

अत: इन सभी बातों को कानून के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जा सकता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। महिलाओं के विरुद्ध कई प्रकार का अपमानजनक कार्य होता है। जब हम ऐतिहासिक तथ्यों और विद्यमान तथ्यों पर ध्यान देते हैं तो मैं समझता हूं कि इस कानून से कुछ न्याय मिलेगा।

मैं माननीय मंत्री महोदय और सरकार को इस विधेयक को लाने हेतु धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वड़ोदरा): सभापति महोदय, उन गूंगी यातनाओं को जो कभी आवाज नहीं कर पाती थी और आवाज करे भी तो उसे आधार नहीं मिल पा रहा था, ऐसी यातनाओं को आवाज और आधार देने वाला यह बिल लाया गया है जिसके अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को प्रोटेक्शन मिलने जा रहा है। मैं माननीय मंत्री श्रीमती कांति सिंह का धन्यवाद करती हूं। वर्ष 2002 में राज्य सभा में यह बिल लाया गया था और लोक सभा के पटल पर रखा गया जिसे आज हम आयाम

[श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर]

देने जा रहे हैं। वैसे तो हमारे समाज का ऐसा निर्माण होना चाहिए जिससे इस जैसे बिल को लाने की जरूरत ही न पड़े। जब हम अस्वस्थ समाज, अस्वस्थ मानसिकतायें और कुछ नीति और नियमों से परे हटकर चलने वाले लोगों का सामना उसी समाज के एक भाग को करना पड़े तो उस भाग के प्रोटैक्शन की चिंता करनी पड़ी। जब कभी ऐसा समय आता है तो हमें सोचना पड़ता है।

सभापति महोदय, आज नारी का गहना उसका शील और चरित्र है। उसे किसी सोना, चांदी, हीरे-मोती और जवाहरात की जरूरत नहीं है। चूंकि शील उसका गहना है, इसलिये उसे सुशील कहा जाता है। वह धीर-गंभीर भी है वह आपके प्रति, अपने दायित्व के प्रति इतनी सजग है कि उसे सामर्थ्यवान कहा जाता है। वह सब के साथ चलने वाली समेता नारी है। लेकिन जब कभी उसकी रक्षा करने वाला ही भक्षक बन जाये या घर में उसका भाई, पिता या संबंधी या कोई ऐसा व्यक्ति नारी में उसके अन्य स्वरूपों को न देखते हुये नारी केवल उसे उपभोग की वस्तु दिखाई दे, तब ये यातनायें शुरू होती हैं।

सभापति महोदय, मैं एक दृष्टांत का जिक्र करना चाहूंगी। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक शिविर में गई वहां एक किशोरी मुझे मिली। उसने प्रणाम किया और जब उसका हाथ मेरे हाथ में आया तो उसे अंग को छूते ही ऐसा लगा कि अंगार छू लिया। मुझे पूछना पड़ा कि क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या डाक्टर को दिखाया। उसने कहा, 'नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी तबीयत ठीक है लेकिन मेरी प्रकृति ऐसी है, इसलिये मुझे जरूरत नहीं है। यह शरीर की बात नहीं है, मन की बात है। समय मिलने पर आपसे बात करना चाहूंगी।' उसने जो बात बताई, वह बात ऐसी थी कि उससे ऐसा लगा कि और कोई नहीं, उसका भाई उसे लगातार परेशान करता जा रहा था। मैंने पूछा कि बेटी क्या तुमने अपनी मां को यह बात बताई या नहीं। उसने कहा नहीं बताई और बोली कि मेरी मां सर्विस करती हैं और हर सैटरडे और सन्डे को आती है। हमारा एक ही भाई है, उसे वह कुलदीपक मानती है। वह कुछ भी उद्दंडता करे, उल्टी-सीधी या ऐसी-वैसी बात करे, मुझे मालूम है फिर भी उसी की मानी जायेगी, मेरी नहीं मानी जायेगी। डिस्क्रिमिनेशन की हमारे समाज की यह एक दर्दनाक सच्चाई है। मैंने उससे पूछा कि तुम इलाज क्यों नहीं करवाती तो बोली कि इस चिंता और यातना का मेरा शरीर आदी हो गया है। उसे 15-15 दिन तक कॉन्सटिपेशन रहता था। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि महिलाओं पर जो यातनाएं होती हैं, उनका उसके स्वास्थ्य पर क्या असर होता है, यह उसका एक उदाहरण है।

सभापति महोदय, मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहती हूं। अभी हमारे कुलीग ने कहा कि यहां बैठे किसी भी आदमी ने अपनी बेटी पर बुरी नजर नहीं डाली होगी या ऐसा कोई घिनौना काम नहीं किया होगा। मैं इस बात की सराहना करती हूं, ऐसा ही होना चाहिए। मात्र यहां बैठे हुए भाई ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में कहीं भी ऐसी कोई वारदात न हो, ऐसा हम सभी चाहते हैं।

एक दृश्य मैं सदन के समक्ष रखना चाहती हूं। एक गूंगी-बहरी लड़की में जब उसकी मां ने प्राकृतिक बदलाव देखा तो उसकी मां ने उसे झिंझोड़ कर पूछा कि क्या हुआ है? उसकी बेटी रो पड़ी, चूंकि वह गूंगी-बहरी थी, कुछ बोल नहीं सकती थी। मां ने सोचा कि ऐसा कौन हो सकता है, इसी घर में कुछ हुआ है या आजू-बाजू में कुछ हुआ है। उसने अपनी बेटी को पीटना शुरू किया और पूछा कि क्या बात है, मुझे बता, तो उसने अपनी मां की कलाई पकड़ ली और उसकी चूड़ियों और बिंदियां की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही है। उसकी मां एकदम सहम गई, उसके बाद उसे गुस्सा आया और उसने फिर अपनी बेटी को गले लगाया और पूरी बात को समझने का प्रयत्न किया। उसके बाद उसने उसे रक्षण भी दिया। इस सारी बात को उसकी मां ने समझ लिया और फिर वह अपने पति से अलग भी हो गई, वह एक अलग बात है। लेकिन अगर उसकी मां ने यह नहीं समझा होता तो क्या होता, वह लड़की कहां जाती। इस तरह की परिस्थितियों के लिए हम इस एक्ट में बहुत सारी सुविधाएं महिलाओं को मुहैया करा रहे हैं, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करती हूं और स्वागत भी करती हूं।

सभापति महोदय: मैडम, अब आप कंक्लूड कीजिए, आपको चार-पांच मिनट से अधिक हो गये हैं।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: अभी शैलेन्द्र भाई कह रहे थे कि नारी को हमें अच्छी तरह से शिक्षित करना चाहिए, जिससे कि ऐसी वारदातें न हों। मैं इस बात को मानती हूं कि अगर ऐसी बात होती है तो चिंता की कोई बात नहीं होती। लेकिन यह नहीं होता है, तभी हमें तकलीफ होती है।

मैं तीसरा उदाहरण देना चाहती हूं। एक बार काम करने वाली झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाली एक महिला मेरे पास आई और बोली मैडम, जल्दी से पुलिस को फोन लगाओ। मैं ने कहा क्या बात है? बोली आप जल्दी बात करो, पुलिस ने मेरे पति को पकड़ लिया है। मैंने पूछा पुलिस ने उसे क्यों पकड़ा है? तब उसने बताया कि वह दारू पीकर घूम रहा था। मैंने कहा कि अच्छी बात है, रोज वह तेरे को दारू पीकर मारता है, आज उसे मार पड़ेगी तो उसे पता लगेगा, आज उसे मार खाने दो। उसने कहा नहीं, यदि उसे मार पड़ेगी तो वह सह नहीं पायेगा, मैं मार खाने की आदी बन गई हूं। लेकिन वह बिल्कुल भी नही सह पायेगा। यह भावना उसके मन में थी। इसके बाद वह बोली कि यदि उसे आपने नहीं छुड़ाया तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। नारी के मन में दया, प्रेम भावना

और सहनशीलता कितनी होती है, इससे पता लगता है। उसके लिए उसे समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां जरूरत पड़े, जहां उसे प्रोटैक्शन देनी पड़े, वहां ऐसे कड़े कानून बनाये जाएं, जिनसे उसे आधार मिले। आज हमें यह सब महिलाओं के लिए करने की जरूरत है।

सभापति जी, मैं दो-तीन बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। इसमें बताई गई बातों में एक प्रोजैक्ट ऑफिसर और उसके साथ सर्विस प्रोवाइडर। इन बातों का मैं तहेदिल से स्वागत करती हूं क्योंकि सिर्फ पुलिस के हाथ में कानून देने से पुलिस सिर्फ पुरुष की बात सुननी थी और उसके बाद महिलाओं को ऐसे लटकाया जाता था जैसे कोई सुनवाई ही नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि किसी कपल ने लव मैरिज की और तीन बच्चे होने के बाद पुरुष को लगा कि इस लव मैरिज में तो न दहेज मिला, न ससुराल ने कुछ चीजें मिली। वह पुरुष सोचता है कि स्त्री को किसी तरह से भगाओं। वह उसका राशन-पानी सब कुछ बंद कर देता है, बच्चों की परवरिश करना बंद कर देता है। वे महिलाएं कहां जाएंगी? शैल्टर होम्स में भी उसको सारे हक अच्छी तरह से मिलने चाहिए। इसलिए उसकी रक्षा का आधार बनने वाली जो बात इस बिल में है, मैं उसका तहेदिल से स्वागत करती हूं।

सभापति महोदय, सुमित्रा जी ने एक अच्छी बात बताई थी कि मां क्या करती है यह लिखने को कहा तो लड़की लिखती है कि सुबह से सारे काम मां ही करती है-मां कपड़े धोती है, बरतन मांजती है, खाना बनाती है, शाम की सारी व्यवस्था करती है। शाम को भाई आया तो कहा कि मां के आगे खाली लिख दे कि मां कुछ नहीं करती। जो सुबह से काम करती है उसके एक-एक काम का मूल्यांकन किया जाए तो मैं कहूंगी कि उसके बिना घर नहीं चल सकता। यदि एक हफ्ते के लिए महिला घर पर नहीं है तो सारी चीजों के लिए बाहर जाना पड़ता है। सुबह का चाय-नाश्ता बाहर से खाना पड़ेगा, दस लोग घर पर आएं तो बाहर खाना होगा, कपड़े बाहर से धुलवाने पड़ेंगे। इन सारी चीजों का जो एस्टिमेट आएगा तो मालूम चल जाएगा कि महिला क्या करती है, उसका घर में क्या योगदान है और क्या मूल्य है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि मूल्यवान जीवन, मूल्यवान गृहस्थ जीवन, मूल्यवान दांपत्य, मूल्यवान हमारी संस्कृति और मूल्यवान हमारा समाज और हमारा सदन भी इतना मूल्यवान है कि आज इस बात की चिंता कर रहा है और इसको विधेयक के रूप में यहां प्रस्तुत किया गया है। मैं समझती हूं कि इस पर पूरा सदन एकमत होगा। आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं और इस बिल का समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्रीमती पी. सतीदेवी

...(व्यवधान)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): मैं कुछ कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः नहीं, अब समय समाप्त हो चुका है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदयः अब, वे अंतिम वक्ता हैं। आप अपना भाषण कृपया पांच मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा): मैं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक, 2005 के समर्थन में कुछ शब्द व्यक्त करने का अवसर प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हूं जो माननीय मंत्री श्रीमती कांति सिंह द्वारा पुरःस्थापित किया गया था। यह विधेयक पीड़ित महिला की कानूनी संरक्षण तक पहुंच और उसे घरेलू हिंसा से राहत दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 1980 के दशक में देश में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के नाम पर अनेक विधान पुरस्थापित किए गए।

महोदय, भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन किया गया और इसके लिए 304(ख) और 498(क) नई धाराएं जोड़ी गई। सभी नये कानून 1980 के वर्षों में पुरःस्थापित किए गए थे।

अपराह्न 5.54 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात ऐसे अनेक कानून बनाए गए फिर भी आंकड़े दर्शाते हैं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ रही है। सभी क्षेत्रों चाहे यह घरेलू हो या सामाजिक, महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहा है।

महोदय, यह समय की आवश्यकता है कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने हेतु अधिक संरक्षात्मक कानून का अधिक प्रभावी कानून बनाया जाए। एक व्यक्ति के रूप में उसके सांविधिक अधिकारों की रक्षा की जानी है। एक मानव जाति के रूप में उसके मूलाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।

कुछ नागरिक उपचारों की आवश्यकता थी जो विधेयक यहां पुरःस्थापित किया गया है वह इस कमी को पूरा करने के लिए

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती पी. सतीदेवी]

सिविल उपचार के लिए महिला आंदोलन की बहुप्रतिक्षित मांग को पूरा करता है। इस कानून के अधिनियम और उचित कार्यान्वयन से देश में बढ़ती घरेलू हिंसा को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

इस विधेयक के अंतर्गत महिला को एक महत्वपूर्ण हकदारी निवास स्थान का अधिकार है, उसे उसके पति के घर से बेदखल नहीं करने का अधिकार है। पत्नी को घरेलू हिंसा से संरक्षात्मक आदेश प्राप्त करने का हक भी है। प्रतिवादी को घर में, कार्य स्थान पर प्रवेश करने से रोका जा सकता है या पत्नी से संपेषण कर उसे अपनी पत्नी का उत्पीड़न करने से रोका जा सकता है। वित्तीय सहायता का उपबंध, बच्चों की अस्थायी अभिरक्षा, क्षति या अपहानि की स्थिति में क्षतिपूर्ति आदि इस प्रकार की राहत के हिस्से हैं जिसे महिलाएं कठिनाई में प्राप्त करने की हकदार है। पितृ प्रधान सामाजिक व्यवस्था के घोर अन्याय जिसके कारण महिलाएं घर से बाहर कर दी जाती हैं और उनके पास कोई आश्रय स्थान नहीं रह जाता है या अपने पैतृक घर लौटने को बाधा होती है इन बातों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। न्यायालयों के लिए इन महत्वपूर्ण हकदारी को लागू करना आवश्यक है।

मौजूदा विधेयक में राजग सरकार द्वारा बनाए गए प्रारूप की मूल कमियों को दूर कर दिया गया है। हमारे कुछ मित्रों ने कहा है कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था कि यह विधेयक राजग शासन के दौरान पारित नहीं किया जा सका। यह विधेयक राजग शासन के दौरान पुरःस्थापित किया गया था। आप घरेलू हिंसा की परिभाषा को देखें। यह कहा गया था कि लगातार मानसीय उत्पीड़न को ही घरेलू हिंसा के रूप में माना जा सकता है। पत्नी को महीने में केवल दो या तीन बार पीटना घरेलू हिंसा में नहीं आता है। ऐसा राजग सरकार के समय पुरस्थापित विधेयक में था। यदि विधेयक इस रूप में पारित किया जाता तो उन बहुसंख्यक महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिलता जो वास्तव में घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। मेरा कहना है कि यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि विधेयक उस समय पारित नहीं किया गया और संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों की रक्षा करने के लिए और अधिक प्रभावकारी उपायों का होना भारतीय महिलाओं के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है।

हिंसा को आदतन अपराध के रूप में परिभाषित करने वाले खंड को हटाना महिलाओं की सभी प्रकार के उत्पीड़न से रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परिभाषा के अंतर्गत शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक, लैंगिक और आर्थिक हिंसा, दहेज से जुड़ी विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न और हिंसा की धमकी भी सम्मिलित हैं। हिंसा की धमकी भी हिंसा मानी जाती है और इस प्रकार की परिस्थितियों में संरक्षण की आवश्यकता है। यह विधेयक महिलाओं के लिए व्यापक संरक्षण सुनिश्चित करता है।

व्यथित व्यक्ति जो विधिक संरक्षण का सहारा ले सकता है की परिभाषा इस प्रकार से लागू की गई है कि इसमें पत्नी या कोई भी महिला जिसका प्रतिवादी के साथ घरेलू नातेदारी रही हो, को सम्मिलित किया गया है। माता, बहन, यहां तक कि ऐसी महिला जिसने कानूनी रूप से विवाह न किया हो लेकिन जीवन साथी के रूप में रह रही हो उसे भी 'व्यथित व्यक्ति' के दायरे में लाया गया है।

सायं 6.00 बजे

दुर्भाग्य से इस परिभाषा में बच्चों को सम्मिलित नहीं किया गया है। कुछ मामलों में बच्चे सर्वाधिक प्रभावित और हिंसा के शिकार हो सकते है। इसलिए, इस परिभाषा में बच्चों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण परन्तुक यह है कि इस कानून के अंतर्गत पत्नी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता लेकिन पत्नी प्रतिवादी के महिला संबंधियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकती है यदि वे भी हिंसा में सम्मिलित हों।

सकारात्मक पहलुओं का स्वागत स्वागत करते हुए, मैं पुनः कतिपय उन कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं जो इस कानून को निचले स्तर तक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने में बाधाएं पैदा करेंगी। इस विधेयक के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मध्यस्थ की नियुक्ति से नौकरशाही की तरफ से विलंब होता है और भ्रष्टाचार एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की संभावना बढ़ती है। इससे विधेयक का उद्देश्य नकारात्मक हो जाता है।

इस उद्देश्य हेतु सेवा प्रदाताओं के लिए पंजीकृत संगठनों की सीमा लगाने से पीड़ित व्यक्ति की ओर से वकालत करने वाले अन्य सामाजिक संगठनों या व्यक्तियों या समूहों पर प्रतिबंध लग जाता है। इस उपबंध का दुरूपयोग पुलिस द्वारा भी किया जा सकता है। अतः इन खंडों को इस रूप में संशोधित किया जाना चाहिए कि महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यरत वास्तविक संगठन को पीड़ितों को सेवा प्रदान करने के प्रयोजन से विधेयक के उपबंधों के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सके।

बिना किसी संकोच के मैं यह कह सकती हूं कि अब इस विधेयक का दायरा व्यापक हो गया है। इससे यह विधेयक अपने उद्देश्यों में अधिक विशिष्ट व्यापक दायरे वाला और दण्डात्मक शक्तियों की दृष्टि से कठोर होगा। अतः मैं तहेदिल से इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: इस समय, 6.00 पहले ही बज चुके हैं और मानव संस्थान विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती कांति सिंह को वाद-विवाद का उत्तर देना है। इसके अतिरिक्त मेरे पास एक और कार्य उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायधीश (वेतन और सेवा पूर्ति) संशोधन विधेयक 2005 है। इससे पहले मैं चाहता हूं कि सभा का समय बढ़ाया जाए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक किस बारे में है, पहले हमें यह बात तो मालूम हो, तभी हम उस पर विचार करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): यह निर्णय कार्य मंत्रणा समिति में लिया गया था। हमें इसके विस्तार में नहीं जाना चाहिए।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि दूसरे विधेयक को भी राज्य सभा में जाना है। यदि हम इसे आज पारित न करें तो यह पारित नहीं हो पाएगा। अतः मेरा अनुरोध है कि यदि आप सभा का समय एक घंटे बढ़ाएं तो एक घंटे के अंदर हम दोनों विधेयकों को पारित कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: सदन की सहमति से सदन की अवधि एक घंटे के लिए बढ़ाई जाती है।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा बिल भी पास हो जाए, यह ठीक है, लेकिन शून्य-काल भी बहुत जरूरी है।...*(व्यवधान)*

श्री गुलाम नबी आजाद: उसके बाद शून्य-काल भी होगा।

श्री रामजीलाल सुमन: सर, उसके बाद नहीं, उससे पहले शून्य-काल लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन जी, आप चिंता न करें। शून्य-काल जरूर होगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह सुनिश्चित करें कि 'शून्य काल' होगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं राज्य मंत्री श्रीमती कांति सिंह से अनुरोध करता हूं कि वे वाद-विवाद का उत्तर दें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अभी मंत्री महोदया ने बोलना भी शुरू नहीं किया और आप लोगों ने अपनी-अपनी बातें कहनी शुरू कर दीं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया, शांति बनाए रखिए। अब वह उत्तर देना शुरू करेंगी। कृपया, बैठ जाइए।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण, विधेयक, 2005 पर हुई बहस में जिन माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया और अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए और अपनी भावनाएं व्यक्त कीं, उनके प्रति मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करती हूं। उन्होंने अपनी भावनाओं से इस सदन और सदन के माध्यम से देश के लोगों को अवगत कराने का महत्वपूर्ण काम किया है। इसके लिए मैं उन सभी वक्ताओं की भी आभारी हूं और हमारे जो भाई या बहनें नहीं बोल सके हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूं कि उन लोगों का गुस्सा भी जायज है, क्योंकि सभी पार्टियों का इस विधेयक पर समर्थन है, इसलिए मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं।

सब का समर्थन होने के बावजूद भी बहुत से लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में एक उधेड़बुन सी हो रही है कि इस बिल को लाकर के जो पति-पत्नी का घरेलू परिवार का जो एक नाता है, रिश्ता है, उस नाते और रिश्ते में कहीं दरार न आ जाये, कहीं रूकावटें न आ जायें और जिसे हम आज तक समाज के सामने नहीं ले जा रहे थे, अपने घर की उस बात को समाज के सामने भी लाना पड़ेगा। लेकिन मैं बता देना चाहती हूं कि कोई भी महिला, जिसमें धीरज

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती कांति सिंह]

है, धैर्य है, साहस है, शक्ति है, कभी भी वह नहीं चाहती कि छोटी-मोटी गलती को लेकर, छोटी-मोटी मारपीट को लेकर, छोटे-मोटे आपसी पति-पत्नी के झगड़े को लेकर कभी भी न्यायालय तक जाए। यही वजह है कि आज देश में घरेलू हिंसा इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जब आंकड़े देखते हैं और हमारा जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है या फिर हमारे जो रिकार्ड्स बताते हैं, जो गृह मंत्रालय के द्वारा आता है कि एक लाख से डेढ़ लाख के बीच में ही अभी तक केस दायर हुए हैं। 2003 या 2004 के बाद अभी तक दिनों-दिन इसमें 9.2 परसेंट की दर से बढ़ोत्तरी होती जा रही है, हर साल यह देखने को मिल रहा है, लेकिन जितनी घटनाएं घट रही हैं, उसके हिसाब से इतने केस दायर नहीं किये जा रहे हैं। बहने अपनी आवाज न्यायालय तक ले जाना नहीं चाहतीं, क्योंकि उनके मन में यह रहता है कि आज यह हिंसा हुई है तो कल को शायद हमारे परिवार में कोई समझौता हो जाये, बड़े-बुजुर्गों के द्वारा हो जाये या फिर परिवार में आपसी मेल हो जाये, ताकि हम अपने वैवाहिक जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को सुखी-सम्पन्न बना सकें। लेकिन जब मामला हद से पार हो जाता है, किसी भी इंसान में सहन करने की एक क्षमता होती हैं, जब वह क्षमता हद से पार हो जाती है तब जाकर कानून के द्वारा हक पाकर हम उसमें न्याय लेने की बात करते हैं। इसी वजह से मैं बताना चाहती हूं कि जो लोग यह सोचते हैं कि यह बिल आ जाने के बाद हम सुखी नहीं रहेंगे, हमारा पारिवारिक संबंध सुखी नहीं रहेगा, बार-बार हमें कहा जायेगा कि तुम यदि हमें तंग करोगे तो छोटी बातों पर मैं न्यायालय में चली जाऊंगी, ये धारणाएं मन में नहीं आनी चाहिए।

जहां तक शैक्षणिक स्तर का सवाल है कि शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए, हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए, हमारी सरकार की भी यही मंशा है कि हम महिलाओं को स्वावलम्बी बनायें, चाहे महिला हो या पुरुष हो, बेटा हो या बेटी हो, हम उन्हें शिक्षित करें, हम उन्हें स्वावलम्बी बनाकर, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करके उनके निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें और यह हमारी सरकार की भी मंशा है। इसके लिए हमारी सरकार ने अनेकों कार्य किये हैं। अनेकों कार्य करने के साथ-साथ सभी संबंधित विभागों को भी हमने निर्देश दिया है। कि जनरल बजट का निर्माण किया जाए, जनरल बजटिंग के बारे में बताया जाए कि हर विभाग में महिलाओं के लिए क्या बजट होना चाहिए और इसी की देन है कि हम आज इस बिल को लाने जा रहे हैं ताकि उन महिलाओं को हम न्याय दिला सकें। मैंने इसलिए ऐसा कहा कि लोगों की समझ में अभी भी यह नहीं आ रहा है कि हम इस बिल को क्यों लाए हैं और इससे किन महिलाओं को लाभ होने जा रहा है। चूंकि महिलाओं में जुबान नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने प्रावधान किया है। इस बिल के द्वारा पड़ोसी या रिश्तेदार कोई भी किसी पीड़ित महिला की मदद कर सकता है। महिला को घर में या परिवार में प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका आर्थिक शोषण हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है तो ऐसी हालत में उस महिला के पड़ोसी की शिकायत पर भी मामला दर्ज किया जा सकेगा, इसीलिए सभी माननीय सदस्यों ने एक स्वर में कहा है कि इस बिल से हम लाभ दे सकते हैं और यह बिल अच्छा है। लेकिन फिर भी मन में शंकाएं हैं उन्हें दूर करने के लिए मैंने इस सारी बातों की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की है। एक बहुत बड़े लेखक हैं सिमोन द बोऊवा की यह उक्ति सचमुच बहुआयामी एवं सार्वभौमिक है "स्त्री पैदा नहीं होती है, उसे स्त्री बना दिया जाता है।" स्त्री बनाए जाने की पूरी जटिल प्रक्रिया को समझे बिना औरतें कभी उपभोक्तावादी चकाचौंध में तो, कभी क्रूर हृदयहीन सामंती दलदल में फसती रहेंगी। जहां औरत को ही औरत के नाश का हथियार बना लिया जाएगा, इससे हमें उबरना होगा। आधी आबादी निष्क्रिय और सृजन से दूर रखकर हम किस विकास की बात कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात कही है, "इतिहास के किसी दौर में समाज की प्रगति की असलियत जानना हो तो उस समाज में औरतों की स्थिति को जाना जाए।" इस कसौटी पर वर्तमान भारतीय समाज की बेहद निराशजनक तस्वीर उभरती है। बंद कपाटों के पीछे उत्पीड़न झेलती निरंतर आंसू बहाती नारी, कभी भी समाज के विकास में अपनी भूमिका नहीं निभा सकती है। अत: इस विधेयक के माध्यम से पर्दे के पीछे, घर की चारदीवारी के अंदर, अपनों के अत्याचार से बिलखती नारी को न्याय प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण सम्बल प्रदान करने का प्रयास है। यह नारी मुक्ति का प्रयास नहीं है, वरन् एक कुव्यवस्था, एक अंधविश्वास और उत्पीड़न से मुक्त करने का प्रयास है। नारी मुक्ति एक व्यक्ति से नहीं वरन् एक व्यवस्था से चाहती है। नारी को समाज ने चौखटों से बांध कर रखा है, उस खूंटे से निकलना चाहती है। कम से कम गाय और बकरी के समान अत्याचार सहते हुए भी एक खूंटे से बंध कर न रहे, बल्कि न्याय के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज बुलंद करे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, कृपया मंत्री की बात में व्यवधान न डालें। यह अत्यंत गंभीर मामला है। उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह: गाय-बकरी की तरह एक खूंटे से बंधकर रहने से मुक्ति दिलाने का प्रयास है। लज्जा को नारी का आभूषण

बना दिया गया है। सम्पूर्ण लज्जा को आंचल में समेट कर छुईमुई बनकर खामोशी से सारा उत्पीड़न सहते जाने वाली बेजुबान कभी भी समाज में बराबरी से नहीं खड़ी रह सकती। हमें उसे घर और बाहर दोनों जगह के उत्पीड़न से बचाकर उसमें आत्मविश्वास भरना होगा तभी वह जाग पाएगी और यह विधेयक उसका पथ प्रदर्शक बनकर उसे निराशा और आंसू के गर्त से निकाल कर इंसान बनने की एक सशक्त महिला बनाने का माध्यम बनेगा। हम सबका यह सपना है कि एक ऐसा सुनहरा दिन आएगा, जब नारी आत्मविश्वास, स्वाभिमान से भरी हुई अपने प्रगति का इतिहास स्वयं लिखेगी। उसके पैरों के तले स्वावलम्बन की ठोस जमीन हो और उसमें हाथ बढ़ाकर आकाश को थाम लेने की क्षमता हो। इस विधेयक के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने शंका जाहिर की है।

वह शंका है कि प्रोटैक्शन ऑफिसर की नियुक्ति बहुत सोच-समझकर करनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं क्योंकि उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं आप सबको आश्वासन देना चाहती हूं कि विधेयक की धारा 37 के अंतर्गत नियम बनाते समय हम इस बात को ध्यान में रखेंगे। मैजिस्ट्रेट की कार्य की अवधि को बढ़ाने की बात भी नियमों में रखी जाएगी।

सुमित्रा बहनजी अभी यहां नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि हम जो 60 दिन का समय दे रहे हैं, वह बहुत कम है। लेकिन विधेयक में कहा गया है कि मैजिस्ट्रेट आवेदन का निपटान 60 दिन के अंदर करने का प्रयास करेगा। इसके साथ-साथ चूंकि यह आपात कानून है, इसलिए यह जरूरी है कि हम एक समय सीमा निर्धारित करें जिससे अनुचित विलंब न हो।

संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदता यानी प्रोटैक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर के काम कुछ मायने में एक जैसे हैं। ऐसा पीड़ित महिला की सुविधा के लिए रखा गया है, क्योंकि अगर कभी जरूरत पड़ने पर प्रोटैक्शन ऑफिसर उपलब्ध नहीं हो सके, तो हम कम से कम सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से अपने केस के बारे में बता सकते हैं। अगर सर्विस प्रोवाइडर किसी तरह की रिपोर्ट करेगा, तो प्रोटैक्शन ऑफिसर को निश्चित तौर पर बताने का काम करेगा ताकि उन दोनों के बीच कोई क्लैश न हो।

विधेयक की धारा 11 में कहा गया है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि न केवल पुलिस अधिकारियों, बल्कि न्यायिक अधिकारियों को भी संवेदनशील बनाने और उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सुमित्रा जी का कहना था कि जहां तक विवाह की प्रकृति में संबंध बनाकर रहने वाली महिला को अधिकार देने का प्रश्न है, उसकी शंका थी कि जो महिला विवाहित जीवन में नहीं है, ऐसे ही संबंध बनाकर रह रही है, अगर हम उस महिला को अधिकार देंगे, तो कहीं ऐसा न हो कि जो ब्याहता स्त्री है, उसके लिए कोई परेशानी हो जाए। मैं बताना चाहती हूं कि जहां तक विवाह की प्रकृति में संबंध बनाकर रहने वाली महिला को अधिकार देने का प्रश्न है, इस विधेयक के अंतर्गत साझे घर में रहने का अधिकार व्यथित महिला को दिया जा रहा है। यह अधिकार उस घर विशेष के लिए होगा, जहां महिला प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध बनाकर रहती रही है या रही है। ऐसा नहीं है कि कोई नई महिला, जो पहले घर में कभी न रही हो, उस घर में रहने का अधिकार मांग सकती है, जहां विवाहिता पत्नी पहले से रह रही है।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): मंत्री महोदया जो कह रही हैं वह हमें समझ नहीं आ रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, अनुमति नहीं दी जा रही है। कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद: आपको बिल के बाद समझाएंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आठवले जी, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप डबल काम न करें-एक तो गलत सीट पर बैठे हैं और दूसरा गलत वक्त पर बोल रहे हैं। कांति सिंह जी, आप कंटीन्यू करें।

श्रीमती कांति सिंह: महोदय, यह बिल मुख्य रूप से घरेलू संबंधों के लिए है। हमारी एक बहन ने कहा कि घर में काम करने वाली महिलाओं के साथ भी उत्पीड़न होता है। नौकरानियों के मामले में नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होता है अर्थात् मालिक और नौकर का संबंध होता है। उन्हें इसमें शामिल करने

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती कान्ति सिंह]

का अर्थ होगा, साझे घर में हिस्सेदारी देने की बात। इसी तरह से अन्य लाभ भी प्रदान करने पड़ेंगे, जो कि व्यावहारिक नहीं होंगे। हम कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न का निवारण नामक एक विधेयक लाने पर कार्रवाई कर रहे हैं जिसमें नौकरानियों के हितों को भी संरक्षण मिलेगा। घर में वृद्ध लोगों की सलाह लेने की बात धारा 15 के अंतर्गत विधेयक में शामिल है। श्री पुरन्देश्वरी जी ने कहा कि बंद कमरे की कार्यवाही की अनुमति तभी दी जाये, यदि व्यथित महिला चाहती है। विधेयक के अनुसार इस बात को मजिस्ट्रेट के विवेक पर छोड़ दिया गया है और आम तौर पर महिला के अनुरोध पर इसकी अनुमति दी जाती है। सेवा प्रदाताओं को छूट देने कौटुम्बिक व्याभिचार संबंधों और मध्यवर्तियों की नियुक्ति के संबंध में हमारे सदस्यों ने जो बिन्दु उठाए हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि ये बिन्दु क्रमशः विधेयक की धारा 10(3), 2(च) तथा 3(क) और 12(1) के अंतर्गत शामिल है। घरेलू संबंधों की परिभाषा धारा 2(च) में समरक्तता से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं और घरेलू हिंसा की परिभाषा के बारे में धारा 3(क) में यौन उत्पीड़न भी शामिल है।

श्रीमती कृष्णा तीरथ ने मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में कहा था। इसका प्रावधान विधेयक की धारा 5(घ) में है। कानूनी सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 में भी है। वित्तीय सहायता की भी बात की गयी थी। इसका धारा 20 में उल्लेख है। प्रतिवादी को मासिक आधार पर राहत देनी होगी। धारा 22 में कहा गया कि महिला को प्रतिपूर्ति दी जायेगी। पुनर्वास केन्द्र धारा 9(1)(च) में सरलगृहों का इसमें प्रावधान है। धारा 19(च) में कहा गया है कि प्रतिवादी को उसी स्तर का आवास मिलेगा जिस तरह का साझे घर में है। हमारी अर्चना बहन ने कहा था कि विकलांग महिलाओं को भी बिल में शामिल किया जाये। मैं बता देना चाहूंगी कि सभी महिलाओं में विकलांग महिलाएं भी शामिल है इसलिए इस बिल में उनका भी सामंजस्य है।

जहां तक संरक्षण अधिकारियों पर व्यय की बात की जा रही है, संरक्षण अधिकारियों पर व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। आपने कहा था कि व्यय करने की बात होनी चाहिए। अब कानून और व्यवस्था राज्य के विषय होते हैं। ऐसी हालत में संरक्षण अधिकारियों पर होने वाला व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना है। राज्य यह कार्य कार्यरत अधिकारियों को भी सौंप सकता है। हमारे भाई रमन रेवती सिंह जी ने कहा कि महिला को गर्भपात कराने या आपरेशन कराने के लिए बाध्य करना भी घरेलू हिंसा माना जाये। यह पहलू शारीरिक शोषण की परिभाषा में भी शामिल किया गया है।

यह विधेयक सर्वसम्मति से पास होने जा रहा है यानि प्रक्रिया में है। इसका इम्प्लीमैंटेशन करने में हमें पूरे समाज का भी सहयोग चाहिए। जैसा कि हम हर कानून को बनाते हैं लेकिन कानून बनाने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाये, यह संभावना नहीं हो सकती। बल्कि इसमें हमें पूरे समाज का भी संरक्षण चाहिए। पूरे समाज का दायित्व बनता है कि इसको इम्प्लीमैंट करने में हमें सहयोग करें। डोमेस्टिक वायलेंस से सुरक्षा प्रदान करने वाले विधेयक को सुदूर ग्रामीण अंचलों की उन बहनों तक पहुंचाना होगा जो यह जानती नहीं कि उनके अपनों के उत्पीड़न से बचाने के लिए यूपीए सरकार द्वारा यह विधेयक लाया गया है।

इसलिए हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग होती, अंगड़ाई लेकर उठती नारी तथा आप सबका आह्वान करते हुए कहना चाहती हूं कि:

"लहरें कहती हैं, तूफां से खेलो,
कब तक चलोगे किनारे-किनारे"

इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल को पास करने का अनुरोध करती हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इस विधेयक पर भाषण करने के लिए किसी को समय नहीं दूंगा।

तथापि, मुझे इस विधेयक पर बोलने के लिए श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव का अनुरोध प्राप्त हुआ है। मैं उन्हें भाषण करने का समय नहीं दे सकता। किन्तु यदि वह स्पष्टीकारक प्रश्न पूछना चाहती हैं तो मैं उन्हें बोलने के लिए कुछ समय दे सकता हूं।

जी हां महोदया, आप स्पष्टीकारक प्रश्न ही पूछेंगी।

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलनगीर): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मुझे समय देने के लिए मैं आपको अत्यधिक धन्यवाद देती हूं ओर मैं क्षमाप्रार्थी हूं कि मैं समय पर यहां नहीं थी।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: महोदय, कृपया मुझे भी समय दीजिए; मैं अपनी सीट पर चला जाऊंगा और बोलूंगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं किसी और दिन आपको समय दूंगा। अब उन्हें बोलने दीजिए।

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: महोदय, मैं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक, 2005 का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। तथापि मैं माननीय मंत्री से कुछ स्पष्टीकरण चाहती हूं। क्या विधेयक के क्षेत्राधिकार में हमारी वे भारतीय महिलाएं आती

है जिन्होंने विदेशों में अनिवासी भारतीयों से विवाह किया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते है विशेषकर पंजाब में यह एक मुख्य समस्या है जहां सीधी सरल भारतीय लड़कियों का विवाह अनिवासी भारतीयों से हो जाता है और इस प्रकार उन्हें घरेलू हिंसा को अमानवीय स्थिति का शिकार बनाया जाता है। इस संबंध में कुछ अधिक कार्य नहीं किया जा रहा है। अत: मैं जानना चाहती हूं कि क्या इसे भी इस विधेयक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा।

दूसरे मैं एक सुझाव देना चाहती हूं। यहां विधेयक में घरेलू संबंधों की परिभाषा थोड़ी चिंताजनक है क्योंकि मैं महसूस करती हूं-यह मेरी व्यक्तिगत राय है-कि हम सभी यहां परिपक्क वयस्क हैं और यदि हम अन्य महिला उपस्थिति को मान्यता दे रहे हैं, जैसा कि ''द टाइम्स ऑफ इंडिया'' के एक लेख में उद्धृत किया गया है और जो मेरी समझ से इस महीने की बाइस तारीख का है, तो हम पुरुष की वैध पत्नी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। और दूसरी महिला के साथ न्याय करते समय, हम वैध पत्नी को उसके अधिकारों को लेकर धोखा दे रहे है और सिर्फ इसलिए कि दूसरी महिला जो असामाजिक गतिविधि में संलिप्त है, एक महिला है और इसलिए उसे विधेयक का लाभ मिले कम से कम मेरी नैतिक जिम्मेदारी अथवा मेरी अन्तरात्मा मुझे उस अपराध को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं देती।

संसद में हम सब जिम्मेदार नागरिक हैं और मैं महसूस करती हूं कि हमें ऐसी विरासत अपनी आगामी पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। आज यदि आप अन्य महिला की उपस्थिति को स्वीकार करते है तो कल को उनकी संतानें उस आदमी की संपत्ति में अपने हिस्से का दावा भी करेंगी। अत: इसके गंभीर प्रभाव होंगे।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आठवले जी, एक दिन तो हमें बोलने दें। रोज आप बोलते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैडम, कंक्लूड करें।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: आठवले जी, जो वहां बैठता है, टोकाटोकी करना शुरू कर देता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: महोदया, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए। यह महिलाओं से संबंधित मुद्दा है और मैं एक बात कहना चाहती हूं कि भारत में महिला को जीवन का प्रारम्भिक भाग-मैं समझती हूं कि हम सभी ने इसका अनुभव किया है- अपने पति के घर में अपने जीवन के लिए प्रवचनों और तैयारी में चला जाता है। इस संबंध में विदेशों में जो हो रहा और हमारे देश में जो हो रहा है, के बीच काफी अंतर है। जब किसी देश में एक मां अपनी पुत्री से बात करती है और उसे नैतिक मूल्यों पर नैतिक नियमों के बारे में बताती है तो वह सदैव यह कहकर बताएगी कि जब तुम बड़ी हो जाओं और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओं तो इस चीज की उम्मीद तुमसे की जाती है। किन्तु भारत में हमारे माता-पिता सदैव कहते है कि जब तुम अपने पति के घर जाओं। यह कहा जाता है कि महिला की जिम्मेदारी घरेलू महिला की है। मेरी सोच में यहां अंतर है। एक महिला केवल घरेलू महिला नहीं है बल्कि वह घर को बनाती है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह एक पूरी पीढ़ी की सोच को एक सांचे में ढालती है। अत: महिलाओं की जिम्मेदारी अत्यधिक है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: महोदय, मुझे एक मिनट का समय और दीजिए। आप जानते हैं कि हमें मुश्किल से बोलने का अवसर मिलता है।

महोदय, एक अन्य बात यह है जो मैं यहा कहना चाहूंगी। मैं एक महिला हूं और मैं जानती हूं कि मुझे यह कहने के लिए परेशानी उठानी पड़ सकती है लेकिन फिर भी मैं महसूस करती हूं कि यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं जोखिम उठाने की इच्छुक हूं और कहती हूं कि क्योंकि हम महिला हैं यदि हम अन्य महिलाओं को कुछ असामाजिक कार्य करते पाते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम इसमें उसका समर्थन कर रहे हैं। आप सामाजिक मानदंड को कैसे तोड़ सकते है और ऊपर से यह दुस्साहस भी करे कि कानून द्वारा आपकी संरक्षा हो। कल हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे? यदि आप दूसरी महिलाएं की स्थिति को वैध बनाने जा रहे हैं तब इस देश में कौन मूर्ख विवाह करना चाहेगा। यह कानून पहली की तरह ही 'दूसरी महिला' को समान अधिकार देता है जहां घरेलू हिंसा का संबंध है। इसलिए हमें इससे बेहतर स्थिति कहां मिलेगी? हमें इसे मानना चाहिए कि आज हम ऐसी जगह खड़े नहीं हो सकते और हिन्दू समाज के ढांचे को तार-तार नहीं कर सकते। आपको इस मुद्दे को बहुत गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। कांति जी यह एक सुझाव है। आज यह विधेयक पारित करते समय हो सकता है कि हम कल होने वाले इसके सामाजिक प्रभावों को नहीं देख रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण विधान है; मैं सहमत हूं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक विधान है;

[श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव]

मैं सहमत हूं। मैं एक महिला हूं और मैं चाहती हूं कि सभी महिलाओं की कानून द्वारा संरक्षा की जाए। किन्तु हम यह सभी जानते हैं कि पिछले अवसरों पर भी समाज के कतिपय वर्गों की संरक्षा करने के लिए कतिपय कानून पारित किए गए है और उनका अत्यधिक दुरूपयोग किया गया है। अत: कृपया इन सुझावों को गंभीरता पूर्वक ले।

महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपकी भी आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप इस पर और अनिवासी मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह: महोदय, भारत में, जो भारतीय नारी है, यह बिल केवल उन्हीं के लिए है। जो अप्रवासी महिलाएं हैं, जम्मू-कश्मीर को छोड़कर, उनके लिए इसमें सामंजस्य नहीं किया गया है।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: महोदय, मेरी एक प्रार्थना है कि महिलाओं के हितों संरक्षण के लिए यह बिल है, इसी तरह पुरुषों के संरक्षण के लिए भी आप कोई इंतजाम कर दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह: महोदय, जहां तक माननीय सदस्या ने दूसरी महिलाओं के बारे में कहा है, जो दूसरी महिलाएं हैं, हम सिर्फ उनका उत्पीड़न रोकने की बात कह रहे हैं। उनका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और यदि कोई उस पर अत्याचार कर रहा है तो वह अत्याचार न हो। इसमें कोई प्रापर्टी का हक देने की बात नहीं कही जा रही है। यह कानून उन महिलाओं के है जो शादी जैसी व्यवस्था में रह रही हैं। हम कुछ भी लीगलाइज करने नहीं जा रहे हैं। हम उनको कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं और न ही उनको प्रापर्टी में कोई राइट्स देने की बात कह रहे हैं। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह: महोदय, वह समाज की महिला है, चाहे वह कोई भी हो। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं महोदया, आपने पहले ही अपना समय ले लिया है। अब कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मिस्त्री जी, बिल पास हो रहा है और आप रोक रहे हैं।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

अब मैं प्रस्ताव को मतदान हेतु विचारार्थ रखने जा रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैडम जी, आप बैठ जाएं, क्योंकि रिकार्ड में नहीं रखा जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, कृपया शांत रहें। कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: स्पष्टीकरण मांगने हेतु समय नहीं है। कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि ऐसी महिलाओं के, जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी किस्म की हिंसा से पीड़ित है, संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 37 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 37 विधेयक में जोड़ दिए गए। खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह: मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैडम, बिल पास हो गया है, अब आप बैठ जाएं।

सायं 6.38 बजे

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2005

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

जैसा कि आप जानते हैं पांचवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि जब लागत मूल्य सूचकांक पिछले वेतन आयोग द्वारा प्रयुक्त आधार सूचकांक की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाता है तो हर बार मंहगाई भत्ता को मंहगाई वेतन में बदल दिया जाना चाहिए। पांचवें वेतन आयोग की इस सिफारिश पर विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों सहित केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों के मामले में 1 अप्रैल, 2004 से मूल वेतन में मंहगाई भत्ता का 50 प्रतिशत का विलय कर दिया जाए। इसे अब अलग से मंहगाई वेतन के रूप में दर्शाया जाता है और इसकी आवास किराया भत्ता सहित भत्तों स्थानांतरण अनुदान, सेवानिवृत्ति लाभों, जी पी एफ अंशदान और विभिन्न अग्रिमों इत्यादि के भुगतान के लिए गणना की जाती है।

इसी प्रकार पेंशन भोगियों के मामले में, पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर मंहगाई राहत 1.4.2004 से पेंशन में विलय कर दिया गया है और इसे अलग से मंहगाई पेंशन के रूप में दिखाया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की मूल पेंशन में डेढ़ गुणा वृद्धि हो गई है।

इसलिए 1 अप्रैल, 2004 से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, अतिरिक्त पेंशन और अधिकतम पेंशन में डेढ़ गुणा वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस की गई।

न्यायाधीशों के लिए परिवार पेंशन की गणना पैंसठ वर्ष की आयु तक अथवा मृत्यु के पश्चात पहले सात वर्षों तक जो भी पहले हो। जैसा कि केन्द्रीय कर्मचारियों के मामले में होता है वेतन का 50 प्रतिशत और इसके साथ मंहगाई वेतन का भी 50 प्रतिशत की दर पर करने का प्रस्ताव है और तत्पश्चात वेतन का 30 प्रतिशत और मंहगाई वेतन का 30 प्रतिशत होना चाहिए तथा यह न्यूनतम 1,913 रुपए से कम नहीं होना चाहिए।

[श्री के. वेंकटपति]

उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किराया अदायगी किए बिना सरकारी निवास के प्रयोग का हक है। जहां न्यायाधीश इस तरह के निवास का प्रयोग नहीं करता है, उसे प्रतिमाह 10,000 रुपए भत्ता दिया जाता है।

मूल वेतन के साथ 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता के विलय के पश्चात अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों सहित केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को ग्राह्य आवास किराया भत्ते में संशोधन किया गया है और यह 1.4.2004 से मूल वेतन तथा मंहगाई वेतन का 30 प्रतिशत है। इसी तरह से सरकारी आवास के बदले न्यायाधीशों को ग्राह्य भत्ते में भी संशोधन किए जाने की आवश्यकता है और इसे 1.4.2004 से वेतन तथा मंहगाई वेतन का 30 प्रतितशत निर्धारित किया जाना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों और बाहर के सदस्यों के साथ समय-समय पर बैठकें करनी होती हैं। इन बैठकों में चाय और स्नैक्स इत्यादि से अतिथियों के आतिथ्य के लिए व्यय विषयक भत्ता दिया जाता है। व्यय विषयक भत्ता पिछली बार 1996 में निर्धारित किया गया था। इस तरह के सामानों के मूल्य में वृद्धि वैश्वीकरण की प्रवृत्तियों में और भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से मुलाकात करने वाले अतिथियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए 1.4.2004 से व्यय विषयक भत्ते में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 124(3)(ख) के उपबंध के अधीन कोई व्यक्ति जो दस वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, उसे सीधे उच्चतम न्यायालय की पीठ में नियुक्त किया जा सकता है। सामान्यतया 55 वर्ष से कम आयु के अधिवक्ता के बारे में नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है। इन न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 की अनुसूची के भाग एक के अधीन पेंशन मिलती है। वे कभी-कभी पेंशन की हकदारी के लिए अपेक्षित सात वर्षों की सेवा भी पूरी नहीं कर पाते हैं। इसलिए वे पेंशन की नियत राशि के हकदार होते हैं। इस तरह के न्यायाधीशों के लिए पेंशन हेतु सेवा की अर्हता अवधि में 10 वर्ष की अवधि जोड़ने का प्रस्ताव है ताकि उन्हें उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों जिन्हें उच्च न्यायालय से पदोन्नति दी गई हो की तुलना में पर्याप्त पेंशन प्राप्त हो। यह मेधावी, प्रतिभावान और ख्याति प्राप्त अधिवक्ताओं को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए प्रोत्साहन का काम करेगा।

मुझे आशा है कि इस विधेयक को इस सभा का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: सभी मैम्बर्स से मेरी रिक्वैस्ट है कि बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं, इसलिए एक-एक, दो-दो मिनट ही बोलें। इसमें इतना क्रीटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक-एक, दो-दो मिनट बोलें तो अच्छा है। अगर यह यूनेनिमस्ली हो जाता तो और भी ग्रेसफुल होता।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मेरा अनुरोध है कि हम इसे कल कर सकते हैं। यह विधान इतनी जल्दबाजी में क्यों पारित किया जाए?...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): कल का दिन गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए है। कल कोई भी विधायी कार्य नहीं होगा। गैर सरकारी सदस्यों का कार्य अपराह्न 2.00 बजे शुरू होगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन: गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए सिर्फ दो घंटे का समय निर्धारित है। उसके बाद हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री गुलाम नबी आजाद: कार्य मंत्रणा समिति में पहले ही इस पर निर्णय लिया जा चुका है। इसमें हम अब परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कार्य मंत्रणा समिति में यह फैसला हुआ था कि हम दो शुक्रवारों के गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों को संयुक्त कर देंगे क्योंकि पिछले शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों का कोई कार्य नहीं हुआ था। परसों भी गैर सरकारी सदस्यों का कोई कार्य नहीं होगा। यही कारण है कि यह फैसला किया गया है कि शुक्रवार को शून्यकाल के तत्काल बाद यह सभा गैर सरकारी सदस्यों का कार्य करेगी कोई अन्य विधायी कार्य नहीं होगा। यदि हम इसे आज पारित नहीं करते हैं तो यह कानून नहीं बन सकता है क्योंकि कल के बाद सिर्फ दो दिन रह जाते हैं और इसे दूसरी सभा में भी जाना है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): अन्य पार्टियों के कुछ सदस्यों को भी दो तीन मिनट के लिए वाद-विवाद में भाग लेने का

अवसर मिलना चाहिए। इसे सिर्फ दो राजनीतिक दलों तक समिति नहीं रखना चाहिए।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, मैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मंहगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता, स्थानांतरण अनुदान और सेवानिवृत्ति लाभों में परिवर्तन के बारे में इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह अत्यधिक तकनीकी विधेयक प्रतीत होता है। मैं सिर्फ दो मुद्दे उठाना चाहता हूं।

सर्वप्रथम, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में क्या है? अब न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त कर रहे हैं। क्या यह सही प्रथा है? राष्ट्रीय विधि आयोग का क्या हुआ? क्या इसका गठन किया जाएगा? इसे वास्तव में न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश करनी चाहिए। क्या इसमें प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के दो अन्य न्यायाधीश होंगे? मैं माननीय मंत्री जी से उत्तर चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा किए गए दुराचरण से निपटने के लिए क्या उपाय किया जाएं। इस समय स्वयं न्यायालय ही है जो इस तरह के किसी अभिकथित दुष्कार्य से निपटते हैं। इस तरह के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अत्यंत ही दुसह है। अधिकतर यह लगभग असंभव होता है। इसलिए, क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा की गई भूल-चूक से निपटने के लिए एक पृथक नियम गठित किया जा सकता है? मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इन प्रश्नों का उत्तर देंगे।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम): महोदय, मैं माननीय विधि मंत्री द्वारा पुर:स्थापित इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे विश्वास है कि यह सभा इस विधेयक को सर्व सम्मत्ति से पारित कर देगी। मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूं जिस पर इस माननीय सभा द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए।

जब कभी न्यायाधीशों से संबंधित कोई विधेयक या विधान प्रस्तुत किया गया है, इस माननीय सभा ने हमेशा उसका समर्थन किया है। कई मामलों में हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। न्यायाधीशों को दिए जाने वाले वेतन का हमने न तो कभी विरोध किया है और न ही उस पर आपत्ति की है। न्यायाधीशों को उपयुक्त वेतन, भत्ते और पेंशन दिए जाने चाहिए ताकि वे निष्पक्षतापूर्वक और बिना किसी बाहरी दबाव के काम कर सकें। जहां तक रोजमर्रा की आजीविका का संबंध है, उन्हें किसी भी तरह के अभाव से मुक्त होना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव में नहीं आना चाहिए। मेरा मानना है कि इन्हीं बुनियादी कारणों से वे अच्छे वेतन के हकदार है और उन्हें यह मिलना चाहिए।

हमें यह भी बात याद रखनी चाहिए कि न्यायपालिका हमारी राज्य-व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका को विशेष दर्जा दिया गया है। संविधान का निर्वाचन करना निश्चित रूप से न्यायपालिका का अधिकार है। इस मामले में वह सर्वोच्च संस्था है लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संविधान में संशोधन करने या कानून में परिवर्तन करने का परमाधिकार जनता के प्रतिनिधियों या संसद तथा केवल संसद का है। न्याय किसी कानून को असंवैधानिक या विधि-बाह्य घोषित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेकिन संसद इसमें संशोधन करने के लिए स्वतंत्र वे उस संशोधन को भी पुन: असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं लेकिन पुन: उसमें सुधार करके संवैधानिक संशोधन करने का अधिकार संसद को ही है। न्यायाधीशों को यह याद रखना चाहिए कि इन संवैधानिक अंगों के बीच का संतुलन नाजुक है। संसद ने ऐसा कभी नहीं चाहा कि उसके और न्यायपालिका के बीच कोई टकराव हो। उन्होंने कई निर्णय दिए हैं जिसका उल्लेख मैं यहां नहीं करना चाहता हूं। उसमें से कुछ को संसद ने स्वीकार किया है और ऐसे कई मामले हैं जिनमें ससंद ने संविधान में संशोधन कर दिया है। लेकिन इन्हें दंभवश किया गया कृत्य नहीं समझा जाना चाहिए।

यह ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर रहा है।

महोदय, ऐसा कहा जाता है कि राजनीतिज्ञों या सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों को केवल ईमानदार होना ही नहीं चाहिए बल्कि उन्हें ईमानदार दिखना भी चाहिए। हमें राजनीतिज्ञों से यह अपेक्षा रहती है कि हम ईमानदार होने के साथ-साथ ईमानदार दिखें भी। मैं माननीय सभा के समक्ष यह बताना चाहता हूं कि न्यायपालिका के न्यायाधीशों को भी केवल ईमानदार दिखना ही नहीं चाहिए बल्कि उन्हें वास्तव में भी ईमानदार होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें अच्छा वेतन दिया जाए। समय-समय पर उसके वेतन और पेंशन की समीक्षा की जानी चाहिए। हम आज यही काम कर रहे हैं। मंहगाई भत्ते को वेतन में जोड़ा जा रहा है। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद इसमें कतिपय विसंगतियां थी। लेकिन न्यायपालिका को भी हाल के वर्षों में फैले भ्रष्टाचार को कम करने के लिए उपाय ढूंढना होगा। यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायामूर्ति भरूचा ने भी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होने की बात कही है। मैं इस पहलू की गहराई में नहीं जाना चाहता

हूं। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, श्री समित मुखर्जी का भ्रष्टाचार के कारण हटाना पड़ा था। न्यायपालिका जिस वित्तीय लाभ की हकदार है वह उन्हें प्रदान करने में हम हिचकिचाते क्यों नहीं हैं? इसका कारण यह है कि हम उन्हें भ्रष्टाचार से मुक्त रखना चाहते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में एक प्रकार की जवाबदेही लाने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप कृपया अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव: महोदय, ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय: लेकिन यदि आप इस तरह से बोलने लगेगे, तो मैं कैसे नियंत्रण करूंगा?

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव: महोदय, यदि आप यह कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वह अप्रासंगिक है, तो ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप, कृपया अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव: इस मुद्दे पर आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। हजारो-लाखों मामले लंबित पड़े हुए है और देश के सुदूर क्षेत्रों में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मेरा मानना है कि यह माननीय सभा के क्षेत्राधिकार में है या उसका अधिकार है कि वह इस विधेयक को पारित करते समय इस पहलू पर कम से कम अपनी चिंता या विचार व्यक्त करे चाहे वह सीधे तौर पर उन संशोधनों से संबंधित न हो, जो मंत्री महोदय इस विधेयक के माध्यम से लाना चाहते है।

महोदय, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना यह है कि यदि सर्वसाधारण को न्याय की उम्मीद है, तो न्याय सभी के लिए सुलभ और सस्ता होना चाहिए। सस्ते न्याय के लिए महंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं न्यायाधीशों को दिए जाने वाले किसी पर्क या उनके वेतन में किसी वृद्धि का कभी भी विरोध नहीं करूंगा। जब तक महंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाती है, तब तक हम न्याय को सस्ता नहीं बना सकते है। ये कुछ बुनियादी सिद्धान्त हैं, और मुझे लगता है कि इन्हें हमें मस्तिष्क में रखना चाहिए, हमें ये सारी बातें याद रखनी चाहिए।

महोदय, आज न्यायालय अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। इसका कारण यह है कि उन मामलों में भी जहां तथ्य सिद्ध हो चुका है, अवमानना के मामलों के लिए सच्चाई का उपयोग आरोप के रूप में नहीं किया जा सकता है। यह एक पुराना कानून है जिसे औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा शायद इसलिए बनाया गया था कि वे यह नहीं चाहते थे कि उनके न्यायाधीशों को अवमानना के मामले को लेकर न्यायालय में लाया जाए। अब समय आ गया है कि हम इन पुराने कानूनों की समीक्षा करें। अवमानना संबंधी इन कानूनों की समीक्षा किए जाने की जरूरत है।

मैं दूसरी ओर बैठे अपने साथी से सहमत हूं जिन्होंने अभी-अभी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया है जिसे उनके द्वारा हड़प लिया गया है। यह प्रक्रिया जारी नहीं रहनी चाहिए। शायद हमारा देश विश्व का एक मात्र उदार लोकतंत्र है जहां न्यायाधीश अपनी नियुक्ति खुद करता है। मुझे नहीं लगता कि विश्व में दूसरा कोई ऐसा देश है जहां न्यायाधीश न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसके लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए। इस प्रकार की नियुक्ति करने के लिए कोई उच्चाधिकार प्राप्त समिति होनी चाहिए। न्यायाधीशों के पास किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त करने से पहले उसके पूर्ववृत का पता लगाने के लिए आसूचना तंत्र नहीं है।

किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त करने से पहले आपको उस व्यक्ति के बारे में पुलिस, आसूचना एजेंसियों तथा अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए क्योंकि यह बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है। अत: न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाना एक अद्भुत बात है, जो शायद इसी देश में होता है। इसमें तत्काल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। माननीय विधि मंत्री यहां उपस्थित हैं। मुझे आशा है कि वह इस बात पर ध्यान देंगे।

अन्य उदाहरण भी हैं। मैं एक या दो उदाहरणों का उल्लेख करना चाहूंगा। हाल ही की एक घटना है जब सर्वोच्च न्यायालय ने विधान सभा की कार्यवाहियों को रिकार्ड करने का आदेश देकर विधायिका की शक्तियों और विशेषाधिकारों का घोर अतिक्रमण किया। यह न तो प्रशंसनीय है और न उन परंपराओं के लिए अच्छा है जिन्हें हमने विगत चालीस या पच्चास वर्षों से बरकरार रखा है।

ऐसी ही एक और घटना है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री यहां बैठे हुए हैं। जम्मू और कश्मीर के एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में निर्देश दिया था कि आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाए। क्या इस प्रकार का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया जाना चाहिए यह निर्णय लेना तो कार्यपालिका का काम है कि बिरयानी खिलायी जाए या चिकन-करी। यह निर्णय संसदीय कार्य मंत्री लेगें या सेना लेगी या पुलिस न कि उच्चतम न्यायालय। किसी ऐसे मामले को लेकर जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है न्यायालय द्वारा दूसरे के क्षेत्राधिकार का खुले तौर पर उल्लंघन करने से वह नाजुक

संतुलन बिगड़ सकता है। यदि ऐसा न्यायपालिका के साथ होता है, तो हमारे समक्ष गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए उपाध्यक्ष महोदय का धन्यवाद। मुझे खेद है कि आप जितना समय देना चाहते थे उससे अधिक समय मैंने ले लिया।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं। जैसा कि यहां पहले कहा जा चुका है; इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और अन्य सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए ताकि वे बाह्य प्रभावों से प्रभावित न हों और वे अपने पद की गरिमा को बनाए रखें।

इस संबंध में मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख करना चाहता हूं। इस समय स्थिति यह है कि न्यायिक अधिकारी किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह कितना ही बड़ा या शक्तिशाली हो लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। यहां सवाल न्यायिक आयोग के गठन की दीर्घकालिक मांग का है। भारत जैसे देश में न्यायिक आयोग का गठन अत्यंत आवश्यक है। इसमें मुख्य न्यायाधीश, प्रधान मंत्री और नेता प्रतिपक्ष या उनके नामिती होने चाहिए। इस प्रकार की समिति को न्यायधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए। यदि न्यायधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की बात सुनी जाए तो इससे पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। उन दिनों हमारे देश के कुछ प्रसिद्ध न्यायिक उच्चतम न्यायालय में आए। मैं उनके नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता। वे स्वतंत्र थे और अपने निर्भीक विचारों के लिए जाने जाते थे ओर उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखा। लेकिन अब स्वयं न्यायधीशों को ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को नियुक्त करने का अधिकार है। यह स्थिति बदलनी चाहिए। एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग होना चाहिए और न्यायधीशों की नियुक्ति में इसकी बात सुनी जानी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं।

जैसा कि सबको पता है, मामलों का संचय हो जाना हमारी न्यायिक प्रणाली का एक प्रमुख दोष है। इस क्षेत्र में 'फास्ट ट्रैक कोर्टस' अद्भूत कार्य कर रहे है। लेकिन, फिर भी अनेक मामले लंबित है। अधिकांश मामले अधीनस्थ न्यायपालिकाओं में लंबित हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अधिकांश न्यायिक कार्य न्यायपालिका में निचले स्तर पर होता है। उन्हें भी अपने पद की गरिमा बनाए रखने के लिए अच्छा वेतन मिलना चाहिए।

सायं 7.00 बजे

यद्यपि यह राज्यों का मामला है फिर भी केन्द्र सरकार को भी इसमें शामिल होना चाहिए। यदि राज्य सरकारों को पर्याप्त निधि चाहिए तो यह राज्य सरकारों को दी जानी चाहिए जिससे कि वे उनको बेहतर वेतन दे सके।

महोदय, यदि कोई मजिस्ट्रेट और कोई अपराधी जो उसके सामने उपस्थित होने जा रहा है एक ही रेलगाड़ी या बस में जाए तो यह अच्छी बात नहीं है, ऐसा दिखाई देना ठीक नहीं है, अत: उनका वेतन और सुविधाएं भी बढ़ाई जानी चाहिए।

धीरे-धीरे न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार प्रवेश कर रहा है, यह बात किसी और व्यक्ति ने नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायधीश ने स्वीकार की थी। यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए। मेरे विचार से स्वतंत्र न्यायिक आयोग ही इन सभी मामलों का आकलन कर सकता है और इन बातों की जांच कर सकता है। यह सिफारिश कर सकता है और इसका समाधान ढूंढ़ सकता है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: चूंकि एक घंटे के लिए सदन का समय बढ़ाया गया था और अभी यह बिल भी पास करना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैम्बर्स थोड़ा समय लें और जितनी देर तक यह बिल पास न हो जाए और स्पेशल मैन्शन समाप्त न हो जाए, तब तक के लिए हाउस का समय बढ़ा दिया जाए। क्या सदन इससे सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य: सहमति है।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। श्री शैलेन्द्र कुमार जी, आप बोलें, लेकिन दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मुझे लॉ एंड जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी का मैम्बर बनने का मौका मिला है, इसलिए में अपने कुछ विचार और सुझाव सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2005 माननीय मंत्री जी ने यहां पेश किया है। केन्द्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन में डेढ़ गुना वृद्धि के कारण यह विधेयक लाना पड़ा है। न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन में वृद्धि के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक को छोड़कर सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के जुडिशियल अधिकारियों के लिए एक समान वेतन और पेंशन लागू करने का निर्देश दिया है। इसमें न्यायमूर्ति श्री शेट्टी आयोग की सिफारिशों को मानते हुए पेंशन के नियमों में बदलाव करने की हिदायत भी कोर्ट ने दी थी तथा वेतनमान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 21 राज्यों के मुख्य सचिवों और महाधिवक्ताओं को बुलाकर उनके विचार लिये थे तथा उन्हें कहा था कि इसे जल्दी

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

से लागू करें। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना दुख व्यक्त किया था और कहा था कि सभी राज्यों में इसे लागू किया जाए। जहां तक आयोग की सिफारिश है, उससे 12 हजार जुडिशियल न्यायिक अधिकारियों को लाभ पहुंचा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जजों के मूल वेतन को टैक्स फ्री करने का जो प्रावधान माननीय मंत्री जी ने विधेयक में किया है, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेन्ट की 65 साल है और हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेन्ट की उम्र 62 साल है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि दोनों का उतना ही बोझ पड़ता है। इसलिए दोनों के रिटायरमेन्ट की उम्र 65 साल कर दी जाए। इसके अतिरिक्त जहां तक फास्ट ट्रैक न्यायालयों के द्वारा जल्दी फैसलों की बात थी, उसमें रिटायर्ड जजों को रखा गया था। उसमें आपने अब व्यवस्था की है कि जो हमारे वर्तमान जज हैं, वे फास्ट ट्रैक कोर्ट में रहेंगे। इसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह सिफारिश भी की गई है कि जजों की संख्या बढ़ाई जाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सदन के सम्मानित सदस्यों के बीच से जुडिशियरी में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स और जो तमाम हमारे विद्वान अधिवक्ता हैं, उनके लिए जुडिशियरी में रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। अक्सर निचली अदालतों में भ्रष्टाचार की तमाम घटनाएं सुनने में आती हैं, उस ओर भी मंत्री जी विशेष ध्यान देंगे। कभी-कभी जब इस तरह की बात आती है तो कानून में एक प्रावधान किया गया है कि महाभियोग के मामले में संविधान के अनुच्छेद 124 और 127 में यह व्यवस्था की गई है। लेकिन यह निचली अदालतों में है, उच्च अदालतों में यह आज तक लागू नहीं हुई है। इस ओर भी मंत्री जी विशेष तौर पर ध्यान देते हुए व्यवस्था करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्तों संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका स्वस्थ लोकतंत्र के तीन स्तम्भ हैं। जहां तक वेतन भत्तों को बढ़ाने की बात हैं, उससे हमारी बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से सहमत है। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सायं 7.06 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए]

आज न्याय इतना विलंब से मिलता है कि कई बार मरने के बाद भी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है। चुनाव से संबंधित याचिकाओं पर तो कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी सुनवाई पूरी नहीं हो पाती। इसमें याचिकाकर्ता के साथ घोर अन्याय होता है। आज न्यायपालिकाओं में पारदर्शिता भी खत्म हो गई है। राज्य और केन्द्र में जिनकी सरकारें होती हैं, उनके फायदे में तो रात में भी न्याय देने में विलंब नहीं करते हैं। 1997 में जो बीएसपी विधायकों का मामला आया वह आज तक लंबित है। दोबारा उत्तर प्रदेश विधान सभा गठित हो गई और 40 विधायकों का मामला भी काफी समय से लंबित है। उस पर आज तक सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। ऐसे मामलों में जब न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि के संबंध में आप विधेयक लाए हैं, तो ऐसे मामलों में तीव्रता से न्याय देने की व्यवस्था भी आप सुनिश्चित करें।

सभापति जी, संसद के मामले में जो न्यायालयों का हस्तक्षेप बढ़ा है, उससे सदन निश्चित तौर पर चिन्तित हुआ है। यह सदन समाज के प्रति उत्तरदायी सर्वोच्च संस्था है और जब इसकी समाज के प्रति जवाबदेही है तो न्यायालय भी उससे अलग नहीं हैं। उसकी भी समाज के प्रति उतनी ही जवाबदेही है जितनी संसद की है।

मान्यवर, न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्तियां की जानी चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो अधिकार है, उसमें भी पक्षपात किया जाता है। मेरा निवेदन है कि ऐसी पक्षपातपूर्ण नियुक्तियों पर रोक लगे ताकि आम आदमी को न्याय मिल सके। ऐसा निवेदन करते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि माननीय विधि मंत्री यहां बैठे हुए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस विधेयक को पारित कराने की जल्दी में हैं। अत: महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि इस विधेयक को पारित करने की जल्दी न करें।

महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। केवल आज ही नहीं बल्कि पहले भी कई अवसरों पर इस महान सभा में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाओं के संबंध में इस प्रकार के विधेयक लाए गए और इस सभा द्वारा पारित किए गए हैं। हमें वेतन, पेंशन

और अन्य सुविधाओं को बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वे इस देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर है। वे न्याय के मंदिर हैं। वे कानून बना सकते हैं और उसे समाप्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान के उपबंध के अनुसार देश के तीन स्तंभ या स्कंध है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों स्कंध साथ-साथ कार्य करेंगे। किसी अधिकारी को अन्य प्राधिकारी की अधिकारिता और अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए सभी तीन स्तंभों को देश के तीनों स्कंधों को अपने अधिकारों का प्रयोग अपनी अधिकारिता एवं सीमा के अंतर्गत करना चाहिए। लेकिन यह कहने में मुझे अफसोस है कि हाल ही में एक प्रवृत्ति बढ़ी है और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विधायिका के अधिकारों और कार्यकरण में हस्तक्षेप दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। आज सुबह हमने समाचार में देखा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सरकार को इस प्रकार से सावधान किया है कि उससे सरकार के ऊपर अवक्षेप आ रहा है। उन्होंने कहा, "हमें हटा दो, न्यायालयों को बंद करो।" इस प्रकार उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय विधायिका के अधिकारियों का अतिक्रमण कर रहे हैं और संसद की अधिकारिता, अधिकारों और कार्यकरण का अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, हमने इस मामले पर सुबह ही सविस्तार चर्चा की है। माननीय अध्यक्ष ने भी एक विनिर्णय दिया है।

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। वे संसद के अधिकारों का अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। संसद देश की सर्वोच्च संस्था है। हम न्यायिक प्रणाली को बंद नहीं करना चाहते हैं। हम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारों और कार्यकरण का अतिक्रमण नहीं करना चाहते हैं। इसके विपरीत उन्होंने संसद के कार्यकरण का अतिक्रमण करने का प्रयास किया है। मैं मंत्रालय और इस महान सभा का ध्यान उन हजारों मामलों की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो देश के उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। कानून का यह मूल सिद्धांत है कि विलंब होने से कानून का प्रयोजन निष्फल हो जाता है। न्याय में विलंब अन्याय है। विभिन्न उच्च न्यायालयों के अत्यधिक मामले उच्चतम न्यायालय में लंबित है। कोई नहीं जानता कि इन मामलों का न्यायनिर्णयन कब होगा और उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय कब दिया जाएगा। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति के पितामह न्यायालय जाते हैं। पितामह की मृत्यु के बाद उसके पिता न्याय के लिए न्यायालय जाते हैं और उसके बाद उसके पिता की मृत्यु के बाद वह न्यायालय जाता हैं। वह न्याय और अंतिम न्यायनिर्णयन के लिए न्यायालय में प्रतीक्षा कर रहा हैं। यह उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की स्थिति है।

न्यायालयों में भ्रष्टाचार से सभी अवगत हैं। *न्यायधीश अपने अधिकारों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कर रहे हैं। आपको पता है हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि कोची शहर से सभी मच्छरों को हटाया जाना चाहिए। क्या यह उच्च न्यायालय का अधिकार है? सभी मच्छरों को हटाना या नष्ट करना कोची नगर निगम की ड्यूटी है। इस प्रकार के निर्णय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए जा रहे है। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है और यह सबको अच्छी प्रकार ज्ञात है।

न्यायधीशों की नियुक्ति के बारे में एक ही बात दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे सम्मानित सहकर्मियों ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख किया है। मैं उनकी बात से सहमत हूं।

अंत में, मेरा कहना है कि विधि मंत्री को अधीनस्थ न्यायालयों, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। महोदय, सत्र तथा जिला न्यायाधीश के न्यायालय, मुंसिफ और मजिस्ट्रेट न्यायालय देश की न्यायिक प्रणाली के स्तंभ हैं। जहां तक मुझे ज्ञात है आप भी मुझसे सहमत ही होंगे कि कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य उच्च न्यायालयों के पास अपीलीय अधिकारिता है। केवल इन्हीं तीन उच्च न्यायालयों के पास मूल क्षेत्राधिकार है। इन तीन उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य उच्च न्यायालयों के पास अपीलीय प्राधिकार है।

महोदय, अधीनस्थ न्यायालयों से न्याय का स्तंभ होने की उम्मीद की जाती है। जैसे कोई व्यक्ति मुंसिफ न्यायालय या मजिस्ट्रेट न्यायालय में कोई मामला दायर करता है तो अंततः वह न्याय प्राप्त करने के लिए सत्र तथा जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाएगा। निचले न्यायालयों, मुंसिफ न्यायालयों, मजिस्ट्रेट न्यायालयों और सत्र तथा जिला न्यायालयों की स्थिति बहुत खराब है। इन न्यायालयों की अवसंरचना की स्थिति बहुत खराब है। कुछ समय पहले मुझे इस प्रकार के एक न्यायालय में प्रस्तुत होने का एक अवसर मिला जहां मैंने पाया कि स्थिति किसी गौशाला जैसी है। इस प्रकार की स्थिति न्यायपालिका के कार्यकरण के लिए ठीक नहीं है। यह न्यायनिर्णयन के लिए भी ठीक नहीं है। अतः सरकार को देश में बेहतर न्याय और न्यायपालिका के बेहतर कार्यकरण के लिए निचली अदालतों, मुंसिफ न्यायालयों, मजिस्ट्रेट न्यायालयों और सत्र तथा जिला न्यायालयों पर ध्यान देना चाहिए।

समयाभाव के कारण मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा (जगतसिंहपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। न्यायाधीशों को समुचित वेतन, भत्ते और अन्य लाभ दिए जाने चाहिए जैसा कि विधि और न्याय मंत्री ने सुझाव दिया है।

सर्वप्रथम मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि न्यायालय न्याय के मंदिर होते हैं। उन्हें सर्वोपरि स्थान देना होगा। उन्हें अपनी छवि बेदाग और निष्पक्ष बनाए रखनी होगी। न्यायाधीशों के विरुद्ध पहले यौन-शोषण के आरोप लगाए गये थे जो निसंदेह दुखद बात है। आपराधिक मामलों के वकील के रूप में 33 वर्ष की वकालत के दौरान ड्रग माफिया आजाद परवेज और दारा सिंह के लिए भी वकालत की जहां मैंने पाया कि अवसंरचना की कमी के कारण विचारण में विलंब होता हैं। किसी विचारण को पूरा होने में पांच वर्ष से भी अधिक समय लग जाता था। यह बहुत ही गंभीर मामला है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा उचित स्तर पर न्याय प्रदान करने का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाएगा।

मैं माननीय विधि मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हम अपनी सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था का दंभ करते हैं जबकि हमारी न्यायिक प्रणाली लोगों को समय पर न्याय प्रदान करने में अक्षम है या समय पर न्याय प्रदान करने के लिए कोशिश करती नहीं दिखती है। मेरे कुछ साथियों ने ठीक ही कहा है कि विलंब से मिला न्याय, न्याय न मिलने के बराबर होता है। वकालत के पेशे में मुझे राउरकेला से लेकर कोरापुट तक वकालत करने के अवसर मिले और मैंने पाया कि उन मामलों में विचारण में विलंब का कारण सुविधाओं की कमी है। गवाह उपस्थित नहीं हो रहे थे। गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए जा रहे थे। मामले लड़ने के लिए सक्षम लोक अभियोजक नहीं होते थे जिसके फलस्वरूप न्याय प्रदान करने का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाता था। पहले हमने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक पर चर्चा की। मेरी जानकारी के अनुसार दहेज के कारण हुई मौत और उत्पीड़न के कई मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े हुए हैं और उनके निपटान के लिए विचारण पांच से भी अधिक वर्षों से चल रहा है। यह गुहार भी लगाई गई कि महिलाओं को समय पर न्याय देने के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया जाए लेकिन ऐसा कभी नहीं किया गया।

महोदय मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि दांडिक अपील के मामले भी उच्च न्यायालय में दस से भी अधिक वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं।

महोदय, अनेक लोग न्यायालय में मामले को सुनवाई हेतु लिए बिना कई वर्षों से जेल में सड़ रहे हैं। कई मामलों में न्यायालय उनकी जमानत की अर्जियों को समय पर नहीं निपटा रहा है। न्यायालय को लोगों को समय पर न्याय अवश्य देना चाहिए। यदि आपराधिक मामले में अपील खारिज कर दी जाती है तो अपीलार्थी अपनी शिकायत निवारण के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील करना चाहता है। मैं उड़ीसा राज्य का हूं जो पिछड़ा राज्य है। मेरे राज्य के लोग वित्तीय कठिनाईयों के कारण उच्चतम न्यायालय जाने में सक्षम नहीं है।

हम कहते हैं कि न्यायाधीश को न्याय करते समय निर्भीक और निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन हमें यह देखना होगा कि व्यवहारिकता में ऐसा कितना होता है।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उड़ीसा उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद रिक्त होने के कारण कई मामले लंबित पड़े हुए हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय में 1,50,000 से अधिक मामले लंबित हैं। हमारे राज्य के लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए 30 से भी अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है। लेकिन आजादी के 58 वर्ष बाद भी केवल 14 न्यायाधीशों द्वारा लोगों को न्याय प्रदान करना कठिन है। अत: विधि मंत्री को यह देखना होगा कि लोगों को वास्तव में न्याय प्रदान करने के लिए वे किस प्रकार पर्याप्त कदम उठा सकते हैं।

मेरे कुछ विद्वान साथियों ने अधीनस्थ न्यायालयों की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की है। निचले स्तर पर लोगों को न्याय प्रदान करने में अधीनस्थ न्यायालयों की अहम भूमिका होती है। लेकिन मैं पाता हूं कि कुछ जिला मुख्यालयों और उप मंडलीय मुख्यालयों में न्यायालय बहुत ही खराब स्थिति में हैं। उनका समुचित अनुरक्षण किए जाने की आवश्यकता है। जब अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो उसके मन में कुछ डर होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि कभी-कभी दण्डाधिकारी बसों में अपराधियों के साथ सफर करने के लिए मजबूर होते हैं। अत: जब तक अधीनस्थ न्यायालयों की स्थिति को सुधारने के लिए समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है तब तक हम गरीबों और दलितों को न्याय प्रदान नहीं कर सकते हैं।

महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि प्रथम अपील के साथ-साथ दूसरे अपील जैसे सिविल मामले दो दशकों से भी अधिक समय से हमारे न्यायालयों में लंबित हैं और इन मामलों को न्यायालयों द्वारा निपटाया नहीं जाता है। मुझे उम्मीद है कि न्यायिक प्रणाली, जो हमारे देश की रीढ़ है और निरीह जनता की स्वतंत्रता की संरक्षक है, को और अधिक महत्व दिया जाएगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि मेरे राज्य की जनता को वास्तव में न्याय प्रदान करने के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय में और न्यायाधीशों की

नियुक्ति की जाएगी। अभियुक्तों को अनिश्चित काल तक अभिरक्षा में सड़ने नहीं दिया जाएगा। यह न्याय प्रदान करने का कोई तरीका नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. सिबैस्टियन पॉल (एर्णाकुलम): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इसमें विमत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अपने न्यायाधीशों को शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छी स्थिति में रखने के लिए उनके वेतन, भत्ते और प्रसुविधाओं की समय-समय पर समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, न्यायपालिका की वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिए इस अवसर का पूरा उपयोग किया जा सकता था। राज्य की तीनों शाखाओं के बीच जांचोपाय के उत्कृष्ट संवैधानिक प्रावधान के समक्ष गंभीर खतरा है। ये परस्पर एक दूसरे पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हैं और अभी हाल ही में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने सरकार ही नहीं बल्कि संसद को भी विभिन्न मुद्दों पर विधिमान्य कानून बनाने के पहले न्यायपालिका को बंद कर देने की चुनौती दी है।

ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से बचा जाना चाहिए। अपने उत्तराधिकारियों के चयन में न्यायाधीशों की स्वयं की असंतोषजनक स्थिति को ठीक किया जाना चाहिए। भारत शायद ऐसा पहला देश है जहां न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के मामले में राजनीतिक कार्यपालिका का कोई नियंत्रण नहीं है। मुझे लगता है कि संवैधानिक उपबंधों का निर्वचन करके शक्तियां गलत तरीके से हथियाई गई हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार ने इस निर्णय को चुनौती नहीं दी। अत: उसकी समीक्षा की जानी चाहिए और उस प्रक्रिया को ठीक किया जाना चाहिए। सही वैध स्थिति को बहाल किया जाए।

अमीरका में भी राष्ट्रपति सीनेट के अनुसमर्थन के अध्यधीन न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसका मतलब है कि उस नियुक्ति प्रक्रिया में संसदीय नियंत्रण या संसद की भांगीदारी होती है। अत: वह स्थिति पुनर्स्थापित की जानी चाहिए। अत: न्यायाधीशों के उपर्युक्त चयन के लिए तत्काल एक योजना तैयार करना अपरिहार्य हो गया है ताकि सामाजिक सोच और प्रतिबद्धता वाले न्यायाधीशों का चयन हो सके क्योंकि हमें अब खतरा महसूस हो रहा या उसका सामना भी करना पड़ रहा है कि उच्चतम न्यायालय से कई ऐसे निर्णय आ रहे हैं जिसमें आम लोगों और गरीब लोगों की चिंता किए बिना सामाजिक दृष्टिकोण या प्रतिबद्धता का अभाव है। और यह उनके पक्षपातपूर्ण और वर्ग आधारित भावना का परिचायक है, जिनकी नियुक्ति स्वयं न्यायाधीशों द्वारा की जाती है।

पहले की स्थिति कुछ संतोषजनक थी जब न्यायाधीशों का चयन सरकार के राजनीतिक स्कंधों द्वारा किया जाता था। उस स्थिति को पर्याप्त रक्षोपाय के साथ बहाल किया जाना चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पर्यवेक्षण के अनन्य प्रयोजन के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन पर सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): सभापति महोदय, जजों की सैलेरी और पेंशन के बारे में यह बिल लाया गया है। सरकार और सांसद ही इस देश को चलाते हैं। मीडिया, सरकार और न्यायपालिका को लोकतंत्र के पिल्लर कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जजों का बहुत महत्व है। उनको ज्यादा से ज्यादा सैलेरी देनी चाहिए। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यहां जो फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस वर्क आउट की गई हैं, वे शायद गलत हैं। जजों की सैलरी, अलाउंसिस, पेंशन आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे टोटल कांसोलीडेटिड फंड पर कितना बोझ पड़ेगा, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया जाता है। इसका उद्देश्य यही है। जब हम ऐसा करने जा रहे हैं तो सरकार के ऊपर कितना सालाना बोझ आएगा। मैंने देखा है और इन्होंने बताया है कि दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा का प्रतिशत उसमें दिया है। 30 लाख रुपए साल का खर्चा आएगा। मैं मंत्री जी से इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। हम जो सैलरी बढ़ा रहे हैं वह पूरे देश के जजों के लिए बढ़ा रहे हें या सिर्फ दिल्ली, पंजाब और हरियाणा का मामला है। जो आपने एक्ट प्रस्तुत किया है उससे जो सैलरी बढ़ेगी, उससे हर राज्य पर बोझ बढ़ने वाला है।...*(व्यवधान)*

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): यह कौन कहता है कि सैलरी बढ़ा रहे हैं? आप पहले इसे पूरा पढ़िए।

श्री हरिभाऊ राठौड़: डीए तो बढ़ा रहे हैं।

श्री हंसराज भारद्वाज: डीए भी नहीं बढ़ रहा है। इसमें तीन प्रावधान हैं। डीए मर्ज होने से सिविल सर्विसिज की पेंशन बढ़ गई हैं। लेकिन जजों को पेंशन कम मिल रही है। अब इस कानून के जरिए पेंशन बढ़ाई जाएगी। डीए और पे मर्ज करके पहले जो पेंशन मिल रही है, वही मिलेगी, सिर्फ लॉ अमैंड करना है। सम्पचुअरी एलाउंस जो 2,000 रुपये मिल रहा था, उसे 4,000 रुपये कर दिया गया। यह चाय-पानी का खर्च है। तीसरा, पेंशन का है। जस्टिस संतोष हेगड़े कर्नाटक के जज थे जो बाहर से आए थे। उनको पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन हमने दस साल उनके एड करके उनकी भी पेंशन कर दी। इसके अलावा इसमें कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं है। यह छोटा सा बिल है जो बहुत इनॉकुअस है। इसमें कोई सैलरी, डीए नहीं बढ़ रहा है।

श्री हरिभाऊ राठौड़: इसमें पेंशन बढ़ रही है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है। इसे मानना चाहिए कि यह पूरे देश में लागू हो रहा है। इससे कन्सौलीडेटेड फंड पर बोझ पड़ेगा।

मैं मानता हूं कि मंत्री जी ने क्लैरीफाई किया है, लेकिन आजकल कोर्ट की इंटरफियरैंस इतनी बढ़ रही है कि कभी-कभी यह बात चलती है कि सरकार कौन चलाता है। यह बात भी आती है कि कोर्ट ही सरकार चलाती है।

मैं एक बात बताना चाहता हूं। जब मेडीकल कॉलेज में कुछ मामला गया था, तो फीस कितनी होनी चाहिए, इसे भी कोर्ट ने तय किया। कॉलेज में कितनी फीस होनी चाहिए, यह देखना सरकार का काम है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इन बातों में नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह उनके दायरे में नहीं आता। जहां संविधान की बात हो, वहां ठीक है। परसों भी यहां बहुत हंगामा हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरीफाई किया कि हम सरकार को बता रहे हैं कि इसमें लूपहोल्स हैं, आप उन्हें दुरूस्त कीजिए। इससे पहले पूरे देश में हंगामा हुआ कि सारे जजेस कौन थे, कोई एससी, एसटी या ओबीसी के थे। एससी, एसटी का कोई नहीं था। जब एससी, एसटी के बारे में बात हो, तो उसके लिए एससी, एसटी या ओबीसी का जज होना चाहिए। इसे भी देखना चाहिए। आज संसद में अच्छी बात हुई। सुप्रीम कोर्ट को भी मानना चाहिए और सरकार ने भी माना है कि हम अपने-अपने क्षेत्र में काम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। साथ ही, हमें इसका भी ध्यान रखना होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों के संबंध में लोगों के भिन्न-भिन्न विचार हैं। परन्तु, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। यह सत्य है कि विधिक मामलों में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च प्राधिकरण है; परन्तु कुछ मामलों में वे संविधान द्वारा निर्देशित सीमा का अतिक्रमण कर रहे है। मैं भी विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की अपनी-अपनी भूमिका है परन्तु उनमें विशेषकर नीतिगत मामलों के साथ-साथ प्रशासनिक मुद्दों पर आपस में विरोध नहीं होना चाहिए।

न्यायिक क्षेत्र में हाल में घटी कुछ घटनाओं के आलोक में ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका हम उदाहरण दे सकते हैं। मेरे अनुसार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, उत्तरदायित्व का है जैसा कि कुछ अन्य माननीय सदस्यों में जिक्र किया है। मेरे विचार से कई अन्य देशों में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग इत्यादि जैसे तंत्र है। जब हम कहते है कि कोई, तंत्र हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को किसी प्रकार कम कर रहे हैं। वास्तव में, हम न्यायपालिका की विश्वसनीयता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हम न्यायधीशों की नियुक्ति, उनके स्थानांतरण और अन्य सभी मामलों के संबंध में उन पर पड़े काम के बोझ को कम कर रहे हैं।

दूसरा मुद्दा यह है। जब हम न्यायाधीशों की सुविधाओं के बारे में विचार करते हैं तब हमें सामान्य लोगों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी विचार करना होगा। मैं न्यायपालिका में जनशक्ति आयोजना विषय पर विधि आयोग के 120वें प्रतिवेदन से उद्धृत करना चाहूंगा।

इसमें कहां गया है:

"यह प्रतिवेदन विशेष रूप से न्यायिक जनशक्ति आयोजना की समस्या के संबंध में है, जिस क्षेत्र की भारत के नियोजित विकास में सामान्यत: उपेक्षा की गई है।"

जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो में उल्लेख करना चाहूंगा कि आज भारत में प्रति दस लाख की जनसंख्या पर केवल 10.5 न्यायधीश हैं। जब हम मामलों की संख्या के बढ़ाने की बात करते है तब हमें अवसंरचना को भी देखना होगा। साथ ही, ऐसे देशों में जहां की जनसंख्या भारत की तुलना में काफी कम है वहां न्यायधीशों की संख्या अधिक है। आस्ट्रेलिया में प्रति दस लाख की जनसंख्या पर 41.6 न्यायधीश है; कनाडा में, प्रति दस लाख की जनसंख्या पर 75.2 न्यायधीश हैं। इंग्लैंड में, प्रति दस लाख की जनसंख्या पर 15.9 न्यायधीश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति दस लाख की जनसंख्या पर 107 न्यायधीश है। यह दर्शाता है कि हमें अवसंरचना को अत्यधिक महत्व देना है।

अपने भाषण को समाप्त करने से पहले, मैं केरल के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। 30.9.2004 तक, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 2,54,204 थी, मजिस्ट्रेट न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 4,06,308 थी, और कुल लंबित मामलों की संख्या 6,60,522 थी। आप जरा न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों की संख्या के बारे में सोचिए।

कुटुम्ब न्यायालयों में भी लंबित मामलों की संख्या 29,849 थी और वर्ष 2004 तक लंबित मोटर दुर्घटना दावों की संख्या 1,59,733 थी। इसका मतलब यह हुआ कि न्यायधीशों की संख्या न केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कम है बल्कि जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में भी कम है। इसलिए, इन न्यायालयों की अवसंरचना को तत्काल सुदृढ़ करना होगा।

केवल न्यायधीशों के वेतन और भत्तों को बढ़ाने का मसला नहीं है। अवश्य ही, यह अत्यंत आवश्यक है। साथ ही, जब हम

सामाजिक दायित्व की बात करते हैं तो इसका संबंध इस देश की जनता के साथ है परन्तु उन्हें इनका लाभ नहीं मिल रहा है और उन्हें वह नहीं मिल रहा जिसकी उन्हें वास्तव में आवश्यकता है। इसलिए, मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे पर भी यथाशीघ्र विचार करना होगा।

सभापति महोदय: अब, माननीय मंत्री जी उत्तर देंगें।

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा कुछ बिन्दुओं को उठाया गया है। मैं इस विधेयक को सर्वसम्मति से समर्थन दिए जाने पर इस सभा के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं क्योंकि इस सभा और दूसरी सभा की यह परंपरा रही है कि हम जब भी न्यायधीशों के वेतन और सेवा शर्तों पर चर्चा करते हैं तो यह सभा इसका सर्वसम्मति से समर्थन करती है। ऐसा न्यायपालिका के प्रति संसद की भावना के कारण होता है। मैं इस सभा की भावनाओं के प्रति बहुत आभारी हूं और उम्मीद करता हूं कि न्यायपालिका भी हमारी भावनाओं का आदर करेगी।

महोदय, माननीय सदस्य, श्री खारबेल स्वाईं जिन्होंने इस वाद-विवाद की शुरूआत की उन्होंने कुछ बुनियादी प्रश्नों को उठाया। मैंने उन्हें नोट किया है। 1993 के बाद, संविधान में उपबंधित की गई परामर्श की प्रक्रिया के बारे में हम सभी व्यथित हैं। इसकी शुरूआत उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय से होती है। तत्पश्चात, यह राज्य सरकारों के पास जाता है, उसके बाद विधि मंत्री के पास, उसके भारत के मुख्य न्यायधीश के पास, उसके बाद प्रधानमंत्री के पास और तत्पश्चात राष्ट्रपति के पास जाता है। यह एक सहभागिता वाली परामर्श प्रक्रिया है जिसके माध्यम से काफी परिष्करण किया जाता है और सभी के विचार उपलब्ध होते हैं, और अन्ततः भारत के राष्ट्रपति की सहमति-में इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि वह नियोक्ता प्राधिकारी हैं। अतः शक्ति अभी भी भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। एडवोकेट ऑन रिकार्ड बनाम भारत सरकार के मामले में निर्णय के कारण एकमात्र विसंगति जो आई है वह यह है कि न्यायपालिका ने अपने विचारों को कार्यपालिका पर बाध्यकारी बना दिया है और वे जो भी सिफारिश करते है हम उनके विचारों से बंधे हुए हैं क्योंकि उनका कहना है कि उनके विचार सामूहिक विचार हैं और न कि केवल मुख्य न्यायधीश के विचार हैं और यह उच्चतम न्यायालय का सामूहिक निर्णय है। इसलिए, सभी लोग इस पर उद्वेलित हैं।

श्री वाजपेयी की पूर्व सरकार राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाने के लिए एक विधेयक लेकर आयी थी परन्तु उन्होंने न्यायमूर्ति वेंकटचैल्लया की अध्यक्षता में एक संविधान समीक्षा समिति की भी नियुक्ति कर दी। जो भी शक्ति और आकार इस आयोग को दी गई है वह वेंकटचैल्लया समिति की सिफारिश नहीं थी और हम इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हो सके थे।

यह मामला अभी भी खुला है। जैसा कि सभा में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है और जब हम सभी सहमत हैं, हम किसी ऐसी पद्धति को खोजने का प्रयास करेंगे जिसके द्वारा हम पुरानी प्रक्रिया को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं जहां न्यायपालिका की सिफारिश की कोई बाध्यकारी प्रकृति नहीं है। वस्तुतः, पहले भी, जब मैं 1985 से इस देश का दो बार विधि मंत्री रहा था, तब मुझे पता है एस.पी. गुप्ता के मामलें में और उसके बाद श्री सुभाष शर्मा के मामले में मुख्य न्यायधीश की सर्वोच्चता पर वास्तव में प्रश्नचिह्न लगा था। इसलिए सर्वोच्चता को पुनः स्थापित किया गया है, परन्तु अब मुख्य न्यायधीश के विचारों की सर्वोच्चता उनके अपने सहकर्मियों द्वारा ही छीन ली गई है। यदि दो न्यायधीश किसी निर्णय को अवरूद्ध करते हैं तो मुख्य न्यायधीश का कार्यालय प्रभावी बन जाता है। इसलिए, यह प्रणाली वैसा परिणाम नहीं दे पा रही है जिसकी इससे अपेक्षा थी। इसलिए, हम इस पर विचार कर रहे हैं।

दूसरा मुद्दा न्यायिक जवाबदेही और भ्रष्टाचार के बारे में उठाया गया था। मुझे खुशी है कि इस मुद्दे को उठाया गया है। आपने इसे अवश्य पढ़ा होगा। मैंने राष्ट्रीय न्यायिक परिषद पर एक विधेयक पहले ही तैयार किया है और उसे न्यायपालिका को परिचालित कर दिया है जो न्यायपालिका को देश के प्रति उत्तरदायी बनाएगी। भारत के प्रत्येक नागरिक को गलती करने वाले न्यायधीशों के बारे में शिकायत करने के लिए एक मंच उपलब्ध होगा और इस बारे में उनकी जांच और छानबीन उनके अपने सहयोगियों द्वारा ही की जाएगी। इस परिषद पर विचार-विमर्श यदि समाप्त हो जाता है तो मुझे लगता है कि संसद के अगले सत्र तक में इस महान सभा में इस विधेयक को आपकी स्वीकृति के लिए लाऊंगा।

हम कुछ भी किसी संस्थान को बिना उत्तरदायित्व के नहीं छोड़ रहे हैं। संसद भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी है और हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हमारी कई तरीके से छानबीन होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सही समय है कि सभी संस्थानों को उत्तरदायी बनाया जाए, और न्यायधीशों को सरकार के इस विचार के बारे में पहले से ही जानकारी है। इसलिए, हम इस बारे में कार्य कर रहे हैं। हमने व्यापक तौर पर कनाडा मॉडल, अमेरिकन मॉडल और अन्य स्थानों से विचार लिया है और इस विचार पर पहुंचे हैं। इसलिए, जल्द ही हमारे यहां राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का गठन हो जाएगा जहां सभी नागरिकों की शिकायतों का निपटान किया जाएगा। यह न्यायिक उत्तरदायित्व और भ्रष्टाचार के संबंध में है।

[श्री हंसराज भारद्वाज]

अब जहां तक न्यायाधीशों की संख्या की बात है प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या तय होती है और प्रत्येक तीन वर्ष के बाद उसकी समीक्षा की जाती है ताकि यह देखा जा सके कि और कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। इसलिए हम लोग प्रत्येक तीन वर्ष पर न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या और कार्यभार की समीक्षा करते हैं। उस समीक्षा के आधार पर हम और न्यायाधीश उपलब्ध कराते हैं। इस बात की जानकारी हम सब को है कि उच्च न्यायालय के मामले में वित्तीय भार का वहन राज्य द्वारा किया जाता है। इसलिए हमें उनकी राय भी लेनी होती है।

जहां तक अधीनस्थ न्यायालय का संबंध है, अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिक जोर दिया गया है। मैं इसके बारे में बहुत ही सचेत हूं। प्रथम कार्यकाल की शुरूआत में मैंने न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग का गठन किया था और उनसे अनुरोध किया था कि वह देखें कि पूरे देश में न्यायिक अधिकारियों के लिए कैसे एक समान वेतनमान निर्धारित किया जा सकता है। रिपोर्ट मिल गयी है लेकिन आप जानते है कि अधिकतर राज्यों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने उस रिपोर्ट को कार्यान्वित करने में कुछ आपत्ति दिखाई है। लेकिन यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अधिकतर राज्यों ने वित्तीय स्थिति खराब होने के बावजूद इस रिपोर्ट को कार्यान्वित किया है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): आपको राज्यों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। आप राज्यों की वित्तीय स्थिति के बारे में जानते हैं।

सभापति महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री हंसराज भारद्वाज: कृपया मेरी बात सुनिए। मैं पहले से ही मदद कर रहा हूं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं। क्या आप सुनने की कृपा करेंगे। जितना मैं कर सकता हूं, उतनी मदद मैं आपको कर रहा हूं। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो बाद में पूछ सकते हैं।

शेट्टी आयोग के संबंध में राज्यों का रवैया बहुत उदार रहा हैं। जैसा कि मैंने इस सभा को स्मरण कराया कि न्यायपालिका के लिए गुंजाइश रखने के मामले में सभी राज्य उदार रहे है और उन्होंने इसका कार्यान्वयन किया है। हमने उन्हें उनके बकाए का भुगतान भी कर दिया है। इसलिए शायद ही ऐसी कोई चीज बचती है जिसे अभी तक नहीं किया गया है या की किया जाना शेष है। जहां तक सहायता का संबंध है, पिछली सरकार ने फास्ट ट्रैक न्यायालयों के लिए वित्त आयोग से 500 करोड़ रु. दिये थे। वह बहुत ही अच्छा उपाय था क्योंकि बकाया मामलों के निपटान हेतु पहली बार कुछ राशि केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा राज्यों को दी गयी। महोदय, फास्ट ट्रैक न्यायालयों को 15 लाख मामले सौंपे गये थे जिनमें से आठ लाख मामलों पर सुनवाई हुई और उन्हें निपटाया गया। यह बात अब सामने आई कि यदि हम राज्यों की मदद करते हैं, तो लंबित मामलों को निपटाया जा सकता है।

महोदय, यह जानकर आपको खुशी होगी कि मैंने इसके लिए बजटीय निधियों का प्रावधान किया है। हम सभी राज्यों में जिला स्तर पर 1500 फास्ट ट्रैक न्यायालय जारी रखेंगे और इसका शत-प्रतिशत वित्त-पोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। राज्यों में न्यायालयों को पूर्णत: कंप्यूटरीकृत बनाने के लिए मैंने लगभग 400 करोड़ रु. दिये हैं। राज्यों के कंप्यूटरीकरण के लिए शत-प्रतिशत निधि केन्द्रीय बजट से दी जाती है। तहसील और तालुका स्तर के न्यायालयों की अवसंरचना में सुधार करने के लिए उन्हें पूर्णत: कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। हम पहले से ही न्यायालय भवन और और न्यायिक आवास की अवसंरचना में 50:50 के आधार पर राज्यों के साथ भागीदारी कर रहे हैं। हम अभी भी योजना आयोग से 10 वर्ष की संदर्शी योजना देने के लिए अनुरोध कर रहे हैं जिसके आधार पर हम राज्यों को और अधिक न्यायालय भवन, न्यायिक आवास, विधिज्ञ कक्ष के निर्माण में मदद कर सके। यह एक सतत प्रक्रिया है। हमारा देश विशाल है। हमारे देश की जनसंख्या भी बहुत अधिक है। लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। वे लोग न्यायालय जा रहे है। ऐसा नहीं है कि न्यायालय मामले को निपटा नहीं रहे हैं फिर भी निपटान दर समान बनी रहती है। उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश से अपेक्षा रहती है कि वह एक वर्ष में 1000 मामले निपटाएं। औसत वही है। लेकिन मामलों की संख्या बढ़ गई है जिस पर हमें काबू पाना होगा ताकि लंबित मामलों को निपटाया जा सके। हम लोग प्रणाली का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रयास कर रहे है। हम लोग पुरानी पद्धति से काम कर रहे थे जिसमें साक्ष्य हस्तलिखित हुआ करते थे। अब इसे पूर्णत: कंप्यूटरीकृत बनाया जाएगा। उस परिणाम को देखिए जो उच्चतम न्यायालय ने कंप्यूटरीकरण के माध्यम से प्राप्त किया है।

अब आप आज एक मामला दायर करते है, कल न्यायालय में इसका उल्लेख होता और तीसरे दिन इसे सूचीबद्ध कर लिया जाता है। मेरे समय में, जब मैं वकालत करता था, एक मामले को सूचीबद्ध होने में ही छ: महीना या एक वर्ष लग जाता था। लंबित मामलों की संख्या 1 लाख से घटकर 30,000 हो गई है। उच्च न्यायालयों में भी लंबित मामलों की संख्या में कमी आई है। न्यायापालिका के वित्त पोषण के मामले में हमें उदार बनना होगा। आप मेरी इस बात से सहमत होगें कि आज आम आदमी न्याय के लिए उतावला हैं। हमने आजादी के दिन से ही त्वरित और सस्ता न्याय दिलाने का वायदा किया था लेकिन आम आदमी को आज भी लगता है कि न्याय उनसे कोसों दूर है। हम लोग यही

319

कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने भी लोक अदालतों की शुरूआत की थी यह अच्छा कदम था। ए.डी.आर. की शुरूआत करके हम इसे और भी सुदृढ़ बना रहे है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस दिशा में विगत कुछ महीनों के दौरान अनुठा कार्य किया है। मैं वहां गया हूं। वे प्रखण्ड स्तर पर सुलह केन्द्र की शुरूआत कर रहे है। सुलह, मध्यस्थता और ये सभी विवाचन न्याय-निर्णयन की सुविख्यात प्रदत्त प्रणालियां है। सुलह कराने के मामले में हमारे देश का नवोन्मेषी होना होगा। मैं भी वैतनिक न्यायालय की देख-रेख में ग्रामीण न्यायालयों की शुरूआत शीघ्र करने पर विचार कर रहा हूं। लोगों के घरों की दहलीज पर ही न्याय उपलब्ध कराने के लिए एक मजिस्ट्रेट गांव तक जाएगा और मुझे आशा है कि मैं बहुत जल्द यह विधेयक आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आपको न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता होगी। न्यायपालिका को और अधिक जनशक्ति प्रदान किए बिना शायद यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि एक न्यायाधीश दिन-रात काम करें। उसके लिए आपको इस सभा के सहयोग की आवश्यकता होगी। आपको यह जानकर खुशी होगी कि दो महीने पहले मैंने सभी राज्यों के विधि मंत्रियों को शिमला में आमंत्रित किया था और वहां उनके साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण बैठक की थी जिसमें प्रत्येक ने हमें आश्वासन दिया कि वे भारत में आधुनिक न्याय तंत्र स्थापित करना चाहते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की इस बात से सहमत हूं कि न्यायिक सुधार के बिना इन सभी सुधारों का क्या उपयोग है। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ-साथ न्याय प्रणाली में भी सुधार होना चाहिए। मैं आपसे वायदा करता हूं कि आने वाले समय में भारत में दुनिया का उत्कृष्ट न्याय तंत्र होगा।

आज प्रत्येक राज्य में एक अकादमी है। भोपाल में एक शीर्ष अकादमी है जहां हमारे साथ प्रशिक्षण के लिए बाहर से न्यायाधीश आ रहे है। इस दिशा में धीरे-धीरे हमारी स्थिति सुदृढ़ हो रही है। अत: मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यह प्रणाली सही दिशा में जा रही है। हम न्याय की गुणवत्ता को कम नहीं कर सकते हैं। उसे बनाए रखने की जरूरत है। आम आदमी को उचित न्याय प्रदान किया जाना चाहिए। यही हमारी चिंता है।

अब, माननीय अध्यक्ष महोदय ने दूसरे पहलू पर चर्चा की, यद्यपि उसे आज सुबह पूरा कर लिया गया है। कुछ बिन्दुओं पर विवाद है। कतिपय मामलों के बारे में एक टिप्पणी न्यायालय से आ जाती है। ठीक उसी प्रकार कभी-कभी हमें भी लगता है कि यह मामला न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। उदाहरणस्वरूप इस सभा में जो कुछ होता है वह न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इसे केवल पीठासीन अधिकारी विनियमित कर सकता है। यह सभा का विशेषाधिकार है। इसे भी उतना ही विशेषाधिकार है जितना किसी अन्य संस्था को है। यह संप्रयुक्ता-संपन्न सभा है। हमें इसकी संप्रभुता बनाए रखनी होगी। हम इस सभा में हम संगठित रहकर ही संसद की शक्ति को अनुरक्षित रख पाएंगे और हम इसे अनुरक्षित रखेगें। हमने ऐसा दिखा भी दिया है कि जब-जब यह सभा एक हुई है तब-तब इसके पास विपुल शक्ति और संप्रभुता आई है। इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं हैं क्योंकि हमारी शक्ति की पीठासीन अधिकारी ही विनियमित करता है और संसद की सर्वोच्च परंपरा और इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। अत: इसके लिए किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है।

ठीक इसी प्रकार हमने और इस संसद ने कानून और संविधान के निर्वचन का काम न्यायपालिका को सौंपा है। यह हमारा ही निर्णय है कि संविधान के अधीन यह शक्ति न्यायपालिका को प्रदान की गई है। हमें उनके निर्णय के प्रति आदर रखना चाहिए और हमें इस बात का गर्व है कि देश ने न्यायपालिका के न्याय निर्णयन का सम्मान करने की सर्वोच्च परंपरा को बरकरार रखा है। इस मुद्दे पर बार-बार नराजगी दिखाने का कोई कारण ही नहीं है। हम इस सभा से जो भी सिफारिश कर रहे हैं उस पर हम एकमत है। हम सब सहमत है। इस पर कोई मतभेद नहीं है। इसलिए इस देश में न्यायपालिका को सर्वदा न्याय का मंदिर माना गया है और इसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखी जानी चाहिए और हमने ऐसा ही किया है।

जहां तक सेवा शर्तों की बात है, हम इन तीनों मामलों को ला रहे है। उदाहरणस्वरूप, सिविल सेवक के मामले में, उनके मंहगाई भत्ते का विलय उनके वेतन में कर दिया गया है और पेंशन दो वर्ष पहले निर्धारित कर दी गई थी। मंहगाई भत्ते के विलय के बाद उन्हें अधिक पेंशन मिल रही है। न्यायाधीशों की पेंशन भी भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की पेंशन से जुड़ी है लेकिन हमने पहले ऐसा नहीं किया था। वास्तव में इसे दो वर्ष पहले कर दिया जाना चाहिए था। अब पुराने सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उतनी पेंशन नहीं मिल रही है जितनी उसे सेवानिवृत्ति के बाद मिलनी चाहिए। इस विधेयक के पारित होने के बाद उन्हें दो वर्ष की बकाया राशि मिलेगी क्योंकि पहले उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद कम पेंशन मिली है।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री, क्या न्यायाधीशों के लिए एक समान सेवानिवृत्ति आयु किए जाने का कोई प्रस्ताव है? उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के लिए यह 62 वर्ष है और उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों के लिए 65 वर्ष है। इसलिए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश जब रिटायर होने को होगा तो वह उच्चतम न्यायालय का न्यायधीश बनने की महत्वाकांक्षा करेगा। अत:, क्या रिटायर आयु एक समान किए जाने का कोई प्रस्ताव है?

श्री हंसराज भारद्वाज: महोदय, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ रहा हूं, मैं इस पर बोलूंगा। मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायर आयु को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव था। श्री राम जेठमलानी ने इस संबंध में गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक प्रस्तुत किया था। हमारे पास अभी भी एक प्रस्ताव है। इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। सबसे पहले मुझे सरकार में शामिल दलों और उससे बाहर के दलों से विचार-विमर्श करना है। मुझे यह कहने का अधिकार नहीं है कि हम रिटायर होने की आयु बढ़ाएंगे। पूर्ववर्ती सरकार ऐसा करने में संकोच कर रही थी। अब हमें इस प्रकार की बातों के लिए सर्वानुमति बनानी है। हम रिटायर होने की आयु बढ़ाने के पक्ष में हैं क्योंकि हमारी परिस्थितियां बदल चुकी हैं और इसमें एकरूपता होनी चाहिए। यह प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ लंबित है।

मैं विधायिका की शक्ति में हस्तक्षेप के विरुद्ध हूं और मैंने आपको आश्वासन दिया है कि अब तक थोड़ा बहुत विपथन हुआ है जिसके बारे में माननीय अध्यक्ष-हमारे अध्यक्ष एक अत्यंत प्रतिभावान अध्यक्ष है जो एक महान अधिवक्ता है-ने अध्यक्षपीठ से एक टिप्पणी की है। इसके बाद हमें मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

न्यायपालिका न्यायालय में अनेक मामलों को देख रही है। हमारे उच्चतम न्यायालय को जितने मामलों में निर्णय देना चाहिए उससे अधिक मामलों में निर्णय दे रहा है। 'द हाउस ऑफ लार्ड्स' ने एक वर्ष में एक सौ अधिक मामलों पर निर्णय नहीं दिया। अमेरिका का उच्चतम न्यायालय एक वर्ष में 50 से अधिक मामलों पर निर्णय नहीं देता है। लेकिन हमारे उच्चतम न्यायालय ने हजारों और लाखों मामलों पर निर्णय दिया। अत: न्यायालय बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमने इस संस्था की उपेक्षा की है। हमें न्यायपालिका को अधिक निधियां और सहयोग देना चाहिए और इस बात पर बल देना चाहिए कि वे मामलों पर निर्णय एक समय सीमा के अंतर्गत दे इसमें देर नहीं होनी चाहिए, कोई बकाया नहीं होना चाहिए।

मैं आपका अत्यधिक आभारी हूं कि आपने मुझे सहयोग दिया और मुझे आशा है कि यह विधेयक सर्वानुमति से पारित किया जाएगा।

श्री खास्खेल स्वाईं (बालासोर): मंत्री महोदय, मेरा मात्र एक प्रश्न है।

पूर्ववर्ती सरकार के समय साक्ष्य जुटाने, बहस के लिए समय निर्धारित करने और इसी प्रकार की अन्य बातों के लिए कुछ कानून पारित किए गए थे। अधिकांश अवसरों पर वकीलों ने बहुत सख्ती से इसका विरोध किया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनका क्रियान्वयन अभी भी किया जा रहा है या नहीं और क्या इससे न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने में कोई लाभ होगा।

श्री हंसराज भारद्वाज: महोदय, आपको ज्ञात होगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने सिविल वादों में किए जाने वाले कतिपय उपायों और सिविल वादों में सुलह, मध्यस्थता और आपसी सुलह की शुरूआत करके सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधनों को पारित करके अच्छा कार्य किया है।

यह देश के लिए बहुत अच्छा है। यदि 'बार' सहयोग करे तो हम न्यायालयों के समयबद्ध कार्यकरण की सिफारिश करें अन्यथा स्थगन के वाद स्थगन होता रहता है और इसके लिए कोई लागत नहीं लगाई जाती है। यदि आप केवल स्थगित करते रहे और कुछ न करें तो लंबित मामलों की संख्या बढ़ती रहेगी न्यायालयों पर दोष क्यों लगाया जाए? अत: सिविल प्रक्रिया संहिता के संशोधन द्वारा किए गए उपाय के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। हम सब कुछ का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और हम उसमें सुधार कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मेरे समक्ष 'शून्य काल' हेतु अनेक निवेदन हैं और हम रात्रि 9.00 बजे से पहले घर नहीं पहुंच सकेंगे। रोज मैं इसी प्रकार बैठ रहा हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब, सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 11 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 11 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और पूरा नाम विधेयक में जोड़े गए।

सभापति महोदय: अब, माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किए जाएं।

श्री हंसराज भारद्वाज: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, हम विशेष उल्लेख संबंधी सूचनाओं को लेगे। श्री राजनारायण बुधौलिया।

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र महोबा में कजली मेले का इतिहास करीब 823 वर्षों पहले महोबा के चंदेल राजा परमाल के शासनकाल से जुड़ा हुआ है जिसमें वीरगाथा काल के सुप्रसिद्ध कवि जगनिक द्वारा रचित 'परमाल रासो' के नायक आल्हा और ऊदल के पराक्रम से जुड़ा महोबा का यह ऐतिहासिक मेला लोगों को त्याग और बलिदान की याद सावन के महीने प्रतिवर्ष दिलाता है। पिछले 823 वर्षों से बराबर लाखों लोग आल्हा और ऊदल की वीरभूमि में आकर बड़े उत्साह से मेले में शामिल होते हैं। आज भी लोग इनके पराक्रमी साथियों के बलिदान व शौर्य को बड़ी श्रद्धा के साथ नमन करते हैं। आल्हा-ऊदल की शौर्य गाथा पूरे देश में और खासतौर पर बुंदेलखंड में आल्हा गायन के रूप में चर्चित है। इसी गाथा में एक लोकोक्ति है कि "पारस पथरी जिनके घर में, लोहा छुवत स्वर्ण हुई जाए"। लोगों का आज भी मानना है कि यह पारस-पथरी महोबा के प्राचीन सागर में है जिससे लोहा सोना हो जाता है।

इसी ऐतिहासिक महागाथा से जुड़े प्राचीन तालाब कीरत सागर व मदन सागर की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है तथा चरखारी में भी अति प्राचीन झीलें हैं। मेले के दौरान इन ऐतिहासिक झीलों को देखने के लिए लाखों पर्यटक यहां आते हैं। इन ऐतिहासिक स्थलों की खराब स्थिति व मेले का स्वरूप प्रदूषित होने के बावजूद लोगों में मेले के प्रति आस्था बरकरार है।

रात्रि 8.00 बजे

परंतु लोगों में इस बात को लेकर रोष है कि इतने लोकप्रिय व ऐतिहासिक महत्व के मेले को आज तक राष्ट्रीय मेले का दर्जा नहीं दिया जा सका। इस मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा न मिलने से लोगों में बहुत आक्रोश है। अभी मेले का आयोजन राज्य सरकारों के सहयोग से नगर पालिका परिषद द्वारा किया जाता है। पूर्व में इस मेले का आयोजन स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा किया जाता था। अत: मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि महोबा में मदन सागर एवं कीरत सागर, प्राचीन तालों का सौंदर्यीकरण, चरखारी की प्राचीन झीलों के विकास हेतु आवश्यक धन तुरंत उपलब्ध कराया जाए तथा ऐतिहासिक महत्व के कजली मेले को अगले वर्ष से ही राष्ट्रीय मेला घोषित करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, जिन्होंने विशेष उल्लेख संबंधी प्रस्तावों को लिख लिया है उसे पटल पर रखे ताकि हम उन्हें पढ़कर समय बचा सकें। उन्हें विशेष उल्लेख माना जाएगा। हम समय बचा सकते हैं। कृपया सहयोग कीजिए।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़): महोदय, कल शाम को दिल्ली के शकरपुर थाने के अंदर एक बम विस्फोट हुआ। महोदय, जीटीवी में काम करने वाले, निर्भीक, सामाजिक जर्नलिस्ट नवीन कुमार के ऊपर तीसरी बार आतंकवादियों द्वारा जानलेवा हमला हुआ जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, अक्षरधाम पर अटैक हुआ, नार्थ-ईस्ट में तब कुछ विशेष घटनाएं हुई ऐसी सब घटनाओं का भंडाफोड़ करने वाले नवीन कुमार जिसको बराबर धमकी मिलती रहती थी, और हमले हुए जिसको "Z" श्रेणी का सिक्योरिटी कवर होम मिनिस्ट्री की अनुशंसा से मिलती थी, कल उसे अभी दिल्ली के एक विधायक, और अर्थ मंत्री श्री अशोक वालिया जी की चिट्ठी पर दिल्ली पुलिस ने उनसे सिक्योरिटी कवर ले लिया। उसके नतीजे से आज राष्ट्रद्रोही ताकतों का मनोबल बढ़ा, उसके उत्तर में उन पर फिर हमला हुआ। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी तहकीकात हो, उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। उसकी जान माल की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए जो निर्भीक लड़ाई करते हैं उनको कड़ी सुरक्षा दी जाए। यही मेरा आपके सामने निवेदन है।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, वर्ष 1857 के नायक मंगल पांडे के नाम पर अभी मंगल पांडे-दि राइजिंग पिक्चर बनी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस पिक्चर के प्रदर्शन पर लोगों में भारी गुस्सा है। मंगल पांडे क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता

[श्री रामजीलाल सुमन]

संग्राम के प्रथम शहीद थे और इस देश की आजादी की लड़ाई में जो उनका योगदान था, उसके लिए यह देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। बलिया में जहां वे पैदा हुए, उस गांव का पिक्चर में कहीं नामो-निशान नहीं है और कुछ आपत्तिजनक दृश्य उस पिक्चर में दिखाए गए हैं। एक तवायफ के कोठे में दिखाया गया है और ऐसे कुछ दृश्य जिनका मंगल पांडे की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं था, वे दिखाए गए हैं। पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी भयंकर प्रतिक्रिया है और वहां लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, रास्ता जाम कर रहे हैं, रेल की पटरियां उखाड़ रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि केवल एक क्रांतिकारी का जीवन क्या था, उसका योगदान क्या था, इसको नजरंदाज करके, निर्माता ने कोशिश की है कि मंगल पांडे बिकाऊ माल कैसे बने? इसलिए ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का काम किया है। हमें सीख लेनी चाहिए, रिचर्ड एटन बोरों ने भी गांधी जी पर पिक्चर बनाई थी लेकिन उसमें कोई हल्कापन नहीं था। कोई ऐसी बात नहीं थी, जिसमें यह कोशिश की हो कि यह पिक्चर चलनी चाहिए। इसका ऐतिहासिक संदर्भों से संबंध है। यह बहुत गंभीर मामला है और मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार इसे संज्ञान में ले। तमाम रंगकर्मी, जो साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से वास्ता रखने वाले हैं और अभी भी हिन्दुस्तान में तमाम राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के सैनानी शेष है, उनकी भावनाएं काफी आहत हुई हैं। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि इस पिक्चर में जो आपत्तिजनक दृश्य हैं, उन दृश्यों को तत्काल निकालें क्योंकि आंदोलन हो रहे हैं। ऐसे तमाम लोग जिनका देश की आजादी में योगदान है, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम इस पिक्चर द्वारा किया गया है। सभापति महोदय, मुझे यही निवेदन करना था। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार (हरिद्वार): माननीय सभापति जी, अन्य राज्यों की तरह उत्तरांचल राज्य भी इस समय बाढ़ की चपेट में है, विशेषकर हरिद्वार में जहां गंगा नदी बहती है। गंगा नदी में भयंकर बाढ़ से लक्सर तहसील के झूमनपुरी, कलसिया सहित कई गांव जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, उनके किनारों में भारी कटाव के कारण गन्ने और धान की फसल की अत्यधिक बर्बादी हुई है, जिसमें लगभग 2000 बीघा उपजाऊ भूमि बाढ़ से कटाव में बह गई है, जिससे किसान भूखों मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं।

अत: महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसके किनारों में पत्थरों की सीलिंग लगाकर तटबंध बनवाया जाए और किनारे की जर्जर हो चुकी सड़कों का पुनर्निर्माण कराया जाए। साथ ही किसानों को बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों का उचित मुआवजा दिलाया जाए।

[अनुवाद]

श्री जुएल ओराम (सुंदरगढ़): मैं अपने क्षेत्र के निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले उठाना चाहता हूं।

कोयल नदी के पानी में बढ़ रहे प्रदूषण ने राऊरकेला टाउनशिप में और उसके आसपास रहने वाले लोगों के मन में बहुत चिंता पैदा कर दी है। सीवेज के जल और राऊरकेला स्टील प्लांट के अशोधित जल को नदी के जल में छोड़ने से बहुत अधिक प्रदूषण फैल रहा है। यही नदी जल का स्रोत है जिसका प्रयोग लोग पीने और अपने दिन-प्रतिदिन के अन्य कार्यों में करते हैं। इससे इस शहर में और इस क्षेत्र में शुद्ध पेय जल की उपलब्धता से बड़ा विवाद पैदा हो गया है। यह दुर्भाग्य है कि यह इस्पात संयंत्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निदेशों का उल्लंघन करते हुए अपना सीवेज जल और अशोधित जल को नदी में छोड़ रहा है।

सभापति महोदय: आप अत्यंत वरिष्ठ सदस्य है। आप इसे क्यों पढ़ रहे हैं? आप इसे पटल पर रख सकते हैं।

श्री जुएल ओराम: महोदय, मैं केवल पाठ पढ़ रहा हूं।

सभापति महोदय: यदि पटल पर रखा जाए तो आप जो भी निवेदन करें वैध माना जाएगा।

श्री जुएल ओराम: महोदय, यदि आप कहें तो मैं इसे पटल पर भी रख सकता हूं। मैं इसे पढ़ रहा हूं।

सभापति महोदय: मैं समय बचाना चाहता हूं। अनेक अन्य सदस्य भी हैं जो बोलना चाहते हैं।

श्री जुएल ओराम: यह बात अच्छी तरह जानते हुए कि राऊरकेला स्टील प्लांट के 'सीवेज' शोधन संयंत्र और जल शोधन संयंत्र गत कुछ वर्षों से कार्य नहीं कर रहे हैं लेकिन प्लांट के प्राधिकारी इसकी मरम्मत नहीं कर रहे हैं और अपने मुख्य नाले से सेक्टर 16 में और देवगांव 'ड्रेनेज' के माध्यम से सीवेज को कोयल नदी में छोड़ रहे हैं।

1974 के जल अधिनियम के अनुसार किसी संयंत्र में भरे 'सीवेज' के प्रवाह को किसी अन्य नदी में सीधे छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे नदी के प्रदूषित होने का बहुत अधिक खतरा होता है और इससे मनुष्यों और अन्य प्राणियों के जीवन को खतरा होता है।

जब तक राऊरकेला स्टील प्लांट के 'सीवेज' और अशोधित जल के बहाव को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते तब तक इससे उस क्षेत्र के निवासियों के जीवन को गंभीर खतरा हो

जाएगा जिसमें राऊरकेला स्टील प्लांट कर्मचारियों के परिवार भी शामिल हैं। अत: मैं इस प्रकार के जन विरोधी कार्य को रोकने के लिए केन्द्रीय वन और पर्यावरण मंत्री और केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): माननीय सभापति महोदय, आपकी इजाजत से मैं अपनी रियासत जम्मू-कश्मीर के बहुत महत्वपूर्ण मसले को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके जम्मू-कश्मीर रियासत में उन्होंने (एचपीटी) हाई पावर ट्रांसमिशन टी.वी. के लगाए हैं, वे काफी रिपेयर होने के काबिल हो चुके हैं, उनका फंक्शन बंद हो चुका है। जो बॉर्डर एरियाज के नजदीक गांव हैं, उन पर पाकिस्तान टी.वी. का असर पड़ रहा है। पाकिस्तान का टी.वी. सीधा हिन्दुस्तान के बार्डर की तरफ जो रहा है जबकि हमारे देश का टी.वी. कमजोर है। मैं कहना चाहता हूं कि इसे इम्प्रूव करने की जरूरत है। साथ में उस पर एग्रीकल्चर के प्रोग्राम दिये गये थे। करोड़ों रुपये के एग्रीकल्चर के प्रोग्राम टी.वी. पर आते हैं। लेकिन वे सब प्रोग्राम महज पैसा खाने के लिए रखे गये हैं। वह टी.वी. पर केवल फॉर्मेलिटी है। हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार इस तरफ ध्यान दे। किसानों का जो पैसा उन टी.वी. प्रोग्राम्स के लिए दिया जाता है, उसका प्रोपर इस्तेमाल होना चाहिए। वहां बनी, वसौली और बिलावर और दूरदराज के इलाकों में जो लो पावर ट्रांसमीटर लगाये गये हैं, उनमें कोई आदमी नहीं रखा गया है। वहां काम करने वाला कोई आदमी नहीं है। ये ट्रांसमीटर्स ऑटोमैटिकली नहीं चलते हैं, इन्हें चलाना पड़ता है। लेकिन वहां आदमी न होने के कारण ये सारे ट्रांसमीटर्स बंद पड़े हैं। मैं आपकी मार्फत कहना चहाता हूं कि मेहरबानी करके सरकार इस ओर तुरंत ध्यान दे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: चौधरी लाल सिंह, मैंने पहले आपको बोलने के लिए बुलाया था क्योंकि आप जल्दी जाना चाहते थे किन्तु आप अपनी बात समाप्त नहीं कर रहे हैं। मैंने इस आशा से आपको बोलने के लिए कहा था कि आप जल्दी अपना भाषण समाप्त कर देंगे किन्तु आप ऐसा नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: सर आपने मेरी बात नहीं सुनी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं मजबूर हूं। अत: आप अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: आप सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा। अभी पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के संबंध अच्छे हो रहे हैं। लेकिन हमारी रियासत में हाई पावर ट्रांसमीटर्स भी प्रोपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं। आजकल टी.वी. पर जो प्रोग्राम आ रहे हैं वे बहुत गंदे प्रोग्राम्स आ रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है हम यहां वूमन रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन टी.वी. पर औरतों को आज नंगा दिखाया जाता है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं बड़े-बड़े नाम यहां लिये जा रहे हैं, हालांकि अभी रिजर्वेशन नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री सिंह, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: हमारी रियासत में जो हाई पावर ट्रांसमीटर्स और लो पावर ट्रांसमीटर्स बंद पड़े हैं, उन्हें तुरंत ठीक किया जाए।

श्री राम सेवक सिंह (ग्वालियर): सभापति महोदय, मैं देश में सबसे अधिक आबादी वाले किसानों की दुर्दशा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। यहां कि 80 प्रतिशत जनता कृषि पर आश्रित है। आजकल देश में भू-जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से किसान अच्छी फसल नहीं ले पा रहे हैं। महोदय मैं भी किसान परिवार से हूं और एहसास कर सकता हूं कि इस भयावह स्थिति से किसान कितना दुखी है। मेरे ग्वालियर-चम्बल संभाग में 300 और 400 फीट तक के जो ट्यूबवैल थे, वे सूख चुके हैं। इसके कारण किसान अपनी फसल का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। मैंने ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक प्रोजैक्ट दिया है, जिसमें पंचायतों में बने हुए जो तालाब जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, उन तालाबों को ठीक किया जाए, उसमें वर्षा जल-संचय हो जिससे वहां वाटर लैवल बढ़ सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम सेवक सिंह: मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वह किसानों की दुर्गति को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी तालाब जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं, उन्हें तुरंत पूर्ण किया जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सर्बानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान गैस क्रैकर प्रोजेक्ट यूनिट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसे असम समझौते के अनुसार असम में स्थापित किया जाना था। परन्तु इसके लिए बार-बार मांग किए जाने के बावजूद इस मुद्दे के संबंध में अब तक कुछ नहीं हुआ है।

यहां यह बात नोट की जानी चाहिए कि इस परियोजना की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव द्वारा 24 नवम्बर 1994 को रखी गई थी जिसके बाद इसके लिए अपेक्षित आवश्यक भूमि डिब्रुगढ़ प्रशासन द्वारा रैंगाखाट नामक स्थान पर अधिगृहीत कर ली गई थी। किन्तु भारतीय वायुसेना द्वारा उठाई गई कुछ आपत्तियों के कारण इस स्थान को बाद में रैंगाखाट से बदलकर लेपटकारा, डिब्रुगढ़ कर दिया गया है। बाद में इस स्थान का दौरा पेट्रोलियम मंत्रालय और रसायन मंत्रालय से संबद्ध अठारह सदस्यीय समिति द्वारा किया गया। उन्होंने गैस क्रैकर संयंत्र के लिए इस भूमि की उपयुक्तता को अपनी स्वीकृति दी। ई आई एल ने इस भूमि की आर्थिक व्यवहार्यता का भी पता लगाया और संबंधित मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

5 मई 2005 को हुए असम समझौते पर त्रिपक्षीय वार्ता में माननीय प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि एक बार इसकी व्यवहार्यता स्थापित हो जाने पर परियोजना कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सूचित किया कि गैस क्रैकिंग प्रोजेक्ट के बारे में व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया और यह मामला लोक निवेश बोर्ड के पास भेज दिया गया है।

हाल ही में गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा असम में गैस क्रैकर प्रोजेक्ट की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव पर विचार करने हेतु सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में 8 जुलाई 2005 को लोक निवेश बोर्ड की बैठक हुई थी। गेल ने 15 अप्रैल 2005 को हुई लोक निवेश की पूर्व बैठक के दौरान उठाए गए विभिन्न मुद्दों को कवर करते हुए अपना पक्ष रखा। यह स्पष्ट किया गया है कि सतत मूल्य आकार पर (पूर्णता लागत आकार पर 5961.95 करोड़ रु.) परियोजना लागत 5185.22 करोड़ रु. है। परियोजना में प्रस्तावित इक्विटी शेयर को गेल (70%), ओ आर एल (10%) एन आर एल (10%) असम सरकार (10%) के बीच वितरित किया जाएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने समुचित उद्यम और संतोषजनक मानदंडों के अध्यधीन ऋण वित्त प्रदान करने के लिए अपनी अनुमति दे दी है। ओ आई डी बी ने भी 327 करोड़ रु. का ऋण जारी करने के लिए "सिद्धांत रूप" में अपनी स्वीकृति दे दी है। यह भी इंगित किया गया कि योजना आयोग ने कहा है कि वे परियोजना की विस्तृत रूपरेखा तैयार हो जाने और परियोजना को स्वीकृति मिल जाने पर राज सहायता के लिए धनराशि प्रदान करने पर विचार करेंगे।

सभापति महोदय: मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप अपना वक्तव्य सभा के पटल पर रख सकते हैं।

श्री सर्बानन्द सोनोवाल: महोदय, कृपया मुझे दो मिनट बोलने की अनुमति दीजिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कृपया मुझे दो मुद्दे उठाने की अनुमति दीजिए।

चर्चा को समाप्त करते हुए सचिव (व्यय) ने बताया कि वित्तीय पैरामीटरों पर विचार करते हुए, लोक निवेश बोर्ड वर्तमान रूप में परियोजना की संस्तुति करने की स्थिति में नही होगा। तथापि चूंकि परियोजना का असम समझौते में विशेष स्थान है अत: बैठक में हुई चर्चा के आधार पर प्रस्ताव को पुन: तैयार करने की व्यावहार्यता को गंभीरतापूर्वक जांच की जानी चाहिए और प्रयास किया जाना चाहिए।

यह नोट करना प्रोत्साहित करने वाला है कि मिजोरम के दक्षिण भाग में म्यांमार अपतट में विशाल गैस (अनुमानित 20 मिलियन मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन) की खोज की गई और मैं समझता हूं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने गेल और ऑयल इंडिया लिमिटेड को पाइपलाइन परियोजना पर काम करने का निदेश दिया है जिसके असम से होकर गुजरने की संभावना है। इस बीच ऑयल इंडिया लिमिटेड ने डिब्रुगढ़ से गुवाहाटी तक गैस पाइपलाइन का प्रस्ताव किया है। चूंकि उनकी पाइप लाइन को सक्रीय गैस ग्रिड से जोड़ा जा सकता है इसलिए गैस की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अत: गैस क्रैकर की व्यावहार्यता रिपोर्ट तैयार करते समय म्यांमार से गैस की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए।

मुझे इस तथ्य को लेकर अत्यधिक खेद है कि असम समझौते पर हस्ताक्षर करने के बीस वर्ष और आधार शिला रखने के ग्यारह वर्ष बाद भी अभी तक कोई प्रारंभिक कार्य नहीं किया गया है। यह वास्तव में असम के लोगों के हितों के प्रति सरासर लापरवाही का उदाहरण है। इससे लोगों का सकारात्मक दृष्टिकोण प्रभावित हो सकता है और देश के नेताओं की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धताओं में उनके विश्वास को ठेस पहुंच सकती है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह बिना किसी विलंब के यथाप्रतिबद्धित लेपेटकारा (डिब्रुगढ़) में असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट की स्थापना करने के लिए तत्काल उपयुक्त कदम उठाए।

[हिन्दी]

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने विद्युत जैसी अहम समस्या पर मुझे बोलने का मौका दिया। उत्तर प्रदेश में बिजली की सप्लाई का भारी संकट है। 24 घंटों में से 18 घंटे बिजली सप्लाई की घोषणा उद्योगों के लिए है और 14 घंटे के लिए किसानों और ग्रामीण अंचलों में बिजली सप्लाई की घोषणा है, लेकिन ये कोरी घोषणाएं ही साबित हुई हैं। 24 घंटों में से मात्र दो घंटे की विद्युत सप्लाई हो रही है। आम जनता विद्युत समस्या से त्रस्त है। हम मानते हैं कि विद्युत समस्या पूरे देश की समस्या है लेकिन उत्तर प्रदेश में विद्युत का असमान रूप से वितरण हो रहा है। एटा, मैनपुरी, उन्नाव और इटावा में तो 24 घंटे बिजली की सप्लाई है जबकि जनपद अलीगढ़ में 24 घंटों में से मात्र दो घंटे ही बिजली रहती है। आम जनता धरना-प्रदर्शन कर रही है। विद्युत अधिकारियों के साथ पुलिस ने आम जनता पर लाठीचार्ज किया। 9 अगस्त को हजारों की संख्या में धरना प्रदर्शन किया गया। किसानों की धान की रोपाई का वक्त है और इस समय तमाम फसल चौपट हो रही है। अगर विद्युत समस्या का समाधान नहीं किया गया तो किसान को बहुत हानि होगी। इसके साथ-साथ अलीगढ़ में लॉक इंडस्ट्री है और यह एक औद्योगिक नगरी है। विद्युत के अभाव में वहां इंडस्ट्रीज चौपट हो गई हैं और बहुत भारी नुकसान हो रहा है। सरकार का कहना है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नही है। 2600 करोड़ रुपये के बिजली के बिलों का भुगतान अभी बकाया है जिसमें से 1800 करोड़ रुपये औद्योगिक क्षेत्र से बकाया हैं, जबकि मात्र 800 करोड़ रुपये किसानों और सामान्य उपभोक्ताओं से बकाया हैं।

यदि सरकार की नीयत सही है तो पहले उद्योगों से बिलों का भुगतान लेना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करे कि रोस्टर के मुताबिक 24 घंटों में से कम से कम 14 घंटे बिजली की सप्लाई ग्रामीण अंचलों में की जाए जिससे वहां के किसानों की समस्या का समाधान हो सके, छात्रों को पढ़ने के लिए बिजली मिल सके और उद्योगों को उत्पादन के लिए समयानुसार बिजली मिल सके। मैं सरकार से चाहूंगा कि उचित निर्देश देकर समस्या का समाधान कराए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपने राज्य में श्रम कल्याण कार्यालय खोले जाने के लिए कहा है। आप उसका उल्लेख कर सकते हैं। यदि सख्ती से कहूं तो श्रम कल्याण कार्यालय खोलने का मुद्दा राज्य सरकार को शक्ति के भीतर आता है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): यह लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यह सैन्ट्रल लेबर मिनिस्ट्री में आता है। यह सैन्टल गवर्नमेंट से रिलेटेड है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं आपके नोटिस को विषय वस्तु को पढ़ूंगा। इसमें कहा गया है सागर मध्य प्रदेश में श्रम कल्याण कार्यालय खोलने की आवश्यकता।" हम क्या कर सकते है? यह केन्द्र सरकार की चिंता नहीं है। वह यहां मध्य प्रदेश में श्रम कल्याण कार्यालय खोलने का मुद्दा उठाना चाहते है। चलिए आप इसका उल्लेख संक्षिप्त रूप से करें।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार: सभापति जी, हमारे देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बहुत ज्यादा है और ये श्रमिक विशेष रूप से कृषि और बीड़ी निर्माण के क्षेत्र में काम करते हैं। बीड़ी निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और बंगाल राज्यों में सर्वाधिक है।

महोदय, अस्सी लाख बीड़ी मजदूरों तथा उनके आश्रितों को समाज में बराबरी के स्तर पर लाने के उद्देश्य से बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम 1976 बनाया था।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चिह्नित किए गए दस लाख बीड़ी श्रमिकों में से 6 लाख के लगभग चिह्नित किए गए बीड़ी श्रमिक सागर व दमोह जिले में हैं। इंदौर संभाग में जहां मात्र 15 हजार बीड़ी श्रमिक वहां बीड़ी श्रमिक कल्याण प्रशासन का कार्यालय खोला गया है। छह लाख बीड़ी श्रमिकों की संख्या वाले केन्द्र सागर में बीड़ी श्रमिक कल्याण प्रशासक कार्यालय खोलने से लाखों बीड़ी श्रमिकों को त्वरित ढंग से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने में सहायता मिलेगी। इस हेतु इंदौर स्थित कल्याण प्रशासक कार्यालय को सागर स्थानांतरित करने में कोई अतिरिक्त वित्तीय भार पड़े बगैर कल्याण निधि अधिनियम की सार्थकता स्थापित की जा सकती है। अत: मेरा केन्द्र सरकार के श्रम मंत्रालय से अनुरोध है कि कल्याण प्रशासक कार्यालय सागर में खुलवाने का सहयोग करें।

[अनुवाद]

***श्रीमती मिनाती सेन** (जलपाईगुड़ी): सभापति महोदय, मेरा माननीय वाणिज्य मंत्री से अनुरोध है कि वह अगस्त 2004 में उत्तरी बंगाल के वाम दलों के संसद सदस्यों के शिष्टमंडल के

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती मिनाती सेन]

साथ हुई चर्चा का स्मरण करें जब वह भारत में चाय उद्योग को पुनरुज्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करने के लिए सहमत हुए थे। दुर्भाग्यवश एक वर्ष बीत जाने के बाद भी इस पैकेज की अभी घोषणा की जानी है।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इसकी व्यापक रूपरेखा को अंतिम रूप देने के बाद इस माननीय सभा में वर्तमान सत्र के दौरान विशेष पैकेज की घोषणा करें। मेरी यह भी मांग है कि उन लोगों जो चाय बागानों में श्रम पर निर्भर हैं, को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की सूची में शामिल किया जाए ताकि उनके लिए उचित दर की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न सुनिश्चित किया जा सके।

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): महोदय, मैं सरकार का ध्यान भारत के सिलाई कामगारों के लिए व्यापक विधान बनाने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। भारत में सिलाई कामगारों की कुल संख्या लगभग चार करोड़ है और परिवार के सदस्यों की कुल संख्या लगभग बारह करोड़ है। वे काफी लम्बे समय से अपना परंपरागत कार्य कर रहे हैं। तथापि, यंत्रीकृत प्रणालियों के उद्भव से कारण उन्हें पर्याप्त काम नहीं मिल पाता है। यही नहीं, उन्हें बहुत कम मजदूरी मिल रही है। उनके पूर्व अनुभवों और उनके काम की परंपरागत प्रकृति पर भी विचार करते हुए केन्द्र सरकार उनकी सहायता करने के लिए कुछ और कर सकती है। केरल सरकार तथा तमिलनाडु सरकार ने सिलाई कामगारों के लिए कल्याणकारी नियंत्रण प्रदान करने के लिए पहले ही कानून बनाए हैं। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह सिलाई क्षेत्र से कल्याणकारी निधि की स्थापना करने के लिए व्यापक कानून बनाए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद): सभापति महोदय, कोल माइन्स के नेशनलाइजेशन के समय कोल इंडिया के अलावा कुछ माइन्स प्राइवेट मालिकों को कैपटिव माइन्स चलाने के रूप में दी गई थीं जैसे टिस्को, इस्को, आईसीएमएल, वीईसीएमएल एवं जिंदल स्टील एंड पावल लिमिटेड को दी गई थी। वे सभी को कोयला राष्ट्रीयकरण के परिधि से बाहर रखा गया, परंतु उक्त कंपनी में कार्यरत् सभी मजदूरों को सभी सुवधिाएं उपलब्ध कराने हेतु निजी कपंनी मालिकों को दिया गया जो सुविधा कोल इंडिया के द्वारा कार्य कर रहे मजदूरों को दी जाती थीं। परंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता न. 7 अर्थात सातवें वेतन समझौता का लाभ उन निजी कंपनी मालिकों के द्वारा मजदूरों को नहीं दिया जा रहा है।

अत: मैं उक्त निजी मालिकों के द्वारा जो कोयला उत्खनन का कार्य करते हैं उन सभी मजदूरों को राष्ट्रीय कोयला के सातवें वेतन समझौता का लाभ दिलाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य के रेलवे से संबंधित मामला उठाना चाहता हूं। बिलासपुर से मंडला रेलवे लाइन के सर्वे का कार्य 50 वर्षों तक होता रहा है। सर्वे का काम पूर्ण हो चुका है।

सभापति महोदय, वह प्लानिंग कमीशन को भेजा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने से, वहां के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए, नई रेल लाइन का होना आवश्यक है। छत्तीगसढ़ की राजधानी रायपुर और बिलासपुर जिले मंडला से सीधे जुड़ जाएंगे। इस सर्वे के बाद, स्वीकृति होने पर, उक्त मार्ग के बनने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा तथा लोगों को उद्योग-धंधे लगाने में सहायता मिलेगी। वहां का डोलोमाइट खनिज पदार्थ, बैलाडीला की खनिज सम्पदा, कोयले के रूप में अपार खनिज संपदा का लाभ उठाया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में हीरे की भी खदान मिल चुकी है। उसके अलावा अभ्रक एवं अन्य खनिजों की भी खदानें हैं जिनमें लोगों को रोजगार मिलेगा और रेलवे विभाग की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। इससे रेलवे को ज्यादा मजबूती मिलेगी। लोगों को इससे आवागमन की सुविधा मिलेगी। अत: मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि बिलासपुर से मंडला नई रेल लाइन की शीघ्र स्वीकृति केन्द्र सरकार प्रदान करें।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विशेषरूप से पुरातत्व विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र जोधपुर के फलौदी कस्बे में बहुत पुराना किला बना हुआ है, जिसे 500-600 वर्ष पुराना बताया जाता है। उस किले को पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं किया है। जब भी बरसात आती है, तो वर्षा के कारण उसकी दीवारें गिर जाती हैं और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यदि इसी प्रकार चलता रहा, तो धीरे-धीरे पुरातत्व विभाग की वह संपत्ति नष्ट हो जाएगी। उसे देखने के लिए अब भी अनेक विदेशी पर्यटक आते हैं। विशेषरूप से देशी पर्यटक भी उस किले को देखने जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा- चूंकि पुरातत्व विभाग ने उस किले को कब्जे में ले रखा है, इसलिए पुरातत्व विभाग उसका मैंटीनेंस करे और उसे ठीक करे, ताकि आने वाले समय में उसे नष्ट होने से बचाया जा सके।

श्री संतोष गंगवार (बरेली): सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर विशेष ध्यान दे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायलौजीकल साइंस, स्वास्थ्य मंत्रालय की एक स्वायत्तशासी संस्था है और देश में औषधियों की गुणवत्ता की पहचान करती है। पिछले कुछ वर्षों से इस संस्थान के जो प्रमुख और सर्वोच्च पद हैं, जैसे निदेशक, उपनिदेशक (प्रशासन), उपनिदेशक (क्वालिटी कंट्रोल), उनकी नियुक्ति के संबंध में अनियमितताएं और विवादों की जानकारी प्रकाश में आ रही है और ऐसे व्यक्तियों को इन पदों पर लाया जा रहा है जो उन पदों के उपयुक्त भी नहीं हैं। यहां तक कि न्यायालय के निर्देशों के बाद भी, उनकी नियुक्ति की गई और इस प्रकार की नियुक्ति की गई कि उसमें रिक्रूटमेंट रूल्स भी बदले गए। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस संदर्भ में ध्यान दें और जांच करवाएं और जांच करवा कर प्रभावी कदम उठाएं। आपका धन्यवाद।

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कासगंज से एटा की रेलवे लाइन से जोड़ने का काम प्रगति पर चल रहा है। रेलवे लाइन के बीच में अचलपुर रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है। प्रस्तावक स्टेशन से 1 किलोमीटर दूरी पर बैरंज बौद्ध धर्म का पर्यटक स्थल है, जहां लाखों की संख्या में बौद्ध अनुयायी आते हैं। अभी तक वहां कोई रास्ता नहीं था, कोई सड़क भी नहीं थी। अब जब यह स्टेशन केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर बन ही रहा है जिससे लाखों की संख्या में पर्यटक आने से सरकार की आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, वह स्टेशन जो अचलपुर स्टेशन के नाम से बन रहा है, उसका नाम बैरंज अचलपुर स्टेशन रख दिया जाए जिससे बौद्ध अनुयाइयों और पर्यटकों को लाभ होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): मान्यवर, मेरा छोटा सा निवेदन है कि अभी महिला बिल आज पास किया गया है। बड़ा भारी उसका विस्तार है और पता नहीं उसमें क्या-क्या बातें कही गई हैं और अब बिल पास होने के बाद उसके परिणाम देश के सामने आएंगे। मेरा निवेदन इतना ही है कि जो विधवाएं हैं, उन्हें 200 रुपए प्रतिमाह मिलती है। मंहगाई को देखते हुए यह रकम बहुत ही कम है। इसके साथ ही जब महिलाओं का कार्ड बना है और उसके ऊपर फोटो भी लगी है, तो प्रत्येक तीन मास के बाद उसे यह प्रमाणित करना पड़ता है कि वह महिला अभी तक जीवित है। जब उसका कार्ड है, उसकी शक्ल मौजूद है, कार्ड पर फोटो मौजूद है, फिर किस बात के लिए जीवित होने का प्रमाणपत्र? कार्ड पर उसकी स्वयं की फोटो लगी होती है। इसके साथ ही उस महिला को, जो 80 वर्ष की हो गई होगी, यह प्रमाणित करना पड़ता है कि उसने दूसरी शादी नहीं की है। ये दोनों आवश्यकताएं स्वतंत्र भारत के लिए वांछनीय नहीं हैं। यह तो अंग्रेजों के वक्त का नियम था। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इन दकियानूसी नियमों को बदला जाए।

सभापति जी, जब वह मौजूद है, उसका कार्ड मौजूद है, कार्ड पर फोटो मौजूद है, तब यह पूछना कि वह जिन्दा भी है कि नहीं और दूसरी शादी की है या नहीं, इन दोनों बातों को हटाया जाए और 200 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से नहीं, पूरे भारतवर्ष में जो विधवा महिलाएं हैं, जब आप महिला कल्याण का बिल लेकर आए हैं, तो प्रतिमाह 500 रुपए पेंशन किया जाना नितान्त आवश्यक है क्योंकि 200 रुपए में तो जहर भी नहीं मिलता है। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से विधवाओं की पेंशन के संबंध में निवेदन है कि दोनों नियमों को निरस्त किया जाए और पेंशन की रकम 200 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपए की जाए जिससे महिलाओं को भला हो सके और वे जीवित रह सकें, वरना 200 रुपए में तो कुछ भी काम नहीं हो सकता।

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय मैं, केन्द्र सरकार का ध्यान प्रमुख संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बाल शल्य चिकित्सा विभाग में सुविधाओं में कमी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, 'एम्स' भारत का एक प्रमुख संस्थान है। पूरे देश भर से तथा विदेशों से भी लोग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान से सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। परन्तु एम्स के बाल शल्य चिकित्सा विभाग में अनेक सुविधाओं का अभाव अधिकांश मेडिकल कालेजों में तथा निजी अस्पतालों में भी बाल शल्य चिकित्सा विभाग मौजूद नहीं है। इसीलिए देश के विभिन्न भागों से लोग बाल शल्य चिकित्सा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आते है।

परन्तु मुझे यह बताते हुए खेद हो रहा है कि एम्स के प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष सहित केवल पांच डाक्टर है। इसके अतिरिक्त, बाल शल्य चिकित्सा विभाग में बिस्तरों की संख्या मात्र 33 ही है। एम्स के बहिरंग रोगी विभाग (ओ.पी.डी.) में लगभग 30,000 बाल रोग संबंधी मामले औसतन देखे जाते हैं। बाल शल्य चिकित्सा विभाग में 3000 बड़ी शल्य चिकित्सा संपन्न की जाती है तथा सामान्य बीमारी के लगभग 5000 मामले देखे जाते हैं।

क्लिनिकल सेवाओं तथा बहिरंग रोगी विभाग (ओ.पी.डी.) सेवाओं के अलावा इस विभाग में विशेषज्ञता क्लीनिक चल रहे हैं और प्रशिक्षण के तथा अनुसंधान संबंधी अध्ययन भी किये जा रहे

[डा. के.एस. मनोज]

है। हालांकि सीमित सुविधाओं के साथ वे सही कार्य कर रहे है परन्तु यह पर्याप्त नहीं है।

अत: एम्स के बाल्य शल्य चिकित्सा विभाग में सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत है। मुझे पता चला है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बालरोग सुविधाओं के साथ बाल शल्य चिकित्सा विभाग के उन्नयन का प्रस्ताव है। अत: मैं स्वास्थ्य मंत्री तथा भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बाल शल्य चिकित्सा विभाग के उन्नयन संबंधी प्रस्ताव को कार्य रूप देने में तेजी लाएं ताकि बाल रोग संबंधी मामलों में दी जाने वाली सेवाओं में सुधार हो सके।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय के संदर्भ में मेरे निर्वाचन क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में बोलना चाहता हूं।

महाराष्ट्र के चन्द्रपुर और गढ़चिरौली जिला क्षेत्र सेंट्रल रेलवे तथा मध्य दक्षिण पूर्ण रेलवे से संबंधित है। चन्द्रपुर एक ऐतिहासिक शहर है और साथ में औद्योगिक शहर है। अनेक उद्योग और कारखाने इस शहर में हैं। आर्डिनेंस फैक्टरी भी वहां पर है। देश का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन में पावर जनरेशन वहां होता है। कोयले की वहां अनेक खानें हैं। मैं इस क्षेत्र के महत्व की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में रहने वाले करीब चार लाख से ज्यादा आबादी रेलवे स्टेशन पर अनेक गाड़ियां रूकते हुए भी महत्वपूर्ण गाडियां नहीं रूकती हैं। उन गाड़ियों के ठहराव के संदर्भ में आपके माध्यम से मंत्रालय से मैं विनती करना चाहता हूं। चन्द्रपुर स्टेशन पर करीब 22 गाड़ियां रूकती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण गाड़ियां, जिनमें हैदराबाद, बंगलौर और चेन्नई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस शामिल हैं, ये चन्द्रपर स्टेशन से होकर जाती हैं। नागपुर स्टेशन से चन्द्रपुर करीब 190 किलोमीटर के अंतर पर है। इस स्टेशन पर इन गाड़ियों का ठहराव देने की मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं। साथ में केरल एक्सप्रेस, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस और तमिलनाडु एक्सप्रेस, इन तीनों गाड़ियों का भी वहां स्टापेज नहीं है, इन तीनों गाड़ियों का ठहराव देने की मैं विनती कर रहा हूं।

वैसे ही सिकन्दराबाद से कागजनगर तक जो गाड़ी भाग्यनगरी चलती है, उस गाड़ी को कागजनगर के आगे बल्लारशाह स्टेशन तक चलायें। इसके साथ ही गोरखपुर, जी.टी., दक्षिण एक्सप्रेस गाड़ियां हमारे जिले के निर्वाचन क्षेत्र भाँडक और वटोरा स्टेशन पर नहीं रूकती हैं, वहां पर भी इन गाड़ियों का स्टापेज देने का मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं।

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): सभापति महोदय, चमाराजनगर एक बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है। इस निर्वाचन क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पद दलित वर्गों की है। इस जिले को भारत सरकार की सहानुभूति तथा जिले के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि दिए जाने की जरूरत है।

यहां पर बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं। वे हैं (एक) मलाई महादेश्वर हिल्स मंदिर-कोलेजल तालुक (दो) बिलिगिरिंगाना हिल्स-यलान्दुर तालुक (तीन) श्री कंटिश्वर मंदिर-वनंजनगुड (चार) महादेश्वर मंदिर चामराजनगर और बहुत सारे अन्य मंदिर प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहे हैं।

उपर्युक्त मंदिरों के अलावा जिले में विभिन्न मनोरम तथा प्राकृतिक दृश्य घूमने योग्य है उनमें से कुछेक (1) शिष्मा (2) ब्लफ (3) होगेनाकल फाल्स (4) बान्दीपुरा और सोमनाथपुरा है। उपर्युक्त स्थानों में से किसी को भी पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित नहीं किया गया है।

चामराजनगर सात वर्ष पहले जिला बना था। अभी तक भारत सरकार द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उपर्युक्त स्थानों को पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित करने के लिए पांच करोड़ रुपये आवंटित करें। इनके अलावा, उपर्युक्त मंदिरों के नवीकरण तथा रखरखाव के लिए पृथक निधियां आवंटित की जानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि केन्द्र इस संबंध में समुचित तथा तत्काल कार्यवाही करेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप कोली (बयाना): सभापति जी मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि किसानों की भलाई के लिए सरकार ने क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं, परंतु उनके माध्यम से किसानों को बहुत ही कम धनराशि प्राप्त होती है। मुझे दुख होता है कि मेरे ही क्षेत्र में भूमि की कीमत एक लाख रुपये प्रति बीघा है। वहां किसानों को प्रति बीघा 3 हजार रुपये मात्र ही कर्जा मिलता है, वह भी अपनी भूमि के स्वामित्व संबंधी सारे दस्तावेज गिरवी रखकर। लेखपाल सहित राजस्व अधिकारियों से लेने तथा अनुकूल लिखाने के लिए उन्हें काफी रिश्वत देनी पड़ती है। अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि वास्तविक स्थिति को ध्यान में

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

रखकर भूमि की कीमत की 70 प्रतिशत धनराशि क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को कर्जे के रूप में दी जाए, जैसा कि व्यापारिक बैंक व्यापारियों के माल को गिरवी रखकर कैश क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत देते हैं।

महोदय, किसानों की फसल को बेचने के लिए नदवई कृषि उपज मण्डी, खेडली कृषि उपज मण्डी एवं मण्डावर महवा, कृषि मण्डी बहुत बड़ी हैं। किसानों को आने जाने की सुविधा के नदवाई-खेडली, महवामण्डावर स्टेशनों पर मरूधर रेल गाड़ी का ठहराव किया जाए। मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन है कि वे किसानों के हित के लिए यह काम अवश्य करें।

श्री श्रीपाद येसो नाईक (पणजी): सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र पणजी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4ए जो सभी राज्यों को जोड़ता है। उस राजमार्ग से जो बाईपास निकाला जा रहा है, वह पणजी से 15 किलोमीटर दूर कुंडई क्षेत्र में है। वहां औद्योगिक ईकाइयां भी हैं। पांच साल पहले वहां बगल से राजमार्ग निकालने का काम शुरू किया गया था, लेकिन ठीक तरह से प्लानिंग न होने के कारण बाईपास का काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है। पैसा भी दे दिया गया है और काम भी शुरू हो गया था, लेकिन नीचे से 15 से 20 फुट जो ऊंचाई है केवल उसका एस्कावेशन हुआ है। दोनों तरफ बस्तियां हैं। एक तरफ आश्रम है। दोनों तरफ ही लैंड स्लाइडिंग होती रहती है जिससे आश्रम में आने वाले भक्तों और बस्ती के घरों को खतरा है। आश्रम में हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। लैंड स्लाइडिंग के कारण उन्हें हानि पहुंच सकती है। यह हाईवे ट्रैफिक के कारण काफी बीजी रहता है। यहां से कंटेनर और गाड़ियां निकलती रहती हैं और ऊंचाई होने के कारण ट्रैफिक रूक जाता है। मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस बगल के मार्ग को पूरा करके लोगों को ट्रैफिक सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, मुझे एक बात स्पष्ट करनी है। दो मुद्दों में से आप सिक्खों को मुआवजा प्रदान करने के मुद्दे को पहले ही उठा चुके हैं। इसलिए आप राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) में अ.पि. वर्गों हेतु प्रतिशतता में छूट देने की आवश्यकता के मुद्दे को उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): महोदय, यूजीसी ग्रांट कमीशन द्वारा कालेजों और यूनिवर्सिटियों के लैक्चरर उपलब्ध कराए जाते हैं। उसके लिए एक एलीजिबल टेस्ट होता है, जिसे नेशनल एजूकेशन टेस्ट (नेट) कहा जाता है, उसी तरह से राज्यों में भी स्टेट एजूकेशन टेस्ट (सेट) होता है। यह नेट और सेट के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। इस एग्जाम के लिए मास्टर डिग्री और इक्विलैंट में 55 प्रतिशत नम्बर होने बहुत जरूरी हैं, लेकिन एससी, एसटी के लिए 5 प्रतिशत की छूट दी गई है। पास होने के लिए भी एससी, एसटी के लिए यही छूट है। लेकिन महाराष्ट्र में शैड्यूल्ड डीनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स एक सैक्शन है जो ओबीसी से हटकर है। महाराष्ट्र में एक क्षेत्र ऐसा है जहां चार बैकवर्ड क्लास के शैडयूल्स हैं-शैडयूल्ड कास्ट्स शैडयूल्ड ट्राइब्स, शैडयूल्ड डीनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स और ओबोसी। *...(व्यवधान)* यह बहुत महत्वपूर्ण ईशू है जिसे अभी तक किसी ने रेज नहीं किया है। आपके माध्यम से मुझे काफी समय बाद बोलने का मौका मिला है।*...(व्यवधान)* आजादी के 58 साल बाद भी यहां कोई डीनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स की बात कर रहा है। इस बारे में बताने के लिए इस देश और संसद ने मौका नहीं दिया। मुझे आपके और जनता के माध्यम से इस बारे में बोलने का मौका मिला है। यह 15 करोड़ लोगों की बात है।*...(व्यवधान)* आप एससी और एसटी के लोगों को जो कनसेशन दे रहे हैं, इसे पूरे देश के ओबीसी लोगों को भी देना चाहिए, खासकर महाराष्ट्र के डीनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स को भी देना चाहिए। धन्यवाद। *...(व्यवधान)*

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): सभापति महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ईशू आपके सामने रखना चाहता हूं। इस देश में लाखों ऐसे एक्स-सर्विसमैन हैं जिन्होंने इस देश की सेवा की है, किसी ने आर्मी में, किसी ने नेवी में और किसी ने एयर फोर्स में। ऐसे लाखों पूर्व सैनिक लगातार कई वर्षों से वन पेंशन वन रैंक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछली सरकार के समय में भी वे अनेक बार डेपुटेशन पर डिफैंस मिनिस्टर से मिले और अब भी मिल रहे हैं। उन्हें कई प्रदर्शन और मीटिंग्स भी की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अफसोस इस बात का है कि जो रिटायर्ड पूर्व सैनिक अफसर हैं, उनको मिल गया, लेकिन जो छोटे सैनिक रहे हैं, उनको आज तक नहीं मिला। वे अपनी मांग के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से डिफैंस मिनिस्टर से मांग करता हूं कि जिन सैनिकों ने देश की सेवा की है, उनके इस काम को पूरा करें। इसके साथ ही पूर्व सैनिकों के लिए पूरे देश में सैनिक बोर्ड बने हुए हैं। सैनिक बोर्डों का इतना बुरा हाल है कि जिनके लिए वे बनाए गए हैं, उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। हर विभाग में जो नौकरियां निकलती हैं, पूरे देश में कोई विभाग सोल्जर बोर्ड से नाम नहीं मांगता, वे टेन्योर खत्म करके रिटायर हो गए, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनकी सुविधाएं लगातार घट रही हैं। सैनिकों के लिए बनाई गई कैन्टीनों का मिसयूज हो रहा है। उनका सामान सैनिकों को नहीं मिल रहा बल्कि दूसरे लोगों को मिल रहा है। जो सामान कनसेशन पर मिलता है, उसका लाभ

[श्री किशन सिंह सांगवान]

दूसरे लोग उठा रहे हैं।...*(व्यवधान)* इसमें करप्शन शामिल हो गई है। इसलिए इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए कि सैनिकों को जो सुविधाएं दी गई हैं, उनका लाभ उन्हीं को मिलना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं।

सैनिकों की सुविधा के लिए पूरे देश में सैनिक रेस्ट हाउस बने हुए हैं, लेकिन बहुत जगह वे एक तरह से होटल का काम कर रहे हैं। वहां के कुछ लोग मिलीभगत से सैनिकों को ठहरने के लिए जगह नहीं देते बल्कि दूसरे लोगों को ठहराते हैं और उनसे किराया वसूला जाता है। इस प्रकार के कामों से पूरे देश के भूतपूर्व सैनिकों में रोष और निराशा है। सरकार इसमें दखल दे। सबसे आवश्यक बात यह है कि उनकी पेंशन में बहुत वर्षों से बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। पूरे देश में कुछ ही विभाग हैं जिन्होंने एक्स-सर्विसमैन के लिए सीटों की रिजर्वेशन कर रखी है, अधिकतर विभाग नहीं करते। हर विभाग में एक्स-सर्विसमैन की नौकरी के लिए सीटों की रिजर्वेशन होनी चाहिए और उनका कोटा बढ़ाया जाना चाहिए।

इतना कहकर मैं आपको समय देने के लिए शुक्रिया करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सीता राम यादव (सीतामढ़ी): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से महात्मा गांधी सेतु का मुद्दा शून्यकाल से उठाना चाहता हूं। पटना एवं हाजीपुर के बीच गंगा नदी पर उत्तर बिहार का एक मात्र लाइफ पुल है। इस पुल का आर्क पश्चिम भाग में तीन इंच झुक चुका है। अगर यह पुल और तीन इंच झुक गया तो पुल ध्वस्त हो जायेगा, ऐसा विशेषज्ञों की राय है। पुल के पश्चिम भाग पर सवारियों का आना-जाना बहुत दिनों से बंद है। जैसा कि जानकारी मिली है कि चार आर्क का मरम्मती का कार्य चल रहा है। अगर पूरे 45 आर्क का मरम्मत नहीं किया गया तो पुल ध्वस्त हो जायेगा। इस पुल पर लगभग प्रतिदिन सात-आठ हजार गाड़ियों का आवागमन रहता है।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार और परिवहन मंत्री से मांग करता हूं कि युद्ध स्तर पर महात्मा गांधी सेतु का मरम्मत तुरंत मरम्मत कराया जाये। यह छ: किलोमीटर का पुल है। अगर यह पुल टूट गया तो गंगा नदी पर जहाज से आना जाना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे इसे संज्ञान में ले और इस पुल की तुरंत मरम्मत करायें वर्ना आवागमन उत्तर बिहार का समाप्त हो जायेगा।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर साहू (बहरामपुर-उड़ीसा): महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र, बहरामपुर उड़ीसा में अंध विद्यालय से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं। यह स्कूल वहां पिछले 30 वर्षों से चल रहा है। पूरे जिले में यह इकलौता अंध विद्यालय है। यह एक आवासीय अंध विद्यालय है। विद्यालय के मानद सचिव क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता तथा सम्मानीय व्यक्ति हैं अभी तक यह विद्यालय काफी अच्छी तरह से चल रहा था। विद्यालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रहा था। गत दो वर्षों से विद्यालय को केन्द्र सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। यद्यपि, मैं व्यक्तिगत तौर पर माननीय सामाजिक न्याय मंत्री से मिल चुका हूं तथा उन्हें एक अभ्यावेदन दिया है। परन्तु आज की तिथि तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मानद सचिव ने अपने स्वयं के प्रभाव से अमरीका से कुछ डालर जुटाएं हैं जिससे इन अंध छात्रों का पेट भरा जा रहा है।

आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया इस मामले पर विचार करे तथा बच्चों को भूखमरी से बचाए।

सभापति महोदय: अब सभा 23 अगस्त, 2005 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.47 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा गुरूवार, 25 अगस्त, 2005/3 भाद्र, 1927 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी	401
2.	श्री ई.जी. सुगावनम डा. आर. सेनथिल	402
3.	श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	403
4.	श्री एस.के. खारवेनथन	404
5.	श्री निखिल कुमार चौधरी	405
6.	श्री गणेश सिंह श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	406
7.	श्री इकबाल अहमद सरडगी श्री रायापति सांबासिवा राव	407
8.	श्री हरिसिंह चावड़ा डा. धीरेन्द्र अग्रवाल	408
9.	डा. चिंता मोहन श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन''	409
10.	श्री हंसराज जी. अहीर	410
11.	श्री प्रबोध पाण्डा	411
12.	श्री चन्द्रभूषण सिंह	412
13.	श्री सर्वानन्द सोनोवाल	413
14.	श्री हरिभाऊ राठौड़ श्रीमती किरण माहेश्वरी	414
15.	श्री आलोक कुमार मेहता	415
16.	श्री थावरचन्द गेहलोत	416
17.	श्री एस. अजय कुमार श्री परसुराम माझी	417
18.	श्री अविनाश राय खन्ना	418
19.	श्री हन्नान मोल्लाह श्री निखिल कुमार	419
20.	श्री जीवाभाई ए. पटेल श्री भर्तृहरि महताब	420

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	4242, 4303
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	4216, 4281, 4304, 4336, 4365
3.	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	4264, 4306, 4309, 4357
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	4235, 4263, 4303, 4331
5.	अप्पादुरई, श्री एम.	4198
6.	अर्गल, श्री अशोक	4157
7.	आजमी, श्री इलियास	4245, 4320, 4360
8.	''बाबा'', श्री के.सी. सिंह	4254
9.	''बचदा'', श्री बची सिंह रावत	4176
10.	बैठा, श्री कैलाश	4222
11.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	4153, 4321, 4361
12.	बर्मन, श्री हितेन	4295
13.	बर्मन, श्री रनेन	4137
14.	बखला, श्री जोवाकिम	4223
15.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	4181
16.	भगोरा, श्री महावीर	4164, 4273, 4348
17.	भक्त, श्री मनोरंजन	4168, 4268
18.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	4243
19.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	4166, 4266, 4332
20.	बोस, श्री सुब्रत	4208, 4216
21.	चौरे, श्री बापू हरी	4145, 4297
22.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	4285, 4339
23.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	4253
24.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	4207

1	2	3
25.	चौधरी, श्री पंकज	4203, 4296
26.	चौधरी, श्री अधीर	4175, 4277, 4286, 4345
27.	चर्चील, श्री अलीमाऊ	4190
28.	धनराजू, डा. के.	4206, 4316, 4364
29.	धोत्रे, श्री संजय	4241
30.	दूबे, श्री चन्द्र शेखर	4167, 4283
31.	गांधी, श्री प्रदीप	4215, 4288
32.	गंगवार, श्री संतोष	4143, 4291, 4313, 4355
33.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	4262
34.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	4195
35.	हर्ष कुमार, श्री जी. वी.	4183, 4287
36.	जटिया, डा. सत्यनारायण	4161
37.	झा, श्री रघुनाथ	4138, 4257, 4275, 4333
38.	जोगी, श्री अजीत	4189, 4292
39.	जोशी, श्री प्रहलाद	4212, 4322
40.	कलमाडी, श्री सुरेश	4162
41.	कनोडीया, श्री महेश	4232
42.	खैरे, श्री चंद्रकांत	4236, 4310
43.	खां, श्री सुनील	4227
44.	खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	4140
45.	खारवेनथन, श्री एस.के.	4256, 4325, 4328
46.	कोली, श्री रामस्वरूप	4169
47.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	4152, 4229
48.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	4188, 4293, 4342
49.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	4148

1	2	3
50.	"ललन", श्री राजीव रंजन सिंह	4274, 4275, 4352
51.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारू	4200
52.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	4205, 4238, 4324
53.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	4148, 4275
54.	महतो, श्री वीर सिंह	4160, 4240, 4284, 4285, 4357
55.	महतो, श्री सुनिल कुमार	4192, 4202, 4264, 4284
56.	महतो, श्री टेक लाल	4204
57.	माझी, श्री परसुराम	4269
58.	माझ, श्री शंखलाल	4170
59.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	4235, 4312, 4354
60.	मंडल, श्री सनत कुमार	4178, 4282
61.	मनोज कुमार, श्री	4159
62.	मनोज, डा. के.एस.	4181, 4197, 4294, 4338
63.	मसूद, श्री रशीद	4144
64.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	4194
65.	मेघवाल, श्री कैलाश	4149, 4259, 4330
66.	मेहता, श्री आलोक कुमार	4276
67.	मोदी, श्री सुशील कुमार	4156
68.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	4217
69.	मोहल्ले, श्री पुन्नूलाल	4247
70.	मो. ताहिर, श्री	4251, 4326
71.	मोहिते, श्री सुबोध	4141
72.	मूर्ति, श्री ए. के.	4213
73.	मुर्मू, श्री हेमलाल	4230, 4303, 4347
74.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	4250
75.	नायक, श्री ए. वेंकटेश	4219

1	2	3
76.	नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	4291
77.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	4189
78.	नायक, श्री अनन्त	4252, 4300
79.	निखिल कुमार, श्री	4345
80.	ओराम, श्री जुएल	4231
81.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	4239, 4314, 4363
82.	पाण्डा, श्री प्रबोध	4289, 4340
83.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	4194
84.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	4139, 4265, 4334
85.	पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार	4366
86.	पटेल श्री जीवाभाई ए.	4309
87.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	4237, 4301, 4326, 4353, 4311
88.	पाठक, श्री ब्रजेश	4196, 4315, 4356
89.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	4210, 4312, 4317, 4358
90.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	4211
91.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	4151, 4299
92.	पाटले, श्री शिशुपाल एन.	4177
93.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	4244, 4318, 4325
94.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	4182, 4291
95.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	4186, 4302
96.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	4172, 4286
97.	राजेन्द्र कुमार, श्री	4142, 4323, 4336
98.	रामदास, प्रो. एम.	4174, 4326
99.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	4228, 4237, 4249, 4325, 4366
100.	राणा, श्री काशीराम	4278, 4339, 4343
101.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	4280, 4308, 4350
102.	रावत, श्री कमला प्रसाद	4226, 4298
103.	रावत, प्रो. रासा सिंह	4247, 4258
104.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	4146, 4260, 4329
105.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	4246
106.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	4260, 4163, 4278, 4343
107.	साहु, श्री चंद्रशेखर	4189
108.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	4280, 4335
109.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	4171, 4270, 4351
110.	सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	4180
111.	सरोज, श्री तूफानी	4213
112.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	4234, 4307
113.	सील, श्री सुधांशु	4189
114.	सेठी, श्री अर्जुन	4224
115.	शाहिद, मोहम्मद	4251
116.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	4173, 4271
117.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	4261, 4304, 4336, 4344
118.	शिवन्ना, श्री एम.	4201, 4219
119.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	4177, 4251, 4326
120.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	4215, 4218
121.	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	4158
122.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	4214
123.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	4165, 4306, 4349
124.	सिंह, श्री रामसेवक	4291
125.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	4272, 4341
126.	सिंह, श्री चन्द्रभान	4209
127.	सिंह, श्री दुष्यंत	4187, 4231, 4300, 4309

1	2	3
128.	सिंह, श्री गणेश	4291, 4304, 4336, 4337
129.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	4185
130.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	4275
131.	सिंह, श्री मोहन	4302
132.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	4233, 4305
133.	सिंह, श्री सुग्रीव	4179, 4237, 4311, 4326, 4353
134.	सिंह, श्री उदय	4225, 4345
135.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	4154, 4319, 4359
136.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	4232
137.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	4280
138.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	4155
139.	सुगावनम, श्री ई. जी.	4359
140.	सुमन, श्री रामजीलाल	4274, 4275, 4352
141.	सुम्बरूई, श्री बागुन	4255, 4327
142.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	4181
143.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	4205
144.	थामस, श्री पी.सी.	4191, 4279, 4338
145.	तुम्मर, श्री वी.के.	4182
146.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	4194
147.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	4228, 4301, 4346
148.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	4290, 4362
149.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	4205
150.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	4150, 4267
151.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	4144
152.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	4202, 4216, 4281, 4304, 4336
153.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	4240, 4349
154.	यादव, श्री गिरिधारी	4192
155.	यादव, श्री पारसनाथ	4221, 4248
156.	यादव, श्री राम कृपाल	4220
157.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	4199

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	409, 410, 416
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	404, 405, 407, 414, 417, 418
विदेश	:	411
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	401, 402, 403, 415, 419
प्रवासी भारतीय कार्य	:	406
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	408
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	412, 413, 420
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	4181, 4237, 4301, 4311,
कोयला	:	4159, 4167, 4177, 4188, 4192, 4194, 4204, 4215, 4227, 4230, 4236, 4251, 4263, 4283, 4288, 4303, 4310, 4331, 4341, 4347
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	4141, 4143, 4153, 4163, 4176, 4179, 4180, 4182, 4183, 4185, 4210, 4222, 4231, 4238, 4241, 4245, 4248, 4261, 4282, 4292, 4296, 4297, 4299, 4304, 4315, 4320, 4321, 4342, 4344, 4348, 4350, 4355, 4356, 4360
विदेश	:	4219, 4249, 4262, 4285, 4318, 4326, 4335, 4339
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	4137, 4139, 4142, 4145, 4146, 4149, 4154, 4164, 4166, 4169, 4170, 4173, 4175, 4186, 4189, 4197, 4198, 4201, 4203, 4209, 4211, 4212, 4221, 4223, 4225, 4226, 4232, 4233, 4234, 4235, 4239, 4246, 4253, 4257, 4265, 4272, 4276, 4277, 4281, 4286, 4287, 4293, 4294, 4298, 4300, 4307, 4309, 4313, 4319, 4322, 4325, 4332, 4334, 4336, 4345, 4346, 4354, 4357, 4359, 4361, 4362, 4364

प्रवासी भारतीय कार्य	:	4266
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	4138, 4144, 4172, 4184, 4193, 4196, 4214, 4240, 4242, 4255, 4268, 4271, 4273, 4275, 4284, 4289, 4302, 4305, 4306, 4314, 4327, 4333, 4343, 4352, 4366
योजना	:	4158, 4162, 4165, 4216, 4217, 4220, 4229, 4274, 4329, 4351
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	4140, 4148, 4151, 4152, 4155, 4156, 4157, 4168, 4174, 4178, 4187, 4190, 4191, 4195, 4205, 4213, 4218, 4224, 4228, 4243, 4250, 4252, 4254, 4264, 4269, 4278, 4279, 4280, 4291, 4295, 4312, 4328, 4337, 4338, 4340, 4354
अंतरिक्ष	:	4150, 4199, 4200, 4244, 4256, 4267, 4363,
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	4308, 4330, 4365
युवक कार्यक्रम और खेल	:	4147, 4160, 4161, 4171, 4202, 4206, 4207, 4208, 4247, 4258, 4259, 4260, 4270, 4290, 4316, 4317, 4323, 4324, 4349, 4358.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/13/21/2005 (एन०)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।